सिक्किम तथा भूटान के राज्य भारत के साथ विशेष सन्धियों द्वारा सम्बद्ध हैं

भारत

वार्षिक सन्दर्भ-ग्रन्थ

१९५९

भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के रिसर्च
एण्ड रेफ्रेंस डिवीज़न द्वारा अंग्रेज़ी में संकलित

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मन्त्रालय
भारत सरकार

ज्येष्ठ, १८८१ (जून, १९५९)

[illegible] रुपये [illegible] नये पैसे

प्रकाशन विभाग (पुराना सचिवालय, दिल्ली-८) के निदेशक द्वारा प्रकाशित तथा
एलबियन प्रेस (कश्मीरी गेट, दिल्ली) द्वारा मुद्रित

अध्याय		पृष्ठ

आमुख

भारत के राष्ट्रीय जीवन तथा गतिविधियों के विविध पहलुओं के सम्बन्ध में अधिकृत सूचना सुलभ करने के उद्देश्य से हिन्दी में 'वार्षिक सन्दर्भ-ग्रन्थ' सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा सर्वप्रथम १९५४ में प्रकाशित किया गया था। देश तथा विदेश, दोनों में जनता ने इसका जो स्वागत किया, उससे प्रकाशक को इसे अधिक व्यापक बनाने की प्रेरणा मिली।

सन्दर्भ-ग्रन्थ में उल्लिखित प्रत्येक विषय के सम्बन्ध में उपलब्ध नवीनतम सूचना देने का प्रत्येकसम्भव प्रयास किया गया है। प्रस्तुत ग्रन्थ में १९५९-६० के केन्द्रीय तथा राज्यीय सरकारों के वार्षिक वित्तीय विवरण और संसद् तथा राज्यीय विधानमण्डलों में बजट प्रस्तुत किए जाने के अवसर पर उपलब्ध हुई अन्य सूचनाएँ दी हुई हैं।

वार्षिक सन्दर्भ-ग्रन्थ में सरकारी तथा अधिकृत सूत्रों से प्राप्त जानने योग्य तथा उपयोगी सूचना संगृहीत और संकलित रहती है।

पहला अध्याय

भारतभूमि और उसके निवासी

भारत पर्वतों तथा समुद्र के द्वारा शेष एशिया से बिल्कुल अलग किया हुआ एक स्वतन्त्र देश है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिन्द महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। यह सारा का सारा देश भूमध्य रेखा के उत्तर में ८° से ३७° १०′ उत्तरी अक्षांश रेखाओं तथा ६८° से ९७° २५′ पूर्वी देशान्तर रेखाओं के बीच स्थित है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी लम्बाई २,००० मील है तथा पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई लगभग १,८५० मील। इसका क्षेत्रफल १२,५९,७६५ वर्गमील * है। आकार की दृष्टि से इसका स्थान संसार के बड़े देशों में सातवाँ है। इसकी स्थल-भूमि-रेखा की लम्बाई ९,४२५ मील तथा समुद्री किनारे की लम्बाई ३,५३५ मील है।

उत्तर में हिमालय के साथ-साथ सिंकियांग, तिब्बत तथा नेपाल हैं। इसी प्रदेश में सिक्किम और भूटान के भी दो संरक्षित राज्य हैं जो विशेष सन्धियों द्वारा भारत के साथ सम्बद्ध हैं। पूर्व में कई पर्वतश्रेणियाँ भारत को बर्मा से अलग करती हैं। इसके उत्तर-पूर्व में पश्चिम बंगाल और असम के बीच पूर्व पाकिस्तान है। पश्चिम पाकिस्तान भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर है। इसके दक्षिण में मन्नार की खाड़ी तथा पाक जलडमरूमध्य है जो भारत को श्रीलंका से अलग करता है। बंगाल की खाड़ी में स्थित अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह और अरब सागर में स्थित लक्कादीव, मिनिकॉय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह भी भारत के अंग हैं।

प्राकृतिक रचना

भारत तीन प्रदेशों में बाँटा जा सकता है : (१) हिमालय का पहाड़ी प्रदेश, (२) सिन्धु-गंगा का मैदान तथा (३) दक्षिणी प्रायद्वीप।

हिमालय प्रायः तीन समानान्तर पर्वतश्रेणियों से मिल कर बना है जिनके बीच में लम्बे-चौड़े पठार और घाटियाँ हैं। इनमें से कश्मीर तथा कुल्लू की घाटियाँ उपजाऊ, विस्तृत और प्राकृतिक सौन्दर्य से सम्पन्न हैं। हिमालय की इन पर्वतश्रेणियों में संसार की

---

* इस क्षेत्रफल में पाण्डिचेरी का राज्य (१८६ वर्ग मील) सम्मिलित नहीं हैं।

कुछ सबसे ऊँची चोटियाँ हैं। बहुत अधिक ऊँचाई वाले स्थानों में यातायात, मुख्य भारत-तिब्बत व्यापार मार्ग पर दार्जिलिंग के उत्तर-पूर्व में स्थित चुम्बी घाटी से होकर केवल जेलेप दर्रा तथा नाटू दर्रा जैसे दर्रों से ही सम्भव है।

सिन्धु-गंगा का मैदान १,५०० मील लम्बा तथा १५० से २०० मील चौड़ा है। यह मैदान सिन्धु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र के तीन नदीक्षेत्रों से मिलकर बना है। यह संसार का एक सबसे अधिक लम्बा-चौड़ा उपजाऊ मैदान है और संसार के सबसे अधिक घने बसे हुए क्षेत्रों में से भी एक है। दिल्ली में यमुना नदी से बंगाल की खाड़ी तक के लगभग १,००० मील लम्बे क्षेत्र में यदि कहीं सबसे अधिक ऊँचाई है तो वह भी ७०० फुट से अधिक नहीं।

प्रायद्वीप का पठार १,५०० से ४,००० फुट ऊँचे पहाड़ों और पर्वतश्रेणियों के द्वारा सिन्धु-गंगा के मैदान से अलग पड़ जाता है। अरावली, विन्ध्य, सतपुड़ा, मैकल तथा अजन्ता पहाड़ियाँ इनमें मुख्य हैं। प्रायद्वीप के एक ओर औसतन २,००० फुट ऊँचे पूर्वी घाट और दूसरी ओर ३,०००-४,००० फुट ऊँचे पश्चिमी घाट हैं जिनकी ऊँचाई कहीं-कहीं पर ८,८४० फुट तक भी हो जाती है। प्रायद्वीप के दक्षिण में नीलगिरि पहाड़ियाँ हैं जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं। पश्चिमी घाट कार्डेमम पहाड़ियों तक फैला हुआ है।

नदियाँ

भारत की नदियाँ चार प्रकार की हैं: (१) हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, (२) दक्षिण के पठार की नदियाँ, (३) तटीय नदियाँ तथा (४) आन्तरिक नदीक्षेत्र की नदियाँ। हिमालय से निकलने वाली नदियों में बर्फीले स्थानों से निकलने के कारण पूरे वर्ष पानी रहता है। वर्षा ऋतु में इन नदियों के कारण बहुधा बाढ़ भी आ जाया करती है। दक्षिण के पठार की नदियों में सामान्यतः वर्षा का ही पानी होने के कारण पानी कभी कम तो कभी अधिक रहता है और इनमें से बहुत-सी नदियाँ तो वर्ष के अधिक समय में सूखी रहती हैं। तटीय नदियाँ, विशेषकर पश्चिमी तट की, छोटी होती हैं और इनका जलक्षेत्र भी सीमित होता है। इनमें से भी अधिकांश नदियाँ काफी समय तक सूखी रहती हैं। पश्चिमी राजस्थान की आन्तरिक नदीक्षेत्र वाली नदियाँ बहुत कम हैं जो अपने-अपने नदीक्षेत्रों में ही अथवा साँभर झील जैसी नमक की झीलों तक जाकर सूख जाती हैं और किसी समुद्र तक नहीं पहुँचतीं।

गंगा का नदीक्षेत्र सबसे बड़ा है जिसको भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग एक-चौथाई भाग से पानी मिलता है। इसके उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में विन्ध्य पर्वत है। इस क्षेत्र में नदियाँ भी काफी हैं। गंगा भागीरथी तथा अलकनन्दा के रूप में हिमालय से निकलती है। यमुना, घाघरा, गण्डक तथा कोसी नदियाँ हिमालय से निकलकर गंगा में जा मिलती हैं।

भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदीक्षेत्र गोदावरी का नदीक्षेत्र है। पूर्व में ब्रह्मपुत्र तथा पश्चिम में सिन्धु के नदीक्षेत्र भी लगभग इसी के बराबर हैं। भारत के प्रायदीप वाले

भाग में कृष्णा नदीक्षेत्र दूसरा सबसे बड़ा नदीक्षेत्र है। महानदी, प्रायदीप वाले भाग के तीसरे सबसे बड़े नदीक्षेत्र में से होकर बहती है। इसके उत्तर में नर्मदा तथा सुदूर दक्षिण में कावेरी के नदीक्षेत्र भी लगभग इतने ही बड़े हैं।

उत्तर का तापी नदीक्षेत्र तथा दक्षिण का पेण्णार नदीक्षेत्र छोटे, किन्तु कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं।

जलवायु

भारत की जलवायु मुख्यतः वर्षाप्रधान ऊष्ण है जो स्थान-स्थान पर भिन्न-भिन्न है। भारत की जलवायु पर ऋतुओं के हेर-फेर का स्पष्ट और सीधा प्रभाव पड़ता है। ऋतुओं का बँटवारा निम्न प्रकार से किया जा सकता है :

(१) अक्तूबर से फरवरी के अन्त तक जाड़े की ऋतु,

(२) मार्च के आरम्भ से जून के आरम्भ अथवा मध्य तक ग्रीष्म ऋतु तथा

(३) जून के आरम्भ अथवा मध्य से सितम्बर के अन्त तक वर्षा ऋतु।

जलवायु के अनुसार वर्षा पर आधारित भारत के प्रदेशों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है :

(क) ८० इंच से अधिक वार्षिक वर्षा वाले प्रदेश जैसे पश्चिमी तट, बंगाल तथा असम;

(ख) ४० से ८० इंच तक की वर्षा वाले प्रदेश जैसे उत्तर-पूर्वी पठार तथा गंगा घाटी का मध्य भाग; और

(ग) २० से ४० इंच तक की वर्षा वाले प्रदेश जैसे मद्रास, दक्षिण के पठार का दक्षिणी तथा उत्तर-पश्चिमी भाग तथा गंगा के मैदान का ऊपरी क्षेत्र।

भारत के चुने हुए ५० नगरों के अधिकतम तथा न्यूनतम वार्षिक तापमान (फार्नहाइट में) और वार्षिक वर्षा (इंचों में) का विवरण अगले पृष्ठ की तालिका में दिया गया है।

तालिका १

भारत के चुने हुए नगरों के अधिकतम तथा न्यूनतम वार्षिक तापमान और वार्षिक वर्षा

नगर	ऊँचाई (फुट)	अधि० वा० तापमान (फा०)	न्यून० वा० तापमान (फा०)	वार्षिक वर्षा (इं०)
अजमेर	१,५९३	८८.२	६५.२	२०.७७
अम्बाला	८९२	८८.२	६३.१	३२.९७
अलीगढ़	६१५	८८.८	६५.५	३०.८५
अहमदाबाद	१६३	९४.५	७०.७	२९.२१
आगरा	५५३	९०.५	६३.१	२६ ७४
आबू	३,९४५	७५.८	६१.९	६१.५६
इन्दौर	१,८२३	८८.२	६३.८	३४.७२
इलाहाबाद	३२२	९०.१	६६.४	४१.८२
उदकमण्डलम	७,३६४	६६.०	४९.०	५४.८९
कटक	८७	९०.९	७२.२	५९.९७
कलकत्ता (अलीपुर)	२१	८८.५	७०.२	६२.९८
कानपुर	४१३	८९.०	६६.०	३५.९१
कोटा	८४३	९१.९	६६.४	२९.५४
गोरखपुर	२५४	८७.९	६६.७	५०.१६
गोहाटी	१८२	८४.७	६६.६	६३.४६
चेरापूंजी	४,३०९	६८.९	५७.६	४२५.२३
जबलपुर	१,२८९	८८.३	६३.७	५७.५५
जम्मू	१,२००	८४.९	६६.०	४२.१०
जयपुर	१,४३१	८९.९	६४.६	२४.०२
जोधपुर	७३६	९१.७	६६.६	१४.२१
झाँसी	८२४	९१.२	६८.४	३६.८७
दार्जिलिंग	७,४३२	५८.६	४७ ९	१२६.४२
देहरादून	२,२३९	८१.४	६०.३	८५.०४
नयी दिल्ली	७१४	८८.८	६४.५	२६.२४
नागपुर	१,०२२	९२.१	७०.१	४९.२४
पचमढ़ी	३,५२८	८०.१	६०.८	७९.६१
पटना	१७३	८७.६	६८.९	४६.६९

तालिका १ (क्रमशः)

१	२	३	४	५
पुरी	२०	८६.१	७४.८	५३.६६
पूना	१,८३४	८६.४	६४.४	२६.४६
बंगलोर	३,०२१	८४.०	६४.०	३४.०८
बम्बई (कोलाबा)	३७	८६.८	७३.८	७१.२१
बरेली	५६८	८७.६	६५.०	४२.६५
बीकानेर	७३४	९२.०	६८.३	११.४७
भोपाल	१,६४३	८८.४	६५.३	५२.३१
मंगलोर	७२	८७.३	७४.४	१२९.५९
मद्रास	५१	९२.२	७४.९	४९.९२
मसूरी	६,९४०	६३.५	५०.१	८७.६०
महाबलेश्वर	४,५३४	७४.५	६१.०	२६१.२३
मैसूर	२,५१८	८६.३	६६.२	३१.१८
राजकोट	४३२	९२.९	६६.४	२४.८०
लखनऊ	३७१	८९.७	६६.०	४०.०२
लुधियाना	८१२	८८.१	६३.६	२७.२१
वाराणसी	२५०	८९.६	६६.८	४०.९७
शिमला	७,२२४	६२.४	४९.४	६१.०४
शिलङ्	४,९२१	६९.९	५३.५	८४.६४
श्रीनगर	५,२०५	६७.८	४३.९	२५.९९
हिसार	७२५	९०.२	६३.४	१६.७६
हैदराबाद(बेगमपेट)	१,७७८	९०.४	६८.४	२९.४२
त्रिवेन्द्रम	२००	८५.७	७६.१	६६.७९

विद्युत् संसाधन

कोयला

भारत में कोयला मुख्यतः गोण्डवाना क्षेत्र में पाया जाता है। यह अनुमान लगाया गया है कि हमारे देश में सभी प्रकार के कोयलों का कुल भण्डार ६० अर्ब टन का है।

लिग्नाइट

लिग्नाइट कच्छ, कश्मीर, मद्रास, राजस्थान तथा सौराष्ट्र में पाया जाता है। मद्रास राज्य के दक्षिण आरकाँडु जिले में और उसके आसपास १०० वर्ग॰मील के क्षेत्रफल में २ अर्ब टन लिग्नाइट के भण्डार का अनुमान लगाया गया है।

तेल

देश में ४,००,००० वर्ग मील क्षेत्र में तेल प्राप्त किए जाने का अनुमान लगाया गया है। किन्तु यह अनुमान आजकल चल रही तेल क्षेत्रों की खोज के आधार पर ही लगाया जा सकता है।

जलशक्ति

देश के आर्थिक विकास के लिए ४.१० करोड़ किलोवाट जलविद्युत् की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है।

खनिज संसाधन

लोहा

अनुमान लगाया गया है कि भारत में लोहे का भण्डार २१ अर्ब टन का है जो संसार के कुल भण्डार का एक-चौथाई है। उड़ीसा, बम्बई, बिहार, मध्य प्रदेश तथा मैसूर में हेमाटाइट लोहा अधिक मात्रा में पाया जाता है, जब कि मैग्नेटाइट लोहा उड़ीसा, बिहार, मद्रास, मैसूर तथा हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। पश्चिम बंगाल में लाइमोनाइट लोहे का काफी बड़ा भण्डार है। देश में सभी प्रकार के लोहे का भण्डार लगभग ६.७६ अर्ब टन का है।

मैंगनीज़

भारत, मैंगनीज़ पैदा करने वाले संसार के देशों में तीसरा महत्वपूर्ण देश है। ११.२ करोड़ टन के कुल अनुमानित भण्डार में से लगभग १० करोड़ टन बम्बई तथा मध्य प्रदेश में पाया जाता है।

क्रोमाइट

क्रोमाइट मुख्यतः उड़ीसा, बिहार तथा मैसूर में मिलता है। भारत में कुल १३.२० लाख टन के भण्डार का अनुमान लगाया गया है।

ऊष्मसह धातुएँ

आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मद्रास, मैसूर तथा राजस्थान के कई-एक स्थानों में मैग्नेसाइट पाए जाने का अनुमान है। इसका कुल भण्डार १० करोड़ टन होने का अनुमान लगाया गया है। अग्निजित मिट्टी लगभग सभी राज्यों में पाई जाती है किन्तु बिहार तथा बंगाल इसके महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। क्यानाइट संसार में सबसे अधिक बिहार में पाया

जाता है। इसके अतिरिक्त यह आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, बम्बई, मैसूर तथा राजस्थान में भी मिलता है। व्यापारिक महत्व की सिलीमेनाइट धातु असम, केरल, मध्य प्रदेश तथा मैसूर में पाई जाती है। कोरण्डम असम, मध्य प्रदेश, मैसूर तथा राजस्थान में पाया जाता है।

सोना

मैसूर राज्य की कोलार सोना खानों में सम्भवतः १२.६० लाख टन सोने का भण्डार है।

तांबा

तांबा बिहार की एक ८० मील लम्बी पट्टी में पाया जाता है।

बॉक्साइट

बॉक्साइट भारत में व्यापक रूप से लगभग सभी स्थानों में मिलता है। जम्मू, बम्बई, बिहार, मद्रास तथा मध्य प्रदेश इसके मुख्य क्षेत्र हैं जहाँ कुल मिलाकर इसके लगभग २५ करोड़ टन के भण्डार की सम्भावना है। नवीनतम अनुमान के अनुसार भारत में २.८० करोड़ टन बढ़िया किस्म के बॉक्साइट का भण्डार है जिसमें से लगभग एक-तिहाई बिहार में हैं।

अभ्रक

भारत में अभ्रक आन्ध्र प्रदेश (६०० वर्गमील), बिहार (१,५०० वर्ग मील) तथा राजस्थान (१,२०० वर्ग मील) से प्राप्त होता है। बिहार में प्राप्त होने वाला अभ्रक संसार में सबसे बढ़िया किस्म का है।

इलेमेनाइट

यह मुख्यतः भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्र-तटों के किनारे की रेत में पाया जाता है। भारत में इसके ३५ करोड़ टन के भण्डार का अनुमान लगाया गया है।

नमक

भारत में नमक मुख्यतः समुद्रतट-स्थित नमक कारखानों, बम्बई तथा राजस्थान की झीलों और हिमाचल प्रदेश की सेंधा नमक की खानों से प्राप्त किया जाता है।

विविध अलौह खनिज पदार्थ

अलौह खनिज पदार्थों में से जो अणु-विखण्डन के लिए प्रयुक्त होते हैं, बेरिल राजस्थान और मोनाजाइट केरल में मिलता है। बिहार में ऐसे बहुत-से स्थान हैं जहाँ यूरेनियम निकाला जा सकता है। इनके अतिरिक्त फिटकरी, एपाटाइट (एक प्रकार का लवण), संखिया, अस्बस्टस, बेरियम सल्फेट, फेलसपार, रेह, गारनेट (लाल खनिज), काला सीसा, स्फटिक, शोरा तथा स्ट्रियाटाइट धातुएँ भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाई जाती हैं। जिप्सम

(८.८१ करोड़ टन का सम्भावित भण्डार) बम्बई, मद्रास तथा राजस्थान में पाया जाता है। एपार्टाइट के भण्डार मद्रास तथा बिहार में हैं जिनसे २० लाख टन एपाटाइट सुगमता से प्राप्त किया जा सकता है।

जनसंख्या

संसार की सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में भारत का स्थान दूसरा है। १९५१ की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या ३५,६८,७९,३९४ थी। इसमें सिक्किम की जनसंख्या (१,३७,७२५) तो सम्मिलित थी, परन्तु असम के 'ख' भाग के आदिमजातीय क्षेत्रों और जम्मू तथा कश्मीर राज्य की नहीं। १९५८ के मध्य में भारत की कुल जनसंख्या अनुमानतः ३९.७५ करोड़ थी जिसमें जम्मू तथा कश्मीर, पाण्डिचेरी (फ्रांसीसी सरकार द्वारा हस्तान्तरित किए जाने पर भारत में विलयित है) और सिक्किम की जनसंख्या भी सम्मिलित थी। भारत के राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के क्षेत्रफल और उनकी जनसंख्या निम्न तालिका में दी गई है:

तालिका २

राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के क्षेत्रफल तथा जनसंख्या

	क्षेत्रफल (वर्गमील)	जनसंख्या
भारत	१२,५९,७९५	३६,११,५१,९९९
राज्य		
असम [1]	८५,०१२	९०,४३,७०७
आन्ध्र प्रदेश	१,०५,९७७	३,१२,६०,१३३
उड़ीसा	६०,२५०	१,४६,४५,९४६
उत्तर प्रदेश	१,१३,४२२	६,३२,१५,७४२
केरल	१५,००६	१,३५,४९,११८

---

[1] १९५१ की जनगणना में असम के भाग 'ख' के आदिमजातीय क्षेत्र सम्मिलित नहीं थे। स्थानीय अनुमान के अनुसार इन क्षेत्रों (३२,२८९ वर्ग मील) की जनसंख्या ५.६० लाख है।

तालिका २ (क्रमशः)

१	२	३
जम्मू तथा कश्मीर [१]	८५,८६१	४४,१०,०००
पंजाब	४७,०६२	१,६१,३४,८९०
पश्चिम बंगाल	३३,९२७	२,६३,०२,३८६
बम्बई	१,९०,६६८	४,८२,६५,२२१
बिहार	६७,०७१	३,८७,८३,७७८
मद्रास	५०,१२८	२,९९,७४,९३६
मध्य प्रदेश	१,७१,२५०	२,६०,७१,६३७
मैसूर	७४,८६१	१,९४,०१,१९३
राजस्थान	१,३२,१४८	१,५९,७०,७७४
संघीय क्षेत्र		
अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	३,२१५	३०,९७१
दिल्ली	५७३	१७,४४,०७२
मणिपुर	८,६२६	५,७७,६३५
लक्कादीव, मिनिकॉय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह	११	२१,०३५
हिमाचल प्रदेश	१०,९२२	११,०९,४६६
त्रिपुरा	४,०२२	६,३९,०२९

जन्म-दर तथा मृत्यु-दर

अधिकांश जन्म तथा मृत्यु क्योंकि पंजीकृत नहीं कराई जा पातीं, इसलिए पंजीकरण के आँकड़ों पर आधारित जन्म तथा मृत्यु के आँकड़ों तथा जनगणना के आँकड़ों में भिन्नता मिलती है। १९४१-५० के दशक में पंजीकृत जन्म-दर २८ तथा पंजीकृत मृत्यु-दर २० थी। १९५६ में प्रति हजार व्यक्तियों के पीछे जन्म-दर २७.४ तथा मृत्यु-दर ११.४ थी।

---

[१] १९५१ की जनगणना में जम्मू तथा कश्मीर राज्य सम्मिलित नहीं था। रजिस्ट्रार जनरल के अनुमान के अनुसार १ मार्च, १९५१ को इस राज्य की जनसंख्या ४४.१० लाख थी।

१९४१ तथा १९५१ के बीच भारत में प्रति वर्ष एक हज़ार व्यक्तियों के पीछे जन्म की औसतन दर ४० रही, प्रति हज़ार व्यक्तियों के पीछे प्रति वर्ष औसतन २७ मृत्यु हुईं तथा जनसंख्या में प्रति हज़ार व्यक्तियों के पीछे प्रति वर्ष औसतन १३ की वृद्धि हुई। सबसे ऊँची जन्म-दर भारत के मध्यवर्ती क्षेत्र में और सबसे नीची जन्म-दर दक्षिण भारत में थी। इसी प्रकार सबसे ऊँची मृत्यु-दर भी भारत के मध्यवर्ती क्षेत्र में और सबसे नीची मृत्यु-दर दक्षिण भारत में रही।

६१ जिलों में जनगणना के बाद १९५२-५३ में किए गए सर्वेक्षण तथा १९५१ में ३० नगरपालिका-नगरों के पंजीकृत आँकड़ों के अनुसार पहली सन्तानों, दूसरी सन्तानों, तीसरी सन्तानों, चौथी तथा उससे आगे की सन्तानों का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है :

तालिका ३

	प्रति १,००० जन्मों के पीछे			
	पहली सन्तान	दूसरी सन्तान	तीसरी सन्तान	चौथी तथा उससे आगे वाली सन्तान
उत्तर-पश्चिम भारत (५ जिले)	२३१	२०६	१५१	४१२
दक्षिण भारत (२७ जिले)	२२८	२१५	१८१	३७६
पश्चिम भारत (७ जिले)	२०९	१८०	१६७	४४४
मध्यवर्ती भारत (२२ जिले)	२१०	१८९	१६२	४३९
३० नगरपालिका नगर	२०९	१९६	१६७	४२८

भारत में १४ वर्ष की आयु तक के बालक-बालिकाओं का अनुपात बहुत अधिक और ५५ वर्ष तथा उससे अधिक की आयु के लोगों का अनुपात बहुत कम है जो क्रमशः ३८.३ प्रतिशत तथा ८.३ प्रतिशत है।

१९५१ में १,००० पुरुषों के पीछे ९४७ स्त्रियाँ थीं। प्रति हज़ार पुरुषों के पीछे स्त्रियों का अनुपात सबसे कम उत्तर-पश्चिम भारत में (८८३) तथा सबसे अधिक दक्षिण भारत में (९९९) था। भारत के १० बड़े नगरों में प्रति हज़ार पुरुषों के पीछे १९५१ में स्त्रियों की संख्या इस प्रकार थी—बृहत्तर कलकत्ता (६०२), बृहत्तर बम्बई (५९६), मद्रास (९२१), दिल्ली (७५०), हैदराबाद (९८९), अहमदाबाद (७६४), बंगलोर (८८३), कानपुर (६९९), पूना (८३३) तथा लखनऊ (७८३)।

घनता

१९५१ में जनसंख्या की घनता २८७ मनुष्य प्रति वर्गमील थी। १९२१ से १९५१ तक के ३० वर्षों में जनसंख्या की घनता में २.४ प्रतिशत की वृद्धि हुई।

सामाजिक रूप

भारत के निवासी विभिन्न धर्मावलम्बी हैं। १९५१ की जनगणना के अनुसार इनमें हिन्दू ८४.९९ प्रतिशत, मुसलमान ९.९३ प्रतिशत, ईसाई २.३० प्रतिशत तथा सिख १.७४ प्रतिशत हैं। शेष अन्य धर्मों के मानने वाले हैं।

भाषाएँ

१९५१ की जनगणना के अनुसार देश में कुल ८४५ भाषाएँ अथवा बोलियाँ बोली जाती हैं जिनमें ७२० भारतीय भाषाएँ अथवा बोलियाँ (इनमें से प्रत्येक के भाषियों की संख्या एक लाख से कम है) तथा ६३ गैर-भारतीय भाषाएँ हैं। ९१ प्रतिशत जनता संविधान में उल्लिखित १४ भाषाओं में से किसी न किसी एक भाषा को बोलती है। दिल्ली, पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश को छोड़कर शेष भारत में हिन्दी बोलने वालों की संख्या १०.८८ करोड़ थी। हिन्दी, उर्दू, हिन्दुस्तानी और पंजाबी बोलने वालों की संख्या १४.९९ करोड़ थी। संविधान में उल्लिखित विभिन्न भाषा-भाषी लोगों की संख्या तथा उनका प्रतिशत निम्न तालिका में दिखाया गया है :

तालिका ४

संविधान में उल्लिखित भाषा-भाषी व्यक्तियों की संख्या

भाषा	बोलने वालों की संख्या	कुल जनसंख्या का प्रतिशत
हिन्दी, उर्दू, हिन्दुस्तानी, पंजाबी	१४,९९,००,०००	४६.३
तेलुगु	३,३०,००,०००	१०.२
मराठी	२,७०,००,०००	८.३
तमिल	२,६५,००,०००	८.२
बंगला	२,५१,००,०००	७.८
गुजराती	१,६३,००,०००	५.०
कन्नड़	१,४५,००,०००	४.५
मलयालम	१,३४,००,०००	४.१
उड़िया	१,३२,००,०००	४.१
असमिया	५०,००,०००	१.५
कश्मीरी	५,०००	—
संस्कृत	१,०००	—

शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या

देश की ३५.६६ करोड़ की कुल जनसंख्या में से ६.१६ करोड़ अथवा १७.३ प्रतिशत व्यक्ति नगरों और कस्बों में रहते हैं, जबकि शेष २६.५० करोड़ अथवा ८२.७ प्रतिशत व्यक्ति गाँवों में। १६४१–१६५१ के दशक में शहरी जनसंख्या में ३.४ प्रतिशत की वृद्धि तथा ग्रामीण जनसंख्या में ३.४ प्रतिशत की कमी हुई।

देश में कुल ३,०१८ नगर तथा ५,५८,०८८ गाँव हैं। २६.५ प्रतिशत ग्रामीण जनता छोटे गाँवों में (५०० की जनसंख्या से कम के), ४८.८ प्रतिशत ग्रामीण जनता मध्यम गाँवों में (५०० से २,००० की जनसंख्या के), १६.४ प्रतिशत ग्रामीण जनता बड़े गाँवों में (२,००० से ५,००० की जनसंख्या के) और ५.३ प्रतिशत ग्रामीण जनता बहुत बड़े गाँवों में (५,००० से अधिक की जनसंख्या के) रहती है। ३८ प्रतिशत शहरी लोग नगरों में (१ लाख तथा उससे अधिक की जनसंख्या के), ३०.१ प्रतिशत बड़े कस्बों में (२०,००० से १,००,००० की जनसंख्या के), २८.६ प्रतिशत छोटे कस्बों में (५,००० से २०,००० की जनसंख्या के) तथा ३.३ प्रतिशत ५,००० से कम जनसंख्या की बस्तियों में रहते हैं।

जनसंख्या की दृष्टि से वर्गीकृत नगरों और गाँवों के आँकड़े निम्न तालिका में दिए गए हैं :

तालिका ५

नगर तथा गाँव

जनसंख्या	गाँव तथा नगर
५०० से कम	३,८०,०१६
५०० से १,०००	१,०४,२६८
१,००० से २,०००	५१,७६६
२,००० से ५,०००	२०,५०८
५,००० से १०,०००	३,१०१
१०,००० से २०,०००	८५६
२०,००० से ५०,०००	४०१
५०,००० से १,००,०००	१११
१,००,००० तथा उससे अधिक	७१
योग	५,६१,१०४

इस प्रकार भारत में १,००,००० या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या ७१ है। इनमें से ३१ नगर ऐसे हैं जो एक-दूसरे से आपस में मिले हुए बसे हैं और ४० नगर अलग-अलग बसे हैं।

विदेशों में भारतीय उद्भव के व्यक्ति

भारतीय उद्भव के व्यक्तियों के उत्प्रवास की व्यवस्था :भारतीय उत्प्रवास अधिनियम, १६२२' तथा इसके अधीन बनाए जाने वाले नियमों और इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी की गई विशेष सूचनाओं के अनुसार होती है।

१६५७ में अफ्रीका, बर्मा, मलय, श्रीलंका तथा अन्य देशों से क्रमशः ३६; ४; १,५१८; १०४ तथा १,२३४ व्यक्ति भारत वापस आए और भारत से अफ्रीका, बर्मा, मलय, श्रीलंका तथा अन्य देशों को क्रमश : २८७; ४३; ८३; १४८ तथा २,६१४ व्यक्ति गए।

विदेशों में रहने वाले भारतीय उद्भव के व्यक्तियों की संख्या लगभग ५० लाख है। इनमें से केनिया, ट्रिनिडाड, दक्षिण अफ्रीका, फिजी द्वीपसमूह, बर्मा, ब्रिटिश गयाना, मलय, मारीशस, श्रीलंका तथा सिंगापुर में से प्रत्येक देश में एक लाख से अधिक और इण्डोनीशिया, जमैका, टैंगनिका, डच गयाना और यूगाण्डा में से प्रत्येक देश में २५,००० से अधिक हैं।

—:०:—

दूसरा अध्याय

राष्ट्रीय चिन्ह, झण्डा, गीत तथा पंचांग

राष्ट्रीय चिन्ह

भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ-स्थित अशोक के सिंह-स्तम्भ के उस रूप का प्रतिरूप है जो सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित रखा हुआ है। मूल रूप से यह स्तम्भ सम्राट अशोक द्वारा उस स्थान पर स्थापित किया गया था जहाँ भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को अष्टांग-मार्ग की दीक्षा सर्वप्रथम दी थी। इसमें चार सिंह हैं जो स्तम्भ के शीर्ष भाग में एक चौरस पट्टी के ऊपर एक-दूसरे की ओर पीठ किए हुए स्थित हैं। स्तम्भ के चारों ओर की इस चौरस पट्टी में एक हाथी, दौड़ते हुए एक घोड़े, एक साँड तथा एक सिंह की उभरी हुई मूर्तियाँ हैं जिनके बीच-बीच में घण्टीनुमा कमल के ऊपर एक चक्र है। सबसे ऊपर एक ही पत्थर से काट कर बनाया हुआ एक 'धर्मचक्र' था।

२६ जनवरी, १६५० को भारत सरकार द्वारा अपनाए गए इस राष्ट्रीय चिन्ह में केवल तीन ही सिंह दिखाई पड़ते हैं। चौरस पट्टी के मध्य में उभरी हुई नक्काशी में एक चक्र है जिसके दाईं ओर बाईं ओर क्रमशः एक साँड और एक घोड़ा है। चिन्ह के नीचे देवनागरी लिपि में मुण्डकोपनिषद का वाक्य—'सत्यमेव जयते' अंकित है। इसका अर्थ है—सत्य की ही विजय होती है।

राष्ट्रीय झण्डा

हमारा राष्ट्रीय झण्डा जो २२ जुलाई, १६४७ को भारत की संविधान सभा द्वारा स्वीकृत हुआ और १४ अगस्त, १६४७ को संविधान सभा के अर्द्धरात्रिकालीन अधिवेशन में भारत की महिलाओं की ओर से राष्ट्र को समर्पित किया गया, तीन बराबर की आयताकार पट्टियों से बना है। ऊपर की पट्टी केसरिया रंग की है, मध्य की श्वेत रंग की तथा नीचे की गहरे हरे रंग की। झण्डे की लम्बाई-चौड़ाई का अनुपात ३ और २ है। श्वेत पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का एक चक्र है जो चर्खे का प्रतिनिधित्व करता है। यह चक्र सारनाथ के सिंह-स्तम्भ वाले धर्मचक्र की बनावट का है। इसका व्यास लगभग श्वेत पट्टी की चौड़ाई जितना है। इसमें २४ अरे हैं।

झण्डे के फहराए जाने और उचित रूप से प्रयुक्त किए जाने के लिए भारत सरकार ने कुछ नियम निर्धारित किए हैं। इसको किसी के लिए झुकाया नहीं जा सकता तथा कोई

और झण्डा या चिन्ह इसके ऊपर अथवा दाईं ओर स्थान नहीं पा सकता। यदि एक ही पंक्ति में अनेक झण्डे फहराने हों तो वे सब, राष्ट्रीय झण्डे के बाईं ओर ही रहेंगे। जब अन्य झण्डों को ऊँचा फहराना हो तो राष्ट्रीय झण्डा सबसे ऊपर रहना चाहिए।

यदि एक ही ध्वज-दण्ड पर कई झण्डे फहराने हों तो तब भी राष्ट्रीय झण्डा सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए। झण्डे को लिटा कर अथवा झुकी हुई दशा में कभी न ले जाया जाए। जुलूस में यह झण्डा ध्वजवाहक के दाएँ कन्धे पर और सबसे आगे रहना चाहिए। यदि किसी डण्डे पर इसे सीधा या किसी खिड़की, छज्जे अथवा मकान के मुख-भाग से इसे झुकी हुई स्थिति में फहराना हो तो केसरिया भाग ऊपर की ओर रहना चाहिए।

सामान्यतः यह झण्डा उच्च न्यायालय, सचिवालय तथा जेल आदि जैसे सरकारी भवनों पर ही फहराया जाना चाहिए। भारत गणराज्य के राष्ट्रपति तथा राज्यों के राज्यपालों के अपने-अपने निजी झण्डे हैं।

स्वतन्त्रता दिवस, महात्मा गान्धी के जन्म दिवस, राष्ट्रीय सप्ताह तथा ऐसे अन्य राष्ट्रीय पर्वों पर राष्ट्रीय झण्डा, हर कोई व्यक्ति फहरा सकता है।

राष्ट्रीय गीत

विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर लिखित 'जन-गण-मन......' भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में २४ जनवरी, १९५० को स्वीकृत हुआ। यह गीत सर्वप्रथम २७ दिसम्बर, १९११ को कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अवसर पर गाया गया था। इसका प्रथम पद इस प्रकार है—

जन-गण-मन- अधिनायक जय हे
भारत-भाग्य-विधाता।
पंजाब-सिन्धु-गुजरात मराठा-
द्राविड़-उत्कल-बंग
विन्ध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा
उच्छल-जलधि तरंग
तव शुभ नामे जागे
तव शुभ आशिष माँगे
गाहे तव जय-गाथा।
जन-गण-मंगलदायक, जय हे
भारत-भाग्य-विधाता
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय जय हे।

राष्ट्रीय गान

राष्ट्रीय गीत को स्वीकृति देने के साथ-साथ यह भी निर्णय किया गया कि श्री बंकिमचन्द्र चटर्जी लिखित 'वन्दे मातरम्' को भी जो सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के १८६६ के अधिवेशन के अवसर पर गाया गया था, 'जन-गण-मन' के समान ही दर्जा दिया जाए। इसका प्रथम पद इस प्रकार है—

वन्दे मातरम्,
सुजलाम् सुफलाम् मलयज शीतलाम्
शस्यश्यामलाम् मातरम्,
शुभ्रज्योत्स्नाम् पुलकितयामिनीम्
फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनीम्,
सुहासिनीम् सुमधुर-भाषिणीम्,
सुखदां, वरदां, मातरम्।

राष्ट्रीय पंचांग

देश में प्रचलित विभिन्न पंचांगों की जाँच करने और सम्पूर्ण भारत के लिए सही तथा एकसार पंचांग सुझाने के लिए नवम्बर, १६५२ में एक समिति नियुक्त की गई। समिति ने १६५५ में अपना प्रतिवेदन दिया। राज्य सरकारों के परामर्श से भारत सरकार ने ग्रेगोरियन पंचांग के साथ-साथ सरकारी कार्यों के लिए २२ मार्च, १६५७ से एकसार राष्ट्रीय पंचांग भी अपनाने का निर्णय किया।

राज्य सरकारों से भी राष्ट्रीय पंचांग अपनाने का अनुरोध किया गया है। विभिन्न धार्मिक त्योहारों पर होने वाली छुट्टियाँ पहले की भाँति ही दी जाती रहेंगी। 'पंचांग सुधार समिति' द्वारा सुझाई गई तिथियों का यथासम्भव पालन किया जाता रहेगा।

—:o:—

तीसरा अध्याय

संविधान

संविधान सभा का सर्वप्रथम अधिवेशन ९ दिसम्बर, १९४६ को हुआ। २२ जनवरी, १९४७ को इस सभा ने अपना उद्देश्य सम्बन्धी प्रस्ताव पास किया और प्रस्तावित संविधान के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में प्रतिवेदन देने के लिए कई समितियाँ नियुक्त कीं। इन समितियों के प्रतिवेदनों के आधार पर संविधान सभा की प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप तैयार किया जो फरवरी, १९४८ में प्रकाशित हुआ। यह सामान्य विचारविमर्श के लिए ४ नवम्बर, १९४८ को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया। इसी बीच 'भारतीय स्वाधीनता अधिनियम' स्वीकृत होने तथा १५ अगस्त, १९४७ को सत्ता के हस्तान्तरण के फलस्वरूप संविधान सभा उस पर लगे पहले के बन्धनों से मुक्त हो गई और उस पर एक सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न निकाय के रूप में भारत का संविधान तैयार करने का उत्तरदायित्व आया। संविधान सभा ने ३९५ अनुच्छेदों तथा ८ अनुसूचियों से युक्त भारत के संविधान को २६ नवम्बर, १९४९ को अन्तिम रूप देकर स्वीकार कर लिया। यह संविधान २६ जनवरी, १९५० से लागू हुआ।

संविधान की प्रस्तावना में भारत को सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया है। संविधान का उद्देश्य देश के नागरिकों के लिए निम्नलिखित बातें सुरक्षित करना है :

न्याय—सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक,

स्वतन्त्रता—विचारों, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था तथा उपासना की,

समानता—सामाजिक और अवसर की, और

भ्रातृत्व, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता की प्रतिष्ठा का आश्वासन।

संघ और उसका राज्य-क्षेत्र

भारत राज्यों का एक संघ है जिसके राज्य-क्षेत्र में असम, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, केरल, जम्मू तथा कश्मीर, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बम्बई, बिहार, मद्रास, मध्य प्रदेश, मैसूर तथा राजस्थान के राज्य और अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह; दिल्ली; मणिपुर; लक्कादीव, मिनिकॉय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह; हिमाचल प्रदेश तथा त्रिपुरा के संघीय क्षेत्र तथा अन्य अर्जित क्षेत्र हैं।

नागरिकता तथा मताधिकार

संविधान में सम्पूर्ण भारत देश के लिए एकल तथा एकसम नागरिकता की व्यवस्था की गई है। भारतीय संघ के राज्य-क्षेत्र में जन्म लेने, भारतीय माता-पिताओं की सन्तान होने अथवा संविधान लागू होने से ठीक पहले पाँच वर्षों तक भारत का निवासी होने की शर्त पूरी करने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है। अनुच्छेद ६ और ७ के अनुसार पाकिस्तान से आने वाले वे विस्थापित व्यक्ति जो अमुक शर्तों को पूरा करते हों, भारत के नागरिक बन सकते हैं। विदेशों में रहने वाले भारतीय उद्भव के व्यक्ति भी भारत के नागरिक बन सकते हैं, बशर्ते कि वे अपने निवास वाले देश में स्थित भारतीय कूटनीतिक अथवा वाणिज्यीय प्रतिनिधियों द्वारा अपने-आपको पंजीकृत करा लें। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो स्वेच्छा से किसी विदेश की नागरिकता स्वीकार कर ले, भारत का नागरिक नहीं बन सकता।

संविधान के अनुच्छेद ३२६ में ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जो भारत का नागरिक हो तथा निर्धारित तिथि पर २१ वर्ष से कम आयु का न हो और जो संविधान अथवा यथोचित विधानमण्डल के किसी कानून द्वारा अनिवास, पागलपन, अपराध अथवा भ्रष्टाचार अथवा गैरकानूनी कार्य के आधार पर अनर्ह न ठहराया गया हो, मत देने का अधिकार दिया गया है।

मौलिक अधिकार

संविधान के तीसरे भाग में सात प्रकार के व्यापक मौलिक अधिकार गिनाए गए हैं: समता का अधिकार (अनुच्छेद १४ से १८); अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का अधिकार (अनुच्छेद १९); एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दण्ड न पा सकने, अपने ही विरुद्ध साक्षी न बनाए जा सकने तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अथवा जीवन से वंचित न किए जा सकने का अधिकार (अनुच्छेद २० से २२); शोषण से रक्षा का अधिकार (अनुच्छेद २३ तथा २४); धर्मस्वातन्त्र्य का अधिकार (अनुच्छेद २५ से २८); सांस्कृतिक तथा शिक्षा सम्बन्धी अधिकार (अनुच्छेद २९ तथा ३०); सम्पत्ति का अधिकार (अनुच्छेद ३१) तथा सांवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद ३२)। अन्तिम अधिकार के अन्तर्गत सभी अधिकार निर्णेय हैं तथा उनके परिपालन के लिए कोई भी नागरिक सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।

इस व्यवस्था के अन्तर्गत कानून की दृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त होंगे तथा धर्म, जाति, लिंग-भेद अथवा जन्म-स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं बरता जाएगा।

राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्त

राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्त यद्यपि न्यायालयों द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, किन्तु 'देश के शासन में उनका ध्यान रखना आवश्यक' माना जाता

है। इनमें कहा गया है "सरकार ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना और संरक्षण करके लोक-कल्याण को प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगी जिसमें राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का पालन हो।" इन्हीं सिद्धान्तों के अनुसार सरकार का यह भी कर्त्तव्य हो जाता है कि वह प्रत्येक नागरिक (नर अथवा नारी) को जीवनयापन के लिए यथेष्ट और समान अवसर दे, समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक की व्यवस्था करे, अपनी आर्थिक क्षमता तथा विकास की सीमा के अनुसार सभी को काम करने का समान अधिकार दे और बेरोज़गारी, बुढ़ापे तथा बीमारी की अवस्था में सबको समान रूप से वित्तीय सहायता दे।

राज्य-नीति के अन्य निदेशक सिद्धान्तों में आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से कृषि तथा पशु-पालन का संगठन करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, मादक पेयों तथा औषधियों का निषेध करना, १४ वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना, ग्राम-पंचायतें बनाना तथा रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठाना आदि कार्य सम्मिलित हैं।

केन्द्र

संविधान के पाँचवें भाग के उपबन्धों के अनुसार भारत गणराज्य की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री के नेतृत्व में एक मन्त्रिपरिषद् सम्मिलित हैं।

राष्ट्रपति

राष्ट्रपति का चुनाव संसद् के दोनों सदनों तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बना एक निर्वाचकमण्डल सानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा करता है। राष्ट्रपति को कम से कम ३५ वर्ष की आयु का भारत का नागरिक तथा लोक सभा का सदस्य बनने की अर्हता वाला होना चाहिए। उसका कार्यकाल ५ वर्षों का होता है तथा वह राष्ट्रपति के चुनाव के लिए दूसरी बार भी खड़ा हो सकता है। संविधान-भंग के दोष पर विशेष रूप से अभियोग लगाकर ही राष्ट्रपति को पदच्युत किया जा सकता है। राज्य के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति को नियुक्तियाँ करने, संसद् का अधिवेशन बुलाने, संसद् स्थगित करने, संसद् में अभि-भाषण देने, संसद् को सन्देश देने तथा लोक सभा भंग करने जैसे अनेक कार्यों का भी अधिकार प्राप्त है।

उपराष्ट्रपति

उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद् के दोनों सदनों के सदस्य अपने एक संयुक्त अधिवेशन में सानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा करते हैं। उपराष्ट्रपति भी ३५ वर्ष की आयु से कम का न होना चाहिए तथा उसे राज्य सभा के चुनाव में खड़े होने की अर्हता वाला भारत का नागरिक होना चाहिए। उसका कार्यकाल भी ५ वर्ष

का होता है। उपराष्ट्रपति राज्य सभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति के बीमारी, अनुपस्थिति अथवा अन्य किसी कारण से कार्य न कर सकने की अवस्था में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, किन्तु इस अविधि में वह राज्य सभा का सभापति नहीं रह जाता।

मन्त्रिपरिषद्

संविधान के अनुच्छेद ७४ में प्रधानमन्त्री के नेतृत्व में एक मन्त्रिपरिषद् की व्यवस्था की गई है जो राष्ट्रपति को उसके कार्य-संचालन में सहायता तथा परामर्श देती है। प्रधानमन्त्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति को परामर्श देता है। मन्त्रिपरिषद् का कार्यकाल यद्यपि राष्ट्रपति की इच्छा पर ही निर्भर करता है, तथापि वह लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। संविधान की एक व्यवस्था के अनुसार प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति को मन्त्रिपरिषद् के केन्द्रीय प्रशासन-कार्य सम्बन्धी निर्णयों से अवगत कराता है।

महान्यायवादी (एटर्नी जनरल)

राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त महान्यायवादी भारत सरकार को कानूनी मामलों पर परामर्श देता तथा अन्य ऐसे कानूनी कार्य करता है जो राष्ट्रपति द्वारा उसको सौंपे गए हों। वह संविधान द्वारा सौंपे गए अथवा संविधान के अन्तर्गत मिले अन्य कार्य भी करता है। उसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है तथा वह देश के सभी न्यायालयों में पैरवी कर सकता है।

संसद्

केन्द्रीय विधानमण्डल जो 'संसद्' कहलाता है, राष्ट्रपति तथा दो सदनों से मिलकर बनता है। ये सदन राज्य सभा तथा लोक सभा कहलाते हैं।

राज्य सभा

राज्य सभा की अधिकतम सदस्य-संख्या २५० है जिसमें से १२ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान तथा सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्रों में उनकी ख्याति के कारण नामनिर्दिष्ट किए जाते हैं और शेष सदस्यों का चुनाव होता है। राज्य सभा भंग नहीं होती और इसके एक-तिहाई सदस्य प्रति दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश प्राप्त करते हैं। राज्य सभा के सदस्यों का चुनाव परोक्ष होता है तथा प्रत्येक राज्य के लिए संविधान की चौथी अनुसूची के अनुसार निर्धारित सदस्यों (संख्या) का निर्वाचन उसी राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा सानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। राज्य सभा की सदस्यता के लिए प्रत्येक प्रत्याशी का भारत का नागरिक होना तथा ३० वर्ष से कम आयु का न होना आवश्यक है।

लोक सभा

लोक सभा की अधिकतम सदस्य-संख्या ५०० है जो वयस्क मताधिकार के आधार पर राज्यों के निर्वाचनक्षेत्रों (जम्मू तथा कश्मीर राज्य के विधानमण्डल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्य के प्रतिनिधि सहित) से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। संसद् द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार लोक सभा में संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व के लिए अधिक से अधिक २० सदस्य होते हैं। यदि राष्ट्रपति को आंग्ल-भारतीयों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हुआ प्रतीत हो, तो वह उनके प्रतिनिधित्व के लिए लोक सभा में दो आंग्ल-भारतीय सदस्य नामनिर्दिष्ट कर सकता है।

लोक सभा का कार्यकाल, बशर्ते कि वह समय से पूर्व ही भंग नहीं की जाती, उसके प्रथम अधिवेशन की तिथि से अधिक से अधिक ५ वर्ष का होता है। संकटकालीन स्थिति में संसदीय कानून द्वारा इसका कार्यकाल अधिक से अधिक एक वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है।

न्यायपालिका

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधिपति तथा अधिक से अधिक १० * न्यायाधीश होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। न्यायाधीश ६५ वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी भी व्यक्ति को भारत का नागरिक तथा किसी उच्च न्यायालय में अथवा दो अथवा ऐसे ही अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम ५ वर्ष तक न्यायाधीश रह चुकने वाला, अथवा उच्च न्यायालय अथवा दो अथवा ऐसे ही अधिक न्यायालयों में कम से कम १० वर्षों तक वकील रह चुकने वाला अथवा राष्ट्रपति की सम्मति में कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए। उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय के अवकाशप्राप्त न्यायाधीशों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य किए जा सकने की भी व्यवस्था रखी गई है। संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का अवकाशप्राप्त न्यायाधीश भारत के किसी भी न्यायालय अथवा किसी भी प्राधिकारी के समक्ष वकालत नहीं कर सकता।

सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश केवल राष्ट्रपति द्वारा दिए गए ऐसे आदेश द्वारा ही जो संसद् के प्रत्येक सदन द्वारा उपस्थित सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत तथा मतदान से पास किया जा चुका हो, अपने पद से पदच्युत किया जा सकता है।

---

* यह संख्या अभी हाल ही में 'सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, १९५६' द्वारा बढ़ाकर १० की जा चुकी है।

भारत का लेखा-नियन्त्रक तथा महालेखा-परीक्षक

*अनुच्छेद १४८-१५१ में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के हिसाब-किताब पर निगरानी रखने के लिए राष्ट्रपति द्वारा भारत का एक लेखा-नियन्त्रक तथा महालेखा-परीक्षक नियुक्त किए जाने की व्यवस्था है। उसके अधिकारों तथा कर्त्तव्यों का निश्चय संसद् द्वारा बनाए गए कानून द्वारा अथवा कानून के अन्तर्गत होता है। राष्ट्रपति तथा राज्य के राज्यपालों को दिए गए उसके प्रतिवेदन संसद् के दोनों सदनों तथा राज्यों के विधान-मण्डलों के सम्मुख प्रस्तुत किए जाते हैं।

राज्य

संविधान के छठे भाग के अनुसार राज्य सरकारों की रचना भी केन्द्रीय सरकार की भाँति ही होगी।

कार्यपालिका

राज्य की कार्यपालिका, राज्यपाल तथा मुख्यमन्त्री के नेतृत्व में स्थापित एक मन्त्रिपरिषद् से मिलकर बनती है।

राज्यपाल

राज्य का राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति द्वारा ५ वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है, किन्तु वह उसकी इच्छापर्यन्त ही इस पद पर रहता है। ३५ वर्ष से अधिक आयु वाले भारतीय नागरिक ही इस पद पर नियुक्त किए जा सकते हैं। राज्यपाल संसद् के किसी भी सदन अथवा राज्य विधानमण्डल के किसी भी सदन की सदस्यता अथवा अन्य कोई सरकारी पद स्वीकार नहीं कर सकता।

मन्त्रिपरिषद्

संविधान में राज्यपाल को उसके कार्य-संचालन में सहायता तथा परामर्श देने की दृष्टि से मुख्यमन्त्री के नेतृत्व में एक मन्त्रिपरिषद् की व्यवस्था की गई है। राज्यपाल मुख्यमन्त्री की नियुक्ति करता है जो अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में राज्यपाल को परामर्श देता है। मुख्यमन्त्री राज्यपाल की इच्छापर्यन्त ही अपने पद पर बना रहता है। मन्त्रिपरिषद् सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।

महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल)

महाधिवक्ता राज्यपाल अथवा संविधान अथवा अन्य किसी विधान द्वारा सौंपे गए कानूनी कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए तथा कानूनी मामलों पर राज्य की सरकार को परामर्श देने के लिए राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। वह राज्यपाल की इच्छापर्यन्त अपने पद पर बना रहता है।

विधानमण्डल

प्रत्येक राज्य में एक विधानमण्डल होता है जिसके अन्तर्गत राज्यपाल के अतिरिक्त एक सदन अथवा दो सदन होते हैं। आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बम्बई, बिहार, मद्रास, मध्य प्रदेश तथा मैसूर में दो सदनों तथा अन्य राज्यों में एक सदन की व्यवस्था है। उच्च सदन 'विधान परिषद्' कहलाता है तथा निचला सदन 'विधान सभा'।

विधान परिषद्

प्रत्येक राज्य की विधान परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या की एक-तिहाई से अधिक तथा किसी भी स्थिति में ४० से कम नहीं होगी। इसके लगभग एक-तिहाई सदस्य उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा उन व्यक्तियों में से चुने जाते हैं जो विधान सभा के सदस्य नहीं हैं, और एक-तिहाई सदस्य नगरपालिकाओं, जिला मण्डलों तथा अन्य स्थानीय निकायों के सदस्यों के निर्वाचकमण्डल द्वारा, द्वादशांश सदस्य शिक्षा संस्थाओं (माध्यमिक स्तर से नीचे की नहीं) के पंजीकृत अध्यापकों द्वारा, द्वादशांश सदस्य ३ वर्षों से अधिक पुराने पंजीकृत स्नातकों द्वारा तथा शेष सदस्य राज्यपाल द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से चुने जाते हैं जिन्होंने साहित्य, विज्ञान, कला तथा समाज सेवा के क्षेत्र में असाधारण कार्य किया हो। केन्द्र की भाँति विधान परिषदें स्थायी हैं तथा इनके एक-तिहाई सदस्य प्रति दूसरे वर्ष की समाप्ति पर निवृत होते रहते हैं।

विधान सभा

अनुच्छेद १७० के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधान सभा में उस राज्य के निर्वाचनक्षेत्रों से प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए अधिक से अधिक ५०० तथा कम से कम ६० सदस्य होते हैं। इसका कार्यकाल भी सामान्यतः ५ वर्षों का होता है।

न्यायपालिका

प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है। प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधिपति तथा उतने न्यायाधीश होते हैं जितने राष्ट्रपति समय-समय पर आवश्यकतानुसार नियुक्त कर दे। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधिपति तथा राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति करता है और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति से परामर्श किया जाता है। ये सब ६० वर्ष की आयु तक अपने पदों पर बने रहते हैं तथा इनको भी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पदच्युत किए जाने की भाँति ही पदच्युत किया जा सकता है। संविधान में अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना के लिए भी व्यवस्था की गई है।

केन्द्र तथा राज्य

केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच के वैधानिक तथा प्रशासनिक सम्बन्धों का विवरण संविधान के ग्यारहवें भाग में दिया गया है। नये राज्यों की स्थापना करने अथवा क्षेत्रफल, सीमाएँ अथवा वर्तमान राज्य का नाम बदलने का अधिकार संसद् को ही है। ऐसा कोई भी कानून अनुच्छेद ३६८ के सम्बन्ध में संविधान के संशोधन के रूप में माना जाएगा।

वैधानिक सम्बन्ध

केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच वैधानिक अधिकारों के विभाजन की व्यवस्था सातवीं अनुसूची के उपबन्धों द्वारा होती है जिसमें केन्द्रीय सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची सम्मिलित हैं।

केन्द्रीय सूची में उल्लिखित विषयों के बारे में कानून बनाने का पूर्ण अधिकार संसद् को तथा राज्य सूची में उल्लिखित विषयों के बारे में कानून बनाने का पूर्ण अधिकार राज्यों के विधानमण्डलों को है। समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार संसद् तथा राज्यों के विधानमण्डलों, दोनों को है।

क्षेत्रीय दृष्टि से संसद् के वैधानिक अधिकारक्षेत्र के अन्तर्गत समस्त देश अथवा उसका कोई भी भाग आ सकता है, जब कि राज्य के विधानमण्डल का वैधानिक अधिकार-क्षेत्र राज्य अथवा उसके किसी भाग तक ही सीमित होता है। ससंद् भारत के किसी ऐसे क्षेत्र के लिए भी जो किसी राज्य में नहीं है, उन मामलों के सम्बन्ध में भी कानून बना सकती है जो राज्यों के विधानमण्डलों के ही अधिकारक्षेत्र में आते हैं।

प्रशासनिक सम्बन्ध

केन्द्र तथा राज्यों की कार्यपालिका-शक्ति यद्यपि उनके अपने-अपने वैधानिक अधिकारों के साथ सम्बद्ध है, तथापि संविधान की व्यवस्था के अनुसार केन्द्रीय सरकार अपने कुछ कार्य राज्य सरकारों अथवा उनके अधिकारियों को सौंप सकती है तथा उन्हें आदेश दे सकती है।

वित्त

संविधान के बारहवें भाग में वित्त, सम्पत्ति तथा ठेकों आदि सम्बन्धी व्यवस्थाओं का वर्णन आता है।

केन्द्र तथा राज्य सरकारों की सूचियों में कुछ उन विशेष करों के सम्मिलित किए जाने के अतिरिक्त जिनके सम्बन्ध में वे अलग-अलग ही कानून बना सकती हैं, संविधान में केन्द्र तथा राज्यों के बीच राजस्व के वितरण की एक व्यापक योजना के लिए भी व्यवस्था की गई है।

संविधान द्वारा केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार दे दिया गया है कि वह भारत की समेकित निधि के आधार पर संसद् द्वारा निर्धारित की गई सीमा तक ऋण ले सकती

है। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को ऋण तथा उनके द्वारा जारी किए गए ऋणों के सम्बन्ध में प्रत्याभूति दे सकती है। राज्यों को भी उनकी अपनी-अपनी समेकित निधियों के आधार पर अपने-अपने ऋण जारी करने का अधिकार है।

संविधान में राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर एक वित्त आयोग की स्थापना किए जाने की व्यवस्था की गई है जो करों से होने वाली शुद्ध आय के केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच वितरण के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है।

व्यापार तथा वाणिज्य

संविधान के तेरहवें भाग में सम्पूर्ण भारत में व्यापार, वाणिज्य तथा आदान-प्रदान की स्वतन्त्रता के सिद्धान्तों के विषय में बताया गया है।

सार्वजनिक सेवाएँ

चौदहवें भाग का सम्बन्ध केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों में काम करने वाले कर्मचारियों की भर्ती, उनकी सेवा की शर्तों, पदावधि तथा सेवामुक्ति, पदच्युति अथवा पदावनति से है। इसी भाग में केन्द्रीय तथा राज्यीय लोक सेवा आयोगों की नियुक्ति की भी व्यवस्था की गई है।

निर्वाचन

निर्वाचन आयोग को संसद्, राज्यों के विधानमण्डलों, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के लिए होने वाले सभी निर्वाचनों के नियन्त्रण तथा निरीक्षण का अधिकार प्राप्त है। इस आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त राष्ट्रपति द्वारा आवश्यकतानुसार नियुक्त ऐसे ही कुछ अन्य आयुक्त होते हैं। आयुक्तों की सेवा तथा पदावधि की शर्तों का निर्णय राष्ट्रपति करता है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी उसी प्रकार से पदच्युत किया जा सकता है जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को किया जाता है।

राजभाषा

संविधान के अनुच्छेद ३४३ की व्यवस्था के अनुसार संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिन्दी होगी तथा सरकारी उद्देश्यों के लिए भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप का प्रयोग होगा। किन्तु, राजभाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग संविधान लागू होने के बाद अधिक से अधिक १५ वर्षों तक जारी रहेगा। अनुच्छेद ३४४ की व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति को संविधान लागू होने के समय से पाँच वर्षों की समाप्ति पर और इसके बाद संविधान लागू होने के समय से दस वर्षों की अवधि की समाप्ति पर हिन्दी के विकास तथा प्रचार के सम्बन्ध में जाँच करने और निर्धारित अवधि की समाप्ति पर अंग्रेजी के स्थान पर पूर्ण रूप से हिन्दी का उपयोग आरम्भ करने के विचार से केन्द्र के सभी अथवा किसी सरकारी कार्य के लिए हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग की सिफारिश करने के उद्देश्य से एक विशेष

आयोग नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है।* संविधान की एक अन्य व्यवस्था के अनुसार ३० संसद्-सदस्यों की एक संसदीय समिति द्वारा आयोग की सिफारिशों की जाँच किए जाने की भी व्यवस्था की गई है।

संविधान के अनुसार किसी राज्य का विधानमण्डल कानून बनाकर उसी राज्य में प्रचलित एक अथवा कई प्रादेशिक भाषाओं को अथवा हिन्दी को सभी उद्देश्यों अथवा किसी एक सरकारी उद्देश्य के लिए राजभाषा स्वीकार कर सकता है। राज्यों के बीच और राज्य तथा केन्द्र के बीच पत्र-व्यवहार के लिए उसी भाषा का प्रयोग होगा जो उस समय संघ की भाषा होगी।

संकटकालीन तथा अन्य विशेष व्यवस्था

अनुच्छेद ३५२ के अनुसार यदि राष्ट्रपति को किसी भी समय इस बात का समाधान हो जाए कि युद्ध अथवा आन्तरिक उपद्रव के फलस्वरूप भारत अथवा उसके किसी भी क्षेत्र की सुरक्षा संकट में है अथवा इस कारण संकटकालीन स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो वह राज्यों को एक घोषणा द्वारा विशेष आदेश दे सकता है। किन्तु, आवश्यक यह है कि राष्ट्रपति की घोषणा संसद् के दोनों सदनों की स्वीकृति के लिए दो महीने के अन्दर ही अन्दर उनके सम्मुख उपस्थित कर दी जानी चाहिए।

राज्य के सांवैधानिक तन्त्र के विफल होने की स्थिति में भी राष्ट्रपति एक घोषणा द्वारा राज्य सरकार के सभी अथवा किसी कर्त्तव्य का उत्तरदायित्व स्वयं ले सकता है। ऐसा वह राज्यपाल से समाचार प्राप्त होने के आधार पर अथवा निश्चित रूप से यह मालूम कर लेने पर कर सकता है कि उस स्थिति में राज्य सरकार संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार कार्य-संचालन नहीं कर पा रही है।

अनुसूचित जातियाँ तथा आदिमजातियाँ

सभी नागरिकों के लिए समान असैनिक तथा राजनीतिक अधिकार निश्चित करने की सामान्य व्यवस्था के साथ-साथ संविधान में आंग्ल-भारतीयों जैसे अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों जैसे पिछड़े तथा अविकसित वर्गों के हितों की सुरक्षा और उनकी सहायता के लिए भी विशेष व्यवस्थाएँ हैं जिससे ये लोग उन्नति की दिशा में आगे बढ़ सकें। केन्द्रीय सरकार पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम-जातियों के कल्याण का भी विशेष उत्तरदायित्व है।

असम के आदिमजातीय क्षेत्र

संविधान में असम के आदिमजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए भी एक विशेष व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद २४४ (२) में इन क्षेत्रों में कुछ स्वायत्तशासी जिलों तथा

---

* राजभाषा आयोग की सिफारिशों का संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट में दिया गया है।

प्रदेशों की स्थापना की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति की ओर से प्रशासन-कार्य करने वाले असम के राज्यपाल को इन क्षेत्रों तथा प्रदेशों के लिए परिषदें बनाने का भी अधिकार दे दिया गया है। इन परिषदों को अपने-अपने क्षेत्रों के प्रशासन के लिए नियम बनाने का अधिकार प्राप्त होगा। असम के राज्यपाल को स्वायत्तशासी जिलों तथा प्रदेशों के प्रशासन की जाँच-पड़ताल करने तथा उसके सम्बन्ध में प्रतिवेदन देने के लिए भी एक आयोग नियुक्त करने का अधिकार दे दिया गया है।

विशेष अधिकारी

अनुच्छेद ३३८ में राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त किए जाने की व्यवस्था की गई है जो संविधान के अन्तर्गत इन लोगों के हितों की सुरक्षा के लिए की गई व्यवस्था की जाँच करेगा।

संविधान में संशोधन

अनुच्छेद ३६८ में यह व्यवस्था है कि संविधान, में संशोधन संसद् के किसी भी सदन में इस उद्देश्य से विधेयक प्रस्तुत करके ही किया जा सकता है। प्रत्येक सदन में उसके उपस्थित सदस्यों में से कम-से-कम दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत तथा मतदान द्वारा स्वीकृत किए जाने पर यह विधेयक स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के समक्ष उपस्थित किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दिए जाने के पश्चात् ही विधेयक की शर्तों के अनुसार संविधान संशोधित माना जाएगा।

२६ जनवरी, १९५० को संविधान लागू होने के बाद से अब तक संविधान में ७ संशोधन किए जा चुके हैं। 'संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, १९५६' द्वारा जो राज्यों के पुनस्संगठन के कारण अनिवार्य हो गया था, न केवल नये राज्यों की स्थापना हुई अथवा राज्यों की सीमाओं में ही फेर-बदल हुआ बल्कि राज्यों के वर्गीकरण की प्रथा का भी अन्त कर दिया गया और कुछ क्षेत्रों को संघीय क्षेत्र घोषित किया गया।

—:o:—

चौथा अध्याय

विधानमण्डल

भारत सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित एक सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य है जिसका प्रशासन-कार्य संसदीय पद्धति पर आधारित एक सरकार करती है। सम्पूर्ण प्रभुत्व भारतवासियों में ही निहित है। कार्यपालिका विधानमण्डल के निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने सभी निर्णयों तथा कार्यकलापों के लिए जनता के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी है।

संसद्

वर्तमान राज्य सभा के कुल सदस्य २३२ हैं जिनमें से २२० राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधि हैं और १२ राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए हुए हैं। लोक सभा के वर्तमान कुल सदस्यों की संख्या ५०६ है जिनमें से ५०० सदस्य १४ राज्यों (जम्मू तथा कश्मीर विधानमण्डल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्य के ६ सदस्य सहित) और दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर तथा त्रिपुरा के ४ संघीय क्षेत्रों द्वारा निर्वाचित किए हुए; और ६ सदस्य आंग्ल-भारतीयों, छठी अनुसूची के भाग 'ख' वाले क्षेत्रों और अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह और लक्कादीव, मिनिकॉय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह के संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए हुए हैं।

१ मई, १९५९ की स्थिति के अनुसार दोनों सदनों के सदस्यों का राज्यवार ब्यौरा निम्न लिखित तालिका में दिया गया है।

तालिका ६*

राज्य तथा संघीय क्षेत्र	राज्य सभा	लोक सभा
असम	७	१२
आन्ध्र प्रदेश	१८	४३
उड़ीसा	१० (१)	२०

* कोष्ठों में दी हुई संख्या रिक्त स्थानों की सूचक हैं।

तालिका ६ क्रमशः

राज्य तथा संघीय क्षेत्र	राज्य सभा	लोक सभा
उत्तर प्रदेश	३४	८६
केरल	६	१८
जम्मू तथा कश्मीर	४	६ (१)
पंजाब	११	२२
पश्चिम बंगाल	१६	३६ (१)
बम्बई	२७	६६
बिहार	२२	५३
मद्रास	१७	४१
मध्य प्रदेश	१६	३६
मैसूर	१२	२६
राजस्थान	१०	२२
दिल्ली	३	५
मणिपुर	१	२
हिमाचल प्रदेश	२	४ (१)
त्रिपुरा	१	२
कुल योग	२२०†	५००‡

१ मई, १६५६ की स्थिति के अनुसार दोनों सदनों के सदस्य निम्नलिखित हैं :

राज्य सभा

असम (७)

१. एम० तय्यबुल्ला

२. एस० सी० देव

३. जयभद्र हागजेर

४. पुष्पलता दास, श्रीमती

५. पूर्णचन्द्र शर्मा

† नामनिर्दिष्ट १२ सदस्यों को छोड़ कर।

‡ नामनिर्दिष्ट ६ सदस्यों को छोड़ कर।

६. लीलाधर बरुआ
७. वेदवती बरागोहेन, श्रीमती

आन्ध्र प्रदेश (१८)

८. अकबरअली खाँ
९. अद्दुरु बलरामी रेड्डी
१०. अल्लुरि सत्यनारायण राजू
११. ए० चक्रधर
१२. एन० वैंकटेश्वर राव
१३. एम० एच० सैम्युअल
१४. एस० चन्ना रेड्डी
१५. के० एल० नरसिंहम
१६. जे० वी० के० वल्लभराव
१७. नरोत्तम रेड्डी
१८. बी० गोपाल रेड्डी
१९. मक्किनेनी बासवपुन्नय्य
२०. यशोदा रेड्डी, श्रीमती
२१. राजबहादुर गौड़
२२. विल्लुरी वैंकटरमण
२३. वीरमचिनेनी प्रसाद राव
२४. वी० सी० केशवराव
२५. सीता युधवीर, श्रीमती

उड़ीसा (१०)

२६. अभिमन्यु रथ
२७. गोविन्दचन्द्र मिश्र
२८. दिवाकर पटनायक
२९. बिबुधेन्द्र मिश्र
३०. भागीरथी महापात्र
३१. महेश्वर नायक
३२. विश्वनाथ दास
३३. स्वप्नानन्द पाणिग्रही
३४. हरिहर पटेल
३५. रिक्त*

उत्तर प्रदेश (३४)

३६. अख्तर हुसैन
३७. अजीत प्रताप सिंह
३८. अनीस किदवई, श्रीमती
३९. अमरनाथ अग्रवाल
४०. अमोलक चन्द
४१. अहमद सईद खाँ
४२. आर० सी० गुप्त
४३. ए० धरमदास
४४. गोपीनाथ सिंह
४५. गोविन्द बल्लभ पन्त
४६. चन्द्रावती लखनपाल, श्रीमती
४७. जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल
४८. जशोदसिंह विष्ट
४९. जसपत राय कपूर
५०. ज़ेड० ए० अहमद
५१. तारकेश्वर पाण्डे
५२. धर्म प्रकाश
५३. नवाबसिंह चौहान
५४. पी० एन० सप्रू
५५. पुरुषोत्तमदास टण्डन
५६. फरीदुल्हक अन्सारी
५७. बालकृष्ण शर्मा
५८. बृजबिहारी शर्मा
५९. महाबीर प्रसाद भार्गव
६०. मुहम्मद इब्राहीम
६१. मुहम्मद फारुकी
६२. योगेशचन्द्र चटर्जी
६३. रामकृपाल सिंह
६४. श्यामधर मिश्र
६५. श्यामसुन्दर नारायण तंखा
६६. सावित्री देवी निगम, श्रीमती
६७. हरप्रसाद सक्सेना
६८. हीरावल्लभ त्रिपाठी
६९. हृदयनाथ कुंजरू

* ५ मार्च, १९५९ को प्रफुल्लचन्द्र भंज देव की मृत्यु होने के फलस्वरूप।

केरल (९)

७०. ए० सुब्ब राव
७१. एन० सी० शेखर
७२. एम० एन० गोविन्दन नायर
७३. के० पी० माधवन नायर
७४. के० भारती, श्रीमती
७५. के० माधव मेनन
७६. पी० ए० सोलोमन
७७. पी० जे० तोमस
७८. पी० नारायणन नायर

जम्मू तथा कश्मीर (४)

७९. पीर मोहम्मद खाँ
८०. बुद्धसिंह
८१. मोहम्मद जलाली
८२. त्रिलोचन दत्त

पंजाब (११)

८३. अनूपसिंह
८४. अमृत कौर, श्रीमती
८५. एम० एच० एस० निहालसिंह
८६. ऊधमसिंह नागोके
८७. चमन लाल
८८. जगन्नाथ कौशल
८९. जैलसिंह
९०. जुगल किशोर
९१. दरशनसिंह फेरूमन
९२. माधोराम शर्मा
९३. रघुवीरसिंह पंचहजारी

प० बंगाल (१६)

९४. अतीन्द्रनाथ बोस
९५. अन्सारुद्दीन अहमद
९६. अब्दुर्रज्जाक खाँ
९७. नलिनाक्ष दत्त
९८. निहार रंजन रे
९९. पी० डी० हिम्मतसिंहका
१००. भूपेश गुप्त
१०१. मायादेवी क्षेत्री, श्रीमती
१०२. मेहरचन्द खन्ना
१०३. मृगांक मोहन सूर
१०४. राजपतसिंह डूगर
१०५. सत्येन्द्रप्रसाद रे
१०६. सन्तोष कुमार बसु
१०७. सी० सी० बिस्वास
१०८. सुरेन्द्रमोहन घोष
१०९. हुमायूँ कबिर

बम्बई (२७)

११०. आबिद अली
१११. एम० डी० डी० गिल्डर
११२. एम० डी० तुम्पल्लीवार
११३. एम० सी० शाह
११४. एस० डी० पाटील
११५. खण्डु भाई देसाई
११६. जी० आर० कुलकर्णी
११७. जे० एच० जोशी
११८. जे० के० मोदी
११९. टी० आर० देवगिरिकर
१२०. डाह्याभाई वल्लभभाई पटेल
१२१. डी० एच० वरियावा
१२२. देवकीनन्दन नारायण
१२३. धैर्यशीलराव यशवन्तराव पवार
१२४. नरसिंहराव बलभीमराव देशमुख
१२५. पी० एन० राजभोज
१२६. प्रेमजी थोभनभाई लेउवा
१२७. बाबूभाई एम० चिनाय
१२८. बी० डी० खोब्रागडे
१२९. रघुवीर
१३०. राजाभाऊ विट्ठलराव डांगरे

१३१. रामराव माधवराव देशमुख
१३२. रोहित मनुशंकर दवे
१३३. लवजी लखमशी
१३४. लालजी पेंडसे
१३५. वामन शिवदास बार्रालगे
१३६. वेंकट कृष्ण धागे

बिहार (२२)

१३७. अवधेश्वर प्रसाद सिन्हा
१३८. अहमद हुसैन
१३९. आर० जी० अग्रवाल
१४०. एम० जॉन
१४१. कामता सिंह
१४२. किशोरी राम
१४३. कैलाश बिहारी लाल
१४४. गंगाशरण सिन्हा
१४५. जहाँआरा जयपालसिंह, श्रीमती
१४६. तजम्मुल हुसैन
१४७. थियोडोर बोदरा
१४८. देवेन्द्र प्रसाद सिंह
१४९. पूर्णचन्द्र मित्र
१५०. ब्रजकिशोर प्रसाद सिन्हा
१५१. मजहर इमाम
१५२. महेश शरण
१५३. मोहम्मद उमेर
१५४. राजेन्द्रप्रताप सिन्हा
१५५. रामधारी सिंह दिनकर
१५६. राम बहादुर सिन्हा
१५७. लक्ष्मी एन० मेनन, श्रीमती
१५८. शीलभद्र याजी

मद्रास (१७)

१५९. अब्दुल रहीम
१६०. अम्मुस्वामीनाथन, श्रीमती
१६१. ए० रामस्वामी मुदलियार
१६२. एन० डी० राजा
१६३. एन० एम० लिंगम
१६४. एन० रामकृष्ण अय्यर
१६५. एस० चत्तनाथ करयालर
१६६. एस० वेंकटरमण
१६७. जी० राजगोपालन
१६८. टी० एस० अविनाशलिंगम चेट्टियार
१६९. टी० एस० पट्टाभिरमण
१७०. टी० नलमुत्तुराममूर्ति, श्रीमती
१७१. टी० भास्कर राव
१७२. टी० वी० कमलस्वामी
१७३. डी० ए० मिर्जा
१७४. पी० एस० राजगोपाल नायडू
१७५. बी० परमेश्वरन्

मध्य प्रदेश (१६)

१७६. अवधेशप्रताप सिंह
१७७. आर० पी० दुबे
१७८. कृष्ण कुमारी, श्रीमती
१७९. गोपीकृष्ण विजयवर्गीय
१८०. दयालदास कुर्रे
१८१. निरंजन सिंह
१८२. बनारसीदास चतुर्वेदी
१८३. भानुप्रताप सिंह
१८४. मुहम्मद अली
१८५. रघुवीर सिंह
१८६. रतनलाल किशोरीलाल मालवीय
१८७. रामसहाय
१८८. रुक्मिणी बाई, श्रीमती
१८९. वी० वी० सर्वते
१९०. सीता परमानन्द, श्रीमती
१९१. त्रयम्बक दामोदर पुस्तके

मैसूर (१२)

१९२. अन्नपूर्णा देवी तिम्मरेड्डी, श्रीमती

१६३. एन० एस० हर्डिकर
१६४. एम० गोविन्द रेड्डी
१६५. एस० वी० कृष्णमूर्ति राव
१६६. जनार्दन राव देसाई
१६७. बी० पी० बासप्प शेट्टी
१६८. बी० शिवराव
१६९. बी० सी० नंजन्दय्य
२००. मुल्क गोविन्द रेड्डी
२०१. मुहम्मद वलीउल्लाह
२०२. राघवेन्द्र राव
२०३. वायलट अल्वा, श्रीमती

राजस्थान (१०)

२०४. अब्दुल शकूर
२०५. आदित्येन्द्र
२०६. के० एल० श्रीमाली
२०७. केशवानन्द
२०८. जयनारायण व्यास
२०९. जसवन्तसिंह
२१०. टीकाराम पालीवाल
२११. विजयसिंह
२१२. शारदा भार्गव, श्रीमती
२१३. सादिक अली

दिल्ली (३)

२१४. एस० के० दे
२१५. ओंकार नाथ
२१६. मिर्जा अहमद अली

मणिपुर (१)

२१७. ललित माधव शर्मा

हिमाचल प्रदेश (२)

२१८. आनन्द चन्द
२१९. लीला देवी, श्रीमती

त्रिपुरा (१)

२२०. अब्दुल लतीफ

राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्दिष्ट

२२१ ए० आर० वाडिया
२२२. ए० एन० खोसला
२२३. एम० सत्यनारायण
२२४. काका साहेब कालेलकर
२२५. ताराचन्द
२२६. नारायणदास रतनमल मलकानी
२२७. पी० वी० काणे
२२८. पृथ्वीराज कपूर
२२९. बी० वी० (मामा) वरेरकर
२३०. मैथिलीशरण गुप्त
२३१. रुक्मिणीदेवी अरुण्डेल, श्रीमती
२३२. सत्येन्द्रनाथ बोस

लोक सभा

निर्वाचनक्षेत्र	सदस्य	दल *
	असम (१३)	
कचार	द्वारिकानाथ तिवारी	कांग्रेस
	निवारणचन्द्र लश्कर (सु०)	,,
ग्वालपाड़ा	मंजुला देवी, श्रीमती	,,
	धर्णीधर वसुमत्री (सु०)	,,
गोहाटी	हेम बरूआ	प्र० स० दल
जोरहट	मुफीदा अहमद, श्रीमती	कांग्रेस
डिब्रूगढ़	जोगेन्द्रनाथ हज़ारिका	,,
दारंग	बी० भगवती	,,
धुबरी	अमजद अली	प्र० स० दल
नौगाँव	लीलाधर कटकी	कांग्रेस
शिवसागर	प्रफुल्लचन्द्र बरुआ	,,
स्वायत्तशासी जिले	हूवर हिन्विथ	स्वतन्त्र
—	चौखामून गोहेन †	—
	आन्ध्र प्रदेश (४३)	
अनन्तपुर	टी० नागी रेड्डी	सा० दल
आदवानी	पेण्डेकान्ति वैंकटसुब्बय्य	कांग्रेस
आदिलाबाद	के० आसन्न	,,
एलुरू	मोती वेदकुमारी, श्रीमती	,,

* विभिन्न दलों के संक्षिप्त नाम इस प्रकार हैं : भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (कांग्रेस), प्रजा समाजवादी दल (प्र० स० दल), साम्यवादी दल (सा० दल), भारतीय जन संघ (जन संघ) गणतन्त्र परिषद् (ग० प०), फार्वर्ड ब्लाक (फा० ब्ला०), हिन्दू महासभा (हि० म०), लोक लोकतन्त्री मोर्चा (लो० लो० मो०), अनुसूचित जाति संघ (अ० जा० सं०), कृषक मज़दूर दल (कृ० म० दल) तथा नेशनल कान्फ्रेंस (नें० का०)।

अनुसूचित जातियों तथा आदिमजातियों के सुरक्षित स्थानों के लिए कोष्ठक में (सु०) अक्षर दिया हुआ है।

† असम के 'ख' भाग के आदिमजातीय क्षेत्र के प्रतिनिधित्व के लिए राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्दिष्ट।

निर्वाचनक्षेत्र	सदस्य	दल
ओंगोल	रोण्डा नरप्प रेड्डी	कांग्रेस
कड़पा	वी० रामी रेड्डी	,,
कुरनूल	उस्मान अली खाँ	,,
करीमनगर	एम० श्रीरंग राव	,,
	एम० आर० कृष्ण (सु०)	,,
काकिनाडा	एम० तिरूमलराव	,,
	बी० एस० मूर्ति (सु०)	,,
खम्माम	टी० बी० विटठ्लराव	लो० लो० मो०
गुडिवाडा	डुग्गीराला बलरामकृष्णय्य	कांग्रेस
गुण्टूर	के० रघुरामय्य	,,
गोलुगोण्डा	एम० सूर्यनारायण मूर्ति	,,
	के० वीरन्न पडलु (सु०)	,,
चित्तूर	एम० अनन्तशयनम् अयंगार	,,
	एम० वी० गंगाधरशिव (सु०)	,,
तेनालि	एन० जी० रंगा	,,
नरसापुर	यू० रामन	सा० दल
नलगोण्डा	डी० वेंकटेश्वर राव	लो० लो० मो०
	डी० राजय्य (सु०)	कांग्रेस
निज़ामाबाद	हरिश्चन्द्र हेडा	,,
नेल्लोर	आर० लक्ष्मीनरस रेड्डी	,,
	बी० अंजनप्प (सु०)	,,
पार्वतीपुरम्	डी० एस० डोरा	स्वतन्त्र
	बी० सत्यनारायण (सु०)	कांग्रेस
मछलीपटनम्	एम० वेंकट कृष्ण राव	,,
मरकापुर	सी० बाली रेड्डी	,,
महबूबनगर	जे० रामेश्वर राव	,,
	पी० रामस्वामी (सु०)	,,
महबूबाबाद	ई० मधुसूदन राव	,,
मेडक	पी० हनुमन्त राव	,,
राजमपेट	टी० एन० विश्वनाथ रेड्डी	,,
राजमुन्द्री	डी० सत्यनारायण राजू	,,
वारंगल	सादत अली खाँ	,,
विकाराबाद	संगम लक्ष्मी बाई, श्रीमती	,,

निर्वाचनक्षेत्र	सदस्य	दल
विजयवाडा	कोम्मराजू अचमम्बा, श्रीमती	कांग्रेस
विशाखापटनम	विजयराम राजू	स्वतन्त्र
श्रीकाकुलम	बी० राजगोपाल राव	कांग्रेस
सिकन्दराबाद	अहमद मुहीउद्दीन	,,
हिन्दूपुर	के० वी० रामकृष्ण रेड्डी	,,
हैदराबाद	विनायक राव के० कोरटकर	,,

उड़ीसा (२०)

निर्वाचनक्षेत्र	सदस्य	दल
अंगुल	बी० पी० जी० देव वर्मा	ग० प०
कटक	नित्यानन्द कानूनगो	कांग्रेस
कालाहण्डी	प्रताप केशरी देव	ग० प०
	विजयचन्द्र प्रधान (सु०)	,,
केन्द्रपारा	सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	प्र० स० दल
	वैष्णव चरण मल्लिक (सु०)	,,
कोरापुट	जगन्नाथ राव	कांग्रेस
	टी० संगन्न (सु०)	,,
क्योंझर	लक्ष्मीनारायण भंज देव	स्वतन्त्र
गंजम	उमाचरण पटनायक	,,
	मोहन नायक (सु०)	कांग्रेस
ढेंकानल	सुरेन्द्र महन्ती	ग० प०
पुरी	चिन्तामणि पाणिग्रही	सा० दल
बालासोर	भगवत साहू	कांग्रेस
	कान्ह चरण जेना (सु०)	,,
भुवनेश्वर	नरसिंह चरण सामन्तसिंहार	,,
मयूरभंज	रामचन्द्र माझी (सु०)	स्वतन्त्र
सम्बलपुर	श्रद्धाकर सूपाकर	ग० प०
	बनमाली कुम्बार (सु०)	,,
सुन्दरगढ़	कालो चन्द्रमणि (सु०)	,,

उत्तर प्रदेश (८६)

निर्वाचनक्षेत्र	सदस्य	दल
अमरोहा	हिफ्जुर्रहमान	कांग्रेस
अल्मोड़ा	जंग बहादुर सिंह विष्ट	,,

निर्वाचनक्षेत्र	सदस्य	दल
अलीगढ़	जमाल ख्वाजा	कांग्रेस
	नरदेव स्नातक (सु०)	,,
आगरा	अचल सिंह	,,
आजमगढ़	कालिका सिंह	,,
	विश्वनाथ प्रसाद (सु०)	,,
इटावा	अर्जुनसिंह भदोरिया	स्वतन्त्र
	तुला राम (सु०)	कांग्रेस
इलाहाबाद	लालबहादुर शास्त्री	,,
उन्नाव	विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी	,,
	गंगादेवी, श्रीमती (सु०)	,,
एटा	रोहन लाल चतुर्वेदी	,,
कानपुर	एस० एम० बनर्जी	स्वतन्त्र
कैसरगंज	भगवान दीन मिश्र	कांग्रेस
खीरी	खुशवक्त राय	प्र० स० दल
गढ़वाल	भक्त दर्शन	कांग्रेस
गाजीपुर	हरप्रसाद सिंह	,,
गोण्डा	दिनेश प्रताप सिंह	,,
गोरखपुर	सिंहासन सिंह	,,
	महादेव प्रसाद (सु०)	,,
घोसी	उमराव सिंह	,,
चन्दौली	प्रभु नारायण सिंह	समाजवादी दल
जलेसर	कृष्ण चन्द्र	कांग्रेस
जौनपुर	बीरबल सिंह	,,
	गणपत राम (सु०)	,,
झाँसी	सुशीला नय्यर, श्रीमती	,,
टेहरी गढ़वाल	मानवेन्द्र शाह	,,
डुमरियागंज	रामशंकर लाल	,,
देवरिया	रामजी वर्मा	प्र० स० दल
देहरादून	महावीर त्यागी	कांग्रेस
नैनीताल	सी० डी० पाण्डे	,,
प्रतापगढ़	मुनीश्वरदत्त उपाध्याय	,,
पीलीभीत	मोहन स्वरूप	प्र० स० दल
फतेहपुर	अन्सार हरवानी	कांग्रेस

निर्वाचनक्षेत्र	सदस्य	दल
फर्रुखाबाद	मूलचन्द दुबे	कांग्रेस
फिरोज़ाबाद	बृजराज सिंह	स्वतन्त्र
फूलपुर	जवाहरलाल नेहरु	कांग्रेस
	मसुरिया दीन (सु०)	,,
फैज़ाबाद	राजाराम मिश्र	,,
	पन्ना लाल (सु०)	,,
बदायूँ	रघुवीर सहाय	,,
बरेली	सतीश चन्द्र	,,
बलरामपुर	अटल बिहारी वाजपेयी	जन संघ
बलिया	राधा मोहन सिंह	कांग्रेस
बस्ती	के० डी० मालवीय	,,
	राम गरीब (सु०)	स्वतन्त्र
बहराइच	जोगेन्द्र सिंह	कांग्रेस
बान्दा	दिनेश सिंह	,,
बाराबंकी	रामसेवक यादव	स्वतन्त्र
	रामानन्द शास्त्री (सु०)	कांग्रेस
बिजनौर	अब्दुल लतीफ	,,
बिल्हौर	जगदीश अवस्थी	स्वतन्त्र
बिसौली	बदन सिंह	कांग्रेस
बुलन्दशहर	रघुबर दयाल मिश्र	,,
	कन्हैयालाल वाल्मीकि (सु०)	,,
मथुरा	महेन्द्र प्रताप	स्वतन्त्र
महाराजगंज	शिब्बन लाल सक्सेना	,,
मिर्जापुर	जे० एन० विलसन	कांग्रेस
	रूप नारायण (सु०)	,,
मेरठ	शाहनवाज़ खाँ	,,
मैनपुरी	बंसीदास ढांगर	प्र० स० दल
मुज़फ्फरनगर	सुमत प्रसाद	कांग्रेस
मुरादाबाद	राम शरण	,,
मुसाफिरखाना	बी० वी० केसकर	,,
रसरा	सरजू पाण्डे	सा० दल
रामपुर	सैयद अहमद मेहदी	कांग्रेस

निर्वाचनक्षेत्र	सदस्य	दल
रायबरेली	फिरोज़ गान्धी	कांग्रेस
	बैजनाथ कुरील (सु०)	,,
लखनऊ	पुलिन बिहारी बनर्जी	,,
वाराणसी	रघुनाथ सिंह	,,
शाहजहाँपुर	बिशनचन्द्र सेठ	स्वतन्त्र
	नारायण दीन (सु०)	कांग्रेस
सरधना	विष्णु शरण दुब्लिश	,,
सलेमपुर	विश्वनाथ राय	,,
सहारनपुर	अजित प्रसाद जैन	,,
	सुन्दरलाल (सु०)	,,
सीतापुर	उमा नेहरु, श्रीमती	,,
	प्राणी लाल (सु०)	,,
सुल्तानपुर	गोविन्द मालवीय	,,
हमीरपुर	मन्नू लाल द्विवेदी	,,
	लच्छीराम (सु०)	,,
हरदोई	छेदा लाल गुप्त	,,
	शिवदीन द्रोहर (सु०)	जन संघ
हाता	काशीनाथ पाण्डे	कांग्रेस
हापुड़	कृष्ण चन्द्र शर्मा	,,

केरल (१८)

निर्वाचनक्षेत्र	सदस्य	दल
अम्बलपुजा	पी० टी० पुन्नूस	सा० दल
एरणाकुलम	ए० एम० तोमस	कांग्रेस
कासरगोड	ए० के० गोपालन	सा० दल
क्विलोन	वी० पी० नायर	,,
	पी० के० कोडियन (सु०)	,,
कोजीकोड	के० पी० कुट्टिकृष्णन नायर	कांग्रेस
कोट्टय्यम	मात्यु मणियनगाडन	,,
चिर्रायिकिल	एम० के० कुमारन	सा० दल
तिरुवल्ल	पी० के० वासुदेवन नायर	,,
तेल्लिचेरी	एम० के० जिनचन्द्रन	कांग्रेस
पालघाट	वी० ईचरण	,,

निर्वाचनक्षेत्र	सदस्य	दल
बडगरा	के० बी० मेनन	प्र० स० दल
मंजेरी	बी० पोकर	स्वतन्त्र
मुकुन्दपुरम्	टी० सी० एन० मेनन	सा० दल
मुवट्टपुज्रा	जो० टी० कोटुकापल्लि	कांग्रेस
त्रिचूर	के० कृष्णन वारियर	सा० दल
त्रिवेन्द्रम	एस० ईश्वर अय्यर	स्वतन्त्र
	जम्मू तथा कश्मीर (६) *	
—	अब्दुर्रहमान	ने० का०
—	अब्बुल रशीद	"
—	ए० एम० तरीक	"
—	कृष्णा मेहता, श्रीमती	"
—	मुहम्मद अकबर	"
—	रिक्त	—
	पंजाब (२२)	
अम्बाला	सुभद्रा जोशी, श्रीमती	कांग्रेस
	चुन्नीलाल (सु०)	"
अमृतसर	गुरुमुखसिंह मुसाफिर	"
कांगड़ा	हेम राज	"
	दलजीत सिंह (सु०)	"
कैथल	मूलचन्द जैन	"
गुड़गाँव	प्रकाश वीर शास्त्री	स्वतन्त्र
गुरदासपुर	दीवान चन्द शर्मा	कांग्रेस
जालन्धर	स्वर्ण सिंह	"
	साधू राम (सु०)	"
झज्जर	प्रतापसिंह दौलता	सा० दल
तरनतारन	सुरजीतसिंह मजीठिया	कांग्रेस
पटियाला	अचिन्त राम	"
फिरोजपुर	इकबाल सिंह	"

* राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्दिष्ट

निर्वाचनक्षेत्र	सदस्य	दल
भटिण्डा	हुकम सिंह	कांग्रेस
	अजीत सिंह (सु०)	,,
महेन्द्रगढ़	रामकृष्ण	,,
रोहतक	रणवीरसिंह	,,
लुधियाना	अजीतसिंह सरहदी	,,
	बहादुरसिंह (सु०)	,,
हिसार	ठाकुरदास भार्गव	,,
होशियारपुर	बल्देवसिंह	,,
	पश्चिम बंगाल (३६)	
आसनसोल	अतुल्य घोष	,,
	मनमोहन दास (सु०)	,,
उलुबेरिया	अरविन्द घोषाल	फा० ब्ला
कलकत्ता (उ० प०)	अशोक कुमार सेन	कांग्रेस
कलकत्ता (द० प०)	रिक्त *	—
कलकत्ता (म०)	हीरेन्द्रनाथ मुखर्जी	सा० दल
कलकत्ता (पू०)	साधनचन्द्र गुप्त	,,
कूच बिहार	नलिनीरंजन घोष	कांग्रेस
	उपेन्द्रनाथ बर्मन (सु०)	,,
कोण्टई	प्रमथनाथ बनर्जी	प्र० स० दल
घाटल	निकुंज बिहारी मैती	,,
डायमण्ड हार्बर	पूर्णेन्दु शेखर नस्कर	,,
	कन्सारी हल्दर (सु०)	सा० दल
तामलुक	सतीश चन्द्र सामन्त	कांग्रेस
दार्जिलिंग	टी० मनायन	,,
नवद्वीप	इला पाल चौधरी, श्रीमती	,,
पश्चिम दीनाजपुर	चपलकान्त भट्टाचार्य	,,
	मारवी सेलकू (सु०)	,,
पुरुलिया	विभूति भूषण दास गुप्त	स्वतन्त्र
बर्दमान	सुबीमन घोष	फा० ब्ला०
बरहामपुर	त्रिदिब कुमार चौधरी	स्वतन्त्र

* चुनाव याचिका के आधार पर बीरेन राय का निर्वाचन अवैध ।

निर्वाचनक्षेत्र	सदस्य	दल
बशीरहाट	रेणु चक्रवर्ती, श्रीमती	सा० दल
	परेश नाथ कयाल (सु०)	कांग्रेस
बारासत	अरुणचन्द्र गुह	,,
बाँकुरा	रामगति बनर्जी	,,
	पशुपति मण्डल (सु०)	,,
बीरभूम	अनिलकुमार चन्द	,,
	कमल कृष्ण दास (सु०)	,,
बैरकपुर	विमल कुमार घोष	प्र० स० दल
मालदा	रेणुका रे, श्रीमती	कांग्रेस
मेदिनीपुर	नरसिंह मल्ल देव	,,
	सुबोध हंसदा (सु०)	,,
मुर्शिदाबाद	मुहम्मद खुदा बख्श	,,
श्रीरामपुर	जितेन्द्रनाथ लाहिड़ी	,,
हावड़ा	मुहम्मद इलियास	सा० दल
हुगली	प्रभात कार	,,

बम्बई (६६)

निर्वाचनक्षेत्र	सदस्य	दल
अकोला	जी० बी० खेडकर	कांग्रेस
	एल० एस० भाटकर (सु०)	,,
अमरावती	पी० एस० देशमुख	,,
अहमदनगर	आर० के० खांडिलकर	स्वतन्त्र
अहमदाबाद	इन्दुलाल के० याज्ञिक	,,
	करसनदास परमार (सु०)	,,
आनन्द	मणिबेन वल्लभभाई पटेल, श्रीमती	कांग्रेस
उस्मानाबाद	वी० एस नाल्दूरकर	,,
औरंगाबाद	रामानन्द तीर्थ	,,
कच्छ	भवनजी ए० खीमजी	,,
करड	दाजीसाहब रामराव चव्हाण	कृ० म० दल
कोपरगाँव	बी० सी० काम्बले	स्वतन्त्र
कोल्हापुर	भाउसाहेब आर० महगाँवकर	कृ० म० दल
	एस० के० डीगे (सु०)	अ० जा० सं०
कोलाबा	आर बी० राउत	कृ० म० दल

निर्वाचनक्षेत्र	सदस्य	दल
खेड	बी० डी० सोलंके	अ० जा० सं०
खेड़ा	फतेहसिंहजी घोडसर	स्वतन्त्र
गिरनार	जयाबेन वाजूभाई शाह, श्रीमती	कांग्रेस
गोहिलवाड	बलवन्तराय जी० मेहता	"
चान्दा	वी० एन० स्वामी	"
जलना	ए० वी० घड़े	स्वतन्त्र
झालावाड़	जी० एस० ओझा	कांग्रेस
थाना	एस० वी० पारूलकर	सा० दल
	एल० एम० मथेरा (सु०)	"
दोहद	जलजीभाई कोयाभाई बिन्दोड (सु०)	कांग्रेस
धूलिया	यू० एल० पाटील	जन संघ
नागपुर	एम० एस० अणे	कांग्रेस
नान्देड़	हरिहर राव सोणुले	"
	डी० एन० पी० काम्बले (सु०)	अ० जा० सं०
नासिक	भाऊराव कृष्णराव गायकवाड़	"
पंचमहल	माणिकलाल मगनलाल गान्धी	कांग्रेस
परभनी	एन० के० पंगारकर	"
पश्चिम खानदेश	लक्ष्मण वीडू वालवी (सु०)	प्र० स० दल
पाटन	मोतीसिंह बहादुरसिंह ठाकुर	स्वतन्त्र
पूना	एन० जी० गोरे	प्र० स० दल
पूर्व खानदेश	नवशेर भरूचा	"
बड़ौदा	फतेहसिंह राव पी० गायकवाड़	कांग्रेस
बनसकण्ठा	अकबरभाई चावडा	"
बम्बई नगर (उ०)	वी० के० कृष्ण मेनन	"
बम्बई नगर (द०)	एस० के० पाटील	"
बम्बई नगर (म०)	एस० ए० डांगे	सा० दल
	जी० के० माने (सु०)	अ० जा० सं०
बलसाड़	नानूभाई नीछाभाई पटेल (सु०)	कांग्रेस
बारामती	के० एम० जेढे	"
बुलढाना	एस० आर० राने	"
भड़ौंच	चन्द्र शंकर	"
भण्डारा	आर० एम० हाजरनवीस	"
	बी० आर० वासनीक (सु०)	"

निर्वाचनक्षेत्र	सदस्य	दल
भीर	आर० डी० पाटील	कांग्रेस
मध्य सौराष्ट्र	मनुभाई शाह	,,
माण्डवी	छगनलाल मदारीभाई केदारिया (सु०)	,,
मालेगांव	यादव नारायण जाधव	प्र० स० दल
मिराज	बालासाहेब पाटील	कृ० म० दल
मेहसाना	पुरुषोत्तमदास आर० पटेल	स्वतन्त्र
यवतमाल	डी० वाई० गोहोकर	कांग्रेस
रत्नगिरी	पी० आर० अस्सर	जन संघ
राजपुर	नाथ बापू पाई	प्र० स० दल
रामटेक	के० जी० देशमुख	कांग्रेस
वर्धा	कमलनयन जे० बजाज	,,
शोलापुर	जे० जी० मोरे	स्वतन्त्र
	टी० एच० सोनवणे (सु०)	कांग्रेस
सतारा	नाना पाटील	सा० दल
साबरकण्ठा	गुलजारीलाल नन्दा	कांग्रेस
सूरत	मोरारजी देसाई	,,
सोरठ	नरेन्द्रभाई नथवानी	,,
हालार	जयसुख लाल हाथी	,,

बिहार (५३)

निर्वाचनक्षेत्र	सदस्य	दल
औरंगाबाद	सत्येन्द्र नारायण सिन्हा	,,
कटिहार	भोलानाथ बिस्वास	,,
किशनगंज	मुहम्मद ताहिर	,,
केसरिया	द्वारकानाथ तिवारी	,,
खगरिया	जियालाल मण्डल	,,
गया	बृजेश्वर प्रसाद	,,
गिरिडीह	एस० ए० मातिन	जनता दल
गोपालगंज	सैयद महमूद	कांग्रेस
चम्पारन	विपिन बिहारी वर्मा	,,
	भोला राउत (सु०)	,,

निर्वाचनक्षेत्र	सदस्य	दल
छतरा	विजया राजे, श्रीमती	जनता दल
छपरा	राजेन्द्र सिंह	प्र० स० दल
जमशेदपुर	मणीन्द्र कुमार घोष	कांग्रेस
जयनगर	श्यामनन्दन मिश्र	,,
डुमका	सुरेश चन्द्र चौधरी	झारखण्ड
	देवी सोरेन (सु०)	,,
दरभंगा	श्री नारायण दास	कांग्रेस
	रामेश्वर साहू (सु०)	,,
धनबाद	प्रभातचन्द्र बोस	,,
नवादा	सत्यभामा देवी, श्रीमती	,,
	रामधनी दास (सु०)	,,
नालन्दा	कैलाशपति सिन्हा	,,
पटना	सारंगधर सिन्हा	,,
पालामऊ	गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा	,,
पुपरी	दिग्विजय नारायण सिंह	,,
पूर्णिया	फणिगोपाल सेन	,,
बंका	शकुन्तला देवी, श्रीमती	,,
बक्सर	कमल सिंह	स्वतन्त्र
बगहा	बिभूति मिश्र	कांग्रेस
बाढ़	तारकेश्वरी सिन्हा, श्रीमती	,,
बेगुसराय	मथुरा प्रसाद मिश्र	,,
भागलपुर	बनारसी प्रसाद झुनझुनवाला	,,
मधुबनी	अनिरुद्ध सिन्हा	,,
महाराजगंज	महेन्द्रनाथ सिंह	,,
मुंगेर	बनारसी प्रसाद सिन्हा	,,
	नयनतारा दास (सु०)	,,
मुजफ्फरपुर	अशोक मेहता	प्र० स० दल
राँची (प०)	जयपाल सिंह (सु०)	झारखण्ड
राँची (पू०)	एम० आर० मसानी	,,
राजमहल	पैका मुरमु (सु०)	कांग्रेस
लोहारडगा	इगनेस बेक (सु०)	झारखण्ड
शाहाबाद	बी० आर० भगत	कांग्रेस

निर्वाचनक्षेत्र	सदस्य	दल
समस्तीपुर	सत्यनारायण सिन्हा	कांग्रेस
सहर्सा	ललितनारायण मिश्र	,,
	भोली सरदार (सु०)	,,
सहसराम	राम सुभाग सिंह	,,
	जगजीवन राम (सु०)	,,
सिवान	झूलन सिन्हा	,,
सिंहभूम	शम्भू चरण गोडसोरा (सु०)	झारखण्ड
सीतामढ़ी	जे० बी० कृपालानी	प्र० स० दल
हजारीबाग	ललिता राज्यलक्ष्मी, श्रीमती	जनता दल
हाजीपुर	राजेश्वर पटेल	कांग्रेस
	चन्द्रमणिलाल चौधरी (सु०)	,,

मद्रास (४१)

निर्वाचनक्षेत्र	सदस्य	दल
कडलूर	टी० डी० मुत्तुकुमारस्वामी नायडू	स्वतन्त्र
करूर	के० पेरियस्वामी गौण्डर	कांग्रेस
कुम्भकोणम्	सी० आर० पट्टाभिरमण	,,
कृष्णगिरि	सी० आर० नरसिंहन	,,
कोयमुत्तूर	पार्वती एम० कृष्णन, श्रीमती	सा० दल
गोबिचेट्टिपालयम्	के० एस० रामस्वामी	कांग्रेस
चिंगलपट	ए० कृष्णस्वामी	स्वतन्त्र
	एन० शिवराज (सु०)	,,
चिदम्बरम्	आर० कनकसबाई पिल्ले	कांग्रेस
	एल० इलियापेरूमल (सु०)	,,
डिण्डीगल	एम० गुलाम मुहिद्दीन	,,
	एस० सी० बालकृष्णन (सु०)	,,
तंजावूर	ए० वैरावन	,,
तिण्डिवनम्	एन० पी० शणमुख गौण्डर	स्वतन्त्र
तिरुच्चिरापल्लि	एम० के० एम० अब्दुल सलाम	कांग्रेस
तिरुचेन्गोड	पी० सुब्बरायन	,,
तिरुचेन्दूर	टी० गणपति	,,
तिरुनेल्वेलि	पी० टी० थानु पिल्ले	,,
तिरुपत्तूर	ए० दुराइस्वामी गौण्डर	,,

निर्वाचनक्षेत्र	सदस्य	दल
तिरुवण्णमलइ	आर० धर्मलिंगम	स्वतन्त्र
तिरुवल्लूर	आर० गोविन्दराजुलु नायडू	कांग्रेस
तेन्काशी	एम० शंकरपाण्ड्यन	,,
नागपट्टिनम्	के० आर० सम्बन्दम	,,
	एम० अय्यकण्णु (सु०)	,,
नागरकोइल	पी० थानुलिंगम नाडर	,,
नामक्कल	ई० वी० के० सम्पत	स्वतन्त्र
	एस० आर० अरुमुखम (सु०)	कांग्रेस
नीलगिरी	सी० नंजप्पन	,,
पेराम्बलूर	एम० पालनियन्दी	,,
पेरियकुलम	आर० नारायणस्वामी	,,
पुदुकोटई	आर० रामनाथन चेट्टियार	,,
पोल्लाची	पी० आर० रामकृष्णन	,,
मद्रास (उ०)	एस० सी० सी० एन्थनी पिल्ले	स्वतन्त्र
मद्रास (द०)	टी० टी० कृष्णमाचारी	कांग्रेस
मदुरइ	के० टी० के० तंगमणि	सा० दल
रामनाथपुरम	पी० सुबय्य अम्बालम	कांग्रेस
वेलोर	एन० आर० एम० स्वामी	,,
	एम० मुत्तुकृष्णन (सु०)	,,
श्रीविल्लपुत्तुर	यू० मुत्तुरामलिंग थेवर	स्वतन्त्र
	आर० एस० अरुमुखम (सु०)	कांग्रेस
सलेम	एस० वी० रामस्वामी	,,

मध्य प्रदेश (३६)

निर्वाचनक्षेत्र	सदस्य	दल
इन्दौर	के० एल० खादीवाला	,,
उज्जैन	राधेलाल व्यास	,,
खजुराहो	राम सहाय तिवारी	,,
	मोतीलाल मालवीय (सु०)	,,
गुणा	विजया राजे सिन्धिया, श्रीमती	,,
ग्वालियर	राधाचरण शर्मा	,,
	सूर्य प्रसाद (सु०)	,,

निर्वाचनक्षेत्र	सदस्य	दल
छिन्दवाड़ा	बी० एल० चाण्डक	कांग्रेस
	एन० एम० वाडिवा (सु०)	,,
जंजगीर	अमरसिंह सहगल	,,
जबलपुर	गोविन्द दास	,,
झबुआ	अमरसिंह डामर (सु०)	,,
दुर्ग	मोहनलाल बाकलीवाल	,,
नीमाड़	रामसिंह भाई वर्मा	,,
नीमाड़ (खण्डवा)	बाबूलाल तिवारी	,,
बस्तर	सुरती किस्तैया (सु०)	,,
बालोड बाज़ार	विद्याचरण शुक्ल	,,
	मिनीमाता आगमदास गुरू, श्रीमती (सु०)	,,
बालाघाट	सी० डी० गौतम	,,
बिलासपुर	रेशम लाल जांगडे	,,
भोपाल	मैमूना सुल्ताना, श्रीमती	,,
मण्डला	एम० जी० उइके (सु०)	,,
मन्दसौर	माणिकभाई अग्रवाल	,,
रायपुर	बीरेन्द्रबहादुर सिंह	,,
	केसर कुमारी देवी, श्रीमती (सु०)	,,
रींवा	शिव दत्त उपाध्याय	,,
शहडोल	आनन्दचन्द्र जोशी	,,
	कमलनारायण सिंह (सु०)	,,
शाजापुर	लीलाधर जोशी	,,
	के० बी० मालवीय (सु०)	,,
शिवपुरी	बृजनारायण	हि० म०
सरगुजा	चण्डिकेश्वर शरण सिंह	कांग्रेस
	बाबूनाथ सिंह (सु०)	,,
सागर	ज्वालाप्रसाद ज्योतिषी	,,
	सहोदराबाई राय, श्रीमती (सु०)	,,
होशंगाबाद	रघुनाथ सिंह कालीधर	,,

मैसूर (२६)

उडुपि	यू० एस० मल्लय्य	,,
कनारा	जोशिम अल्वा	,,

निर्वाचनक्षेत्र	सदस्य	दल
कोप्पल	एस० ए० अगाडी	कांग्रेस
कोलार	के० सी० रेड्डी	,,
	डोड्डा तिम्मय्य (सु०)	,,
गुलबर्गा	महादेवप्प रामपुरे	,,
	शंकर देव (सु०)	,,
चिकोडी	डी० ए० कट्टि	अ० जा० सं
चित्तलदुर्ग	जे० एम० मुहम्मद इमाम	प्र० स० दल
तिप्तूर	सी० आर० बासप्प	कांग्रेस
तुमकुर	एम० वी० कृष्णप्प	,,
धारवाड़ (उ०)	डी० पी० करमरकर	,,
धारवाड़ (द०)	टी० आर० नेश्वी	,,
बंगलोर (ग्रामीण)	एच० सी० दासप्प	,,
बंगलोर (नगर)	एन० केशव	,,
बेल्लारी	टी० सुब्रह्मण्यम्	,,
बीजापुर (उ०)	एम० एस० सुगन्धि	स्वतन्त्र
बीजापुर (द०)	आर० बी० बिदारी	कांग्रेस
बेलगाँव	बी० एन० दातार	,,
मंगलोर	के० आर० आचार	,,
मण्डया	एम० के० शिवनंजप्प	,,
मैसूर	एम० शंकरय्य	,,
	एस० एम० सिद्दय्य (सु०)	,,
रायचूर	जी० एस० मलकोटे	,,
शिवमोग्ग	के० जी० वोडयार	,,
हासन	एच० सिद्धनंजप्प	,,

राजस्थान (२२)

निर्वाचनक्षेत्र	सदस्य	दल
अजमेर	मुकुट बिहारी लाल भार्गव	,,
अलवर	शोभाराम	,,
उदयपुर	माणिक्यलाल वर्मा	,,
	दीनबन्धु परमार (सु०)	,,
कोटा	नेमीचन्द्र कासलीवाल	,,
	ओंकारलाल (सु०)	,,

निर्वाचनक्षेत्र	सदस्य	दल
जयपुर	हरिश्चन्द्र शर्मा	स्वतन्त्र
जालौर	सूरज रतन दामाणी	कांग्रेस
जोधपुर	जसवन्तराज मेहता	,,
झुंझुनु	राधेश्याम आर० मोरारका	,,
दौसा	जी० डी० सोमाणी	,,
नागौर	मथुरादास माथुर	,,
पाली	हरिश्चन्द्र माथुर	,,
बाड़मेर	रघुनाथ सिंह	स्वतन्त्र
बाँसवाड़ा	पी० बी० भोगजी भाई (सु०)	कांग्रेस
बीकानेर	करणी सिंह	स्वतन्त्र
	पन्नालाल बारूपाल (सु०)	कांग्रेस
भरतपुर	राज बहादुर	,,
भीलवाड़ा	रमेशचन्द्र व्यास	,,
सवाई माधोपुर	हीरालाल शास्त्री	,,
	जगन्नाथ प्रसाद पहाड़िया (सु०)	,,
सीकर	रामेश्वर टाँटिया	,,

अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह (१) *

—	लछमन सिंह	—

दिल्ली (५)

चान्दनी चौक	राधा रमण	कांग्रेस
दिल्ली सदर	ब्रह्म परकाश	,,
नयी दिल्ली	सुचेता कृपालानी, श्रीमती	,,
बाह्य दिल्ली	सी० कृष्णन नायर	,,
	नवल प्रभाकर (सु०)	,,

मणिपुर (२)

आन्तरिक मणिपुर	लैसराम आछव सिंह	स्वतन्त्र
बाह्य मणिपुर	रुंगसुंग सुइसा	कांग्रेस

* राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्दिष्ट

निर्वाचनक्षेत्र	सदस्य	दल
	लक्कादीव, मिनिकॉय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह (१) *	
—	के० नल्लकोय	|
	हिमाचल प्रदेश (४)	
चम्बा	पद्मदेव	कांग्रेस
मण्डी	जोगेन्द्र सेन	,,
महासू	रिक्त	—
	नेकराम नेगी (सु०)	कांग्रेस
	त्रिपुरा (२)	
त्रिपुरा	दशरथ देव	सा० दल
	बंगशी ठाकुर (सु०)	कांग्रेस
	आंग्ल-भारतीय (२) *	
—	ए० ई० टी० बैरो	—
—	फ्रैंक एन्थनी	—
	नागा पहाड़ियाँ-त्वेनसांग क्षेत्र (१) *	
—	रिक्त	—

संसद के पदाधिकारी

संसद् के मुख्य पदाधिकारी राज्य सभा के सभापति तथा उपसभापति और लोक सभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष हैं। राज्य सभा के सभापति तथा लोक सभा के अध्यक्ष, दोनों के पदों की अपनी-अपनी प्रतिष्ठा है। अपने-अपने सदन की कार्यवाहियों की अध्यक्षता करने के अतिरिक्त ये उनके प्रतिनिधि तथा उनकी स्वतन्त्रता के अभिभावक भी हैं।

---

* राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्दिष्ट

इन पदों के पदाधिकारी ये हैं :

राज्य सभा

सभापति	...	एस० राधाकृष्णन
उपसभापति	...	एस० वी कृष्णमूर्ति राव

लोक सभा

अध्यक्ष	...	एम० अनन्तशयनम अयंगार
उपाध्यक्ष	...	हुकम सिंह

संसद के कार्य तथा अधिकार

देश की शासन-व्यवस्था के लिए कानून बनाना, सरकार की आवश्यकताओं तथा राष्ट्र की सेवाओं के लिए आवश्यक वित्त की व्यवस्था करना संसद् के मुख्य कार्य हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद् के दोनों सदन एक निर्वाचकमण्डल के अंग माने जाते हैं तथा उपराष्ट्रपति का चुनाव इन्हीं दोनों सदनों के सदस्यों का संयुक्त निर्वाचकमण्डल करता है। मन्त्रिपरिषद् लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है जो मन्त्रियों के वेतन तथा भत्तों पर भी स्वीकृति देती है। लोक सभा बजट पास करने से इन्कार करके अथवा किसी अन्य बड़ी वैधानिक कार्यवाही द्वारा अथवा अविश्वास का प्रस्ताव पास करके मन्त्रि-परिषद् को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य कर सकती है।

सभी कानूनों के लिए संसद् के दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक है। वित्त सम्बन्धी सभी प्रकार के विधानों की सिफारिश यद्यपि राष्ट्रपति द्वारा की जानी चाहिए, तथापि अनुदानों, कर सम्बन्धी प्रस्तावों तथा विनियोजनों की स्वीकृति केवल लोक सभा ही दे सकती है। संकटकालीन परिस्थिति में संसद् को राज्य सूची में गिनाए गए विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। इसके अतिरिक्त संविधान में संशोधन करने, राष्ट्रपति पर अभियोग लगाने तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त और लेखा-नियन्त्रक तथा महालेखा-परीक्षक को पदच्युत करने के अधिकार केवल संसद् को ही प्राप्त हैं।

कार्यविधि

दोनों सदनों की कार्यवाही की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद ११८ के अधीन बने उनके अपने-अपने कार्यविधि तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के अनुसार, होती है।

धन तथा अन्य वित्तीय विधेयक सम्बन्धी व्यवस्था के अनुसार विधेयक संसद् के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये सदन प्रत्येक प्रश्न का निर्णय उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत तथा मतदान से करते हैं।

दोनों सदनों में विधेयकों के पास होने की प्रक्रिया एक ही सी है। प्रत्येक विधेयक को

निम्न चरणों में से क्रमानुसार गुजरना पड़ता है : (१) प्रस्तुत किया जाना तथा प्रकाशन, (२) सामान्य वादविवाद, (३) एक-एक धारा पर विचार तथा (४) सदन द्वारा विधेयकका पारित होना। दोनों सदनों में पारित होने के बाद प्रत्येक विधेयक स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही इसे कानून का रूप प्राप्त होता है। दोनों सदनों के बीच असहमति होने की अवस्था में राष्ट्रपति को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने तथा इस पर मतदान लेने का अधिकार है।

धन-विधेयकों के सम्बन्ध में, जो केवल लोक सभा में ही उपस्थित किए जाते हैं, एक विशेष प्रकार की व्यवस्था है। लोक सभा द्वारा पास किए जाने पर प्रत्येक धन-विधेयक राज्य सभा के समक्ष रखा जाता है जिससे वह विधेयक प्राप्त करने के १४ दिनों के अन्दर-अन्दर अपनी सिफारिशें दे सके। राज्य सभा इसे पुनः लोक सभा के पास वापस भेज देती है। सिफारिशों को स्वीकार करना अथवा न करना लोक सभा पर निर्भर होता है।

संसदीय मामला विभाग

संसद् का कार्यक्रम निर्धारित करने तथा इसके कार्य-संचालन का कार्य 'संसदीय मामला विभाग' करता है। यह विभाग इस कार्य को सरकार की ओर से मन्त्रिमण्डल की 'संसदीय तथा कानूनी मामला समिति' और संसद् की ओर से प्रत्येक सदन की 'कार्यवाही परामर्श समिति' के परामर्श से करता है।

यह विभाग सरकार की ओर से सदन में दिए गए आश्वासनों तथा आरम्भ किए गए कार्यों की प्रगति के सम्बन्ध में समय-समय पर संसद् में विवरण भी प्रस्तुत करता रहता है। 'सरकारी आश्वासन लोक सभा समिति' इन विवरणों की जाँच करती है।

सदनों की समितियाँ

संसदीय समितियाँ, लोक सभा अथवा उसके अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के आधार पर नियुक्त की जाती हैं। इनकी बैठक के लिए इनके एक-तिहाई सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होती है। इनकी बैठक निजी तौर पर होती है। प्रत्येक सदन की महत्वपूर्ण समितियों में से 'कार्यवाही परामर्श समिति' तथा 'विशेषाधिकार समिति' उल्लेखनीय हैं।

कार्यपालिका पर नियन्त्रण

सामान्य वित्त-नियन्त्रण रखने के अलावा लोक सभा अपनी 'सार्वजनिक लेखा तथा प्राक्कलन समितियों' द्वारा सरकार के वित्त-प्रशासन पर नियन्त्रण रखती तथा देखभाल करती है। लोक सभा इन समितियों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत द्वारा अपने सदस्यों में से करती है। कोई भी मन्त्री इन समितियों का सदस्य नहीं बन सकता। 'सार्वजनिक लेखा समिति' यह भी देखती है कि सार्वजनिक धन का उपयोग संसद् के निर्णयों के अनुरूप ही किया जाता है। 'प्राक्कलन समिति' मितव्ययिता तथा प्रशासन आदि में सुधार करने की सिफारिश करती रहती है।

सरकार की नीतियों के सम्बन्ध में पूरी-पूरी जानकारी प्राप्त करने तथा उन पर बहस करने के भी अवसर प्राप्त होते हैं। इस व्यवस्था के अन्तर्गत सदस्यों द्वारा प्रश्न किया जाना, उन प्रश्नों के फलस्वरूप स्पष्ट होने वाले मामलों पर आधा घण्टा बहस होना, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस, संकटकालीन स्थगन प्रस्ताव तथा विभिन्न प्रकार के अन्य प्रस्ताव आते हैं।

दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में दिए गए राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद जिसमें जनता के हित के आवश्यक मामलों के सम्बन्ध में सरकारी नीति पर प्रकाश डाला जाता है, राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के प्रस्ताव पर होने वाली बहस के द्वारा सरकारी नीतियों पर विचार करने का एक बड़ा अवसर मिलता है।

सार्वजनिक हित का कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न अथवा समस्या उत्पन्न होने पर कोई भी सदस्य, सदन में उस पर विचार किए जाने के लिए स्थगन का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। १५ दिन की पूर्व-सूचना के बाद कोई भी सदस्य, संसद् में सार्वजनिक हित सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। यह प्रस्ताव पास होने पर लोक सभा के अध्यक्ष आवश्यक कार्यवाही के लिए तत्सम्बन्धी मन्त्री को इसकी सूचना दे देते हैं।

राज्यीय विधानमण्डल

भारतीय संघ के १४ राज्यों में से १० राज्यों में दो सदन वाले विधानमण्डलों तथा ४ राज्यों में एक सदन वाले विधानमण्डलों की व्यवस्था है। राज्यों की विधान परिषदों तथा विधान सभाओं के सदस्यों की संख्या अगले पृष्ठ की तालिका में दी गई है।

विधानमण्डल के पदाधिकारी

राज्यों में भी विधान परिषद् के सभापति तथा उपसभापति और विधान सभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष होते हैं। परिषद् के सभापति तथा सभा के अध्यक्ष को भी वे सभी अधिकार प्राप्त हैं जो संसद् में उनके समानाधिकारियों को प्राप्त हैं।

कार्य

सातवीं अनुसूची की सूची सं० २ में उल्लिखित विषयों के सम्बन्ध में राज्यीय विधानमण्डलों को एकमात्र अधिकार तथा सूची सं० ३ में उल्लिखित विषयों के सम्बन्ध में केन्द्र के साथ मिलेजुले अधिकार प्राप्त हैं। मन्त्रिपरिषद् राज्य की विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों के लिए विधानमण्डल की स्वीकृति आवश्यक है।

कार्यविधि

भारत के संविधान में अनुच्छेद १९८—२१३ में कार्य-संचालन, सदस्यों की अनर्हता और राज्यीय विधानमण्डलों के अधिकारों तथा विशेषाधिकारों के सम्बन्ध में

तालिका ७

विधानमण्डलों के सदस्य

राज्य	विधान परिषद् के सदस्यों की संख्या*	विधान सभा के सदस्यों की संख्या †
असम	—	१०५ ‡
आन्ध्र प्रदेश	९०	३०१ (२)
उड़ीसा	—	१४० (२)
उत्तर प्रदेश	१०८	४३० (२)
केरल	—	१२६
जम्मू तथा कश्मीर	३६	७५ **
पंजाब	५१	१५४ (१)
पश्चिम बंगाल	७५	२५२ (१)
बम्बई	१०८	३९६
बिहार	९६	३१८ (३)
मद्रास	६३	२०५ (१)
मध्य प्रदेश	९०	२८८ (३)
मैसूर	६३	२०८ (१)
राजस्थान	—	१७६
योग	७८०	३,१७४ (१६)

महत्वपूर्ण नियमों का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्यीय विधानमण्डलों को संविधान के द्वारा कार्यविधि के लिए अपने निज के नियम बनाने के भी अधिकार दिए गए हैं।

सामान्य विधेयक तथा वित्तीय विधेयक पास करने के लिए राज्यों में भी वैसी ही व्यवस्था है जैसी केन्द्र में है। दोनों सदनों के बीच असहमति होने की स्थिति में संसद् की भाँति

* 'विधान परिषद अधिनियम, १९५७' के अनुसार

† कोष्ठों में दी गई संख्या रिक्त स्थानों की सूचक हैं

‡ 'नागा पहाड़ियाँ-त्वेनसांग क्षेत्र अधिनियम, १९५७' के अनुसार

** पाकिस्तान-अधिकृत क्षेत्रों के २५ स्थानों को छोड़कर जो इन क्षेत्रों के भारतीय संघ में पुनः मिल जाने तक के लिए रिक्त रखे गये हैं

राज्यों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। विधान सभा यदि किसी विधेयक को, उसके विधान परिषद् में भेजे जाने की तिथि से ३ महीने के बाद द्वितीय वाचन में पास कर देती है तो पास किए जाने के एक महीने बाद वह विधेयक स्वतः कानून का रूप ले लेता है चाहे विधान परिषद् का निर्णय उसके पक्ष में हो अथवा विपक्ष में।

धन-विधेयक प्रस्तुत करने तथा उस पर विचार करने का अधिकार केवल विधान सभा को ही है। विधान परिषद् परिवर्तन के लिए केवल सुझाव ही दे सकती है। विधान सभा उसे स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के लिए स्वतन्त्र होती है।

विधानमण्डल की कार्यवाही सुगमतापूर्वक चलाने के लिए राज्यीय विधानमण्डलों में भी उनकी अपनी समितियाँ होती हैं।

विधेयक को रोके रखना

राज्यीय विधानमण्डल द्वारा पास किया गया कोई भी विधेयक उस समय तक कानून का रूप नहीं ले सकता जब तक उसे राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त न हो जाए। स्वीकृति देने अथवा स्वीकृति रोके रखने के अलावा राज्यपाल कुछ विधेयकों को, उन पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा विचार किए जाने के लिए भी, रोके रख सकता है।

कार्यपालिका पर नियन्त्रण

कार्यपालिका पर वित्तीय नियन्त्रण रखने के अधिकार का उपयोग करने के अलावा राज्यीय विधानमण्डलों में कार्य-संचालन की सभी सामान्य संसदीय पद्धतियाँ ही उपयोग में आती हैं। इस प्रकार राज्य का विधानमण्डल कार्यपालिका के नित्यप्रति के कार्य-संचालन पर निगरानी रखता है। इसकी अपनी 'प्राक्कलन तथा लेखा समितियाँ' भी होती हैं।

—:o:—

पाँचवाँ अध्याय

कार्यपालिका

केन्द्र

भारत गणराज्य का प्रधान राष्ट्रपति होता है। संघ की सम्पूर्ण कार्यपालिका-शक्ति जिसमें प्रतिरक्षा सेवाओं का सर्वोच्च सेनापतित्व भी सम्मिलित है, राष्ट्रपति में निहित है। सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता में एक मन्त्रिपरिषद् राष्ट्रपति को उनके कार्यपालन में परामर्श तथा सहायता देती है।

मन्त्रिपरिषद् में तीन प्रकार के मन्त्री होते हैं : (१) मन्त्री जो मन्त्रिमण्डल के सदस्य होते हैं, (२) राज्य-मन्त्री जो मन्त्रिमण्डल के सदस्य तो नहीं होते किन्तु मन्त्रिमण्डल के मन्त्रियों के पद के होते हैं, तथा (३) उपमन्त्री।

१ मई, १६५६ को केन्द्रीय सरकार की स्थिति इस प्रकार थी :

राष्ट्रपति :	राजेन्द्र प्रसाद
उपराष्ट्रपति :	एस० राधाकृष्णन

	मन्त्रिमण्डल के सदस्य	*विभाग*
१.	जवाहरलाल नेहरू	प्रधान मन्त्री, वैदेशिक मामले तथा आणविक शक्ति विभाग
२.	गोविन्द बल्लभ पन्त	आन्तरिक मामले
३.	मोरारजी रणछोड़जी देसाई	वित्त
४.	जगजीवन राम	रेल
५.	गुलजारीलाल नन्दा	श्रम, नियोजन तथा योजना
६.	लालबहादुर शास्त्री	वाणिज्य तथा उद्योग
७.	स्वरन सिंह	इस्पात, खान तथा ईंधन
८.	के० सी० रेड्डी	निर्माणकार्य, आवास तथा सम्भरण
६.	अजितप्रसाद जैन	खाद्य तथा कृषि
१०.	वी० के० कृष्ण मेनन	प्रतिरक्षा
११.	एस० के० पाटील	परिवहन तथा संचार-साधन

१२. हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम — सिंचाई तथा विद्युत्
१३. अशोक कुमार सेन — विधि

राज्य-मन्त्री

१४. सत्यनारायण सिन्हा — संसदीय मामले
१५. बालकृष्ण विश्वनाथ केसकर — सूचना तथा प्रसारण
१६. डी० पी० करमरकर — स्वास्थ्य
१७. पंजाबराव एस० देशमुख — कृषि
१८. केशवदेव मालवीय — खान तथा तेल
१६. मेहरचन्द खन्ना — पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक मामले
२०. नित्यानन्द कानूनगो — वाणिज्य
२१. राज बहादुर — परिवहन तथा संचार-साधन
२२. बलवन्त नागेश दातार — आन्तरिक मामले
२३. मनहरलाल मनसुखलाल शाह — उद्योग
२४. सुरेन्द्र कुमार दे — सामुदायिक विकास तथा सहकारिता
२५. कालूलाल श्रीमाली — शिक्षा
२६. हुमायूं कबीर — वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक मामले
२७. बी० गोपाल रेड्डी — राजस्व तथा असैनिक व्यय

उप-मन्त्री

२८. सुरजीतसिंह मजीठिया — प्रतिरक्षा
२६. आबिद अली — श्रम
३०. अनिल कुमार चन्द — निर्माणकार्य, आवास तथा सम्भरण
३१. एम० वी० कृष्णप्प — कृषि
३२. जय सुख लाल हाथी — सिंचाई तथा विद्युत्
३३. सतीश चन्द्र — वाणिज्य तथा उद्योग
३४. श्यामनन्दन मिश्र — योजना
३५. बलीराम भगत — वित्त
३६. मनमोहन दास — वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक मामले
३७. शाहनवाज़ खाँ — रेल
३८. लक्ष्मी एन० मेनन, श्रीमती — वैदेशिक मामले
३६. वायलेट अल्वा, श्रीमती — आन्तरिक मामले
४०. के० रघुरामय्य — प्रतिरक्षा
४१. ए० एम० तोमस — खाद्य तथा कृषि
४२. आर० एम० हाजरनवीस — विधि
४३. एस० वी० रामस्वामी — रेल

४४.	अहमद मुहिउद्दीन	असैनिक उड्डयन
४५.	तारकेश्वरी सिन्हा, श्रीमती	वित्त
४६.	पी० एस० नस्कर	पुनर्वास
४७.	बी० एस० मूर्ति	सामुदायिक विकास तथा सहकारिता

संसदीय सचिव

मन्त्रियों को संसदीय कार्य में सहायता देने के लिए कई मन्त्रालयों में संसदीय सचिव भी हैं। १ मई, १९५९ को इनकी स्थिति इस प्रकार थी —

१.	सादत अली खाँ	वैदेशिक मामले
२.	जोगेन्द्रनाथ हज़ारिका	वैदेशिक मामले
३.	जी० राजगोपालन	सूचना तथा प्रसारण
४.	ललितनारायण मिश्र	श्रम, नियोजन तथा योजना
५.	फतेहसिंह राव प्रतापसिंह राव गायकवाड़	प्रतिरक्षा
६.	आनन्द चन्द्र जोशी	सूचना तथा प्रसारण
७.	गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा	इस्पात, खान तथा ईंधन
८.	श्याम धर मिश्र	सामुदायिक विकास तथा सहकारिता

प्रशासनिक संगठन

सरकारी कार्यवाही के बँटवारे का नियमन करने के लिए तत्सम्बन्धी नियम, संविधान के अनुच्छेद ७७ (३) के अन्तर्गत बनाए गए हैं। यह बँटवारा प्रधानमन्त्री की सलाह से राष्ट्रपति करता है और इसके अनुसार प्रत्येक मन्त्री का काम निर्धारित किया जाता है। मन्त्रियों की सहायता के लिए कभी-कभी उपमन्त्री भी नियुक्त किए जाते हैं।

मन्त्रालय का प्रशासनिक प्रधान, सरकार का सचिव होता है। वह अपने मन्त्रालय के प्रशासन तथा नीति सम्बन्धी सभी मामलों के सम्बन्ध में मन्त्री का मुख्य सलाहकार होता है। जब किसी मन्त्रालय का काम इतना अधिक हो जाता है कि उसे अकेला सचिव नहीं निपटा सकता, तब सुगमता की दृष्टि से संयुक्त सचिव के नियन्त्रण में एक अथवा अधिक विभाग स्थापित किए जा सकते हैं। प्रत्येक मन्त्रालय विभागों, शाखाओं तथा अनुभागों में विभाजित होता है जिनका कार्य-संचालन क्रमशः उपसचिवों, अवर सचिवों तथा अनुभागाधिकारियों के अधीन होता है।

डा० पाल एच० एपिलबी की सिफारिश पर मार्च, १९५४ में स्थापित 'संगठन तथा प्रक्रिया विभाग' (आर्गेनाइज़ेशन एण्ड मेथड्स डिवीज़न) का मुख्य कार्य, संगठन सम्बन्धी जानकारी तथा अनुभव प्राप्त करना और उनके सम्बन्ध में सूचना देना है। इस विभाग ने पिछले दिनों सुधार करने के जो प्रयास किए, उनमें से कुछ ये हैं—सभी प्रकार के अधिकारियों में कार्यकुशलता की भावना पैदा करना, किसी भी मामले के निर्णय में बहुत अधिक

विलम्ब न होने देना, कार्य करने की उचित प्रणाली का प्रशिक्षण देना तथा अनुभागाधिकारियों द्वारा निर्णायक व्यक्तियों के पास मामलों का तुरन्त तथा सीधे भेजा जाना।

वेतन आयोग

भारत सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों आदि के बारे में जाँच-पड़ताल करने के लिए २१ अगस्त, १६५७ को एक जाँच आयोग नियुक्त किया। इस आयोग के सदस्य ये हैं :

अध्यक्ष : बी० जगन्नाथ दास

सदस्य : बी० बी० गान्धी, एन० के० सिद्धान्त, एम० एल० दाँतवाला, श्रीमती एम० चन्द्रशेखर, एल० पी० सिंह (सदस्य-सचिव) तथा एच० एफ० बी० पैस (सहायक सचिव)

१४ दिसम्बर, १६५७ के अपने अन्तरिम प्रतिवेदन में आयोग ने केन्द्रीय सरकार के उन सभी कर्मचारियों (कुछ अपवादों को छोड़कर) के मँहगाई भत्तों में १ जुलाई, १६५७ से ५ रुपये प्रति मास की वृद्धि करने की सिफारिश की जिनका वेतन २५० रु० प्रति मास से अधिक नहीं है। सरकार ने यह सिफारिश स्वीकार भी कर ली है।

राज्य

केन्द्र की भाँति राज्यों में भी संसदीय प्रणाली की उत्तरदायी सरकार हैं। प्रत्येक राज्य का सांवैधानिक प्रधान 'राज्यपाल' होता है। राज्य के सभी कार्यपालक कार्य राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। पद की शपथ-ग्रहण के बाद राज्यपाल का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह संविधान तथा कानून का यथाशक्ति संरक्षण करे, सचाई के साथ उनका पालन करे और लोगों के कल्याण तथा सेवा में अपना जीवन लगा दे।

राज्यपाल को जो अधिक महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं, उनमें से कुछ ये हैं : राज्य के मन्त्रियों की नियुक्ति करना, उनके बीच सरकारी कामकाज का बँटवारा करना, राज्यीय विधानमण्डल की बैठक बुलाना तथा स्थगित करना और विधान सभा को भंग करना आदि। कुछ विशेष परिस्थितियों में पास किए गए विधेयकों को छोड़ कर राज्यीय विधानमण्डल द्वारा पास किए जाने वाले शेष सभी विधेयकों को कानून का रूप देने के लिए उन पर राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है।

संगठनात्मक रूप

राज्य के सभी कार्यपालक कार्य यद्यपि राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं, तथापि राज्य की वास्तविक कार्यपालिका 'मन्त्रिपरिषद्' होती है जिसकी अध्यक्षता मुख्यमन्त्री करता है। मुख्यमन्त्री का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह राज्यपाल को राज्यीय मामलों के प्रशासन सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद् के सभी निर्णयों से अवगत कराता रहे और जो जानकारी वह चाहे, वह जानकारी भी उसे दे।

सरकारी कार्य-संचालन

केन्द्र की भाँति राज्यों के मन्त्रियों के बीच भी विभागों के आधार पर कार्य-विभाजन किया जाता है। प्रत्येक मन्त्री संविधान के अनुच्छेद १६६ (३) के अधीन राज्यपाल द्वारा उसके मन्त्रालय को सौंपे गए नित्य-प्रति के कार्य के लिए अन्तिम रूप से उत्तरदायी होता है। केवल नीति विषयक मामले तथा वे मामले जिनका सम्बन्ध एक से अधिक मन्त्रालयों से है अथवा जिनके सम्बन्ध में उनके बीच मतभेद पाया जाता है, मन्त्रिमण्डल अथवा मन्त्रिपरिषद् के सम्मुख उपस्थित किए जाते हैं। केन्द्रीय सरकार के मन्त्रालयों की भाँति राज्यीय मन्त्रालयों में भी सचिव होते हैं। राज्यों में मुख्य सचिवों की भी व्यवस्था है। राज्यों के सचिवालयों का कामकाज भी बहुत कुछ केन्द्रीय सचिवालय जैसा ही होता है।

सचिवों के अतिरिक्त राज्यीय मन्त्रालयों के अधीन विभाग-अध्यक्ष भी होते हैं जिनकी संख्या राज्य द्वारा प्रशासित महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित होती है।

प्रशासनिक एकक

प्रशासन के मुख्य एकक 'जिला' होते हैं जिनके अधिकारी कलक्टर तथा जिलाधीश होते हैं। कलक्टर, डिवीजन के प्रधान 'कमिश्नर' अथवा राजस्व मण्डल (बोर्ड ऑफ रेवन्यू) के प्रति और इसके द्वारा राजस्व का संग्रह करने तथा प्रशासन के लिए सरकार के प्रति उत्तरदायी होता है। जिलाधीश के रूप में वह जिले में शान्ति तथा व्यवस्था बनाए रखने और उसके दण्ड-प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता है। इस कार्य के लिए जिले में कलक्टर के अधीन एक पुलिस विभाग होता है जिसका प्रधान अधिकारी 'पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट' होता है। एसिस्टेण्ट अथवा डिप्टी कलक्टरों और मजिस्ट्रेटों के अतिरिक्त उसकी सहायता के लिए एक्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर तथा वन-अधिकारी जैसे अन्य कई जिला अधिकारी और होते हैं।

कुछ राज्यों में जिला कई सब-डिवीजनों में बँटा हुआ होता है जो उप-जिलाधीशों के अधीन होते हैं। अन्य राज्यों में जिला ताल्लुकों अथवा तहसीलों में बँटा हुआ होता है जो तहसीलदारों अथवा मामलातदारों के अधीन होती हैं।

विभिन्न विकास विभागों के कार्यालय-मन्त्रियों की एक अन्तर्विभागीय समिति के माध्यम से राज्य के मुख्यालयों के विकास कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित किया जाता है। मुख्य सचिव अथवा आयोजन विभाग का सचिव इस समिति का अध्यक्ष होता है। अधिकांश राज्यों में 'राज्यीय योजना मण्डल' स्थापित किए जा चुके हैं जिनसे प्रमुख गैर-सरकारी व्यक्ति भी सम्बन्धित रहते हैं।

स्वायत्त शासन

स्थानीय निकाय मोटे तौर पर दो प्रकार के हैं : शहरी तथा ग्रामीण। बड़े नगरों में इन निकायों को निगम और मध्यम तथा छोटे नगरों में इनको नगरपालिका समितियाँ

अथवा नगरपालिका मण्डल कहा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों की असैनिक आवश्यकताओं की देखभाल जिला मण्डल अथवा ताल्लुक मण्डल तथा ग्राम पंचायतें करती हैं।

निगम

नगर निगमों के अध्यक्ष 'महापौर' कहलाते हैं जो निगम के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। निगम के प्रशासन का कार्य उसकी तीन समितियाँ करती हैं। निगम की कार्यपालिका-शक्ति कमिश्नर में निहित होती है जो विभिन्न संस्थाओं के कर्तव्य का निश्चय करता तथा उनके काम की देखभाल करता है।

नगरपालिका समितियाँ तथा मण्डल

निर्वाचित अध्यक्षों से युक्त नगरपालिकाओं का कार्य-संचालन भी समितियों के द्वारा होता है। इनके नित्य-प्रति के कार्य का संचालन एक कार्यपालक अधिकारी करता है।

सामान्यतः ये नगरपालिकाएँ सड़कों की सफाई तथा बस्ती को साफ-सुथरी रखने का कार्य करती हैं। इसके अतिरिक्त ये श्मशानघाट की व्यवस्था, सार्वजनिक सड़कों, टट्टियों तथा नालियों, प्राथमिक शिक्षा आदि की भी व्यवस्था करती हैं।

हाल के कुछ वर्षों में कई बड़े नगरों की देखभाल तथा उनके विस्तार के नियमन के लिए 'सुधार न्यास तथा नगर योजना निकाय' (इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्ट एण्ड टाउन प्लानिंग बाडीज़) स्थापित किए जा चुके हैं। १९५६ में संसद् ने 'गन्दी बस्ती (सुधार तथा सफाई) अधिनियम' पास किया।

जिला मण्डल

जिला मण्डलों का मुख्य कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था करना, सड़कें बनाना तथा उन्हें ठीक-ठाक रखना और सार्वजनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी उपाय करना है। इनके अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष मण्डलों के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। इनका कार्य भी समितियों के माध्यम से होता है।

सभी गाँवों में ग्राम पंचायतें स्थापित करने की स्वीकृत नीति तथा सब-डिवीज़न अथवा खण्ड स्तर पर प्रस्तावित पंचायत समितियाँ स्थापित करने की दृष्टि से आजकल जिला मण्डल उस रूप में स्थापित न करने का विचार किया जा रहा है जिस रूप में वे आज हैं। उत्तर प्रदेश में इस सम्बन्ध में नया कानून बनाए जाने तक के लिए इनके स्थान पर अन्तरिम जिला परिषदें स्थापित की जा चुकी हैं। बिहार तथा मद्रास में सभी जिला मण्डल, राज्य सरकारों के अधीन विशेष अधिकारियों के नियन्त्रण में कर दिए गए हैं।

ग्राम पंचायत

संविधान की राज्य-नीति के एक निदेशक तत्व के अनुसार राज्य का यह कर्तव्य है कि वह ग्राम पंचायतों का संगठन करे तथा उन्हें स्वायत्त शासन के एककों के रूप में कार्य करने के लिए समुचित अधिकार दे। इसके अनुसार अधिकांश राज्यों में आवश्यक

कानून पास किए जा चुके हैं तथा अब देश के आधे से अधिक गाँवों में ग्राम पंचायतें स्थापित की जा चुकी हैं।

पंचायतें, गाँव सभाओं द्वारा चुनी जाती हैं। गाँव सभाओं में गाँव के सभी वयस्क व्यक्ति होते हैं। ये पंचायतें ग्रामीणों के लिए नागरिक तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करती हैं। कुछ स्थानों की पंचायतें प्राथमिक शिक्षा आदि की भी व्यवस्था करती हैं।

मई, १९५८ में माउण्ट आबू में हुए 'राष्ट्रीय सामुदायिक विकास सम्मेलन' में पंचायत प्रशासन को राज्य के मुख्यालयों से लेकर गाँवों के स्तर तक के विकास आयुक्तों के संगठन के साथ सम्बद्ध कर देने की सिफारिश की गई।

इनके अतिरिक्त गाँवों में न्याय पंचायतें भी होती हैं जो छोटे-मोटे अपराधों का निर्णय करती हैं। इन पंचायतों में वकीलों को पैरवी करने की अनुमति नहीं दी गई है।

वित्त

आजकल स्थानीय वित्त के साधन ये हैं : (१) स्थानीय निकायों द्वारा लगाए जाने वाले कर, (२) स्थानीय निकायों द्वारा लगाए जाने वाले तथा उनकी ओर से राज्य सरकारों द्वारा वसूल किए जाने वाले कर, (३) राज्य सरकारों द्वारा लगाए तथा वसूल किए जाने वाले करों में हिस्सा, (४) राज्य सरकारों द्वारा दिए जाने वाले सहायता-अनुदान तथा (५) कर-भिन्न स्रोतों से होने वाली आय।

१९४९ में नियुक्त 'स्थानीय वित्त जाँच समिति' ने इस बात पर बल दिया कि स्थानीय निकायों के वित्त की व्यवस्था के लिए कुछ प्रकार के कर उनके लिए सुरक्षित रखे जाने चाहिएँ।

१९५३ में नियुक्त 'कर जाँच आयोग' का विचार यह था कि स्थानीय वित्त के संग्रह के लिए स्थानीय तथा सीधे कर ही सबसे अच्छे साधन हैं। आयोग ने ऋणों तथा सहायता के रूप में राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय सहायता दिए जाने की भी सिफारिश की।

सार्वजनिक सेवाएँ

केन्द्रीय लोक सेवा आयोग

केन्द्रीय लोक सेवा आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद ३१५ (१) के अन्तर्गत नियुक्त एक स्वतन्त्र अनुविहित संस्था है। इसके अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसके आधे सदस्य ऐसे व्यक्ति होने चाहिएँ जो नियुक्ति के समय तक भारत सरकार अथवा राज्य सरकारों के पदों पर कम से कम दस वर्ष रह चुके हों। आयोग के सदस्य अपने पद पर ६५ वर्ष की आयु तक अथवा ६ वर्ष की अवधि तक रह सकते हैं। राष्ट्रपति, आयोग के किसी सदस्य अथवा अध्यक्ष को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जाँच किए जाने के बाद दुराचरण के आधार पर ही पदच्युत कर सकता है।

केन्द्रीय लोक सेवा आयोग की स्वतन्त्रता को सुरक्षित बनाए रखने के लिए संविधान की एक व्यवस्था के अनुसार इसका अध्यक्ष, भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार का कोई अन्य सरकारी पद स्वीकार नहीं कर सकता। अध्यक्ष के अतिरिक्त केन्द्रीय आयोग का अन्य कोई भी सदस्य इस आयोग अथवा किसी भी राज्यीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष-पद पर नियुक्त होने का अधिकारी होता है, परन्तु वह किसी अन्य सरकारी पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता।

१ मई, १९५९ को केन्द्रीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य निम्न थे :

अध्यक्ष :	वी० एस० हेजमदी
सदस्य :	जे० शिवशण्मुखम पिल्ले
	सी० वी० महाजन
	पी० एल० वर्मा
	एस० एच० ज़हीर
	जी० एस० महाजनी
	ए० टी० सेन

कार्य

संविधान के अनुच्छेद ३२० की व्यवस्था के अनुसार आयोग (क) लिखित एवं मौखिक परीक्षाओं और पदोन्नति के द्वारा केन्द्रीय सरकार की सभी असैनिक सेवाओं तथा अन्य पदों पर नियुक्तियाँ करता है तथा (ख) इन नियुक्तियों के सम्बन्ध में सरकार को परामर्श देता है। सरकारी कर्मचारियों में अनुशासन विषयक कार्यवाही करना, सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई हर्जाने की माँग पर सम्मति प्रकट करना आदि कार्य भी इसके अधिकार के अन्तर्गत आते हैं। ऐसे मामलों में सरकार के लिए आयोग से परामर्श लेना आवश्यक है। राष्ट्रपति विनियमों की रचना करके ऐसे मामले (विषय) भी निर्धारित कर सकता है जिनके सम्बन्ध में साधारणतः अथवा किसी विशेष परिस्थिति में भी सरकार के लिए आयोग से परामर्श लेना आवश्यक नहीं होगा। ये विनियम संसद् के समक्ष रखे जाने आवश्यक हैं। संविधान के अनुच्छेद ३२१ में बताया गया है कि संसद् द्वारा निर्मित कानून में केन्द्रीय लोक सेवा आयोग के लिए अतिरिक्त कार्यों की भी व्यवस्था की जा सकती है।

केन्द्रीय लोक सेवा आयोग राष्ट्रपति को अपनी कार्यवाही का वार्षिक प्रतिवेदन देता है और राष्ट्रपति उसे संसद् के समक्ष प्रस्तुत करता है।

अखिल भारतीय तथा केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती के लिए आयोग ने प्रतियोगिता-परीक्षाओं के स्तर तथा पाठ्यक्रम, भारत सरकार के मन्त्रालयों तथा प्रतिष्ठित शिक्षा-शास्त्रियों के साथ परामर्श करके निर्धारित किए हैं। इन सेवाओं की प्रतियोगिता-परीक्षाओं में बैठने वाले प्रत्याशियों को लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के साथ-साथ मौखिक परीक्षा भी देनी होती है।

आयोग को उन कई विशेष पदों पर सीधी नियुक्तियाँ करनी पड़ती हैं जिनकी पूर्ति पहले से नियुक्त कर्मचारियों की पदोन्नति-मात्र से ही नहीं की जा सकती।

केन्द्रीय लोक सेवा आयोग के परामर्श से सरकार द्वारा किए गए इस निर्णय के फलस्वरूप कि प्रतिरक्षा सेवाओं के उन अधिकारियों को जो हाल ही में अवकाश प्राप्त कर चुके हैं अथवा अवकाश प्राप्त करने वाले हैं, असैनिक पदों पर नियुक्त किया जाए, असैनिक सेवाओं में भर्ती का एक नया मार्ग खुल गया है।

अखिल भारतीय सेवाएँ

केन्द्रीय लोक सेवा आयोग 'भारतीय प्रशासनिक सेवा' तथा 'भारतीय पुलिस सेवा' और अन्य केन्द्रीय सेवाओं में नियुक्तियाँ करने का कार्य करता है। केन्द्रीय सरकार की सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का नियमन संसद् के अधिनियमों द्वारा होता है। 'अखिल भारतीय सेवाएँ अधिनियम' अक्तूबर, १६५१ में संसद् द्वारा पास हुआ था।

अनुच्छेद ३११ के अन्तर्गत केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी अखिल भारतीय सेवा अथवा असैनिक सेवा के पद पर नियुक्त कोई भी कर्मचारी किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा बर्खास्त अथवा पदच्युत नहीं किया जा सकता जो उसे नियुक्त करने वाले प्राधिकारी के अधीन हो।

प्रशिक्षण

दोनों अखिल भारतीय सेवाओं के अपने-अपने प्रशिक्षण केन्द्र हैं: दिल्ली का 'भारतीय प्रशासनिक सेवा स्कूल' तथा आबू का 'केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण कालेज'।

६-१० वर्षों तक कार्य कर चुकने वाले 'भारतीय प्रशासनिक सेवा' के अधिकारियों को शिमला-स्थित 'भारतीय प्रशासनिक सेवा कर्मचारी कालेज' में प्रत्यास्मरणीय प्रशिक्षण दिया जाता है। आबू के 'केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण कालेज' में पुलिस अधिकारियों को कर्त्तव्य तथा दायित्व सम्बन्धी शिक्षण के अतिरिक्त सैनिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा

केन्द्रीय सचिवालय तथा इससे सम्बद्ध कार्यालयों के पदों के लिए उपयुक्त कर्मचारियों की व्यवस्था करने के उद्देश्य से १६५० में 'केन्द्रीय सचिवालय सेवा' आरम्भ की गई। आरम्भ में यह सेवा चार श्रेणियों में बँटी हुई थी: प्रथम श्रेणी—अवर सचिव अथवा उसके समाधिकारी; द्वितीय श्रेणी—अधीक्षक (सुपरिण्टेण्डेण्ट); तृतीय श्रेणी—सहायक अधीक्षक तथा चतुर्थ श्रेणी—एसिस्टेण्ट। इसके बाद इसमें 'चुनाव श्रेणी' के नाम से एक नयी श्रेणी और सम्मिलित कर दी गई जिसमें भारत सरकार के उपसचिव तथा उसके समान पद पर नियुक्त किए जाने वाले अधिकारी आते हैं।

केन्द्रीय प्रशासनिक संघ

भारत सरकार ने राज्य सरकारों के परामर्श से केन्द्र के उच्च पदों पर नियुक्तियाँ करने के लिए अक्तूबर, १९५७ में अधिकारियों का एक प्रशासनिक संघ बनाया। इसका उद्देश्य आर्थिक प्रशासन तथा सामान्य प्रशासन के लिए प्रशिक्षित और अनुभवी अधिकारियों का एक दल, भविष्य के लिए सुरक्षित रखना है।

औद्योगिक प्रबन्ध संघ

केन्द्रीय मन्त्रालयों के अधीन सार्वजनिक उद्यमों के प्रबन्ध तथा व्यवस्था सम्बन्धी उच्च पदों पर नियुक्तियाँ करने में सुगमता की दृष्टि से भारत सरकार ने नवम्बर, १९५७ में एक 'औद्योगिक प्रबन्ध संघ' की भी स्थापना की।

राज्यीय सेवाएँ

राज्यों के आधार पर ही संगठित की जाने वाली 'भारतीय प्रशासनिक सेवा' तथा 'भारतीय पुलिस सेवा' के अतिरिक्त राज्यों की अपनी-अपनी अलग असैनिक सेवाएँ भी हैं जो उनके शासन-क्षेत्र सम्बन्धी विषयों के प्रशासन का कार्य करती हैं। केन्द्रीय लोक सेवा आयोग की भाँति राज्यों में भी राज्यीय लोक सेवा आयोग हैं जो अपनी-अपनी असैनिक सेवाओं के लिए कर्मचारी नियुक्त करते हैं।

'राज्यीय असैनिक सेवा' की कार्यकारिणी शाखा, राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अन्य दो महत्वपूर्ण शाखाएँ हैं—'राज्यीय पुलिस सेवा' तथा 'राज्यीय न्यायपालिका सेवा'।

—:o:—

छठा अध्याय

न्यायपालिका

१६५० में भारत द्वारा संघात्मक संविधान स्वीकार कर लिए जाने से देश के न्यायालयों के ढाँचे में, जो अंग्रेज़ी शासन के एक शताब्दी से अधिक समय के अत्यन्त केन्द्रित प्रशासन के फलस्वरूप तैयार हुआ था, कोई परिवर्तन नहीं आया। अनुच्छेद ३७२ की व्यवस्था के अनुसार 'भारत सरकार अधिनियम, १६३५', तथा 'भारतीय स्वाधीनता अधिनियम, १६४७' को छोड़कर अन्य वे सभी कानून जो संविधान लागू होने के तुरन्त पूर्व जारी थे, उस समय तक जारी रहेंगे जब तक वे किसी सक्षम विधानमण्डल अथवा प्राधिकारी द्वारा रद्द, परिवर्तित अथवा संशोधित नहीं किए जाते। अनुच्छेद ३७५ में इस बात की व्यवस्था की गई है कि देश भर के दीवानी, फौजदारी तथा राजस्व सम्बन्धी न्यायाधिकारक्षेत्र के सभी न्यायालय, सभी प्राधिकारी और न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा मन्त्रिमण्डल सम्बन्धी सभी अधिकारी अपना-अपना काम संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार करते रहेंगे।

सर्वोच्च न्यायालय

भारत सरकार का सर्वोच्च न्यायालय सम्पूर्ण देश की न्याय-प्रणाली का सबसे ऊँचा न्यायालय है। जहाँ तक अपील सुनने के अधिकार का प्रश्न है, संविधान के द्वारा इसको अन्य सभी न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणों से अधिक अधिकार प्राप्त हैं। उच्च न्यायालयों के संगठन को, जिसमें उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा पदच्युति सम्मिलित है, केन्द्र का विषय बनाकर इसकी स्थिति और भी सुदृढ़ कर दी गई है। यह संविधान के अभिभावक के रूप में कार्य करता है और उसकी व्याख्या करता है। इसको नागरिकों की स्वतन्त्रता के संरक्षक के रूप में भी कार्य करना होता है।

१ मई, १६५६ को इस न्यायालय में जो न्यायाधीश थे, उनकी स्थिति इस प्रकार थी :

मुख्य न्यायाधिपति :	सुधिरंजन दास
न्यायाधीश :	एन० एच० भगवती
	भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा
	सैयद जफर इमाम
	एस० के० दास
	जे० एल० कपूर

प्राप्त करने पर अथवा उसी उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रमाणित ठहराए जाने पर कि अमुक मामले की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, सर्वोच्च न्यायालय अपील सुन सकता है । फौजदारी वाले मामलों में सर्वोच्च न्यायालयों में अपील करने के अधिकार की व्यवस्था की गई है बशर्ते कि उच्च न्यायालय (क) अभियुक्त को मुक्त करने के आदेश को रद्द करके उसे मृत्यु-दण्ड दे दे, (ख) किसी मामले को किसी अधीनस्थ न्यायालय से अपने हाथों में ले ले और अभियुक्त को मृत्यु-दण्ड दे दे, अथवा (ग) यह प्रमाणित कर दे कि इस मामले के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

इसके अतिरिक्त भारत के सभी न्यायालय तथा न्यायाधिकरण सर्वोच्च न्यायालय के अपील सुनने के व्यापक न्यायाधिकारक्षेत्र के अन्तर्गत आ जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय भारत के किसी भी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण द्वारा किसी भी मामले में दिए गए निर्णय, डिग्री, दण्ड अथवा आदेश पर अपील करने की विशेष अनुमति दे सकता है। इसको संविधान के अनुच्छेद १४३ के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से सौंपे गए मामलों में भी परामर्श देने का विशेष अधिकार प्राप्त है।

न्यायालय का कार्य-संचालन

सर्वोच्च न्यायालय को कार्य-संचालन के लिए अपने निज के नियम बनाने का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद १४५ के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय किसी मामले को निपटाने के लिए आवश्यक न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या निर्धारित कर सकता है और एक न्यायाधीश वाली तथा डिवीजन न्यायालयों के लिए अधिकारों की व्यवस्था कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय जो सदा खुली अदालत में ही दिए जाने चाहिएँ, उपस्थित न्यायाधीशों के बहुमत की सहमति से किए जाते हैं। इस बहुमत से सहमत न होने वाला न्यायाधीश अपना विसहमति-निर्णय दे सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय में मामले, व्यक्तिगत रूप से किसी भी पक्ष द्वारा अथवा उनके वकीलों द्वारा उपस्थित किए जा सकते हैं।

१९५८ के अन्त में सर्वोच्च न्यायालय में लगभग २,४५५ वकील पंजीकृत थे।

विधि आयोग

समय-समय पर संसद् में तथा बाहर दिए गए सुझावों के अनुसार भारत सरकार ने ५ अगस्त, १९५५ को लोकसभा में भारत के महान्यायवादी श्री एम० सी० सीतलवाद की अध्यक्षता में एक विधि आयोग की नियुक्ति की घोषणा की ।

इस आयोग के समक्ष दो कर्त्तव्य थे : न्याय-प्रणाली की समीक्षा करना तथा इसे सुधारने के उपाय सुझाना; और सामान्य केन्द्रीय अधिनियमों की जाँच करके उनके संशोधन आदि के लिए उपाय सुझाना।

१६ सितम्बर, १९५५ की अपनी प्रारम्भिक बैठक के पश्चात् आयोग ने अपना कार्य दो विभागों द्वारा करना आरम्भ किया। पहले विभाग ने न्याय-प्रशासन में सुधार करने की समस्या को हाथ में लिया। इस विभाग ने ३० सितम्बर, १९५८ को सरकार को अपना प्रतिवेदन दे दिया।

विधि आयोग के दूसरे विभाग का सम्बन्ध मुख्यतः अनुविहित कानूनों के पुनरीक्षण से है। इसी अवधि में आयोग ने निम्न तेरह प्रतिवेदन सरकार को दिए (१) राज्य का उत्तरदायित्व, (२) बिक्री कर सम्बन्धी संसदीय विधान, (३) परिसीमन अधिनियम, १९०८, (४) राज्य के विभिन्न स्थानों में उच्च न्यायालय की बेंचों के बैठने से सम्बन्धित प्रस्ताव, (५) भारत में लागू हो सकने वाले ब्रिटिश कानून, (६) पंजीयन अधिनियम, १९०८, (७) साझेदारी अधिनियम, १९३२, (८) सामान बिक्री अधिनियम, १९३०, (९) विशेष सहायता अधिनियम, १८७७, (१०) भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४, (११) हस्तान्तरणीय विलेख अधिनियम, १८८१, (१२) आयकर अधिनियम, १९२२ तथा (१३) ठेका अधिनियम १८७२।

उच्च न्यायालय

प्रत्येक राज्य में न्याय-प्रशासन की सबसे बड़ी संस्था 'उच्च न्यायालय' है। इस समय देश में १४ उच्च न्यायालय हैं—असम (गोहाटी-१९४८), आन्ध्र प्रदेश (हैदराबाद-१९५४), इलाहाबाद (१९१९), उड़ीसा (कटक-१९४८), कलकत्ता (१८६१), केरल (एरणाकुलम-१९५६), जम्मू तथा कश्मीर (श्रीनगर-१९२८), पंजाब (चण्डीगढ़-१९४७), पटना (१९१६). बम्बई (१८६१), मद्रास (१८६१), मध्य प्रदेश (जबलपुर-१९५६), मैसूर (बंगलोर-१८८४) तथा राजस्थान (जोधपुर-१९४९)।

१९३७ में भारत के संघात्मक न्यायालय (फेडरल कोर्ट) की स्थापना होने तक इनमें कुछ न्यायालय देश के सबसे ऊँचे न्यायालय माने जाते थे। अनुच्छेद २१७ के अनुसार उच्च न्यायालयों के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधिपति से परामर्श करना होता है।

सामान्यतः प्रत्येक उच्च न्यायालय उस राज्य के प्रशासन का एक अंग माना जाता है जिस राज्य में वह स्थित हो, किन्तु राज्यीय विधानमण्डल को उच्च न्यायालय के संविधान अथवा संगठन में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार केवल संसद् को ही प्राप्त है। इसी प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संसद् ही पदच्युत कर सकती है।

अनुच्छेद २२५ के अनुसार उच्च न्यायालयों को उनके न्यायाधिकारक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सभी न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण का अधिकार है।

अनुच्छेद २२६ के अन्तर्गत प्रत्येक उच्च न्यायालय को संविधान के भाग ३ में दिए गए अधिकारों का प्रयोग करने अथवा किसी अन्य उद्देश्य के लिए उसके न्यायाधिकारक्षेत्र में आने वाले किसी भी व्यक्ति, प्राधिकारी अथवा सरकार के नाम निर्देश, आदेश अथवा

लेख (बन्दी प्रत्यक्षीकरण-लेख, परमादेश-लेख, प्रतिषेध-लेख, अधिकारपृच्छा-लेख तथा उत्प्रषण-लेख, सभी अथवा इनमें से कोई एक) जारी करने का अधिकार है।

अधीनस्थ न्यायालय

जिला न्यायाधीश, जो मुख्य दीवानी न्यायालयों में न्याय-प्रशासन का कार्य करते हैं, राज्य के राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से नियुक्त किए जाते हैं।

कुछ स्थानीय भिन्नता के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का ढाँचा तथा उनके कर्त्तव्य देश भर में बहुत-कुछ एक-से ही हैं। प्रत्येक राज्य कई जिलों में बँटा होता है जो जिला-न्यायाधीश की अध्यक्षता में प्रमुख दीवानी न्यायालय के न्यायाधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं।

दण्ड-न्याय के प्रशासन तथा दण्ड-न्यायालयों की रचना आदि का नियमन समय-समय पर संशोधित तथा परिवर्तित की जाने वाली 'दण्ड प्रक्रिया संहिता' के अनुसार होता है।

कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलग किया जाना

कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने से सम्बन्धित निदेशक तत्व (अनुच्छेद ५०) के अनुसार असम, बम्बई, मद्रास तथा मध्य प्रदेश के राज्यों में पूर्ण रूप से सुधार किया जा चुका है। आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, पंजाब, बिहार तथा राजस्थान में आंशिक रूप से सुधार किए गए हैं।

—:०:—

सातवाँ अध्याय

प्रतिरक्षा

सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापतित्व भारत के राष्ट्रपति में निहित है। उनके प्रशासनिक तथा संकार्य (आपरेशनल) नियन्त्रण का उत्तरदायित्व प्रतिरक्षा मन्त्रालय तथा सेना की तीनों शाखाओं के मुख्यालयों पर है। प्रतिरक्षा मन्त्रालय का मुख्य कार्य इस बात का निश्चय करना है कि सेना की तीनों शाखाओं की गतिविधियाँ तथा उनका विकास उचित और समन्वित ढंग से होता है; नीति विषयक जिन मामलों का निर्णय सरकार करती है, उनकी सूचना तीनों मुख्यालयों को दे दी जाती है और उन्हें कार्यान्वित किया जाता है तथा संसद् से प्रतिरक्षा सम्बन्धी व्यय के लिए आवश्यक वित्तीय स्वीकृति ले ली जाती है।

संगठन

सेना की तीनों शाखाओं के नियन्त्रण का सम्पूर्ण दायित्व यद्यपि प्रतिरक्षा मन्त्रालय पर है, तथापि उनका कार्य-संचालन सामान्यतः उनके अपने-अपने प्रधान सेनाध्यक्षों के नियन्त्रण में होता है। १ मई, १९५९ को इनके प्रधान सेनाध्यक्ष ये थे :

चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ :	जनरल के० एस० तिमय्य
चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ :	वाइस एडमिरल आर० डी० कटारी
चीफ ऑफ द एयर स्टाफ :	एयर मार्शल एस० मुखर्जी

स्थल-सेना

स्थल-सेना तीन कमानों में संगठित है—दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी। प्रत्येक कमान का मुख्य अधिकारी लेफ्टिनेण्ट जनरल के पद का एक 'जनरल आफिसर कमाण्डिंग-इन-चीफ' होता है। प्रत्येक कमान विभिन्न शाखाओं में बँटी हुई होती है और उनके अधिकारी मेजर जनरल के पद के 'जनरल आफिसर कमाण्डिंग' होते हैं। ये शाखाएँ भी उपशाखाओं में बँट जाती हैं और उनके अधिकारी 'ब्रिगेडियर' होते हैं।

स्थल-सेना का मुख्यालय, जो दिल्ली में है, 'चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ' के अधीन कार्य करता है। इसकी चार मुख्य शाखाएँ हैं जिनमें से प्रत्येक, लेफ्टिनेण्ट जनरल के पद के 'मुख्य स्टाफ अधिकारी' के अधीन काम करती है। ये शाखाएँ हैं—'जनरल स्टाफ शाखा', 'एड्जूटेण्ट जनरल शाखा', 'क्वार्टरमास्टर जनरल शाखा', 'आर्डनेन्स मास्टर जनरल शाखा'। 'इंजीनियर इन-चीफ शाखा' तथा 'सैनिक सचिव शाखा' एक-एक मेजर जनरल के

अधीन हैं। इन सभी शाखाओं का कार्य अलग-अलग है जैसे सैनिक गुप्तचर विभाग, सैनिक प्रशिक्षण, परिवहन, सैनिकों का चुनाव तथा इंजीनियरिंग आदि।

जल-सेना

जल-सेना के दिल्ली-स्थित मुख्यालय में 'चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ' चार मुख्य स्टाफ अधिकारियों की सहायता से कार्य करता है। इसके अधीन चार संकार्य तथा प्रशासनिक कमान हैं—एक समुद्र पर तथा तीन तट पर। ये कमान इस प्रकार हैं : (१) फ्लैग आफिसर कमाण्डिग, भारतीय जहाजी बेड़ा ; (२) फ्लैग आफिसर, बम्बई ; (३) कमोडोर-इन-चार्ज, कोचीन ; तथा (४) कमोडोर, पूर्वी तट, विशाखापटनम।

भारतीय जहाजी बेड़े में इस समय 'आई० एन० एस० मैसूर' (८,७०० टन) जो पहले 'एच० एम० एस० नाइजीरिया' कहलाता था, 'आई० एन० एस० दिल्ली' (७,०३० टन) और कई विध्वंसक तथा अन्य जहाज हैं।

वायु-सेना

'चीफ ऑफ द एयर स्टाफ' के कार्य-संचालन में उनकी सहायता तीन स्टाफ अधिकारी करते हैं जिनके नियन्त्रण में वायु-सेना के मुख्यालय की तीन मुख्य शाखाएँ हैं।

वायु-सेना के मुख्यालय के अधीन तीन बड़ी कमान हैं जो 'संकार्य कमान', 'प्रशिक्षण कमान' तथा 'धारण कमान' के रूप में क्रमशः पालम, बंगलोर तथा कानपुर में स्थित हैं।

संसद् द्वारा १९५२ में स्वीकृत 'सुरक्षित तथा सहायक वायु-सेना अधिनियम' के अनुसार सं० ५१ (दिल्ली), सं ५२ (बम्बई,) सं० ५३ (मद्रास) सं० ५४ (उत्तर प्रदेश) तथा सं ५५ (बंगाल) नामक ५ सहायक वायु-सेना टुकड़ियाँ स्थापित की जा चुकी हैं!

प्रशिक्षण संस्थान

राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादेमी

खडकवासला-स्थित 'राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादेमी' में प्रवेश पाने के लिए केन्द्रीय लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित लिखित और मौखिक परीक्षाएँ पास करनी होती हैं। ये परीक्षाएँ साल में दो बार तथा १५ से १७½ वर्ष की आयु के मैट्रिक पास प्रार्थी लड़कों की होती हैं। शिक्षार्थी अविवाहित होने चाहिएँ और वे अकादेमी के निवासकाल में भी विवाह नहीं कर सकते।

अकादेमी में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षार्थियों के लिए ३० रुपये मासिक जेब खर्च को छोड़कर अन्य सभी व्यय की व्यवस्था स्वयं सरकार करती है। जिन शिक्षार्थियों के अभिभावकों की मासिक आय ३०० रुपये से कम है, उनके जेब खर्च की भी व्यवस्था सरकार ही करती है।

खडकवासला का पाठ्यक्रम ३ वर्ष का है जिसके बाद सैन्यशिक्षार्थी अपने-अपने सैन्य सेवा स्कूलों में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।

प्रतिरक्षा सेवाएँ कर्मचारी कालेज

दक्षिण भारत के विलिंगटन-स्थित 'प्रतिरक्षा सेवाएँ कर्मचारी कालेज' में सेवारत अधिकारियों को अन्तर्सेना के आधार पर प्रशिक्षण दिया जाता है। इस कालेज में प्रति वर्ष सेना की तीनों शाखाओं के लगभग १०० अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

सशस्त्र सेना चिकित्सा कालेज

पूना-स्थित 'सशस्त्र सेना चिकित्सा कालेज' में नये राजादिष्ट चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के अतिरिक्त, सशस्त्र सेनाओं के चिकित्सा-अधिकारियों के लिए प्रत्यास्मरणीय पाठ्यक्रम की व्यवस्था है जिससे उनको उनके व्यवसाय के सम्बन्ध में नवीनतम जानकारी प्राप्त होती रहे।

स्थल-सेना के कालेज तथा स्कूल

देहरादून-स्थित सैनिक कालेज, स्थल-सेना के अधिकारियों के प्रशिक्षण का मुख्य केन्द्रों है। अकादेमी से उत्तीर्ण होकर निकलने वाले शिक्षार्थियों को सेना में नियुक्त किए जाने के पूर्व देहरादून में एक वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है। कालेज में प्रवेश पाने वाले अन्य शिक्षार्थी वे होते हैं जो 'केन्द्रीय लोक सेवा आयोग' तथा 'सेना चुनाव मण्डल' की प्रतियोगिता-प्रवेश-परीक्षा पास कर चुके होते हैं। सैनिक कालेज में शिक्षार्थियों को कठोर शरीरश्रमयुक्त प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे उन्हें सेना अधिकारियों के लिए आवश्यक आधारभूत ज्ञान प्राप्त हो जाए।

किर्की-स्थित 'सैनिक इंजीनियरिंग कालेज' में अधिकारियों तथा अन्य सैनिकों को सम्पूर्ण सैनिक इंजीनियरिंग का प्रशिक्षण दिया जाता है।

इनके अतिरिक्त स्थल-सेना के अन्य प्रशिक्षण केन्द्र हैं—मऊ का स्कूल ऑफ सिग्नल्स, देवलाली का स्कूल ऑफ आर्टिलरी, मऊ का इन्फैण्ट्री स्कूल, जबलपुर का आर्डनेन्स स्कूल तथा अहमदनगर का आर्मर्ड कोर सेण्टर तथा स्कूल।

जल-सेना के प्रशिक्षण केन्द्र

विशेष प्राविधिक पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षण को छोड़कर जल-सेना के सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों के प्रशिक्षण का कार्य कोचीन, बम्बई तथा विशाखापटनम-स्थित 'जल-सेना प्रशिक्षण केन्द्रों' में होता है।

कोचीन-स्थित 'आई० एन० एस० वेन्दुरुथि' तथा जल-सेना का विमान केन्द्र 'गरुड़' जल-सेना के मुख्य प्रशिक्षण केन्द्र हैं।

लोनावला (बम्बई) स्थित 'आई० एन० एस० शिवाजी' पर मेकेनिकल इंजीनियरों तथा आर्टिफिशियरों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

जल-सेना के जामनगर-स्थित इलेक्ट्रिकल स्कूल 'आई० एन० एस० वलसुरा पर बिजली सम्बन्धी कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है।

जल-सेना में भर्ती होने वाले नये रंगरूटों को विशाखापटनम-स्थित 'आई० एन० एस० सिरकार' पर प्रशिक्षण दिया जाता है।

वायु-सेना के कालेज तथा स्कूल

नौसिखिए विमानचालकों को जोधपुर के 'वायु-सेना फ्लाइंग कालेज' में एक वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे आगे का प्रशिक्षण हैदराबाद में दिया जाता है।

उड्डयन निर्देशकों को ताम्बरम-स्थित एक स्कूल में अलग से प्रशिक्षण दिया जाता है। कोयमुत्तूर-स्थित 'वायु-सेना प्रशासनिक कालेज' में वायु-सेना के प्रशासन-अधिकारियों को तथा बंगलोर में हाल ही में स्थापित 'उड्डयन चिकित्सा स्कूल' में चिकित्सा-अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

जलाहाली-स्थित 'वायु-सेना प्राविधिक कालेज' में इंजीनियरिंग अधिकारियों को प्रौद्योगिक इंजीनियरिंग आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है।

प्रतिरक्षा उत्पादन

सैन्य सामग्री तथा उपकरणों के उत्पादन और निरीक्षण, शोध तथा सेना की तीनों शाखाओं की विकास सम्बन्धी गतिविधियों के सम्बन्ध में एक समन्वित नीति तैयार करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने तीन वर्ष पूर्व एक 'प्रतिरक्षा उत्पादन मण्डल' स्थापित किया। प्रतिरक्षा मन्त्री इसके अध्यक्ष हैं। यह मण्डल सभी शस्त्रनिर्माणशालाओं (आर्डनेन्स फैक्टरीज़) के संचालन के लिए उत्तरदायी है।

सेना की तीनों शाखाओं के 'प्राविधिक विकास संगठनों' और 'प्रतिरक्षा विज्ञान संगठन' को मिला कर उत्पादन में वैज्ञानिक शोध को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से जनवरी, १९५८ में एक 'शोध तथा विकास संगठन' स्थापित किया गया। इसका 'उत्पादन तथा निरीक्षण संगठन' के साथ सीधा सम्बन्ध है जिसका मुख्य उद्देश्य सेना की तीनों शाखाओं के लिए आवश्यक सैन्य सामग्री के सम्बन्ध में पूर्ण स्वावलम्बन प्राप्त करना है।

शस्त्रनिर्माणशाला

शस्त्रनिर्माणशालाओं में जिनमें कुछ समय पूर्व तक मुख्य रूप से स्थल-सेना की आवश्यकताओं की ही पूर्ति की जाती थी, अब जल-सेना तथा वायु-सेना के लिए भी सामग्री तैयार की जाती है।

मशीन-औज़ार प्राग्रूप कारखाना

अम्बरनाथ (बम्बई) स्थित 'मशीन-औज़ार प्राग्रूप कारखाने' में मशीनी औज़ार सम्बन्धी तीन महत्वपूर्ण कार्य पूरे किए गए। इस कारखाने में कई अन्य औज़ार भी तैयार किए गए।

हिन्दुस्तान विमान कारखाना

बंगलोर-स्थित 'हिन्दुस्तान विमान कारखाने (लिमिटेड)' में भारतीय वायु-सेना के

विमानों की मरम्मत, उनको नया रूप देने तथा विमानों के निर्माण का कार्य किया जाता हैं। इस कारखाने में वैम्पायर जेट लड़ाकू विमानों का भी निर्माण किया जाता है।

भारत विद्युदणु (इलेक्ट्रॉनिक्स) कारखाना

बंगलोर के निकट जलाहली-स्थित 'भारत विद्युदणु (प्राइवेट) लिमिटेड' में प्रारम्भिक उत्पादन-कार्य दिसम्बर, १६५५ में आरम्भ हुआ। जनवरी, १६५६ से मार्च, १६५८ तक ३३.६५ लाख रुपये के मूल्य के विद्युत् उपकरणों का निर्माण हुआ।

विषेश कार्य

देश की रक्षा करने के अपने सामान्य कार्य के अतिरिक्त भारतीय सशस्त्र सेनाएँ समय-समय पर कई अन्य आपातकार्य भी करती हैं। इनमें मुख्य हैं : (१) बाढ़, अकाल तथा भूचाल से पीड़ित व्यक्तियों की सहायता, (२) जलविद्युत् तथा अन्य योजनाओं के विकास तथा आयोजन के काम में आने वाले फोटो सर्वेक्षण तथा (३) बेकार भूमि का पुनरुद्धार।

स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद भारतीय प्रतिरक्षा सेनाओं ने 'कोरिया-विराम-सन्धि करार' तथा २० जुलाई, १६५४ को जेनेवा में हुई युद्धविराम-सन्धि के अन्तर्गत स्थापित 'वियतनाम, लाओस और कम्बोडिया नियन्त्रण तथा अधीक्षण अन्तर्राष्ट्रीय आयोगों' की सिफारिशों को कार्यान्वित करने में भी सहायता दी। भारतीय सेना ने संसार में शान्ति-स्थापन के एक अन्य कार्य में उस समय सहायता दी, जब १६ नवम्बर, १६५६ को एक भारतीय सैन्य टुकड़ी 'संयुक्त राष्ट्र संघीय आपातकालीन सेना' में सम्मिलित होने के लिए मिस्र भेजी गई। श्रीलंका के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों को सहायता पहुँचाने के सम्बन्ध में भारतीय वायु-सेना के विमानों ने इन क्षेत्रों में ५ लाख पौण्ड से अधिक की खाद्य वस्तुएँ तथा औषधियाँ गिराईं। लगभग ७० सैन्य अधिकारियों ने लेबनॉन के 'संयुक्त राष्ट्र संघीय पर्यवेक्षक दल' की कार्यवाही में भाग लिया।

प्रतिरक्षा व्यय

१६५६-६० (बजट प्राक्कलन) में प्रतिरक्षा पर २ अर्ब ४२ करोड़ ६८ लाख रुपये तथा ३२.७४ करोड़ रुपये का क्रमशः राजस्वगत तथा पूँजीगत व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है।

क्षेत्रीय सेना

क्षेत्रीय सेना का उद्देश्य, जो अक्तूबर, १६४६ में सर्वप्रथम संगठित की गई थी, देश के नवयुवकों को उनके अवकाश के समय में सैनिक-प्रशिक्षण के लिए अवसर प्रदान करना है। संकटकाल में इस सेना को सशस्त्र सेनाओं की सहायता के लिए भी बुलाया जा सकता है।

आवश्यक योग्यता रखने वाला १८ से ३५ वर्ष तक का कोई भी स्वस्थ पुरुष क्षेत्रीय सेना में भर्ती हो सकता है। क्षेत्रीय सेना दो प्रकार की है—प्रादेशिक तथा शहरी। रंगरूटों

का प्रशिक्षण प्रादेशिक सेना में ३० दिन का तथा शहरी सेना में ३२ दिन का होता है। शहरी सेना में प्रशिक्षण का कार्य शाम को, सप्ताहान्त में अथवा छुट्टियों के दिन किया जाता है। क्षेत्रीय सेना के कर्मचारी पदक तथा पुरस्कार आदि भी प्राप्त कर सकते हैं।

लोक सहायक सेना

सहायक क्षेत्रीय सेना, जो १९५४ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना के रूप में पुनस्संगठित हुई थी, अब 'लोक सहायक सेना' कहलाती है। इसका उद्देश्य ५ वर्षों में लगभग ५ लाख व्यक्तियों को प्रारम्भिक सैनिक शिक्षा देना है।

भूतपूर्व सैनिकों तथा भूतपूर्व सैन्यशिक्षार्थियों को छोड़कर १८ से ४० वर्ष तक के सभी स्वस्थ पुरुष 'लोक सहायक सेना' में भर्ती हो सकते हैं।

नये रंगरूटों को ३० दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण-काल में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए भोजन तथा वस्त्र आदि की निःशुल्क व्यवस्था रहती है तथा शिविर की समाप्ति पर जेब खर्च के लिए उनको १५ रुपये दिए जाते हैं।

राष्ट्रीय सैन्यशिक्षार्थी दल

इस दल में स्कूलों तथा कालेजों के छात्र और छात्राएँ भर्ती हो सकती हैं। इसमें तीन टुकड़ियाँ होती हैं: उच्च, निम्न और बालिका। प्रथम दोनों टुकड़ियों की स्थल, जल तथा वायु शाखाएँ होती हैं।

सामान्य प्रशिक्षण के अतिरिक्त कुछ सैन्यशिक्षार्थियों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। १९५९ के आरम्भ में इस दल में कुल १,९२,२५३ सैन्यशिक्षार्थी थे।

सहायक सैन्यशिक्षार्थी दल

स्कूलों के उन छात्रों तथा छात्राओं के सैनिक प्रशिक्षण के लिए जो राष्ट्रीय सैन्य-शिक्षार्थी दल में प्रवेश नहीं पातीं, सहायक सैन्यशिक्षार्थी दल की व्यवस्था की गई है। १९५८ के अन्त में सहायक सैन्यशिक्षार्थी दल के शिक्षार्थियों की संख्या ८,५७,९४७ थी।

भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण

भारत सरकार, भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए उनको सरकारी तथा निजी नौकरियों, व्यावसायिक तथा प्रौद्योगिक व्यापारों, कृषि-भूमि तथा परिवहन सेवाओं में लगाने की समस्या पर विशेष रूप से विचार कर रही है। उन्हें कृषि आदि की भी शिक्षा दी जा रही है जिससे वे सामुदायिक योजनाओं के क्षेत्रों में ग्रामसेवकों के रूप में नियुक्त किए जा सकें। पुलिस, चौकीदार तथा आबकारी विभागों आदि में नियुक्तियाँ करते समय जहाँ सैनिक प्रशिक्षण भी एक योग्यता मानी जाती है, सरकार भूतपूर्व सैनिकों को वरीयता देती

है। विगत ८ वर्षों में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों और निजी संगठनों के मिले-जुले प्रयास के फलस्वरूप १,१२,६२८ भूतपूर्व सैनिकों को जिनमें ९५७ अधिकारी भी सम्मिलित हैं, काम दिलाया गया।

'सैनिक, नाविक तथा वायु-सैनिक मण्डल' भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके परिवारों को स्थानीय प्रशासन के निकट सम्पर्क से लाभप्रद सहायता दिलाने वाला एक और अत्यन्त महत्वपूर्ण गैर-सरकारी संगठन है।

—:o:—

आठवाँ अध्याय

शिक्षा

देश में शिक्षा का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है। केन्द्रीय सरकार का काम 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' के माध्यम से विभिन्न संकायों के बीच समन्वय स्थापित करना और उच्चतर शिक्षा, शोध, वैज्ञानिक तथा प्राविधिक शिक्षा का स्तर निर्धारित करना है। प्रारम्भिक तथा माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था करने का काम अखिल भारतीय परिषदें करती हैं। केन्द्रीय सरकार अलीगढ़, दिल्ली, बनारस (वाराणसी) तथा विश्वभारती विश्वविद्यालयों के साथ-साथ संसद् द्वारा घोषित राष्ट्रीय महत्व के अन्य संस्थानों के संचालन के लिए भी उत्तरदायी है। यह अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक सम्पर्क तथा 'संयुक्त राष्ट्र संघीय शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति संगठन' (यूनेस्को) जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सम्पर्क स्थापित करने की नीति के सम्बन्ध में छात्रवृत्तियाँ आदि भी देती है।

१९५१ की जनगणना के अनुसार भारत में ५,९२,५१,००१ व्यक्ति साक्षर थे जिनमें से ४,५६,०१,१८४ पुरुष तथा १,३६,४९,८१७ महिलाएँ थीं।

१९५६-५७ में देश में कुल ३,७७,७१८ शिक्षा संस्थान थे जिनमें ३,५७,७५,००० विद्यार्थी विद्याध्ययन कर रहे थे तथा इन पर कुल २ अर्ब २ करोड़ २४ लाख रुपये व्यय हुए।

१९५६-५७ में देश में ७७३ पूर्व-प्राथमिक स्कूल; २,८७,३१८ प्राथमिक स्कूल; ३५,८२८ माध्यमिक स्कूल; ३,२८३ विभिन्न व्यवसायों की शिक्षा देने वाले स्कूल; ४९,१२७ विशेष शिक्षा वाले स्कूल; ७७१ कला तथा विज्ञान कालेज; ४०४ विभिन्न व्यवसायों की शिक्षा देने वाले कालेज; १२७ विशेष शिक्षा वाले कालेज; ४१ शोध संस्थान; १२ शिक्षा मण्डल तथा ३४ विश्वविद्यालय थे।

इन ३,७७,७१८ मान्यताप्राप्त शिक्षा संस्थानों में से ८९,३०४ शिक्षा संस्थानों की व्यवस्था सरकार के अधीन; १,५३,९५३ शिक्षा संस्थानों की व्यवस्था जिला मण्डलों के अधीन; ११,४४८ शिक्षा संस्थानों की व्यवस्था नगरपालिकाओं के अधीन; १,११,०६४ शिक्षा संस्थानों की व्यवस्था सरकारी सहायता प्राप्त करने वाले निजी संगठनों के अधीन तथा ११,९४९ शिक्षा संस्थानों की व्यवस्था सरकार से सहायता प्राप्त न करने वाले निजी संगठनों के अधीन थी। इन शिक्षा संस्थानों में क्रमशः ७४,०३,९८४; १,३५,२४,१६४; २६,७९,६३२; १,०१,४२,५५३ तथा १३,३०,८६० विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे।

१९५६-५७ में शिक्षा पर हुए २ अर्ब २ करोड़ २४ लाख रुपये के कुल प्रत्यक्ष व्यय में से सरकार ने ६२.२ प्रतिशत व्यय वहन किया और शेष की व्यवस्था जिला मण्डलों तथा नगरपालिकाओं की ओर से हुई।

प्रारम्भिक तथा बुनियादी शिक्षा

स्वीकृत शिक्षा-प्रणाली के रूप में बुनियादी शिक्षा स्वीकार किए जाने की दृष्टि से प्रारम्भिक शिक्षा को धीरे-धीरे इसके अनुरूप बनाया जा रहा है। बुनियादी शिक्षा के पाठ्य-क्रम में मौखिक शिक्षा के साथ-साथ बालक-बालिकाओं के शारीरिक और सामाजिक वातावरण पर भी ध्यान दिया जाता है। विद्यार्थियों को कताई तथा बुनाई, बागवानी, बढ़ईगीरी, चमड़े का काम, जिल्दसाज़ी तथा खाना बनाना, कपड़े सीना और घर की व्यवस्था सम्बन्धी घरेलू कामों की भी शिक्षा दी जाती है। वर्तमान प्रारम्भिक स्कूलों को बुनियादी स्कूलों में बदलने, नये बुनियादी स्कूल खोलने, गैर-बुनियादी स्कूलों में उद्योगों की शिक्षा देने, बुनियादी शिक्षा सम्बन्धी साहित्य तैयार करने तथा बुनियादी शिक्षकों के प्रशिक्षण आदि के कार्य-क्रमों पर तेज़ी से अमल किया जा रहा है। १९५५ में नियुक्त 'अनुमान-निर्धारण समिति' की सिफारिशें सामान्यतः स्वीकार कर ली गई हैं और उनको कार्य-रूप दिया जा रहा है।

प्रारम्भिक शिक्षा सम्बन्धी विषयों पर केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को सलाह देने के उद्देश्य से एक 'अखिल भारतीय प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्' स्थापित की जा चुकी है।

१९५६-५७ में प्राथमिक (पूर्व-प्राथमिक सहित) तथा बुनियादी स्कूलों की संख्या क्रमशः २,८८,०९१ तथा ४६,८२५ थी जिनमें क्रमशः २ करोड़ ३९ लाख ६७ हज़ार तथा ४१.०३ लाख विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे और जिन पर क्रमशः ५७.६१ करोड़ रुपये तथा ९.०६ करोड़ रुपये व्यय हुए।

माध्यमिक शिक्षा

'माध्यमिक शिक्षा आयोग' द्वारा अगस्त, १९५३ में दिए गए प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के आधार पर जो सुधार किए गए, उनमें से महत्वपूर्ण सुधार निम्न हैं :

(१) वर्तमान स्कूलों को बहूद्देश्यीय स्कूलों में बदल कर नया रूप दिया जाना।

(२) विज्ञान आदि विषयों के अध्यापन में सुधार, मिडिल स्कूलों में दस्तकारी की शिक्षा देने तथा अध्यापकों के प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था करने की सुविधाओं का आयोजन।

(३) माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को सलाह देने के लिए अखिल भारतीय परिषद् की स्थापना।

(४) माध्यमिक स्तर पर अनिवार्य रूप से तीन भाषाओं का अध्यापन।

१९५६-५७ में देश में ३५,८२८ माध्यमिक स्कूल थे जिनमें ९३.३० लाख विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तथा जिन पर ५७.४७ करोड़ रुपये व्यय हुए।

उच्चतर तथा विश्वविद्यालयिक शिक्षा

भारत में उत्तर-माध्यमिक शिक्षा (१) कला तथा विज्ञान कालेजों, (२) व्यावसायिक शिक्षा वाले कालेजों, (३) विशेष शिक्षा वाले कालेजों, (४) शोध संस्थानों तथा (५) विश्वविद्यालयों द्वारा दी जाती है। जिन राज्यों में 'उच्चतर माध्यमिक तथा इण्टरमीडिएट शिक्षा मण्डल' हैं वहाँ इण्टरमीडिएट से आगे के पाठ्यक्रमों, परीक्षाओं तथा उपाधि-वितरण आदि की व्यवस्था विश्वविद्यालयों के हाथ में रहती है।

विश्वविद्यालय तीन प्रकार के हैं। सम्बन्धन की व्यवस्था वाले विश्वविद्यालयों में अध्यापन-कार्य नहीं होता, बल्कि ये परीक्षाओं के संचालन आदि की व्यवस्था करते हैं। सम्बन्धन तथा अध्यापन की व्यवस्था वाले विश्वविद्यालय उपर्युक्त काम के साथ-साथ अध्यापन तथा शोध-कार्य की सुविधाएँ भी प्रदान करते हैं। आश्रम प्रणाली तथा अध्यापन वाले विश्वविद्यालय सभी प्रकार के अध्यापन-कार्य की व्यवस्था करते हैं तथा उनका उनके अधीन कालेजों पर नियन्त्रण रहता है।

१९२५ में स्थापित 'अन्तर्विश्वविद्यालय मण्डल' विश्वविद्यालय सम्बन्धी समस्याओं पर विचार-विमर्श करने तथा भारत के विश्वविद्यालयों द्वारा दी जाने वाली उपाधियों को परस्पर मान्यता प्रदान कराने की व्यवस्था करता है।

विश्वविद्यालयों के अलावा देश में ऐसे कुछ और भी संस्थान हैं जो उच्चतर शिक्षा प्रदान करते हैं जैसे दिल्ली का जामिया मिलिया, हरिद्वार का गुरुकुल तथा बंगलोर की भारतीय विज्ञान संस्था। इनकी स्थिति भी विश्वविद्यालयों जैसी ही है। 'वैज्ञानिक शोध' शीर्षक अध्याय में उल्लिखित कई शोध प्रयोगशालाओं तथा संस्थानों को 'अन्तर्विश्वविद्यालय मण्डल' द्वारा उच्चतर शोध-केन्द्रों के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

विश्वविद्यालय

भारत में इस समय निम्न ३७ विश्वविद्यालय हैं :

अन्नमलइ विश्वविद्यालय (१९२९); अलीगढ़ विश्वविद्यालय (१९२०); आगरा विश्वविद्यालय (१९२७); आन्ध्र विश्वविद्यालय, वाल्टेयर (१९२६); इलाहाबाद विश्वविद्यालय (१८८७); उत्कल विश्वविद्यालय, कटक (१९४३); उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद (१९१८); एस० एन० डी० टी० महिला विश्वविद्यालय, बम्बई (१९५१); कलकत्ता विश्वविद्यालय, (१८५७); कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़ (१९४९); केरल विश्वविद्यालय, त्रिवेन्द्रम (१९३७); कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय (१९५६); गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद (१९४९); गोरखपुर विश्वविद्यालय (१९५७); गोहाटी विश्वविद्यालय (१९४८); जबलपुर विश्वविद्यालय (१९५७); जम्मू तथा कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर (१९४८); जाधवपुर विश्वविद्यालय (१९५५); दिल्ली विश्वविद्यालय (१९२२); नागपुर विश्वविद्यालय (१९२३); पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ (१९४७); पटना विश्वविद्यालय (१९१७); पूना विश्वविद्यालय (१९४९); बड़ौदा विश्वविद्यालय (१९४९); बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी (१९१६); बम्बई विश्वविद्यालय (१८५७); बिहार विश्व-

विद्यालय, पटना (१९५२); मद्रास विश्वविद्यालय (१८५७); मैसूर विश्वविद्यालय (१९१६); राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (१९४७); रुड़की विश्वविद्यालय (१९४८); लखनऊ विश्वविद्यालय (१९२१); विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (१९५७); विश्वभारती विश्वविद्यालय, शान्तिनिकेतन (१९५१); श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरुपति (१९४५); सरदार वल्लभभाई विद्यापीठ, वल्लभनगर-आनन्द (१९५५) तथा सागर विश्वविद्यालय (१९४६)।

विश्वविद्यालयों में सामान्य शिक्षा

एक अध्ययन मण्डली ने जिसने अपना प्रतिवेदन जनवरी, १९५७ में सरकार को दिया, सामान्य शिक्षा की दो योजनाएँ तैयार की हैं। इसकी मुख्य योजना में प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान आदि से सम्बन्धित मूल विषयों के अध्ययन की सामान्य शिक्षा सभी स्नातक-पूर्व गैर-व्यावसायिक संकायों के लिए अनिवार्य रखी जानी है। वैकल्पिक योजना में डिग्री-पाठ्यक्रम के प्रथम तथा द्वितीय वर्ष में सामान्य शिक्षा के लिए सप्ताह में ६ घण्टों (पीरियड) के अध्यापन की व्यवस्था की जानी है। भारत के लगभग सभी विश्वविद्यालयों ने सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम लागू करना स्वीकार कर लिया है और अधिकांश ने इस सम्बन्ध में कार्य आरम्भ भी कर दिया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

सरकार द्वारा १९४८ में नियुक्त 'विश्वविद्यालयिक शिक्षा आयोग' के सुझाव के अनुसार १९५३ में 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' की स्थापना की गई। १९५६ में संसद् के एक अधिनियम द्वारा इसे एक स्वतन्त्र संस्था मान लिया गया। इस आयोग को विश्वविद्यालयिक शिक्षा सम्बन्धी अधिकांश मामलों की देखरेख का भार सौंपा गया है। आयोग को विभिन्न विश्वविद्यालयों को अनुदान देने तथा उनकी विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने का भी अधिकार प्राप्त है।

१ मई, १९५९ को इस आयोग की स्थिति निम्न थी :

अध्यक्ष :	सी० डी० देशमुख
सदस्य :	एच० एन० कुंजरू
	के० एस० कृष्णन
	ए० एल० मुदलियार
	दीवान आनन्द कुमार
	जी० सी० चटर्जी
	एन० के० सिद्धान्त
	के० जी सैयदेन
	एन० एल० वांचू
सचिव :	सैमुअल मथाई

प्राविधिक शिक्षा

१९५७ में देश में इंजीनियरिंग तथा प्राविधिक शिक्षा वाले ७४ डिग्री-संस्थान तथा १२९ डिप्लोमा-संस्थान थे जिनमें क्रमशः ९,७७८ तथा १५,९९५ विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए स्वीकृति दी जा चुकी थी। १९५७ में इनमें से क्रमशः ४,२९० तथा ५,०३४ विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करके निकले।

यह अनुमान लगाया गया है कि द्वितीय योजनाकाल के अन्त में प्राविधिक संस्थानों में डिग्री-पाठ्यक्रमों तथा डिप्लोमा-पाठ्यक्रमों के लिए प्रति वर्ष क्रमशः १३,००० तथा २४,००० विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा।

सरकार को प्राविधिक शिक्षा के सम्बन्ध में परामर्श देने वाली 'अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद्' ने देश के प्रत्येक प्राविधिक संस्थान की स्थिति का अध्ययन किया और उसके सुधार तथा नये संस्थानों की स्थापना के लिए योजनाएँ तैयार कीं। मार्च, १९५८ तक स्वीकृत योजनाओं पर कुल २९.१८ करोड़ रुपये के व्यय होने का अनुमान है जिसमें से १८.५६ करोड़ रुपये केन्द्रीय सरकार वहन करेगी।

परिषद् द्वारा नियुक्त विशेष समिति की सिफारिशों पर परिषद् ने चुने हुए २० संस्थानों में ३३ विषयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम लागू करना स्वीकार कर लिया है।

खड़गपुर-स्थित 'भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था' का कार्य १९५१ में आरम्भ हो गया। बम्बई की 'भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था' में विद्यार्थियों को सबसे पहले १९५८ में प्रवेश दिया गया और कानपुर तथा मद्रास में दो संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं। इन दोनों संस्थाओं में कुल मिलाकर २,००० से अधिक विद्यार्थियों को शिक्षा दी जा सकेगी।

खड़गपुर की 'भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था', दिल्ली के 'अर्थशास्त्र स्कूल', मद्रास विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग, बम्बई के 'अर्थशास्त्र तथा समाज-विज्ञान स्कूल', बंगलोर की 'भारतीय विज्ञान संस्था', कलकत्ता की 'समाज कल्याण तथा कारोबार प्रबन्ध संस्था' तथा बम्बई की 'विक्टोरिया जुबली प्राविधिक संस्था' में प्रबन्ध-व्यवस्था सम्बन्धी पाठ्यक्रम लागू किए जा चुके हैं।

केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से इलाहाबाद, कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में स्थापित ४ 'प्रादेशिक मुद्रण स्कूलों' में से प्रत्येक में प्रति वर्ष २०० विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने का उद्देश्य रखा गया है।

शोधकर्ताओं को व्यक्तिगत सहायता-अनुदान दिए जाने के अतिरिक्त विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों के लिए भी ६८० छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की गई है।

'राष्ट्रीय शोध शिष्यवृत्ति योजना' के अधीन ४००-४०० रुपये मासिक की ८० शिष्यवृत्तियों तथा प्रति वर्ष १,००० रुपये के अनुदान के लिए भी व्यवस्था की गई है।

ग्रामीण उच्चतर शिक्षा

'ग्रामीण उच्चतर शिक्षा समिति' के सुझाव पर ग्रामीण उच्चतर शिक्षा के विकास सम्बन्धी सभी मामलों पर सरकार को परामर्श देने के लिए एक 'राष्ट्रीय ग्रामीण उच्चतर

शिक्षा परिषद्' स्थापित की जा चुकी है। परिषद् ने ग्रामीण संस्थाओं के रूप में विकसित करने के लिए १० संस्थाएँ चुनीं जिन्होंने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है। ग्राम सेवाओं के डिप्लोमा को विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम डिग्री के समान ही मान्यता प्राप्त हो चुकी है।

समाज-शिक्षा

समाज-शिक्षा के अन्तर्गत एक पंचसूत्री कार्यक्रम बनाया गया है जिसके उद्देश्य हैं : (१) साक्षरता प्रसार, (२) स्वास्थ्य तथा सफाई के नियमों के ज्ञान का प्रसार (३) वयस्क व्यक्तियों के आर्थिक स्तर की उन्नति, (४) नागरिकता की भावना, अधिकारों तथा कर्तव्यों के प्रति जनता में जागरूकता को प्रोत्साहन देना और (५) समाज तथा व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुरूप स्वस्थ मनोरंजन की व्यवस्था करना। योजनाओं को कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व राज्यों पर है, जबकि केन्द्र मार्गदर्शन, वित्तीय सहायता तथा समन्वय की व्यवस्था करता है।

उच्च कर्मचारियों को समाज-शिक्षा के कार्य का प्रशिक्षण देने तथा चुनी हुई समस्याओं पर उपयुक्त शोधकार्य करने के लिए नयी दिल्ली में एक 'राष्ट्रीय मूलभूत शिक्षा केन्द्र' स्थापित किया गया है।

'केन्द्रीय चलचित्र संग्रहालय' में शिक्षा तथा संस्कृति सम्बन्धी विभिन्न विषयों पर ४,९७४ चलचित्र आदि हैं जो संग्रहालय की सदस्य शिक्षा संस्थाओं को निःशुल्क दिए जाते हैं। १,०४५ शिक्षा संस्थान तथा सामाजिक संगठन इस संग्रहालय के सदस्य हैं। 'श्रव्य-दृश्य शिक्षा' शीर्षक एक त्रैमासिक पत्रिका भी प्रकाशित की जाती है।

केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें श्रव्य-दृश्य कार्यकर्ताओं की प्रशिक्षण-गोष्ठियों का भी आयोजन करती रहती हैं। एक 'केन्द्रीय श्रव्य-दृश्य शिक्षा संस्था' स्थापित की जा चुकी है।

विकलांगों की शिक्षा

एक 'राष्ट्रीय परामर्श परिषद्' सरकार को विकलांगों की शिक्षा, प्रशिक्षण तथा नियोजन सम्बन्धी समस्याओं पर परामर्श देती है। उच्चतर शिक्षा अथवा प्राविधिक अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए अन्धे, बहरे तथा विकलांग-विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं।

देहरादून के 'अन्ध (प्रौढ़) प्रशिक्षण केन्द्र' में लगभग १५० अन्धे व्यक्तियों को दस्तकारी का प्रशिक्षण दिया जाता है। अन्धे व्यक्तियों के लिए एक कामदिलाऊ दफ्तर जुलाई, १९५४ से मद्रास में चालू है।

अक्तूबर, १९५० में देहरादून में स्थापित 'केन्द्रीय ब्रेल मुद्रणालय' द्वारा भारतीय भाषाओं में ब्रेल साहित्य प्रकाशित किया जाता है। अन्धे बालक बालिकाओं के लिए जनवरी १९५९ में स्थापित एक स्कूल में किण्डरगार्टन तथा प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। अन्ततोगत्वा इसे माध्यमिक स्कूल में परिवर्तित कर दिया जाएगा।

हिन्दी का विकास

हिन्दी के विकास तथा प्रचार के लिए अब तक निम्न उपाय किए जा चुके हैं :

(१) 'पारिभाषिक वैज्ञानिक शब्द-रचना मण्डल' द्वारा नियुक्त २३ विशेषज्ञ समितियों ने १,३७,५६० पारिभाषिक शब्दों की रचना की तथा अब तक १४ विषयों की पारिभाषिक शब्दावलियाँ प्रकाशित की जा चुकी हैं।

(२) आधुनिक हिन्दी की मूलभूत व्याकरण के अंग्रेजी संस्करण पर राज्य सरकारों तथा विश्वविद्यालयों से सम्मति माँगी गई है।

(३) 'हिन्दी परीक्षा पुनस्संगठन समिति' की सिफारिशों पर पुनरीक्षण समिति ने प्रतिवेदन दे दिया है जिस पर 'हिन्दी शिक्षा समिति' विचार करेगी।

(४) जब तक सरकार देवनागरी लिपि के सुधार के सम्बन्ध में कोई निर्णय करे, तब तक के लिए 'हिन्दी टंकरणयन्त्र (टाइपराइटर) तथा दूरमुद्रक समिति' के प्रतिवेदन को प्रकाशित किए जाने से रोक रखा गया है।

(५) हिन्दी शीघ्रलिपि की एक प्रामाणिक प्रणाली तैयार की जा रही है जिसके १९६० तक पूरे होने की आशा है।

(६) अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों में मण्डलों के आधार पर 'हिन्दी अध्यापक प्रशिक्षण कालेज' संगठित किए जाने हैं और आगरा का 'अखिल भारतीय हिन्दी महाविद्यालय' हिन्दी में शोध तथा अध्यापकों के प्रशिक्षण का कार्य करेगा।

(७) अहिन्दी-भाषी राज्यों के स्कूलों के पुस्तकालयों को हिन्दी की पुस्तकें दे दी जा चुकी हैं।

(८) १९५८ में इन्दौर, पटना, बम्बई तथा लखनऊ में हिन्दी में वैज्ञानिक तथा प्राविधिक साहित्य की प्रदर्शनियाँ की गईं।

(९) नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा १० खण्डों में हिन्दी विश्वकोष के संग्रह का कार्य किए जाने में प्रगति हुई और इसका प्रथम खण्ड शीघ्र ही मुद्रणालय को भेज दिया जाएगा।

(१०) वनस्पतिशास्त्र तथा रसायनशास्त्र सम्बन्धी प्रामाणिक ग्रन्थ छप रहे हैं तथा अन्य विषयों के प्रामाणिक ग्रन्थ तैयार किए जा रहे हैं।

(११) हिन्दी की १४ प्रामाणिक रचनाओं की पारिभाषिक शब्दावली सम्बन्धी अनुक्रमणिकाएँ तैयार करने और १६ प्रसिद्ध लेखकों की रचनाओं के प्रकाशन का कार्य आरम्भ किया जा चुका है।

(१२) सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्श से सूतीवस्त्र उद्योग, मछलीपालन, धातु-कर्म आदि पर विशेष शब्दावलियाँ तैयार किए जाने के लिए सामग्री संगृहीत की जाएगी।

(१३) हिन्दी-भाषी तथा अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों के विद्वानों की भाषण-यात्राओं के पारस्परिक आदान-प्रदान की व्यवस्था की गई है। १९५८ में पटना में अहिन्दी-भाषी राज्यों के हिन्दी अध्यापकों की एक विचार-गोष्ठी का आयोजन किया गया।

(१४) अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों में हिन्दी के प्रचार तथा हिन्दी अध्यापकों के लिए पुस्तकों आदि की व्यवस्था के लिए राज्य सरकारों तथा स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान दिए गए हैं।

(१५) हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं में समान रूप से प्रचलित शब्दों की ७ सूचियों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालयों से सुझाव तथा सम्मति माँगी गई है।

युवक कल्याण

युवक कल्याण के क्षेत्र में मुख्य रूप से निम्न गतिविधियों का उल्लेख किया जा सकता है : १९५४ से अन्तर्विश्वविद्यालय युवक समारोहों का आयोजन तथा अन्तर्कालिज समारोहों के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता का दिया जाना; युवक नेतृत्व प्रशिक्षण शिविरों का संगठन किया जाना ; ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्व के स्थानों के लिए युवक यात्राओं के सम्बन्ध में किराए में रियायत तथा वित्तीय सहायता का दिया जाना और विद्यार्थियों में शारीरश्रम की प्रतिष्ठा के प्रति भावना पैदा करने के लिए श्रम तथा समाज-सेवा योजना का लागू किया जाना, आदि।

शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद

शारीरिक शिक्षा

शारीरिक शिक्षा वाले संस्थानों तथा कालेजों के विकास के लिए तैयार की गई 'राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन योजना' कार्यान्वित की जा रही है जिसका उद्देश्य व्यायामशालाओं तथा अखाड़ों आदि को सभी प्रकार की सहायता देना है।

विभिन्न कार्यक्रमों के बीच समन्वय स्थापित करने के प्रश्न पर सरकार को परामर्श देने के लिए एक 'केन्द्रीय शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन परामर्श मण्डल' स्थापित किया जा चुका है।

खेलकूद

खेलकूद के कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देने के लिए निम्न उपाय किए गए हैं :

(१) 'अखिल भारतीय खेलकूद परिषद्' की स्थापना।

(२) विभिन्न राज्यों में राज्य खेलकूद परिषदों की स्थापना।

(३) 'राजकुमारी खेलकूद शिक्षण योजना' के अन्तर्गत देश में १९५३ से भारतीय तथा विदेशी खेलकूद-विशेषज्ञों की देखरेख में शिक्षण केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं।

राष्ट्रीय अनुशासन योजना

देश के नवयुवकों में अनुशासन की भावना पैदा करने तथा उन्हें नागरिकता के आदर्शों का भलीभाँति बोध कराने के उद्देश्य से विस्थापित बालक-बालिकाओं के लिए जुलाई, १९५४ में 'शारीरिक तथा सामान्य सामाजिक शिक्षण योजना' आरम्भ की गई। इसका श्रीगणेश सर्वप्रथम दिल्ली के 'कस्तूरबा निकेतन' में हुआ। यह योजना अन्य कई राज्यों में भी लागू की जा चुकी है। विभिन्न राज्यों में एक लाख से अधिक बालक-बालिकाएँ प्रशिक्षण ले रहे हैं।

नौवाँ अध्याय

सांस्कृतिक गतिविधियाँ

'राष्ट्रीय संस्कृति न्यास' की स्थापना कला तथा संस्कृति का विकास करने और जनता में कला के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से की गई थी। इन उद्देश्यों की पूर्ति ललित कला अकादेमी, संगीत नाटक अकादेमी तथा साहित्य अकादेमी के द्वारा की जाती है। लोगों को उनकी सांस्कृतिक विरासत के प्रति जागरूक बनाए रखने के लिए राष्ट्र की सेवा में जन-सम्पर्क की कई सुविधाएँ उपलब्ध हैं। इस कार्य में कई महत्वपूर्ण संस्थाएँ भी सक्रिय सहयोग देती आ रही हैं।

कला

ललित कला अकादेमी

१९५४ में स्थापित 'ललित कला अकादेमी' ललित कलाओं के विकास का कार्य करने के अतिरिक्त चित्रकला तथा मूर्तिकला आदि के विकास और इनको जीवित बनाए रखने के कार्यक्रम तैयार करती है। इसके अतिरिक्त यह प्रादेशिक अथवा राज्यीय अकादेमियों की गतिविधियों में समन्वय भी स्थापित करती है। तत्सम्बन्धी साहित्य का प्रकाशन करने के साथ-साथ यह अन्तर्प्रादेशिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क स्थापित करने में भी सहयोग देती है।

अकादेमी, नयी दिल्ली में प्रति वर्ष 'राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी' का आयोजन करती है जिसकी बारी-बारी से विभिन्न राज्यों की राजधानियों में भी व्यवस्था की जाती है। अब तक ऐसी पाँच राष्ट्रीय प्रदर्शनियाँ हो चुकी हैं। अकादेमी ने १९५६ में भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण की २,५००वीं जयन्ती के एक कार्यक्रम के रूप में नयी दिल्ली में एक बौद्धकालीन कला प्रदर्शनी का आयोजन किया जो बाद में वाराणसी, पटना, कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई में भी संगठित की गई।

अब तक कनाडा की चित्रकला, हंगरी की लोक कलाओं, चीनी दस्तकारियों, पोलिश कलाओं, समसामयिक जर्मन कला सम्बन्धी प्रदर्शनियाँ संगठित की जा चुकी हैं। रैम्ब्रेण्ट के जीवन तथा उनकी रचनाओं का विभिन्न नगरों में प्रदर्शन किया जा रहा है। समसामयिक कला के नमूनों तथा अजायबघर की पुरातन वस्तुओं की एक भारतीय प्रदर्शनी का चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, बलगारिया, रूमानिया, रूस तथा पोलैण्ड में आयोजन किया गया।

अकादेमी द्वारा देश के विभिन्न प्रदेशों की कलाओं तथा दस्तकारियों के किए जाने वाले सर्वेक्षण के एक कार्यक्रम के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल के सम्बन्ध में सर्वेक्षण किया जा चका है और अब गुजरात के सम्बन्ध में किया जाएगा।

अकादेमी विख्यात कलाकारों को प्रति वर्ष पुरस्कृत करती है।

प्रकाशन

अकादेमी द्वारा अब तक कला सम्बन्धी जितने प्रकाशन हुए हैं, उनमें से 'मुगलकालीन चित्र,' 'सामयिक चित्र संग्रह', १२ चित्र-पोस्टकार्ड, 'पहाड़ी चित्रकला में कृष्ण कथा' और 'अजन्ता तथा मेवाड़ चित्रकला संग्रह' के प्रकाशन उल्लेखनीय हैं। आगामी प्रकाशन 'कृष्णगढ़ चित्रकला', 'बूँदी चित्रकला' तथा भारतीय काव्य सम्बन्धी चित्रों के संग्रह के सम्बन्ध में होंगे। अकादेमी 'ललित कला' नाम की एक अर्धवार्षिक पत्रिका भी प्रकाशित करती है।

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के प्रकाशन विभाग की ओर से भी कला सम्बन्धी कई महत्वपूर्ण प्रकाशन हुए हैं।

राष्ट्रीय कला संग्रहालय

१९५४ में स्थापित 'राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय' में लगभग १४० कलाकारों की १,७४८ कृतियों का संग्रह है जिनमें सर्वश्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर, नन्दलाल बोस, अवनीन्द्र-नाथ ठाकुर, यामिनी राय, डी० पी० राय चौधरी, अमृता शेरगिल, सुधीर खास्तगीर तथा अन्य कई कलाकारों की कृतियाँ सम्मिलित हैं।

नृत्य तथा नाटक

संगीत नाटक अकादेमी

१९५३ में स्थापित 'संगीत नाटक अकादेमी' का मुख्य कार्य देश की विभिन्न कलाओं का सर्वेक्षण तथा उन पर शोध करना, उनका फिल्म तैयार करना और उनके सम्बन्ध में संग्रह आदि का प्रकाशन करना है।

अकादेमी ने १९५५ में दिल्ली में शास्त्रीय, परम्परागत तथा आधुनिक गीत-नृत्यों के एक राष्ट्रीय समारोह का आयोजन किया। १९५८ में भारत की नृत्य कला के सम्बन्ध में एक विचारगोष्ठी का संगठन किया गया। लोक-नृत्य उत्सव वार्षिक गणराज्य दिवस समारोह का एक अभिन्न अंग हो गया है। मणिपुरी शैली के नृत्य का प्रमुख प्रशिक्षण केन्द्र बनाने के लिए अकादेमी ने इम्फाल-स्थित 'मणिपुर नृत्य कालेज' को अपने अधिकार में ले लिया है।

१९५४ में अकादेमी ने एक राष्ट्रीय नाटक समारोह का आयोजन किया जिसमें भारत की लगभग सभी बड़ी भाषाओं के साथ-साथ संस्कृत, अंग्रेजी तथा मणिपुरी में भी नाटक खेले गए। १९५६ में एक नृत्य विचारगोष्ठी का आयोजन किया गया। अकादेमी संगीत, नृत्य, नाटक तथा चलचित्रों के सम्बन्ध में प्रति वर्ष पुरस्कार देती है।

आकाशवाणी नाटक

आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से प्रादेशिक भाषाओं में राष्ट्रीय नाटक कार्यक्रम एक साथ प्रसारित किए जाते हैं।

संगीत

संगीत समारोह

अकादेमी के तत्वावधान में सर्वप्रथम राष्ट्रीय संगीत समारोह १९५४ में दिल्ली में तथा द्वितीय १९५६ में पटना में हुआ।

अकादेमी एक भारतीय संगीत संग्रहालय के निर्माण के लिए प्रमुख शास्त्रीय-संगीतज्ञों के रिकार्ड तैयार करने और पुराने ग्रामोफोन रिकार्डों का संग्रह करने का विचार कर रही है। शोधकार्य की सुविधा के लिए एक 'भारतीय संगीत पुस्तकालय' भी स्थापित किया जा रहा है।

१९५७ में हुई भारतीय संगीतगोष्ठी के अवसर पर कर्नाटक तथा हिन्दुस्तानी संगीत के प्रमुख संगीतज्ञों ने संगीत शिक्षा के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया।

आकाशवाणी संगीत सम्मेलन

आकाशवाणी के इस नियमित वार्षिक आयोजन का उद्देश्य जनता में शास्त्रीय संगीत के प्रति रुचि उत्पन्न करना और हिन्दुस्तानी तथा कर्नाटक संगीत के कलाकारों द्वारा विभिन्न रागों तथा रागनियों में गायन प्रस्तुत करवाना है। सम्मेलन के साथ-साथ संगीत-गोष्ठियों का भी आयोजन किया जाता है जिनमें संगीत के विकास सम्बन्धी प्रश्नों पर विचार-विनिमय होता है।

विभिन्न कार्यक्रम

१९५२ से आरम्भ आकाशवाणी के राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम का उद्देश्य हिन्दुस्तानी तथा कर्नाटक संगीत-कलाकारों के बीच पारस्परिक रूप से कर्नाटक तथा हिन्दुस्तानी संगीत के प्रति अधिक से अधिक रुचि उत्पन्न करना है। इन कार्यक्रमों में विख्यात कलाकार भाग लेते रहते हैं। समय-समय पर लोक संगीत भी प्रसारित किया जाता है।

आकाशवाणी के कई केन्द्र शास्त्रीय तथा लोक संगीत पर आधारित सरल संगीत तैयार करते तथा उसे प्रस्तुत करते हैं।

कई केन्द्रों में ऐसी व्यवस्था करने का भी विचार किया गया है कि लोक संगीत के रिकार्ड वहीं पर तैयार किए जाएँ जहाँ उनका कार्यक्रम हो रहा हो। लोक संगीत के चुने हुए कार्यक्रम राष्ट्रीय तथा स्थानीय कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रसारित किए जाते हैं।

१९५२ में स्थापित आकाशवाणी के राष्ट्रीय वाद्यवृन्द द्वारा वाद्य-संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक 'मेघदूतम्', 'कलिंगविजयम्', 'ज्योतिर्मुख' तथा 'शकुन्तलम्' जैसी रचनाएँ प्रसारित की जा चुकी हैं।

साहित्य

साहित्य अकादेमी

१९५४ में स्थापित 'साहित्य अकादेमी' एक राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य भारतीय साहित्य का विकास करना तथा उच्च साहित्यिक मानदण्ड निर्धारित करना, सभी भारतीय भाषाओं में साहित्य के निर्माण को प्रोत्साहन देना तथा उनमें समन्वय स्थापित करना और उसके द्वारा देश की सांस्कृतिक एकता को सुदृढ़ बनाना है।

भारतीय साहित्य की एक राष्ट्रीय ग्रन्थसूची तैयार करना इसका एक प्रमुख कार्य है जिसमें बीसवीं शताब्दी में भारत में प्रकाशित और भारतीय लेखकों द्वारा रचित १४ भारतीय भाषाओं तथा अंग्रेज़ी की साहित्य सम्बन्धी पुस्तकों का उल्लेख रहेगा।

श्री एस० के० दे द्वारा सम्पादित 'मेघदूत' प्रकाशित हो चुका है। प्रोफ़ेसर वेलंकर रचित 'विक्रमोर्वशीय' का आलोचनात्मक संस्करण प्रेस में है।

श्री पी० के० परमेश्वरन नायर द्वारा लिखा गया 'मलयालम साहित्य का इतिहास' प्रकाशित हो चुका है और इसका कुछ अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है। श्री सुकुमार सेन लिखित 'बंगला साहित्य का इतिहास' छप रहा है। सर्वश्री बी० के० बरुआ तथा एम० मानसिंह द्वारा लिखित असमिया तथा उड़िया साहित्य के इतिहास की पाण्डुलिपियाँ भी मुद्रण के लिए भेजी जाने वाली हैं।

सर्वश्री एस०के० दे तथा आर० सी० हाज़रा द्वारा सम्पादित 'एन्थॉलॉजी ऑफ संस्कृत लिटरेचर' का प्रथम खण्ड प्रेस में है, जबकि श्री नलिनाक्ष दत्त द्वारा सम्पादित 'संस्कृत में बौद्ध साहित्य' प्रकाशित होने वाला है। पंजाबी काव्य संग्रह, बंगला का वैष्णव गीतिकाव्य, गुजराती के एकांकी नाटक, तमिल में भारती की कविताओं का संग्रह तथा मराठी में राजवाडे का गद्य-संग्रह प्रकाशित किए जा चुके हैं।

'भारतीय कविता १९५३' शीर्षक एक काव्यसंग्रह प्रकाशित हो चुका है जिसमें १४ मुख्य भाषाओं में लिखित कविताओं तथा उनके हिन्दी पद्यानुवादों का संग्रह है। दूसरा काव्यसंग्रह (१९५४-५५) तथा तीसरा काव्य-संग्रह (१९५६-५७) छप रहे हैं।

अधिकांश भारतीय तथा कई विदेशी साहित्यिक ग्रन्थों का कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है और ये प्रकाशित भी हो चुके हैं। श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर की रचनाएँ (मूल बंगला) देवनागरी लिपि में आठ खण्डों में प्रकाशित करने के कार्यक्रम के अन्तर्गत इनका प्रथम खण्ड 'एकोत्तरसती' शीर्षक से प्रकाशित किया जा चुका है।

अब तक जो अन्य रचनाएँ प्रकाशित हो चुकी हैं, उनमें 'रूसी-हिन्दी शब्दकोष' तथा 'कण्टेम्पोरेरी इण्डियन लिटरेचर' मुख्य हैं। भारतीय लेखकों का इतिवृत्त भी तैयार किया जा रहा है।

अकादेमी, भारतीय भाषाओं में प्रकाशित श्रेष्ठ पुस्तकों पर प्रति वर्ष पुरस्कार भी देती है।

गान्धी साहित्य

१९५६ के आरम्भ में सूचना और प्रसारण मन्त्रालय ने महात्मा गान्धी के भाषणों, पत्रों तथा लेखों आदि का एक महत्वपूर्ण संग्रह प्रकाशित करने की एक योजना पर कार्य आरम्भ किया। १८८४ से १९०८ तक के समय की रचनाओं से युक्त प्रथम दो खण्ड प्रकाशित किए जा चुके हैं। १९१४ के वर्ष तक की सामग्री के संग्रह का कार्य पूरा कर लिया गया है। आगे की सामग्री का संग्रह किया जा रहा है।

अन्य साहित्यिक गतिविधियाँ

१९५६ में सर्वप्रथम एक राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। ऐसा कवि सम्मेलन अब प्रति वर्ष होता है जिसमें देश के प्रमुख कवि भाग लेते हैं।

१९५६ में देश के सभी साहित्यिकों का भी एक सम्मेलन बुलाया गया। इस साहित्य-समारोह में समसामयिक भारतीय काव्य की प्रवृत्तियों पर विचार किया गया। एक दूसरा साहित्य-समारोह १९५७ में हुआ जिसमें समसामयिक भारतीय उपन्यास तथा लघुकथा-लेखन पर विचार-विमर्श किया गया। अप्रैल, १९५८ में हुए तीसरे साहित्य समारोह में समसामयिक नाट्य साहित्य की समस्याओं पर विचार-विमर्श किया गया।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास

उच्च कोटि के साहित्य के प्रकाशन को प्रोत्साहन देने तथा उसे उचित मूल्य पर सुलभ बनाने के उद्देश्य से श्री चिन्तामन द्वारिकानाथ देशमुख की अध्यक्षता में १९५७ में एक 'राष्ट्रीय पुस्तक न्यास' स्थापित किया गया।

यह न्यास शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति तथा विज्ञानेतर विषयों की मान्यताप्राप्त रचनाओं के प्रकाशन का भी कार्य करेगा। इस न्यास के प्रकाशन-कार्य का अधिकांश कार्य सूचना और प्रसारण मन्त्रालय का प्रकाशन विभाग करेगा।

आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास

१९५८-६१ में आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास के लिए भारत सरकार ने एक योजना तैयार की है जिस पर २० लाख रुपये व्यय किए जाने का विचार किया है।

अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक सम्पर्क

विदेश सम्पर्क विभाग

केन्द्रीय वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक मामला मन्त्रालय में एक विदेश सम्बन्ध विभाग स्थापित किया गया है जिसका उद्देश्य कलाकारों, विद्यार्थियों तथा अध्यापकों आदि के पारस्परिक आदान-प्रदान की व्यवस्था करना और प्रकाशनों, प्रदर्शनियों, अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों द्वारा संसार के विभिन्न देशों के साथ सद्भावनापूर्ण सम्बन्ध स्थापित करना है।

प्रतिनिधिमण्डल

१६५८-५६ में जो भारतीय प्रतिनिधिमण्डल अन्य देशों को गए, उनमें थे : सोवियत रूस को गया महिला शिष्टमण्डल तथा एक भारतीयविद्यावेत्ता प्रतिनिधिमण्डल; टोकियो में विभिन्न धर्मों के इतिहास के सम्बन्ध में हुए एक सम्मेलन के लिए गया एक व्यक्तीय प्रतिनिधिमण्डल; नेपाल को गया संगीतज्ञों तथा नर्तकों का एक दल तथा अफगानिस्तान को गया २६ व्यक्तियों का हॉकी-फुटबाल खिलाड़ी तथा संगीतज्ञ मण्डल।

नेपाल से १५ विद्यार्थियों का एक प्रतिनिधिमण्डल और पत्रकारों तथा सरकारी कर्मचारियों के दो दल; कनाडा से एक प्रसिद्ध संगीत आलोचक; हिन्दी तथा संस्कृत के दो जापानी विद्यार्थी तथा लन्दन की राष्ट्रमण्डलीय संस्था के निदेशक भारत आए।

सांस्कृतिक समझौता

१६५८ में काहिरा में भारत तथा संयुक्त अरब गणराज्य के बीच एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए।

अनुदान

विदेशों के साथ निकटतम सांस्कृतिक सम्पर्क स्थापित करने में लगी विदेश-स्थित २० से अधिक समितियों तथा संस्थानों को तदर्थ अनुदानों के रूप में वित्तीय सहायता दी गई।

भारतीय सांस्कृतिक सम्पर्क परिषद्

भारत तथा अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक सम्पर्क स्थापित करने तथा उन्हें सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से नवम्बर, १६४६ में इस परिषद् की स्थापना हुई। यह परिषद् अपने आप में एक स्वतन्त्र संस्था है। परिषद् अंग्रेज़ी तथा अरबी भाषा में एक-एक त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित करती है। परिषद् दुर्लभ पाण्डुलिपियों तथा भारत सम्बन्धी अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकों के प्रकाशन और भारतीय प्रकाशनों का विदेशी भाषा में अनुवाद कराने का भी काम करती है।

—:०:—

दसवाँ अध्याय

वैज्ञानिक शोध

विज्ञान तथा वैज्ञानिक शोध के सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या नीति है, यह १३ मार्च, १९५८ को संसद् के दोनों सदनों में प्रस्तुत किए गए एक प्रस्ताव में स्पष्ट कर दिया गया। इस नीति का उद्देश्य विज्ञान तथा सभी प्रकार के वैज्ञानिक शोध को उचित ढंग से प्रोत्साहन देना, उनका विकास करना तथा तत्सम्बन्धी कार्य जारी रखना है।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक शोध परिषद्

भारत में वैज्ञानिक शोध का काम सरकार के तत्त्वावधान में मुख्यतः 'वैज्ञानिक तथा औद्योगिक शोध परिषद्' और उसके नियन्त्रण में स्थापित विभिन्न राष्ट्रीय प्रयोगशालाएँ अथवा संस्थाएँ करती हैं। परिषद्, शोध संस्थानों में लगे वैज्ञानिकों को सहायता-अनुदान और योग्य व्यक्तियों को छात्रवृत्तियाँ देने तथा विज्ञान सम्बन्धी जानकारी के प्रसार का कार्य भी करती है। विदेशों से लौटने वाले सुयोग्य भारतीय वैज्ञानिकों तथा शिल्पविज्ञों को अस्थायी रूप से काम से लगाने का उत्तरदायित्व भी इसी परिषद् पर है। यह परिषद् देश के वैज्ञानिक तथा प्राविधिक कर्मचारियों की सूची रखने की भी व्यवस्था करती है।

परिषद् के सभी कार्यों के लिए वित्त की व्यवस्था मुख्यतः केन्द्रीय सरकार करती है। रॉयल्टी तथा प्रकाशनों के विक्रय आदि से होने वाली आय के अलावा परिषद्, राज्य सरकारों तथा अन्य व्यक्तियों से भूमि, भवन तथा धन और उद्योगपतियों से चन्दा भी प्राप्त करती है। १९५८-५९ में परिषद् का आवर्तक व्यय ३.३१ करोड़ रुपये तथा अनुमानित पूँजीगत व्यय १.७८ करोड़ रुपये हुआ।

राष्ट्रीय प्रयोगशालाएँ

स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद से परिषद्, देश के विभिन्न केन्द्रों में कई राष्ट्रीय प्रयोगशालाएँ स्थापित कर चुकी है जिनका विवरण तालिका सं० ८ में दिया हुआ है।

शोधकार्य को प्रोत्साहन

सहायता-अनुदानों की सहायता से अन्य शोध प्रयोगशालाओं तथा विश्वविद्यालयों में वैज्ञानिकों को आधारभूत तथा व्यावहारिक शोधकार्य करने और अपने-अपने विशेष ज्ञान

तालिका ८

राष्ट्रीय प्रयोगशालाएँ/संस्थाएँ

	नाम	स्थान
१.	केन्द्रीय ईंधन शोध संस्था	जीलगोड़ा (बिहार)
२.	केन्द्रीय काँच तथा कुम्हारी-काम शोध संस्था	जादवपुर
३.	केन्द्रीय खनन शोध केन्द्र	धनबाद
४.	केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी शोध संस्था	मैसूर
५.	केन्द्रीय चर्म शोध संस्था	मद्रास
६.	केन्द्रीय नमक शोध संस्था	भावनगर
७.	केन्द्रीय भवन शोध संस्था	रुड़की
८.	केन्द्रीय भेषज शोध संस्था	लखनऊ
९.	केन्द्रीय मशीनी इंजीनियरिंग शोध संस्था	दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल)
१०.	केन्द्रीय विद्युत् इंजीनियरिंग शोध संस्था	पिलानी (राजस्थान)
११.	केन्द्रीय विद्युत् रसायन शोध संस्था	कराइकुडी (मद्रास)
१२.	केन्द्रीय सड़क शोध संस्था	नयी दिल्ली
१३.	केन्द्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य शोध संस्था	नागपुर
१४.	प्रादेशिक शोध प्रयोगशाला	हैदराबाद
१५.	प्रादेशिक शोध प्रयोगशाला	जम्मू-तावी (जम्मू तथा कश्मीर)
१६.	बिड़ला औद्योगिक तथा प्रौद्योगिकी संग्रहालय	कलकत्ता
१७.	भारतीय जीवरसायन तथा परीक्षणात्मक औषधि संस्था	कलकत्ता
१८.	राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला	जमशेदपुर
१९.	राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला	नयी दिल्ली
२०.	राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला	पूना
२१.	राष्ट्रीय वनस्पति-विज्ञान उद्यान	लखनऊ

का विकास करने के लिए प्रोत्साहन प्राप्त होता है। इस समय देश के ३८ से अधिक शोध केन्द्रों में ३१० से अधिक कार्यक्रमों का काम जारी है।

हाल के कुछ वर्षों से राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में मार्गदर्शक संयन्त्रों के सम्बन्ध में जाँच-पड़ताल के कार्य पर अधिक बल दिया जा रहा है। १९५८ के प्रथम ९ महीनों में ऐसे १६ मार्गदर्शक संयन्त्र स्थापित किए गए।

वाणिज्य मण्डलों तथा औद्योगिक संस्थाओं की सहायता से उद्योगों तथा राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के बीच अधिक से अधिक निकट सम्पर्क स्थापित किया जा रहा है।

विज्ञान मन्दिर

सामुदायिक विकास योजनाकार्य-क्षेत्रों में 'विज्ञान मन्दिर' नामक २१ ग्रामीण वैज्ञानिक केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं। प्रत्येक केन्द्र में एक प्रयोगशाला और योग्य तथा प्रशिक्षित कर्मचारी होते हैं। ये केन्द्र ग्रामीण लोगों में वैज्ञानिक जानकारी का प्रसार करते तथा उन्हें इसके उपयोग की सार्थकता के विषय में समझाते हैं।

परमाणु शोध तथा आणविक शक्ति

'आणविक शक्ति आयोग' आणविक शक्ति विषयक सभी मामलों के सम्बन्ध में नीति तैयार करने तथा उन्हें कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी है। आयोग का वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक कार्य 'आणविक खनिज विभाग' तथा 'आणविक शक्ति प्रतिष्ठान' करते हैं। तत्सम्बन्धी औद्योगिक कार्य 'भारतीय दुर्लभ मृत्तिका (प्राइवेट) लिमिटेड' तथा 'तिरुवांकुर खनिज (प्राइवेट) लिमिटेड' नामक संस्थाएँ करती हैं।

'आणविक खनिज विभाग' भूगर्भ-सर्वेक्षण, खनन तथा खनिज प्रौद्योगिकी का कार्य करता है।

ट्रॉम्बे-स्थित 'आणविक शक्ति प्रतिष्ठान' में आणविक शक्ति सम्बन्धी शोधकार्य तथा विकासकार्य किया जाता है। प्रशिक्षण की सुविधाओं से युक्त एक प्रशिक्षण स्कूल भी स्थापित किया जा चुका है।

यह प्रतिष्ठान जीवरसायन, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभागों के अतिरिक्त भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र तथा इंजीनियरिंग सम्बन्धी तीन मुख्य शाखाओं में बँटा हुआ है। प्रत्येक शाखा के विभिन्न विभागों की प्रयोगशालाओं के अतिरिक्त इस प्रतिष्ठान द्वारा दी जाने वाली अन्य सुविधाओं में भारत की सर्वप्रथम आणविक भट्ठी 'अप्सरा'; एक रेडियोरसायन प्रयोगशाला (रेडियोसक्रिय तत्वों के सम्बन्ध में रसायज्ञों (केमिस्टों) के प्रशिक्षण की व्यवस्था से युक्त); एक विकास तथा उत्पादन एकक; एक स्वास्थ्य सर्वेक्षण सेवा (जिसके द्वारा यह निश्चित किया जाता है कि रेडियोसक्रिय सामग्री के सम्बन्ध में प्रयोग करने वाले कर्मचारियों को आवश्यकता से अधिक औषधि नहीं दी जाती) और यूरेनियम तैयार करने वाला एक संयन्त्र सम्मिलित है। 'जरलीना' नामक एक दूसरी आणविक भट्ठी का भी निर्माण किया जा रहा है जो नयी आणविक भट्ठियों के अध्ययन तथा आकल्पन की दृष्टि से उपयोगी रहेगी। इसके अतिरिक्त कनाडा-भारत आणविक भट्ठी का भी निर्माण किया जा रहा है। 'जरलीना' में १९५९ में कार्य आरम्भ हो जाएगा और कनाडा-भारत आणविक भट्ठी में १९६० के प्रारम्भ में।

आयोग की औद्योगिक गतिविधियों में केरल तथा मद्रास सरकारों के साथ संयुक्त रूप से अक्तूबर, १६५६ में स्थापित 'तिरुवांकुर खनिज (प्राइवेट) लिमिटेड' सम्मिलित है। इसमें मुख्य रूप से इलेमेनाइट तथा मोनाज़ाइट तैयार किए जाते हैं। इलेमेनाइट, विदेशी विनिमय के अर्जन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और मोनाज़ाइट अलवाए-स्थित 'भारतीय दुर्लभ मृत्तिका (प्राइवेट) लिमिटेड' को भेज दिया जाता है। अलवाए की यह संस्था भी संयुक्त रूप से आयोग तथा केरल सरकार के अधीन है। अलवाए में मोनाज़ाइट रेत से विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ तैयार की जाती हैं। आयोग की ओर से घाटशिला-स्थित एक मार्गदर्शक संयन्त्र (बिहार) में तांबे की कतरनों से यूरेनियम निकाला जाता है। नंगल में स्थापित किए जा रहे उर्वरक संयन्त्र में एक उपोत्पाद के रूप में 'हैवी वाटर' का उत्पादन किया जाएगा।

आयोग की गतिविधियाँ भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप परमाणुशक्ति के विकास की दिशा में होती हैं।

परमाणु-विज्ञान के विकास की दिशा में प्रगति करने की दृष्टि से आयोग विभिन्न विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं तथा शोध संस्थानों को सहायता-अनुदान देता है। इस सम्बन्ध में भौतिकविज्ञान में शोधकार्य को प्रोत्साहन देने के लिए १६४५ में स्थापित 'टाटा मूलभूत शोध संस्था' का उल्लेख किया जा सकता है। यह संस्था ब्रह्माण्ड-रश्मि सम्बन्धी कार्यों का सबसे महत्वपूर्ण केन्द्र है। परमाणु तथा ब्रह्माण्ड-रश्मि शोध के अन्य मुख्य केन्द्र हैं: अहमदाबाद की 'भौतिकविज्ञान प्रयोगशाला'; कलकत्ता की 'बोस संस्था'; बंगलोर की 'भारतीय विज्ञान संस्था' तथा कलकत्ता की 'साहा परमाणु भौतिक-विज्ञान संस्था'।

अन्य शोध विभागों का कार्य

'केन्द्रीय सिंचाई तथा विद्युत् मण्डल' के तत्वावधान में देश में ११ 'जलगति (हाइड्रॉलिक) शोध केन्द्र' हैं। पूना के निकट खडकवासला-स्थित 'केन्द्रीय जल विद्युत् तथा सिंचाई शोध केन्द्र' इसका प्रमुख केन्द्र है।

संचार-साधन मन्त्रालय के 'असैनिक उड्डयन महानिदेशालय' के अधीन स्थापित 'शोध तथा विकास निदेशालय' विमान-निर्माण के कार्यों की देखभाल करता है।

देहरादून की 'वन अनुसन्धान संस्था' में भवन-निर्माण के लिए इमारती लकड़ी के उपयोग से सम्बन्धित शोधकार्य होता है।

नयी दिल्ली के आकाशवाणी शोध विभाग में रेडियो-तरंग सम्बन्धी समस्याओं पर शोधकार्य होता है।

रेल कारखानों की समस्याओं के सम्बन्ध में जाँच-पड़ताल करने के लिए 'रेल मण्डल' ने लखनऊ में एक शोध केन्द्र तथा लोनावला और चित्तरंजन में शोध उपकेन्द्र स्थापित किए हैं।

सड़क-विकास सम्बन्धी समस्याओं को हल करने का कार्य परिवहन मन्त्रालय के अधीन 'सड़क संगठन' करता है ।

अन्य संस्थान

देश में कई शोध संस्थान निजी तौर पर वैज्ञानिक शोधकार्य में लगे हुए हैं । इनमें से मुख्य हैं : 'बीरबल साहनी प्राचीन वनस्पति-विज्ञान संस्था', लखनऊ; 'बोस संस्था', कलकत्ता; 'भारतीय विज्ञान प्रोत्साहन संघ', कलकत्ता; 'भारतीय विज्ञान संस्था', बंगलोर; 'भौतिकविज्ञान शोध प्रयोगशाला', अहमदाबाद तथा 'श्रीराम औद्योगिक शोध संस्था', दिल्ली ।

चिकित्सा शोधकार्य

१६१२ में स्थापित 'भारतीय चिकित्सा शोध परिषद्' ने देश में होने वाले चिकित्सा सम्बन्धी शोधकार्यों में समन्वय स्थापित करने में महान योग दिया ।

चिकित्सा कालेजों तथा सम्बद्ध अस्पतालों के अलावा देश में कई विशेष अध्ययन वाले संस्थान भी हैं । कलकत्ता की 'अखिल भारतीय स्वास्थ्यविज्ञान तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्था' में उन बीमारियों के लिए चिकित्सा सम्बन्धी तथा निरोधात्मक औषधियों के प्रयोग का परीक्षण किया जाता है जो भारत के लिए नयी है । कलकत्ता की 'ऊष्ण कटिबन्धीय औषधि संस्था' में ऊष्ण कटिबन्धीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली बीमारियों के सम्बन्ध में शोधकार्य किया जाता है ।

गिण्डी (मद्रास) स्थित 'किंग निरोधात्मक औषधि संस्था' में बैक्टीरिया सम्बन्धी रोगों के टीके तैयार किए जाते हैं ।

दिल्ली की 'वल्लभभाई पटेल वक्ष संस्था' में क्षय-रोग तथा अन्य वक्ष-रोगों के सम्बन्ध में शोधकार्य होता है । चिंगलपट का 'लेडी विलिंग्डन कोढ़ उपचारालय' तथा सैदापेट का 'सिलवर जुबली बाल उपचारालय' मद्रास सरकार द्वारा हस्तगत कर लिए गए हैं और उनके स्थान पर 'केन्द्रीय कोढ़ संस्था' स्थापित कर दी गई है ।

बम्बई की हॉफकिन संस्था में बड़े पैमाने पर टीके तैयार किए जाते हैं।

बम्बई के 'भारतीय कैंसर शोध केन्द्र' में कैंसर के सम्बन्ध में जाँच-पड़ताल की जाती है ।

कसौली की 'केन्द्रीय शोध संस्था' में जीवरसायन आदि की समस्याओं की जाँच-पड़ताल की जाती है ।

कुन्नूर-स्थित पास्तुर संस्था में इन्फ्ल्युएंज़ा तथा रेबीज़ आदि पर शोधकार्य किया जाता है ।

कृषि शोधकार्य

१६२६ में स्थापित 'भारतीय कृषि शोध परिषद्' कृषि तथा पशुपालन, दोनों से सम्बन्धित शोधकार्य को प्रोत्साहन देती है ।

दिल्ली की 'भारतीय कृषि शोध संस्था' कृषि सम्बन्धी शोधकार्य करने वाली सबसे पुरानी संस्था है।

आइजटनगर की 'भारतीय पशु-चिकित्सा शोध संस्था' में पशुओं की बीमारियों तथा उनके उपचार का काम होता है। करनाल की 'राष्ट्रीय दुग्धशाला शोध संस्था' का विकास किया जा रहा है। 'केन्द्रीय चावल शोध संस्था' तथा 'केन्द्रीय आलू शोध संस्था' में क्रमशः चावल तथा आलू सम्बन्धी समस्याओं पर शोधकार्य होता है।

सात जिन्स समितियाँ—कपास, पटसन, नारियल, तम्बाकू, तिलहन, सुपारी तथा लाख के सम्बन्ध में शोधकार्य करती हैं। इनकी अपनी-अपनी प्रयोगशालाएँ तथा शोध संस्थान हैं।

मण्डपम-स्थित 'केन्द्रीय तटवर्ती मछली शोध केन्द्र' में समुद्र-तट पर पाई जाने वाली खाद्य मछलियों की जाँच-पड़ताल की जाती है।

कलकत्ता का 'केन्द्रीय अन्तर्देशीय मछली शोध केन्द्र' तालाबों तथा नदियों में पाई जाने वाली (अन्तर्देशीय) मछलियों के सम्बन्ध में जाँच-पड़ताल करता है।

ग्यारहवाँ अध्याय

स्वास्थ्य

१९४१-५० में भारत के पुरुषों तथा महिलाओं का जीवनकाल अनुमानतः क्रमशः ३२.४५ वर्ष तथा ३१.६६ वर्ष का रहा। १९४७ से लोगों के सामान्य स्वास्थ्य में काफी सुधार देखने में आया जो निम्न तालिका से स्पष्ट होता है :

तालिका ६

	१९४७	१९५६	१९५७
प्रति १,००० व्यक्ति सामान्य मृत्यु-दर	१९.७	११.४	१२.१
बाल मृत्यु-दर	१४६	१०८	—
प्रति १,००० व्यक्ति मृत्यु (निम्न कारण से)			
(१) ज्वर	१०.८	४.८	४.८
(२) चेचक	०.१	०.०६	०.१६
(३) प्लेग	०.३	—	—
(४) हैजा	०.४	०.०६	०.१६
(५) पेचिस तथा अतिसार	०.८	०.९	०.५
(६) श्वास सम्बन्धी बीमारियाँ	१.५	०.९	१.१

स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमों का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है, किन्तु मलेरिया-नियन्त्रण, फाइलेरिया-नियन्त्रण, परिवार-नियोजन, जल-व्यवस्था तथा सफाई, छूत के रोगों की रोकथाम तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व केन्द्र पर आता है।

रोगों की रोकथाम और नियन्त्रण

मलेरिया

१९५३ में आरम्भ किया गया 'राष्ट्रीय मलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम' १ अप्रैल, १९५८ से 'राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम' में बदल दिया गया है। यह कार्यक्रम अमेरिका

के 'प्राविधिक सहयोग मण्डल' तथा 'विश्व स्वास्थ्य संगठन' के साथ-साथ राज्य सरकारों के सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है।

भारत की 'मलेरिया संस्था' शोधकार्य तथा कर्मचारियों को मलेरिया-नियन्त्रण का प्रशिक्षण देने के लिए उत्तरदायी है। छः प्रादेशिक समन्वयन संगठन स्थापित किए जा रहे हैं जो एक कार्यक्रम निदेशक के अधीन होंगे।

३१ मार्च, १९५८ तक १६.३५ करोड़ व्यक्तियों को मलेरिया से सुरक्षा प्रदान की गई और १६० मलेरिया एकक स्थापित किए गए।

फाइलेरिया

१९५४-५५ में आरम्भ किए गए 'राष्ट्रीय फाइलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम' के अन्तर्गत इस रोग के रोगियों को औषधियाँ बाँटी जाती हैं और शहरों तथा गाँवों में मच्छर-विरोधी कार्यवाही की जाती है। राज्यों के लिए आवण्टित ४६ नियन्त्रण एककों में से ३६ का कार्य आरम्भ हो चुका है। २.०८ करोड़ व्यक्तियों के सर्वेक्षण का कार्य अक्तूबर, १९५८ के अन्त तक पूरा हो गया। इस रोग के २०.०४ लाख रोगी व्यक्तियों की चिकित्सा की गई और ७० लाख व्यक्तियों के निवास स्थानों में डीलड्रिन छिड़का गया। एरणाकुलम में इसका एक 'व्यावहारिक प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण केन्द्र' स्थापित किया जा चुका है और अब तक ७० चिकित्सा-अधिकारी तथा १०९ निरीक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं।

क्षय रोग

देश में क्षय-रोग से प्रति वर्ष लगभग २५ लाख व्यक्ति पीड़ित होते हैं जिनमें से लगभग ५ लाख व्यक्ति मर जाते हैं।

१९४८ में आरम्भ हुए बी० सी० जी० टीका आन्दोलन का उद्देश्य २० वर्ष से कम की आयु के १७ करोड़ क्षय-रोगग्राही व्यक्तियों की रक्षा करना है। इस काम में १६२ क्षय-रोग निवारक टुकड़ियाँ लगी हुई हैं जिनमें से प्रत्येक में एक डाक्टर तथा छः विशेषज्ञ हैं। अक्तूबर, १९५८ के अन्त तक ११.६२ करोड़ व्यक्तियों की जाँच की गई तथा उनमें से लगभग ४.०७ करोड़ व्यक्तियों को टीके लगाए गए।

नयी दिल्ली, नागपुर, पटना, मद्रास, हैदराबाद तथा त्रिवेन्द्रम में छः केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं। दिल्ली की 'वल्लभभाई पटेल वक्ष संस्था' जैसी अन्य कई संस्थाओं में तत्सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 'संयुक्त राष्ट्र संघीय अन्तर्राष्ट्रीय बालसंकट कोष' तथा 'विश्व स्वास्थ्य संगठन' की सहायता से एक राष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया जाएगा।

१९५७ में देश में क्षय-रोग की चिकित्सा सम्बन्धी ७१ स्वास्थ्यलाभ-गृहों; ७६ अस्पतालों; २३५ उपचारालयों; २०६ वार्डों तथा १८,१४७ रोगीशय्याओं की व्यवस्था थी।

१९५६ में क्षय-रोग के चिकित्सा संस्थानों में काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मचारियों में १,३०१ चिकित्सक ; ८६२ उपचारिकाएँ ; १५५ स्वास्थ्य निरीक्षक ; १५ सामाजिक कार्यकर्त्ता ; १४२ एक्स-रे प्राविधिज्ञ ; ९८ प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ तथा २,६६६ सामान्य कर्मचारी थे।

क्षय-रोग से मुक्ति पाने वाले व्यक्तियों की देखभाल तथा उनके निवास के लिए देश में १५ देखभाल बस्तियाँ हैं। द्वितीय योजनाकाल में ऐसी ६ बस्तियाँ और बसाने का विचार किया गया है।

सितम्बर, १९५५ में 'भारतीय चिकित्सा शोध परिषद्' के तत्वावधान में आरम्भ किया गया देशव्यापी सर्वेक्षण का कार्य मई, १९५८ में पूरा हो गया।

भारत का 'क्षय रोग संघ' सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है जो १९३९ में अपनी स्थापना के समय से वैज्ञानिक तथा समन्वित ढंग से क्षय-रोग-विरोधी कार्यवाही करने में लगा हुआ है।

कुष्ठ रोग

१९५३ में देश में लगभग १५ लाख व्यक्तियों के कुष्ठ रोग से पीड़ित होने का अनुमान लगाया गया था। असम तथा आन्ध्र प्रदेश, केरल, बिहार, मद्रास तथा मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश तथा बम्बई के कुछ भागों में इसका सबसे अधिक प्रकोप रहता है।

प्रथम योजनाकाल में आरम्भ हुई 'कुष्ठ रोग नियन्त्रण योजना' के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मद्रास तथा मध्य प्रदेश में ४ उपचार तथा अध्ययन केन्द्र और १० राज्यों तथा २ संघीय क्षेत्रों में ६३ सहायक केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं। इस योजना को कार्यान्वित किए जाने के कार्य की समीक्षा करने तथा तत्सम्बन्धी सुधार सुझाने के लिए फरवरी, १९५८ में एक परामर्श समिति नियुक्त की गई।

चिंगलपट-स्थित 'केन्द्रीय कुष्ठ अध्यापन तथा शोध संस्था' के दो अस्पतालों में कुष्ठ रोग के रोगियों के उपचार की व्यवस्था है। इस सम्बन्ध में 'हिन्द कुष्ठ निवारण संघ' तथा 'गान्धी स्मारक न्यास' भी महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं।

यौन रोग

यह अनुमान लगाया गया है कि पश्चिम बंगाल, बम्बई तथा मद्रास राज्यों के ५ से ७ प्रतिशत निवासी 'सिफलिस' रोग से तथा आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, मद्रास तथा मध्य प्रदेश के कुछ जिलों के लोग 'याज़' रोग से पीड़ित रहते हैं। इन क्षेत्रों में इनके नियन्त्रण का काम चालू है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रम में चिकित्सा-कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए राज्यों के मुख्यालयों में ८ यौन रोग उपचारालयों तथा जिलों में ७५ यौन रोग चिकित्सालयों की स्थापना की भी एक योजना सम्मिलित है। १९५७ के अन्त तक ६,०७,१५३ रोगियों की जाँच की गई तथा ८,१४४ रोगियों का उपचार किया गया।

इन्फ्ल्युएंज़ा

कुन्नूर की पास्तुर संस्था में १९५० में एक इन्फ्ल्युएंज़ा केन्द्र खोला गया था। इन्फ्ल्युएंज़ा के टीके तैयार करने के लिए यहाँ एक कारखाना भी खोला गया है।

कैंसर

बम्बई-स्थित 'भारतीय कैंसर शोध केन्द्र' तथा कलकत्ता-स्थित 'चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर शोध केन्द्र' में जाँच-पड़ताल का कार्य जारी है। बम्बई के 'टाटा स्मारक अस्पताल' में चिकित्सा की सुविधाएँ प्राप्त हैं।

पोषण तथा खाद्य में मिलावट का निवारण

भारत में इस सम्बन्ध में १६३५ से होते आ रहे सर्वेक्षणों से पता चला है कि भारतीय लोगों का भोजन, मात्रा तथा पदार्थों की दृष्टि से अभावपूर्ण रहता है। प्रति वयस्क व्यक्ति को प्रति दिन २,४०० से ३,००० कैलोरियों की आवश्यकता होती है, किन्तु एक औसत भारतीय के भोजन में केवल १,७५० कैलोरियाँ ही होती हैं। भारतीय लोगों के भोजन में प्रोटीन, स्निग्ध पदार्थ, खनिज तथा विटामिन जैसे आवश्यक खाद्य-तत्वों का भी अभाव रहता है।

भोजन के स्तर में वृद्धि करना एक आर्थिक समस्या है जिसका सम्बन्ध भारत की अर्थ-व्यवस्था के विकास के साथ है। गर्भवती स्त्रियों, जच्चाओं, स्कूली बालकों तथा औद्योगिक मजदूरों जैसे कुछ वर्गों के लोगों के भोजन में पौष्टिक पदार्थों के अभाव की पूर्ति के लिए कई उपाय किए गए हैं।

भारतीय भोजन के पूरक के रूप में तैयार की गई एक खाद्य-वस्तु के सम्बन्ध में दिल्ली की मजदूर बस्तियों और उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा मद्रास के कुछ शहरी तथा ग्रमीण क्षेत्रों में जाँच-पड़ताल की गई। इस जाँच-पड़ताल के फलस्वरूप जो परिणाम प्राप्त हुए, उनसे पता चलता है कि यह खाद्य-वस्तु प्रत्येक व्यक्ति को प्रति दिन लगभग आधी छटाँक के हिसाब से दी जा सकती है तथा इससे उनके स्वास्थ्य में वृद्धि होती है।

पोषण सम्बन्धी नीति

'पोषण परामर्श समिति' पोषण सम्बन्धी नीतियों के विषय में सुझाव देती रहती है।

पोषण सम्बन्धी शोध

राज्यों में प्रादेशिक भोजन तथा पोषण सम्बन्धी सर्वेक्षण किए जाते हैं। 'भारतीय चिकित्सा शोध परिषद्' इस सम्बन्ध में शोधकार्य करती है।

इस सम्बन्ध में स्थापित प्रयोगशालाओं ने दक्षिण भारत के उपयुक्त सस्ते तथा सन्तुलित भोजन के खाद्य पदार्थों की सूची तथा स्कूलों के मध्यान्हकालीन भोजन के सम्बन्ध में एक पुस्तिका तैयार की है। प्रतिरक्षा मन्त्रालय के सामान्य मुख्यालय-स्थित चिकित्सा निदेशालय तथा खाद्य मन्त्रालय के अपने-अपने पोषण विभाग हैं। नवम्बर, १६४७ में स्वास्थ्य मन्त्रालय ने एक पोषण सलाहकार नियुक्त किया। आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल, बम्बई, बिहार, मद्रास, मध्य प्रदेश तथा मैसूर में भी पोषण केन्द्र हैं।

खाद्य में मिलावट का निवारण

'खाद्य में मिलावट निवारण अधिनियम, १९५४' तथा इसके अधीन बनाए गए नियम जम्मू तथा कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण देश में लागू हैं। इसमें अपराधियों को कड़ा दण्ड दिए जाने की व्यवस्था की गई है। 'केन्द्रीय खाद्य मानक समिति' तथा 'केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला' स्थापित की जा चुकी हैं।

जल-व्यवस्था तथा सफाई

प्रथम योजनाकाल के आरम्भ में ५०,००० तथा उससे अधिक की जनसंख्या वाले १२८ नगरों; ३०,००० से ५०,००० तक की जनसंख्या वाले ६० कस्बों तथा इससे कम जनसंख्या वाले २१० कस्बों में सुरक्षित जल की व्यवस्था थी। कस्बों के लगभग ४.५० करोड़ व्यक्तियों के लिए सुरक्षित जल की और ५ करोड़ से अधिक व्यक्तियों के लिए मलमूत्र आदि बहाने की कोई व्यवस्था नहीं थी।

राष्ट्रीय जल-व्यवस्था तथा सफाई योजना

मार्च, १९५८ के अन्त तक शहरी क्षेत्रों के लिए २७५ तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए २०६ जल-व्यवस्था तथा नाली योजनाएँ कार्यान्वित की जा चुकी थीं। राज्यों की द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण योजनाओं के लिए २८ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। शहरी क्षेत्रों की योजना में केन्द्रीय योजना के लिए ३० करोड़ रुपये तथा राज्यों की योजनाओं के लिए २३ करोड़ रुपये के व्यय की व्यवस्था की गई है।

योजना में कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक सार्वजनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी इंजीनियरिंग कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए भी व्यवस्था की गई है। राज्य सरकारों की सहायता के लिए 'केन्द्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग संगठन' स्थापित किया जा चुका है।

चिकित्सा सम्बन्धी सहायता तथा सेवा

चिकित्सा सम्बन्धी सहायता तथा सेवा की व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से राज्यों पर ही है। इस सम्बन्ध में कुछ धर्मार्थ संस्थाओं से भी सहायता मिलती है। १९५६ में देश में अस्पतालों तथा दवाखानों की संख्या ९,६३५ थी जिनके द्वारा १३,४४,०३,९०३ व्यक्तियों का उपचार हुआ। इस कार्य पर २३,२६,७२,८२७ रुपये व्यय हुए। १९५७ के अन्त में देश में लगभग ७६,७१६ पंजीकृत चिकित्सक; ८७,७६८ वैद्य, हकीम तथा अन्य प्रकार के चिकित्सक; ३६,७६१ कम्पाउण्डर; २६,७४० उपचारिकाएँ ३१,४१२ दाइयाँ; ४,०७१ टीका लगाने वाले तथा ३,६७६ दन्त-चिकित्सक थे।

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना

१ जुलाई, १९५४ से आरम्भ इस योजना से केन्द्रीय सरकार के ४ लाख से अधिक कर्मचारियों तथा उनके परिवारों को चिकित्सा की सुविधाएँ मिलती हैं। यह योजना केवल

दिल्ली तथा नयी दिल्ली तक ही सीमित है। सरकारी कर्मचारियों को उनके वेतन के अनुसार ५० नये पैसे से लेकर १२ रुपये तक का मासिक चन्दा देना पड़ता है। १९५८ में अक्तूबर के अन्त तक ११,३५,४४४ कर्मचारियों ने इस योजना से लाभ उठाया।

स्वास्थ्य बीमा

स्वास्थ्य बीमा योजना की सुविधाएँ जिसके द्वारा 'कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, १९४८' के अन्तर्गत औद्योगिक मजदूरों को चिकित्सा-लाभ मिलता है, आजकल देश के १३ लाख मजदूरों को प्राप्त हैं।

कोयला-खान तथा अभ्रक-खान मजदूरों को 'कोयला खान श्रम कल्याण निधि' तथा 'अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि' द्वारा संचालित संस्थाओं से चिकित्सा सम्बन्धी सहायता प्राप्त होती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

१९५४ से आरम्भ एक कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रथम योजनाकाल में राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों में ६८ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किए गए थे। प्रत्येक केन्द्र से खण्ड के लगभग ६६,००० व्यक्ति लाभ उठाते हैं। सामुदायिक योजनाकार्य-क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले लगभग १,००० केन्द्रों के अलावा द्वितीय योजनाकाल में ऐसे लगभग २,००० केन्द्र और स्थापित किए जा रहे हैं।

देशी तथा होमियोपैथिक चिकित्सा प्रणाली

सरकार की यह स्वीकृत नीति है कि देशी तथा होमियोपैथिक चिकित्सा प्रणालियों को यथासम्भव प्रोत्साहन दिया जाए और आधुनिक चिकित्सा प्रणाली इनसे जो कुछ ग्रहण कर सके, करे।

दवे समिति

श्री डी० टी० दवे की अध्यक्षता में एक समिति ने १९५६ में आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा प्रणालियों के लिए एक-से पंचवर्षीय पाठ्यक्रम तथा होमियोपैथिक चिकित्सा प्रणाली के लिए साढ़े पाँच वर्ष के पाठ्यक्रम के लिए सिफारिश की।

चिकित्सा प्रणालियों के नियमन के सम्बन्ध में समिति ने आयुर्वेदिक, यूनानी तथा होमियोपैथिक चिकित्सा प्रणालियों की अलग-अलग केन्द्रीय परिषद् स्थापित करने की सिफारिश की। 'केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद्' ने इस विचार के आधार पर कि वर्तमान परिस्थिति में एकसार नीति निर्धारित करना सम्भव नहीं है, राज्य सरकारों से आयुर्वेदिक तथा अन्य देशी चिकित्सा प्रणालियों के विकास के लिए यथासम्भव प्रयत्न करने की सिफारिश की।

केन्द्रीय देशी चिकित्सा प्रणाली शोध संस्था

जामनगर-स्थित यह संस्था २४ अगस्त, १९५३ से कार्य कर रही है। इस संस्था में ५० रोगीशय्याओं के एक अस्पताल के अलावा एक फार्मेसी, एक संग्रहालय तथा एक रोगविज्ञान शोध प्रयोगशाला भी है। इस संस्था में पाण्डु, ग्रहणी, जलोदर आदि रोगों पर शोधकार्य हो रहा है। १९५६-५७ में इसमें एक 'सिद्ध' विभाग भी स्थापित किया गया।

एकसार शिक्षा मानक

देश में आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा प्रणालियों के अध्यापन के लिए ५० से अधिक कालेज तथा स्कूल हैं, किन्तु उनके पाठ्यक्रम आदि भिन्न-भिन्न हैं। 'केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद्' ने १९५४ में एक पंचवर्षीय पाठ्यक्रम लागू करने तथा प्रवेश आदि का निम्नतम मानक निर्धारित करने की सिफारिश की। जुलाई, १९५६ में जामनगर में आयुर्वेद का एक स्नातकोत्तर प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया गया।

देशी चिकित्सा प्रणालियों के नियमन के लिए लगभग सभी राज्यों में राज्यीय मण्डल स्थापित किए जा चुके हैं।

होमियोपैथिक चिकित्सा प्रणाली

१९५५ में भारत सरकार ने होमियोपैथी के लिए पाँच वर्ष का एक पाठ्यक्रम स्वीकार किया। द्वितीय योजना में वर्तमान ५ शिक्षण संस्थाओं के स्तर में वृद्धि करने का विचार किया गया है। कुछ राज्यों में इस चिकित्सा प्रणाली के नियमन के लिए मण्डल बना दिए गए हैं।

औषधि नियन्त्रण तथा निर्माण

औषधि नियन्त्रण

'औषधि अधिनियम' तथा 'औषधि नियम' जम्मू तथा कश्मीर को छोड़कर शेष सभी राज्यों में लागू है। केन्द्रीय सरकार को, आयात की जाने वाली औषधियों की किस्मों के सम्बन्ध में जाँच-पड़ताल करने का अधिकार प्राप्त है। देश में तैयार की जाने वाली औषधियों के उत्पादन, बिक्री तथा वितरण पर नियन्त्रण रखने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है।

प्राविधिक विषयों पर परामर्श देने के लिए एक 'औषधि प्राविधिक परामर्श मण्डल की स्थापना कर दी गई है।

सर्वप्रथम 'भारतीय भेषजसंहिता-सारणी' १९५५ में प्रकाशित की गई। 'राष्ट्रीय सूत्र निर्धारिणी समिति' का प्रतिवेदन छप रहा है।

कलकत्ता-स्थित 'केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला' में औषधियों के नमूनों की जाँच-पड़ताल का कार्य किया जाता है।

देश में इस समय ५० चिकित्सा कालेज और ६ दन्त चिकित्सा कालेज तथा आधुनिक ढंग की चिकित्सा प्रणाली का प्रशिक्षण देने वाली अन्य संस्थाएँ हैं। द्वितीय योजनाकाल में कानपुर, कुरनूल, कोज़ीकोड, जबलपुर, जामनगर, नयी दिल्ली, पाण्डिचेरी, बीकानेर, भोपाल, राँची तथा हुबली में नये चिकित्सा कालेजों की स्थापना के लिए स्वीकृति दी गई। इसके अतिरिक्त १३ चिकित्सा कालेजों के विस्तार के लिए भी स्वीकृति दी गई। चुने हुए चिकित्सकों को विभिन्न चिकित्सा प्रणालियों तथा शल्य-चिकित्सा का स्नातकोत्तर प्रशिक्षण देने के लिए १२ चिकित्सा संस्थानों का स्तर ऊँचा किया जा चुका है। प्रथम योजनाकाल में ८ चिकित्सा कालेजों में 'सामाजिक तथा निरोधात्मक चिकित्सा विभाग' खोले गए और ६ अन्य कालेजों में भी यह विभाग खोले जाने के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है।

अखिल भारतीय चिकित्सा-विज्ञान संस्था

संसद् के एक अधिनियम के अनुसार १९५६ में एक 'अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था' स्थापित की गई जिसका उद्देश्य चिकित्सा सम्बन्धी स्नातकोत्तर शिक्षा देने में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। चिकित्सा कालेज के अलावा, इस संस्था में एक दन्त-चिकित्सा कालेज, एक उपचारण कालेज, एक स्नातकोत्तर शिक्षण केन्द्र तथा ६५० रोगीशय्याओं वाला एक अस्पताल है।

विशेष प्रशिक्षण

उपचारिकाओं के प्रशिक्षण की सुविधाएँ नयी दिल्ली तथा वेल्लोर के उपचारण कालेजों तथा देश के लगभग सभी बड़े अस्पतालों में उपलब्ध हैं। मद्रास की आन्ध्र महिला सभा जैसे कई गैरसरकारी संगठनों ने भी केन्द्र से अनुदान प्राप्त करके उपचारिकाओं के अल्पकालीन पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की है। द्वितीय योजना के अन्तर्गत १,७०० स्वास्थ्य निरीक्षकों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था किए जाने का विचार है।

सहायक चिकित्सकों का प्रशिक्षण

१९५४ में स्वीकृत सहायक चिकित्सकों के प्रशिक्षण की एक योजना के अनुसार एक द्विवर्षीय पाठ्यक्रम की व्यवस्था किए जाने का कार्यक्रम रखा गया है। इस प्रकार से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों से यह आशा की जाती है कि वे कम-से-कम पाँच वर्षों तक चिकित्सकों के सहायकों के रूप में तथा सरकारी पदों पर कार्य करेंगे।

परिवार-नियोजन

परिवार-नियोजन सम्बन्धी कार्यक्रम का उद्देश्य, जैसा कि योजना आयोग द्वारा बताया जा चुका है : (१) देश की शीघ्र बढ़ती हुई जनसंख्या के कारणों का सही-सही पता लगाना, (२) परिवार-नियोजन के उपयुक्त उपाय खोजना तथा उनका व्यापक रूप से प्रचार करना

तथा (३) परिवार-नियोजन के सम्बन्ध में सरकारी अस्पतालों तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा सलाह दिए जाने की व्यवस्था करना है।

द्वितीय योजना में परिवार-नियोजन के लिए रखे गए ४.९७ करोड़ रुपये में से ४ करोड़ रुपये केन्द्र के लिए तथा ९७ लाख रुपये राज्यों के लिए निर्धारित किए गए हैं। इसी योजना-काल में २,००० उपचारालय ग्रामीण क्षेत्रों में तथा ५०० उपचारालय शहरी क्षेत्रों में खोले जाएंगे।

१९५६-५९ में १५० शहरी तथा ६०० ग्रामीण उपचारालय स्थापित करने के निर्धारित लक्ष्य के स्थान पर २०१ शहरी तथा ४६७ ग्रामीण उपचारालय स्थापित किए जा चुके हैं।

परिवार-नियोजन सम्बन्धी कार्यक्रम तैयार करने के लिए केन्द्र में एक 'उच्चाधिकार परिवार-नियोजन मण्डल' स्थापित किया गया है। ऐसे परिवार-नियोजन मण्डल जम्मू तथा कश्मीर को छोड़ कर शेष सभी राज्यों में भी स्थापित किए जा चुके हैं। जनता को पुस्तिकाओं, प्रदर्शनियों तथा चलचित्रों की सहायता से परिवार-नियोजन सम्बन्धी कार्यक्रम से अवगत कराया जा रहा है।

शोध

बम्बई में एक 'जनांकिक प्रशिक्षण तथा शोध केन्द्र' स्थापित किया जा चुका है। बम्बई के 'भारतीय कैंसर शोध केन्द्र', कलकत्ता की 'अखिल भारतीय आरोग्य तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्था', लखनऊ विश्वविद्यालय और लखनऊ की 'केन्द्रीय औषधि शोध संस्था, कलकत्ता की 'जीवाणुविज्ञान संस्था' और कलकत्ता की 'स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा शोध संस्था' में गर्भनिरोधक औषधियों की जाँच-पड़ताल की जा रही है।

—:o:—

बारहवाँ अध्याय

समाज-कल्याण

मद्यनिषेध

संविधान के अनुसार सरकार का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह देश भर में मादक पेयों तथा द्रव्य-पदार्थों के उपभोग के निषेध के लिए सतत रूप से प्रयत्न करे। दिसम्बर, १९५४ में नियुक्त 'मद्यनिषेध जाँच समिति' से मद्यनिषेध के लिए एक कार्यक्रम के सम्बन्ध में सुझाव देने को कहा गया। लोक सभा में एक प्रस्ताव द्वारा ३१ मार्च, १९५६ को समिति की इस मुख्य सिफारिश की पुष्टि की गई कि मद्यनिषेध के कार्यक्रम को देश की विकास योजनाओं का ही एक अनिवार्य अंग बनाया जाए।

१९५७-५८ के अन्त में देश के ३२.३ प्रतिशत भाग में मद्यनिषेध जारी था जिसका प्रभाव देश की ४२.३ प्रतिशत जनसंख्या पर पड़ रहा था। निम्न तालिका में मद्यनिषेध के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रफल और जनसंख्या राज्यों के क्रम से दिखाई गई है :

तालिका १०

मद्यनिषेध वाला क्षेत्र तथा इससे प्रभावित जनसंख्या

राज्य तथा संघीय क्षेत्र	मद्यनिषेध वाला क्षेत्र (वर्ग मील)	मद्यनिषेध से प्रभावित जनसंख्या
असम	३,८४४	१४,९०,०००
आन्ध्र प्रदेश	५६,६९३	२,०४,१०,०००
उड़ीसा	२५,३५०	८१,००,०००
उत्तर प्रदेश	१९,३५०	१,३५ ३०,०००
केरल	८,६०७	९९,८०,०००
पंजाब	२,४७१	११,२०,०००
बम्बई	१,६९,९६४	४,५२,५०,०००
मद्रास	५०,१२८	२,९९,७०,०००
मध्य प्रदेश	३०,१२७	५३,४०,०००
मैसूर	४९,२१०	१,५६,६०,०००
राजस्थान	३४	१०,०००
हिमाचल प्रदेश	१,६४८	२,००,०००
योग	४,१७,४७२	१५,१०,६०,०००

कार्यक्रम

योजना आयोग एक अन्तरिम कार्यक्रम बना चुका है । आयोग ने लक्ष्य-तिथि निर्धारित करने तथा स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार नीति बनाने का उत्तरदायित्व प्रत्येक राज्य पर डाला है । आयोग ने निम्न कार्यक्रम अपनाने की सिफारिश की है : मादक पेयों के उपभोग को मिलने वाले प्रोत्साहन तथा उनके विज्ञापनों पर रोक, सार्वजनिक स्थानों में मद्यपान का निषेध, क्रमबद्ध कार्यक्रम तैयार करने के लिए प्राविधिक समितियों की स्थापना, सस्ते तथा स्वास्थ्यवर्धक पेय बनाने को प्रोत्साहन तथा सामुदायिक विकास खण्डों में मद्यनिषेध को प्रमुख रचनात्मक कार्यक्रम के रूप में स्थान दिया जाना ।

प्रगति

जम्मू तथा कश्मीर, पश्चिम बंगाल तथा बिहार को छोड़कर भारत के शेष सभी राज्यों में मद्यनिषेध का क्रमबद्ध कार्यक्रम लागू करने के सम्बन्ध में कार्य आरम्भ किया जा चुका है और अधिकांश राज्यों में मद्यनिषेध मण्डल स्थापित किए जा चुके हैं ।

आन्ध्र प्रदेश में मद्यनिषेध के प्रशासन का कार्य पुलिस विभाग को सौंप दिया गया है । तेलंगाना क्षेत्र में ताड़ी तथा शराब की दुकानें बस्ती वाले क्षेत्रों से हटा दी जाएंगी । असम के कामरूप जिले में मद्यनिषेध की घोषणा कर दी गई है । बम्बई राज्य में औरंगाबाद (पूर्व खानदेश जिले को छोड़कर) तथा नागपुर के क्षेत्र में मद्यनिषेध १ अप्रैल, १९५९ से लागू हो गया । केरल में पुराने तिरुवांकुर-कोचीन राज्य के ६ ताल्लुकों तथा सम्पूर्ण मलाबार जिले में मद्यनिषेध लागू कर दिया गया है ।

मद्रास राज्य में पूर्ण मद्यनिषेध लागू कर दिया गया है । उड़ीसा में कटक, कोरापुट, गंजम, पुरी तथा बालासोर जिलों में मद्यनिषेध लागू कर दिया गया है । पंजाब में रोहतक जिले में पूर्ण मद्यनिषेध लागू कर दिया गया है और अन्य जिलों में इस सम्बन्ध में उपाय किए जा रहे हैं । राजस्थान के विधानमण्डल में 'राजस्थान मद्यनिषेध विधेयक' को कानून का रूप देने के प्रश्न पर शीघ्र ही विचार किया जाना है । उत्तर प्रदेश के ११ जिलों तथा ३ तीर्थ केन्द्रों में पूर्ण मद्यनिषेध लागू है ।

संघीय क्षेत्रों में मद्यनिषेध धीरे-धीरे लागू किया जा रहा है । अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में ताड़ी की सभी दुकानें बन्द कर दी गई हैं तथा शराब की दुकानें सप्ताह में पाँच दिन बन्द रखी जाती हैं । दिल्ली में मद्यनिषेध धीरे-धीरे लागू किया जा रहा है । हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में मद्यनिषेध लागू है और अन्य जिलों तथा त्रिपुरा में मद्यनिषेध धीरे-धीरे लागू किया जा रहा है ।

मादक पेयों के निषेध के लिए पोस्टरों, चलचित्रों, पत्र-पत्रिकाओं तथा मद्यनिषेध सप्ताहों के माध्यम से मद्यनिषेध आन्दोलन को और अधिक गति दे दी गई है ।

अफीम के चिकित्सा-भिन्न उपयोग का १ अप्रैल १९५९ से पूर्ण निषेध कर दिया गया है । भारत में १९४६ से चरस का सम्पूर्ण निषेध कर दिया गया है । १ अप्रैल, १९५६ से उत्तर प्रदेश में गाँजे की बिक्री का निषेध किया जा चुका है । मद्रास में इसके पूर्व १९४९-

५० में ही गाँजे के गोदाम बन्द कर दिए गए थे। कई राज्यों में गाँजा तथा भाँग के मूल्य बहुत अधिक बढ़ा दिए गए हैं जिससे उनके उपभोग को प्रोत्साहन न मिल सके।

दुर्व्यवहृत लोगों के कल्याण के उपाय

स्त्रियों का अनैतिक व्यापार

वेश्यावृत्ति कराने के लिए १८ वर्ष से कम आयु की बालिकाओं का क्रय-विक्रय करने वालों के लिए 'भारतीय दण्ड विधान' में १० वर्ष तक के कारावास तथा जुर्माने (धारा ३६६ क, ३७२ तथा ३७३) की व्यवस्था की गई है। इस उद्देश्य से २१ वर्ष से कम आयु की बालिकाओं को विदेशों से लाने के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त राज्यों में इस प्रकार के दुराचार को रोकने के लिए विशेष उपाय किए गए हैं।

'महिला तथा बालिका अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, १९५६' की सभी व्यवस्थाएँ १, मई, १९५८ को सम्पूर्ण देश के लिए लागू कर दी गईं।

ऐसी स्त्रियों के पालन-पोषण के कार्यक्रम के अधीन स्थापित रक्षा-गृहों तथा पूछताछ केन्द्रों का संरक्षण-गृहों के रूप में भी उपयोग किया जा रहा है। इनके अतिरिक्त पतिता स्त्रियों के उत्थान तथा उन्हें अच्छा नागरिक बनाने के उद्देश्य से राज्यों में कई अन्य संस्थाएँ इस कार्य में लगी हुई हैं। इनमें से अधिक महत्वपूर्ण संस्थाएँ ये हैं: मद्रास राज्य के 'स्त्री सदन,' बम्बई का 'श्रद्धानन्द अनाथ महिलाश्रम,' मद्रास का 'गुड शैफर्ड होम,' पूना का 'क्रिस्पिन होम,' पश्चिम बंगाल का 'फैण्डल होम' तथा 'अखिल वंग महिला अनाथालय' और गोरखपुर का 'खुशालबाग मिशन अनाथालय'।

बाल-अपराध

आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बम्बई, मद्रास, मध्य प्रदेश, तथा मैसूर के राज्यों और दिल्ली के संघीय क्षेत्र में बाल-अधिनियम लागू हैं। आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बम्बई, मद्रास तथा मैसूर में 'किशोर बन्दी (बोस्टर्ल) स्कूल अधिनियम' भी लागू हैं। १८९७ का 'सुधार विद्यालय अधिनियम' सभी बड़े राज्यों तथा कुछ संघीय क्षेत्रों में लागू है।

बाल-अपराध की समस्या मुख्यतः राज्य सरकारों के उत्तरदायित्व में आती है। केन्द्रीय सरकार ने एक पालन-पोषण (देखभाल) कार्यक्रम लागू किया है जिसके अनुसार राज्यों को सहायता दी जाती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बिहार, मद्रास, मध्य प्रदेश मैसूर तथा त्रिपुरा में सुधार विद्यालयों आदि के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है।

सामान्य शिक्षा के अलावा उपर्युक्त तीनों प्रकार की संस्थाओं में व्यावसायिक प्रशिक्षण, भी दिया जाता है। इनमें से कुछ संस्थाएँ शिक्षा प्राप्त करके निकलने वाले बाल-अपराधियों को उपकरण तथा धन सम्बन्धी सहायता भी देती हैं जिससे वे सीखे हुए व्यवसाय में लग सकें। इन संस्थाओं में अच्छे नागरिक बनने की शिक्षा देने के साथ-साथ खेलकूद और नाटक तथा संगीत आदि की भी शिक्षा दी जाती है।

भिखारी

'दण्ड प्रक्रिया संहिता' की दृष्टि में आवारा फिरने वाले तथा भीख माँगने वाले, दोनों ही एक समान हैं। दोनों को धारा ५५ (१) (ख) तथा धारा १०६ (ख) के अन्तर्गत दण्ड देने की व्यवस्था की गई है। १५ फरवरी, १६४१ से एक कानून द्वारा रेल स्टेशन के आस-पास भीख माँगने का निषेध किया जा चुका है। कुछ राज्यों में सार्वजनिक स्थानों में भीख माँगने पर रोक लगाने के कई विशेष अधिनियम पास किए जा चुके हैं। अन्य राज्यों में इस सम्बन्ध में नगरपालिका तथा पुलिस नियम लागू हैं।

राज्यों में ऐसी कई संस्थाएँ हैं जो भिखारियों को पकड़ कर उनकी देखभाल करती तथा उनके पुनर्वास के लिए उन्हें सहायता देती हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा मैसूर में से प्रत्येक राज्य में एक भिखारी-गृह है। नयी दिल्ली में एक मार्गदर्शक 'आवारा गृह-प्रशिक्षण केन्द्र' है। 'केन्द्रीय देखभाल कार्यक्रम' के अन्तर्गत भिखारी-गृहों की स्थापना के लिए सहायता दी जाती है।

केन्द्रीय समाज-कल्याण मण्डल

अगस्त १६५३ में श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में स्थापित 'केन्द्रीय समाज-कल्याण मण्डल' एक स्वायत्तशासी संस्था है जिसके द्वारा समाज-कल्याण सम्बन्धी कार्यों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से स्वैच्छिक समाज-सेवा संगठनों को सहायता-अनुदान दिए जाते हैं। इस कार्य के लिए प्रथम योजना में ४ करोड़ रु० की व्यवस्था की गई थी तथा द्वितीय योजना में १४ करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है। यह मण्डल नये कल्याण-कार्यों के किए जाने की सम्भावना तथा आवश्यकता के सम्बन्ध में भी छानबीन करने के लिए उत्तरदायी है। मण्डल अपनी स्थापना के समय से अब तक ४,५०० संस्थानों को वार्षिक सहायता-अनुदान देने के लिए १,३६,३४,००० रुपये तथा ६४६ संस्थानों के लिए दीर्घकालीन अनुदानों के रूप में १,११,६३,००० रुपये के लिए स्वीकृति दे चुका है।

कल्याण-विस्तार योजनाकार्य

१५ अगस्त, १६५४ को कल्याण-विस्तार योजनाकाय के नाम से ग्राम-कल्याण के लिए एक बड़ी योजना आरम्भ हुई। प्रत्येक योजनाकार्य के अन्तर्गत लगभग २०,००० की जनसंख्या के २५ गाँव आते हैं। अगस्त, १६५४ से दिसम्बर १६५८ तक ऐसे ४४० कल्याण-विस्तार योजनाकार्य तथा २,०२३ केन्द्र स्थापित किए गए। इनके अन्तर्गत ८६ लाख की जनसंख्या के ६,६६५ गाँव आए तथा इन पर ६३.८० लाख रुपये का कुल व्यय हुआ।

अप्रैल, १६५७ से दिसम्बर, १६५८ तक समन्वित कल्याण-विस्तार योजनाकार्यों के अन्तर्गत ७८ योजनाकार्य तथा २,०६२ केन्द्रों का कार्य आरम्भ किया गया। इनके अन्तर्गत ३७ लाख की जनसंख्या के ७,८०० गाँव आते हैं। अनुमान है कि द्वितीय योजनाकाल के अन्त तक ऐसे ६६० योजनाकार्य तथा ६,६०० केन्द्र स्थापित किए जा चुकेंगे जिनके अधीन ५.७६ करोड़ की जनसंख्या के ६६,००० गाँव आ जाएंगे। इन योजनाकार्यों के कार्यक्रम में बालकों

तथा महिलाओं का कल्याण-कार्य और विकलांगों तथा बाल-अपराधियों की सेवा सम्मिलित है। इनके अन्तर्गत बालवाड़ियों, मातृ-कल्याण गृहों, शिशु-स्वास्थ्य सेवाओं, समाज शिक्षा, दस्तकारी के केन्द्रों तथा मनोरंजन की सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है।

इन कल्याण-कार्यक्रमों के संचालन के लिए प्रत्येक योजनाकार्य-क्षेत्र में 'कार्य-संचालन समिति' उत्तरदायी होती है। प्रत्येक योजनाकार्य में पाँच-पाँच गाँव के ४ अथवा ५ केन्द्र होते हैं। प्रत्येक केन्द्र, एक ग्राम-सेविका के अधीन होता है जो एक दाई तथा एक कारीगर की सहायता से कार्य करती है।

१ अप्रैल, १९५७ से मण्डल ने सामुदायिक विकास खण्डों में महिलाओं तथा बालक-बालिकाओं के कल्याण का सम्पूर्ण कार्य स्वयं सम्हाल लिया है।

इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए दिसम्बर, १९५८ के अन्त तक २,२७४ ग्राम-सेविकाएँ तथा २१६ दाइयाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी थीं और ६६६ ग्राम-सेविकाएँ तथा ६० दाइयाँ प्रशिक्षण ग्रहण कर रही थीं।

शहरी परिवार कल्याण योजनाएँ

नारी-कल्याणकार्य को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से एक 'शहरी परिवार कल्याण योजना' आरम्भ की गई है। इसके अन्तर्गत औद्योगिक सहकारी संस्थाओं का संगठन किया जा रहा है जिससे चुने हुए शहरी क्षेत्रों में छोटे पैमाने के उद्योग स्थापित किए जा सकें। ऐसे ५ एककों का कार्य जिनसे २,५०० परिवार लाभान्वित हो रहे हैं, दिल्ली, पूना, विजयवाडा तथा हैदराबाद में आरम्भ हो चुका है। द्वितीय योजनाकाल के अन्त तक ऐसे २० एकक स्थापित किए जाने का उद्देश्य रखा गया है।

अन्य कार्य

प्रत्येक राज्य के लिए ५ कल्याण-गृहों के आधार पर देश में ८० कल्याण-गृह तथा प्रत्येक जिले में १ रक्षा-गृह के हिसाब से देश में ३३० बाल-रक्षा गृह स्थापित करने का विस्तृत कार्यक्रम बनाया गया है।

शेष द्वितीय योजनाकाल में कार्यान्वित किए जाने के लिए समाज-कल्याण के कई नये कार्यक्रम भी तैयार किए गए हैं। इनमें शहरी क्षेत्रों में १०० बड़े कल्याण-विस्तार योजनाकार्यों की स्थापना, २५ से ३० वर्ष तक की महिलाओं को शिक्षा की न्यूनतम योग्यता प्राप्त करने की सुविधाएँ देने, प्रमुख औद्योगिक नगरों में आश्रयहीन मजदूरों के लिए १०० रात्रिकालीन आश्रयगृह स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देने तथा 'ग्रामदान' वाले गाँवों में आवश्यक कल्याण सेवाओं की व्यवस्था करने के कार्य सम्मिलित हैं।

—:०:—

तेरहवाँ अध्याय

सहायता तथा पुनर्वास

१९५८ के अन्त तक पाकिस्तान से भारत आए ८८.५७ लाख विस्थापित व्यक्तियों में से ४७.४० लाख व्यक्ति पश्चिम पाकिस्तान से तथा शेष पूर्व पाकिस्तान से आए। पश्चिम पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास का कार्य १९५९-६० के अन्त तक पूरा हो जाएगा और पूर्व पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास का कार्य द्वितीय योजनाकाल के अन्त तक पूरा हो जाएगा। विस्थापित व्यक्तियों को सहायता तथा पुनर्वास के रूप में मार्च, १९५९ के अन्त तक सरकार ने जो सहायता दी है, वह निम्न तालिका में दिखाई गई है :

तालिका ११

विस्थापित व्यक्तियों पर हुआ व्यय*

(करोड़ रुपये)

	पश्चिम पाकिस्तान से आने वाले विस्थापितों पर	पूर्व पाकिस्तान से आने वाले विस्थापितों पर
अनुदान	८५.१८	६९.१२
ऋण	२५.६३	३८.१०
आवास	६०.९८	३४.७०
संस्थापन	२.१९	०.५७
पुनर्वास वित्त प्रशासन द्वारा दिए गए ऋण (३१-१२-५८ तक)	७.९३	४.२७
विविध	०.०१	—
दण्डकारण्य योजना	—	१.३०
योग	१८१.९२	१४८.०६

*क्षतिपूर्ति छोड़कर

पूर्व पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्ति

३१ मार्च, १६५८ तक पूर्व पाकिस्तान से आए ४१.१७ लाख व्यक्तियों में से २.०७ लाख व्यक्तियों को १६५८ के अन्त तक भी उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा त्रिपुरा के शिविरों में आश्रय प्राप्त हो रहा था। ५८,००० निराश्रित विस्थापित महिलाओं, बालक-बालिकाओं, वृद्धों तथा अशक्त व्यक्तियों की पूर्वी क्षेत्र के आश्रयगृहों में देखभाल की जा रही थी। पश्चिम बंगाल के शिविर जुलाई, १६५६ के अन्त तक बन्द कर दिए जाएंगे।

उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा बिहार के शिविरों से क्रमशः ४५,७३,६३१ तथा लगभग ४७,१०० विस्थापित परिवार पुनर्वास वाले स्थानों को ले जाए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में अब तक २,६५६ परिवारों को बसाया जा चुका है। उत्तर प्रदेश तथा मणिपुर में विस्थापितों के पुनर्वास के कार्यक्रम लगभग पूरे हो चुके हैं। असम तथा त्रिपुरा में क्रमशः लगभग ७५,००० तथा ५३,००० परिवारों को पुनर्वास सम्बन्धी सहायता दी जा चुकी है।

१६५८ के अन्त तक शहरी क्षेत्रों में गृहनिर्माण-ऋणों के रूप में विस्थापित व्यक्तियों के लिए १ करोड़ ४३ लाख १४ हज़ार रुपये स्वीकार किए गए। १६५८ में ४६.८८ लाख रुपये के कारोबार सम्बन्धी ऋण तथा ४.३६ लाख रुपये (असम में) की आवास सम्बन्धी सहायता दी गई।

१४० अनधिवासी बस्तियों को नियमित करार देने के लिए चुन लिया गया है जिनमें से ८,५४० परिवारों से बसी बस्तियाँ नियमित करार दी जा चुकी हैं। शहरी तथा ग्रामीण बस्तियों के विकास के लिए ३ करोड़ १५ लाख ४२ हज़ार रुपये की राशि स्वीकृत की जा चुकी है।

जून, १६५८ तक ३६,००० व्यक्तियों ने विभिन्न कला तथा दस्तकारियों का प्रशिक्षण प्राप्त किया और लगभग ६,००० व्यक्ति प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे थे। २.२८ करोड़ रुपये के व्यय से १०० से अधिक प्रशिक्षण योजनाओं को कार्यान्वित किया गया। सेवा नियोजन केन्द्रों (कामदिलाऊ दफ्तरों) की सहायता से अब तक लगभग २.१३ लाख विस्थापित व्यक्तियों को रोज़गार में लगाया जा चुका है। मध्यम पैमाने के उद्योगों के विस्तार अथवा स्थापना के लिए २३ योजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है जिन पर २.६६ करोड़ रुपये व्यय होंगे और जिनसे लगभग १२,००० व्यक्तियों को रोज़गार मिल सकेगा। जनवरी, १६५६ तक छोटे पैमाने अथवा कुटीर उद्योगों की १२६ योजनाओं को स्वीकृति दी गई जिनसे १४,००० विस्थापित व्यक्तियों को रोज़गार प्राप्त हो सकेगा।

भारत के पूर्वी भाग में विस्थापित विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए १,५६० प्राथमिक स्कूल, २२ माध्यमिक स्कूल तथा २१ कालेज स्थापित किए जा चुके हैं।

दण्डकारण्य योजना

दण्डकारण्य योजना के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश की सीमा पर ८०,००० वर्ग मील क्षेत्र का विकास किया जा रहा है। 'दण्डकारण्य विकास प्राधिकारी

संस्था' स्थापित की जा चुकी है। १६५६-६० में मकानों के निर्माण के लिए ४५,०००. एकड़ भूमि साफ करने की व्यवस्था की जा रही है। पश्चिम बंगाल के शिविरों में निवास करने वाले लगभग २५,००० परिवार जुलाई, १६५६ तक यहाँ बसा दिए जाएंगे।

पुनर्वास उद्योग निगम

केन्द्र से ५ करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त करके पूर्व पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार में लगाने के लिए एक 'पुनर्वास उद्योग निगम' स्थापित किया जाएगा।

पश्चिम पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्ति

पंजाब में ४.७७ लाख परिवारों को अर्ध-स्थायी व्यवस्था के आधार पर निष्क्रमणार्थी भूमि दी गई और ३३,००० परिवारों को शिकमी काश्तकारों के रूप में बसाया गया। १६५८ के अन्त तक २,६०,०६१ व्यक्तियों को ८५.३२ करोड़ रुपये के मूल्य की १६,११,७१८ स्टैण्डर्ड एकड़ भूमि पर 'स्थायी अधिकार' दे दिए गए। ८२,४२४ मकानों के सम्बन्ध में व्यक्तियों को मौरूसी अधिकार भी दिए गए।

१६५८ के अन्त तक लगभग २.०२ लाख विस्थापितों को नौकरियों तथा व्यापार आदि में लगा दिया गया और लगभग ६०,००० व्यक्तियों को व्यावसायिक तथा प्रौद्योगिक प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही मध्यम तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए ६५ योजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है जिन पर २.०७ करोड़ रुपये व्यय होंगे और जिनसे १०,००० व्यक्तियों को रोजगार मिलने की आशा है।

विस्थापित विद्यार्थियों को शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएँ देने के लिए सहायता-अनुदान के रूप में शिक्षा, चिकित्सा तथा सांस्कृतिक संस्थाओं को १.८० करोड़ रुपये दिए गए। इसी सम्बन्ध में राज्य सरकारों को भी ३६.५८ लाख रुपये के अनुदान दिए गए।

३१ जनवरी, १६५६ तक ३.६० लाख दावेदारों को क्षतिपूर्ति के रूप में १ अर्ब ५६ लाख रुपये दिए गए। ५१,१५६ व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के प्रमाणपत्र भी दिए जा चुके हैं।

अन्य सहायता-कार्य

संकटकालीन सहायता संगठन

बाढ़, अकाल तथा भूकम्प आदि के समय में सहायता पहुँचाने के लिए लगभग सभी राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों में देशव्यापी 'संकटकालीन सहायता संगठन' स्थापित किए जा चुके हैं जिनके उद्देश्य हैं :

(१) अनुभवी कर्मचारियों द्वारा ही सहायता-कार्य किए जाने की व्यवस्था ;

(२) 'अपनी सहायता स्वयं करो' के सिद्धान्त का प्रसार ताकि बाहरी सहायता कम से कम ली जाए;

(३) समाज-कल्याण में रुचि रखने वाली संस्थाओं को सहायता-कार्य करने दिया जाए ; तथा

(४) जिला तथा स्थानीय प्राधिकारी, राज्य सरकार तथा भारत सरकार अपने-अपने क्षेत्र में इन सब कार्यों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व स्वयं ग्रहण करें।

संगठन का कार्य केन्द्रीय, राज्यीय तथा जिला स्तर पर होगा। 'केन्द्रीय संकटकालीन सहायता संगठन' के एक अंग के रूप में नागपुर में एक 'केन्द्रीय संकटकालीन सहायता प्रशिक्षण संस्था' स्थापित की जा चुकी है।

प्रधानमन्त्री का राष्ट्रीय सहायता कोष

नवम्बर, १९४७ में स्थापित 'प्रधानमन्त्री राष्ट्रीय सहायता कोष' में से दैवी विपत्तियों से पीड़ित लोगों को सहायता पहुँचाने में अब तक १.८२ करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं। पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों को भी इस कोष में से समय-समय पर सहायता दी जाती रही।

—:०:—

चौदहवाँ अध्याय

अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित आदिमजातियाँ तथा अन्य पिछड़े वर्ग

संविधान में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिमजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के हितों की, विशेष रूप से अथवा नागरिकों के सामान्य अधिकारों के रूप में, रक्षा के लिए व्यवस्था निहित हैं। सुरक्षा की ये व्यवस्थाएँ निम्न हैं :

(१) 'अस्पृश्यता' निवारण तथा इसको किसी भी प्रकार से व्यवहार में लाए जाने का निषेध (अनुच्छेद १७),

(२) इन वर्गों के आर्थिक तथा शिक्षा सम्बन्धी हितों की रक्षा करना तथा इन्हें सामाजिक अन्याय तथा शोषण से बचाना (अनुच्छेद ४६),

(३) सार्वजनिक हिन्दू धार्मिक स्थानों का द्वार सभी वर्गों के हिन्दुओं के लिए खोलना (अनुच्छेद २५),

(४) दुकानों, उपाहारगृहों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों, कुओं, तालाबों तथा सड़कों आदि के उपयोग के सम्बन्ध में थोपी गई अपात्रता दूर करना (अनुच्छेद १५),

(५) कोई भी व्यवसाय अथवा धन्धा अपनाने का अधिकार होना (अनुच्छेद १९),

(६) सरकार द्वारा अथवा सरकारी सहायता से चलाए जाने वाले शिक्षा संस्थानों में इन वर्गों के बच्चों के प्रवेश पर कोई रोक न लगाने देना (अनुच्छेद २९),

(७) सरकारी नौकरियों में नियुक्तियों के सम्बन्ध में इनके हितों का ध्यान रखना तथा इनका प्रतिनिधित्व अपर्याप्त होने की स्थिति में इनके लिए स्थान सुरक्षित करना (अनुच्छेद १६ तथा ३३५),

(८) संसद् तथा राज्यीय विधानमण्डलों में दस वर्षों के लिए इनको विशेष प्रतिनिधित्व देना (अनुच्छेद ३३०, ३३२ तथा ३३४),

(९) इनके हितों की सुरक्षा तथा इनके कल्याण-कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए राज्यों में परामर्श परिषदें तथा पृथक् विभाग खोलना और केन्द्र में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करना (अनुच्छेद १६४, ३३८ तथा पाँचवीं अनुसूची) और

(१०) अनुसूचित तथा आदिमजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियन्त्रण के लिए विशेष व्यवस्था करना (अनुच्छेद २४४ और पाँचवीं तथा छठी अनुसूचियाँ)।

'अनुसूचित जातियाँ तथा अनुसूचित आदिमजातियाँ सूची (संशोधन) आदेश, १९५६' के अन्तर्गत संशोधित सूची के अनुसार देश में इस समय अनुसूचित जातियों

के ५,५३,२७,०२१ तथा अनुसूचित आदिमजातियों के २,२५,११,८५४ व्यक्तियों के होने का अनुमान लगाया गया है। अधिसूचित आदिमजातीय लोगों की संख्या लगभग ४० लाख और अन्य पिछड़े वर्गों की सूची भारत के महा-पत्रपंजीकार के कार्यालय द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के आधार पर तैयार की जा रही है।

अस्पृश्यता निवारण के उपाय

अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, १९५५

इस अधिनियम, द्वारा जो १ जून, १९५५ को लागू हुआ, अस्पृश्यता के आधार पर किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक उपासना-स्थल में जाने से रोकना, तालाब, कुएँ अथवा सोते से पानी लेने से रोकना तथा मन्दिर में पूजा-पाठ करने से रोकना दण्डनीय है। सामाजिक अनर्हताएँ लगाने के सम्बन्ध में भी दण्ड देने का विधान रखा गया है। कोई भी व्यवसाय अथवा धन्धा अपनाने तथा किसी भी नौकरी के मामले में अनर्हताएँ लगाने वाले व्यक्ति को भी इस अधिनियम के अनुसार दण्ड दिया जा सकता है।

इस अधिनियम में किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर कि वह हरिजन है, सामान बेचने अथवा उसकी सेवा करने से इन्कार करने वाले को भी दण्ड देने की व्यवस्था की गई है।

अस्पृश्यता-विरोधी आन्दोलन

१९५४ से भारत सरकार अस्पृश्यता-उन्मूलन आन्दोलन में आर्थिक सहायता देती आ रही है। इस कार्य के लिए सरकारी तथा गैर-सरकारी संस्थाओं, दोनों का उपयोग किया जा रहा है। जनता का इस ओर ध्यान आकर्षित करने की दृष्टि से लगभग सभी राज्यों में 'हरिजन दिवस' तथा 'हरिजन सप्ताह' मनाए जाते हैं। अधिकांश राज्यों में 'अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, १९५५' की व्यवस्थाएँ लागू करने के लिए अधिकांश राज्यों में छोटी समितियाँ नियुक्त की जा चुकी हैं।

अस्पृश्यता-विरोधी कार्य में 'हरिजन सेवक संघ', 'भारतीय दलित जाति संघ' तथा इलाहाबाद के 'हरिजन आश्रम' जैसे स्वैच्छिक संगठनों से भी सहयोग तथा सहायता प्राप्त हुई है। प्रथम योजनाकाल में इन संगठनों का सहायता-अनुदान के रूप में ६१,५०,७४६ रुपये प्राप्त हुए जिनमें से केन्द्र ने १४,७७,२०० रुपये दिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में इस कार्यक्रम के लिए गैर-सरकारी संस्थाओं को सहायता देने के लिए केन्द्र तथा राज्यों में कुल मिलाकर लगभग २.०८ करोड़ रुपये व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है। द्वितीय योजना के प्रथम दो वर्षों में केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों की स्वयंसेवी अखिल भारतीय संस्थाओं को १२,९८,३०० रुपये के अनुदान दिए।

विधानमण्डलों में प्रतिनिधित्व

संविधान के अनुच्छेद ३३०, ३३२ तथा ३३४ के अनुसार राज्यों की अनुसूचित जातियों तथा आदिमजातियों की जनसंख्या के अनुपात से इन लोगों के लिए लोक सभा तथा

राज्यीय विधान सभाओं में संविधान लागू होने के बाद से १० वर्षों की अवधि के लिए स्थान सुरक्षित रखे गए हैं।

इस समय संसद् तथा राज्यीय विधानमण्डलों के सदस्यों में अनुसूचित जातीय तथा अनुसूचित आदिमजातीय सदस्य क्रमशः ७६ तथा ३१ और ४७० तथा २२१ हैं।

सेवाओं में प्रतिनिधित्व

अपर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त होने की स्थिति में सरकारी नौकरियों में इन वर्गों के लिए स्थान सुरक्षित रखने तथा प्रशासन की कार्यकुशलता को स्थिर रखते हुए इन वर्गों के अधिकारों पर विचार करने का कर्त्तव्य सरकार किस प्रकार निभाती है, यह सरकार पर ही छोड़ दिया गया है जिसके लिए उसे लोक सेवा आयोगों से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं है [अनुच्छेद ३२० (४)]।

२६ जनवरी, १९५० को केन्द्रीय सरकार ने यह निर्णय किया कि जिन पदों पर नियुक्तियाँ खुली प्रतियोगिता द्वारा देशव्यापी आधार पर की जाती हैं, उनमें १२½ प्रतिशत स्थान तथा जो नियुक्तियाँ अन्य प्रकार से की जाती हैं, उनमें से १६⅔ स्थान अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित रखे जाएँ। अनुसूचित आदिमजातियों के लिए दोनों स्थितियों में ५-५ प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखे जाते हैं।

सेवाओं में इनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व रखने की दृष्टि से निम्न रियायतें दी गई हैं : (१) आयु-सीमा में छूट, (२) अर्हताओं के मानदण्ड में रियायत, (३) कार्यकुशलता के न्यूनतम स्तर के आधार पर भर्ती और (४) ऐसी पदोन्नति के सम्बन्ध में जहाँ पदोन्नति, परीक्षाएँ पास करने से भिन्न तरीके से होती हो, कम से कम निचली श्रेणी में सम्मिलित किया जाना। यदि सुरक्षित स्थानों के लिए अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिमजाति का कोई उपयुक्त प्रत्याशी नहीं मिलता तो वे स्थान क्रमशः अनुसूचित आदिमजातियों अथवा अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित माने जाएंगे। इन दोनों जातियों के व्यक्तियों में से उपयुक्त व्यक्ति न मिलने पर ही कोई पद अरक्षित माना जा सकेगा।

सरकार द्वारा जाँच किए जाने के लिए नियोजन प्राधिकारियों को आवश्यक रूप से वार्षिक प्रतिवेदन देना होगा। इन वर्गों के लोगों के लिए स्थान सुरक्षित रखने के सम्बन्ध में कुछ राज्य सरकारों ने भी नियम बनाए हैं।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के २,०५,००० व्यक्ति भारत सरकार के पदों पर नियुक्त हैं। सेवा नियोजन कार्यालयों के आँकड़ों के अनुसार १९५७ में ऐसे ३२,७६० व्यक्तियों को रोजगार दिलाया गया।

अनुसूचित तथा आदिमजातीय क्षेत्रों का प्रशासन

असम के स्वायत्तशासी आदिमजातीय क्षेत्र

छठी सूची के उपबन्धों के अनुसार एक प्रादेशिक परिषद् तथा संयुक्त खासी-जैन्तिया पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ियाँ, उत्तर कछार पहाड़ियाँ तथा मिकिर पहाड़ियाँ

जिलों में पाँच जिला परिषदें स्थापित कर दी गई हैं। प्रत्येक जिला परिषद् में अधिक से अधिक २४ सदस्य होते हैं जिनमें से तीन-चौथाई सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित होते हैं।

अन्य राज्यों में आदिमजाति परामर्श परिषदें

संविधान की पाँचवी अनुसूची में उन राज्यों में आदिमजाति परामर्श परिषदों की स्थापना के लिए व्यवस्था की गई है जिनमें अनुसूचित क्षेत्र हैं। यदि राष्ट्रपति चाहे तो उन राज्यों में भी ऐसी परिषदें स्थापित की जा सकती हैं जिनमें अनुसूचित क्षेत्र तो नहीं है परन्तु अनुसूचित आदिमजातियाँ निवास करती हैं। अब तक कई राज्यों में ऐसी परिषदें स्थापित की जा चुकी हैं। ये परिषदें अनुसूचित आदिमजातियों के कल्याण विषयक मामलों पर राज्यपालों को सलाह देती हैं।

कल्याण तथा परामर्श संस्थाएँ

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिमजाति सम्बन्धी आयुक्त

संविधान के अनुच्छेद ३३८ के अनुसार संविधान में की गई सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था की जाँच-पड़ताल करने तथा इनको कार्यरूप देने के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देने के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया है। इस समय अन्य १० सहायक आयुक्त प्रधान आयुक्त की सहायता करते हैं।

केन्द्रीय परामर्श मण्डल

आदिमजातीय क्षेत्रों के विकास और अनुसूचित आदिमजातियों तथा अनुसूचित जातियों के कल्याण सम्बन्धी मामलों में संसद् के सदस्यों तथा सार्वजनिक कार्यकर्ताओं का सहयोग प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने दो केन्द्रीय परामर्श मण्डल स्थापित किए हैं : (१) आदिमजातियों के कल्याण के लिए तथा (२) हरिजनों के कल्याण के लिए। ये मण्डल इन वर्गों के कल्याण सम्बन्धी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देते हैं।

राज्यों के कल्याण विभाग

संविधान के अनुच्छेद १६४ (१) में इस बात पर जोर दिया गया है कि उड़ीसा, बिहार तथा मध्य प्रदेश में एक-एक मन्त्री के अधीन कल्याण विभाग स्थापित किए जाएँ। इन राज्यों के अलावा असम, आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बम्बई, मणिपुर, मद्रास, मैसूर, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश तथा त्रिपुरा में भी कल्याण विभाग स्थापित किए जा चुके हैं।

कल्याण योजनाएँ

अनुच्छेद २३६ (२) के अनुसार केन्द्रीय सरकार राज्यों को उनकी अनुसूचित आदिमजातियों के कल्याण के लिए योजनाएँ तैयार करने तथा उन्हें कार्यान्वित करने के लिए

निर्देश दे सकती है। अनुच्छेद २७५ (१) के अनुसार केन्द्र द्वारा इन वर्गों के कल्याण की स्वीकृत योजनाओं के लिए तथा अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन में सुधार के लिए राज्यों को सहायता-अनुदान दिए जाने की व्यवस्था है।

शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएँ

शिक्षा की अधिक से अधिक सुविधाएँ देने के लिए उपाय किए जा चुके हैं और व्यावसायिक तथा प्राविधिक प्रशिक्षण पर ही अधिक ज़ोर दिया जा रहा है।

भारत सरकार ने १९४४-४५ में अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ देने की एक योजना आरम्भ की। १९४८-४९ में अनुसूचित आदिमजातियों के विद्यार्थियों को तथा १९४९-५० में पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को भी यह लाभ दिया जाने लगा। १९५७-५८ में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिमजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों पर सरकार ने क्रमशः १ करोड़ ३७ हज़ार रुपये, १८.९७ लाख रुपये तथा ८२.१९ लाख रुपये व्यय किए।

भारत सरकार ने १९५३-५४ में इन वर्गों के योग्य विद्यार्थियों को विदेशों में अध्ययन के लिए भी छात्रवृत्तियाँ देने की एक योजना आरम्भ की। असम तथा बिहार राज्य सरकारें पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों को विदेशों में अध्ययन के लिए भी छात्रवृत्तियाँ देती हैं।

केन्द्रीय सरकार ने सभी प्राविधिक तथा शिक्षा संस्थाओं से इन वर्गों के विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए स्थान सुरक्षित रखने, आवश्यक उत्तीर्ण-अंकों की मात्रा में कमी करने तथा अधिकतम आयु-सीमा में वृद्धि करने के सुझाव दिए जिनको देश की विभिन्न शिक्षा संस्थाओं ने कार्यरूप दिया।

आर्थिक अवसर

२.२५ करोड़ आदिमजातीय लोगों में से लगभग २६ लाख व्यक्ति प्रति वर्ष २२,५५,८१६ एकड़ भूमि में स्थान बदल बदल कर खेती करते रहते हैं। यह समस्या असम, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार तथा मध्य प्रदेश के राज्यों और मणिपुर तथा त्रिपुरा के संघीय क्षेत्रों में व्यापक रूप से विद्यमान है। प्रथम योजनाकाल में इस प्रकार की खेती पर नियन्त्रण रखने की एक योजना आरम्भ की गई। इस सम्बन्ध में १६ केन्द्रों का असम में तथा ४ बस्ती योजनाओं का आन्ध्र प्रदेश में काम आरम्भ किया गया और उड़ीसा, बिहार, मध्य-प्रदेश तथा त्रिपुरा में क्रमशः २,४९६ ; ४६० ; ३६६ तथा ५,३३९ परिवार नियमित रूप से कृषि करने लगे हैं।

आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बम्बई, बिहार तथा मद्रास में सिंचाई की सुविधाओं में सुधार करने तथा बेकार भूमि का पुनरुद्धार करके उसे कृषियोग्य बनाने और ऐसी भूमि को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के लोगों में बाँटने की कई योजनाएँ आरम्भ की जा चुकी हैं। इनके लिए पशुपालन तथा मुर्गीपालन को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

ऋण, आर्थिक सहायता तथा प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से असम, आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बम्बई तथा बिहार में कुटीर उद्योगों का विकास किया जा रहा है। ऋण देने वाली बहूद्देश्यीय सहकारी समितियाँ आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, मद्रास तथा मैसूर में स्थापित की जा चुकी हैं।

ऋण के भार से दबे हुए व्यक्तियों को जिनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के लोग भी सम्मिलित हैं, आर्थिक सहायता देने के सम्बन्ध में लगभग सभी राज्यों में कानून बने हुए हैं।

अन्य कल्याणकार्य

अन्य कल्याणकार्यों में मकान बनाने के लिए निःशुल्क अथवा नाममात्र के मूल्य पर दी जाने वाली भूमि सम्बन्धी सहायता, ऋण, हरिजन कर्मचारियों के लिए मकान बनाने के उद्देश्य से स्थानीय निकायों को दिए जाने वाले सहायता-अनुदान तथा आर्थिक सहायता आदि सम्मिलित हैं। कई राज्यों में अनुसूचित जातियों के लोगों को कानूनी सहायता भी दी जा रही है।

आदिमजातीय शोध संस्थाएँ

उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्यप्रदेश तथा राजस्थान में आदिमजातीय शोध संस्थाएँ स्थापित की जा चुकी हैं जिनमें आदिमजातीय कला, संस्कृति तथा रीति-रिवाजों का गहन अध्ययनकार्य होता है। गोहाटी विश्वविद्यालय में असम की आदिमजातियों के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन का अध्ययनकार्य आरम्भ किया जा चुका है। बम्बई राज्य में बम्बई की नृतत्वशास्त्र समिति, गुजरात शोध समिति तथा बम्बई विश्वविद्यालय में आदिमजातियों के सम्बन्ध में शोधकार्य किया जाता है। पश्चिम बंगाल में सांस्कृतिक शोध संस्थाने राज्य के आदिमजातीय जीवन के कई पहलुओं पर महत्वपूर्ण प्रतिवेदन प्रकाशित किए हैं। भारत सरकार के नृतत्वशास्त्र विभाग में असम तथा पश्चिम बंगाल की प्रमुख आदिम-जातियों के सम्बन्ध में गहन शोधकार्य पूरा हो चुका है। उत्तर-पूर्व सीमान्त प्रदेश के शोध विभाग में इस प्रदेश के लोगों की भाषाओं तथा संस्कृति सम्बन्धी अध्ययनकार्य होता है। उड़ीसा की आदिमजातीय शोध संस्था में भी कई महत्वपूर्ण आदिमजातीय समस्याओं की जाँच-पड़ताल का कार्य किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में ३ जिलों की आदिमजातीय समस्याओं के अध्ययन का कार्य पूरा हो चुका है। बिहार संस्था द्वारा भी सन्थाल परगना की एक आदिमजाति के अध्ययन का कार्य पूरा किया जा चुका है। उदयपुर का भारतीय लोक कला मण्डल एक अग्रणी गैरसरकारी संगठन है जिसने भूतपूर्व मध्य भारत राज्य तथा राजस्थान की आदिमजातियों की संस्कृति के सम्बन्ध में सर्वेक्षण किया है।

द्वितीय योजना के अन्तर्गत लक्ष्य

द्वितीय योजना में ३ लाख आदिमजातीय विद्यार्थियों के लिए आदिमजाति-क्षेत्रों में ३,१८७ स्कूल तथा छात्रावास और २०० सामुदायिक तथा सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित करने

का उद्देश्य रखा गया है। इसी प्रकार अनुसूचित जातियों के ३० लाख विद्यार्थियों के लिए भी ६,००० स्कूल तथा छात्रावास स्थापित करने और छात्रवृत्तियाँ देने का विचार है। भूतपूर्व अपराधी आदिमजातियों के लिए भी १.१६ लाख छात्रवृत्तियाँ देने की व्यवस्था की गई है।

योजना में १२,००० आदिमजातीय परिवारों को १८६ बस्तियों में बसाने तथा १५,२४६ भूतपूर्व अपराधी आदिमजातीय परिवारों के पुनर्वास की योजनाएँ भी सम्मिलित हैं। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिमजातियों, भूतपूर्व अपराधी आदिमजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याणकार्य पर प्रथम योजनाकाल में कुल २५,९७,७७,९५२ रुपये व्यय किए गए तथा द्वितीय योजनाकाल में कुल ८३,६५,३३,७०५ रुपये व्यय किए जाने का लक्ष्य रखा गया है।

—:०:—

पन्द्रहवाँ अध्याय

जन-सम्पर्क के साधन

प्रसारण

देश में इस समय निम्न २८ प्रसारण केन्द्र हैं जिनके अधीन देश के सभी महत्वपूर्ण भाषाई क्षेत्र आ जाते हैं, जबकि १९४७ में केवल ६ केन्द्र ही थे :

उत्तर	...	दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, पटना, जालन्धर, जयपुर-अजमेर, शिमला, भोपाल, इन्दौर तथा राँची ।
पश्चिम	...	बम्बई, नागपुर, अहमदाबाद-बड़ौदा, पूना तथा राजकोट ।
दक्षिण	...	मद्रास, तिरुच्चिरापल्लि, विजयवाडा, त्रिवेन्द्रम, कोज़ीकोड, हैदराबाद, बंगलोर तथा धारवाड़ ।
पूर्व	...	कलकत्ता, कटक तथा गोहाटी ।

इनके अतिरिक्त श्रीनगर तथा जम्मू में रेडियो कश्मीर के भी दो केन्द्र हैं। १५ मई, १९५९ को देश में रेडियो केन्द्र, सम्प्रेषण यन्त्र तथा प्रापण केन्द्र क्रमशः ३२, ५६ तथा २८ थे।

कार्यक्रम रचना

संगीत कार्यक्रम, आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले अन्य सभी कार्यक्रमों के लगभग आधे के बराबर हैं। आकाशवाणी के कार्यक्रमों में वार्ताओं, रूपकों तथा वाद-विवाद जैसे कार्यक्रमों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। प्रत्येक बुधवार को 'राष्ट्रीय वार्ता कार्यक्रम' प्रसारित किया जाता है जिसके अन्तर्गत सुप्रसिद्ध विद्वान कला, विज्ञान तथा साहित्य सम्बन्धी वार्ताएँ प्रसारित करते हैं।

अगले पृष्ठ की तालिका में १९५८ में प्रसारित आन्तरिक सेवाओं तथा विविध भारती कार्यक्रम की रूपरेखा तथा उनकी अवधि प्रस्तुत की गई है।

विविध भारती

अक्तूबर, १९५८ में इस अखिल भारतीय पचरंगी कार्यक्रम को आरम्भ हुए एक वर्ष पूरा हो गया। कर्नाटक संगीत प्रति दिन डेढ़ घण्टे प्रसारित किए जाने के फलस्वरूप यह कार्यक्रम रविवार तथा छुट्टियों को छोड़कर अब प्रति दिन ६¾ घण्टे और रविवार को तथा छुट्टियों के दिनों में ९½ घण्टे प्रसारित किया जाता है।

तालिका १२

आन्तरिक सेवाओं के कार्यक्रम की रूपरेखा (१९५८)

कार्यक्रम का प्रकार	अवधि (घण्टे)	लगभग प्रतिशत
आन्तरिक सेवाएँ		
भारतीय संगीत	४६,१६०	४६.०
पश्चिमी संगीत	१,९३३	१.९
वार्ताएँ, वाद-विवाद, भेंट आदि	४,९१२	४.९
नाटक	४,०३५	४.०
समाचार	२१,९०८	२१.८
प्रचार कार्यक्रम	१,२०३	१.२
विशेष कार्यक्रम (बच्चों, महिलाओं, देहाती भाइयों तथा मजदूरों, स्कूलों तथा संगीत-शिक्षा, हिन्दी-शिक्षा तथा अन्य विविध कार्यक्रम सहित)	२०,२६६	२०.२
योग	१,००,४१७	१००
विविध भारती		
शास्त्रीय संगीत, सरल संगीत, भक्तिगान तथा चलचित्र संगीत	१,७६७	८०.५
नाटक, रूपक, पचरंगी कार्यक्रम तथा श्रोताओं के पत्र आदि	२४५१	११.२
भारतवाणी	१८२	८.३
योग	२,१९४	१००

बम्बई तथा मद्रास के दो शक्तिशाली सम्प्रेषण यन्त्रों से प्रसारित किया जाने वाला यह कार्यक्रम सम्पूर्ण देश में सुना जा सकता है। आकाशवाणी के कुछ केन्द्र यह कार्यक्रम आंशिक रूप से रिले करते हैं।

संगीत तथा मनोरंजन के कार्यक्रमों के अतिरिक्त इस कार्यक्रम में विकास तथा राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विषयक कार्यक्रम भी सम्मिलित रहते हैं।

बाह्य सेवाओं का कार्यक्रम

निम्न तालिका में १९५८ में विभिन्न भाषाओं में प्रसारित बाह्य सेवाओं के कार्यक्रमों की अवधि दिखाई गई है :

तालिका १३

बाह्य सेवाओं के कार्यक्रम की रूपरेखा

	घण्टे	प्रतिशत
भारतीय संगीत	१,८६६	३०.५
पश्चिम एशियाई संगीत	३४३	५.६
अफ्रीकी (स्वाहिली) संगीत	४७	०.७
पश्चिमी संगीत	२३	०.४
पूर्व एशियाई संगीत	२७५	४.५
वार्ताएँ, वाद-विवाद, भेंट आदि	८६७	१४.२
नाटक, रूपक आदि	३३३	५.४
समाचार	१,६३१	२६.७
प्रचार कार्यक्रम	३६०	५.९
अन्य कार्यक्रम	३७४	६.१
योग	६,१२२	१००

विशेष श्रोता कार्यक्रम

ग्रामीण भाइयों के कर्यक्रमों में ग्रामीण जीवन के सभी पहलुओं पर प्रकाश डाला जाता है तथा इनके माध्यम से वार्तालाप, वाद-विवाद, नाटक, समाचार, वार्ता द्वारा ग्रामीणों को उपयोगी जानकारी कराई जाती है। केन्द्रीय सरकार की सहायता योजना के अन्तर्गत १४ मार्च, १९५९ तक ग्रामीण क्षेत्रों में लगाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को ४६,६४२ सामुदायिक रेडियो सेट दिए गए।

'आकाशवाणी ग्रामीण गोष्ठियों' के आयोजन का कार्य आरम्भ कर दिया गया है। ये गोष्ठियाँ 'श्रवण-वादविवाद कार्यक्रम गोष्ठियाँ' होंगी जिनमें प्रसारकों तथा श्रोताओं के बीच सीधा दोहरा सम्बन्ध रहेगा। ये गोष्ठियाँ गाँवों में संगठित की जाती हैं और प्रसारणों के सम्बन्ध में नियमित रूप से विचार-विमर्श करती तथा आकाशवाणी केन्द्र को अपने सुझाव देती हैं। बम्बई में ऐसी गोष्ठियों का कार्य आरम्भ हो चुका है और अन्य राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों में आरम्भ करना विचाराधीन है।

स्कूलों के लिए शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम इस समय २१ केन्द्रों से प्रसारित किया जाता है। यह कार्यक्रम ४ अन्य केन्द्रों से भी प्रसारित करने के लिए व्यवस्था की जा रही है। ३१ अगस्त, १९५८ को देश के १०,७४१ स्कूलों में रेडियो सेट लगे हुए थे।

आकाशवाणी के प्रत्येक केन्द्र से महिलाओं तथा बच्चों के भी विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं।

अहमदाबाद, इलाहाबाद, कलकत्ता, कोज़ीकोड, बम्बई, मद्रास, लखनऊ तथा त्रिवेन्द्रम से औद्योगिक मजदूरों के लिए कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं।

जम्मू, दिल्ली तथा श्रीनगर से सशस्त्र सेनाओं के लिए भी कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं।

पंचवर्षीय योजना प्रचार

योजना के प्रचार का उद्देश्य श्रोताओं को योजना के कार्य में सहयोग देने के लिए 'अपनी सहायता स्वयं करने' की प्रेरणा दी जाती है। विशेष श्रोता कार्यक्रमों में सुनियोजित प्रगति के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला जाता है। 'योजना में सहयोग दीजिए' विषय पर लोकप्रिय धुनों में विशेष गीत प्रसारित किए जाते हैं। ये गीत ग्रामीण भाइयों के कार्यक्रमों में भी रखे जाते हैं।

१९५८ में विभिन्न भाषाओं में २,०१७ वार्ताओं, ४८५ संवादों, १९१ भेंटों, ७९ कविताओं, ३३ विशेष रचनाओं, ५७ नाटकों, ५०६ रूपकों तथा ७६० वादविवादों के कार्यक्रम प्रसारित किए गए।

कार्यक्रम विनिमय विभाग

'आन्तरिक विनिमय विभाग' विभिन्न केन्द्रों को सीधे अथवा हिन्दी में अनुवाद के द्वारा अपने सर्वोत्तम कार्यक्रमों का विनिमय करने में सहायता देता है। १९५८ में इस प्रकार १,५०० कार्यक्रमों का परस्पर विनिमय हुआ। इसी प्रकार 'बाह्य कार्यक्रम विनिमय विभाग' विदेशों के रेडियो संगठनों से उनके कार्यक्रम प्राप्त करता है तथा इसके बदले में उनको भारतीय कार्यक्रम भेजता है। इस वर्ष ऐसे कार्यक्रम ५३ विदेशी प्रसारण संगठनों को भेजे गए। दिल्ली में एक 'केन्द्रीय रिकार्ड संग्रहालय' भी स्थापित किया जा चुका है।

अनुलेखन सेवा

प्रसिद्ध व्यक्तियों के भाषणों के रिकार्ड तैयार करने के अतिरिक्त इस सेवा के अन्तर्गत आकाशवाणी के केन्द्रों के उपयोग के लिए संगीत तथा वार्ताओं के २५० से अधिक स्टाम्पर तथा ९,००० रिकार्ड तैयार किए गए।

परामर्श समितियाँ

'केन्द्रीय कार्यक्रम परामर्श समिति' आकाशवाणी को उन सामान्य सिद्धान्तों के सम्बन्ध में परामर्श देती है जो कार्यक्रम तैयार तथा प्रस्तुत किए जाते समय ध्यान में रखे जाने चाहिएँ। यह समिति आकाशवाणी को इस सम्बन्ध में भी परामर्श देती है कि इन कार्यक्रमों को अधिक उपयोगी तथा अधिक मनोरंजक कैसे बनाया जा सकता है।

कार्यक्रम पत्रिकाएँ

आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों के पूर्व-निर्धारित कार्यक्रम इन पत्रिकाओं में प्रकाशित किए जाते हैं : आकाशवाणी (अंग्रेज़ी), सारंग (हिन्दी), नभोवाणी (गुजराती), वाणी (तेलुगु), वानोली (तमिल), बेतार जगत (बंगला) तथा आवाज़ (उर्दू)।

समाचार सेवाएँ

आकाशवाणी की आन्तरिक सेवाओं में समाचार प्रति दिन अंग्रेज़ी तथा हिन्दी में चार बार; असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, मराठी तथा मलयालम में तीन बार; कश्मीरी तथा डोगरी में दो बार तथा गोरखाली में एक बार प्रसारित किए जाते हैं। सेनाओं के लिए भी हिन्दी में समाचार प्रति दिन एक बार सैनिकों के कार्यक्रम में प्रसारित किया जाता है। उर्दू, कश्मीरी तथा बंगला में प्रति दिन समाचार-टिप्पणियाँ भी प्रसारित की जाती हैं।

समाचार प्रति दिन ७६ बार—आन्तरिक सेवाओं में ४६ बार तथा बाह्य सेवाओं में ३० बार—प्रसारित किए जाते हैं। राज्यों से प्राप्त होने वाले स्थानीय समाचार प्रादेशिक समाचारों के अन्तर्गत प्रसारित किए जाते हैं। आकाशवाणी से समाचार-दर्शन के कार्यक्रम प्रति सप्ताह अंग्रेज़ी में दो बार तथा हिन्दी में एक बार प्रसारित किए जाते हैं।

बाह्य सेवाएँ

'बाह्य सेवा विभाग' अफ्रीका, आस्ट्रेलिया तथा यूरोप के भारतीय तथा विदेशी श्रोताओं के लिए प्रति दिन १६ भाषाओं में २० घण्टे का कार्यक्रम प्रसारित करता है। १६५८ में दिल्ली में १०० किलोवाट का एक तीसरा लघुतरंगीय सम्प्रेषण यन्त्र प्रस्थापित किया गया। विदेशों में बसे भारतीय उद्भव के व्यक्तियों के लिए हिन्दी, तमिल, गुजराती तथा कोंकणी में कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। विदेश-स्थित भारतीय भिन्न श्रोताओं के लिए १२ भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं।

विकास

अगस्त, १६५८ के अन्त में देश में १२,६१,८१२ घरेलू रेडियो सेट होने के अतिरिक्त अन्य प्रकार के उपयोग के लिए भी १,०६,६२५ रेडियो सेटों के लाइसेंस जारी किए गए।

रेडियो सेटों का आयात तथा उत्पादन

१६५६-५७ में १२.०१ लाख रुपये के मूल्य के, ४,३६३ रेडियो सेटों का आयात किया गया तथा सितम्बर, १६५८ के अन्त तक देश में १,४७,२८० रेडियो सेट तैयार किए गए।

टेलीविज़न

भारत में प्रसारण के विकास के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दिल्ली में परीक्षणात्मक टेलीविज़न विभाग स्थापित करने का कार्यक्रम सम्मिलित है जहाँ इस सम्बन्ध में जाँच-पड़ताल की जाएगी तथा आकाशवाणी के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

समाचारपत्र

भारत के पत्र-पंजीकार के द्वितीय प्रतिवेदन के अनुसार जो ३० अप्रैल, १९५८ को प्रकाशित हुआ, ३१ दिसम्बर, १९५७ को देश में ५,९३२ पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित हो रही थीं जिनमें से दैनिक पत्र ४४६ और साप्ताहिक, पाक्षिक, तथा मासिक पत्रिकाएँ क्रमशः १,५८९; ५१७ तथा २,३५१ थीं। इनमें से सबसे अधिक पत्र-पत्रिकाएँ बम्बई राज्य से प्रकाशित हो रही थीं।

राज्यों के आधार पर दैनिक पत्रों और साप्ताहिक, पाक्षिक तथा मासिक पत्रिकाओं का विभाजन निम्न तालिका में दिया गया है :

तालिका १४

राज्यों तथा नियतकालिकता के अनुसार पत्र पत्रिकाओं का विवरण
(३१ दिसम्बर १९५७ को)

राज्य/क्षेत्र	दैनिक पत्र	साप्ताहिक पत्रिकाएँ	पाक्षिक पत्रिकाएँ	मासिक पत्रिकाएँ
असम	३	१५	५	७
आन्ध्र प्रदेश	१६	७६	२०	११५
उड़ीसा	५	१३	५	३२
उत्तर प्रदेश	५३	२७३	५४	२७७
केरल	२८	४३	८	११६
पंजाब	३०	१२९	२७	१५७
पश्चिम बंगाल	३३	१७३	७४	३०५
बम्बई	११७	३२७	१४३	४९२
बिहार	१०	१६०	१८	५३
मद्रास	२७	०५	५६	२६९
मध्य प्रदेश	३३	१६७	१३	५५
मैसूर	४३	१७	१७	१०७
राजस्थान	१६	१७३	१२	४७
दिल्ली	२८	११	६१	३११
मणिपुर	३	—	—	५
हिमाचल प्रदेश	—	—	२	२
त्रिपुरा	१	७	२	१
योग	४४६	१,५८९	५१७	२,३५१

विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित होने वाली पत्र-पत्रिकाओं का विवरण निम्न तालिका में दिखाया गया है :

तालिका १५

भाषा के अनुसार पत्र-पत्रिकाओं का विवरण

(३१ दिसम्बर, १९५७ को)

भाषा	संख्या
अंग्रेजी	१,१८८
असमिया	११
उड़िया	५९
उर्दू	५१३
कन्नड़	२२०
गुजराती	३७४
तमिल	२६९
तेलुगु	१९६
पंजाबी	११२
बंगला	४१५
मराठी	३२१
मलयालम	१३९
संस्कृत	८
हिन्दी	१,१२७
दो भाषा वाले	५५९
बहुभाषा वाले	३४५
अन्य भाषा वाले	७६
योग	५,९३२

समाचारपत्रों की ग्राहक-संख्या

१९५७ में प्रकाशित हो रहीं कुल ५,९३२ पत्र-पत्रिकाओं में से ग्राहक-संख्या सम्बन्धी पूरे आँकड़े केवल २,८४३ पत्र-पत्रिकाओं के सम्बन्ध में ही प्राप्त है। इन आँकड़ों से पता चलता है कि दैनिक पत्रों की ग्राहक-संख्या (३१.४९ लाख) कुल ग्राहक-संख्या की २७.९ प्रतिशत और साप्ताहिक तथा मासिक पत्रिकाओं की ग्राहक-संख्या क्रमशः २७ तथा २८ प्रतिशत है।

भाषा के अनुसार दैनिक पत्रों की सबसे अधिक ग्राहक-संख्या अंग्रेजी पत्रों की (२४.९७ लाख अथवा २२.३ प्रतिशत) है। इसके बाद हिन्दी के दैनिक पत्रों का स्थान आता है जिनकी ग्राहक संख्या २०.२५ लाख अथवा १८ प्रतिशत है। अन्य भाषा वाले पत्रों की ग्राहक-संख्या इस प्रकार है: तमिल (९.१ प्रतिशत), उर्दू (७ प्रतिशत) गुजराती (६.५ प्रतिशत), बंगला (६.१ प्रतिशत), मराठी (५.९ प्रतिशत) तथा तेलुगु (५ प्रतिशत)।

समाचारपत्र सम्बन्धी कागज़

समाचारपत्रों के उपयोग में आने वाला अधिकांश कागज भारत विदेशों से ही मँगाता है। समाचारपत्र सम्बन्धी कागज तैयार करने वाले भारत के एकमात्र कारखाने—मध्यप्रदेश में चाँदनी-स्थित 'राष्ट्रीय समाचारपत्र तथा अन्य कागज मिल लिमिटेड' में उत्पादन-कार्य जनवरी, १९५५ में आरम्भ हुआ तथा इसकी वार्षिक उत्पादन-क्षमता लगभग ३०,००० टन है। शेष कागज मुख्यतः आस्ट्रिया, कनाडा, नार्वे तथा फिनलैण्ड से आता है। १९५८ में नवम्बर तक ४,५५,८१,७४६ रुपये के मूल्य के १०,५२,४११ हण्डरवेट कागज का आयात किया गया।

पत्र सूचना कार्यालय

'पत्र सूचना कार्यालय' समाचारपत्रों को अंग्रेजी तथा १२ भारतीय भाषाओं में भारत सरकार की नीतियों, योजनाओं, सफलताओं तथा अन्य गतिविधियों के सम्बन्ध में जानकारी देता है। १९५८-५९ में ३,६०५ भारतीय पत्र-पत्रिकाओं को इसके द्वारा प्रकाशित प्रेस-समाचार की सुविधाएँ प्राप्त हुईं। १९५८ में १६५ भारतीय तथा विदेशी संवाददाता भारत सरकार के साथ सम्बद्ध थे।

कार्यालय की हिन्दी तथा उर्दू में सूचना सेवाओं का संचालन इसके नयी दिल्ली-स्थित प्रधान कार्यालय से होता है, जबकि अन्य भारतीय भाषाओं की सूचना सेवाओं का संचालन इसके प्रादेशिक कार्यालयों से।

राज्यों की राजधानियों तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों में सूचना केन्द्र स्थापित करने की एक योजना के अनुसार जयपुर, जालन्धर, नयी दिल्ली, नागपुर, पटना, मद्रास, राजकोट, लखनऊ, श्रीनगर, हैदराबाद तथा त्रिवेन्द्रम में सूचना केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं। ग्रामीणों के लाभ के लिए एक सूचना केन्द्र हीराकुड में तथा दूसरा सूचना केन्द्र भाखड़ा-नंगल में स्थापित किया गया है।

समाचारपत्रों की स्वतन्त्रता

संविधान के अनुच्छेद १९ (१) में भारत के सभी नागरिकों को भाषण देने तथा अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार दिया गया है। न्यायालयों के मतानुसार इस अधिकार में समाचारपत्रों की स्वतन्त्रता का अधिकार भी सम्मिलित है। 'संविधान (प्रथम संशोधन)

अधिनियम, १९५१' के अन्तर्गत संसद्, राज्य की सुरक्षा के हित में इस अधिकार के उपयोग पर उचित प्रतिबन्ध लगाने के लिए कानून बना सकती है।

समाचारपत्रों के सम्बन्ध में पाँच मुख्य केन्द्रीय कानून हैं: (१) समाचारपत्र तथा पुस्तक-पंजीयन अधिनियम, १८६७', (२) 'श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) तथा विविध उपबन्ध अधिनियम, १९५५', (३) 'समाचारपत्र (मूल्य तथा पृष्ठ) अधिनियम, १९५६', (४) 'पुस्तक तथा समाचारपत्र प्रदाय (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम, १९५४' तथा (५) 'संसदीय कार्यवाही (प्रकाशन की रक्षा) अधिनियम, १९५६'।*

चलचित्र

१९५८ में २९५ रूपक चलचित्रों का निर्माण हुआ: असमिया (२), कन्नड़ (११), तमिल (६१), तेलुगु (३६), पंजाबी (१), बंगला (४५), मराठी (१६), मलयालम (४), सिन्धी (३) तथा हिन्दी (११६)।

चलचित्र संस्था

सरकार ने चलचित्र संस्था की स्थापना के लिए स्वीकृति दे दी है। आशा है कि यह संस्था १९५९ में अपना कार्य आरम्भ कर देगी। संस्था में चलचित्रों के निर्माण के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह संस्था देश की चलचित्र समितियों की गतिविधियों में भी समन्वय स्थापित करेगी।

निर्माण संहिता कार्यालय

चलचित्र उद्योग के लिए 'निर्माण संहिता कार्यालय' की स्थापना के उपाय किए जा चुके हैं। इस कार्यालय का कार्य १९५९ के मध्य में आरम्भ होने की आशा है।

चलचित्र वित्त निगम

सरकार ने २०-२५ लाख रुपये की प्रारम्भिक पूँजी से 'चलचित्र वित्त निगम' स्थापित करने का भी निर्णय किया है। इसका कार्य भी इस वर्ष आरम्भ होने की आशा है।

बाल चलचित्र समिति

'बाल चलचित्र समिति' 'बाल-चलचित्र समिति पंजीयन अधिनियम' के अनुसार मई, १९५५ में पंजीकृत की गई। इस समिति का मुख्य उद्देश्य बालक-बालिकाओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी चलचित्रों का निर्माण करना है। भारतीय रूपक चलचित्रों पर आधारित 'राम शास्त्री का न्याय' तथा 'बाल रामायण' शीर्षक दो चित्रों के अतिरिक्त समिति अब

---

* इन अधिनियमों के संक्षिप्त विवरण के लिए देखिए 'भारत १९५८' पृष्ठ १३७-१३८

तक चार रूपक चलचित्र (जलदीप, स्काउट कैम्प, हरिया तथा चार दोस्त) और तीन छोटे चलचित्र (गंगा की लहरें, बच्चों से बातें तथा गुलाब का फूल) तैयार कर चुकी है। बालक-बालिकाओं के लिए इसने कुछ ब्रिटिश तथा रूसी चलचित्रों के आधार पर भी बाल चलचित्र तैयार किए। 'पंचतन्त्र' तथा 'यात्रा' शीर्षक दो बाल चलचित्र तैयार किए जा रहे हैं।

समिति से बालक-बालिकाओं के लिए एक 'राष्ट्रीय मनोरंजन चलचित्र केन्द्र' की व्यवस्था करने को कहा गया है जो ब्रूसेल्स में स्थापित अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र के साथ सम्बद्ध कर दिया जाएगा।

चलचित्र समारोह

१९५८ में कई अन्तर्राष्ट्रीय चलचित्र समारोहों में भारतीय चलचित्रों का प्रदर्शन किया गया और उन्हें पुरस्कार प्राप्त हुए :

'पथेर पांचाली' को वैंकूवर (कनाडा) में हुए अन्तर्राष्ट्रीय चलचित्र समारोह में रूपक चलचित्रों के लिए प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसे स्ट्रेटफोर्ड चलचित्र समारोह (कनाडा) में भी वर्ष के सर्वोत्तम चलचित्र के रूप में चलचित्र-समीक्षक का पुरस्कार प्राप्त हुआ।

'दो आँखें बारह हाथ' को बर्लिन में हुए आठवें अन्तर्राष्ट्रीय चलचित्र समारोह में 'सिल्वर बियर' नामक विशेष पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसे अन्तर्राष्ट्रीय कैथोलिक चलचित्र-दर्शित्र कार्यालय की सात-राष्ट्रीय पंचसमिति की ओर से भी विशेष पुरस्कार प्राप्त हुआ।

कारलोवी वारी (चेकोस्लोवाकिया) में हुए आठवें अन्तर्राष्ट्रीय चलचित्र समारोह में 'मदर इण्डिया' का भी प्रदर्शन किया गया। इस चित्र की मुख्य अभिनेत्री श्रीमती नर्गिस को श्रेष्ठ अभिनय के लिए पुरस्कृत किया गया।

सान-फ्रांसिस्को के अन्तर्राष्ट्रीय चलचित्र समारोह में कई भारतीय चलचित्रों में 'अपराजित' का भी प्रदर्शन किया गया। इस चित्र के निर्देशक श्री सत्यजित राय को सर्वोत्तम चलचित्र निर्देशन के लिए पुरस्कृत किया गया।

चलचित्र विभाग के वृत्तचित्र 'आपरेशन खेड़ा' को चौदहवीं अन्तर्राष्ट्रीय खेलकूद चलचित्र प्रतियोगिता (कार्टिना, इटली) में कलात्मक गुणों के लिए कप प्राप्त हुआ। इसी विभाग के दूसरे वित्तचित्र 'स्टार्स मैन हैज़ मेड' को भी रोम में हुई पाँचवीं अन्तर्राष्ट्रीय विद्युदणु तथा परमाणु-समस्या गोष्ठी के अवसर पर कलात्मक विशेषता के लिए कप प्राप्त हुआ।

राजकीय पुरस्कार

उच्चकोटि तथा उच्च स्तर के सांस्कृतिक तथा शिक्षाप्रद चलचित्रों को सरकार की ओर से १९५४ से प्रति वर्ष पुरस्कार दिए जाते हैं। रूपक, वृत्त तथा बाल चलचित्रों के लिए निम्न पुरस्कार दिए जाते हैं। १९५८ में चलचित्रों को मिले पुरस्कारों का विवरण परिशिष्ट में दिया गया है।

सार्वजनिक जीवन के प्रतिष्ठित व्यक्तियों तथा चलचित्र उद्योग से सम्बन्धित व्यक्तियों से मिलकर बनी कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास-स्थित प्रादेशिक समितियाँ रूपक चलचित्रों का प्रारम्भिक चुनाव करती हैं। वृत्तचित्रों का प्रारम्भिक चुनाव वृत्तचित्र समितियाँ करती हैं।

वृत्तचित्र तथा समाचारदर्शन-चित्र

वृत्तचित्रों तथा समाचारदर्शन-चित्रों का निर्माण मुख्य रूप से केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मन्त्रालय का चलचित्र विभाग करता है। १९५८ के अन्त तक इस विभाग ने ५३३ समाचारदर्शन-चित्र तैयार किए तथा प्रदर्शन के लिए ३९७ वृत्तचित्र दिए। वृत्तचित्र १३ भाषाओं में तैयार किए जाते हैं। इन वृत्तचित्रों में से कुछ रंगीन भी होते हैं।

वृत्तचित्र अधिकांशतः जबकि उपर्युक्त चलचित्र विभाग द्वारा तैयार किए जाते हैं, निजी निर्माताओं को भी चुने हुए विषयों पर वृत्तचित्र तैयार करने का काम सौंपा जाता है। १९५८ में निजी निर्माताओं ने ऐसे १४ चित्र तैयार किए।

समाचारदर्शन-चित्रों में देश तथा विदेश में घटने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के चित्र सम्मिलित रहते हैं।

सिनेमाघरों को लाइसेंस दिए जाने की शर्तों के अनुसार प्रत्येक सिनेमाघर के लिए यह आवश्यक कर दिया गया है कि एक बार के खेल में लाइसेंस-अधिकारियों द्वारा स्वीकृत २,००० फुट से अधिक फिल्म का प्रदर्शन न किया जाए। प्रत्येक सिनेमाघर में प्रदर्शन के लिए सप्ताह में एक समाचारदर्शन-चित्र तथा एक वृत्तचित्र बारी-बारी से दिया जाता है।

विदेश स्थित ९८ भारतीय दूतावासों को विदेशों में प्रचार के लिए स्वीकृत वृत्तचित्र दिए जाते हैं। यूरोप में चलचित्र विभाग के चलचित्रों के व्यापारिक वितरण की नियमित व्यवस्था है।

चलचित्र सम्बन्धी जाँच

भारत में 'केन्द्रीय चलचित्र जाँच मण्डल' जनवरी, १९५१ में स्थापित किया गया था। इस मण्डल के सदस्यों की संख्या अध्यक्ष सहित ७ है जो सब के सब भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसका प्रधान कार्यालय बम्बई में है।

जिस चलचित्र के लिए प्रमाणपत्र प्राप्त करने का प्रार्थनापत्र दिया जाता है, उस पर परीक्षण समिति विचार करती है। प्रमाणपत्र के अभ्यर्थी को इस बात का अवसर दिया जाता है कि वह परीक्षण तथा विचार समितियों, दोनों के समक्ष अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करे।

१९५१ तथा १९५८ के बीच इस मण्डल ने ६,४६३ भारतीय चलचित्रों तथा १७,३८९ विदेशी चलचित्रों को प्रमाणपत्र दिए। मण्डल द्वारा स्थापित शोध विभाग इस वर्ष बन्द कर दिया गया।

१९५८ में नवम्बर तक १ करोड़ ५६ लाख ८४ हजार रुपये के मूल्य की २० करोड़ ४ लाख ६४ हजार फुट कच्ची फिल्म तथा २८.१३ लाख रुपये की १ करोड़ ८८ हजार फुट तैयार फिल्म आयात की गई।

भारतीय चलचित्रों का निर्यात

भारतीय चलचित्रों के निर्यात में वृद्धि करने के सम्बन्ध में सुझाव देने के उद्देश्य से सूचना और प्रसारण मन्त्री की अध्यक्षता में एक 'चलचित्र निर्यात प्रोत्साहन समिति' नयी दिल्ली में स्थापित कर दी गई है। १९५७ में चलचित्रों के निर्यात से १ करोड़ २८ लाख १७ हज़ार रुपये का विदेशी विनिमय प्राप्त हुआ।

प्रकाशन

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय का प्रकाशन विभाग लोकप्रिय लघु-पुस्तिकाओं, पुस्तकों पत्रिकाओं तथा चित्र-संग्रहों का संकलन, प्रकाशन, वितरण तथा विक्रय करने और लोगों को देश की सांस्कृतिक विरासत, सरकार की गतिविधियों, विभिन्न विकास कार्यक्रमों की प्रगति तथा पर्यटन-योग्य स्थानों के सम्बन्ध में अधिकृत जानकारी देने के लिए उत्तरदायी है। यह विभाग सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों तथा विभागों को उनके प्रचार साहित्य के प्रकाशन के सम्बन्ध में परामर्श देता है। प्रकाशन का कार्य अंग्रेज़ी, हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं में होता है।

प्रकाशन विभाग १८ पत्रिकाएँ प्रकाशित करता है जिनमें 'मार्च ऑफ इण्डिया' तथा ,आजकल' (हिन्दी तथा उर्दू) जैसी सांस्कृतिक पत्रिकाएँ; 'बाल भारती' (हिन्दी) जैसी बालोपयोगी पत्रिका; सामुदायिक विकास सम्बन्धी पत्रिका 'कुरुक्षेत्र' तथा 'ग्रामसेवक' (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी); योजना सम्बन्धी पत्रिका 'योजना' (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी) और आकाशवाणी की कार्यक्रम पत्रिकाएँ सम्मिलित हैं।

१९५८ में 'इण्डियन इन्फर्मेशन', 'भारतीय समाचार', 'मीट्रिक मेज़र्स' तथा 'मीट्रिक माप-तोल' शीर्षक पत्रिकाओं का प्रकाशन आरम्भ किया गया। प्रथम दो पत्रिकाएँ क्रमशः अंग्रेज़ी तथा हिन्दी की पाक्षिक पत्रिकाएँ हैं जिनमें सरकार की मुख्य गतिविधियाँ तथा नीति विषयक घोषणाएँ संक्षेप में दी हुई रहती हैं। हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं में बच्चों के लिए कहानी संग्रह भी प्रकाशित किए जा रहे हैं।

१९५८ में इस विभाग ने विभिन्न भाषाओं में कुल २१२ पुस्तक तथा पुस्तिकाएँ प्रकाशित कीं। इनमें से महत्वपूर्ण प्रकाशन थे : 'विमेन ऑफ इण्डिया', 'न्यूक्लियर एक्स-प्लोज़न्स एण्ड देअर इफेक्ट्स' (रिवाइज़्ड), 'मौलाना आज़ाद—ए होमेज', 'भारत के पक्षी', 'जवाहरलाल नेहरूज़ स्पीचेज़'—वाल्यूम ८, 'स्पीचेज़ ऑफ प्रेसीडेण्ट राजेन्द्र प्रसाद, १९५२-५६', 'कम्युनिटी डेवलपमेण्ट इन इण्डिया' तथा 'इण्डिया ए—सौवनीर'।

इसका फोटो विभाग विभिन्न मन्त्रालयों की गतिविधियों के सम्बन्ध में प्रदर्शनियों की व्यवस्था करता है। इस विभाग ने 'भारत १९५८' प्रदर्शनी के विभिन्न मण्डपों में फोटो सजाने के काम में सहायता दी।

विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार

राज्यों में विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार का कार्य उनके सूचना प्रचार विभाग

करते हैं और केन्द्र में इसका दायित्व केन्द्रीय सरकार के सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के 'विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय' पर है।

१९५८ में निदेशालय ने ५५२ विज्ञापन तथा ४,५५२ वर्गीकृत विज्ञापन ३९,६०३ बार प्रकाशित कराए।

दृश्य प्रचार पर अधिकाधिक बल दिए जाने के साथ-साथ पोस्टरों, फोल्डरों, पर्चों तथा चित्रमय कलैण्डरों आदि का अधिक से अधिक उपयोग किया जा रहा है। १९५८ में निदेशालय ने गाँवों में वितरण के लिए इन सब को मिलाकर कुल २.४८ करोड़ प्रतियाँ प्रकाशित कीं।

निदेशालय के प्रदर्शनी विभाग तथा सात प्रादेशिक एककों ने १९५८ में देश के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ९१ प्रदर्शनियों की व्यवस्था की। इसने 'भारत १९५८' प्रदर्शनी में 'भारत की झाँकी' (इण्डियन पेनोरेमा) नामक मण्डप सजाया।

पुस्तकों तथा अन्य प्रकाशनों के मुद्रण तथा आकल्पन (डिज़ाईनिंग) में श्रेष्ठता के लिए प्रति वर्ष राजकीय पुरस्कार दिए जाते हैं। इन पुरस्कारों का उद्देश्य मुद्रण तथा आकल्पन के क्षेत्र में होने वाली प्रगति को मान्यता देना तथा इस क्षेत्र में उच्चतर स्तर को प्रोत्साहन देना है।

—:o:—

सोलहवाँ अध्याय

आर्थिक ढाँचा

भारत की अर्थव्यवस्था अभी तक पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। इसका अभी विकास हो रहा है। भारत प्राकृतिक संसाधनों तथा मानव-शक्ति की दृष्टि से एक सम्पन्न देश है। इसके मानवीय तथा भौतिक संसाधनों का पूरा-पूरा तथा ठोस रूप से उपयोग किया जा सकता है। १६४८-४६ के बाद से ११ प्रतिशत वृद्धि होने पर भी भारत की प्रति व्यक्ति आय अभी भी कम ही है (१६५५-५६ में २६१ रुपये)। भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी अधिकांशतः कृषि पर ही आधारित है तथा देश की लगभग आधी राष्ट्रीय आय कृषि तथा उससे सम्बन्धित व्यवसायों से ही प्राप्त होती है जिनमें देश के कामों में लगे लोगों में से लगभग तीन-चौथाई व्यक्ति लगे हैं। स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद से राष्ट्रीय आयोजन का उद्देश्य औद्योगिक विकास की दिशा में प्रगति करते रहने के साथ-साथ कृषि के उत्पादन में भी वृद्धि करना है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (अप्रैल-सितम्बर, १६५२) के अनुसार तीन-चौथाई से अधिक (६१.३ प्रतिशत) उपभोक्ता व्यय केवल खाद्य वस्तुओं पर हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में यह व्यय और अधिक (६४.१ प्रतिशत) रहा। इसके अतिरिक्त वस्त्रों पर ७.७ प्रतिशत, ईंधन तथा प्रकाश पर ५.५ प्रतिशत, समारोहों तथा उत्सवों आदि पर ५.६ प्रतिशत तथा सेवाओं पर ५.६ प्रतिशत व्यय हुआ। शिक्षा तथा मनोरंजन आदि पर व्यय बहुत ही कम मात्रा में हुआ।

राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय

१६५५-५६ में भारत की राष्ट्रीय आय ६६.६० अर्ब रु० आँकी गई, जबकि १६४८-४६ में राष्ट्रीय आय ८६.५० अर्ब रु० ही थी। इसी प्रकार १६५५-५६ में भारत की प्रति व्यक्ति आय भी २६०.८ रु० थी, जबकि १६४८-४६ में यह २४६.६ रु० ही थी। १६५५-५६ में राष्ट्रीय आय चालू मूल्यों पर १६४८-४६ की राष्ट्रीय आय से १५.५ प्रतिशत अधिक थी अर्थात् इस अवधि में यदि वस्तुओं और पदार्थों के मूल्य एक-से ही रहते तो यह वृद्धि वस्तुतः २१.२ प्रतिशत होती। इसी प्रकार १६५५-५६ में प्रति व्यक्ति आय १६४८-४६ की प्रति व्यक्ति आय से ५.६ प्रतिशत अधिक थी, किन्तु एक-से ही मूल्य रहने पर यह वृद्धि भी १०.८ प्रतिशत के बराबर होती। १६५६-५७ के प्रारम्भिक आँकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय चालू मूल्यों पर क्रमशः १ खर्ब १४ अर्ब १० करोड़ रुपये तथा

२९४.३ रुपये थी और १९४८-४९ के मूल्यों पर क्रमशः १ अर्ब १० खर्ब १० करोड़ रुपये तथा २८४ रुपये थी।

१९५६-५७ में (प्रारम्भिक आँकड़ों के अनुसार) राष्ट्रीय आय के प्रमुख व्यवसायगत स्रोत इस प्रकार थे: कृषि (कृषि, पशुपालन, वन उद्योग तथा मछलीपालन) से ५६.९० अर्ब रु० (४९.८ प्रतिशत); खनन तथा निर्माणकारी उद्योग और छोटे उद्योगों से १९.७० अर्ब रु० (१७.३ प्रतिशत); वाणिज्य, बैंकिंग तथा बीमा, परिवहन तथा संचार-साधनों से १९.३० अर्ब रु० (१६.९ प्रतिशत) तथा अन्य व्यवसायों, सरकारी नौकरियों, घरेलू सेवाओं तथा गृह-सम्पत्ति आदि से १८.१० अर्ब रु० (१५.९ प्रतिशत)।

इस प्रकार देश में हुई १ खर्ब १४ अर्ब रुपये की राष्ट्रीय आय तथा विदेशों से हुई १० करोड़ रुपये की शुद्ध अर्जित आय को मिलाकर १९५६-५७ में कुल राष्ट्रीय आय १ खर्ब १४ अर्ब १० करोड़ रुपये की रही।

जीविकोपार्जन का रूप

१९५१ की जनगणना के अनुसार ३५.६६ करोड़* की कुल जनसंख्या में से २१.४३ करोड़ व्यक्ति (६०.१ प्रतिशत) 'गैर-कमाऊ आश्रित' व्यक्ति थे, जिनमें मुख्यतः महिलाएँ तथा बच्चे सम्मिलित थे। शेष जनसंख्या में से ३.७९ करोड़ व्यक्ति (१०.६ प्रतिशत) 'कमाऊ आश्रित' व्यक्ति तथा १०.४४ करोड़ व्यक्ति (२९.३ प्रतिशत) स्वावलम्बी व्यक्ति थे।

प्रत्येक १०० भारतीयों (आश्रित व्यक्ति सहित) में से ४७ भूमिधर किसान, ९ काश्तकार, १३ भूमिहीन मजदूर तथा १ जमीन्दार था, जबकि उद्योगों अथवा अन्य कृषि-भिन्न व्यवसायों, वाणिज्य, परिवहन और विविध व्यवसायों में क्रमशः १०, ६, २ और १२ व्यक्ति लगे हुए थे।

तालिका सं० १६ में 'गैर-कमाऊ आश्रित' तथा 'कमाऊ आश्रित' व्यक्तियों और अन्य प्रकार से जीविकोपार्जन करने वाले व्यक्तियों का विवरण दिया गया है।

कामों में लगे लोगों की संख्या

१९५०-५१ में ३५.९३ करोड़ की जनसंख्या में से देश में १४.३२ करोड़ व्यक्तियों के रोजगार में संलग्न होने का अनुमान लगाया गया था: १०.३६ करोड़ व्यक्ति कृषि सम्बन्धी कार्यों में; १.५३ करोड़ व्यक्ति खनन तथा हस्तशिल्प उद्योगों में; १.११ करोड़ व्यक्ति वाणिज्य, बीमा तथा बैंकिंग और परिवहन तथा संचार-साधनों में; ६४ लाख व्यक्ति विभिन्न व्यवसायों में; ३९ लाख व्यक्ति सरकारी नौकरियों में तथा २९ लाख व्यक्ति घरेलू नौकरियों में।

---

*पंजाब के तीन लाख व्यक्तियों के सम्बन्ध में विवरण आग से नष्ट हो गए। जम्मू तथा कश्मीर राज्य और असम के 'ख' भाग के आदिमजातीय क्षेत्र इस जनगणना में सम्मिलित नहीं थे।

तालिका १६

जीविकोपार्जन के रूप के आधार पर जनसंख्या का विभाजन (१६५१)

	स्वावलम्बी व्यक्ति	गैर-कमाऊ आश्रित व्यक्ति	कमाऊ आश्रित व्यक्ति	योग
वे कृषक जिनका भूमि पर पूर्ण अथवा मुख्य रूप से स्वामित्व है	४,५७,००,०००	१०,०१,००,०००	२,१५,००,०००	१६,७३,००,०००
वे कृषक जिनका भूमि पर पूर्ण अथवा मुख्य रूप से स्वामित्व नहीं है	८८,००,०००	१,८६,००,०००	३६,००,०००	३,१६,००,०००
कृषक मजदूर	१,४६,००,०००	२,४७,००,०००	५२,००,०००	४,४८,००,०००
कृषि न करने वाले भू-स्वामी तथा लगान प्राप्त करने वाले व्यक्ति	१६,००,०००	३३,००,०००	४,००,०००	५३,००,०००
कृषि में लगे व्यक्तियों का योग	७,१०,००,०००	१४,७०,००,०००	३,१०,००,०००	२४,६१,००,०००
कृषि-भिन्न व्यवसायों में लगे व्यक्ति	१,२२,००,०००	२,२३,००,०००	३२,००,०००	३,७७,००,०००
वाणिज्य में लगे व्यक्ति	५६,००,०००	१,४५,००,०००	६,००,०००	२,१३,००,०००
परिवहन में लगे व्यक्ति	१७,००,०००	३७,००,०००	२,००,०००	५६,००,०००
अन्य विविध कार्यों में लगे व्यक्ति	१,३६,००,०००	२,६८,००,०००	२६,००,०००	४,३०,००,०००
कृषि-भिन्न व्यवसायों में लगे व्यक्तियों का योग	३,३४,००,०००	६,७३,००,०००	६६,००,०००	१०,७६,००,०००
सर्वयोग	१०,४४,००,०००	२१,४३,००,०००	३,७६,००,०००	३५,६६,००,०००

मुख्य फसलें

१९५०-५१ में देश में कृषि-उत्पादन कुल ४८.६६ अर्ब रु० के मूल्य का हुआ किन्तु वास्तविक कृषि-उत्पादन ४१.१२ अर्ब रु० का ही था।

मुख्य उद्योग

१९५०में राष्ट्रीय आय में विभिन्न निर्माणकारी उद्योगों का योगदान ५ अर्ब १३ करोड़ ४० लाख रु० का आँका गया था जिसमें से सूती वस्त्र उद्योग से १ अर्ब ७ करोड़ ९० लाख रु०; चाय उद्योग से ६९.३० करोड़ रु०; पटसन उद्योग से ४६.६० करोड़ रु०; चीनी उद्योग से ३५.८० करोड़ रु०; लोहा तथा इस्पात उद्योग से २६.९० करोड़ रु०; सामान्य तथा बिजली इंजीनियरिंग उद्योग से २९.४० करोड़ रु० तथा वनस्पतिजन्य तेलों से ११.७० करोड़ रु० की राष्ट्रीय आय विशेष उल्लेखनीय है।

बैंकिंग तथा बीमा उद्योग से भी ६५.१२ करोड़ रु० की आय हुई। विभिन्न व्यवसायों से ४.६८ अर्ब रु० तथा गृह-सम्पत्ति आदि से ४ अर्ब ८ करोड़ ३० लाख रु० की आय हुई।

प्रति व्यक्ति उत्पादन

सम्पूर्ण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत १९५०-५१ में रोज़गार से लग प्रत्येक व्यक्ति के शुद्ध उत्पादन का मूल्य ६७० रु० आँका गया था। कृषि में लगे प्रति व्यक्ति का उत्पादन ५०० रु० का और खनन तथा कारखानों में लगे प्रति व्यक्ति का उत्पादन १,७०० रु० का था। इसी प्रकार रेलों तथा संचार-साधनों में लगे प्रति व्यक्ति का उत्पादन १,६०० रु० का; बैंकिंग, बीमा, वाणिज्य और परिवहन में लगे प्रति व्यक्ति का उत्पादन १,५०० रु० का; छोटे उद्योगों में लगे प्रति व्यक्ति का उत्पादन ८०० रु० का; अन्य व्यवसायों में लगे प्रति व्यक्ति का उत्पादन ७०० रु० का; सरकारी नौकरियों में लगे प्रति व्यक्ति का उत्पादन १,१०० रु० का और घरेलू नौकरियों में लगे प्रति व्यक्ति का उत्पादन ४०० रु० का था।

पूँजी निर्माण

अस्थायी प्राक्कलन के अनुसार १९५५-५६ में भारत में ८.८० अर्ब रु० की पूँजी लगी हुई थी। इसमें से ४.१६ अर्ब रु० की पूँजी निजी क्षेत्र में तथा ४.६४ अर्ब रु० की पूँजी सरकारी क्षेत्र में लगी हुई थी।

बेरोज़गारी

देश में कुल बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या का ठीक-ठीक अनुमान अभी तक नहीं लगाया जा सका है। काम-दिलाऊ कार्यालयों से सीमित मात्रा में ही लाभ मिलता है क्योंकि इनके आँकड़ों में केवल शहरी क्षेत्रों तथा उन बेरोजगार व्यक्तियों के ही आँकड़े होते हैं जो इनमें अपना नाम दर्ज कराते हैं।

१९५३ में किए गए 'राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण' के अनुसार कलकत्ता नगर की ७.१० प्रतिशत जनता बेरोज़गार थी, जबकि एक दूसरे नमूना सर्वेक्षण के अनुसार उसी वर्ष कलकत्ता, दिल्ली तथा मद्रास को छोड़कर ५०,००० अथवा उससे अधिक की जनसंख्या वाले अन्य नगरों में २.५९ प्रतिशत व्यक्ति अथवा ७.४४ प्रतिशत मज़दूर बेरोज़गार थे। देश के शहरी क्षेत्रों में उन लोगों की कुल संख्या २७.४० लाख थी जो किसी भी प्रकार के रोज़गार में लगे हुए नहीं थे। कृषि-श्रम सम्बन्धी जाँच-पड़ताल के अनुसार १९५०-५१ में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोज़गार लोगों की संख्या लगभग २८ लाख थी। प्राप्त आँकड़ों के आधार पर योजना आयोग के अनुसार १९५६ के प्रारम्भ में देश में ५३ लाख व्यक्ति बेरोज़गार थे।

श्रम तथा नियोजन मन्त्रालय के 'राष्ट्रीय नियोजन सेवा विभाग' ने १९५३-५७ की अवधि में काम की खोज करने वाले व्यक्तियों की संख्या का, तथा जिस प्रकार के काम वे व्यक्ति चाहते थे, उसका जो अध्ययन किया, उससे पता चलता है कि काम-दिलाऊ कार्यालयों के रजिस्टरों में सात प्रकार के काम चाहने वाले बेरोज़गार व्यक्तियों के नाम दर्ज थे। १९५३-५७ में सबसे अधिक रोज़गार, शिक्षा के क्षेत्र में काम चाहने वाले व्यक्तियों को दिलाया गया।

दिसम्बर, १९५८ तक काम-दिलाऊ कार्यालयों के रजिस्टरों में जिन ११,८३,२९९ बेरोज़गार व्यक्तियों के नाम दर्ज किए गए थे, उनमें से ८,९२३; ८८,६६५; ३,०८,२०३; ५६,१५७;४३,८२३;६,२०,२४९ तथा अन्य ५७,२७९ व्यक्ति क्रमशः उद्योग, कारीगरी, क्लर्की, शिक्षा सम्बन्धी, घरेलू, मज़दूरी तथा अन्य प्रकार के काम चाहते थे।

श्रम तथा नियोजन मन्त्रालय के सेवा नियोजन निदेशालय के मानव शक्ति विभाग द्वारा स्नातकों में बेरोज़गारी के सम्बन्ध में किए गए अध्ययन से पता चला कि १५ मई, १९५७ को स्नातकों में बेरोज़गारी सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल तथा बम्बई में थी। महिला स्नातकों में बेरोज़गारी सबसे अधिक केरल में थी। कला तथा विज्ञान की उपाधि पाए स्नातकों की अपेक्षा वाणिज्य की उपाधि पाए हुए स्नातकों में बेरोज़गारी अधिक थी।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था का रूप

अक्तूबर, १९५० से मार्च, १९५१ तक के 'राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण' के प्रथम दौर में प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के प्रत्येक ग्रामीण परिवार में औसतन ५.२१ व्यक्ति थे। इन ग्रामीण व्यक्तियों में से २८.१ प्रतिशत कमाऊ व्यक्ति थे, १६.६ प्रतिशत कमाऊ-आश्रित व्यक्ति थे और ५५.३ प्रतिशत गैर-कमाऊ-आश्रित व्यक्ति थे।

व्यय का रूप

नमूना सर्वेक्षण के अनुसार १९४९-५० में ग्रामीण क्षेत्रों का वार्षिक उपभोक्ता व्यय २२० रु० प्रति व्यक्ति था। ग्रामीण क्षेत्र के एक औसत परिवार के भोजन पर इसका ६६.३ प्रतिशत, वस्त्रों पर ९.७ प्रतिशत तथा अन्य मदों पर शेष २४.० प्रतिशत व्यय हुआ।

समस्त भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में वस्त्रों आदि पर प्रति व्यक्ति औसत व्यय लगभग २१ रु० था। मिल के बने वस्त्र पर इसका ७४ प्रतिशत, हथकरघे के बने वस्त्र पर इसका २०.४ प्रतिशत, खद्दर पर इसका २.८१ प्रतिशत और ऊनी तथा अन्य प्रकार के वस्त्रों पर इसका २.७४ प्रतिशत व्यय हुआ।

अप्रैल, १९५१ से जून, १९५१ तक के 'राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण' के दूसरे दौर में प्राप्त आँकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के २०.४ प्रतिशत परिवारों का मासिक व्यय ५० रु० अथवा उससे कम और ५१.६ प्रतिशत परिवारों का मासिक व्यय १०० रु० से कम था। केवल ७.४ प्रतिशत परिवारों ने ही प्रति मास ३०० रु० से अधिक तथा २.३ प्रतिशत परिवारों ने ५०० रु० से अधिक व्यय किए। ७ प्रति सहस्र परिवारों का मासिक व्यय ८०० रु० से अधिक तथा ४ प्रति सहस्र परिवारों का मासिक व्यय १,००० रु० से अधिक था।

इसी सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार ने जून, १९५० से मई, १९५१ तक वर्ष के लिए लगभग २७.७४ रु० का विनियोग किया। इसमें से लगभग आधा व्यय मकानों, कुओं तथा तालाबों आदि को बनवाने अथवा उनमें सुधार करने के लिए और एक-तिहाई व्यय भूमि-सुधार के लिए किया गया।

भू-स्वामित्व का रूप

'राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण' (जुलाई, १९५४-मार्च, १९५५) के आठवें दौर के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग ६.५० करोड़ परिवार थे। इन ग्रामीण परिवारों के अधिकार में लगभग ३१ करोड़ भूमि होने का अनुमान लगाया था। शेष भूमि सरकार, शहरी परिवारों तथा विभिन्न संस्थाओं के अधिकार में थी।

लगभग १ १/२ करोड़ परिवारों के पास कुछ भी भूमि नहीं थी। १/४ ग्रामीण परिवारों में से प्रत्येक परिवार के पास एक एकड़ से कम भूमि थी। लगभग ३/४ ग्रामीण परिवारों में से प्रत्येक के पास या तो कुछ भी भूमि नहीं थी अथवा ५ एकड़ से कम भूमि थी। दूसरी ओर १/८ ग्रामीण परिवारों में से प्रत्येक परिवार के पास १० एकड़ से अधिक भूमि तथा लगभग १ प्रतिशत परिवारों में से प्रत्येक परिवार के पास ४० एकड़ से अधिक भूमि थी।

इन सभी परिवारों में से प्रत्येक परिवार के अधिकार में औसतन लगभग ४.७० एकड़ भूमि होने का अनुमान लगाया गया था। यदि इन परिवारों में उन परिवारों को सम्मिलित न रखा जाए जिनके पास कुछ भी भूमि नहीं थी तो यह औसत बढ़कर लगभग ६ एकड़ हो जाएगा। लगभग १ लाख परिवारों में से प्रत्येक के पास १०० एकड़ से अधिक भूमि थी, किन्तु २५० एकड़ से अधिक भूमि पर स्वामित्व रखने वाले परिवारों की संख्या कुछ ही हजार थी।

अगले पृष्ठ की तालिका में प्रत्येक भारतीय ग्रामीण परिवार के अधिकार में आने वाली औसत भूमि दिखाई गई है। इसके साथ-साथ औसत भूमि से कम भूमि पर स्वामित्व

तालिका १८
परिवारों के अधिकार में आने वाले खेतों का रूप
(जुलाई, १९५४-मार्च, १९५५)

खेतों का आकार (एकड़)	कुल परिवारों का प्रतिशत	कुल जोती-बोई गई भूमि का प्रतिशत
—	६.३	—
०.०१—२.४९	४८.५	५.९
२.५०—४.९९	१५.९	१०.९
५.००—७.४९	९.३	१०५
७.५०—९.९९	५.६	९.१
१०.००—१४.९९	५.५	१२.६
१५.००—२४.९९	४.९	१७.७
२५.०० तथा अधिक	४.०	३३.३
योग	१००.०	१००.०

गाँवों, कस्बों तथा नगरों में उपभोक्ता-व्यय का रूप

'राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण' के तीसरे दौर के अनुसार अगस्त-नवम्बर, १९५१ में प्रत्येक व्यक्ति का औसत मासिक उपभोक्ता-व्यय गाँवों में २४.२२ रु०, कस्बों में ३१.५५ रु० और कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई तथा मद्रास के लिए औसत मासिक व्यय ५४.८२ रु० था। सारे देश के लिए यह प्रति व्यक्ति औसत व्यय २५.७० रु० प्रति मास था।

खाद्यान्न पर होने वाले कुल व्यय का गाँवों में ४० प्रतिशत, कस्बों में २२ प्रतिशत तथा नगरों में ११ प्रतिशत व्यय हुआ। इसी प्रकार भोजन सम्बन्धी कुल व्यय का गाँवों में ६६ प्रतिशत, कस्बों में ५५ प्रतिशत तथा नगरों में ४६ प्रतिशत व्यय हुआ।

वस्त्रों पर होने वाला व्यय गाँवों, कस्बों तथा नगरों में एक-से ही अनुपात का (६ प्रतिशत से कुछ अधिक) था। शिक्षा, सेवाओं, भूमि तथा करों आदि पर होने वाला व्यय कस्बों में गाँवों से अधिक तथा नगरों में कस्बों से अधिक था।

मूल्य

थोक मूल्यों का सूचनांक (आधार वर्ष : १९५२–५३ = १००) जो दिसम्बर, १९५६ में १०८.१ था, अगस्त, १९५७ में ११२.० हो गया उसके बाद यह चढ़ाव रुक गया। और थोक मूल्यों के सूचनांक कम होते रहे। दिसम्बर, १९५७ में यह सूचनांक १०७.१ रह गया तथा दिसम्बर, १९५८ में यह बढ़ कर फिर १११.४ हो गया। जनवरी, १९५९ में सभी जिन्सों का सामान्य सूचनांक ११२.३ रहा।

१९५७-५८ में खाद्य-वस्तुओं; शराब तथा तम्बाकू; ईंधन, बिजली, प्रकाश तथा ग्रीस आदि ;औद्योगिक कच्चे माल; तैयार वस्तुओं के थोक मूल्यों के सूचनांक (आधार वर्ष : १९५२–५३ = १००) क्रमशः १०६.४; ९४.०; ११३.६; ११६.५ तथा १०८.१ और सभी वस्तुओं का मिलाजुला सामान्य सूचनांक १०८.४ था ।

१९५७-५८ में सरकार, मूल्यों में स्थिरता लाने का प्रयास करती रही क्योंकि योजना की सफलता के लिए ऐसा करना अत्यन्त आवश्यक है । आयात नीति सामान्यतः प्रतिबन्धात्मक रही, किन्तु विदेशों से खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए विशेष व्यवस्था की गई । आयात किया गया खाद्यान्न जनता को सरकारी दूकानों के द्वारा देश भर में सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध कराया गया । १९५७ में ३५.८० लाख टन खाद्यान्न का आयात किया गया । खाद्यान्नों के मूल्यों में और वृद्धि न होने देने तथा इनके जमा किए जाने की प्रवृत्ति (ज़खीरेबाज़ी) को रोकने के लिए कुछ राज्यों में गेहूँ तथा चावल के लिए क्षेत्र स्थापित करने, अधिकतम मूल्य निर्धारित करने तथा चुने हुए क्षेत्रों में खाद्यान्न का संग्रह करने के अतिरिक्त और अनेक उपाय भी किए गए । विदेशी विनिमय की कठिनाई के कारण खाद्यान्नों का यथासम्भव न्यूनतम आयात किया गया । खाद्य सम्बन्धी नीति के मुख्य उद्देश्यों में बाजारों में अधिक सामग्री उपलब्ध कराना, जमा किए जाने पर रोक लगाना तथा वितरण के लिए आवश्यक नियन्त्रण लागू करना सम्मिलित है ।

उपभोक्ता मूल्य

इस अवधि में मूल्यों में हुई वृद्धि के फलस्वरूप अखिल भारत मज़दूर वर्ग उपभोक्ता-मूल्य सूचनांक में दिसम्बर, १९५७ से दिसम्बर, १९५८ के बीच ५.३ प्रतिशत की वृद्धि हुई । दिसम्बर, १९५७ में यह सूचनांक ११३ था और दिसम्बर, १९५८ में बढ़कर ११९ हो गया ।

—:०:—

सत्रहवाँ अध्याय

आयोजन

श्री एम० विश्वेश्वरय्य ने 'भारत के लिए आयोजित अर्थव्यवस्था' (१६३४) शीर्षक अपनी पुस्तक में आयोजन की आवश्यकता पर बल दिया तथा समस्त भारत के आयोजित आर्थिक विकास के लिए एक दसवर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के आयोजित आर्थिक विकास की सम्भावनाओं के सम्बन्ध में जाँच-पड़ताल करने तथा व्यावहारिक योजनाएँ सुझाने के लिए १६३८ में एक 'राष्ट्रीय योजना समिति' स्थापित की। समिति ने एक प्रश्नावली जारी की और द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति पर इस विषय पर एक पुस्तकमाला प्रकाशित की।

भारत सरकार ने युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के विभिन्न पहलुओं पर विचार तथा कार्य करने के लिए जून, १६४१ में कई 'पुनर्निर्माण समितियाँ' नियुक्त कीं और जुलाई, १६४४ में एक 'योजना तथा विकास विभाग' स्थापित किया। उसी वर्ष प्रान्तीय सरकारों को भी युद्धोत्तर विकास की योजनाएँ तैयार करने के लिए कहा गया।

द्वितीय महायुद्ध के समय में जो कई गैर-सरकारी योजनाएँ तैयार की गईं, उनमें ये भी थीं: (१) बम्बई के अर्थशास्त्रियों तथा उद्योगपतियों द्वारा तैयार की गई 'बम्बई योजना', (२) श्री एम० एन० राय द्वारा प्रस्तुत 'लोक-योजना' तथा (३) श्री श्रीमन्नारायण द्वारा तैयार की गई गान्धीवादी योजना।

स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद भारत सरकार ने देश के संसाधनों का अधिक से अधिक कारगर तथा सन्तुलित उपयोग करने की दृष्टि से एक योजना तैयार करने के लिए मार्च, १६५० में एक 'योजना आयोग' की स्थापना की। जुलाई, १६५१ में उसने अप्रैल, १६५१ से मार्च, १६५६ तक के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया। दिसम्बर, १६५२ में भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना अन्तिम रूप से संसद् में प्रस्तुत कर दी गई।

उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में विकासकार्य आरम्भ करना था जिससे लोगों के रहन-सहन का स्तर ऊँचा उठाया जा सके और उन्हें उन्नत जीवन बिताने के लिए नये अवसर प्रदान किए जा सकें। योजना का उद्देश्य केवल संसाधनों का ही विकास करना

नहीं, बल्कि मानवीय गुणों का विकास करना और लोगों की आवश्यकता तथा भावनाओं के अनुरूप एक समाज की रचना करना भी था।

१९७७ तक प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करना एक दीर्घकालीन उद्देश्य रखा गया है। प्रथम योजनाकाल (१९५१-५६) में राष्ट्रीय आय को ९० अर्ब रुपये से बढ़ाकर १ खर्ब रु० करने का लक्ष्य रखा गया। बचत की दर में वृद्धि करके १९५५-५६ तक इसे ६$\frac{3}{4}$ प्रतिशत, १९६०-६१ तक ११ प्रतिशत तथा १९६७-६८ तक २० प्रतिशत कर देने का विचार किया गया।

प्रथम पंचवर्षीय योजना

प्रथम योजना का उद्देश्य भविष्य में द्रुततर विकास की तैयारी करना था। सावजनिक क्षेत्र के विकास-कार्यक्रम के प्रस्तावित व्यय के लिए प्रारम्भ में २०.६९ अर्ब रु० रखे गए थे जो बाद को बढ़ाकर २३.५६ अर्ब रु० कर दिए गए।

प्रथम योजनाकाल में सिंचाई तथा विद्युत्-उत्पादन के साथ-साथ कृषि के विकास को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई। परिवहन तथा संचार-साधनों के विकास को भी प्राथमिकता मिली। औद्योगिक विकास निजी उद्योगपतियों की पहल तथा निजी संसाधनों पर छोड़ दिया गया।

प्रथम पंचवर्षीय योजनाकाल में मुख्य मदों पर हुआ वास्तविक व्यय निम्न तालिका में दिखाया गया है:

तालिका १९

मुख्य मदों पर वास्तविक व्यय (प्रथम योजना)

	वास्तविक व्यय (अर्ब रु०)	कुल व्यय का प्रतिशत
कृषि तथा सामुदायिक विकास	२.९९	१४.८
सिंचाई तथा विद्युत्	५.८५	२९.१
उद्योग तथा खनन	१.००	५.०
परिवहन तथा संचार-साधन	५.३२	२६.४
समाज सेवाएँ	४.२३	२१.०
विविध	०.७४	३.७
योग	२०.१३	१००.०

२०.१३ अर्ब रुपये के आँकड़े जो उपर्युक्त तालिका में दिए गए हैं, पाँचवें वर्ष के लिए संशोधित प्राक्कलनों पर आधारित हैं। पुनर्विचार किए जाने के फलस्वरूप अब वास्तविक व्यय १९.६० अर्ब रु० होने का अनुमान लगाया गया है।

वित्तीय स्रोत

१९.६० अर्ब रुपये के व्यय के वित्तीय स्रोत निम्न थे :

	(अर्ब रुपयों में)
(१) राजस्व खाते से (रेलों के योगदान सहित)	७.५२
(२) जनता से लिया गया ऋण	२.०५
(३) छोटी बचतें तथा अनिधिबद्ध ऋण	३.०४
(४) अन्य विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	०.९१
(५) बाह्य सहायता	१.८८
(६) हीनार्थ प्रबन्धन	४.२०
	१९.६०

लक्ष्य तथा सफलताएँ

प्रथम योजना के अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन उद्देश्य बहुत कुछ प्राप्त कर लिए गए। घरेलू उत्पादन में वृद्धि हुई तथा अर्थव्यवस्था काफी सुदृढ़ हो गई। प्रथम योजना के अन्त में मूल्य-स्तर, योजना लागू होने से पूर्व के मूल्य-स्तर से १५ प्रतिशत कम था।

राष्ट्रीय आय (एकसार मूल्यों में) १९५५-५६ में बढ़कर लगभग १ खर्ब ४ अर्ब ८० करोड़ रु० हो गई, जो १९५०-५१ में ८८.५० अर्ब रु० थी। इसी काल में प्रति व्यक्ति आय भी २४६ रु० से बढ़ कर २७४ रु० हो गई, जबकि प्रति व्यक्ति उपभोग में लगभग ८ प्रतिशत की ही वृद्धि हुई। राष्ट्रीय आय में विनियोग की दर में भी वृद्धि हुई।

विभिन्न क्षेत्रों के लक्ष्य तथा सफलताएँ निम्न तालिका में दिखाई गई हैं :

तालिका २०

प्रथम योजना के लक्ष्य तथा सफलताएँ

	१९५०-५१	१९५५-५६ तक होनेवाली वृद्धि (लक्ष्य)	१९५५-५६ (सफलताएँ)	१९५०-५१ पर १९५५-५६ में हुई वृद्धि
कृषि-उत्पादन				
खाद्यान्न (करोड़ टन)	५.४०	०.७६	६.४९	+१.०९
कपास (लाख गाँठ)	२९.७०	१२.६०	४०.००	+१०.३०
पटसन (लाख गाँठ)	३३.००	२०.९०	४२.००	+९.००
गन्ना गुड़ के रूप में (लाख टन)	५६.२०	७.००	५८.६०	+२.४०
तिलहन (लाख टन)	५०.८०	४.००	५६.६०	+५.६०

तालिका २० (क्रमशः)

१	२	३	४	५
विद्युत् (प्रस्थापित क्षमता) (लाख किलोवाट)	२३.००	१३.००	३४.००	+११.००
सिंचाई (करोड़ एकड़)	५.१०	१.६७	६.५०	+१.४०
औद्योगिक उत्पादन				
तैयार इस्पात (लाख टन)	९.८०	६.७०	१२.८०	+३.००
कच्चा लोहा (लाख टन)	१५.७०	१२.६०	१७.९०	+२.२०
सीमेण्ट (लाख टन)	२६.९०	२१.१०	४५.९०	+१९.००
अमोनियम सल्फेट (हजार टन)	४६.३०	४०४.००	३९४.००	+३४७.७०
रेल-इंजिन	३	१७०	१७९	+१७६
पटसन से बनी वस्तुएँ (लाख टन)	८.२४	३.७६	१०.५४	+२.३०
मिल का बना वस्त्र (करोड़ गज)	३७१.८०	९८.२०	५१०.२०	+१३८.४०
साइकिल (लाख)	०.९७	४.३३	५.१३	+४.१६
परिवहन				
जहाजरानी (लाख जी० आर० टी०)	३.९०	२.२०	४.८०	+०.९०
राष्ट्रीय राजपथ (हजार मील)	१२.३०	०.६०	१२.९०	+०.६०
सरकारी सड़कें (हजार मील)				
पक्की	९७.५०	—	१२१.६०	+२४.१०
कच्ची	१५१.००	—	१९५.१०	+४४.१०
स्वास्थ्य				
अस्पताल (लाख)	१.१३	०.१२	१.३६	—
दवाखाने तथा अस्पताल (शहरी तथा ग्रामीण)	८,६००	१,४००	९,८०६	—
शिक्षा				
प्राथमिक स्कूल (हजार)	२०९.७०	—	२८०.००	+७०.३०
प्राथमिक स्कूलों में विद्यार्थी (लाख)	१८६.८०	१०१.२०	२४८.१०	+६१.३०
स्कूल जाने वाले ६-११ वर्ष के बालक-बालिकाओं का प्रतिशत	४१.२	१८.८	५१.१	+९.९
बुनियादी स्कूल	१,७५१	—	१५,८००	+१४,०४९
बुनियादी स्कूलों में विद्यार्थी (लाख)	१.८५	—	११.०	+९.१५

द्वितीय पंचवर्षीय योजना

उद्देश्य

द्वितीय पंचवर्षीय योजना १५ मई, १९५६ को संसद् में प्रस्तुत की गई। इसके मुख्य उद्देश्य हैं : (१) राष्ट्रीय आय में २५ प्रतिशत वृद्धि, (२) विशेषकर मूलभूत तथा भारी उद्योगों के विकास के साथ द्रुत गति से औद्योगीकरण, (३) रोजगार के अधिक अवसरों की सुविधा तथा (४) आय और धन में पाई जाने वाली असमानता में कमी तथा धन का समान वितरण।

व्यय तथा आवण्टन

द्वितीय योजनाकाल में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा विकासकार्यों पर ४८ अर्ब रु० व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि प्रथम योजना में लक्ष्य २३.५६ अर्ब रु० के व्यय का रखा गया था और वास्तविक व्यय १९.६० अर्ब रु० का हुआ। इसमें स्थानीय विकासकार्यों को कार्यान्वित करने में जनता द्वारा दिया गया योगदान सम्मिलित नहीं है। विकास के मुख्य मदों का व्यय-विभाजन निम्न तालिका में दिखाया गया है :

तालिका २१

योजना के अन्तर्गत मुख्य विकास शीर्षकों के अनुसार व्यय-विभाजन

	प्रथम पंचवर्षीय योजना		द्वितीय पंचवर्षीय योजना		प्रथम योजना पर द्वितीय योजना की प्रतिशत वृद्धि
	कुल व्यवस्था (अर्ब रु०)	प्रतिशत	कुल व्यवस्था (अर्ब रु०)	प्रतिशत	
कृषि तथा सामुदायिक विकास	३.५७	१५.१	५.६८	११.८	५९.१
सिंचाई तथा विद्युत्	६.६१	२८.१	९.१३	१९.०	३८.१
उद्योग तथा खनन	१.७९	७.६	८.९०	१८.५	३९७.२
परिवहन तथा संचार-साधन	५.५७	२३.६	१३.८५	२८.९	१४८.७
समाज सेवाएँ	५.३३	२२.६	९.४५	१९.७	७७.३
विविध	०.६९	३.०	०.९९	२.१	४३.५
योग	२३.५६	१००.०	४८.००	१००.०	

४८ अर्ब रु० के कुल व्यय में से २५.५९ अर्ब रु० केन्द्रीय सरकार तथा २२.४१ अर्ब रु० राज्य सरकारें वहन करेंगी। कुल व्यय में से ३८ अर्ब रु० का उपयोग विनियोग के लिए तथा १० अर्ब रु० का उपयोग चालू विकास व्यय के लिए किया जाएगा।

द्वितीय योजनाकाल में निजी क्षेत्र में २४ अर्ब रु० का विनियोग इस प्रकार होने की सम्भावना है :

	(अर्ब रु०)
संगठित उद्योग तथा खनन	५.७५
बाग़ान, विद्युत् तथा परिवहन (रेलों को छोड़कर)	१.२५
निर्माणकार्य	१०.००
कृषि और ग्राम तथा छोटे पैमाने के उद्योग	३.००
स्टॉक	४.००
	२४.००

लक्ष्य

द्वितीय योजना के अन्तर्गत रखे गए उत्पादन तथा विकास के मुख्य लक्ष्य इस प्रकार हैं :

तालिका २२

उत्पादन तथा विकास के मुख्य लक्ष्य (द्वितीय योजना)

	१६६०–६१	१६५५–५६ पर १६६०–६१ की प्रतिशत वृद्धि
कृषि		
खाद्यान्न (टन)	७,५०,००,०००	१५
कपास (गाँठ)	५५,००,०००	३१
गन्ना—कच्चा गुड़ (टन)	७१,००,०००	२२
तिलहन (टन)	७०,००,०००	२७
पटसन (गाँठ)	५०,००,०००	२५
चाय (पौण्ड)	७०,००,००,०००	६
राष्ट्रीय विस्तार खण्ड	३,८००	६६०
सामुदायिक विकास खण्ड	१,१२०	८०
सिंचाई तथा विद्युत्		
सींची गई भूमि (एकड़)	८,८०,००,०००	३१
विद्युत् (प्रस्थापित क्षमता) (किलोवाट)	६६,००,०००	१०३
खनिज पदार्थ		
कच्चा लोहा (टन)	१,२५,००,०००	१६१
कोयला (टन)	६,००,००,०००	५८
बड़े पैमाने के उद्योग		
तैयार इस्पात (टन)	४३,००,०००	१३१
अल्युमिनियम (टन)	२५,०००	२३३

तालिका २२ (क्रमशः)

१	२	३
मोटरगाड़ियाँ	५७,०००	१२८
रेल-इंजिन	४००	१२६
सीमेण्ट (टन)	१,३०,००,०००	२०२
उर्वरक		
(क) नाइट्रोजनयुक्त (अमोनियम सल्फेट) (टन)	१४,५०,०००	२८२
(ख) फॉस्फेटयुक्त (सुपर फास्फेट) (टन)	७,२०,०००	५००
सूती वस्त्र (गज़)	८,५०,००,००,०००	२४
चीनी (टन)	२३,००,०००	३५
कागज़ तथा गत्ता (टन)	३ ५०,०००	७५
परिवहन तथा संचार-साधन		
(क) रेल : सवारी गाड़ी मील	१२,४०,००,०००	१५
ढोया गया माल (टन)	१८ १०,००,०००	५१
(ख) सड़क : राष्ट्रीय राजपथ (मील)	१३,८००	७
पक्की सड़क (मील)	१,२५,०००	१७
(ग) डाकघर	७५,०००	३६
शिक्षा तथा स्वास्थ्य		
प्रारम्भिक/बुनियादी स्कूल	३,५०,०००	१६
प्राथमिक/मिडिल/माध्यमिक स्कूलों के अध्यापक	१३,४०,०००	३०
चिकित्सा संस्थान	१२,६००	२६

कृषि-उत्पादन के उपर्युक्त लक्ष्यों में द्वितीय पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित किए जाने से उत्पन्न खाद्य वस्तुओं तथा कच्चे माल की अधिक माँग की पूर्ति के लिए, इनके अपर्याप्त समझे जाने पर बाद को संशोधन कर दिया गया। ये संशोधित लक्ष्य अगले पृष्ठ की तालिका में दिखाए गए हैं।

तालिका २३

कृषि-उत्पादन के संशोधित लक्ष्य (द्वितीय योजना)

	अनुमानित उत्पादन १९५५–५६ (द्वितीय योजना के अनुसार)	द्वितीय योजना के मूल उत्पादन-लक्ष्य	द्वितीय योजना के लिए संशोधित लक्ष्य	द्वितीय योजनाकाल में प्रतिशत वृद्धि	
				मूल	संशोधित
खाद्यान्न (करोड़ टन)	६.५०	७.५०	८.०५	१५	२३.८
कपास (लाख गाँठ)	४२	५५	६५	३१	५४.८
पटसन (लाख गाँठ)	४०	५०	५५	२५	३७.५
गन्ना—गुड़ (लाख टन)	५८	७१	७८	२२	३४.५
तिलहन (लाख टन)	५५	७०	७६	२७	३८.२
अन्य फसलें	—	—	—	९	२२.४
सभी जिन्सें	—	—	—	१७	२७.१

आर्थिक ढाँचे में परिवर्तन

१९५०-५१ तथा १९५५-५६ की तुलना में द्वितीय योजनाकाल के अन्त में राष्ट्रीय आय, विनियोग, घरेलू बचत तथा उपभोग-व्यय के लिए अपेक्षित वृद्धि तालिका सं० २४ में दिखाई गई है।

द्वितीय योजनाकाल में कृषि-भिन्न क्षेत्रों में ८० लाख व्यक्तियों को पूरे समय का रोज़गार मिलने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त सिंचाई तथा भूमि-पुनरुद्धार की विकास योजनाओं में काफी हद तक नये रोज़गारों की व्यवस्था करके बेरोज़गारी कम की जाएगी। द्वितीय योजनाकाल में कुल मिला कर १ करोड़ व्यक्तियों के लिए रोज़गार की व्यवस्था करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि सभी बेकार श्रमिकों को काम से लगाया जा सके।

वित्तीय संसाधन

द्वितीय योजना के व्यय के वित्तीय स्रोत इस प्रकार है :

	(अर्ब रु०)
चालू राजस्व से बचत	८
जनता से ऋण	१२
बजट सम्बन्धी अन्य स्रोत	४
बाह्य सहायता	८
हीनार्थ प्रबन्धन	१२
घरेलू साधनों में अतिरिक्त वृद्धि करके पूरा किया जाने वाला अन्तर	४
	४८

तालिका २४

राष्ट्रीय आय, विनियोग, बचत तथा उपभोग

(१९५२-५३ के मूल्यों के आधार पर अर्ब रुपयों में)

	१९५०-५१	१९५५-५६	१९६०-६१	प्रतिशत वृद्धि	
				१९५१-५६	१९५६-६१
कृषि तथा सम्बन्धित कार्य	४४.५०	५२.३०	६१.७०	१८	१८
खनन	०.८०	०.९५	१.५०	१९	५८
कारखाने	५.९०	८.४०	१३.८०	४३	६४
छोटे उद्यम	७.४०	८.४०	१०.८५	१४	३०
निर्माणकार्य	१.८०	२.२०	२.९५	२२	३४
वाणिज्य, परिवहन तथा संचार-साधन	१६.५०	१८.७५	२३.००	१४	२३
व्यवसाय तथा सेवाएँ (सरकारी प्रशासन सहित)	१४.२०	१७.००	२१.००	२०	२३
कुल राष्ट्रीय उत्पादन (राष्ट्रीय आय)	९१.१०	१०८.००	१३४.८०	१८	२५
प्रति व्यक्ति आय (रु०)	२५३	२८१	३३१	११	१८
विनियोग, बचत तथा उपभोग					
शुद्ध विनियोग	४.४८	७.९०	१४.४०	—	—
शुद्ध विदेशी संसाधन	–०.०७	०.३४	१.३०	—	—
शुद्ध घरेलू बचत	४.५५	७.५६	१३.१०	—	—
उपभोग-व्यय (शुद्ध घरेलू बचत को निकाल कर राष्ट्रीय आय)	८६.५५	१००.४४	१२१.७०	—	—
राष्ट्रीय आय में विनियोग का प्रतिशत	४.९४	७.३१	१०.६८	—	—
घरेलू बचत (राष्ट्रीय आय का प्रतिशत)	४.९८	७.००	९.७०	—	—

निजी क्षेत्र में विनियोग

निजी क्षेत्र में २४ अर्ब रु० के विनियोग की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है। इसमें से ७.२० अर्ब रु० औद्योगिक विकास के लिए (खनन, विद्युत-उत्पादन तथा वितरण, बागानों और छोटे पैमाने के उद्योगों को छोड़ कर); ५.७० अर्ब रुपये नये विनियोगों के लिए तथा १.५० अर्ब रुपये आधुनिकीकरण के लिए उपयोग में लाए जाने का विचार है। ६.६५ अर्ब रुपये की शेष राशि के विरुद्ध निजी क्षेत्र के संसाधन ६.२० अर्ब रुपये होने का अनुमान लगाया गया है जो निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाता है :

तालिका २५

निजी क्षेत्र के लिए संसाधनों के प्राक्कलन (द्वितीय योजना)

(करोड़ रुपयों में)

	१९५१-५६	१९५६-६१
औद्योगिक वित्त निगम, राज्यीय वित्त निगमों और औद्योगिक ऋण तथा विनियोग निगम से ऋण	१८	४०
केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष ऋण	२६	२०
विदेशी पूँजी	४२-४५	१००
नये संसाधन	४०	८०
आन्तरिक संसाधन (नये विनियोग आदि)	१५०	३००
अन्य स्रोत	६१-६४	८०
योग	३४०	६२०

विदेशी विनिमय की स्थिति

सरकारी तथा निजी क्षेत्रों के आयात में द्वितीय योजना के आरम्भ से ही हुई वृद्धि के फलस्वरूप विदेशी भुगतान के सम्बन्ध में देश पर काफी दबाव रहा है। आयात में यह वृद्धि मुख्यतः द्वितीय योजना के विकास योजनाकार्यों की आवश्यकताओं के परिणामस्वरूप हुई। विदेशी भुगतान की स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से आयात में कुछ कमी किए जाने की नीति अपनाई गई है तथा निर्यात को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

आवश्यक योजनाकार्य

इस स्थिति पर नियन्त्रण पाने की दृष्टि से विभिन्न उपयोगों के लिए विदेशी विनिमय की व्यवस्था का प्राथमिकता के क्रमानुसार नियमन किया जा रहा है। सब से अधिक प्राथमिकता इस्पात संयन्त्रों, कोयला, रेल, बन्दरगाह तथा विशिष्ट विद्युत् योजनाकार्यों को

दी जा रही है। इसके अतिरिक्त विदेशी विनिमय के सम्बन्ध में कोई नये वायदे भी नहीं किए जा रहे हैं। १९५७ के अन्त में यह अनुमान लगाया गया था कि आवश्यक योजनाकार्यों को कार्यान्वित करने के लिए सरकारी तथा निजी क्षेत्रों के लिए ७ अर्ब रु० की नयी बाह्य सहायता की आवश्यकता पड़ेगी।

पुनर्विचार

द्वितीय योजना पर कार्य आरम्भ होने के समय से जिन्सों के मूल्यों में हुई वृद्धि के फलस्वरूप योजना पर होने वाले व्यय में वित्तीय दृष्टि से अधिक वृद्धि होनी निश्चित थी। किन्तु, योजना को कार्यान्वित किए जाने के फलस्वरूप आन्तरिक तथा बाह्य संसाधन कम होने की दृष्टि से 'राष्ट्रीय विकास परिषद्' ने मई, १९५८ में हुई अपनी बैठक में यह निश्चय किया कि योजना के लिए वित्तीय दृष्टि से कुल व्यय ४८ अर्ब रु० ही रखा जाना चाहिए। इसके पश्चात् संसाधनों पर फिर से विचार किए जाने के परिणामस्वरूप योजना पर होने वाले व्यय को दो भागों में बाँटने का निश्चय किया गया। योजना के प्रथम भाग में कृषि-उत्पादन में वृद्धि करने से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित योजनाकार्यों तथा कार्यक्रमों के अतिरिक्त अन्य 'आवश्यक योजनाकार्य' भी सम्मिलित रहेंगे। शेष योजनाएँ योजना के द्वितीय भाग में सम्मिलित रहेंगी जो उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए ही कार्यान्वित की जाएंगी।

योजना के प्रथम भाग के लिए निर्धारित ४५ अर्ब रु० के व्यय में से केन्द्र (संघीय क्षेत्र सहित) २५.१२ अर्ब रु० वहन करेगा तथा राज्य १९.८८ अर्ब रुपये।

अन्तिम रूप से निर्धारित किए गए व्यय के अनुसार योजना के लिए संशोधित व्यय निम्न तालिका में दिखाए गए हैं :

तालिका २६

व्यय के संशोधित आवण्टन (द्वितीय योजना)

(अर्ब रु०)

	योजना का प्रथन भाग	संशोधित व्यय (४८ अर्ब रुपये की सीमा के अन्दर-अन्दर)
कृषि तथा सामुदायिक विकास	५.१०	५.६८
सिंचाई तथा विद्युत्	८.२०	८.६०
ग्राम तथा छोटे पैमाने के उद्योग	१.६०	२.००
उद्योग तथा खनिज पदार्थ	७.९०	८.८०
परिवहन तथा संचार-साधन	१३.४०	१३.४५
समाज सेवाएँ	८.१०	८.६३
विविध	०.७०	०.८४
योग	४५.००	४८.००

अगले दो वर्षों में संसाधन

निम्न तालिका में १६५६-५६ तथा १६५६-६१ के लिए केन्द्र तथा राज्यों के संसाधनों तथा कुल उपलब्ध संसाधनों के प्राक्कलन दिखाए गए हैं :

तालिका २७

संसाधन (योजना)

(अर्ब रु०)

	प्रथम तीन वर्षों के लिए प्राक्कलन (१६५६-५६)	अन्तिम दो वर्षों के लिए प्राक्कलन (१६५६-६१)	पाँच वर्षों के लिए कुल संसाधन
घरेलु बजट सम्बन्धी संसाधन			
चालू राजस्व का शेष	४.२८	३.२२	७.५०
रेलों का योगदान	१.२६	१.२४	२.५०
जनता से ऋण (शुद्ध)	४.४१	२.७७	७.१८
छोटी बचतें	२.११	१.७३	३.८४
अनिधिबद्ध ऋण तथा विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	– ०.८०	०.०६	– ०.७४
कुल घरेलू संसाधन	११.२६	६.०२	२०.२८
बाह्य सहायता	४.५८	६.४२	११.००
कुल बजट सम्बन्धी संसाधन तथा बाह्य सहायता	१५.८४	१५.४४	३१.२८
केन्द्रीय सहायता	—	—	—
केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त संसाधन	१५.८४	१५.४४	३१.२८
हीनार्थ प्रबन्धन	८.८२	२.१०	१०.६२
कुल संसाधन—योजना व्यय	२४.६६	१७.५४	४२.२०

इस समय जो आशा है, उसके अनुसार केन्द्र और राज्य मिलकर अगले दो वर्षों में १७.५४ अर्ब रुपये के संसाधनों की ही व्यवस्था कर सकेंगे, जबकि ४५ अर्ब रु० के कुल संसाधनों की पूर्ति के लिए २ वर्षों में २०.३४ अर्ब रु० की आवश्यकता होगी। इस प्रकार २.८० अर्ब रु० की कमी रहती है।

संसाधनों की इस कमी पर विचार करते हुए 'राष्ट्रीय विकास परिषद्' ने नवम्बर, १६५८ में निम्न निर्णय किए : (१) राज्य खाद्यान्नों का थोक व्यापार अपने हाथ में ले लें,

(२) सभी राज्यों में ग्राम सहकारिताओं के संगठन पर जोर दिया जाए, (३) केन्द्र तथा राज्यों के निर्माण-व्यय में मितव्ययिता की जाए तथा अतिरिक्त संसाधनों का विकास किया जाए और अन्त में (४) द्वितीय योजनाकाल में व्यय ४५ अर्ब रु० तक ही सीमित रखने के सम्बन्ध में मई, १९५८ में किए गए निर्णय का पालन किया जाए।

हीनार्थ-प्रबन्धन

संसाधनों के उपर्युक्त प्राक्कलन में अगले दो वर्षों के लिए हीनार्थ-प्रबन्धन प्रति वर्ष १ अर्ब रुपये का ही रखने का निर्णय किया गया है। वर्तमान मूल्यों और मजदूरी तथा वेतनों में हो रही वृद्धि को देखते हुए हीनार्थ-प्रबन्धन के सम्बन्ध में अत्यन्त सावधानी के साथ व्यवस्था की जानी चाहिए। हीनार्थ-प्रबन्धन जितना कम हो उतना ही अच्छा है। खाद्य-उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि होने तथा खाद्यपदार्थों के मूल्यों में कमी आने पर ही हीनार्थ-प्रबन्धन आवश्यकतानुसार सीमित रखा जा सकता है।

योजनाकाल में भुगतानों के निपटारे में २० अर्ब रु० की कमी पड़ने का अनुमान है। १० अर्ब रु० की कमी इस समय ही पड़ रही है। रिजर्व बैंक के पास पौण्ड-पावने की राशि २ अर्ब रु० ही होने के कारण यह आवश्यक हो गया है कि इसमें और कमी न पड़ने दी जाए। अक्तूबर, १९५८ से मार्च, १९५९ तक के समय में विदेशी विनिमय के अनुमानित अन्तर की पूर्ति के लिए ३५ करोड़ डालर की बाह्य सहायता का आश्वासन प्राप्त हुआ है। शेष योजनाकाल के लिए ६५ करोड़ डालर की बाह्य सहायता की आवश्यकता पड़ेगी जिसके लिए अभी व्यवस्था करनी शेष है। द्वितीय योजनाकाल के अन्त तक देश पर विदेशी ऋण बहुत अधिक हो जाएगा। इस स्थिति को देखते हुए सामान्य क्रय तथा किए जा चुके सौदों के अतिरिक्त खाद्य वस्तुओं का और आयात नहीं किया जाएगा।

—:o:—

अठारहवाँ अध्याय

सामुदायिक विकास

सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसका उद्देश्य भारत की विशाल ग्रामीण जनसंख्या का व्यक्तिगत तथा सामूहिक कल्याण करना है, २ अक्तूबर, १९५२ को चुने हुए ५५ योजनाकार्य-क्षेत्रों में आरम्भ किया गया था। प्रत्येक योजनाकार्य में ५०० वर्ग मील के क्षेत्रफल में फैले हुए लगभग २ लाख की जनसंख्या के लगभग ३०० गाँव आते हैं। यह कार्यक्रम 'अपनी सहायता स्वयं करने' का कार्यक्रम है जिसका आयोजन तथा जिसे कार्यान्वित स्वयं ग्रामीणों को ही करना है। सरकार की ओर से केवल प्राविधिक मार्गदर्शन तथा वित्तीय सहायता मिलेगी। पंचायतों, सहकारी समितियों और विकास मण्डलों जैसे लोक संगठनों द्वारा सामूहिक चिन्तन तथा सामूहिक कार्य को प्रोत्साहन दिया जाता है।

इस कार्यक्रम में कृषि को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है। इसकी गतिविधियों में उत्तम संचार-साधनों की व्यवस्था करना, स्वास्थ्य तथा सफाई की सुविधाओं में सुधार करना, उत्तम आवास की व्यवस्था करना, शिक्षा का प्रसार करना, नारी तथा बाल कल्याण-कार्य करना और कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास करना सम्मिलित है।

यह कार्यक्रम 'खण्डों' के रूप में कार्यान्वित किया जाता है। प्रत्येक खण्ड में सामान्यतः १५० वर्ग मील में फैले तथा ६०-७० हज़ार की जनसंख्या से युक्त १०० गाँव आते हैं। कुछ ही समय पूर्व तक यह कार्यक्रम तीन अलग-अलग चरणों में किया जाता रहा।

अप्रैल, १९५८ में इस पद्धति के स्थान पर दो चरणों में कार्य करना आरम्भ किया गया। पाँच वर्ष भरपूर विकास का कार्य किए जाने के बाद प्रत्येक खण्ड के दूसरे चरण का कार्यकाल आरम्भ होता है। दूसरे चरण का विकासकार्य अगले पाँच वर्षों तक कुछ कम व्यय के साथ किया जाता है।

३१ दिसम्बर, १९५८ तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग १६.५० करोड़ की जनसंख्या के ३,०२,९४७ गाँवों से युक्त २,४०५ खण्ड आ चुके थे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने की इस परिवर्द्धित पद्धति का प्रयोग किए जाने के फलस्वरूप अक्तूबर, १९६३ तक सम्पूर्ण देश इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आ जाएगा।

वित्त

संसाधन

कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए वित्त की व्यवस्था जनता तथा सरकार मिलकर करती हैं। प्रत्येक खण्ड-क्षेत्र की विकास योजनाओं के लिए जनता से नकद तथा श्रम के रूप

में प्राप्त होने वाले स्वैच्छिक योगदान की मात्रा निर्धारित होती है। वित्तीय सहायता सरकार की ओर से मिलने की स्थिति में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें आवर्तक मदों पर होने वाले व्यय को समान रूप से तथा अनावर्तक मदों पर होने वाले व्यय को ३:१ के अनुपात से वहन करती हैं। सिंचाई तथा भूमि-पुनरुद्धार जैसे कार्यों के लिए केन्द्रीय सरकार ऋणों के रूप में राज्य सरकारों को आवश्यक वित्तीय सहायता देती है। खण्डों में नियुक्त कर्मचारियों पर राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले व्यय में से भी आधा भाग केन्द्रीय सरकार वहन करती है।

जनता द्वारा योगदान

सितम्बर, १९५८ के अन्त तक जनता ने ६५.९८ करोड़ रुपये के मूल्य का योगदान दिया जो १ अर्ब ३ करोड़ ४० लाख रुपये के कुल सरकारी व्यय का लगभग ६४ प्रतिशत है।

योजनाओं के अन्तर्गत व्यय

प्रथम योजनाकाल के लिए निर्धारित ९६.५० करोड़ रुपये के व्यय की तुलना में इस अवधि में केवल ५२.४० करोड़ रुपये ही व्यय किए गए। इस प्रकार ४४.१० करोड़ रुपये की शेष निर्धारित राशि का उपयोग द्वितीय योजनाकाल में किया जाएगा। द्वितीय योजना के लिए २ अर्ब रुपये के व्यय की व्यवस्था की गई है।

खण्डों का व्यय

राज्यीय योजनाओं में व्यय-विभाजन खण्डों के अनुसार किया जाता है। प्रथम चरण के प्रत्येक खण्ड पर ५ वर्षों के लिए १२ लाख रुपये के व्यय की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार द्वितीय चरण के प्रत्येक खण्ड पर भी ५ वर्षों के लिए ५ लाख रुपये के व्यय की व्यवस्था रखी गई है। विस्तार-पूर्व अवधि में कृषि-विकास के लिए १८,००० रुपये के व्यय की व्यवस्था की गई है।

बाह्य सहायता

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उपकरणों के आयात के लिए 'प्राविधिक सहयोग मण्डल संकार्य करार' के अनुसार अमेरिकी सरकार से १ करोड़ ४२ लाख ४० हज़ार डालर प्राप्त हुए। योजनाकार्य-कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए फोर्ड प्रतिष्ठान से भी सहायता प्राप्त हुई।

संगठन

केन्द्र में

इस कार्यक्रम का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय पर है। आधारभूत नीति सम्बन्धी प्रश्न केन्द्रीय समिति के सम्मुख रखे जाते हैं। इस समिति में योजना आयोग के सदस्य, खाद्य तथा कृषि मन्त्री और सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्री होते हैं। प्रधान मन्त्री इस समिति का अध्यक्ष होता है। विशेष समितियों द्वारा तत्सम्बन्धी मन्त्रालयों के साथ समन्वय स्थापित किया जाता है।

राज्यों में

इस कार्य को कार्यान्वित करने का दायित्व मुख्यतः राज्य सरकारों पर है। राज्य सरकारें इस कार्यक्रम को राज्यीय विकास समितियों द्वारा कार्यान्वित करती हैं। इन समितियों में राज्यों के मुख्यमन्त्री, विकास मन्त्री तथा विकास आयुक्त होते हैं। मुख्यमन्त्री इनके अध्यक्ष तथा विकास आयुक्त इनके कार्यालय-सचिव होते हैं। कार्यक्रम का कार्यपालक प्रधान—विकास आयुक्त होता है। जिलों में इसको कार्यान्वित किए जाने का दायित्व कलक्टरों पर होता है।

खण्डों में

खण्डों में खण्ड-विकास-अधिकारी की सहायता के लिए कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योग तथा सहकारिता जैसे विषयों के विशेषज्ञ ८ विस्तार-अधिकारी होते हैं।

गाँवों में ग्रामसेवक, बहुधन्धी विस्तार-अभिकर्ता (एजेण्ट) के रूप में १० गाँवों का कार्य सम्हालता है।

विस्तार संगठन

खण्डों तथा गाँवों में 'विस्तार संगठन' दो कार्य करता है। यह ग्रामीणों को व्यावहारिक शोध आदि की जानकारी कराता और उन्हें सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय तथा अन्य प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध कराता है। ग्रामीणों की समस्याओं को यह संगठन विशेष अध्ययन आदि के लिए शोध संस्थाओं तक पहुँचाता है।

सामुदायिक संगठन

आयोजन तथा कार्यान्वयन का दायित्व लोक संगठनों पर है। चुनी हुई पंचायतें आवश्यक आँकड़ों का संग्रह करती तथा महत्त्व के अनुसार क्रम से योजनाएँ निर्धारित करती हैं। प्राथमिक सहकारी समितियाँ तथा गाँवों के स्कूल भी इस कार्यक्रम से सम्बन्धित रहते हैं।

खण्ड विकास समिति

'खण्ड विकास समितियों' में पंचायतों तथा सहकारी समितियों के प्रतिनिधि, कुछ प्रगतिशील कृषक, सामाजिक कार्यकर्ता तथा कार्यकर्त्रियाँ, तत्सम्बन्धी क्षेत्र के संसद-सदस्य तथा विधानसभाई सदस्य रहते हैं। ये समितियाँ अपने-अपने क्षेत्रों की विकास योजनाओं के आयोजन, उनके सम्बन्ध में पहल करने, उनको स्वीकृति दिलाने तथा उन्हें कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी होती हैं। कुछ राज्यों में 'खण्ड पंचायत समितियाँ' स्थापित करने के लिए कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी है।

प्रशिक्षण

देश में ७५ विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र हैं जहाँ ग्रामसेवकों को दो वर्षों का प्रशिक्षण दिया जाता है। दिसम्बर, १९५८ के अन्त तक ३३,००० से अधिक ग्रामसेवकों को प्रशिक्षण

दिया गया। घरेलू अर्थशास्त्र विभाग से युक्त २७ प्रशिक्षण केन्द्रों में ग्रामसेविकाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। समाज-शिक्षा संगठनकर्ताओं तथा खण्ड विकास अधिकारियों के लिए देश में क्रमशः १४ तथा ६ प्रशिक्षण केन्द्र हैं। १० केन्द्रों में मुख्य सेविकाओं (समाज-शिक्षा संगठनकर्त्रियों) को प्रशिक्षण दिया जाता है।

सहकारिता तथा उद्योग सम्बन्धी खण्ड विस्तार अधिकारियों को क्रमशः ८ तथा ११ प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है। स्वास्थ्य कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए देश में ३ प्रशिक्षण केन्द्र हैं। इसके अतिरिक्त सहायक उपचारिकाओं—दाइयों, महिला स्वास्थ्य निरीक्षिकाओं तथा धात्रियों—के प्रशिक्षण के लिए क्रमशः ६६ से अधिक, ६ तथा ६ केन्द्र हैं।

सामुदायिक विकास सम्बन्धी प्रशासनिक तथा प्राविधिक कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए १९५८ में मसूरी में एक 'केन्द्रीय सामुदायिक विकास संस्था' स्थापित की गई।

गैर-सरकारी व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अल्पकालीन शिविर लगाए जाते हैं। ग्रामसेवकों की सहायता के लिए १० लाख से अधिक ग्रामसहायकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इसी प्रकार का प्रशिक्षण खण्ड विकास समितियों, पंचायतों, तथा सहकारी समितियों के सदस्यों को भी देने के लिए व्यवस्था की जा रही है।

सफलताएँ

३० सितम्बर, १९५८ तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त सफलता का विवरण नीचे दिया गया है :

कृषि

उन्नत बीज बाँटे गए (मन)	१,५७,९८,०००
रासायनिक उर्वरक बाँटा गया (मन)	३,९०,३९,०००
उन्नत औज़ार दिए गए	११,७५,०००
कृषि सम्बन्धी प्रदर्शन किए गए	४८,५१,०००
क्षेत्रफल जिसमें हरी खाद दी गई (एकड़)	४१,५०,०००
खाद के गड्ढे खोदे गए	५०,१५,०००

पशुपालन

उन्नत पशु दिए गए	४५,६००
उन्नत पक्षी दिए गए	६,२७,०००

स्वास्थ्य तथा सफ़ाई

ग्रामीण टट्टियाँ बनाई गईं	५,०७,०००
नालियाँ बनाई गईं (गज़)	१,८६,१५,०००
बिना धुएँ के चूल्हे बनाए गए	१,९७,८००

गाँवों की गलियाँ पक्की की गईं (वर्ग गज)	८४,५०,०००
पीने के पानी के कुएँ खोदे गए	१,२६,०००
पीने के पानी के कुएँ साफ किए गए	१,६५,०००

समाज शिक्षा

चालू प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	८७,०००
प्रौढ़ व्यक्तियों को साक्षर बनाया गया	२६,६८,०००
वाचनालय खोले गए	४५,१००
खण्ड मुख्यालयों में सूचना केन्द्र	१,६६६
सामुदायिक केन्द्र स्थापित किए गए	१,०३,०००

सामुदायिक संगठन

युवक तथा कृषक क्लब स्थापित किए गए	८४,७००
महिला समितियाँ स्थापित की गईं	१६,१००
ग्रामसहायकों को प्रशिक्षण दिया गया	१०,१४,०००

संचार-साधन

कच्ची सड़कें बनाई गईं (मील)	७८,६००
वर्तमान कच्ची सड़कों को सुधारा गया (मील)	६१,४००
पुलियाँ बनाई गईं	५१,१००

सहकारिता

सहकारी समितियाँ स्थापित की गईं	१,२७,१२५
सदस्य भर्ती किए गए	८७,८०,०००

आदिमजातीय खण्ड

चुने हुए आदिमजातीय क्षेत्रों के भरपूर विकास के विशेष कार्यक्रमों के लिए ४३ बहूद्देश्यीय आदिमजातीय खण्ड स्थापित किए जा चुके हैं। प्रत्येक खण्ड पर ५ वर्षों के लिए लगभग २७ लाख रुपये के व्यय की व्यवस्था की गई है।

—: o :—

उन्नीसवाँ अध्याय

वित्त

सार्वजनिक वित्त

भारत में सार्वजनिक निधियों के लिए धन एकत्रित करने तथा उसका व्यय करने वाली कोई एक ही प्राधिकारी संस्था नहीं है । संविधान के अनुसार निधियों के लिए धन एकत्रित करने का अधिकार केन्द्र तथा राज्यों के बीच बाँट दिया गया है और केन्द्र तथा राज्यों के राजस्व के स्रोत भी अलग-अलग हैं । इसलिए, देश में एक से अधिक बजट तथा एक से अधिक सरकारी खजाने हैं ।

संविधान की व्यवस्था के अनुसार (१) कर केवल कानन के द्वारा ही लगाया अथवा वसूल किया जा सकता है, (२) सरकारी निधियों में से व्यय संविधान में बताए गए ढंग के अनुसार ही किया जा सकता है तथा (३) कार्यपालक प्राधिकारी संसद् द्वारा निर्धारित रीति के अनुसार ही सरकारी धन व्यय कर सकते हैं ।

केन्द्रीय सरकार की सभी प्राप्तियाँ तथा सभी व्यय अलग-अलग खातों में दिखाए जाते हैं—समेकित निधि तथा सार्वजनिक खाता। समेकित निधि में से संसद् द्वारा स्वीकृत अधिनियम के अनुसार ही धन निकाला जा सकता है। आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिसके सम्बन्ध में 'वार्षिक विनियोजन अधिनियम' में कोई व्यवस्था नहीं की गई है, संविधान के अनुच्छेद २६७ के अधीन भारत की एक आकस्मिक निधि की भी व्यवस्था की गई है।

संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए भी समेकित निधि तथा सरकारी खाते की व्यवस्था की गई है ।

राष्ट्र के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्योग 'रेलों' की अपनी निज की निधियाँ हैं तथा इनके अपने अलग हिसाब-किताब होते हैं। रेलों का बजट भी पृथक् रूप से उपस्थित किया जाता है।

राजस्व के स्रोत

केन्द्रीय राजस्व के मुख्य स्रोत हैं : चुंगी, केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क (एक्साइज ड्यूटी), निगम कर तथा आय कर (कृषि आय पर लगने वाले करों को छोड़ कर), सम्पदा शुल्क तथा कृषि-भिन्न सम्पत्तियों के उत्तराधिकार सम्बन्धी शुल्क और टकसालों की आय। धन-कर तथा व्यय-कर से प्राप्त होने वाला राजस्व केन्द्र को प्राप्त होता है। इनके अतिरिक्त रेलों और डाक-तार विभागों का राजस्व भी केन्द्र को ही मिलता है ।

राज्यों के राजस्व के मुख्य स्रोत हैं : राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले कर तथा शुल्क, केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाए जाने वाले करों में से भाग, असैनिक प्रशासन, असैनिक निर्माणकार्य तथा राज्यीय उद्यम और केन्द्र से प्राप्त होने वाला अनुदान। सम्पत्ति-कर, चुंगी तथा सीमा-कर स्थानीय आय के मुख्य स्रोत हैं।

द्वितीय वित्त आयोग

संविधान के अनुच्छेद २८० के अधीन जून, १९५६ में नियुक्त द्वितीय वित्त आयोग ने सितम्बर, १९५७ में अपना अन्तिम प्रतिवेदन दे दिया। आयोग की सिफारिशों में केन्द्र द्वारा वसूल किए जाने वाले करों में से राज्यों को प्रति वर्ष लगभग १.४० अर्ब रुपये दिए जाने की व्यवस्था की गई है, जबकि प्रथम वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को औसतन ९३ करोड़ रुपये ही प्राप्त होते थे।

इन सिफारिशों के अनुसार राज्य को १ अप्रैल, १९५७ से प्रारम्भ होने वाले ५ वर्षों में से प्रति वर्ष क्या-कुछ मिलने की आशा है, यह निम्न तालिका में दिया गया है :

तालिका २८

करों तथा केन्द्रीय अनुदानों में राज्यों का भाग

(करोड़ रु० में)

राज्य	कर	अनुच्छेद २७३ के अधीन अनुदान	अनुच्छेद २७५ (१) के अधीन अनुदान	योग	रेल भाड़ों पर कर
असम	२.७५	०.४५	४.०५	७.२५	०.४०
आन्ध्र प्रदेश	८.५०	—	४.००	१२.५०	१.३१
उड़ीसा	४.००	०.०९	३.३५	७.४४	०.२६
उत्तर प्रदेश	१६.२५	—	—	१६.२५	२.७८
केरल	३.७५	—	१.७५	५.५०	०.२७
जम्मू तथा कश्मीर	१.२५	—	३.००	४.२५	—
पंजाब	४.२५	—	२.२५	६.५०	१.२०
पश्चिम बंगाल	९.५०	०.९१	३.८५	१४.२६	०.९४
बम्बई	१४.७५	—	—	१४.७५	२.४१
बिहार	१०.००	०.४३	३.८०	१४.२३	१.३९
मद्रास	८.२५	—	—	८.२५	०.९६
मध्य प्रदेश	७.००	—	३.००	१०.००	१.२३
मैसूर	५.५०	—	६.००	११.५०	०.६६
राजस्थान	४.२५	—	२.५०	६.७५	१.००
योग	१००.००	१.८८	३७.५५	१३९.४३	१४.८१

वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा बजट

आगामी वित्तीय वर्ष के लिए केन्द्रीय सरकार के अपेक्षित राजस्व तथा व्यय का अनुमानित विवरण प्रति वर्ष फरवरी के अन्त में संसद् के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यह 'वार्षिक वित्तीय विवरण' अथवा 'बजट' कहलाता है। राजस्व तथा व्यय के प्राक्कलनों के अलावा इस विवरण में पिछले वर्ष की वित्तीय स्थिति पर समीक्षा, नये करों के लिए प्रस्ताव तथा पूँजीगत व्यय की व्यवस्था करने के प्रस्ताव भी दिए रहते हैं।

वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् संसद् के दोनों सदनों में इस पर सामान्य रूप से विचार-विमर्श होता है और तब किए जा चुके व्यय से भिन्न व्यय के प्राक्कलन लोक सभा में 'अनुदानों की माँगों' के रूप में रखे जाते हैं। सामान्यतः प्रत्येक मन्त्रालय के लिए अनुदानों की माँग अलग से प्रस्तुत की जाती है। राज्यों में भी राजस्व तथा व्यय के प्राक्कलन राज्य सरकारों द्वारा विधानमण्डलों में अगला वित्तीय वर्ष आरम्भ होने के पूर्व अप्रैल में प्रस्तुत किए जाते हैं।

लेखा-परीक्षण

संविधान की व्यवस्था के अनुसार लखा-परीक्षण प्राधिकारियों से, जो कार्यपालिका से स्वतन्त्र होते हैं, यह अपेक्षा की जाती है कि वे केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के व्यय की जाँच करें तथा इस बात का निश्चय करें कि ये व्यय उनके अधिकारक्षेत्र के अन्तर्गत ही होते हैं।

बजट प्राक्कलन (१९५९–६०)

२८ फरवरी, १९५९ को लोक सभा में प्रस्तुत १९५९-६० के बजट प्राक्कलनों में ८ अरब ३९ करोड़ १८ लाख रुपये का व्यय तथा ७ अर्ब ५७ करोड़ ५१ लाख रुपये का राजस्व दिखाया गया है, जबकि १९५८-५९ के लिए संशोधित व्यय तथा संशोधित राजस्व क्रमशः ७ अर्ब ८८ करोड़ १५ लाख रुपये तथा ७ अर्ब २८ करोड़ २० लाख रुपये का दिखाया गया है। तदनुसार १९५९-६० के बजट में ८१.६७ करोड़ रुपये का घाटा रहता है। नये करों से २३.३५ करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की सम्भावना के फलस्वरूप राजस्वगत घाटा घटकर ५८.३२ करोड़ रुपये रह जाएगा।

कुछ वर्तमान उत्पाद शुल्कों की दरों में फेर-बदल करने तथा रियायतें दिए जाने के अलावा नये कर सम्बन्धी प्रस्तावों में कम्पनियों पर कर लगाने की पद्धति को सरल बनाने की योजना के एक अंग के रूप में कम्पनियों पर धन कर और अतिरिक्त लाभांश कर न लगाए जाने की व्यवस्था सम्मिलित है। ये कर न लगाए जाने से कम्पनियों पर पड़ने वाले भार में जितनी कमी होगी, वह कम्पनियों पर लगने वाले आय कर और अधिकर की दरों में वृद्धि करके पूरी की जाएगी। इसके अतिरिक्त उत्पाद शुल्कों की वर्तमान दरों तथा दी जाने वाली रियायतों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन करने का भी सुझाव रखा गया।

केन्द्रीय सरकार का राजस्वगत आय-व्ययक (बजट) अगले पृष्ठ पर दिया गया है।

तालिका २९

भारत सरकार का राजस्वगत आय-व्ययक (बजट)

(करोड़ रुपयों में)

	१९५७-५८ लेखा	१९५८-५९ बजट	१९५८-५९ संशोधित	१९५९-६० बजट
राजस्व				
चुंगी	१७९.९९	१७०.००	१३६.००	१३०.०० +२.७७*
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	२७३.६२	३०४.७६	३०१.१५	३०७.०० +१८.०८
निगम कर	५६.१३	५५.५०	५६.००	५८.७५
आय कर	१६३.७०	१६१.५०	१६२.५०	१६६.२५
सम्पदा शुल्क	२.३०	२.५०	२.५०	२.८५
धन (सम्पदा) कर	७.०४	१२.५०	१०.००	१०.५० +२.५०*
रेल किराया तथा भाड़ा कर	३.६८	९.२२	११.००	११.००
व्यय कर	—	३.००	१.००	१.००
उपहार कर	—	२.००	१.२०	१.२०
अफीम	२.८७	२.८७	३.३१	३.९२
ब्याज	६.१८	६.६०	८.३६	१०.७५
असैनिक प्रशासन	४१.०८	४४.२४	४५.६३	३५.८०
मुद्रा तथा टकसाल	३३.२७	३६.६२	३४.७६	५५.६०
असैनिक कार्य	२.५२	२.८७	२.८७	३.००
आय के अन्य स्रोत	२३.६६	३२.९३	२९.२१	४१.९३
डाक तथा तार (शुद्ध अंशदान)	३.७१	२.३४	५.३८	४.२०
रेल (शुद्ध अंशदान)	६.२९	७.०४	६.४०	५.६८
घटाइए				
राज्यों को देय आयकर का भाग	–७३.४३	–७६.६७	–७५.८०	–८८.६२
घटाइए				
राज्यों को देय सम्पदा शुल्क का भाग	–२.४०	–२.३८	–२.३८	–२.७१
राज्यों को देय रेल किराया तथा भाड़ा कर का भाग	–४.४१	–९.१५	–१०.८९	–१०.८९
कुल राजस्व	७२५.८०	७६७.९९	७२८.२०	७५७.५१ +२३.३५*

* बजट प्रस्तावों के अनुसार

तालिका २६ (क्रमशः)

१	२	३	४	५
राजस्वगत घाटा	—	२८.०२	५६.६५	५८.३२
व्यय				
राजस्व पर प्रत्यक्ष माँग	६१.७७	६४.४५	६६.६३	१०१.६५
सिंचाई	०.११	०.१३	०.१६	०.१६
ऋण सेवाएँ	४२.०८	४०.००	४२.०६	५७.८८
असैनिक प्रशासन	१६८.००	२००.४४	१६७.७२	२२२.७३
मुद्रा तथा टकसाल	७.२३	८.५०	६.१४	६.८३
असैनिक कार्य	१७.१६	१८.७१	१८.३२	१६.३५
विविध	७३.२७	८०.२१	६२.०६	१००.६२
प्रतिरक्षा सेवाएँ (शुद्ध)	२५६.७२	२७८.१४	२६६.८७	२४२.६८
राज्यों को सहायता-अनुदान तथा अंशदान	४५.६०	४७.०३	४६.६५	४६.०२
असाधारण मदें	११.५१	२८.४०	१५.२१	३५.२६
कुल व्यय	६८३.७५	७६६.०१	७८८.१५	८३६.१८
राजस्वगत बचत	४२.०५	—	—	—

बजट सम्बन्धी स्थिति

केन्द्रीय सरकार की १६५८-५६ की बजट सम्बन्धी स्थिति (बजट प्राक्कलन) निम्न प्रकार थी :

केन्द्र की १६५८-५६ की राजस्वगत प्राप्तियों (७ अर्ब ११ करोड़ २५ लाख रुपये) में से करों (आय कर, निगम कर, सम्पदा शुल्क, धन कर, व्यय कर, उपहार कर, रेल भाड़े तथा किराये पर कर, मालगुज़ारी, आयात शुल्क, निर्यात शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, राज्यीय उत्पाद शुल्क, टिकट शुल्क, पंजीयन, मोटरगाड़ी कर और अन्य कर तथा शुल्क) से ५ अर्ब ७२ करोड़ ३३ लाख रुपये तथा कर-भिन्न स्रोतों (रेल, डाक-तार, मुद्रा तथा टकसाल, असैनिक प्रशासन, प्रतिरक्षा, असैनिक कार्य, वन, ऋण सेवाएँ, सिंचाई, विद्युत् योजनाएँ, सड़क तथा जल-परिवहन योजनाएँ (शुद्ध), अफीम (शुद्ध) और अन्य) से १ अर्ब ३८ करोड़ ६२ लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।

१६५८-५६ में केन्द्र का राजस्वगत व्यय (७ अर्ब ३८ करोड़ २७ लाख रुपये) इस प्रकार हुआ : विकास-भिन्न कार्यों (कर वसूली व्यय, ऋण सेवाएँ, प्रतिरक्षा, सामान्य प्रशासन, पुलिस, प्रशासन, मुद्रण तथा आलेखन सामग्री, मुद्रा तथा टकसाल और अन्य)

पर ४ अर्ब ९३ करोड़ ८४ लाख रुपये; विकास कार्यों (कृषि तथा ग्राम विकास, सिंचाई, पशु चिकित्सा, सामुदायिक योजनाकार्य तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा, आदिमजातीय क्षेत्र, असैनिक कार्य, उद्योग, वन, उड्डयन, वैज्ञानिक विभाग, चिकित्सा, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, प्रसारण और अन्य) पर १ अर्ब ९७ करोड़ ४६ लाख रुपये और राज्यों को सहायता-अनुदान दिए जाने पर ४६ करोड़ ९७ लाख रुपये।

१९५८-५९ में केन्द्र का पूँजीगत व्यय ४ अर्ब ९१ करोड़ ३५ लाख रुपये हुआ : विकास-भिन्न कार्यों (प्रतिरक्षा, सिक्योरिटी प्रेस, मुद्रा तथा टकसाल, सरकारी व्यापार और अन्य) पर ८४ करोड़ ४२ लाख रुपये तथा विकास कार्यों (बहूद्देश्यीय नदी योजनाएँ, सिंचाई, असैनिक कार्य, विद्युत् योजनाएँ, औद्योगिक योजनाएँ, रेल, डाक-तार, जहाज़रानी, विस्थापित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति, विकास अनुदान और अन्य) पर ४ अर्ब ६ करोड़ ९३ लाख रुपये।

केन्द्र को १९५८-५९ में स्थायी ऋणों (आन्तरिक तथा बाह्य); अन्तर्राज्यीय ऋण निपटारे; ऋण तथा पेशगी के भुगतान (राज्यों तथा अन्य द्वारा); छोटी बचत तथा अनिधिबद्ध ऋण (शुद्ध); जमा, निधि तथा पेशगी आदि के रूप में ६ अर्ब ८६ करोड़ ७४ लाख रुपये प्राप्त हुए तथा इसने स्थायी ऋण, अन्तर्राज्यीय ऋण निपटारे, राज्यों तथा अन्यों को ऋण तथा पेशगी आदि के रूप में ३ अर्ब ६४ करोड़ ३३ लाख रुपये दिए।

इसी प्रकार १९५८-५९ में केन्द्र तथा राज्यों की बजट सम्बन्धी मिली-जुली स्थिति (बजट प्राक्कलन) भी निम्न प्रकार रही :

१९५८-५९ में केन्द्र तथा राज्यों की मिली-जुली राजस्वगत प्राप्तियों (१३ अर्ब ६३ करोड़ ४० लाख रुपये) में से करों से १० अर्ब ५३ करोड़ ६२ लाख रुपये का और कर-भिन्न स्रोतों से ३ अर्ब ९ करोड़ ७८ लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। इसी प्रकार केन्द्र तथा राज्यों का मिला-जुला राजस्वगत व्यय १९५८-५९ में कुल १३ अर्ब ९४ करोड़ १२ लाख रुपये हुआ जिसमें से विकास-भिन्न कार्यों पर ७ अर्ब ९६ करोड़ ८३ लाख रुपये, विकासकार्यों पर ५ अर्ब ९३ करोड़ ४ लाख रुपये और जम्मू तथा कश्मीर राज्यों को सहायता-अनुदान देने पर ४ करोड़ २५ लाख रुपये व्यय हुए।

१९५८-५९ में केन्द्र तथा राज्यों का मिला-जुला पूँजीगत व्यय कुल ८ अर्ब ४९ करोड़ ८९ लाख रुपये था जिसमें से विकास-भिन्न कार्यों पर ८८ करोड़ ७० लाख रुपये, विकासकार्यों पर ६ अर्ब ५९ करोड़ ६७ लाख रुपये और ऋण तथा पेशगी (शुद्ध) पर १ अर्ब १ करोड़ ५२ लाख रुपये व्यय हुए।

इसी वर्ष केन्द्र तथा राज्यों को मिलाकर स्थायी ऋणों (आन्तरिक तथा बाह्य); अन्तर्राज्यीय ऋण निपटारे (शुद्ध); छोटी बचत तथा अनिधिबद्ध ऋण (शुद्ध) और विविध पूँजीगत प्राप्तियों से कुल ६ अर्ब ४२ करोड़ ७५ लाख रुपये प्राप्त हुए।

सार्वजनिक ऋण

भारत सरकार की ब्याजयुक्त देनदारियाँ जो १९५६-५७ के अन्त में ३६.७६ अर्ब रु० की थीं, बढ़ते रहकर १९५७-५८ के अन्त में ४२.१६ अर्ब रुपये की हो गईं और

१९५८-५९ के अन्त में इनके ४९.६४ अर्ब रु० की हो जाने की आशा थी। इसी प्रकार आन्तरिक देनदारियाँ भी जो १९५६-५७ के अन्त में ३५.१४ अर्ब रु० की थीं, १९५७-५८ के अन्त में बढ़कर ४०.०५ अर्ब रु० की हो गई और मार्च, १९५९ के अन्त में ४५.९३ अर्ब रु० की।

इन देनदारियों के विरुद्ध मार्च, १९५८ के अन्त में भारत सरकार की ब्याजदायी सम्पत्तियाँ ३३.९६ अर्ब रु० की थीं जो पिछले वर्ष की सम्पत्तियों से ४.८९ अर्ब रु० अधिक और कुल ब्याजयुक्त देनदारियों की ⅘ थीं। १९५८-५९ में ब्याजदायी सम्पत्तियाँ बढ़कर ३९.९९ अर्ब रु० की हो गईं।

१९५९-६० के बजट के आँकड़ों के अनुसार भारत सरकार की कुल ब्याजयुक्त देनदारियों (५७ अर्ब ३४ करोड़ ८९ लाख रुपये) में से ३८ अर्ब ५१ करोड़ १८ लाख रुपये के सार्वजनिक ऋण (भारत) तथा ११.१२ अर्ब रुपये के अनिधिबद्ध ऋण (भारत) हैं। भारत में सरकार के कुल निक्षेप १ अर्ब १० करोड़ ६१ लाख रुपये के हैं। भारत सरकार के ब्रिटेन से प्राप्त कुल सार्वजनिक ऋण ७१.४४ करोड़ रुपये के, अमेरिका से प्राप्त डालर ऋण ४ अर्ब १५ करोड़ १६ लाख रुपये के, कनाडा से प्राप्त डालर ऋण १५.७१ करोड़ रुपये के, सोवियत रूस से प्राप्त ऋण ६१.३४ करोड़ रुपये के, पश्चिम जर्मनी से प्राप्त ऋण ६४.६६ करोड़ रुपये के तथा जापान से प्राप्त ऋण १२.७९ करोड़ रुपये के हैं। २० करोड़ रुपये के नये ऋणों के लिए अभी व्यवस्था की जानी है। इसी प्रकार भारत सरकार की कुल ब्याजदायी सम्पत्तियाँ ४५ अर्ब ७४ करोड़ ८ लाख रुपये की हैं। इसके अतिरिक्त खजाने में ५५.७६ करोड़ रुपये नकद तथा सिक्योरिटियों के रूप में हैं। इस प्रकार ११ अर्ब ५ करोड़ ५ लाख रुपये की ऐसी ब्याजयुक्त देनदारियाँ रहीं जिनके भुगतान के लिए उपर्युक्त सम्पत्तियों के अलावा अन्य व्यवस्था करनी होगी।

मार्च, १९५८ के अन्त में भारत का विदेशी ऋण २ अर्ब ११ करोड़ २ लाख रुपये का था जिसमें से डालर ऋण १ अर्ब ५९ करोड़ ८५ लाख रुपये का था। इसी प्रकार १९५७-५८ के संशोधित प्राक्कलनों के अनुसार राज्यों के ऋण भी १७ अर्ब ४८ करोड़ ७३ लाख रुपये के थे।

द्रव्य पूर्ति तथा मुद्रा

जनता के पास जो द्रव्य था, १९५८ में उसमें ७७.२० करोड़ रुपये की वृद्धि हुई, जब कि १९५७ में उसमें ९६.२० करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी। १९५८ में हुई वृद्धि का कारण था मुद्रा परिचलन में ८१.९० करोड़ रुपये की वृद्धि होना तथा निक्षेप राशि में ४.७० करोड़ रुपये की कमी होना।

पिछले वर्ष की भाँति १९५८ में भी द्रव्य-पूर्ति में हुई वृद्धि का मुख्य कारण सरकार को अधिक मात्रा में अग्रिम धन का दिया जाना था। इस वृद्धि से पड़ने वाले प्रभाव को रिज़र्व बैंक में जमा सरकारी धन में कुछ वृद्धि करके कम किया गया। १९५८ में सरकार को बैंकों से ४.१५ अर्ब रुपये का ऋण प्राप्त हुआ और रिज़र्व बैंक में जमा सरकारी

धन में ६.५० करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। जनता को बैंकों से मिले ऋण में हुए विस्तार के फलस्वरूप मुद्रास्फीति बहुत अधिक नहीं हुई। रिज़र्व बैंक की विदेशी सम्पत्तियों के मूल्य में आई कमी की दृष्टि से १६५८ में भुगतान-सन्तुलन में १ अर्ब ८ करोड़ ८० लाख रुपये का ही अभाव रहा, जबकि पिछले वर्ष ३ अर्ब २७ करोड़ ४० लाख रुपये का अभाव रहा था।

१६५८-५६ के वित्तीय वर्ष (२६ दिसम्बर, १६५८ तक) में जनता के बीच द्रव्य-पूर्ति में ३६.७० करोड़ रुपये की कमी आई, जबकि पिछले वर्ष ३८ करोड़ रुपये की कमी हुई थी।

१६५८ में जनता के पास १६ अर्ब ८ करोड़ १० लाख रुपये की मुद्रा तथा २३ अर्ब ५२ करोड़ २० लाख रुपये का द्रव्य था।

मुद्रा (करेंसी)

१६५८ में मुद्रा परिचलन (छोटे सिक्कों को छोड़कर) में ८६.२० करोड़ रुपये की और वृद्धि हुई, जो १६५७ की वृद्धि से दूने से अधिक थी। १६५३ से मुद्रा परिचलन में निरन्तर वृद्धि होती रही। इस वर्ष मुख्य रूप से नोटों के परिचलन में ८२.६० करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। १६५८ के अन्त में १५ अर्ब ४६ करोड़ ३० लाख रुपये के नोट परिचलन में थे।

इस वर्ष रुपये के सिक्कों के परिचलन (१ रुपया वाले नोट सहित) में ३.५० करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। वर्ष के अन्त में १ अर्ब १५ करोड़ ६० लाख रुपये के सिक्के परिचलन में थे।

दशमिक सिक्के

अप्रैल, १६५७ में सर्वप्रथम जारी किए गए एक नया पैसा और दो, पाँच तथा दस नये पैसे के नये दशमिक सिक्कों के परिचलन में पर्याप्त प्रगति हुई। उस समय से अक्तूबर, १६५८ तक ३.६१ करोड़ रुपये के दशमिक सिक्के परिचलन में आ चुके थे :

तालिका ३०

परिचलन में दशमिक सिक्के

सिक्के	मूल्य (लाख रुपये)
१ नया पैसा	६४.५५
२ नये पैसे	५६.७१
५ नये पैसे	६८.३६
१० नये पैसे	१६६.३६
योग	३६१.०४

कुछ सिक्कों का बन्द किया जाना

भारत सरकार की १८ जुलाई, १९५८ की एक सूचना (सं० एस० ओ० १४३७) के अनुसार निकल और पीतल की दुअन्नियों, अधेलों तथा पाई के सिक्कों का चलन १ जनवरी, १९५९ से समाप्त कर दिया गया। किन्तु ये सिक्के रिज़र्व बैंक के सभी कार्यालयों और सभी सरकारी खजानों द्वारा ३० जून १९५९ तक स्वीकार किए जाते रहेंगे, और इसके बाद ये सिक्के केवल बैंक के सिक्का जारी करने वाले विभाग के कार्यालय में ही लिए जाते रहेंगे।

हाली सिक्कों का भारत सरकार के सिक्कों में परिवर्तन

हैदराबाद के सिक्कों के भारत सरकार के सिक्कों में परिवर्तित किए जाने की सुविधाएँ जो ३१ दिसम्बर, १९५६ को समाप्त कर दी गई थीं, जनता के अनुरोध पर १ दिसम्बर, १९५८ से ३० जून, १९५९ तक के लिए फिर से दिए जाने की व्यवस्था की गई।

बैंकिंग

पिछले वर्ष की निक्षेप देनदारियों में हुई बहुत अधिक वृद्धि पर १९५८ में अनुसूचित बैंकों के संसाधनों में पर्याप्त वृद्धि होने तथा वर्ष के अधिकांश भाग में ऋण की माँग में कमी आने के फलस्वरूप बैंकों के लिए यह समस्या पैदा हो गई कि इस अतिरिक्त राशि से किस प्रकार लाभ उठाया जाए। १९५८ में अनुसूचित बैंकों की निक्षेप देनदारियों (शुद्ध) में २ अर्ब ६ करोड़ ८० लाख रुपये की वृद्धि हुई। निक्षेप देनदारियों में वृद्धि होने के बड़े कारण थे—विकास व्यय के लिए हीनार्थ प्रबन्धन, अमेरिकी सार्वजनिक कानून ४८० के अन्तर्गत आयात किए गए खाद्यान्नों का अधिक मूल्य तथा अनुसूचित बैंकों की शाखाओं की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि। अनुसूचित बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण में, जिसमें १९५३ से निरन्तर वृद्धि होती आ रही थी, १९५८ में ८.७० करोड़ रुपये की मामान्य वृद्धि हुई। बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण में इतनी कम वृद्धि होने का कारण यह था कि आयात सम्बन्धी प्रतिबन्ध लगाए जाने तथा ऋण-नियन्त्रण सम्बन्धी चुने हुए उपायों पर जोर दिए जाने के कारण आर्थिक गतिविधियों में कुछ शिथिलता आ गई थी। तदनुसार, बैंकों को सरकारी सिक्योरिटियों में विनियोग करना पड़ा। बैंकों की संसाधन सम्बन्धी स्थिति में सुधार होने का प्रमाण इस बात से मिलता है कि रिज़र्व बैंक से कम ऋण लिया गया और उनकी नकद-राशि में वृद्धि हुई।

१९५८ में अनुसूचित बैंकों की संख्या ९१ से बढ़कर ९३ हो गई। अक्तूबर, १९५८ तथा इन बैंकों की २०८ नयी शाखाएँ तथा स्टेट बैंक की ६९ नयी शाखाएँ खुलीं। अनुसूचित बैंकों के कार्यालयों की संख्या भी अक्तूबर के अन्त तक ३,५७० हो गई।

महाजनी (बैंकिंग) के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण अनुसूचित बैंकों के बीच निक्षेप राशियों पर ब्याज की दरों के सम्बन्ध में एक समझौता का होना इस वर्ष की एक उल्लेखनीय घटना है। यह समझौता १ अक्तूबर, १९५८ से लागू हुआ।

इस वर्ष ५ जून, १९५८ को एक 'उद्योग पुर्निवित्त निगम (प्राइवेट) लिमिटेड' स्थापित किया गया। यह निगम उन उद्योगों के लिए ऋण की व्यवस्था करेगा जिनका विकास अभी तक यह सुविधा न होने के कारण रुका हुआ था। इस निगम की सुविधाएँ उन औद्योगिक संस्थाओं को उपलब्ध हैं जिनकी चुकती पूँजी तथा सुरक्षित राशियाँ किसी विशेष मामले में २.५० करोड़ रुपये से अधिक नहीं हैं।

रिज़र्व बैंक की मुद्रा तथा ऋण सम्बन्धी नीति

फरवरी मास से खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में निरन्तर वृद्धि होते रहने से देश की अर्थ-व्यवस्था में मुद्रास्फीति होने के कारण रिज़र्व बैंक की ऋण सम्बन्धी नीति मोटे रूप से कुछ प्रतिबन्धात्मक रही। खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होने का एक बड़ा कारण खाद्य-उत्पादन में कमी का होना था। इसके परिणामस्वरूप यह अनुभव किया गया कि इस वर्ष अग्रिम ऋण कुछ चुने हुए खाद्यानों पर ही दिया जाना चाहिए। गेहूँ पर अग्रिम धन दिए जाने के सम्बन्ध में सामान्यतः सम्पूर्ण देश में तथा विशेषकर पंजाब में लगे प्रतिबन्ध और कड़े कर दिए गए। चीनी के सम्बन्ध में भी ऐसी ही स्थिति रही। किन्तु ये प्रतिबन्ध इस प्रकार लगाए जाते रहे कि बैंकों की शाखाओं के काम तथा गोदामों के अधिकाधिक उपयोग में कोई कमी न आने पाए।

इसी वर्ष हुण्डी बाजार योजना का भी विस्तार किया गया ताकि निर्यात-हुण्डियाँ भी इस योजना के अन्तर्गत आ जाएँ और छोटे निर्यातकों को निर्यात-हुण्डियों के आधार पर बैंकों से वित्त प्राप्त हो सके।

निगमित वित्त (कारपोरेट फिनान्स)

३१ मार्च, १९५८ को देश में कुल २८,८७७ ज्वाइण्ट स्टाक कम्पनियाँ थीं जिनकी कुल चुकता पूँजी ११ अर्ब ६० करोड़ ९० लाख रुपये की थी। इन कम्पनियों में से ९,०९६ सार्वजनिक कम्पनियाँ तथा १९,७८१ प्राइवेट कम्पनियाँ थीं जिनकी चुकता पूँजी क्रमशः ७ अर्ब ६८ करोड़ २० लाख रुपये तथा ३ अर्ब ९२ करोड़ ७० लाख रुपये की थी।

अप्रैल, १९५८ से अक्तूबर, १९५८ तक ५९१ नयी कम्पनियाँ पंजीकृत की गईं जिनकी कुल अधिकृत पूँजी १ अर्ब १४ करोड़ ४२ लाख रुपये की थी।

सरकारी कम्पनियाँ

अक्तूबर, १९५८ के अन्त तक देश में ९२ सरकारी कम्पनियाँ स्थापित की जा चुकी थीं, जिनकी ५१ प्रतिशत अथवा इससे अधिक पूँजी केन्द्रीय अथवा राज्य अथवा दोनों सरकारों द्वारा लगाई हुई थी।

विदेशी कम्पनियाँ

१९५८ के प्रथम १०, महीनों में उन १४ ज्वाइण्ट स्टाक कम्पनियों ने, जिनकी रचना भारत से अन्यत्र हुई थी, भारत में अपने मुख्य कारोबारी केन्द्र स्थापित किए।

बीमा

भारत के जीवन बीमा निगम की स्थापना होने के पश्चात् १ सितम्बर, १९५६ से भारत में जीवन बीमा व्यवसाय मुख्य रूप से निगम और कुछ हद तक भारत सरकार का डाक-तार विभाग तथा कुछ राज्य सरकारें करती हैं।

अग्नि, समुद्री तथा अन्य विविध प्रकार का बीमा व्यवसाय, भारत में भारतीय तथा विदेशी, दोनों प्रकार की बीमा कम्पनियाँ करती हैं।

सरकार द्वारा संचालित बीमा योजनाएँ

आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, मैसूर तथा राजस्थान की सरकार जीवन बीमा व्यवसाय का काम करती हैं और इसका लाभ उनके अपने-अपने कर्मचारियों को मिलता है। १ सितम्बर, १९५६ से भारत के 'जीवन बीमा निगम' ने भारत में जीवन बीमा के व्यवसाय का अधिकार एकमात्र अपने लिए सुरक्षित कर लिया। किन्तु, 'जीवन बीमा निगम अधिनियम' के खण्ड ४४ की धारा (च) के अनुसार राज्य सरकार अपने-अपने कर्मचारियों के लिए अनिवार्य रूप से जीवन बीमा करने का कार्य कर सकती है।

भारत का बीमा संघ

भारत में जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण किए जाने के बाद भारत के बीमा संघ की जीवन बीमा परिषद् तथा कार्यपालिका समिति भंग हो चुकी हैं।

सामान्य बीमा

बीमा कम्पनियाँ

३१ दिसम्बर, १९५८ को १९३८ के बीमा अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत देश में ९१ भारतीय तथा ९३ गैर-भारतीय बीमा कम्पनियाँ थीं।

इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के अन्तर्गत जीवन तथा विविध बीमा व्यवसाय के लिए भारत का 'जीवन बीमा निगम' भी पंजीकृत हो चुका है।

१९५७ में तीनों प्रकार की बीमा कम्पनियों को बीमा कराने वाले देश तथा विदेश-स्थित भारतीय और देश-स्थित भारतीय-भिन्न व्यक्तियों से क्रमशः १०.९३ करोड़ रुपये तथा ११·६० करोड़ रुपये और ७.१६ करोड़ रुपये का प्रीमियम प्राप्त हुआ।

सम्पत्तियाँ तथा विनियोग

३१ दिसम्बर, १९५७ को भारतीय बीमा व्यवसायियों के सामान्य बीमा व्यवसाय की कुल सम्पत्ति ४९.०२ करोड़ रुपये की थी और उनका धन केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की सिक्योरिटियों, भारतीय नगरपालिकाओं तथा बन्दर एवं सुधार न्यासों की सिक्योरिटियों, भारतीय कम्पनियों के हिस्सों तथा ऋण पत्रों, विदेशी सरकारों की सिक्योरिटियों, निक्षेपों, डाक-टिकटों तथा नकद आदि में लगा हुआ था।

जीवन बीमा

जीवन बीमा निगम

'जीवन बीमा निगम अधिनियम' के अनुसार, भारत के 'जीवन बीमा निगम' में अधिक से अधिक १५ सदस्य होते हैं जिन्हें नीति विषयक मामलों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों के अनुसार ही निगम के कार्य-संचालन की व्यवस्था करने का अधिकार प्राप्त है। निगम पर यह कार्य इस ढंग से करने का उत्तरदायित्व डाला गया है कि जीवन बीमा व्यवसाय का विकास समाज के हित में ही हो।

१ सितम्बर, १९५६ को स्थापित होने पर निगम ने उन विभिन्न २४५ बीमा कम्पनियों के नियन्त्रित व्यवसाय का कार्य अपने हाथ में ले लिया जो भारत में जीवन बीमा व्यवसाय में लगी हुई थीं। ३१ अगस्त, १९५६ को इन कम्पनियों की कुल सम्पतियाँ लगभग ४.११ अर्ब रुपये की थीं तथा देश में १२.५० अर्ब रुपये के मूल्य के ५० लाख से अधिक बीमा हो चुके थे।

१९५८ में देश में तथा देश के बाहर क्रमशः ३ अर्ब ६ करोड़ ४ लाख रुपये तथा ४.८० करोड़ रुपये के मूल्य के क्रमशः ८,६२,२२७ तथा ४,८८७ बीमा हो चुके थे।

३१ दिसम्बर, १९५७ तथा ३१ अक्तूबर, १९५८ को जीवन बीमा निगम के विनियोग की स्थिति निम्न तालिका में दिखाई गई है :

तालिका ३१

जीवन बीमा निगम के विनियोग

विनियोग	३१ दिसम्बर, १९५७		३१ अक्तूबर १९५८	
	राशि (करोड़ रुपये)	कुल का प्रतिशत	राशि (करोड़ रुपये)	कुल का प्रतिशत
१. भारत सरकार की सिक्योरिटियाँ	१८४.१३	४८.३	१९६.०३	४८.४
२. विदेशी सरकारों की सिक्योरिटियाँ	१२.६१	३.३	७.२९	१.८
३. भारत की राज्य सरकारों की सिक्योरिटियाँ	४५.६३	११.९	५५.२९	१३.७
४. विदेशी सिक्योरिटियाँ	०.७३	०.२	०.६३	०.२
५. सरकार द्वारा प्रत्याभूत तथा अन्य स्वीकृत सिक्योरिटियाँ	३३.०७	८.७	३६.६१	९.०
६. कम्पनियों के ऋण-पत्र	२०.६६	५.४	२१.२५	५.२
७. कम्पनियों के प्रिफ्रेंस शेयर	१५.९०	४.२	१६.१६	४.०
८. कम्पनियों के आर्डीनरी शेयर	३३.६३	८.८	६०.३३	९.०
९. (क) बन्धक सम्पत्ति पर ऋण	१३.७१	३.६	१३.०३	३.२
(ख) अन्य ऋण	०.७१	०.२	१.०१	०.३
१०. भूमि तथा गृह सम्पत्तियाँ	२०.६८	५.४	२१.२२	५.२
योग	३८१.४६	१००.०	४०४.८२	१००.०

—:०:—

बीसवाँ अध्याय

कृषि

भारत के लगभग ७० प्रतिशत निवासी अपनी जीविका के लिए भूमि पर निर्भर रहते हैं। देश की लगभग आधी राष्ट्रीय आय कृषि तथा उससे सम्बन्धित व्यवसायों से ही प्राप्त होती है। देश से निर्यात की जाने वाली कुछ वस्तुओं के लिए कच्चा माल भी कृषि से ही मिलता है। लाख-उत्पादन में भारत को एकाधिकार प्राप्त है तथा मूँगफली और चाय के उत्पादन के लिए भारत संसार का सबसे प्रमुख देश माना जाता है। चावल, पटसन, कच्ची खाण्ड, अरण्डी के बीज, राई तथा तिल के उत्पादन के लिए संसार में भारत का स्थान दूसरा है।

भूमि उपयोग

देश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल ८०.६३ करोड़ एकड़ है। भूमि-उपयोग के आँकड़े ७१.६७ करोड़ एकड़ भूमि के सम्बन्ध में ही उपलब्ध हैं जिसमें से १९५६-५७ के आँकड़ों के अनुसार उस वर्ष १२.५५ करोड़ एकड़ भूमि में जंगल थे; ११.७८ करोड़ एकड़ भूमि कृषि के लिए उपलब्ध नहीं थी; ९.७० करोड़ एकड़ भूमि में चरागाह, वृक्ष तथा कुंज आदि थे; ५.८७ करोड़ एकड़ भूमि बंजर थी तथा कुल ३२.०७ करोड़ एकड़ भूमि में कृषि होती थी।

सिंचित क्षेत्र

समस्त कृषि-क्षेत्रफल के लगभग १८ प्रतिशत भाग में सिंचाई की व्यवस्था है। १९५५-५६ में समाप्त होने वाले ७ वर्षों में नहरों, तालाबों, कुओं तथा अन्य स्रोतों से ५.६२ करोड़ एकड़ भूमि में सिंचाई हुई जो १९४७-४८ की सिंचित भूमि से ६६ लाख एकड़ अधिक थी।

फसलें

भारत के कृषि उत्पादन की दो मुख्य विशेषताएँ हैं—(१) विभिन्न प्रकार की फसलें तथा (२) खाद्यान्न की फसलों को अन्य फसलों की अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाना।

१९५७-५८ में खाद्यान्न २६ करोड़ ७३ लाख ७२ हज़ार एकड़ भूमि में; गन्ना ५०.२१ लाख एकड़ भूमि में; तम्बाकू ९.२६ लाख एकड़ भूमि में; कपास २ करोड़ १ लाख ५८ हज़ार एकड़ भूमि में; पटसन १७.५४ लाख एकड़ भूमि में तथा तिलहन (मूँगफली,

अरण्डी का बीज, सरसों, राई, अलसी तथा तिल) ३ करोड़ ४ लाख १८ हज़ार एकड़ भूमि में बोया गया।

भारत में दो फसलें मुख्य हैं—खरीफ की फसल तथा रबी की फसल। चावल, बाजरा, ज्वार, मक्का, कपास, गन्ना, तिल तथा मूँगफली खरीफ की मुख्य फसलें हैं; और गेहूँ, जौ, चना, अलसी, राई तथा सरसों रबी की मुख्य फसलें।

उत्पादन

१६५६-५७ में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन पिछले वर्ष के उत्पादन से ४.५ प्रतिशत अधिक रहा। किन्तु, १६५७-५८ में विभिन्न राज्यों में प्रतिकूल जलवायु के कारण खाद्यान्नों का उत्पादन १६५५-५६ तथा १६५६-५७ की तुलना में क्रमशः ५.७ प्रतिशत तथा ६.८ प्रतिशत कम रहा।

१६५७-५८ में ६ करोड़ २० लाख २६ हज़ार टन खाद्यान्न; ६ करोड़ ४१ लाख ४२ हज़ार टन गन्ना; २.५२ लाख टन तम्बाकू; ४७.५३ लाख गाँठ कपास; ४०.८८ लाख गाँठ पटसन तथा ५६.०७ लाख टन तिलहन पैदा हुआ।

कृषि-उत्पादन (सभी जिन्सें) का सूचनांक जो १६५५-५६ में ११६.६ था, १६५६-५७ में बढ़कर १२३.८ हो गया अर्थात् पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष के उत्पादन में ६ प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई। १६५७-५८ में यह सूचनांक घट कर ११३.४ ही रह गया।

१६५७-५८ के कृषि-उत्पादन के सूचनांकों में खाद्यान्नों के उत्पादन का सूचनांक १०७.३; तिलहनों के उत्पादन का सूचनांक ११२.३ और कपास तथा पटसन के उत्पादन का मिलाजुला सूचनांक १६७.२ रहा।

खाद्यान्नों का आयात

१६५८ में गेहूँ तथा अन्य अनाजों के आयात के लिए अमेरिका की सरकार के साथ तथा केवल गेहूँ के आयात के लिए कनाडा की सरकार के साथ करार हुए। बर्मा सरकार ने एक दीर्घकालीन क़रार के अधीन चावल दिया। कोलम्बो योजना के अन्तर्गत एक जहाज़ गेहूँ आस्ट्रेलिया से आया। १६५८ में ३.६० लाख टन चावल, २६.७४ लाख टन गेहूँ (आटा सहित) तथा १.०६ लाख टन अन्य खाद्यान्नों का आयात किया गया।

खाद्यान्नों का वितरण

खाद्यान्न क्षेत्रों की स्थापना करने, खाद्यान्नों के यातायात पर प्रतिबन्ध लगाने तथा आयात किया गया गेहूँ सरकारी भण्डारों से सीधे आटा मिलों को पहुँचाने आदि जैसे नियामक उपायों के अतिरिक्त, १६५८ में खाद्य-संकट दूर करने के उद्देश्य से सरकारी दुकानों द्वारा बेचे जाने के लिए केन्द्रीय भण्डारों से बहुत अधिक मात्रा में खाद्यान्न निकाला गया। खाद्यान्न जबकि केवल ३२ लाख टन ही आयात किया गया था, सरकार ने बेचे जाने के लिए अपने भण्डारों से ६३ लाख टन खाद्यान्न निकाला।

विकास कार्यक्रम

विकास-कार्यक्रमों के अन्तर्गत दो प्रकार की योजनाएँ आती हैं : कार्य सम्बन्धी योजनाएँ तथा वितरण सम्बन्धी योजनाएँ। पहली योजना में कुओं, तालाबों आदि के निर्माण तथा मरम्मत, भूमि के अन्दर से पानी निकालने के साधनों की व्यवस्था करने तथा भूमि-पुनरुद्धार के कार्य, और दूसरी योजना में उर्वरकों तथा उन्नत बीजों के वितरण के कार्य आते हैं।

१६५८-५६ में केन्द्रीय सहायता के रूप में राज्य सरकारों को २६.१० करोड़ रुपये देने की सूचना दी गई है। उर्वरकों तथा उन्नत बीजों के क्रय तथा वितरण के लिए राज्य सरकारों को अल्पकालीन ऋण देने के लिए भी ११.८७ करोड़ रुपये निर्धारित किए गए थे। छोटी सिंचाई की सुविधाओं के विस्तार के लिए ३.४० करोड़ रुपये की विशेष व्यवस्था की गई थी।

छोटे सिंचाईकार्य

'भारत-अमेरिकी प्राविधिक सहायता कार्यक्रम' के अधीन भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित नलकूपों के निर्माण-योजनाकार्यों के अन्तर्गत १६५८ में नवम्बर के अंत तक २,६६८ नलकूप खोदे जा चुके थे; २,६७६ नलकूपों में पानी पम्प करने के सेट लगाए जा चुके थे तथा २,६५२ नलकूप चालू किए जा चुके थे। 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन की सहायता से उत्तर गुजरात में नलकूपों के निर्माण के योजनाकार्य के अधीन सभी ४०० नलकूप खोद लिए गए और उनमें से ३५८ चालू भी कर दिए गए।

उत्तर प्रदेश में ३० नवम्बर, १६५८ तक ५८७ नलकूप खोदे गए, ४१६ नलकूपों में पम्पिग सेट लगाए गए तथा ३२० नलकूप चालू कर दिए गए। बम्बई में ३१ नलकूप खोदे गए। असम में ६ नलकूप खोदे गए, २ नलकूपों में पम्पिग सेट लगाए गए तथा २ नलकूप चालू कर दिए गए।

आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, कच्छ, केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा मद्रास में भूमि के नीचे पानी खोजने के सम्बन्ध में खुदाई-कार्य पूरा किया गया।

भूमि-पुनरुद्धार

१६५८ में केन्द्रीय ट्रक्टर संगठन ने ४,००० एकड़ भूमि समतल करने तथा सीढ़ीनुमा बनाने के अतिरिक्त ३६,००० एकड़ काँस वाली भूमि तथा ३,००० एकड़ जंगल साफ करके कृषि-योग्य बनाया। यह संगठन अब तक १६.६७ लाख एकड़ भूमि का पुनरुद्धार कर चुका है।

इसके पाँच एकक ३१ अक्तूबर, १६५८ को दण्डकारण्य प्रशासन को हस्तान्तरित कर दिए गए।

'प्राविधिक सहयोग मण्डल' की सहायता से बुधनी (मध्य प्रदेश) में स्थापित 'ट्रैक्टर प्रशिक्षण केन्द्र' में अब तक २६१ विद्यार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं।

बीज-बहुगुणन तथा उन्नत बीजों का वितरण

रबी आन्दोलन के एक कार्यक्रम के रूप में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार तथा राजस्थान को ७.८५ लाख मन गेहूँ के बीज देने की व्यवस्था की गई।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह को उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आन्ध्र प्रदेश तथा मद्रास से धान के बीज उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की गई।

खाद तथा उर्वरक

१६५७-५८ में मलमूत्र से २२.२० लाख टन खाद तैयार की गई। १६५८-५६ में २६.४० लाख टन खाद तैयार करने का लक्ष्य रखा गया था। १६५७-५८ में १६.२५ लाख टन खाद बाँटी गई। बड़े-बड़े नगरों तथा कस्बों में १५.३० करोड़ गैलन खादोपयोगी पानी (प्रति दिन) का उपयोग करने के लिए 'मलमूत्र-युक्त पानी उपयोग योजनाओं' का काम जारी रहा। खाद तैयार करने के स्थानीय संसाधनों के विकास के लिए चार योजनाओं का कार्य आरम्भ किया गया। कई राज्य सरकारों ने हरी खाद के बीज बाँटने तथा विशेष आन्दोलनों का संगठन करने की व्यवस्था करके हरी खाद के प्रचार के उपाय किए। बिहार के ५० गाँवों में मल तथा कचरे की खाद तैयार करने की एक योजना का कार्य आरम्भ किया गया।

१६५८-५६ में अमोनियम सल्फेट के रूप में नत्रजनयुक्त उर्वरकों का उपभोग बढ़कर ६ लाख टन हो जाने की सम्भावना थी। अमोनियम सल्फेट की उपलब्धि ६.०२ लाख टन ही होने की सम्भावना है।

राज्यों को 'केन्द्रीय उर्वरक भण्डार' से नत्रजनयुक्त उर्वरक तथा बाजार से अन्य उर्वरक खरीदने और किसानों को उधार बेचने की सुविधा देने के लिए अल्पकालीन ऋण देना यथासम्भव जारी रखा गया।

११ राज्यों तथा ३ संघीय क्षेत्रों में 'उर्वरक (नियन्त्रण) आदेश, १६५७' लागू किया गया जिसके द्वारा उर्वरकों की किस्म तथा मूल्य पर नियन्त्रण रखा जाता है।

पौधा-संरक्षण तथा टिड्डी-नियन्त्रण

'पौधा-संरक्षण, रोगप्रतिबन्ध तथा भण्डार निदेशालय' अपने १४ पौधा-संरक्षण केन्द्रों द्वारा राज्यों को फसलों में लगने वाले कीड़ों तथा बीमारियों के नियन्त्रण के कार्य में प्राविधिक परामर्श, उपकरण तथा कर्मचारियों के रूप में सहायता देता रहा। इन केन्द्रों ने चुने हुए ग्राम पंचायती क्षेत्रों में पौधा-संरक्षण का भरपूर कार्य भी किया। १६,००० एकड़ भूमि में विमानों द्वारा कीड़ा-नियन्त्रण कार्यवाही की गई।

समुद्र तथा हवाईअड्डों में स्थित 'रोगप्रतिबन्ध केन्द्र' रोगप्रतिबन्ध सम्बन्धी निरीक्षण और विदेशों से आयात किए गए पौधों की रक्षा का कार्य करते रहे।

फसल आन्दोलन

आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, बम्बई, बिहार, मध्य प्रदेश, मैसूर तथा राजस्थान में गेहूँ, जौ, चना तथा ज्वार की चार बड़ी खाद्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से सभी उपलब्ध संसाधनों का पूरा-पूरा उपयोग करने के लिए एक 'भरपूर रबी उत्पादन आन्दोलन' आरम्भ किया गया। इस आन्दोलन की विशेषता यह

थी कि इसमें गैरसरकारी व्यक्तियों के सहयोग पर अधिक बल दिया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों ने उन्नत बीजों तथा उर्वरकों की उचित समय पर उपलब्धि, बीजों की उनको लगने वाली बीमारियों से रक्षा, सिंचाई की सुविधाओं की व्यवस्था, उन्नत कृषि औजारों की उपलब्धि, कीटनाशकों तथा कृषि-ऋण की व्यवस्था करने पर विशेष ध्यान दिया। इस आन्दोलन का अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य कृषि-जानकारी सम्बन्धी सामग्री तैयार करना तथा उसका प्रचार करना भी है।

कृषि हाट-व्यवस्था

कृषि हाट-व्यवस्था के विकास का उद्देश्य किसानों के लिए उपभोक्ताओं द्वारा दिए जाने वाले मूल्य में से उचित भाग सुरक्षित करना तथा आयोजित विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति बाज़ार में प्रचलित प्रणालियों के नियमन, कृषिजन्य वस्तुओं के मानकीकरण तथा वर्गीकरण और इनसे सम्बन्धित अन्य विकासकार्यों द्वारा करने का लक्ष्य रखा गया है।

वर्गीकरण तथा मानकीकरण

कृषिजन्य वस्तुओं का वर्गीकरण 'कृषि उत्पादन (वर्गीकरण तथा अंकन) अधिनियम, १६३७' के अनुसार किया जाता है। इस अधिनियम के अन्तर्गत ३८ जिन्सें आती हैं। ११७ प्रकार की जिन्सों के लिए वर्गीकरण के मानक निर्धारित किए जा चुके हैं। अधिनियम में वर्गीकरण आवश्यक नहीं रखा गया है। घी, वनस्पतिजन्य तेलों, मक्खन, चावल, गेहूँ, गुड़, आटा, अण्डे तथा फल आदि के लिए ३८० से अधिक 'वर्गीकरण केन्द्रों' की व्यवस्था की जा चुकी है। सिगरेट, ऊन तथा चन्दन का तेल जैसी कुछ अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में निर्यात के पूर्व वर्गीकरण आवश्यक रखा गया है। विदेशी बाजारों में इन वस्तुओं की माँग धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है। १६५८-५६ (५ महीने) में १२.६५ करोड़ रुपये के मूल्य की वस्तुओं का निर्यात हुआ।

नियन्त्रित बाज़ार

बाजारों के नियमन का उद्देश्य बाजारों में चल रही हानिकर प्रणालियों को समाप्त करना तथा बाजार-व्यय में कमी करना है जिससे उत्पादकों को अधिक लाभ हो। इन नियन्त्रित बाजारों का प्रबन्ध, बाजार समितियाँ करती हैं जिनमें उत्पादकों, व्यापारियों, स्थानीय निकायों तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। अब तक ७ राज्यों में ५५० नियन्त्रित बाजारों की व्यवस्था की जा चुकी है।

फल-संरक्षण उद्योग का विकास

'फलजन्य पदार्थ आदेश, १६५५' के अधीन फल तथा वनस्पति-संरक्षण उद्योग पर नियन्त्रण रखा जाता है जिससे कारखानों में स्वास्थ्यप्रद वातावरण तथा सफाई, पदार्थों की उत्कृष्टता, उचित रूप से लेबिल लगाए जाने तथा फलजन्य पदार्थों की डिब्बाबन्दी के सम्बन्ध में न्यूनतम मानकों का पूर्णरूप से पालन किया जाए। १६५७ में विभिन्न फलजन्य

उत्पादन

१९५४-५५ में २१ करोड़ ६७ लाख ८४ हज़ार रुपये के मूल्य की ५० करोड़ ८० लाख १ हज़ार घन फुट लकड़ी का उत्पादन हुआ जिसमें से १० करोड़ ७० लाख ५४ हज़ार घन फुट इमारती लकड़ी; २ करोड़ ४१ लाख ५० हज़ार घन फुट लट्ठे; १२.३८ लाख घन फुट लुगदी तथा दियासलाई-उपयोगी लकड़ी; ३० करोड़ ८३ लाख ४६ हज़ार घन फुट ईंधनोपयोगी लकड़ी तथा ६ करोड़ ७२ लाख १३ हज़ार घन फुट कोयला-उपयोगी लकड़ी थी।

कागज़, दियासलाई तथा प्लाईवुड उद्योगों के लिए कच्चे माल उपलब्ध होने के साथ-साथ वनों से गोंद, राल, औषधि सम्बन्धी जड़ी-बूटियाँ आदि वस्तुएँ भी प्राप्त होती हैं। १९५४-५५ में वनों से १ करोड़ २८ लाख ७७ हज़ार रुपये के मूल्य का बाँस तथा बेंत; ५५ हज़ार रुपये के मूल्य की रेशे वाली वस्तुएँ, ९०.९९ लाख रुपये के मूल्य का गोंद तथा राल और ५ करोड़ ५३ लाख ५६ हज़ार रुपये के मूल्य की अन्य फुटकर वस्तुएँ प्राप्त हुईं।

विकास योजनाएँ

वन सम्बन्धी योजनाओं के अन्तर्गत जिनके लिए द्वितीय योजना में २४.७३ रुपये की व्यवस्था की गई है, ३.८० लाख एकड़ क्षेत्र में फैले हुए उपेक्षित वनों के फिर से लगाए जाने; ५०,००० एकड़ क्षेत्र में अनुकर्पूर तथा सरपत उगाए जाने और २,००० एकड़ क्षेत्र में औषधि सम्बन्धी जड़ी-बूटियों के पौधे लगाए जाने का उद्देश्य रखा गया है। अन्य ५०,००० एकड़ क्षेत्र में दियासलाई के काम आने वाले लकड़ी के बाग़ान लगाए जाएंगे। इस कार्यक्रम में वनों की सड़कों के विकास, इमारती लकड़ी तैयार करने की वैज्ञानिक विधि अपनाए जाने और वन-संसाधन सम्बन्धी सर्वेक्षण के आयोजन की व्यवस्था की गई है। दक्षिणी क्षेत्र के लिए एक 'वन अनुसन्धान केन्द्र' स्थापित करने की कार्यवाही आरम्भ की गई। इस कार्य के लिए केन्द्र ने मैसूर सरकार की बंगलोर-स्थित 'अनुसन्धान प्रयोगशाला' अपने अधिकार में ले ली।

अन्दमान द्वीपसमूह में वनों से इमारती लकड़ी काटने का काम अब अधिकांशतः आन्तरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही किया जाता है। विदेशों को केवल उतनी ही लकड़ी भेजी गई जितने के लिए पहले करार किए जा चुके थे। १९५८ के प्रथम ९ महीनों में मध्यवर्ती तथा दक्षिणी द्वीपसमूह में सरकार ने और उत्तर द्वीपसमूह में प्राइवेट कम्पनियों ने वनों से क्रमशः लगभग ३८,४१० टन और १०,०७२ टन इमारती लकड़ी प्राप्त की। इसी अवधि में सरकार तथा प्राइवेट कम्पनियों ने क्रमशः २२,३७५ टन तथा १०,५६३ टन इमारती लकड़ी भारत को निर्यात की।

भूमि-संरक्षण

भूमिक्षरण के मुख्य कारणों में वनों का काटा जाना, अधिक चरागाहों का बनाया जाना तथा अनुपयुक्त प्रणाली से कृषि करना आदि बातें आती हैं। भूमि-संरक्षण का सुसंगठित कार्यक्रम प्रथम योजनाकाल में आरम्भ हुआ था। इस कार्य की देखभाल 'केन्द्रीय भूमि

संरक्षण मण्डल' करता है। भूमि-संरक्षण सम्बन्धी समस्याओं की जाँच-पड़ताल करने के लिए देश में ६ 'प्रादेशिक शोध-प्रदर्शन केन्द्र' हैं। तत्सम्बन्धी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में एक चरागाह-विकास-योजना भी सम्मिलित है। द्वितीय योजनाकाल में इस योजना के अन्तर्गत २००-२०० एकड़ के १०० प्रदर्शन खण्ड स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। द्वितीय योजना के प्रथम दो वर्षों में भूमि-संरक्षण सम्बन्धी उपायों से ४.६० लाख एकड़ भूमि की रक्षा की गई। १९५८-५९ में १७१ भूमि-संरक्षण योजनाओं को स्वीकृति प्राप्त हुई जिन पर लगभग ४.५० लाख रुपये व्यय होने की आशा है।

पशुपालन तथा मछलीपालन

पशुपालन-विकास सम्बन्धी सरकारी नीति का उद्देश्य देश में चुनी हुई नस्लों के पशुओं तथा अन्य पशुओं की किस्मों में सुधार करके उनकी दुग्ध-उत्पादन-क्षमता में वृद्धि करना है। इससे बैलों की किस्मों पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ने दिया जाएगा। इस उद्देश्य की केन्द्रग्राम योजना, गोशाला-विकास योजना तथा गोसदन योजना द्वारा पूर्ति करने का लक्ष्य रखा गया है।

१९५१ तथा १९५६ की पंचवर्षीय पशुगणनाओं के अनुसार देश के पशुओं, मुर्गियों आदि तथा कृषि-औजारों की संख्या निम्न तालिका में दिखाई गई है:

तालिका ३२

पशुओं, मुर्गियों तथा कृषि-औजारों की संख्या

	१९५६ की पशुगणना	१९५१ की पशुगणना
क. पशु		
१. गाय-बैल		
(क) ३ वर्ष से अधिक आयु के बैल	६,४९,००,०००	६,१८,००,०००
(ख) ३ वर्ष से अधिक आयु की गाय	४,६६,००,०००	४,६६,००,०००
(ग) बछिया-बछड़े	४,३८,००,०००	४,३५,००,०००
कुल गाय-बैल	१५,८७,००,०००	१५,५२,००,०००
२. भैंस तथा भैंसे		
(क) ३ वर्ष से अधिक आयु के भैंसे	६५,००,०००	६८,००,०००
(ख) ३ वर्ष से अधिक आयु की भैंस	२,२३,००,०००	२,१९,००,०००
(ग) पड़िया-पाड़े	१,६१,००,०००	१,४७,००,०००
कुल भैंस-भैंसे	४,४९,००,०००	४,३४,००,०००
३. भेड़	३,९२,००,०००	३,९०,००,०००
४. बकरे-बकरियाँ	५,५४,००,०००	४,७१,००,०००

तालिका ३२ (क्रमशः)

१	२	३
५. घोड़े तथा टट्टू	१५,००,०००	१५,००,०००
६. अन्य पशु (खच्चर, गधे, ऊँट तथा सूअर)	६८,००,०००	६४,००,०००
कुल पशु	३०,६५,००,०००	२६,२६,००,०००
ख. मुर्गियाँ आदि	९,४७,००,०००	७,३५,००,०००
ग. कृषि-औज़ार		
१. हल		
(क) लकड़ी के	३,६६,१५,०००	३,१८,०९,०००
(ख) लोहे के	१३,६७,०००	९,३०,०००
२. बैलगाड़ियाँ	१,०९,९१,०००	९८ ५४,०००
३. गन्ना पेरने वाले कोल्हू		
(क) विद्युत्चालित	२३,०००	२१,०००
(ख) बैलचालित	५,४५,०००	५,०५,०००
४. तेल से चलने वाले इंजिन		
(सिंचाई के लिए पम्प सहित)	१,२२,०००	८२,०००
५. विद्युत्चालित पम्प (सिंचाई के लिए)	५५,०००	२५,०००
६. ट्रैक्टर (केवल कृषि के लिए)	२१,०००	९,०००
७. घानियाँ		
(क) ५ सेर तथा उससे अधिक की	६६,०००	२,४२,०००
(ख) ५ सेर से कम की	२,१२,०००	२,०४,०००

केन्द्र ग्राम योजना

इस योजना के द्वारा देश के दुधार तथा सूखे (दूध न देने वाले) पशुओं की दुग्ध-उत्पादन-क्षमता में वृद्धि करने का प्रयास किया जाता है। चुने हुए उपयुक्त केन्द्रग्राम केन्द्रों में नियन्त्रित नस्ल-सुधार, उचित चारा तथा प्रबन्धव्यवस्था, रोग-नियन्त्रण और बिक्री आदि की व्यवस्था में सुधार जैसे विभिन्न उपायों द्वारा भरपूर विकास किया जा रहा है। प्रथम योजनाकाल में देश में ५५५ केन्द्रग्राम केन्द्र तथा १४६ कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र स्थापित किए गए। १९५७-५८ में कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों से युक्त ७२ नये केन्द्रग्राम खण्ड, शहरी क्षेत्रों में २३ कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र तथा २३ केन्द्रग्राम विस्तार केन्द्र स्थापित किए गए।

गोसदन योजना

इस योजना का उद्देश्य बूढ़े, पंगु तथा दूध न देने वाले पशुओं को विकासकार्य वाले क्षेत्रों से हटा कर आन्तरिक वन क्षेत्रों में तथा अन्य बेकार भूमि पर स्थापित किए गए गो-

सदनों में उनका भरण-पोषण करना है। इस योजना के अन्तर्गत इन केन्द्रों में मरे पशुओं के चमड़े तथा हड्डियों आदि का वैज्ञानिक तथा आर्थिक दृष्टि से पूरा-पूरा उपयोग किए जाने का भी लक्ष्य रखा गया है। प्रथम योजनाकाल में विभिन्न राज्यों में २५ गोसदन स्थापित किए गए तथा द्वितीय योजनाकाल में ६० गोसदन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। १९५७-५८ के अन्त तक २१ नये गोसदन तथा ५ चर्मालय स्थापित किए गए।

गौशाला-विकास योजना

इस योजना में गौशालाओं के उपलब्ध संसाधनों का पूरा-पूरा उपयोग किए जाने तथा पशु-विकास के सरकारी कार्य में सहायता देने के लिए गौशालाओं की वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्था करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के अन्तर्गत गौशालाओं को वित्तीय तथा प्राविधिक सहायता दी जाती है। १९५७-५८ के अन्त तक १३२ गौशालाओं को सहायता दी गई।

मुर्गीपालन-विकास

देश के खाद्य-पदार्थों के पोषक तत्वों की मात्रा में तथा ग्रामीणों की आय में वृद्धि करने की दृष्टि से मुर्गीपालन का विकास किया जाना महत्वपूर्ण समझा जाता है। द्वितीय योजना-काल में जिसमें मुर्गीपालन के विकास के लिए २.६० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, देश में ५ प्रादेशिक मुर्गीपालन केन्द्र और ३०० प्रदर्शन तथा विस्तार केन्द्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।

दुग्धशाला योजनाएँ

द्वितीय योजना की दुग्धशाला-विकास योजनाओं में ३६ शहरी दुग्ध-उपलब्धि केन्द्र, १२ सहकारी क्रीमघर (क्रीमरीज़) तथा ७ दुग्ध-चूर्ण तैयार करने वाले कारखाने सम्मिलित हैं। १९५८-५९ में दुग्धशाला-विकास-कार्यक्रमों के लिए २.९० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई।

'दिल्ली दुग्ध योजना' के अन्तर्गत केन्द्रीय दुग्धशाला तथा ३ दुग्ध-संग्रह केन्द्रों के लिए भवनों के निर्माण का कार्य लगभग पूरा होने को है। कलकत्ता में नयी दुग्धशाला का निर्माणकार्य जारी है। इस वर्ष 'आरे दुग्ध बस्ती' के विस्तार का कार्य जारी रहा और 'मद्रास दुग्ध योजनाकार्य' के अन्तर्गत पशुओं के लिए भवनों का निर्माणकार्य आरम्भ कर दिया गया। अगरताला, चण्डीगढ़, गया, बंगलोर, शोलापुर, हिसार तथा त्रिवेन्द्रम की दुग्ध-उपलब्धि योजनाओं को कार्यान्वित करने में भी प्रगति हुई। कटक, कोयमुत्तूर, जयपुर, नागपुर, पटना, भोपाल तथा हैदराबाद में भी दुग्ध-वितरण की योजनाओं का कार्य आरम्भ कर दिया गया।

आनन्द-स्थित 'खेड़ा सहकारी दुग्ध संघ' के मक्खन तथा दुग्ध-चूर्ण के उत्पादन में वृद्धि हुई और डिब्बाबन्द दूध तैयार करने का कार्य भी आरम्भ किया गया। मद्रास में

दुग्ध-चूर्ण कारखाने और अलीगढ़, जूनागढ़ तथा बरौनी में क्रीमघरों की स्थापना का कार्य भी आरम्भ हुआ।

मछलीपालन-विकास

द्वितीय योजना में मछलीपालन उद्योग के विकास के लिए निर्धारित किए गए लगभग १२ करोड़ रुपये में से ३.९८ करोड़ रुपये समुद्री तथा अन्तर्देशीय मछलीपालन शोध और प्रौद्योगिकी शोध आदि की केन्द्रीय मछलीपालन योजनाओं के लिए रखे गए थे। मछलीपालन उद्योग के विकास-कार्यक्रमों के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय तथा प्राविधिक सहायता दी जा रही है। १९५७ में लगभग १२.३३ लाख टन मछलियाँ (१९५६ की अपेक्षा २२ प्रतिशत अधिक) पकड़ी गईं। मछलीपालन-विकास-कार्यक्रमों से सम्बन्धित विदेशी विशेषज्ञ इस उद्योग के विकास में सहायता देते रहे।

मछलीपालन-विकास के क्षेत्र में चल रहे कार्यों में समन्वय स्थापित करने तथा देश में शोधकार्य करने के उद्देश्य से एक 'केन्द्रीय मछलीपालन मण्डल' स्थापित किया जा चुका है। इस वर्ष कलकत्ता-स्थित 'केन्द्रीय अन्तर्देशीय मछलीपालन शोध केन्द्र' तथा मण्डपम-स्थित 'केन्द्रीय समुद्रतट मछलीपालन शोध केन्द्र' की शोध सम्बन्धी गतिविधियों का विस्तार किया गया। बम्बई के गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले केन्द्र में भारतीय अधिकारियों को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की विधियों का प्रशिक्षण दिया जाता रहा।

कृषि-मज़दूर

१९५१ की जनगणना के अनुसार भारत के कृषि-मजदूरों की संख्या ४.९० करोड़ थी जो खेती करने वाले कुल व्यक्तियों के लगभग २० प्रतिशत के बराबर थे।

१९५०-५१ में हुई कृषि-मजदूर सम्बन्धी प्रथम जाँच-पड़ताल से पता चला कि ८५ प्रतिशत कृषि-मजदूरों के पास अधिकतर फसल की कटाई तथा जुताई आदि के सम्बन्ध में कुछ ही समय का काम रहता था। कृषि-मजदूरों की प्रति परिवार औसत वार्षिक आय ४४७ रुपये और प्रति व्यक्ति औसत आय १०४ रुपये थी। वर्ष में औसतन केवल २१८ दिन काम के होते थे—१८९ दिन कृषि सम्बन्धी कार्य में और शेष २९ दिन अन्य कार्यों में। इस प्रकार वर्ष में ७ महीने मजदूरी देकर कृषि होती थी। लगभग १५ प्रतिशत कृषि-मजदूर भूस्वामियों के साथ सम्बद्ध थे और वे उनके लिए औसतन ३२६ दिन काम करते थे, जबकि आकस्मिक रूप से कार्य करने वाले कृषि-मजदूरों को वर्ष के २०० दिनों में ही काम रहता था। कृषि-मजदूरोंकी स्थिति में सुधार करने की समस्या दरिद्रता-उन्मूलन की एक मूलभूत समस्या है।

न्यूनतम मज़दूरी

प्रथम योजनाकाल में अजमेर, उड़ीसा, कच्छ, कुर्ग, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश तथा त्रिपुरा में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर दी गई थी। अन्य ७ राज्यों के

कुछ क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जा चुकी है। दूसरी योजना में यह सुझाव रखा गया है कि न्यूनतम मजदूरी सभी राज्यों में तथा सभी क्षेत्रों के लिए निर्धारित कर दी जाए।

कृषि-मज़दूर सम्बन्धी द्वितीय जाच-पड़ताल

कृषि-मजदूर सम्बन्धी द्वितीय अखिल भारतीय जाँच-पड़ताल का कार्य लगभग ३,६०० गाँवों में पूरा हो चुका है। कृषि-मजदूरों के सम्बन्ध में एक व्यापक अखिल भारतीय प्रतिवेदन प्रकाशित होने के पूर्व श्रम तथा नियोजन मन्त्रालय इस सम्बन्ध में एक लघु-पुस्तिका प्रकाशित करेगा।

ग्रामीण उपभोक्ता मूल्य सूचनांक योजना

'राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण निदेशालय' द्वारा चुनी हुई जिन्सों के लिए उपलब्ध कराए गए चालू ग्रामीण खुदरा मूल्यों और प्रथम अखिल भारतीय कृषि-मजदूर जाँच (१९५०-५१) के फलस्वरूप प्राप्त आँकड़ों के आधार पर कृषि मजदूर सम्बन्धी उपभोक्ता मूल्य सूचनांकों के संग्रह का कार्य जारी है।

—:o:—

इक्कीसवाँ अध्याय

भूमि सुधार

प्रथम पंचवर्षीय योजना में निर्धारित की गई राष्ट्रीय भूमि-नीति में यह स्वीकार कर लिया गया कि राष्ट्रीय विकास के कार्यक्रम में भूमि-स्वामित्व तथा कृषि के रूप का बहुत अधिक महत्व है। उस भूमि-व्यवस्था के स्थान पर, जिसमें किसानों का शोषण होता आ रहा था, इस भूमि-नीति में एक ऐसी भूमि-व्यवस्था लागू करने की सिफारिश की गई जिसमें किसान को अपने श्रम का अधिकतम लाभ प्राप्त हो और उसे उत्पादन-क्षमता में वृद्धि करने का पूरा-पूरा प्रोत्साहन मिले। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी इसी बात पर बल दिया गया। योजना में निहित भूमि-नीति के दो उद्देश्य हैं—(१) गाँवों में वर्तमान भूमि-व्यवस्था के कारण कृषि-उत्पादन के मार्ग में आने वाली अड़चनों को दूर करना तथा देश में यथाशीघ्र ऐसी ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था लागू करना जिससे कार्यक्षमता और उत्पादन-क्षमता, दोनों में वृद्धि हो और (२) समानता के सिद्धान्त पर आधारित समाज की रचना करना तथा सामाजिक अयोग्यताओं को दूर करना।

मध्यवर्ती लोगों का उन्मूलन

कानून बनाने तथा मध्यवर्ती लोगों की भूमि हस्तगत कर लेने से सम्बन्धित अधिकांश कार्य तथा मध्यवर्ती लोगों के पूर्ण रूप से उन्मूलन का कार्य लगभग किया जा चुका है। भू-स्वामियों तथा राज्य के बीच सीधा सम्बन्ध स्थापित कर दिया गया है। कृषि-भिन्न भूमि (वह भूमि जिस पर कृषि नहीं की जाती) तथा वन आदि हस्तगत कर लिए गए हैं और उसकी व्यवस्था का काम राज्य अथवा ग्राम पंचायत जैसे स्थानीय संगठन प्रत्यक्ष रूप से करते हैं।

मध्यवर्ती लोगों के उन्मूलन का कार्यक्रम विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न स्थिति में है।

देश में मध्यवर्ती लोगों के उन्मूलन के सम्बन्ध में क्या स्थिति है, यह अगले पृष्ठ की तालिका सं० ३३ में दिखाया गया है।

तालिका ३३

मध्यवर्ती लोगों से सम्बन्धित क्षेत्रफल

	कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत
वह क्षेत्र जो मध्यवर्ती लोगों के अधिकार में था	४३
वह क्षेत्र जहाँ मध्यवर्ती लोगों के उन्मूलन के सम्बन्ध में कानून लागू किए जा चुके हैं	४०
वह क्षेत्र जहाँ मध्यवर्ती लोगों का उन्मूलन किया जा चुका है	३८
वह क्षेत्र जहाँ मध्यवर्ती लोग अभी भी हैं	५

निम्न तालिका में प्रत्येक राज्य के लिए १६५७ के अन्त में देय क्षतिपूर्ति तथा दी जा चुकी राशियाँ दिखाई गई हैं :

तालिका ३४

मध्यवर्ती लोगों के उन्मूलन के लिए देय तथा दी जा चुकी क्षतिपूर्ति

(राज्यों के पुनस्संगठन के पूर्व की स्थिति के अनुसार)

(करोड़ रुपयों में)

	कुल देय क्षतिपूर्ति तथा पुनर्वास-अनुदान (ब्याज सहित)	दी जा चुकी राशि
असम	५.१८	०.०२
आन्ध्र प्रदेश	६.६०	४.५६*
उड़ीसा	१०.५०	०.४७
उत्तर प्रदेश	१७६.००	५६.७३
तिरुवांकुर-कोचीन	०.२०	—
पश्चिम बंगाल	७०.००	१.५६
बम्बई	२०.८६	०.१४
बिहार	२४०.००	३.७०†
मद्रास	४.८१	३.१६
मध्य प्रदेश ‡	२२.१०	६.७८
मैसूर	१.८०	—
राजस्थान (अजमेर सहित)	३५.८८	६.४०
सौराष्ट्र	१०.२०	२.६२
हैदराबाद	१५.१८	६.६४
योग	६२५.२५	६८.८७

* फरवरी, १६५८ तक   † जुलाई, १६५८ तक

‡ भूतपूर्व भोपाल, मध्य भारत तथा विन्ध्य प्रदेश सहित

काश्त सम्बन्धी सुधार

योजना आयोग ने राज्यों से जो काश्त सम्बन्धी सुधार अपनाने की सिफारिश की, उसके मुख्य उद्देश्य हैं : (१) लगान में कमी करना, (२) पट्टे की सुरक्षा के लिए व्यवस्था करना तथा (३) काश्तकारों को स्वामित्व का अधिकार देना। इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों में काफी प्रगति हो चुकी है।

जोतों का सीमा-निर्धारण

प्रथम योजना में जोतों की सीमा निर्धारित करने का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया गया था। इस कार्य के सम्बन्ध में आवश्यक आँकड़ों का संग्रह करने के लिए जोतों तथा कृषि सम्बन्धी गणना करने का सुझाव रखा गया। यह गणना अधिकांश राज्यों में की गई। द्वितीय योजना में इस सिफारिश पर फिर से बल दिया गया है कि जोतों की सीमा 'तीन पारिवारिक जोत' निर्धारित की जाए। इसके अतिरिक्त इसमें यह भी सिफारिश की गई है कि द्वितीय योजनाकाल में प्रत्येक राज्य में वर्तमान जोतों की सीमा निर्धारित कर दी जानी चाहिए।

सीमा-निर्धारण दो प्रकार का होता है : (क) भविष्य के लिए तथा (ख) वर्तमान जोतों का। निम्न राज्यों में भविष्य के लिए निर्धारित की गई जोतों की सीमा का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

असम	मैदानी जिले	५० एकड़
आन्ध्र प्रदेश	तेलंगाना क्षेत्र	१२ से १८० एकड़
उत्तर प्रदेश		१२½ एकड़
जम्मू तथा कश्मीर		२२¾ एकड़
पंजाब		३० स्टैण्डर्ड एकड़
पश्चिम बंगाल		२५ एकड़
बम्बई	बम्बई क्षेत्र (भूतपूर्व)	१२ से ४८ एकड़
	मराठवाडा क्षेत्र	१२ से १८० एकड़
	विदर्भ तथा कच्छ क्षेत्र	३ पारिवारिक जोत (क्षेत्र का निश्चय न्यायाधिकरण करेगा)
	सौराष्ट्र क्षेत्र	६० से १२० एकड़
मध्य प्रदेश	मध्य भारत क्षेत्र	५० एकड़
	राजस्थान क्षेत्र	३० से ६० एकड़ (भूमि की उपज के अनुसार भिन्न-भिन्न)
मैसूर	बम्बई क्षेत्र	१२ से ४८ एकड़
	हैदराबाद क्षेत्र	१२ से १८० एकड़

राजस्थान (अजमेर सहित)		३० सिंचित एकड़ अथवा ६० सूखे एकड़
दिल्ली		३० स्टैण्डर्ड एकड़

निम्न राज्यों में वर्तमान जोतों पर कानून बनाए जा चुके हैं :

असम	मैदानी जिले	५० एकड़
आन्ध्र प्रदेश	तेलंगाना क्षेत्र	१८ से २७० एकड़
जम्मू तथा कश्मीर		२२$\frac{3}{4}$ एकड़
पंजाब	पेप्सू क्षेत्र	३० स्टैण्डर्ड एकड़ (विस्थापित व्यक्तियों के सम्बन्ध में ४० स्टैण्डर्ड एकड़)
पश्चिम बंगाल		२५ एकड़
बम्बई	मराठवाडा क्षेत्र	१८ से २७० एकड़
	विदर्भ तथा कच्छ क्षेत्र	६ पारिवारिक जोत
मैसूर	हैदराबाद क्षेत्र	१८ से २७० एकड़
राजस्थान	अजमेर क्षेत्र	५० एकड़ (मध्यवर्ती लोगों के सम्बन्ध में)
हिमाचल प्रदेश		चम्बा जिले में ३० एकड़ तथा अन्य क्षेत्रों में १२५ रुपये के मूल्य का क्षेत्र

इसके अतिरिक्त असम, आन्ध्र प्रदेश, केरल, जम्मू तथा कश्मीर, पंजाब के पेप्सू क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश तथा मैसूर में कई अन्य प्रकार की व्यवस्थाएँ भी की गई हैं।

जोतों की चकबन्दी

प्रथम तथा द्वितीय, दोनों योजनाओं में जोतों की चकबन्दी की आवश्यकता पर काफी बल दिया गया है। योजना आयोग ने इस बात की सिफारिश की है कि जोतों की चकबन्दी का कार्य सामुदायिक योजनाकार्य-क्षेत्रों में अवश्य किया जाना चाहिए।

प्रथम योजनाकाल में उत्तर प्रदेश में ४४ लाख एकड़ भूमि, पंजाब में ४८ लाख एकड़ भूमि, पेप्सू में १३ लाख एकड़ भूमि, मध्य प्रदेश में २९ लाख एकड़ भूमि तथा बम्बई में २१ लाख एकड़ भूमि में चकबन्दी का कार्य किया गया। द्वितीय योजनाकाल की तत्सम्बन्धी राज्यीय योजनाओं के लिए ४.५० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। विभिन्न राज्यों में जोतों की चकबन्दी के सम्बन्ध में ३१ दिसम्बर, १९५७ तक हुई प्रगति अगले पृष्ठ की तालिका में दिखाई गई है।

तालिका ३५

जोतों की चकबन्दी

राज्य/संघीय क्षेत्र	१९५६-६१ के लिए व्यवस्था (लाख रुपये)	३१.१२.५७ तक हुआ कार्य (एकड़)	३१.१२.५७ को जारी कार्य (एकड़)
असम	१४.२५	—	—
आन्ध्र प्रदेश	२०.५३	—	१,६२,३४१
उड़ीसा	५.००	७३	—
उत्तर प्रदेश	*	१३,६८,५६२	३७,३५,१२६
पंजाब	१७२.००	८५,८०,८७४	५६,१७,४३८
पश्चिम बंगाल	१४.२५	—	—
बम्बई	७६.३६	१२,६५,२७५	११,७६,५४२
बिहार	१८.६७	—	२,५५,८८५
मद्रास	११.५०	—	—
मध्य प्रदेश	५४.२५	२६,६५,४३५	२,१६,६४२
मैसूर	१४.५१	३,८८,३३४	४,५१,११०
राजस्थान	३२.५०	२१,०००	३,६२,११६
दिल्ली	२.८५	२,०१,८३४	—
पाण्डिचेरी	०.२०	—	—
मणिपुर	०.२६	—	—
हिमाचल प्रदेश	६.५०	२१,७६२	२६,१०४

खेतों का बँटवारा तथा टुकड़े होना

भू-सम्पत्ति के उत्तराधिकार सम्बन्धी कानूनों के फलस्वरूप खेतों के बँटवारे से उनके टुकड़े इतने अधिक होते गए कि आज कृषि-उत्पादन बहुत ही गिरी अवस्था में है। भारत सरकार की नीति इस प्रवृत्ति को रोकने की है।

१५ राज्यों में खेतों के बँटवारे को तथा उनके टुकड़े होने से रोकने के लिए कानूनी कार्यवाही की गई। इसके अतिरिक्त भिन्न-भिन्न राज्यों में इस सम्बन्ध में अन्य उपायों पर भी अमल किया गया।

* चकबन्दी का कार्यक्रम योजना में सम्मिलित नहीं था। अब इसे वार्षिक योजनाओं में सम्मिलित किया जा रहा है।

जोत के आँकड़े

२२ राज्यों में कृषि-भूमि तथा जोत सम्बन्धी गणना की जा चुकी है। गणना सम्बन्धी परिणाम बिहार को छोड़कर अन्य सभी राज्यों के सम्बन्ध में उपलब्ध हैं।

सहकारी कृषि

भूमि समस्या को केवल सहकारी ग्राम-व्यवस्था द्वारा ही हल किया जा सकता है जैसा कि प्रथम तथा द्वितीय योजनाओं में बताया गया था। प्रथम योजना में यह कहा गया था कि छोटे तथा मध्यम श्रेणी के किसान सहकारी कृषि के माध्यम से ही बड़े-बड़े खेतों की व्यवस्था कर सकते हैं और तभी भूमि की उत्पादन-क्षमता में वृद्धि करना, कृषि में अधिक पूँजी लगाना तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानों का पूरा-पूरा उपयोग करना सम्भव हो सकेगा। इस अवधि में लगभग सभी राज्यों ने सहकारी कृषि समितियों की स्थापना के लिए सहायक कानून तथा उनकी सहायता के लिए नियम बनाए।

द्वितीय योजनाकाल में सहकारी कृषि के विकास के लिए सुदृढ़ आधार-भूमि तैयार करने के काम को प्रधानता दी गई है।

'राष्ट्रीय विकास परिषद्' की स्थायी समिति ने सितम्बर, १९५७ में सहकारी कृषि के कार्यक्रम पर विचार किया और शेष द्वितीय योजनाकाल में ३,००० खेतों में सहकारी कृषि का परीक्षण करने का निर्णय किया।

दिसम्बर, १९५८ के अन्त में देश में २,०२० सहकारी कृषि समितियाँ थीं।

भूदान

भूदान अथवा स्वैच्छिक भूमिदान आन्दोलन को प्रेरणा देने का श्रेय आचार्य विनोबा भावे को है। आन्दोलन के उद्देश्य के विषय में बतलाते हुए आचार्य विनोबा भावे कहते हैं, "न्याय और समानता के सिद्धान्त पर आधारित समाज में भूमि सबकी होनी चाहिए। इसलिए, हम भूमि की भिक्षा नहीं माँग रहे बल्कि उन गरीबों का हिस्सा माँग रहे हैं जो भूमि प्राप्त करने के सच्चे अधिकारी हैं।" इस आन्दोलन का मुख्य उद्देश्य बिना किसी खून-खराबी के देश में सामाजिक और आर्थिक दुर्व्यवस्था को दूर करना है।

व्यावहारिक रूप में भूदान आन्दोलन का अर्थ, लोगों से भूमिहीन व्यक्तियों में बाँटने के लिए उनकी अपनी भूमि के $\frac{1}{6}$ भाग का स्वेच्छा से दान करने का अनुरोध करना है। कृषि-भिन्न क्षेत्रों में यह आन्दोलन सम्पत्तिदान, बुद्धिदान, जीवनदान, साधनदान तथा गृहदान का रूप ले लेता है।

यह आन्दोलन जो छोटे रूप में १८ अप्रैल, १९५१ को आरम्भ हुआ था, अब सम्पूर्ण देश में फैला हुआ है। इस आन्दोलन का लक्ष्य ५ करोड़ एकड़ भूमि प्राप्त करने का है जिससे प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कृषि के लिए पर्याप्त भूमि प्राप्त हो सके। इसने अब ग्रामदान का व्यापक रूप ग्रहण कर लिया है।

द्वितीय योजना में यह स्वीकार किया गया है कि ग्रामदान वाले गाँवों के विकास के सम्बन्ध में प्राप्त व्यावहारिक सफलता सहकारी ग्राम-विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगी। 'अखिल भारत सर्व सेवा संघ' द्वारा सितम्बर, १९५७ में यलवाल (मैसूर राज्य) में आयोजित एक सम्मेलन में इस बात पर बल दिया गया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा ग्रामदान आन्दोलन के बीच निकटतम सम्बन्ध स्थापित किया जाए। सामुदायिक विकास मन्त्रालय के तत्सम्बन्धी कर्मचारियों ने इस विषय पर विचार किया और मई, १९५८ में माउण्ट आबू में हुए विकास आयुक्त सम्मेलन में इस पर और अधिक विचार किए जाने के बाद भूदान और ग्रामदान के बीच निकटतर सम्बन्ध स्थापित करने का निर्णय किया गया। सामुदायिक विकास खण्ड स्थापित करने और सामुदायिक विकास के अन्य नये कार्य आरम्भ करने के सम्बन्ध में सबसे पहले ग्रामदान वाले गाँवों में कार्य आरम्भ किया जाएगा।

भूदान के लिए भूमि दान में दिए जाने तथा उसके वितरण को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बम्बई (सौराष्ट्र), बिहार, मद्रास, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली तथा हिमाचल प्रदेश में आवश्यक कानून बनाए जा चुके हैं। बम्बई में प्रशासन सम्बन्धी आदेश जारी किए जा चुके हैं।

१९५७–५८ में आन्ध्र प्रदेश, पंजाब, बम्बई (विदर्भ और सौराष्ट्र), बिहार, मध्य प्रदेश (मध्य प्रदेश, मध्य भारत तथा भोपाल), राजस्थान तथा हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने भूदान में क्रमशः ३,००० रुपये ; ५,००० रुपये ; ३६,९०० रुपये ; १,८६,००० रुपये ; ५०,००० रुपये ; ३०,००० रुपये ; ५,००० रुपये की वित्तीय सहायता दी।

भारत सरकार ने १९५६-५७ तथा १९५७-५८ में क्रमशः ११.९२ लाख रुपये तथा १० लाख रुपये के लिए स्वीकृति दी। भारत सरकार 'अखिल भारत सर्व सेवा संघ' द्वारा तैयार की गई एक योजना के लिए भी ६८ लाख रुपये देगी। १९५७-५८ में २.५० लाख रुपये के व्यय से भूदान वाली भूमि पर सहकारी ढंग से भूमिहीन मज़दूरों को फिर से बसाने की एक योजना को भी स्वीकृति दी गई।

जून, १९५८ तक भूदान आन्दोलन के अन्तर्गत प्राप्त भूमि तथा उसके वितरण का प्रदेशवार ब्यौरा अगले पृष्ठ पर तालिका सं० ३६ में दिया हुआ है।

जनवरी, १९५७ से ग्रामदान पर ही अधिक बल दिया जाने लगा है। ३१ दिसम्बर, १९५८ तक ग्रामदान आन्दोलन के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में कुल मिलाकर ४,५७० गाँव दान में प्राप्त हुए। दिसम्बर, १९५६ के अन्त तक सम्पत्तिदान में १४,४२,१६० रुपये प्राप्त हुए। १९५८ में ५५,४६८ रुपये का सम्पत्तिदान मिला। इसके अतिरिक्त दान पत्रों के रूप में ५९,४९२ रुपये तथा साधनदान के रूप में अन्य १९,००० रुपये प्राप्त हुए।

तालिका ३६

भूदान में प्राप्त भूमि तथा उसका वितरण

राज्य अथवा प्रदेश	दान में प्राप्त भूमि (एकड़)	वितरित की गई भूमि (एकड़)
असम	२३,१९६	२२५
आन्ध्र प्रदेश	२,४१,९५०	८३,०९०
उड़ीसा	४,२४,६३५	१,११,७८५
उत्तर प्रदेश	५,८७,६३०	७७,७५८
केरल	२६,०२१	२,१२६
दिल्ली	३९६	१५७
पंजाब	१९,९२९	५,६५३
पश्चिम बंगाल	१२,६८१	३,४६३
बम्बई		
(१) गुजरात	४७,४८६	११,५२७
(२) महाराष्ट्र	६४,३६०	१०,५६१
(३) विदर्भ	८६,७७८	४५,०००
(४) सौराष्ट्र	३१,२३७	८,१८५
बिहार	२१,१३,९३८	२,८६,२८६
मद्रास	७०,८२३	२,३४९
मध्य प्रदेश	१,७८,८१६	६२,४५०
मैसूर	१९,९७३	२,५२७
राजस्थान	४,२६,४८८	६९,३६२
हिमाचल प्रदेश	१,५६८	२१
योग	४४,००,९०५	७,८२,५२५

—:०:—

बाइसवाँ अध्याय

सहकारी आन्दोलन

सहकारिता के विचार ने भारत में ठोस रूप सबसे पहले उस समय ग्रहण किया जब ग्रामीणों को ऋण-भार से मुक्ति दिलाने तथा ऋण समितियों की स्थापना करने के लिए १६०४ में 'सहकारी ऋण समितियाँ अधिनियम' पारित हुआ। गैर ऋण समितियों की रचना के लिए १६१२ में एक दूसरा अधिनियम पास किया गया। दूसरी प्रकार की समितियों का काम गाँव के उत्पादन, क्रय-विक्रय, बीमा तथा आवास आदि की व्यवस्था करना था। भारत सरकार द्वारा १६१४ में नियुक्त मैकलेगन समिति ने सहकारी आन्दोलन में अधिक से अधिक गैर-सरकारी सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया।

१६१६ के अधिनियम के अनुसार यद्यपि सहकारिता को प्रान्तीय सरकार का विषय बना दिया गया, तथापि भारत सरकार इस आन्दोलन के विकास में रुचि लेती रही और १६३५ में रिजर्व बैंक में एक 'कृषि ऋण विभाग' खोला गया। १६४५ में नियुक्त 'सहकारी योजना समिति' ने यह सिफारिश की कि प्राथमिक समितियों को बहूद्देश्यीय समितियों में बदल दिया जाए। इसने एक सुझाव यह भी रखा कि रिजर्व बैंक सहकारी समितियों ने को अधिक सहायता दे।

१६५१ में रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त एक निर्देशन समिति ने देश की ग्रामीण ऋण-व्यवस्था का सविस्तर सर्वेक्षण किया और दिसम्बर, १६५४ में अपना प्रतिवेदन प्रकाशित किया। सर्वेक्षण से पता चला कि सहकारी समितियों से किसानों को केवल तीन प्रतिशत ही ऋण मिला। सरकार की ओर से भी लगभग इतना ही ऋण दिया गया। समिति ने ग्रामीण-ऋण सम्बन्धी एक संगठित योजना सुझाई। इस योजना की मुख्य विशेषताएँ ये हैं कि सरकार सभी प्रकार की सहकारी संस्थाओं में भाग ले, ऋण सम्बन्धी तथा अन्य आर्थिक कार्यों के बीच पूर्ण समन्वय स्थापित किया जाए, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का विकास किया जाए, गोदामों आदि की व्यवस्था की जाए तथा सभी प्रकार के सहकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण की सुविधाओं की व्यवस्था हो। समिति ने इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण के लिए भी सिफारिश की जिससे वह अपनी शाखाओं के माध्यम से सहकारी तथा अन्य बैंकों को भुगतान आदि की अधिक सुविधाएँ दे सके। 'रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया अधिनियम' में उपयुक्त संशोधन करने तथा केन्द्र में एक 'राष्ट्रीय सहकारी विकास तथा गोदाम मण्डल' स्थापित करने की भी सिफारिश की गई।

मई, १६५५ में 'रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया अधिनियम' में किए गए एक संशोधन के अनुसार फरवरी, १६५६ में १० करोड़ रुपये के प्रारम्भिक योगदान से स्थापित 'राष्ट्रीय

कृषि-ऋण (दीर्घकालीन कार्य) निधि' में १९५५-५६, १९५६-५७ तथा १९५७-५८ में प्रति वर्ष ५ करोड़ रुपये का और विनयोग किया गया। इसी समय १ करोड़ रुपये के प्रारम्भिक विनियोग के साथ १९५५-५६ में स्थापित 'राष्ट्रीय कृषि-ऋण (स्थिरीकरण) निधि' में १९५६-५७ तथा १९५७-५८ में १ करोड़ रुपये और सम्मिलित कर दिए गए। रिज़र्व बैंक की 'दीर्घकालीन कार्य निधि' से १४ राज्य सरकारों के लिए स्वीकृत ६.०४ करोड़ रुपये के ऋणों में से जून, १९५८ के अन्त तक १३ राज्य सरकारों को ५.८३ करोड़ रुपये के ऋण प्राप्त हुए। 'स्थिरीकरण निधि' से अभी तक कुछ भी ऋण नहीं दिया गया है।

१ अगस्त, १९५६ से लागू हुए 'कृषि-उत्पादन (विकास तथा गोदाम) निगम अधिनियम के अन्तर्गत' १ सितम्बर, १९५६ को एक 'राष्ट्रीय सहकारी विकास तथा गोदाम मण्डल' स्थापित कर दिया गया।

'कृषि उत्पादन (विकास तथा गोदाम) निगम अधिनियम' में एक केन्द्रीय गोदाम निगम तथा प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यीय गोदाम निगम स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से केन्द्रीय गोदाम निगम १० करोड़ रुपये की जारी हिस्सा पूँजी से स्थापित किया जा चुका है और इसकी ओर से ९ गोदामों की व्यवस्था की जा चुकी है। ११ राज्यीय गोदाम निगम भी स्थापित किए जा चुके हैं जिनके गोदामों की व्यवस्था की जा रही है।

संसद् के एक अधिनियम के अनुसार इम्पीरियल बैंक पर सरकार द्वारा अधिकार कर लिए जाने के फलस्वरूप १ जुलाई, १९५५ को भारत के सरकारी बैंक (स्टेट बैंक) की स्थापना हुई। सरकारी बैंक ने नवम्बर, १९५८ के अन्त तक देश में अपनी २४४ शाखाएँ स्थापित कर लीं।

रिज़र्व बैंक तथा भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित 'केन्द्रीय सहकारी प्रशिक्षण समिति' ने सभी प्रकार के सहकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण की एक सविस्तर योजना तैयार कर ली है। सहकारी विभागों के उच्च अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए पूना में एक 'अखिल भारतीय सहकारी प्रशिक्षण कालेज' स्थापित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त अन्य कई प्रशिक्षण केन्द्र और भी हैं: मध्यवर्ती कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए ५ प्रादेशिक प्रशिक्षण केन्द्र तथा सामुदायिक विकास खण्डों में काम करने वाले सहकारिता अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए ८ संस्थान। एक प्रादेशिक प्रशिक्षण केन्द्र में भूमि के बन्धक रखे जाने से सम्बन्धित बैंकिंग के विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था की गई है।

'ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति' की सिफारिशों के अनुसार द्वितीय योजनाकाल के लिए सहकारी विकास का एक संगठित कार्यक्रम तैयार किया जा चुका है। १९६०-६१ के अन्त तक किसानों को १.५० अर्ब रुपये का अल्पकालीन सहकारी ऋण, ५० करोड़ रुपये का मध्यमकालीन ऋण तथा २५ करोड़ रुपये का दीर्घकालीन ऋण देने का लक्ष्य रखा गया है। १०,४०० बड़ी समितियों; १,८०० प्राथमिक हाट-व्यवस्था समितियों; ३५ सहकारी चीनी कारखानों; ४८ सहकारी कपास-ओटाई मिलों तथा ११८ अन्य सहकारी समितियों के संगठन के लिए भी व्यवस्था की गई है। केन्द्रीय तथा राज्यीय गोदाम निगमों द्वारा ३५० गोदामों,

हाट-व्यवस्था समितियों के लिए १,५०० गोदामों तथा बड़ी प्राथमिक कृषि-ऋण समितियों के लिए ४,००० गोदामों के निर्माण की व्यवस्था की गई है।

१९५७-५८ में राज्यीय सहकारी बैंकों के लिए ४८.२४ करोड़ रुपये के ऋणों को स्वीकृति दी गई। १९५७-५८ के अन्त में ४०.४७ करोड़ रुपये उधार लिए जा चुके थे। बुनकर सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता देने के लिए ८ राज्यीय सहकारी बैंकों को इस वर्ष २ करोड़ ५ लाख ७८ हजार रुपये का ऋण देना स्वीकार किया गया। सहकारी चीनी कारखानों की चालू पूँजी सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ३ करोड़ रुपये के ऋणों को स्वीकृति दी गई। १२ राज्यीय सहकारी बैंकों को ७.७२ रुपये का मध्यमकालीन ऋण देना भी स्वीकार किया गया।

सहकारिता का रूप

सहकारी आन्दोलन सामान्यतः ३ हिस्सों में बँटा हुआ है जिसके अनुसार राज्यों में शीर्ष समितियाँ, जिलों में केन्द्रीय समितियाँ तथा ग्रामों में प्राथमिक समितियाँ स्थापित की जाती हैं।

५ व्यक्तियों के एक औसत भारतीय परिवार को आधार मान कर साधारणतः यह अनुमान लगाया जा सकता है कि १९५६-५७ के अन्त तक ९.६९ करोड़ व्यक्तियों अथवा २५ प्रतिशत भारतीय जनता को सहकारिता का लाभ मिलने लगा था।

१९५६-५७ में देश में कुल २,४४,७६९ सहकारी समितियाँ थीं जिनमें से प्राथमिक समितियों के सदस्यों की संख्या १,९३,७३,३४९ थी और उनकी चालू पूँजी कुल मिलाकर ५ अर्ब ६७ करोड़ ६७ लाख रुपये की थी।

१९५६-५७ में सहकारी समितियों को ८ करोड़ ५८ लाख ३८ हजार रुपये का कुल लाभ हुआ जिसका ब्यौरा निम्न तालिका में दिखाया गया है :

तालिका ३७
सहकारी समितियों को हुआ लाभ

	(रुपये)
राज्यीय तथा केन्द्रीय बैंक	१,५५,२६,०००
राज्यीय तथा केन्द्रीय गैर-ऋण समितियाँ	१,५०,३३,०००
प्राथमिक कृषि-ऋण समितियाँ	१८९,८०,०००
अनाज बैंक	१५,६१,०००
प्राथमिक कृषि गैर-ऋण समितियाँ	७४,९८,०००
प्राथमिक कृषि-भिन्न ऋण समितियाँ	१,८८,२७,०००
प्राथमिक कृषि-भिन्न गैर-ऋण समितियाँ	६५,८५,०००
भूमि बन्धक बैंक	१८,२८,०००
योग	८,५८,३८,०००

प्राथमिक समितियाँ

जून, १९५७ के अन्त में सभी प्रकार की २,४४,७६९ सहकारी समितियों में से २,४०,६०४ प्राथमिक समितियाँ थीं। १९५६-५७ में विभिन्न प्रकार की प्राथमिक समितियां तथा उनके सदस्यों की संख्या इस प्रकार थी :

तालिका ३८

प्राथमिक समितियों तथा उनके सदस्यों की संख्या

	समितियाँ	सदस्य
कृषि		
ऋण समितियाँ	१,६१,५१०	९१,१६,८४६
अनाज बैंक	८,१९१	७,६२,२५९
ऋण समितियाँ	३१,९०५	२७,५७,९११
प्राथमिक भूमि बन्धक बैंक	३२६	३,३३,५८६
कृषि-भिन्न		
ऋण समितियाँ	१०,१५०	३२,३८,७२७
गैर-ऋण समितियाँ	२८,५१६	३१,५६,१५३
बीमा समितियाँ	६	७,८६७
योग	२,४०,६०४	१,९३,७३,३४९

१९५६-५७ में प्राथमिक सहकारी समितियों ने ४ अर्ब ६७ करोड़ ७० लाख रुपये के ऋणों का लेन-देन किया।

कृषि ऋण समितियाँ

जून, १९५७ के अन्त में कृषि ऋण समितियों की चालू पूँजी ९८.३० करोड़ रुपये की थी, ७६.८२ करोड़ रुपये के अदत्त ऋण तथा १६.८२ करोड़ रुपये के पिछले ऋण थे। जून, १९५७ के अन्त तक ६७.३३ करोड़ रुपये के ऋण दिए गए। इसी समय तक इन समितियों को केन्द्रीय वित्तीय अभिकरणों तथा सरकार से ५६.९४ करोड़ रुपये के ऋण प्राप्त हुए और जून, १९५७ के अन्त में इनकी निधियों में ३३.३१ करोड़ रुपये तथा इनके निक्षेप ८.०५ करोड़ रुपये के थे।

ब्याज की दरें ऊँची ही रहीं, यहाँ तक कि कुछ मामलों में १२½ प्रतिशत अथवा २१ प्रतिशत। जिन राज्यों में सहकारी आन्दोलन भलीभाँति विकसित हो चुका था, उनमें ब्याज की दरें सामान्यतः ४ से १२ प्रतिशत तक रहीं।

कृषि गैर-ऋण समितियाँ

ये समितियाँ बीज, खाद तथा मशीनी औज़ार जैसी वस्तुएँ खरीदने के कृषि सम्बन्धी कार्य करती हैं। विभिन्न प्रकार की कृषि गैर-ऋण समितियों तथा उनके सदस्यों की संख्या निम्न तालिका में दिखाई गई है :

तालिका ३९

कृषि गैर-ऋण समितियाँ (१९५६-५७)

	समिति-संख्या	सदस्य-संख्या
क्रय तथा विक्रय	३,१४३	६,६६,५७५
उत्पादन तथा विक्रय		
(क) हाट व्यवस्था	९,७३१	७,५१,३२९
(ख) अन्य	५,२६१	६,६०,०१४
उत्पादन	७,९८७	४,६४,२०२
समाज सेवाएँ	५,२४३	१,९८,७४६
आवास	५४०	१७,०४५

कृषि-भिन्न ऋण समितियाँ

इन समितियों में कर्मचारी ऋण समितियाँ तथा शहरी बैंक भी सम्मिलित हैं। १९५६-५७ के अन्त में इनके निक्षेप ६४.५९ करोड़ रुपये (चालू पूँजी के ६४.३१ प्रतिशत) के थे। इस वर्ष ३.०२ करोड़ रुपये का सामान प्राप्त हुआ तथा ३.५६ करोड़ रुपये की बिक्री हुई। इनमें से कुछ समितियों ने गैर-ऋण कारोबार भी किया। १९५६–५७ में इन समितियों ने २ अर्ब ३७ करोड़ ३१ लाख रुपये के ऋणों का लेन-देन किया, २१.७० करोड़ रुपये का विनियोग किया, इनकी चुकता पूँजी २०.८४ करोड़ रुपये की थी, इनकी सुरक्षित निधि में ५.५६ करोड़ रुपये थे और इनके पास नकद तथा बैंकों में ८.२४ करोड़ रुपये थे।

कृषि-भिन्न गैर-ऋण समितिया

ऐसी विभिन्न प्रकार की समितियों तथा उनके सदस्यों की संख्या अगले पृष्ठ पर तालिका सं० ४० में दिखाई गई है।

प्राथमिक भूमि-बन्धक बैंक

१९५६-५७ के अन्त में देश में ३२६ प्राथमिक भूमि-बन्धक बैंक थे जिनके सदस्यों की संख्या ३,३३,५८६ थी। इन बैंकों ने २.०५ करोड़ रुपये के ऋण दिए तथा इनकी चालू

पूंजी १२.७० करोड़ रुपये की थी। ऋण लेने वालों से ५½ से १० प्रतिशत तक ब्याज लिया गया।

तालिका ४०
कृषि-भिन्न गैर-ऋण समितियाँ (१९५६–५७)

	समिति-संख्या	सदस्य-संख्या
क्रय तथा विक्रय	५,७१९	११,१०,६६०
उत्पादन तथा विक्रय	१२,३५३	१२,४१,९२२
उत्पादन	४,४७२	४,४४,२२२
समाज सेवाएँ	२,८६१	१,५२,४२७
आवास	३,०८१	२,०६,६२२
बीमा	६	७,८६७

केन्द्रीय समितियाँ

केन्द्रीय समितियाँ दो प्रकार की होती हैं : (१) केन्द्रीय बैंक तथा बैंक संघ, और (२) केन्द्रीय गैर-ऋण समितियाँ।

केन्द्रीय बैंक तथा बैंक संघ

केन्द्रीय सहकारी बैंकों का मुख्य कार्य उनसे सम्बद्ध बैंकों के बीच सन्तुलन स्थापित करना तथा प्राथमिक समितियों के लिए धन उपलब्ध कराना है। १९५६–५७ में देश में ४५१ केन्द्रीय बैंक तथा बैंक संघ थे जिनके सदस्यों की संख्या ३,१०,५५५ थी। इन्होंने १ अर्ब ८० लाख रुपये के ऋण दिए तथा इनकी चालू पूँजी १ अर्ब १० करोड़ २६ लाख रुपये की थी। इनकी चुकता पूँजी तथा सुरक्षित राशियाँ क्रमशः ११.११ करोड़ रुपये तथा ७.३४ करोड़ रुपये की थीं।

१९५६–५७ के अन्त में केन्द्रीय सहकारी बैंकों ने २९.०५ करोड़ रुपये का विनियोग कर रखा था जिसमें से १५.६५ करोड़ रुपये सरकारी तथा अन्य न्यासी सिक्योरिटियों में लगे हुए थे।

केन्द्रीय गैर-ऋण समितियाँ

विभिन्न प्रकार की केन्द्रीय गैर-ऋण समितियों तथा उनके सदस्यों की संख्या अगले पृष्ठ की तालिका सं० ४१ में दी हुई है :

तालिका ४१

केन्द्रीय गैर-ऋण समितियाँ (१९५६–५७)

	समिति–संख्या	सदस्य संख्या	
		व्यक्ति	समितियाँ
हाट व्यवस्था संघ	२,३३६	१९,६६,६७२	४०,८३४
थोक माल तथा उपलब्धि संघ	१९६	२८,५८३	१८,८१२
औद्योगिक संघ	११२	११,९१४	४,६५७
आवास समितियाँ	२	—	१४०
दुग्ध संघ	६९	९,७२०	१,३०८
अन्य	२३२	३१,९८९	८,२७३

शीर्ष-समितियाँ

शीर्ष समितियाँ उनसे सम्बद्ध जिलों की समितियों के सन्तुलन-केन्द्रों के रूप में कार्य करती हैं। ये समितियाँ तीन प्रकार की होती हैं: (१) राज्यीय बैंक, (२) राज्यीय गैर-ऋण समितियाँ तथा (३) केन्द्रीय भूमि-बन्धक बैंक।

राज्यीय सहकारी बैंक

१९५६–५७ में देश में २३ राज्यीय सहकारी बैंक थे जिनके सदस्य ३३,४४० तथा जिनकी चालू पूँजी ७९.५४ करोड़ रुपये की थी। इन बैंकों ने १९.९६ करोड़ रुपये का विनियोग किया हुआ था तथा इनके पास नकद अन्य बैंकों में ८.६१ करोड़ रुपये थे।

राज्यीय गैर-ऋण समितियाँ

राज्यीय गैर-ऋण समितियों तथा उनके सदस्यों की संख्या अगले पृष्ठ पर तालिका सं० ४२ में दी हुई है।

केन्द्रीय भूमि-बन्धक बैंक

केन्द्रीय भूमि-बन्धक बैंक जो किसानों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराने के मुख्य स्रोत हैं, अपने लिए मुख्यतः ऋण-पत्र जारी करके ही धन की व्यवस्था करते हैं। १२ बैंकों (सदस्य संख्या १,१६,५६१) में से केवल ३ बैंकों—(१) सौराष्ट्र केन्द्रीय सहकारी भूमि-बन्धक बैंक, (२) उड़ीसा प्रान्तीय सहकारी भूमि-बन्धक बैंक तथा (३) मद्रास सहकारी भूमि-बन्धक बैंक ने १९५६-५७ में क्रमशः १.५० करोड़ रुपये, १० लाख रुपये तथा ५०

तालिका ४२

राज्यीय गैर-ऋण समितियाँ (१९५६–५७)

	समिति-संख्या	सदस्य–संख्या	
		व्यक्ति	समितियाँ
हाट-व्यवस्था संघ	१३	२,०५१	१,८९९
थोक माल तथा उपलब्धि संघ	७	१,५०३	३४०
औद्योगिक संघ	२२	१,४३९	३,७३५
आवास समितियाँ	४	६०	३१३
अन्य	१०	२,८१६	१,४८८

लाख रुपये के ऋण-पत्र जारी किए। रिज़र्व बैंक ने उड़ीसा प्रान्तीय सहकारी भूमि-बन्धक बैंक के ऋण-पत्रों में १.५० लाख रुपये का योगदान दिया। १९५६-५७ के अन्त में १६.६५ करोड़ रुपये के ऋण-पत्र जारी थे।

अन्य संस्थाएँ

निरीक्षण संघ

१९५६-५७ में देश में ६५० निरीक्षण संघ थे जिनसे ३१,१३६ समितियाँ सम्बद्ध थीं। इन समितियों की सदस्य-संख्या ३३,०१,५१० तथा इनकी चालू पूँजी १ अर्ब २१ करोड़ ८१ लाख रुपये की थी।

राज्यीय संघ तथा राज्यीय संस्थाएँ

जून, १९५७ के अन्त में देश में ऐसे २६ संघ थे जिनसे ३८,६७७ प्राथमिक तथा ४९५ केन्द्रीय समितियाँ सम्बद्ध थीं और इनके १,२९९ व्यक्ति सदस्य थे। इनको ४७.७० लाख रुपये की कुल आय हुई तथा इन्होंने कुल ४५.२५ लाख रुपये व्यय किए।

बीमा समितियाँ

४ अग्नि तथा सामान्य बीमा सहकारी समितियों ने ३९.२० करोड़ रुपये के अग्नि बीमा, ७.०३ करोड़ रुपये का गोदामों तथा भवनों के बीमा, ३.४५ करोड़ रुपये का कपास मिलों के बीमा तथा ६.५३ करोड़ रुपये का कारखानों के बीमा का कारोबार किया।

२ सहकारी मोटर बीमा समितियों ने १९५६-५७ में १,८९२ बीमापत्र जारी किए।

भंग की जाने वाली समितियाँ

१९५६-५७ के आरम्भ में १३,३७२ सहकारी समितियाँ भंग की जानी थीं, जबकि इस वर्ष २,२५८ समितियाँ भंग की गईं। १९५६-५७ में सम्पत्तियों से ६४.४६ लाख रुपये वसूल किए गए तथा ४९.३७ लाख रुपये की देनदारियों का भुगतान किया गया।

—:०:—

तेइसवाँ अध्याय

सिंचाई तथा विद्युत्

सिंचाई

भारत के जल-संसाधन अस्थायी रूप से १ अर्ब ३५ करोड़ ६० लाख एकड़-फुट होने का अनुमान लगाया गया है, जिसमें से लगभग ४५ करोड़ एकड़-फुट का ही उपयोग किया जा सकता है। १९५१ तक सिंचाई के लिए नदियों के ८.८० करोड़ एकड़-फुट पानी (कुल जल-संसाधन का ६.५ प्रतिशत अथवा उपयोग में लाए जा सकने वाले पानी का १९.५ प्रतिशत) का ही उपयोग किया गया।

नदियों के बहाव को सिंचाई की नहरों में मोड़ देने की सम्भावनाएँ अब लगभग समाप्त हो चुकी हैं। इसलिए, सिंचाई के भावी विकास की योजनाओं का उद्देश्य वर्षाभाव वाले दिनों में उपयोग के लिए वर्षा के दिनों में नदियों में बहने वाले अतिरिक्त जल का संग्रह करना है। जिन क्षेत्रों में नदियों अथवा नहरों से सिंचाई नहीं हो सकती, उन क्षेत्रों में तालाबों तथा कुओं के निर्माण की और पानी ऊपर उठाकर सिंचाई के साधनों की व्यवस्था की गई है।

१९२७ में स्थापित 'केन्द्रीय सिंचाई तथा विद्युत् मण्डल' देश में सिंचाई तथा विद्युत् के क्षेत्र में आधारभूत शोधकार्य आरम्भ करने तथा विभिन्न भागों में स्थापित १९ शोध केन्द्रों के कामों में समन्वय स्थापित करने के लिए उत्तरदायी है।

'केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग' पर राज्य सरकारों के परामर्श से बाढ़-नियन्त्रण, सिंचाई, नौकानयन तथा जलविद्युत्-उत्पादन के लिए सम्पूर्ण देश के जल-संसाधनों के नियन्त्रण, उपयोग तथा संरक्षण की योजनाओं के सम्बन्ध में पहल करने, उनमें समन्वय स्थापित करने तथा उन्हें आगे बढ़ाने का उत्तरदायित्व डाला गया है। इस आयोग के ३ विभाग हैं: जल विभाग, विद्युत् विभाग तथा बाढ़ विभाग।

बाढ़-नियन्त्रण

१९५४ की वर्षा ऋतु में निरन्तर अभूतपूर्व बाढ़ आते रहने से उत्पन्न विषम स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने सितम्बर, १९५४ में बाढ़-नियन्त्रण का एक सविस्तर कार्यक्रम तैयार किया। तीन भागों में बाँटे गए इस कार्यक्रम के प्रथम दो वर्षों में मुख्यतः जाँच-पड़ताल तथा आँकड़ों के संग्रह का कार्य किया गया। बाद के चार अथवा पाँच वर्षों में तटबन्धों तथा नाले-नालियों के सुधार जैसे बाढ़-सुरक्षा सम्बन्धी उपाय किए जा रहे हैं।

'केन्द्रीय बाढ़-नियन्त्रण मण्डल' के अतिरिक्त १२ राज्यों में भी बाढ़-नियन्त्रण मण्डल हैं जिनको सलाहकार समितियाँ प्राविधिक मामलों में सहायता देती है। केन्द्रीय मण्डल की सहायता के लिए केन्द्र ने ४ 'नदी आयोग (बाढ़)' भी स्थापित कर दिए हैं। 'केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग' में एक बाढ़ विभाग और सम्मिलित कर दिया गया है। केन्द्रीय मण्डल ६० योजनाओं के लिए स्वीकृति दे चुका है जिनमें से प्रत्येक योजना १० लाख रुपये अथवा उससे अधिक व्यय किए जाने का अनुमान लगाया गया है। विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों में भी अन्य ५०९ योजनाएँ स्वीकृत की जा चुकी हैं जिनमें से प्रत्येक पर १० लाख रुपये से कम व्यय किए जाने का अनुमान लगाया गया है। १२.४५ करोड़ रु० की अनुमानित लागत की २४९ अन्य योजनाएँ विचाराधीन हैं।

उत्तर प्रदेश के बाढ़ग्राही क्षेत्रों में ४,२०० से अधिक गाँवों की सतह ऊँची कर दी गई है और बाढ़-नियन्त्रण कार्यक्रम आरम्भ होने के समय से अब तक कई राज्यों में कुल मिला कर २,४४३ मील लम्बे तटबन्धों का निर्माण किया जा चुका है।

बाढ़ समस्या को हल करने में परामर्श देने के लिए अप्रैल, १९५७ में भारत सरकार द्वारा नियुक्त 'उच्चस्तरीय बाढ़ समिति' ने नवम्बर, १९५८ में अपना दूसरा तथा अन्तिम प्रतिवेदन दे दिया। दिसम्बर, १९५७ में समर्पित प्रथम प्रतिवेदन की सिफारिशें मई, १९५८ में 'केन्द्रीय बाढ़ नियन्त्रण मण्डल' द्वारा स्वीकार कर ली गई थीं।

अन्तर्देशीय नौकानयन

अब तक जिन बहूद्देश्यीय योजनाओं का निर्माणकार्य समाप्त हो चुका है अथवा जिनका निर्माण जारी है, उनके कुछ उद्देश्यों में से एक उद्देश्य अन्तर्देशीय नौकानयन की सुविधाएँ प्रदान करने का भी है। 'दामोदर घाटी निगम' ने नौकानयन के योग्य ८५ मील लम्बी नहर बनाने का लक्ष्य रखा है। हीराकुड बाँध योजनाकार्य का कार्य पूरा होने पर धौलपुर से कटक तक अन्तर्देशीय नौकानयन की सुविधाएँ प्राप्त होने की सम्भावना है। तुंगभद्रा योजनाकार्य में आन्ध्र प्रदेश की ओर एक नौकानयन-सिंचाई नहर के निर्माण का भी लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान नहर में भी नौकानयन की व्यवस्था करने का सुझाव विचाराधीन है।

विद्युत्

बीसवीं शताब्दी के दूसरे दशक के मध्य तक विद्युत्-उत्पादन में बहुत ही कम प्रगति हुई। मार्च, १९५८ में सार्वजनिक उपयोग के विद्युत् संयन्त्रों की प्रस्थापित क्षमता ३२,२३,१११ किलोवाट थी। इसी अवधि में विद्युत्-उत्पादन भी बढ़कर ११ अर्ब ३२ करोड़ १९ लाख किलोवाट हो गया।

संसाधन

भारत का वार्षिक प्रति व्यक्ति विद्युत्-उत्पादन केवल ३५ किलोवाट घण्टे है, जबकि नार्वे; कनाडा; ब्रिटेन; रूस तथा जापान का प्रति व्यक्ति विद्युत्-उत्पादन क्रमशः ७,२५०; ५,४५०; २,०००; ९६० तथा ८५० किलोवाट घण्टे है।

पश्चिम की ओर बहने वाली पश्चिमी घाट की नदियों, पूर्व की ओर बहन वाली दक्षिण भारत की नदियों तथा मध्यवर्ती भारतीय पठार की नदियों के सम्बन्ध में 'केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग' द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि इस आयोग के प्रतिवेदनों में सुझाई गईं ११५ बड़ी योजनाओं से लगभग १.४७ करोड़ किलोवाट विद्युत् का उत्पादन किया जा सकता है। इस समय देश में अनुमानतः ४.१० करोड़ किलोवाट से अधिक विद्युत् का उत्पादन किया जाता है।

विद्युत् विकास सम्बन्धी संगठन

भारत में विद्युत्-उत्पादन तथा उसके वितरण की व्यवस्था लम्बे समय तक १९१० के 'भारतीय विद्युत् अधिनियम' के अनुसार होती रही। १९४८ में पारित 'विद्युत् (उपलब्धि) अधिनियम' के अनुसार १९५० में 'केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकारी संगठन' की स्थापना हुई और असम, केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बम्बई, बिहार, मद्रास, मध्य प्रदेश, मैसूर तथा राजस्थान में विद्युत् मण्डल स्थापित किए जा चुके हैं।

स्वामित्व तथा उपभोग

१९२५ तक विद्युत्-विकास का कार्य मुख्यतः प्राइवेट कम्पनियों के ही हाथ में था। गत दूसरे दशक में ही कुछ राज्यों ने विद्युत्-विकास योजनाओं पर कार्य करना आरम्भ किया। मार्च, १९५८ में सार्वजनिक उपयोग में आने वाली ३४.४ प्रतिशत विद्युत् पर प्राइवेट कम्पनियों का ही स्वामित्व था।

१९५७-५८ में घरेलू, व्यापारी, औद्योगिक, सार्वजनिक प्रकाश तथा सिंचाई आदि की सुविधाओं के लिए कुल मिलाकर ३२.०८ लाख उपभोक्ताओं ने विद्युत् का उपभोग किया।

गाँवों में बिजली

कुछ बड़े विद्युत्-केन्द्रों में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी बिजली पैदा की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली लगाने के सम्बन्ध में अभी तक केवल आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बम्बई, बिहार, मद्रास तथा मैसूर में ही कुछ प्रगति हुई है। मार्च, १९५८ के अन्त में १०,७१२ कस्बों तथा गाँवों में बिजली की व्यवस्था थी।

दोनों योजनाओं की विद्युत् योजनाएँ

प्रथम योजना के सार्वजनिक क्षेत्र में १४२ विद्युत्-विकास योजनाएँ सम्मिलित थीं। इनमें से बड़े बहूद्देश्यीय नदी-घाटी योजनाकार्य थे: भाखड़ा-नंगल, हीराकुड, दामोदर घाटी निगम, चम्बल, रिहन्द, कोयना तथा कोसी।

प्रथम योजनाकाल में जिन मुख्य विद्युत् योजनाओं का कार्य पूरा हो गया तथा जिनमें विद्युत्-उत्पादन आरम्भ हुआ, वे अगले पृष्ठ पर दी गई हैं।

		प्रस्थापित क्षमता (किलोवाट)
१.	नंगल (पंजाब)	४८,०००
२.	बोकारो (बिहार)	१,५०,०००
३.	चोल (कल्याण, बम्बई)	५४,०००
४.	खापरखेडा (मध्य प्रदेश)	३०,०००
५.	मोयार (मद्रास)	३६,०००
६.	मद्रास नगर संयन्त्र विस्तार (मद्रास)	३०,०००
७.	मचकुण्ड (आन्ध्र प्रदेश-उड़ीसा)	३४,०००
८.	पथरी (उत्तर प्रदेश)	२०,०००
९.	शारदा (उत्तर प्रदेश)	४१,४००
१०.	सेनगुलम (केरल)	४८,०००
११.	जोग (मैसूर)	७२,०००

द्वितीय योजना में निहित सरकारी तथा निजी क्षेत्रों की विद्युत-उत्पादन योजनाएँ निम्न हैं :

सरकारी क्षेत्र की वे योजनाएँ जिनका काम जारी है : तुंगभद्रा—प्रथम चरण (आन्ध्र प्रदेश तथा मैसूर), भाखड़ा-नंगल (पंजाब तथा राजस्थान), हीराकुड—प्रथम चरण (उड़ीसा), दामोदर घाटी निगम (बंगाल तथा बिहार), चम्बल—प्रथम चरण (मध्य प्रदेश तथा राजस्थान), मचकुण्ड (आन्ध्र प्रदेश तथा उड़ीसा), उम्त्रू (असम), कोयना (बम्बई) पेरियर (मद्रास), मद्रास थर्मल केन्द्र विस्तार (मद्रास), रिहन्द (उत्तर प्रदेश), रामगुण्डम (आन्ध्र प्रदेश), थर्मल विद्युत् केन्द्र (राजस्थान), नेरियमंगलम (केरल), प्रोंगलकुतु (केरल) तथा कण्डला वाष्प केन्द्र (बम्बई)।

सरकारी क्षेत्र की नयी योजनाएँ : पूर्णा (बम्बई), सिलेरू (आ० प्रदेश), मचकुण्ड विस्तार (आ० प्रदेश तथा उड़ीसा), तुंगभद्रा-नेल्लोर योजना (आ० प्रदेश तथा मैसूर), उम्तींगर वाष्प केन्द्र (असम), बरौनी वाष्प केन्द्र (बिहार), दक्षिण गुजरात विद्युत् ग्रिड—द्वितीय चरण (बम्बई), कोरबा थर्मल केन्द्र (म० प्रदेश), दक्षिणी ग्रिड विकास (बम्बई), कुण्डा—प्रथम तथा द्वितीय चरण (मद्रास), हीराकुड—द्वितीय चरण (उड़ीसा), यमुना जल-विद्युत् योजना (उ० प्रदेश), रामगंगा जलविद्युत् योजना (उ० प्रदेश), हरदुआगंज वाष्प केन्द्र विस्तार (उ० प्रदेश), माताटीला जलविद्युत् योजना (उ० प्रदेश), कानपुर विद्युत् केन्द्र विस्तार (उ० प्रदेश), जलढका जलविद्युत् योजना (प० बंगाल), दुर्गापुर थर्मल विद्युत् केन्द्र (दा० घा० नि०, बंगाल तथा बिहार), बोकारो विस्तार (दा० घा० नि०, बंगाल तथा बिहार), चन्द्रपुर (दुगडा) थर्मल विद्युत् केन्द्र (दा० घा० नि०, बंगाल तथा बिहार), तुंगभद्रा विस्तार (मैसूर), गन्धरबल विद्युत्गृह (जम्मू तथा कश्मीर), मोहोरा विद्युत्गृह (जम्मू तथा कश्मीर), भद्रा (मैसूर), शरावती जलविद्युत् योजना (मैसूर), जोधपुर (राजस्थान), राजकोट विद्युत् केन्द्र विस्तार (बम्बई), पोरबन्दर वाष्प शक्ति केन्द्र (बम्बई), सिक्का वाष्प शक्ति केन्द्र (बम्बई), शाहपुर वाष्प शक्ति केन्द्र

(बम्बई), पण्णियार (केरल), शोलायार (केरल), पम्बा (केरल) तथा बीरसिंहपुर थर्मल विद्युत् केन्द्र (मध्य प्रदेश)।

निजी क्षेत्र की मुख्य विद्युत्-उत्पादन योजनाएँ हैं : अहमदाबाद इलेक्ट्रिसिटी कं० लि० (बम्बई), टाटा पॉवर सिस्टम (बम्बई), ट्रॉम्बे थर्मल विद्युत् केन्द्र, शोलापुर (बम्बई), आगरा विद्युत् उपलब्धि कं० (उ० प्रदेश), बनारस इलेक्ट्रिक लाइट एण्ड पॉवर कं० लि० (उ० प्रदेश), यूनाइटेड प्राविन्सेज़ विद्युत्उपलब्धि कं० (उ० प्रदेश) तथा भावनगर विद्युत् कं० लि० (बम्बई)।

नदी-घाटी योजनाकार्य

भारत के प्राकृतिक जलमार्ग बहुत-कुछ बड़े बेढंगे ढंग से स्थित हैं। सिंचाई के विकास के लिए अन्तिम लक्ष्य १५-२० वर्षों में सिंचित क्षेत्र को अब से दुगुना करने का रखा गया है। प्रथम योजनाकाल में लगभग २.२० करोड़ एकड़ भूमि में सिंचाई की सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए ३०० छोटी तथा बड़ी योजनाओं को कार्यान्वित किए जाने की व्यवस्था की गई थी।

देश के निम्न बड़े नदी-घाटी योजनाकार्य उल्लेखनीय हैं : भाखड़ा-नंगल योजनाकार्य, हीराकुड बाँध योजनाकार्य, राजस्थान नहर योजनाकार्य, दामोदर घाटी योजनाकार्य, तुंगभद्रा योजनाकार्य, कोसी योजनाकार्य, चम्बल योजनाकार्य, नागार्जुनसागर योजनाकार्य, कोयना योजनाकार्य, रिहन्द बाँध योजनाकार्य, भद्रा जलाशय योजनाकार्य, काकरापार योजनाकार्य, मचकुण्ड योजनाकार्य तथा मयूराक्षी योजनाकार्य।

विकास कार्यक्रम

प्रथम योजनाकाल में बड़े तथा मध्यम योजनाकार्यों से लगभग ३० लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि में सिंचाई होने लगी तथा द्वितीय योजनाकाल में १ करोड़ एकड़ अतिरिक्त भूमि की सिंचाई के लिए सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। इन नये योजनाकार्यों से अन्ततोगत्वा १.६८ करोड़ एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी। प्रथम योजनाकाल में छोटी योजनाओं से १ करोड़ एकड़ भूमि में सिंचाई आरम्भ हो जाने तथा द्वितीय योजनाकाल में ऐसी योजनाओं से ६० लाख एकड़ भूमि में सिंचाई आरम्भ करने का लक्ष्य निर्धारित किए जाने के फलस्वरूप १९६१ तक देश में कुल ८.३५ करोड़ एकड़ भूमि सींची जाने लगेगी।

प्रथम योजना के आरम्भ में विद्युत्-उत्पादन संयन्त्रों की कुल प्रस्थापित क्षमता केवल २३ लाख किलोवाट थी। प्रथम योजनाकाल में इसमें ११ लाख किलोवाट की वृद्धि हुई।

यह अनुमान लगाया गया है कि अगले १० वर्षों में प्रस्थापित क्षमता में प्रति वर्ष २० प्रतिशत की वृद्धि करने की आवश्यकता होगी। इसका अर्थ यह हुआ कि १९६६ तक के लिए १.५० करोड़ किलोवाट का लक्ष्य रखा जाना चाहिए। तदनुसार, द्वितीय योजनाकाल में प्रस्थापित क्षमता को ६६ किलोवाट तक बढ़ाने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया

है । द्वितीय योजनाकाल में कुल मिलाकर ४२ विद्युत्-उत्पादन योजनाएँ आरम्भ की जाएंगी जिनमें से २३ जलविद्युत् योजनाएँ तथा १९ वाष्पशक्ति योजनाएँ होंगी । इस अवधि में बिजली का प्रति व्यक्ति उपभोग दुगुना हो जाने की आशा है ।

राष्ट्रीय योजनाकार्य निर्माण निगम प्राइवेट लिमिटेड

उपलब्ध प्रशिक्षित कर्मचारियों तथा पूरे होने वाले योजनाकार्यों में आवश्यकता से अधिक पाए जाने वाले उपकरणों का पूरा-पूरा उपयोग करने तथा ऐसी राज्य सरकारों को सहायता देने के लिए जिनके पास बड़े योजनाकार्यों को कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, कम्पनी अधिनियम के अधीन ९ जनवरी, १९५७ को 'राष्ट्रीय योजनाकार्य निर्माण निगम प्राइवेट लिमिटेड' स्थापित किया गया ।

केन्द्रीय सरकार और केरल, जम्मू तथा कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान सरकारों ने इसकी हिस्सा-पूँजी में योगदान दिया है । असम तथा पंजाब सरकारों ने भी योजना में भाग लेना स्वीकार कर लिया है ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मुख्य सिंचाई योजनाकार्य हैं : भाखड़ा-नंगल (पंजाब तथा राजस्थान), दामोदर घाटी (प० बंगाल तथा बिहार), हीराकुड (महानदी का मुहाना सहित)—प्रथम चरण (उड़ीसा), चम्बल—प्रथम चरण (मध्य प्रदेश तथा राजस्थान), तुंगभद्रा (आ० प्रदेश तथा मैसूर), मयूराक्षी (प० बंगाल), भद्रा (मैसूर), कोसी (बिहार), नागार्जुनसागर—प्रथम चरण (आ० प्रदेश) तथा काकरापार नहर (निचली तापी) (बम्बई) । इन योजनाओं का काम जारी है ।

नयी योजनाओं में तुंगभद्रा उच्चस्तरीय नहर (आन्ध्र प्रदेश तथा मैसूर), उकई (बम्बई), तावा (म० प्रदेश), पूर्णा (बम्बई), वंशधारा (आ० प्रदेश), नर्मदा (बम्बई), बनास (बम्बई), मूला (बम्बई), गिरना (बम्बई), खडकवासला (बम्बई), नवकट्टलई (मद्रास), सलन्दी (उड़ीसा), गुड़गाँव नहर (पंजाब), कंसवटी (प० बंगाल), चन्द्रकेशर (म० प्रदेश), काबिनी (मैसूर), बनास (राजस्थान), भादर (बम्बई), भुततन्केतु (केरल), लिद्दर नहर (जम्मू तथा कश्मीर), बरना (म० प्रदेश), लक्ष्मणतीर्थ (मैसूर), ऊपरी केरी (म० प्रदेश) तथा विदुर (पाण्डिचेरी तथा मद्रास) योजनाएँ आदि आती हैं ।

—:०:—

चौबीसवाँ अध्याय

उद्योग

१६५४ में हुई 'भारतीय उद्योग गणना' के अनुसार भारत में ७,०६७ पंजीकृत कारखाने थे। इनमें से ६,६३७ कारखानों में कुल ७ अर्ब ८७ करोड़ ८० लाख रुपये की पूँजी लगी हुई थी। इन कारखानों में काम करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या १७,१४,७७० थी जिनमें से १५,३३,६८६ व्यक्ति मज़दूर थे। इन उद्योगों में कुल १२.८८ अर्ब रुपये के मूल्य का उत्पादन हुआ। वेतन तथा मज़दूरी के रूप में कारखाना-कर्मचारियों को २ अर्ब १८ करोड़ ६० लाख रुपये दिए गए।

एक अन्य प्राक्कलन के अनुसार १६५५ में ३१८ ज्वाइण्ट स्टाक कम्पनियों को ४१.८१ करोड़ रुपये का कुल लाभ हुआ। १६३६ को आधार वर्ष मानते हुए सभी उद्योगों के लिए १६५५ में औद्योगिक लाभ का सूचनांक ३३४.३ था। इसी वर्ष कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों के औद्योगिक लाभ के सूचनांक थे : कपास ५३५.०; कागज़ ७४७.८; कोयला २००.०; चाय १८३.१; चीनी ४१३.५; पटसन २७७.५; लोहा तथा इस्पात ३०७.६ और सीमेण्ट ४०६.७। १६५६ में औद्योगिक लाभ का संशोधित सूचनांक (आधार वर्ष १६५० = १००) १४६.१ था। कुछ उद्योगों के सूचनांक ये थे : इंजीनियरिंग ३६८.२; कपास १३३.१; कागज २०६.०; कोयला १०३.२; चाय ११४.५; चीनी १७८.७; पटसन ५५.३; लोहा तथा इस्पात १२०.८ और सीमेण्ट १२८.२।

औद्योगिक नीति

स्वतन्त्र भारत की औद्योगिक नीति की घोषणा सर्वप्रथम १६४८ में की गई। इस घोषणा में एक ऐसी मिलीजुली अर्थव्यवस्था का उद्देश्य रखा गया जिसमें उद्योगों के आयोजित विकास का तथा राष्ट्र के हित में उनके नियमन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सरकार पर हो। इस घोषणा में जबकि सरकार के इस अधिकार की पुनराभिव्यक्ति की गई कि वह सार्वजनिक हित में किसी भी औद्योगिक संस्था को अपने अधिकार में ले सकती है, इसके द्वारा निजी उद्यमों के लिए भी यथोचित क्षेत्र सुरक्षित कर दिया गया।

देश में समाजवादी समाज की स्थापना करने का उद्देश्य स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप आवश्यक हुए औद्योगिक नीति सम्बन्धी दूसरे वक्तव्य की घोषणा ३० अप्रैल, १६५६ को की गई। इसके अनुसार सरकार पर उद्योगों के भावी विकास का उत्तरदायित्व पहले की अपेक्षा अब अधिक आ गया।

उद्योगों का नियमन

१९४८ में घोषित औद्योगिक नीति के अनुसार संविधान में संशोधन किया गया और 'उद्योग (विकास तथा नियमन) अधिनियम, १९५१' लागू हुआ। इस अधिनियमं के अनुसार सभी वर्तमान तथा नयी औद्योगिक संस्थाओं के लिए लाइसेंस लेना आवश्यक कर दिया गया। सरकार को किसी भी औद्योगिक संस्था के कार्य-संचालन की जाँच-पड़ताल करने तथा आवश्यकतानुसार निर्देश देने का अधिकार प्राप्त हो गया। किसी भी अव्यवस्थित संस्था का प्रबन्ध अपने अधीन कर लेने का अधिकार भी सरकार को दे दिया गया। उद्योगों के विकास तथा नियमन सम्बन्धी मामलों पर सरकार को परामर्श देने के लिए एक 'केन्द्रीय परामर्श परिषद्' और भिन्न-भिन्न उद्योगों के लिए अलग-अलग विकास परिषदें स्थापित की जानी थी।

इन अधिकारों के द्वारा सरकार का उद्देश्य देश के संसाधनों का उचित उपयोग कराना, बड़े तथा छोटे पैमाने के उद्योगों का सन्तुलित विकास कराना तथा विभिन्न उद्योगों का प्रादेशिक रूप से उचित विभाजन कराना है। इस अधिनियम के अन्तर्गत १६२ उद्योग आते हैं। 'केन्द्रीय उद्योग परामर्श परिषद्' के अतिरिक्त अन्य कुछ उद्योगों के लिए विकास परिषदें स्थापित की जा चुकी हैं। जनवरी-सितम्बर, १९५८ में इस अधिनियम के अन्तर्गत ५५४ नये उद्योगों को लाइसेंस दिए जाने के लिए स्वीकृति दी गई।

उन महत्वपूर्ण उद्योगों के विकास के सम्बन्ध में, जिनके लिए निजी क्षेत्र में पर्याप्त पूँजी प्राप्त नहीं हो रही है, सरकार ने विशेष शर्तों पर ऋण देकर अथवा पूँजी लगा कर उनको वित्तीय सहायता दी।

उत्पादन-क्षमता

एक उत्पादन-क्षमता प्रतिनिधिमण्डल की सिफारिश के अनुसार, जो अक्तूबर-नवम्बर, १९५६ में जापान गया था, स्वतन्त्र संस्था के रूप में फरवरी, १९५८ में एक 'राष्ट्रीय उत्पादन-क्षमता परिषद्' स्थापित की गई जिसमें सरकार, मिलमालिकों, मजदूरों आदि के प्रतिनिधि हैं। इस परिषद् का उद्देश्य देश में उत्पादन बढ़ाने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना है।

औद्योगिक वित्त

जुलाई, १९४८ में स्थापित 'औद्योगिक वित्त निगम' दीर्घकालीन ऋण तथा अग्रिम धन के रूप में औद्योगिक संस्थानों को वित्तीय सहायता देता आ रहा है। मार्च, १९५८ तक निगम ने ५७.४२ करोड़ रुपये के ऋणों के लिए स्वीकृति दी। द्वितीय योजना में निगम को केन्द्रीय सरकार से १३.५० करोड़ रुपये प्राप्त होने की व्यवस्था की गई थी। अब यह राशि बढ़ाकर २२.२५ करोड़ रुपये कर दी गई है।

'औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) अधिनियम, १९५७' का उद्देश्य निगम की संसाधन सम्बन्धी स्थिति को सुदृढ़ करना तथा उसके कार्यक्षेत्र का विस्तार करना है।

अब उन उद्योगों को (नये उद्योग सहित) जिन्हें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की दृष्टि से प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, निगम से ऋण प्राप्त हो सकता है बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार अथवा कोई राज्य सरकार अथवा एक अनुसूचित बैंक अथवा कोई राज्यीय सहकारी बैंक कुछ प्रत्याभूति (गारण्टी) दे। 'राज्यीय वित्त निगम' मध्यम तथा छोटे पैमाने के उन उद्योगों को वित्तीय सहायता देते हैं जो अखिल भारतीय निगम के क्षेत्र में नहीं आते।

निजी क्षेत्र के औद्योगिक उद्यमों की सहायता के लिए जनवरी, १९५५ में स्थापित 'भारतीय औद्योगिक ऋण तथा विनियोग निगम' ने १९५७ के अन्त तक कई उद्योगों के लिए ११.६५ करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता को स्वीकृति दी।

योजना में सम्मिलित उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए औद्योगिक संस्थानों को बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों के आधार पर फिर से ऋण लेने की सुविधाएँ देने के उद्देश्य से जून, १९५८ में 'उद्योग पुनर्वित्त निगम प्राइवेट लिमिटेड' स्थापित किया गया। ये सुविधाएँ केवल उन्हीं औद्योगिक संस्थाओं को प्राप्त होंगी जिनकी चुकता पूँजी तथा जिनका सुरक्षित धन २.५० करोड़ से अधिक नहीं है।

१९५४ में स्थापित 'राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम' सूतीवस्त्र तथा पटसन उद्योगों के आधुनिकीकरण तथा पुनस्संस्थापन के लिए सरकार की ओर से विशेष ऋण देने का भी कार्य करता है। इस निगम को इस कार्य के लिए अब तक २.२६ करोड़ रुपये प्राप्त हो चुके हैं।

सरकार आवश्यक कच्चे माल तथा वस्तुओं के आयात के लिए सुविधाएँ देकर, कर सम्बन्धी रियायतें देकर तथा नये उद्योगों को संरक्षण प्रदान करके निजी क्षेत्र की सहायता करती है। जनवरी, १९५२ में स्थापित 'अनुविहित तटकर आयोग' संरक्षण-प्राप्त उद्योगों की प्रगति की समीक्षा करता रहता है और नये उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने के मामलों की जाँच करता है। औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों से प्राविधिक सहायता प्राप्त करने के लिए भी प्रयास किए गए हैं।

विदेशी पूँजी

द्रुत औद्योगिक विकास के लिए पूँजीगत संसाधनों की कमी की पूर्ति करने के उद्देश्य से सरकार ने उन उद्योगों के लिए विदेशी सहायता का स्वागत करने का निश्चय किया है जिनमें किसी अमुक वस्तु के उत्पादन की पर्याप्त क्षमता नहीं है। विदेशी पूँजी सम्बन्धी नीति, अप्रैल, १९४८ के औद्योगिक नीति विषयक प्रस्ताव तथा १९४९ में संविधान सभा में प्रधानमन्त्री द्वारा दिए गए वक्तव्य में स्पष्ट कर दी गई थी। इसके अनुसार :

(१) विदेशी पूँजी का उपयोग तथा विदेशी उद्यमों का नियमन राष्ट्र के हित को ध्यान में रखते हुए सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि केवल कुछ अपवादों को छोड़कर स्वामित्व तथा प्रभावकारी नियन्त्रण भारतीयों के ही हाथों में रहे,

(२) सामान्य औद्योगिक नीति लागू किए जाने के सम्बन्ध में विदेशी तथा भारतीय उद्यमों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं बरता जाएगा,

(३) देश की विदेशी विनिमय की स्थिति के अनुसार ही लाभ और पूँजी को विदेश भेजने की उचित सुविधाएँ दी जाएंगी, तथा

(४) राष्ट्रीयकरण की स्थिति में उचित क्षतिपूर्ति दी जाएगी।

उद्योगों का विकास

प्रारम्भिक स्थिति

भारत में सर्वप्रथम सूती मिल यद्यपि १८१८ में कलकत्ता में स्थापित की गई थी, तथापि देश में सूतीवस्त्र उद्योग का जन्म १८५४ में बम्बई में उस समय हुआ जब इस उद्योग की पूँजी तथा व्यवस्था प्रमुख रूप से भारतीयों के हाथ में आ गई। भारत में पटसन उद्योग का जन्म विदेशी पूँजी तथा विदेशियों के प्रयास के साथ १८५५ में कलकत्ता के निकट हुआ। प्रथम महायुद्ध के पूर्व तक देश में इन्हीं दो बड़े उद्योगों तथा कोयला उद्योग का ही विकास हुआ। इस युद्ध से भारत में औद्योगिक विकास के लिए प्रेरणा प्राप्त हुई। 'भारतीय राजकोषीय (फिस्कल) आयोग' की सिफारिश पर १९२२ से लागू 'उद्योगों को विभेदी संरक्षण' की नीति से भारतीय उद्योगों के विकास में काफी सहायता मिली। १९२२ से १९३९ तक के समय में सूती कटपीसों, इस्पात की सिल्लियों तथा कागज़ का उत्पादन बढ़कर क्रमशः दुगुने से अधिक, आठ गुना तथा ढाई गुना हो गया। १९३२–३६ में चीनी उद्योग का विकास तो इतनी द्रुत गति से हुआ कि इसके सम्बन्ध में देश पूर्ण रूप से स्वावलम्बी हो गया। इसी समय सीमेण्ट उद्योग का भी विकास आरम्भ हुआ और १९३५–३६ तक देश की सीमेण्ट सम्बन्धी ९५ प्रतिशत आवश्यकताओं की पूर्ति देश में बने सीमेण्ट से ही होने लगी। इसी अवधि में दियासलाई, वनस्पति, साबुन तथा कई इंजीनियरिंग उद्योगों के उत्पादन में भी वृद्धि हुई और देश में बिजली का सामान भी बनने लगा।

द्वितीय महायुद्ध के परिणामस्वरूप देश में उद्योगों की उत्पादनक्षमता का अधिक-से-अधिक उपयोग किए जाने के लिए अनुकूल स्थिति पैदा हुई। युद्धकाल तथा युद्धोत्तर-काल में और भी कई नये उद्योगों का जन्म हुआ।

प्रथम योजनाकाल में

प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि, सिंचाई तथा बिजली के विकास पर अधिक बल दिया गया और उद्योगों तथा खनिज पदार्थों के विकास के लिए कुल विनियोग का केवल लगभग ८ प्रतिशत ही निर्धारित किया गया। औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों की तत्कालीन क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग किए जाने पर अधिक बल दिया गया। यह उद्देश्य बहुत कुछ प्राप्त कर लिया गया।

प्रथम योजनाकाल में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में ६० करोड़ रुपये का विनियोग किया गया, जबकि लक्ष्य ९४ करोड़ रुपये के विनियोग का रखा गया था। नये योजनाकार्यों तथा विस्तार कार्यक्रमों में निजी क्षेत्र द्वारा लगभग २.३३ अर्ब रुपये का विनियोग किए जाने का अनुमान लगाया गया था। यह लक्ष्य भी प्राप्त किया जा चुका है। उद्योगों में कुल

मिलाकर लगभग २.९३ अर्ब रुपये का नया विनियोग किया गया, जबकि योजना में ३.२७ अर्ब रुपये के विनियोग का लक्ष्य रखा गया था।

सूती वस्त्र, चीनी, वनस्पतिजन्य तेल, सीमेण्ट, कागज़, साइकिल, सिलाई की मशीनों तथा पेट्रोल-शोधन आदि के उत्पादन-लक्ष्य बहुत कुछ प्राप्त कर लिए गए। लोहा तथा इस्पात, अल्युमिनियम, मशीनी औज़ार, उर्वरक, डीज़ल इंजिन, पटसन से बनी वस्तुओं तथा बिजली के सामानों का उत्पादन अपेक्षित स्तर पर नहीं पहुँच सका। प्रथम योजनाकाल में कई नयी वस्तुओं का उत्पादन भी आरम्भ हुआ।

२.९३ अर्ब रुपये के इस विनियोग का उद्योगवार विभाजन निम्न तालिका में दिया गया है :

तालिका ४३

उद्योगवार विनियोग (प्रथम योजना)

(करोड़ रुपयों में)

	वस्तुतः किया गया विनियोग
धातुकर्म उद्योग (लोहा तथा इस्पात, अल्युमिनियम, सीसा)	६१.००
पेट्रोल-शोधन	४५.००
रसायन उद्योग (रासायनिक पदार्थ, उर्वरक तथा औषधि आदि)	२७.००
इंजीनियरी उद्योग (बड़े तथा छोटे)	४६.००
सूतीवस्त्र उद्योग	२०.००
चीनी उद्योग	५.००
रेयन वस्त्र उद्योग	८.००
सीमेण्ट	१७.५०
कागज़ तथा गत्ता उद्योग (समाचारपत्र सम्बन्धी कागज सहित)	१२.००
विद्युत् उत्पादन तथा वितरण (निजी क्षेत्र में)	३२.६०
अन्य	१८.९०
योग	२९३.००

द्वितीय योजनाकाल में

द्वितीय योजनाकाल में संगठित उद्योगों में १०.९४ अर्ब रुपये का नया विनियोग (मूल आवण्टन) किया जाएगा—५.२४ अर्ब रुपये सार्वजनिक क्षेत्र में ('राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम' द्वारा किए गए ३५ करोड़ रुपये के विनियोग के अलावा) तथा ५.३५ अर्ब रुपये निजी क्षेत्र में।

औद्योगिक विकास के लिए दृढ़ आधारभूमि तैयार करने की दृष्टि से द्वितीय योजना में मुख्य रूप से पूँजीगत तथा निर्माणकारी सामग्री उद्योगों के विस्तार पर ही बल दिया गया है।

द्वितीय योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में व्यय किए जाने वाले १०.९४ अर्ब रुपये का सविस्तर उद्योगवार ब्यौरा निम्न तालिका में दिया गया है :

तालिका ४४

उद्योगवार व्यय (द्वितीय योजना)

	व्यय (करोड़ रुपयों में)	कुल विनियोग का प्रतिशत
धातुकर्म सम्बन्धी उद्योग	५०२.५०	४५.९
इंजीनियरी उद्योग	१५०.००	१३.७
रसायन उद्योग	१३२.००	१२.०
सीमेण्ट तथा बिजली का सामान आदि	९३.००	८.५
पेट्रोल-शोधन	१०.००	०.९
कागज तथा समाचारपत्र सम्बन्धी कागज आदि	५४.००	५.०
चीनी	५१.००	४.७
कपास, पटसन, ऊनी तथा रेशमी सूत तथा वस्त्र	३६.३०	३.३
रेयन	२४.००	२.२
अन्य	४१.५०	३.८

द्वितीय योजना में प्रस्तावित उत्पादन-क्षमता तथा उत्पादन की प्रतिशत वृद्धि अगले पृष्ठ पर तालिका सं० ४५ में दिखाई गई है।

औद्योगिक उत्पादन

१९५६ तथा १९५७ का औद्योगिक उत्पादन और १९५७; अक्तूबर, १९५७ तथा अक्तूबर, १९५८ के औद्योगिक उत्पादन के सूचनांक (आधार वर्ष १९५१ = १००) पृष्ठ २१८ पर तालिका सं० ४६ में दिखाए गए हैं। नवम्बर, १९५८ का सामान्य सूचनांक १३७.६ था। सूचनांक में समिलित नहीं किए गए कुछ नये इंजीनियरी तथा रसायन उद्योगों में भी उल्लेखनीय प्रगति होती रही। विदेशी विनिमय की कमी के कारण पर्याप्त औद्योगिक प्रगति नहीं हो पा रही है।

तालिका ४५

उद्योगों की १९५५–५६ पर १९६०–६१ में प्रतिशत वृद्धि

	उत्पादन-क्षमता	उत्पादन
पूँजीगत तथा निर्माणकारी सामग्री उद्योग		
तैयार इस्पात	२६०	२३१
अल्युमिनियम	३००	२३३
लौह-मैंगनीज़	५१४	—
नत्रजनयुक्त उर्वरक	३४६	२७७
फॉस्फेटयुक्त उर्वरक	२४३	५००
सोडा ऐश	१८१	१८८
कास्टिक सोडा	२४१	२७५
प्लास्टिक के काम का पाउडर	९८६	१,३६२
रंग आदि	३०९	४५०
शक्ति सुरासार	३३	१००
सीमेण्ट	२२४	१८३
ऊष्मसह भट्ठियाँ	१२५	१८६
बनावट के ऊपरी ढाँचे	१२१	१७८
रेल-इंजिन	१३५	१२५
विद्युत् परिवर्तक	१२८	११६
औद्योगिक मशीन	—	४७१
बेंज़ोल	५६७	९००
उपभोक्ता सामग्री उद्योग		
चीनी	४४	२४
रेयन आदि	१६२	२४६
सूती वस्त्र		
सूत	१३.०	१९.६
वस्त्र	गौण	२६.२
ऊनी वस्त्र		
ऊनी धागा	१९.७	२५.०
वस्त्र	४.२	३४.२
काँच तथा काँच के बर्तन	१६.२	६०.०
बाइसिकिल	१७.८	८१.८
साबुन	५.०	५०.०
वनस्पति	—	४८.१
कागज़ तथा गत्ता	११४	७५

तालिका ४६
औद्योगिक उत्पादन

	१९५६	१९५७	उत्पादन के सूचनांक (१९५१ = १००)		
			१९५७	अक्तूबर १९५७	अक्तूबर १९५८
सूती वस्त्र			११६.८	१११.१	११३.८
कपड़ा (करोड़ गज़)	५३०.६६	५३१.७४	१०६.७	१०३.०	१०५.३
सूत (करोड़ पौण्ड)	१६७.१२	१७८.०१	१२७.५	१२२.५	१२९.७
पटसन से बनी वस्तुएँ (लाख टन)	१०.९३	१०.३०	१२०.५	११५.६	११५.१
चीनी (लाख टन)	१८.५६	२०.३९	१८५.५	४७.९	३४४.७
कागज तत्ता गत्ता (लाख टन)	१.९४	२.१०	१५९.३	१६६.४	२०४.४
सिगरेट (अर्ब)	२६.३०	२८.८१	१३४.७	१२७.६	१३२.७
कोयला (करोड़ टन)	३.९४	४.३५	१२६.८	१२४.३	१३१.१
लोहा तथा इस्पात			११९.३	११७.४	११६.९
तैयार इस्पात (लाख टन)	१३.३८	१३.४६	१२५.१	१२१.२	११५.४
कच्चा लोहा तथा लौह-मिश्रित धातु (लाख टन)	१९.५८	१९.१२	१०४.८	१०७.९	१२०.८
सामान्य इंजीनियरिंग			२४१.३	२०३.५	२३४.८
लालटेन (लाख)	५१.७९	४३.४५	१०६.३	७२.७	८४.९
डीज़ल इंजिन (संख्या)	१२,०१२	१६,६४४	२२९.६	२८७.४	३९०.४
रसायन तथा रासायनिक पदार्थ			१८१.३	१८१.१	२०४.४
साबुन (लाख टन)	१.१०	१.१२	१३३.८	१३६.६	१४६.७
दियासलाई (लाख पेटियाँ)	६.१६	५.७८	१००.१	९०.९	९६.५
सल्फर एसिड (लाख टन)	१.६५	१.९६	१८३.३	१७८.४	२१२.५
मोटरगाड़ियाँ (संख्या)	३२,१३६	३१,९३२	१४३.४	१३२.०	१४५.७
रबड़ से बनी वस्तुएँ			१६५.५	११५.०	१३९.०
टायर (लाख)	७२.५९	८१.४०	१७०.१	१०२.७	१३६.८
उत्पादित विद्युत् (करोड़ किलोवाट घण्टे)	९६१.०८	१,०८३.४८	१८४.९	१८६.९	२१९.२
सीमेण्ट (लाख टन)	४९.२८	५६.०२	१७५.३	१९१.७	१५४.४
अलौह मिश्रित धातुएँ			१५१.७	१६९.४	१६०.९
पीतल (हज़ार टन)	१३.६०	१७.८०	१५८.२	१८४.९	१६६.१
लोहा (लाख टन)	४२.४८	४६.२०	१२६.३	१३०.२	१६६.५
सामान्य सूचनांक			१३७.३	१३३.९	१४२.७

मुख्य उद्योग

सूती वस्त्र उद्योग

स्वाधीनता-प्राप्ति के पूर्वकाल में सूतीवस्त्र उद्योग का किस प्रकार विकास हुआ, यह निम्न तालिका में दिखाया गया है :

तालिका ४७

सूती वस्त्र उद्योग का विकास (१८७६–१६४७)

वर्ष	मिलें	तकुए (लाख)	करघे (हजार)	उत्पादन	
				सूत (करोड़ पौण्ड)	कटपीस (करोड़ गज)
१८७६–८०	५८	१४.०८	१३.३०	—	—
१८८६–६०	११४	२६.३५	२२.१०	—	—
१६०१	१७८	४८.४१	४०.५०	५७.३०	१२.००
१६११	२३३	६०.६५	८५.८०	६२.५०	२६.७०
१६२१	२४६	७२.७८	१३३.५०	६६.४०	४०.३०
१६३१	३१४	६०.७८	१७५.२०	६६.६०	६७.२०
१६४१	३६६	१००.२६	२००.२०	१५७.७०	१०६.३०
१६४७	४२३	१०३.५४	२०३.००	१२६.६०	३७६.२०

१६५८ में उपभोक्ताओं द्वारा कम माल का क्रय किए जाने तथा मिलों में कपड़ा पड़े रहने के कारण उत्पादन कम हुआ। दिसम्बर, १६५७ से उत्पाद शुल्कों में कई किस्तों में पर्याप्त कमी किए जाने के फलस्वरूप सूतीवस्त्र उद्योग को काफी राहत मिली।

१६५८ के आरम्भ में देश में ४७० सूतीवस्त्र मिलें थी जिनमें १,३०,५०,००० तकुओं तथा २,०१,००० करघों पर काम हो रहा था। १६५८ में १.६८ अर्ब पौण्ड सूत तथा ४ अर्ब ६२ करोड़ ७० लाख गज वस्त्र का उत्पादन हुआ। १६५६ के प्रारम्भ में इन मिलों की संख्या बढ़कर ४८२ हो गई, इनमें १.२० अर्ब रुपये का विनियोग हुआ हुआ था तथा ६ लाख मज़दूर काम कर रहे थे।

सरकार इस उद्योग की आधुनिक उपकरणों तथा मशीनों सम्बन्धी आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए १६५५ से सर्वेक्षण कर रही है। १६५८ तक 'राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम' ने ३.७१ करोड़ रुपये के ऋणों को स्वीकृति दी।

पटसन उद्योग

पटसन उद्योग का प्रारम्भिक विकास अगले पृष्ठ पर तालिका सं० ४८ में दिखाया गया है।

तालिका ४६
चीनी उद्योग का विकास

वर्ष	मिलें	चीनी का उत्पादन
१६३१–३२	३२	१,६०,०००
१६३८–३६	१३२	६,४२,०००
१६४५–४६	१३८	६,२३,०००
१६५०–५१	१३६	११,१६,०००
१६५५–५६	१४३	१८,५६,०००
१६५६–५७	—	२०,३६,०००
१६५७–५८	—	२०,०६,०००

समाचारपत्र सम्बन्धी कागज़ की सर्वप्रथम मिल में उत्पादन-कार्य जनवरी, १६५५ में आरम्भ हुआ। इसकी प्रस्थापित-क्षमता ३०,००० टन है, जबकि देश में इस समय प्रति वर्ष ७०,००० टन कागज़ की आवश्यकता पड़ती है। अप्रैल-जून, १६५८ में प्रति दिन ७७.१६ टन कागज़ का उत्पादन हुआ।

लोहा तथा इस्पात

१८३० में दक्षिणी आरकाडु में आधुनिक रीति से लोहा तथा इस्पात तैयार करने का सबसे पहला प्रयास असफल रहा। १८७४ में झरिया कोयला-खानों के निकट 'बाराकर आयरन वर्क्स' स्थापित किया गया जिसे १८८६ में 'बंगाल आयरन एण्ड स्टील कम्पनी' ने अपने अधिकार में ले लिया। १६०० में ३५,००० टन लोहा तथा इस्पात का उत्पादन हुआ। साकची (बिहार) में १६०७ में स्वर्गीय श्री जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित 'टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी' में कच्चे लोहे तथा इस्पात का सर्वप्रथम उत्पादन क्रमशः १६११ तथा १६१३ में हुआ। इनके अतिरिक्त १६०८ में आसनसोल (बंगाल) के निकट हीरापुर में 'इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी' और १६२३ में भद्रावती में 'मैसूर स्टेट आयरन वर्क्स' (अब 'मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स') स्थापित हुए। १६३६ तक ८ लाख टन से अधिक इस्पात का उत्पादन हुआ। द्वितीय महायुद्ध के समय में इस उद्योग का और अधिक विकास हुआ और १६५७ तक इस्पात का उत्पादन बढ़कर १३.४६ लाख टन हो गया। टाटा वर्क्स में मजदूरों की हड़ताल आदि के कारण १६५८ में इस्पात का उत्पादन घटकर १२.६५ लाख टन रहा। १६५८ में ११.६० लाख टन लोहे तथा इस्पात का आयात किया गया।

१९५४ की 'भारतीय उद्योग गणना' के अनुसार देश में उस समय लोहा तथा इस्पात के १२६ बड़े तथा छोटे कारखाने थे जिनमें ३४.३० करोड़ रुपये की चालू पूँजी लगी हुई थी और ८५,६३४ व्यक्ति काम कर रहे थे।

इस्पात की बढ़ती हुई माँग की पूर्ति के लिए सरकार वर्तमान इस्पात संयन्त्रों को, उनकी उत्पादन-क्षमता में वृद्धि करने के लिए सहायता देती आ रही है और साथ ही कुछ नये इस्पात संयन्त्रों की स्थापना भी कर रही है। द्वितीय योजनाकाल में 'टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी' का उत्पादन ८ लाख टन से बढ़ाकर १५ लाख टन करने तथा 'इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी' का उत्पादन ३ लाख टन से बढ़ा कर ८ लाख टन करने का लक्ष्य रखा गया है।

द्वितीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में १०-१० लाख टन की उत्पादन-क्षमता के ३ इस्पात संयन्त्र स्थापित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। रूरकेला में १.७० अर्ब रुपये के व्यय से स्थापित किए जा रहे संयन्त्र में प्रति वर्ष ७.२० लाख टन इस्पात की वस्तुएँ तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। भिलाई (मध्य प्रदेश) के दूसरे संयन्त्र में जिस पर १.३१ अर्ब रुपये व्यय किए जाने का अनुमान लगाया गया है, ७.७० लाख टन बिक्री-योग्य इस्पात की वस्तुओं का उत्पादन होने की आशा है। दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) के तीसरे संयन्त्र पर १.३८ अर्ब रुपये व्यय होने तथा इससे प्रति वर्ष ७.९० लाख टन इस्पात की हल्की वस्तुएँ प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है। 'मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स में १९६०-६१ तक १ लाख टन इस्पात तैयार करने के लिए भी व्यवस्था की गई है। इन तीनों योजनाकार्यों का निर्माणकार्य पूरा होने पर इस्पात की सिल्लियों का वार्षिक उत्पादन बढ़कर ६० लाख टन हो जाएगा जिनसे ४६.८० लाख टन इस्पात तैयार हो सकेगा। रूरकेला की प्रथम धमन-भट्ठी का कार्य ३ फरवरी, १९५९ को तथा भिलाई की धमन-भट्ठी का कार्य ४ फरवरी, १९५९ को आरम्भ हो गया। इन तीनों इस्पात संयन्त्रों के प्रबन्ध का दायित्व 'हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड' पर है जो अब पूर्णतः केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में है। दुर्गापुर संयन्त्र को धातुकर्म सम्बन्धी बढ़िया किस्म का कोयला उपलब्ध कराने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा स्थापित कोयला-भट्ठी संयन्त्र का मार्च, १९५९ में उद्घाटन हुआ।

इंजीनियरिंग

१९४७ से सरकार इंजीनियरिंग उद्योग के विकास को प्रोत्साहन देने का प्रयास करती आ रही है तथा कई प्रकार की वस्तुओं के सम्बन्ध में भारत स्वावलम्बी भी हो चुका है। हाल के कुछ वर्षों में देश में कई नयी वस्तुओं का निर्माण होना आरम्भ हुआ।

१९५७ में भारी तथा हल्की औद्योगिक मशीनों तथा मशीनी औजारों के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। देश की औद्योगिक मशीन सम्बन्धी अधिकांश माँग की पूर्ति अब देश में ही बनी मशीनों से हो सकती है। १९५७ में मशीनी औजारों का उत्पादन लगभग दुगुना हो गया। १९५८ में डीजल इंजिनों, बिजली की मोटरों, साइकिलों तथा सिलाई की मशीनों के उत्पादन में वृद्धि हुई।

'नाहन फाउण्ड्री लिमिटेड' अक्तूबर, १९५२ में स्थापित हुई। सरकार ने मूल रूप से १८७२ में संस्थापित इस निजी संगठन (नाहन फाउण्ड्री) को, जनवरी १९५३ में एक कम्पनी के नियन्त्रण में हस्तान्तरित कर दिया।

इस फाउण्ड्री में कृषि-औज़ार तैयार किए जाते हैं। १९५७-५८ में इस फाउण्ड्री में २,४५३ टन सामग्री का उत्पादन हुआ। एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर इस फाउण्ड्री का आधुनिकीकरण किया जा रहा है।

भारतीय लेथ मशीनें सबसे पहले बंगलोर के निकट जलाहाली-स्थित एक मशीनी औज़ार कारखाने में मई, १९५६ में तैयार की गईं। यह कारखाना अब 'हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (प्राइवेट) लिमिटेड' के अधीन है। १९५७-५८ में इस कारखाने में ४०२ मशीनों का निर्माण किया गया। इसमें अन्य प्रकार के मशीनी औज़ारों के भी तैयार किए जाने का विचार किया जा रहा है। १९६०-६१ तक प्रति वर्ष ८९५ मशीनें तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है।

हिन्दुस्तान केबल्स

टेलीफोन के तार के सम्बन्ध में डाक-तार विभाग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रूपनारायणपुर (पश्चिम बंगाल) में स्थापित 'हिन्दुस्तान केबल्स फैक्टरी' का उत्पादन-कार्य १९५४ में आरम्भ हुआ। १९५६-५७ तथा १९५७-५८ में इस कारखाने में क्रमशः ५९१ मील तथा ५३८ मील लम्बे केबल तारों का निर्माण हुआ।

'नेशनल इन्स्ट्रुमेण्ट्स फैक्टरी' १८३० में कलकत्ता में स्थापित हुई थी। जून, १९५७ में इस कारखाने को 'नेशनल इन्स्ट्रुमेण्ट्स (प्राईवेट) लिमिटेड' नामक सरकारी कम्पनी में परिवर्तित कर दिया गया। इसमें २५० प्रकार के वैज्ञानिक तथा सूक्ष्म औज़ार तैयार किए जाते हैं। १९५७-५८ में इस कारखाने में ३० लाख रुपये के मूल्य के औज़ारों का निर्माण हुआ।

'चित्तरंजन रेल-इंजिन कारखाने' के विकास-कार्यक्रम में इस्पात के एक भारी ढलाई-कारखाने की स्थापना का कार्यक्रम भी सम्मिलित है जिससे भारतीय रेलों की तत्सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति देश में ही हो सके। तदनुसार, ७,००० टन की उत्पादन-क्षमता का एक ढलाई-कारखाना स्थापित किया जा रहा है। इसी प्रकार बड़े ढलाई-कारखानों के के लिए 'राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम' के कार्यक्रम में १५ करोड़ की व्यवस्था रखी गई है। द्वितीय योजना के सार्वजनिक क्षेत्र में कई मशीन उद्योगों की स्थापना तथा 'हिन्दुस्तान मशीन टूल्स फैक्टरी' के विस्तार के लिए भी व्यवस्था की गई है।

बिजली के काम में आने वाले भारी उपकरणों के निर्माण के लिए ब्रिटेन की एक फर्म के साथ करार किया गया। अगस्त, १९५६ में 'हैवी इलेक्ट्रिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड' नामक एक सरकारी कम्पनी स्थापित की गई। तत्सम्बन्धी संयन्त्र भोपाल में स्थापित किया जा रहा है। इस पर ७-८ वर्षों में २१ करोड़ रुपये का विनियोग किए जाने का अनुमान लगाया गया है।

उद्योगों के उपयोग में आने वाली भारी मशीनों के निर्माण की व्यवस्था विशेष रूप से 'राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम' (अक्तूबर, १९५४ में स्थापित एक सरकारी कम्पनी), कर रहा है। देश में एक भारी मशीन-निर्माण संयन्त्र (बिहार में राँची के निकट हटिया में), एक कोयला खनन-मशीन संयन्त्र तथा एक चश्मा-शीशा कारखाना (दोनों पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर नामक स्थान में) की स्थापना करने में सहायता प्राप्त करने के लिए १९५७ में रूस की सरकार के साथ एक करार किया गया। तत्सम्बन्धी प्रतिवेदन १९५९ में प्राप्त होने की आशा है।

रेल-इंजिन तथा सवारी-डिब्बे

सरकार ने रेल-इंजिनों के सम्बन्ध में स्वावलम्बन प्राप्त करने की दृष्टि से रेल मन्त्रालय के अधीन पश्चिम बंगाल में चित्तरंजन में एक रेल-इंजिन कारखाना स्थापित किया। इस कारखाने का विस्तार किया जा चुका है और अब इसमें प्रति वर्ष डब्ल्यू० जी० किस्म के १६८ इंजिन तैयार किए जाते हैं जो स्टैण्डर्ड किस्म के २०० से अधिक इंजिनों के बराबर होते हैं। अन्ततोगत्वा इस कारखाने में प्रति वर्ष स्टैण्डर्ड किस्म के ३०० इंजिन तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त सरकारी सहायता प्राप्त करने वाले 'टाटा इंजीनियरिंग तथा रेल-इंजिन कारखाने' से १९५७-५८ तथा १९५८-५९ में क्रमशः ८५ तथा १०० इंजिन प्राप्त हुए।

पेराम्बूर-स्थित सरकारी जोड़हीन सवारी-डिब्बा कारखाने में उत्पादन-कार्य अक्तूबर, १९५५ में आरम्भ हुआ। १९५७-५८ में २२२ अनुपस्कृत (फर्निश्ड) सवारी-डिब्बों का निर्माण हुआ। १९५९ से इस कारखाने में प्रति वर्ष ३५० सवारी-डिब्बे तैयार किए जाएंगे।

जहाज़रानी

मार्च १९५२ में सरकार ने 'सिन्धिया स्टीमशिप नेवीगेशन कम्पनी' से विशाखापटनम का जहाजनिर्माण-घाट खरीद लिया। इस जहाजनिर्माण-घाट का प्रबन्ध 'हिन्दुस्तान जहाजनिर्माण-घाट लिमिटेड' के अधीन कर दिया गया, जिसकी ७८ प्रतिशत पूँजी सरकार द्वारा लगाई हुई है। यह जहाजनिर्माण-घाट प्रति वर्ष चार आधुनिक डीज़ल-चालित जहाजों का निर्माण कर सकता है।

अब तक इस कारखाने में विभिन्न प्रकार के तथा विभिन्न लम्बाई-चौड़ाई के २० जलयान तथा ३ छोटी नौकाएँ (लगभग १,०१,३७२ टन भार) तैयार की जा चुकी हैं। द्वितीय योजनाकाल में इस कारखाने में ७५,००० से ९०,००० टन जी० आर० टी० तक के जलयान तैयार किए जाने का विचार किया गया था। अब एक दूसरा जहाजनिर्माण-घाट स्थापित करने का विचार किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में ब्रिटेन का एक प्राविधिक मण्डल १९५७ में भारत आया तथा अप्रैल, १९५८ में उसने अपना प्रतिवेदन दिया।

विमान उद्योग

दिसम्बर, १६४० में ४ करोड़ रुपये की अधिकृत पूँजी से बंगलोर में 'हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट (प्राइवेट) लिमिटेड' नामक एक विमान कारखाना स्थापित किया गया।

भारतीय वायुसेना के विमानों की मरम्मत तथा उनके सार-सम्हाल के अलावा इस कारखाने में भारतीय वायुसेना के लिए वैम्पायर जेट-विमान तैयार करने अथवा उनके पुर्जों को जोड़ने का काम भी किया जाता है। इस कारखाने में 'एच-टी २' नामक विमान, भारतीय रेलों के लिए केवल इस्पात के बने हुए सवारी-डिब्बे तथा विभिन्न राज्यीय तथा निजी परिवहन संगठनों के लिए बस के ढाँचे तैयार किए जाते हैं।

रासायनिक पदार्थ तथा औषधियाँ

प्रथम महायुद्ध के समय में भारत के रसायन उद्योग को काफी प्रोत्साहन मिला। द्वितीय महायुद्ध आरम्भ होने के अवसर पर भारत रासायनिक पदार्थों के आयात पर ही निर्भर था। स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद से रसायन उद्योग के विकास में काफी प्रगति हुई। इस सम्बन्ध में सार्वजनिक क्षेत्र में सिन्दरी कारखाने की स्थापना एक महत्वपूर्ण घटना थी। निजी क्षेत्र में १६४६–५० में देश में रसायन उद्योग सम्बन्धी ६० कम्पनियाँ स्थापित हुईं। १६५४ में देश में विभिन्न प्रकार के १३४ रासायनिक पदार्थों का उत्पादन हुआ। १६५६ में कास्टिक सोडा, सुपर फास्फेट तथा साबुन आदि के उत्पादन में वृद्धि हुई, जबकि अमोनियम सल्फेट तथा दियासलाई आदि के उत्पादन में कुछ कमी आई। १६५७ तथा १६५८ में भी रासायनिक पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि हुई। अगस्त, १६५८ में सोवियत विशेषज्ञों की एक मण्डली भारत आई।

सरकार ने 'संयुक्त राष्ट्र संघीय अन्तर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष' तथा 'विश्व स्वास्थ्य संगठन' की सहायता से दिल्ली में एक डी० डी० टी० कारखाना स्थापित किया। इस कारखाने का उत्पादन-कार्य अप्रैल, १६५५ में आरम्भ हुआ। १६५७ में १,२७० टन डी० डी० टी० तैयार किया गया। १६५८ में कारखाने की उत्पादन-क्षमता दुगुनी हो गई। अप्रैल, १६५८ से केरल राज्य के अलवाए नामक स्थान में स्थापित डी० डी० टी० के दूसरे कारखाने में भी कार्य आरम्भ हो चुका है।

भारत सरकार, पूना के निकट पिम्परी में एक पेनिसिलीन कारखाना स्थापित कर चुकी है। इसका उत्पादन-कार्य अगस्त, १६५५ में आरम्भ हुआ। इस कारखाने का प्रबन्ध 'हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड' के नियन्त्रण में है। १६५७-५८ में प्रति वर्ष २ करोड़ १४ लाख ३० हज़ार मेगा पेनिसिलीन का उत्पादन करने का लक्ष्य पूरा कर लिया गया। वर्तमान संयन्त्र की उत्पादन-क्षमता का विस्तार किया जा रहा है जिससे प्रति वर्ष ४ करोड़ मेगा पेनिसिलीन तैयार की जा सके। इस कारखाने में १६६०-६१ तक प्रति वर्ष ४०,०००-४५,००० किलोग्राम स्ट्रेप्टोमाइसीन तथा डिहाइड्रोस्ट्रेप्टोमाइसीन तैयार करने की भी व्यवस्था की जा रही है।

उर्वरक

सरकार द्वारा स्थापित 'सिन्दरी उर्वरक कारखाने' की देखभाल 'सिन्दरी उर्वरक तथा रसायन (प्राइवेट) लिमिटेड' नामक संस्था करती है। इसका उत्पादन-कार्य अक्तूबर, १९५१ में आरम्भ हुआ। १९५७-५८ में इस कारखाने में ३,३२,०४१ टन अमोनियम सल्फेट तैयार हुआ। कोयलाभट्ठी संयन्त्र से प्राप्त होने वाली गैस का उपयोग करके उत्पादन में ६० प्रतिशत की वृद्धि करने की योजना विचाराधीन है। १९५७-५८ में २.२९ लाख टन कोयला तथा ६६,१४४ टन अमोनियम तैयार किया गया।

नत्रजनयुक्त उर्वरकों की प्रत्याशित माँग की पूर्ति के उद्देश्य से नंगल, नइवेली तथा रूरकेला में ३ अतिरिक्त उर्वरक-उत्पादन केन्द्र स्थापित किए जाएंगे जिनकी वार्षिक उत्पादन-क्षमता क्रमशः ७०,००० टन, ७०,००० टन तथा ८०,००० टन की होगी। 'नंगल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड' के प्रबन्ध में नंगल-स्थित कारखाने में उत्पादन-कार्य १९६० में आरम्भ होने की आशा है। नइवेली तथा रूरकेला के कारखानों में क्रमशः यूरिया तथा नाइट्रोलाइमस्टोन तैयार किया जाएगा।

तेल

द्वितीय योजना के प्रारम्भ में तेल-संसाधनों की दृष्टि से हमारी स्थिति सन्तोषप्रद थी। देश को प्रतिवर्ष लगभग ७० लाख टन तेल की आवश्यकता होती है जिसमें से ६६ लाख टन तेल की पूर्ति आयात से ही होती है। भारत का एकमात्र तेल-क्षेत्र असम में डिगबोई के आसपास स्थित है। नाहरकटिया तथा मोरान के आसपास के प्रदेशों में भी तेल का पता लगाया जा चुका है और कई कुएँ खोदे जा चुके हैं। इन क्षेत्रों से प्रति वर्ष २५ लाख टन कच्चा तेल प्राप्त होने की आशा है जिसके फलस्वरूप कुल उत्पादन बढ़कर ४५ से ५० लाख टन हो जाएगा।

पेट्रोलियम तथा कच्चे तेल का पता लगाने तथा इनके उत्पादन और सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले दो तेल-शोधन कारखानों तक पाइप लगाने के लिए 'आयल इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड' नामक एक रुपया कम्पनी की स्थापना के लिए जनवरी, १९५८ में एक करार पर हस्ताक्षर किए गए।

पंजाब में ज्वालामुखी नामक स्थान में तेल की खोज का काम जारी है। इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल में भी तेल-क्षेत्रों की खोज की जा रही है। इस खोज में विदेशों से भी सहायता प्राप्त हो रही है।

प्रथम योजना के आरम्भ में देश की पेट्रोल सम्बन्धी कुल आवश्यकता की पूर्ति आयातों से ही होती थी क्योंकि डिगबोई-स्थित 'असम तेल कम्पनी' के शोधन-कारखाने में पेट्रोल-उत्पादन कुल आवश्यकता के ५ प्रतिशत से कुछ ही अधिक था। प्रथम योजना में ३ पेट्रोल-शोधन कारखाने स्थापित करना स्वीकार किया गया था। इनमें से दो ट्रॉम्बे में तथा तीसरा विशाखापटनम में स्थापित किया गया।

दो नये तेल-शोधन कारखानों के संचालन के लिए अगस्त, १९५८ में ३० करोड़ रुपये की अधिकृत पूँजी के साथ 'इण्डियन रिफाइनरीज़ प्राइवेट लिमिटेड' नामक एक सरकारी कम्पनी स्थापित की गई। अक्तूबर, १९५८ में हुए एक करार के अनुसार रूमानिया सरकार ने भी असम में एक तेल-शोधन कारखाना स्थापित करने का निश्चय किया है।

कोयला तथा लिग्नाइट

खानों से कोयला निकालने का काम भारत में सबसे पहले १८१४ में रानीगंज (बंगाल) में आरम्भ हुआ। देश में रेलों का चलन आरम्भ होने से इस उद्योग को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ तथा कई ज्वाइण्ट स्टाक कम्पनियाँ स्थापित हुईं। इन कम्पनियों में से अधिकांश कम्पनियाँ यूरोपीय लोगों के ही नियन्त्रण में थीं। १८६८ के बाद कोयला-उत्पादन में तेज़ी से वृद्धि हुई। १९५८ में ४.५२ करोड़ टन कोयले का उत्पादन हुआ।

द्वितीय योजना के अन्त तक ६ करोड़ टन कोयले के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। २.२० करोड़ टन कोयले के अतिरिक्त उत्पादन में से १ करोड़ टन कोयला निजी क्षेत्र में पैदा होगा। सार्वजनिक क्षेत्र में कोयले के उत्पादन की देखभाल के लिए अक्तूबर, १९५६ में स्थापित 'राष्ट्रीय कोयला विकास निगम (प्राइवेट) लिमिटेड' ११ कोयला-खानों में कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने में सफल हुआ। कई नयी कोयला-खानों से भी कोयला निकाला जाने लगा है। नवम्बर, १९५८ में एक जापानी फर्म की सहायता से कारगली में कोयला धोने का एक कारखाना स्थापित किया गया। मार्च, १९५९ में पश्चिम जर्मनी की एक फर्म की सहायता से पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा स्थापित दुर्गापुर के कोयला-भट्ठी संयन्त्र से दुर्गापुर इस्पात संयन्त्र के लिए कोयला प्राप्त होगा। १९५८ में निजी कोयला-खानों से ३.९५ करोड़ टन कोयला निकाला गया।

दक्षिण भारत में कोयले की कमी को देखते हुए नइवेली के 'बहूद्देश्यीय दक्षिण आरकाडु लिग्नाइट योजनाकार्य' के विकास को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। दिसम्बर, १९५६ में 'नइवेली लिग्नाइट निगम' ने इस योजनाकार्य को अपने अधिकार में ले लिया। कोयला निकालने का काम प्रगति पर है। नवम्बर, १९५७ के भारत-रूसी करार के अधीन एक विद्युत्गृह की स्थापना के लिए ५० करोड़ रूबल का ऋण प्राप्त किया जा चुका है।

अन्य खनिज पदार्थ

१९५८ में खनन-कार्य में लगभग ६,४७,००० व्यक्ति लगे हुए थे और ३,३०० खानों में काम हो रहा था। अधिक महत्वपूर्ण खनन केन्द्र आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, मैसूर तथा राजस्थान में हैं। १९५७ में खानों से १ अर्ब २६ करोड़ २० लाख रुपये के मूल्य के खनिज पदार्थ निकाले गए। १९५६ में इनका परिमाण सम्बन्धी सूचनांक ११६.५ (आधार वर्ष : १९५१ = १००) था। विभिन्न खनिज पदार्थों का उत्पादन तथा उनका मूल्य (१९५७) अगले पृष्ठ की तालिका सं० ५० में दिखाया गया है।

तालिका ५०

खनिज पदार्थों का उत्पादन (परिमाण तथा मूल्य)

	१९५७	
	परिमाण	मूल्य (रुपये)
धातु खनिजपदार्थ		
लौह		
क्रोमाइट (टन)	७८,५४२	२६,२०,०००
लोहा (टन)	५०,७४,०००	४ ३४ ३४,०००
मैंगनीज़ (टन)	१६,०२,०००	१४,०५,४६,०००
अलौह		
बॉक्साइट (टन)	६६,०७१	६,०६,०००
तांबा (टन)	४,०४,०००	२ ६५,३४,०००
सोना (औंस)	१,७६,०००	५,१०,६६,०००
इलेमेनाइट (टन)	२,६६,०००	१,६८,१२,०००
सीसा (टन)	४८,५०,०००	१२,१०,०००
चांदी (औंस)	१,२६,०००	६,०५,०००
चण्डातु (वोलफ्राम) (हण्डरवेट)	२६	८,०००
जस्ता (टन)	७,४६६	२५,३२,०००
धातु-भिन्न खनिज पदार्थ		
हीरा (कैरेट)	७६०	१,६८,०००
मरकत (एमेरल्ड) (कैरट)	३ ३८,०००	२५,०००
जिप्सम (टन)	६,२२,०००	५७,६३,०००
कच्चा अभ्रक (हण्डरवेट)	६,०६ ०००	२,३१,५४,०००
नमक (सेंधा नमक को (छोड़कर) (टन)	३६,१२,०००	७,४३,७५,०००

बाग़ान उद्योग

१८३४-१८६५ में चाय का उत्पादन सरकारी बाग़ानों में ही होता था। १८६५ के बाद से चाय के बाग़ानों की व्यवस्था मुख्यतः यूरोपीय कारोबारी संस्थाओं के हाथ में ही

रही। १९३५-३६ में ७,८१,२३० एकड़ भूमि में ३१.५० करोड़ पौण्ड चाय का उत्पादन हुआ।

कहवा की कृषि १८३० में आरम्भ हुई तथा १८६२ में इस उद्योग का विकास चरम सीमा पर पहुँच गया। १९३५-३६ में १,८६,००० एकड़ भूमि में कहवा के बाग़ान थे।

रबड़ के बाग़ान हाल के कुछ वर्षों में लगाए गए। १९४० में १२,००० टन रबड़ का उत्पादन हुआ। १९४०-४१ में ५,३८,००० एकड़ भूमि में रबड़ के बाग़ान थे।

चाय, कहवा तथा रबड़ के बाग़ान देश की कृषि-भूमि के लगभग ०.४ प्रतिशत भाग में फैले हुए हैं। ये बाग़ान मुख्यतः उत्तरपूर्वी तथा दक्षिणपूर्वी समुद्रतट पर स्थित हैं। इनमें १२ लाख से अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है तथा इनके निर्यात से भारत को बहुत अधिक विदेशी विनिमय प्राप्त होता है। १ अर्ब रुपये का विदेशी विनिमय केवल चाय से ही प्राप्त होता है। कहवा तथा रबड़ का उपभोग आजकल अधिकतर देश में ही हो जाता है।

चाय तथा कहवा के बाग़ानों में १९५७ में उत्पादन क्रमशः ६७ करोड़ ५६ लाख ३१ हज़ार तथा ८ करोड़ ८० लाख १० हज़ार पौण्ड और रबड़ के बाग़ानों में १९५६ में उत्पादन ४.९० करोड़ पौण्ड हुआ।

१९५४ में चाय उद्योग में १.१३ अर्ब रुपये का विनियोग किया गया। इस उद्योग में ९,९३,५९४ व्यक्ति रोज़गार से लगे हुए थे। इनके अतिरिक्त १९५५-५६ में कहवा तथा रबड़ के बाग़ान क्रमशः १३,४४३ तथा १४,४१७ थे जिनमें क्रमशः २,२२,७९३ तथा औसतन ५७,८१२ व्यक्ति रोज़गार से लगे हुए थे।

चाय, कहवा तथा रबड़ उद्योगों की आर्थिक स्थिति तथा समस्याओं की जाँच-पड़ताल के लिए अप्रैल, १९५४ में नियुक्त 'बाग़ान जाँच आयोग' ने १९५६ में अपने प्रतिवेदन दिए। सितम्बर, १९५८ में चाय पर लगने वाले निर्यात-शुल्क में कमी करने और विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न दरों पर उत्पाद-शुल्क निर्धारित करने का निर्णय किया गया।

छोटे पैमाने के तथा कुटीर उद्योग

यद्यपि देश में बड़े पैमाने के उद्योगों का काफी विकास हुआ है, तथापि भारत मुख्यतः छोटे पैमाने के उद्योगों का ही देश है। यह अनुमान लगाया गया है कि देश के कुटीर उद्योगों में लगभग २ करोड़ व्यक्ति लगे हुए हैं जिनमें से ५० लाख व्यक्ति हथकरघा उद्योग में ही काम करते हैं।

छोटे पैमाने के उद्योगों का संगठन करने का दायित्व मुख्यतः राज्य सरकारों पर है। उनकी सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार ने निम्न संगठन स्थापित किए हैं: अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग; अखिल भारतीय दस्तकारी मण्डल; अखिल भारतीय हथकरघा मण्डल; लघु उद्योग मण्डल; नारियलजटा मण्डल तथा केन्द्रीय रेशम मण्डल।

सरकार तथा बैंकिंग संस्थान छोटे उद्योगों को वित्तीय सहायता देते हैं। १६५७-५८ में छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिए राज्य सरकारों के लिए ३.३० करोड़ रुपये के ऋणों तथा १.१० करोड़ रुपये के अनुदानों को स्वीकृति दी गई। अब तक ७२ औद्योगिक बस्तियों की स्थापना के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है जिनमें से सितम्बर, १६५८ तक १७ औद्योगिक बस्तियों का निर्माण पूरा हो चुका था और इन पर ३.६८ करोड़ रुपये व्यय हुए। इन औद्योगिक बस्तियों के लिए योजना में निर्धारित राशि १० करोड़ रुपये से बढ़ाकर १५ करोड़ रुपये कर दी गई है।

केन्द्रीय सरकार ने 'औद्योगिक विस्तार सेवा' के नाम से छोटे उद्योगों को प्राविधिक सहायता देने का एक कार्यक्रम आरम्भ कर दिया है। कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई तथा मद्रास स्थित ४ प्रादेशिक संस्थाओं, १२ बड़ी संस्थाओं, ५ शाखा संस्थाओं तथा ६२ विस्तार केन्द्रों का भी कार्य आरम्भ हो चुका है। प्रत्येक राज्य भी में ऐसी एक संस्था की व्यवस्था करने के लिए दिसम्बर, १६५८ में इस सेवा का पुनस्संगठन किया गया। लघु उद्योगों को प्राविधिक मामलों में सहायता देने के लिए विदेशों से विशेषज्ञ बुलाए जाते हैं तथा फोर्ड प्रतिष्ठान की सहायता से भारतीय प्राविधिज्ञों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा जाता है।

फरवरी, १६५५ में एक 'राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम' स्थापित किया गया। १६५५-५६ में केन्द्रीय सरकार ने कुटीर तथा लघु उद्योगों द्वारा निर्मित ३.४० करोड़ रुपये की वस्तुएँ खरीदीं। निगम ने मशीनों तथा उपकरणों के क्रयाविक्रय (हायर परचेज) के लिए एक योजना लागू की जिसके अन्तर्गत लघु उद्योगों को १.४३ लाख रुपये की मशीनें दी जा चुकी हैं।

छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिए 'सामुदायिक योजनाकार्य प्रशासन' ने कई सामुदायिक योजनाकार्य तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों में खण्ड-स्तर के औद्योगिक अधिकारी नियुक्त किए हैं।

दस्तकारी की वस्तुओं के उत्पादन में सुधार करने तथा उनके विक्रय की व्यवस्था के लिए १६५२ में स्थापित 'अखिल भारत दस्तकारी मण्डल' ने देश तथा विदेश, दोनों स्थानों में विशेष रूप से ध्यान दिया। इस मण्डल के निर्यात-प्रोत्साहन सम्बन्धी कुछ कार्यों के लिए 'भारतीय दस्तकारी विकास निगम' स्थापित किया जा चुका है। विभिन्न राज्यों में 'दस्तकारी सप्ताह' मनाए जाते हैं। दस्तकारी की वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि हुई। प्रति वर्ष १ अर्ब रुपये के मूल्य का उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया है और प्रति वर्ष लगभग ७ करोड़ रुपये के मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया जाता है।

नारियलजटा उद्योग मुख्यतः एक कुटीर उद्योग है। इसके कुछ कारखानों में लकड़ी के करघे हैं जिन पर हाथ से काम किया जाता है। १.२० लाख टन के अनुमानित वार्षिक उत्पादन में से ६० प्रतिशत उत्पादन केरल में ही होता है।

औसतन ५०,००० टन नारियलजटा तथा इससे बनी २१,००० टन वस्तुओं का निर्यात किया जाता है। 'नारियलजटा मण्डल' भारत में नारियलजटा से बनने वाली वस्तुओं को लोकप्रिय बनाने तथा उनको प्रोत्साहन देने के कार्य में लगा हुआ है। नारियल-

जटा से बनी वस्तुएँ विदेशी विनिमय के अर्जन के महत्वपूर्ण स्रोत होने की दृष्टि से द्वितीय योजना में नारियलजटा उद्योग के लिए की गई व्यवस्था अब बढ़ाकर २.३० करोड़ रुपये की कर दी गई है।

१९५७ में ३१.७० लाख पौण्ड कच्चे रेशम का उत्पादन हुआ जिसमें से लगभग आधे का उत्पादन मैसूर राज्य में ही हुआ। मैसूर के बाद इसके महत्वपूर्ण उत्पादन-क्षेत्रों में असम, जम्मू तथा कश्मीर, पश्चिम बंगाल तथा मद्रास के राज्य आते हैं। अप्रैल, १९५८ में पुनस्संगठित 'केन्द्रीय रेशम मण्डल' रेशम उद्योग तथा रेशम-कीड़ा-पालन के विकास की देखभाल करता है। १९४३ में बरहामपुर (पश्चिम बंगाल) में एक 'केन्द्रीय रेशम-कीड़ा-पालन शोध केन्द्र' स्थापित किया गया। इसकी एक शाखा कलिम्पोंग में भी स्थापित की गई। द्वितीय योजना में इस केन्द्र का विस्तार किया जाएगा। 'केन्द्रीय रेशम मण्डल' की ओर से मैसूर में एक 'अखिल भारतीय रेशम-कीड़ा-पालन प्रशिक्षण संस्था' तथा श्रीनगर में एक 'केन्द्रीय रेशम-कीड़ा (विदेशी) पालन केन्द्र' स्थापित किया गया।

प्रथम योजनाकाल में लघु तथा ग्राम उद्योगों के विकास के लिए विभिन्न मण्डलों के द्वारा केन्द्रीय सरकार न जो व्यय किया, वह निम्न तालिका में दिखाया गया है :

तालिका ५१

लघु तथा ग्राम उद्योगों पर हुआ व्यय (प्रथम योजना)

(करोड़ रुपयों में)

	१९५१-५६
खादी	१२.३०
ग्राम उद्योग	२.६०
लघु उद्योग	४.४०
दस्तकारी	०.८०
नारियलजटा	०.३०
रेशम-कीड़ा पालन	०.७०
हथकरघा	१२.२०
योग	३३.६०

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लघु तथा ग्राम उद्योगों के विकास के लिए २ अर्ब रुपये की व्यवस्था की गई है जिसमें से खादी उद्योग पर १६.७० करोड़ रुपये, ग्राम उद्योगों पर

३८.८० करोड़ रुपये, लघु उद्योगों पर ५५ करोड़ रुपये, दस्तकारी उद्योग पर ६ करोड़ रुपये हथकरघा उद्योग पर ५६.५० करोड़ रुपये तथा अन्य उद्योगों पर २१ करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे।

द्वितीय योजना के प्रथम दो वर्षों में ग्राम तथा लघु उद्योगों पर ५६ करोड़ रुपये व्यय किए गए।

खादी उद्योग

'अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग' खादी उद्योग को सहकारी समितियों, पंजीकृत संस्थानों, राज्य सरकारों और राज्य सरकारों द्वारा स्थापित मण्डलों के द्वारा वित्तीय सहायता देता है। खादी के उत्पादन को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से उपभोक्ताओं को एक रुपये पर १९ नये पैसे की छूट दी जाती है, जबकि उन व्यक्तियों को प्रत्येक वर्ग गज खादी पर ३१ नये पैसे की छूट दी जाती है जो अपने उपयोग के लिए खादी स्वयं तैयार करते हैं। खादी के विक्रय तथा उत्पादन केन्द्रों को भी एक रुपये पर ३७ नये पैसे की छूट दी जाती है।

१९५७-५८ में १०.१५ करोड़ रुपये की खादी का उत्पादन हुआ तथा ७.७२ करोड़ रुपये की खादी बिकी।

अम्बर चर्खा

१९५६-५७ में उन्नत प्रकार का चर्खा (अम्बरचर्खा) चालू किए जाने के सम्बन्ध में निर्णय किया गया। इस चर्खे में ४ तकुए होते हैं और कातने वाला ८ घण्टे में प्रति दिन ६ गुण्डियाँ कात सकता है। अम्बर चर्खे पर काते गए सूत से करघों द्वारा लगभग ३० करोड़ वर्ग गज वस्त्र तैयार होने वाला है।

सरकार द्वारा मार्च, १९५६ में नियुक्त 'अम्बर चर्खा जाँच समिति' इस निर्णय पर पहुँची कि कताई के लिए अम्बर चर्खा सबसे अधिक उपयुक्त होगा। तदनुसार सरकार ने १९५६-५७ में ७५,००० अम्बर चर्खे चालू करने की स्वीकृति दी। १९५७-५८ में अम्बर चर्खे के सूत से १ करोड़ ११ लाख ५० हज़ार वर्ग गज कपड़ा तैयार हुआ।

१९५७-५८ में अम्बर चर्खा कार्यक्रम के अन्तर्गत १,१०,१५३ व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ। १९५६-५७ में खादी तथा ग्रामोद्योग के विकास द्वारा २१.१८ लाख व्यक्तियों को पूर्ण तथा आंशिक समय के काम दिलाए गए।

—:०:—

पच्चीसवाँ अध्याय

व्यापार

विदेशों के साथ व्यापार

१९५७-५८ में विदेशों के साथ भारत का व्यापार कुल १५ अर्ब ६४ करोड़ ६२ लाख रुपये का हुआ—९ अर्ब २७ करोड़ १९ लाख रुपये का आयात तथा ६ अर्ब ३७ करोड़ ४३ लाख रुपये का निर्यात।

१९५७-५८ में भारत का व्यापार-सन्तुलन—२८९.७६ करोड़ रुपये था, जो १९५१-५२ के वर्ष से ही प्रतिकूल चला आ रहा है।

भुगतान-सन्तुलन

१९५८-५९ (अप्रैल-सितम्बर) के भुगतान-सन्तुलन की स्थिति इस प्रकार थी :

तालिका ५२

चालू भुगतान-सन्तुलन

	१९५८-५९ (अप्रैल-सितम्बर)
	रुपये
आयात (निजी तथा सरकारी)	५,२६,००,००,०००
निर्यात	२,५३,५०,००,०००
व्यापार-सन्तुलन	–२,७२,५०,००,०००
सरकारीदान अन्य अनभिलिखित (शुद्ध)	६१,७०,००,०००
चालू भुगतान-सन्तुलन	–२,१०,८०,००,०००

१९५६–५७ का ३.०७ अर्ब रुपये का घाटा आयातों में हुई वृद्धि तथा निर्यातों में आई कमी के फलस्वरूप १९५७-५८ में बढ़कर ४.५१ अर्ब रुपये का हो गया। १९५८-५९ के पूर्वार्द्ध में भुगतान-सन्तुलन पर दबाव पड़ना जारी रहा।

१६५८-५६ के भुगतान-सन्तुलन में पड़ने वाले घाटे को पूरा करने के लिए निम्न साधनों के द्वारा व्यवस्था की गई :

तालिका ५३

भुगतान-सन्तुलन के घाटे की पूर्ति के लिए व्यवस्था

	१६५८-५६ (अप्रैल-सितम्बर)
	रुपये
सरकारी ऋण	६५,५०,००,०००
अन्य पूँजीगत लेन-देन	१७,१०,००,०००
सुरक्षित रखे गए विदेशी विनिमय का उपयोग	८६,३०,००,०००
भूल-चूक लेनी-देनी	११,६०,००,०००
	२,१०,८०,००,०००

आयात

१६५७-५८ में विदेशी विनिमय बचा कर रखने का प्रयास करने के बावजूद, ११.७५ अर्ब रुपये के मूल्य का आयात हुआ। इतना अधिक आयात मुख्यतः पहले किए जा चुके वायदों के परिणामस्वरूप हुआ। आयात में यह वृद्धि सरकारी आयातों के कारण ही हुई जो इस वर्ष पिछले वर्ष से २.०१ अर्ब रुपये के मूल्य का अधिक हुआ। आयात की गई वस्तुओं के मूल्यों में लगभग १० प्रतिशत की वृद्धि हुई। कठोर नियन्त्रणात्मक उपायों के फलस्वरूप निजी आयात कम रहा, किन्तु निजी क्षेत्र में मशीनों का आयात १.५६ अर्ब रुपये से बढ़ कर १.६४ अर्ब रुपये के मूल्य का हो गया। निजी क्षेत्र में लोहा तथा इस्पात के आयात में और कच्ची सामग्री, तेल, कपास तथा रासायनिक पदार्थों के आयात में कमी आई। मुख्य उपभोक्ता वस्तुओं के आयात में भी लगभग ३० करोड़ रुपये की कमी हुई।

१६५७-५८ में सरकारी आयातों में लगभग ७० प्रतिशत की वृद्धि (२.६१ अर्ब रुपये से बढ़कर ४.६३ अर्ब रुपये) हुई। खाद्यान्नों के आयात में ४७ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। शेष १.५५ अर्ब रुपये की वृद्धि मशीनों तथा उपकरणों और लोहा तथा इस्पात के क्षेत्र में हुई। १६५८-५६ के पूर्वार्द्ध में सरकारी आयात, कुल आयात का ४८ प्रतिशत रहा।

सरकारी तथा विकासकार्य सम्बन्धी आयात

सरकारी तथा विकासकार्य सम्बन्धी आयात का विवरण अगले पृष्ठ पर तालिका सं० ५४ में दिया हुआ है।

तालिका ५४

सरकारी तथा विकासकार्य सम्बन्धी आयात

(करोड़ रुपयों में)

सरकारी आयात	१९५८-५९ (अप्रैल-सितम्बर)	विकास तथा विकास-भिन्न जिन्सों का आयात (१९५७ से प्रतिबन्धित आयात नीति का परिणाम)	१९५८-५९ (अप्रैल-सितम्बर)
खाद्यान्न	५३.८०	*विकास-भिन्न जिन्सें*	१७१.४०
सरकारी योजनाकार्यों के लिए पूंजीगत उपकरण	८५.९०	खाद्य	५३.८०
		अन्य उपभोक्ता वस्तुएँ	३८.८०
लोहा तथा इस्पात	२२.१०	अन्य विकास-भिन्न वस्तुएँ	७८.८०
रेल सम्बन्धी सामग्री	३२.२०		
संचार सामग्री (जहाज सहित)	५.६०		
अन्य (उर्वरक सहित)	५१.२०	*कच्ची सामग्री तथा अन्य वस्तुएँ*	१५६.७०
		पूँजीगत सामग्री	१९७.८०
		निजी	७४.१०
		सरकारी	१२३.७०
	२५०.८०		५२५.९०

निर्यात

१९५७-५८ में निर्यातों से ५.९५ अर्ब रुपये प्राप्त हुए जो १९५६-५७ की प्राप्ति से ४० करोड़ रुपये कम थे। विदेशों की माँग में कमी आने और कलकत्ता में बैंक तथा गोदी कर्मचारियों की हड़ताल होने के परिणामस्वरूप वर्ष के प्रथम ६ महीनों में निर्यातों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। चाय, पटसन की वस्तुओं, कपास तथा वनस्पतिजन्य तेलों के निर्यात में क्रमशः ३० करोड़ रुपये, ८ करोड़ रुपये, ८ करोड़ रुपये तथा ११ करड़ रुपये की महत्वपूर्ण कमी आई। डालर वाले क्षेत्रों को किए जाने वाले निर्यातों में तो कुछ ही कमी हुई, किन्तु पौण्ड-पावने वाले क्षेत्रों को किए जाने वाले निर्यातों में काफी कमी हुई।

व्यापार नीति

विदेशी विनिमय की सुरक्षित राशि में तेजी से कमी आने के फलस्वरूप, जिसका कारण मुख्यतः मशीनों और लोहा तथा इस्पात के आयात में हुई भारी वृद्धि थी,

१९५७ के पूर्वार्द्ध के लिए आयात सम्बन्धी नीति में अधिक कड़ाई करना आवश्यक हो गया। आयात पर लगे प्रतिबन्ध कठोर कर दिए गए और जुलाई-सितम्बर, १९५७ तथा अक्तूबर, १९५७–मार्च, १९५८ में कम आवश्यक उपभोक्ता सामग्री के आयात में भारी कमी की गई।

निर्यात प्रोत्साहन

निर्यात-व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने हाल के कुछ वर्षों में सूती वस्त्र, रेशमी तथा रेयन वस्त्र, प्लास्टिक, इंजीनियरिंग सम्बन्धी सामग्री, काजू, काली मिर्च, तम्बाकू, चमड़ा तथा चमड़े की वस्तुओं, अभ्रक, खेल-कूद के सामान तथा रसायनों आदि के लिए निर्यात प्रोत्साहन परिषदें स्थापित कीं। इस सम्बन्ध में ये अन्य उपाय भी किए गए: २०० जिन्सों के निर्यात पर लगे नियन्त्रण हटा दिए गए, कोटा निर्धारित करने के सम्बन्ध में लगे प्रतिबन्धों में कमी कर दी गई, निर्यात शुल्क कम अथवा समाप्त कर दिए गए, नियन्त्रण के अधीन आने वाली जिन्सों के लिए मुक्त रूप से लाइसेंस दिए जाने की व्यवस्था की गई तथा निर्यात की जाने वाली जिन्सों पर लगा उत्पाद शुल्क वापस किया जाने लगा।

एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर ५ करोड़ रुपये की अधिकृत पूँजी से जुलाई, १९५७ में एक सरकारी 'निर्यात हानिभय बीमा निगम' स्थापित किया गया। यह निगम उन हानिभय-बीमे की सुविधाएँ प्रदान करता है जिनका कारोबार सामान्यतः व्यापारिक बीमा कम्पनियाँ नहीं करतीं। जून, १९५७ में एक 'विदेशी व्यापार मण्डल' तथा एक 'निर्यात प्रोत्साहन निदेशालय' स्थापित किए गए। 'प्रदर्शनी निदेशालय' भारतीय वस्तुओं के लिए व्यापारिक दृश्य प्रचार का काम करता है। भारत, विदेशों की प्रदर्शनी तथा व्यापारिक मेलों में भाग लेता आ रहा है। अक्तूबर, १९५८ में नयी दिल्ली में 'भारत १९५८' नामक एक राष्ट्रीय प्रदर्शनी हुई जो जनवरी, १९५९ तक जारी रही।

निर्यात-प्रोत्साहन के सभी पहलुओं के सविस्तर अध्ययन के लिए नियुक्त 'निर्यात प्रोत्साहन समिति' ने अगस्त, १९५७ में सरकार को दिए अपने प्रतिवेदन में ये आवश्यक बातें सुझाईं: (१) सभी क्षेत्रों में, विशेषकर कृषि-उत्पादन में ठोस वृद्धि, (२) अन्य देशों की वस्तुओं के मूल्यों की तुलना में भारतीय वस्तुओं का मूल्य कम रखना, (३) घरेलू उपभोग को कम करके भी निर्यात को प्रोत्साहन देना, (४) विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्यात करना तथा निर्यात के क्षेत्रों का विस्तार करना और (५) निर्यात की वस्तुओं के नये प्रयोगों की खोज करना। समिति का विचार है कि उचित उपाय किए जाने के फलस्वरूप भारत का निर्यात ७ अर्ब रुपये से बढ़कर ७.५० अर्ब रुपये प्रति वर्ष का हो सकता है। समिति ने यह भी सुझाया है कि निर्यात-शुल्क न केवल नीची दर पर ही लगाए जाएँ बल्कि उन्हें शीघ्र परिवर्तित भी नहीं किया जाना चाहिए।

'निर्यात प्रोत्साहन परिषदों' द्वारा विदेशों को भेजे गए प्रतिनिधिमण्डलों के अतिरिक्त भारत सरकार ने मई, १९५९ में एक औद्योगिक-वाणिज्यीय सद्भावना मण्डल'

डेन्मार्क, फिनलैण्ड तथा स्वीडन भेजा। एक 'भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमण्डल' १६५७ में पश्चिम जर्मनी गया। १६५८ में अफगानिस्तान, जापान तथा रूस को भी ३ व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डल गए। घाना, जंजीबार, यूगाण्डा, श्रीलंका सऊदी अरब तथा संयुक्त अरब गणराज्य के व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डल इस वर्ष भारत आए।

व्यापार करार

अप्रैल, १६५७ के बाद से अब तक १२ देशों के साथ हुए व्यापार करारों को नवीकृत किया गया और अफगानिस्तान, चेकोस्लोवाकिया, जापान, यूनान तथा श्रीलंका के साथ नये करारों पर हस्ताक्षर किए गए। इथियोपिया, जापान तथा यूनान के साथ व्यापार करार पहली बार हुए। भारत तथा २६ देशों के बीच व्यापार करार पहले से ही हुए हुए हैं।

अगस्त, १६५६ में हुए भारत-अमेरिका करार में सार्वजनिक कानून ४८० के अन्तर्गत ३६ करोड़ डालर (१.७२ अर्ब रुपये) के मूल्य की उन कृषिजन्य वस्तुओं के, जो अमेरिका के लिए फालतू हैं, भारत में आयात किए जाने की व्यवस्था की गई थी। इसके अनुसार बिक्री से होने वाली आय में से १.३७ अर्ब रुपये भारत सरकार को हस्तान्तरित कर दिए जाएंगे तथा शेष का भारत में उपयोग करने के लिए अमेरिकी सरकार स्वतन्त्र होगी।

जुलाई, १६५६ में भारत, अमेरिका तथा वर्मा के बीच हुए एक त्रिदलीय करार के अनुसार भारत बर्मा को लगभग १.८५ करोड़ रुपये के मूल्य के सूती वस्त्र का निर्यात करेगा जिसका भुगतान बर्मा, सार्वजनिक कानून ४८० कार्यक्रम के अन्तर्गत अमेरिका से खरीदे गए कच्चे कपास के रूप में करेगा।

तटकर

१६५७-५८ में तटकर आयोग ने तटकर सम्बन्धी २२ मामलों की तथा इस्पात के मूल्य सम्बन्धी १ मामले की जाँच की। तटकर वाले मामलों की जाँच का सम्बन्ध उद्योगों को मिली सुरक्षा जारी रखने के प्रश्न से था। डिब्बाबन्द फल, तेल से जलने वाले लैम्प, अलौह धातु तथा सूती वस्त्र-मशीन उद्योगों के सम्बन्ध में तटकर सम्बन्धी सुरक्षा या तो समाप्त कर दी गई अथवा इनके उत्पादन के कुछ ही भाग के लिए सीमित रखी गई। आयोग ने उद्योगों को सुरक्षा देने तथा उनके सुरक्षात्मक शुल्क की वर्तमान दरों में परिवर्तन करने की सिफारिश की।

व्यापार की दिशा

विदेशों के साथ होने वाले भारत के व्यापार में अमेरिका तथा ब्रिटेन मुख्य खरीदार हैं। १६५७ में भारत के आयात-व्यापार में १६.६ प्रतिशत आयात अमेरिका से तथा २३.२ प्रतिशत आयात ब्रिटेन से हुआ। निर्यात-व्यापार में २०.६ प्रतिशत निर्यात अमेरिका को तथा २५.१ प्रतिशत निर्यात ब्रिटेन को हुआ।

१९५७ में विदेशों को ६ अर्ब ३७ करोड़ ७४ लाख रुपये के मूल्य का निर्यात तथा विदेशों से १० अर्ब २५ करोड़ ८० लाख रुपये के मूल्य का आयात हुआ।

१९५७ में खाद्य, पेय तथा तम्बाकू ; कच्चे माल और तैयार वस्तुओं का मिलाजुला सामान्य निर्यात-सूचनांक परिमाण की दृष्टि से ११९ तथा मूल्य की दृष्टि से ९४ था। इसी प्रकार इन वस्तुओं का आयात-सूचनांक परिमाण की दृष्टि से १५६ तथा मूल्य की दृष्टि से ९८ था। इस वर्ष निर्यात-मूल्य सूचनांक तथा आयात-मूल्य सूचनांक का अनुपात (आधार वर्ष : १९५२-५३ = १००) ९६ रहा।

सरकारी व्यापार निगम

मई, १९५६ में १ करोड़ रुपये की अधिकृत पूँजी से सरकारी संगठन के रूप में 'सरकारी व्यापार निगम' की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य, विदेशों के साथ होने वाले भारत के व्यापार की न्यूनताओं को पूरा करके व्यापार को संगठित करना है। स्थापित होने के बाद से ही यह निगम नियन्त्रित अर्थव्यवस्था वाले देशों के साथ भारत के निर्यात-व्यापार में विस्तार करने का प्रयास कर रहा है जिससे भारत के पौण्ड-पावने पर कुछ भी प्रभाव डाले बिना इन देशों से इस्पात, सीमेण्ट तथा औद्योगिक उपकरण आदि प्राप्त किए जा सकें। निगम सीमेण्ट, सोडा ऐश, कास्टिक सोडा, कच्चा रेशम, उर्वरक तथा जिप्सम जैसी वस्तुएँ सस्ते मूल्य पर पहले से ही खरीद चुका है। निगम ने जिन वस्तुओं के निर्यात के सम्बन्ध में व्यवस्था की है, उनमें खनिज पदार्थ, जूते तथा दस्तकारी की वस्तुएँ, नमक, चाय, कहवा तथा ऊनी वस्त्र हैं। निगम ने लगभग १ अर्ब २६ करोड़ ८० लाख रुपये का कारोबार किया।

सरकार ने जुलाई, १९५६ में निगम को भारतीय सीमेण्ट उद्योगों से सीमेण्ट प्राप्त करने, विदेशों से सीमेण्ट मँगाने तथा इसका भारत की सभी रेल-पथ-सीमाओं (रेलहैड्स) पर समान मूल्य पर वितरण करने का काम सौंप दिया। देश में सीमेण्ट पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होने के फलस्वरूप १९५८ में निगम को २ लाख टन भारतीय सीमेण्ट निर्यात करने का अधिकार दे दिया गया। जुलाई, १९५७ से देश से कच्चा लोहा विदेशों को भेजने की व्यवस्था करने का काम भी निगम को सौंप दिया गया है।

आन्तरिक व्यापार

तटीय व्यापार

भारतीय तट निम्न सामुद्रिक खण्डों में विभाजित कर दिया गया है : (१) पश्चिम बंगाल, (२) उड़ीसा, (३) मद्रास (आन्ध्र प्रदेश सहित) (४) तिरुवांकुर-कोचीन, (५) कोचीन बन्दर, (६) बम्बई, (७) सौराष्ट्र, ओखा तथा कच्छ। एक ही सामुद्रिक खण्ड में विभिन्न बन्दरगाहों के बीच होने वाला व्यापार 'आन्तरिक व्यापार' कहलाता है तथा दो भिन्न सामुद्रिक खण्डों के बीच होने वाला व्यापार 'बाह्य व्यापार' कहलाता है।

१९५७-५८ (अप्रैल-दिसम्बर) में कुल तटवार व्यापार २ अर्ब ३७ करोड़ २५ लाख रुपये के मूल्य का हुआ—१ अर्ब १४ करोड़ १८ लाख रुपये के मूल्य का आयात तथा १ अर्ब २३ करोड़ ७ लाख रुपये के मूल्य का निर्यात।

अन्तर्देशीय व्यापार

देश के विस्तृत क्षेत्रफल, भिन्न-भिन्न स्थानों की भिन्न-भिन्न प्रकार की जलवायु तथा विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों को देखते हुए यह स्वाभाविक ही है कि भारत का अन्तर्देशीय व्यापार, इसके बाह्य व्यापार से कई गुना बड़ा हो। 'राष्ट्रीय योजना समिति' की व्यापार उपसमिति के प्रतिवेदन के अनुसार १९४० में देश का आन्तरिक व्यापार ७० अर्ब रुपये के मूल्य का तथा बाह्य व्यापार ५ अर्ब रुपये के मूल्य का हुआ। अन्तर्देशीय व्यापार की दृष्टि से भारत ३६ व्यापार खण्डों में विभाजित किया गया है।

विभिन्न राज्यों तथा बन्दरगाह वाले मुख्य नगरों (आयात) के बीच रेल तथा नदियों के द्वारा देश में जो व्यापार हुआ, वह निम्न तालिका में दिखाया गया है :

तालिका ५५
अन्तर्देशीय व्यापार—चुनी हुई वस्तुएँ

	(१९५६-५७)
	मन
लकड़ी तथा पत्थर का कोयला	५७,५२,२२,०००
सूती कटपीस	७०,२६,०००
चावल	४,५४,११,०००
गेहूँ	२,९७,७४,०००
कच्चा पटसन	९१,२०,०००
लोहा तथा इस्पात की वस्तुएँ	६,६०,९५,०००
तिलहन	२,५०,५७,०००
नमक	२,९४,२०,०००
चीनी (खाण्डसारी चीनी को छोड़कर)	२,४४,५९,०००

मीट्रिक माप-तोल

'माप-तोल मानक अधिनियम, १९५६' के अधीन जारी की गई सूचनाओं द्वारा चुने हुए क्षेत्रों में अक्तूबर, १९५८ से मीट्रिक माप-तोल की प्रणाली का प्रयोग करने की अनुमति दे दी गई। राज्य सरकारों और व्यापार तथा उद्योग की प्रतिनिधि संस्थाओं के परामर्श से सभी राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के सभी नियमित बाजारों तथा निर्दिष्ट क्षेत्रों में मीट्रिक माप-तोल की प्रणाली लागू की गई। अक्तूबर, १९६० तक माप-तोल की वर्तमान प्रणाली का प्रयोग करने की छूट दे दी गई है। राज्य सरकारें नयी प्रणाली लागू करने के लिए आवश्यक उपाय कर रही हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य १९६० के मध्य तक सम्पूर्ण भारत में मीट्रिक तोल का चलन आरम्भ कर देना रखा गया है। मीट्रिक माप की प्रणाली भी धीरे-धीरे लागू की जाएगी।

—:०:—

छब्बीसवाँ अध्याय

परिवहन

रेल

भारतीय रेलों का यातायात ३४,८८६ मील की लम्बाई में होता है। भारतीय रेल संगठन एशिया में सबसे बड़ा तथा संसार का चौथा सबसे बड़ा संगठन है। १९५८ में रेलों द्वारा प्रति दिन औसतन लगभग ४० लाख व्यक्तियों ने यात्रा की तथा ३.७० लाख टन सामान एक स्थान से दूसरे स्थान को लाया-ले जाया गया। १९५७-५८ के अन्त में रेलों में, जो देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्योग है, १२ अर्ब २८ करोड़ ६४ लाख रुपये की पूँजी लगी हुई थी और सकल आय के रूप में ३ अर्ब ८२ करोड़ ९९ लाख रुपये प्राप्त हुए। इसी वर्ष रेलों को ३ अर्ब ११ करोड़ १६ लाख रुपये व्यय करने पड़े। रेलों में ११,११,०२६ व्यक्ति काम से लगे रहे तथा मज़दूरी और वेतन के रूप में उन्हें १.७३ अर्ब रुपये दिए गए।

भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन का उद्घाटन १६ अप्रैल, १८५३ को हुआ। १९५७-५८ में १ अर्ब ४३ करोड़ १० लाख ५९ हज़ार व्यक्तियों ने रेलों से यात्रा की तथा इनसे रेलों को १ अर्ब २० करोड़ ८ लाख रुपये की आय हुई। इसी प्रकार इस वर्ष १३ करोड़ ३३ लाख ६५ हज़ार टन सामान रेलों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान को लाया-ले जाया गया तथा इससे रेलों को २ अर्ब २५ करोड़ ७२ लाख रुपये की आय हुई।

३७ रेल प्रणालियों को जो अगस्त, १९४९ के पूर्व भारत में विद्यमान थीं, ८ रेल-क्षेत्रों में बाँट दिया गया है। ये क्षेत्र निम्न तालिका में दिखाए गए हैं :

तालिका ५६

रेल क्षेत्र

क्षेत्र	स्थापित होने की तिथि	रेल क्षेत्र के अन्तर्गत लाइनें	मुख्यालय	३१ मार्च, १९५८ को रेलमार्गों* की लम्बाई (मीलों में)
दक्षिणी	१४ अप्रैल, १९५१	मद्रास तथा दक्षिणी मरहठा, दक्षिण भारत और मैसूर रेल	मद्रास	६,१५९.३६ ब० ला० १,८५८.३४ म० ला० ४,२०५.३२ छो० ला० ९५.७०

ब० ला० = बड़ी लाइन ५½'; म०ला० = मध्यम लाइन ३'–३$\frac{3}{8}$"; छो०ला० = छोटी २'–६" तथा २'

तालिका ५६ (क्रमशः)

१	२	३	४	५	
मध्य	५ नवम्बर, १९५१	ग्रेट इण्डियन पेनिनसुलर, निजाम स्टेट, सिन्धिया और धौलपुर रेल	बम्बई		५,३३०.५२
				ब० ला०	३,७९६.५८
				म० ला०	८०८.९६
				छो० ला०	७२४.९८
पश्चिमी	५ नवम्बर, १९५१	बम्बई बड़ौदा तथा सेण्ट्रल इण्डिया, सौराष्ट्र, कच्छ, राजस्थान और जयपुर रेल	बम्बई		६,०५७.६१
				ब० ला०	१,५८५.५९
				म० ला०	३,७१३.७४
				छो० ला०	७५८.२८
उत्तरी	१४ अप्रैल, १९५२	पूर्वी पंजाब, जोधपुर-बीकानेर रेल और ईस्ट इण्डियन रेल के तीन अपर डिवीजन	दिल्ली		६,३६८.४०
				ब० ला०	४,२०१.५२
				म० ला०	२,००५.०५
				छो० ला०	१६१.८३
उत्तर-पूर्वी	१४ अप्रैल, १९५२	अवध तथा तिरहुत, असम रेल और पुरानी बम्बई बड़ौदा तथा सेण्ट्रल इण्डिया रेल का फतेहगढ़ जिला	गोरखपुर	म० ला०	३,०६३.५३
उत्तर-पूर्व सीमान्त	१५ जनवरी, १९५८		पाण्डू		१,७३८.००
				ब० ला०	२.२५
				म० ला०	१,६८६.००
				छो० ला०	४९.७५
पूर्वी	१ अगस्त, १९५५	ईस्ट इण्डियन रेल (तीन अपर डिवीजनों को छोड़कर)	कलकत्ता		२,३२४.६८
				ब० ला०	२,३०७.५४
				म० ला०	—
				छो० ला०	१७.१४

तालिका ५६ (क्रमशः)

१	२	३	४	५	
दक्षिण-पूर्वी	१ अगस्त, १९५५	बंगाल-नागपुर रेल	कलकत्ता		३,४१९.४८
				ब० ला०	२,४६४.६५
				म० ला०	—
				छो० ला०	९२४.८३

रेल-वित्त

१९२५ में रेल-वित्त, सामान्य वित्त से अलग कर दिया गया और यह निर्णय किया गया कि रेलें सामान्य राजस्व में निर्धारित दर के अनुसार योगदान दिया करें।

योजनाओं के अन्तर्गत विकास

हाल के कुछ वर्षों में रेलों के सामने पुनस्संस्थापन (पुराने डिब्बों तथा रेल-इंजिनों के स्थान पर नये डिब्बे तथा रेल-इंजिन चालू करने) की समस्या रही है। यह समस्या पहले आर्थिक मन्दी के कारण पैदा हुई और बाद को युद्ध तथा विभाजन के फलस्वरूप और भी जटिल हो गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में रेलों के पुनस्संस्थापन तथा विस्तार पर ४ अर्ब २३ करोड़ ७३ लाख रुपये व्यय किए गए।

द्वितीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए प्रस्तावित ४८ अर्ब रुपये के कुल व्यय में से रेलों पर ९ अर्ब रुपये व्यय किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें से १.५० अर्ब रुपये की व्यवस्था रेलें स्वयं अपने-आप करेंगी। इसके अतिरिक्त 'रेल मूल्य-ह्रास निधि' में उनके योगदान के रूप में २.२५ अर्ब रुपये और व्यय किए जाएंगे।

नये निर्माणकार्य

प्रथम योजनाकाल में, पहले उखाड़ दी गई ४३० मील लम्बी लाइनें फिर से बिछा दी गईं, ३८० मील लम्बी नयी लाइनें बिछाई गईं तथा ४६ मील लम्बी छोटी लाइनों को मध्यम लाइनों में बदल दिया गया। योजनाकाल के अन्त में ४५४ मील लम्बी नयी लाइनें बिछाई जा रही थीं; ५२ मील लम्बी लाइनें बड़ी लाइनों में बदली जा रही थीं तथा २,००० मील से अधिक नयी लाइनों का सर्वेक्षण किया जा रहा था। द्वितीय योजनाकाल में ८४२ मील लम्बी नयी लाइनें बिछाई जाएंगी; १,६०७ मील लम्बी रेल लाइनें दोहरी की जाएंगी, २६५ मील लम्बी मध्यम लाइनों को बड़ी लाइनों में बदला जाएगा तथा ८,००० मील लम्बी वर्तमान लाइनों के स्थान पर नयी लाइनें बिछाई जाएंगी।

१९५७-५८ में १६८.१४ मील लम्बी निम्न नयी लाइनें चालू की गईं : (१) उत्तरी रेल की बरहन-आवागढ़ लाइन (बरहन-एटा लाइन पर) (२३.३३ मील); (२) उत्तर-पूर्वी रेल की लीडो-लेकापाणी लाइन (५.४१ मील); (३) दक्षिणी रेल की कोट्टयम-क्विलोन लाइन (५९.३२ मील); (४) पश्चिमी रेल की भिलाडी-रानीवाड़ा लाइन (४३.६१ मील) और (५) मध्य रेल की खण्डवा-तक्कल लाइन (१८.३९ मील), खण्डवा-अजमेर लाइन (०.३९ मील) तथा हिंगोली-कन्हेरगाँव-नाका लाइन (१७.६९ मील)।

रेल-इंजिन तथा डिब्बे

प्रथम योजनाकाल में ४९६ रेल-इंजिनों; ४,३५१ सवारी-डिब्बों और ४१,१९२ माल-डिब्बों का निर्माण किया गया।

द्वितीय योजना में रेलों के विकास तथा पुनस्संस्थापन के लिए जो कार्यक्रम रखा गया है, वह निम्न तालिका में दिखाया गया है :

तालिका ५७

रेल-इंजिन तथा डिब्बे (द्वितीय योजना)

	रेल-इंजिन			माल-डिब्बे			सवारी डिब्बे		
	बड़ी लाइन	मध्यम लाइन	छोटी लाइन	बड़ी लाइन	मध्यम लाइन	छोटी लाइन	बड़ी लाइन	मध्यम लाइन	छोटी लाइन
विकास	४६८	४५१	—	६६,५७५	१६,८२०	—	१,७६४	३,३६४	—
पुनस्संस्थापन	९६२	४०२	८१	१४,८७९	४,९५२	४,०२१	४,३९२	१,४२२	६३३
योग	१,४३०	८५३	८१	८१,४५४	२१,७७२	४०२१	६,१५६	४,७८६	६३३

१९५७-५८ में बड़ी लाइन के २२५ तथा मध्यम लाइन के ३७८ नये रेल-इंजिनों; बड़ी लाइन के ९१५, मध्यम लाइन के ४२४ तथा छोटी लाइन के ६९ नये सवारी-डिब्बों और बड़ी लाइन के १९,८६४; मध्यम लाइन के ९,६७४ तथा छोटी लाइन के ६६ नये माल-डिब्बों का प्रयोग आरम्भ हुआ।

रेल-इंजिनों, सवारी-डिब्बों तथा माल-डिब्बों की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में भारत सामान्यतः स्वावलम्बी हो चुका है। सरकारी 'चित्तरंजन रेल-इंजिन कारखाने' में प्रति वर्ष बड़ी लाइन के औसतन १६८ रेल-इंजिन तैयार किए जाते हैं। दिसम्बर, १९५८ के अन्त तक ७९० रेल-इंजिनों का निर्माण हुआ।

दिसम्बर, १९५८ के अन्त तक 'टाटा इंजीनियरिंग तथा रेल-इंजिन कारखाने' में मध्यम लाइन के ३७१ रेल-इंजिन तैयार किए गए। द्वितीय योजनाकाल के अन्त तक प्रति वर्ष औसतन १०० रेल-इंजिन तैयार करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाने की आशा है।

बिजली की दोहरी व्यवस्था से युक्त सवारी-डिब्बों को छोड़कर अन्य सवारी-डिब्बों का आयात बन्द कर दिया गया है। मद्रास के निकट पेराम्बूर-स्थित 'सरकारी जोड़हीन सवारी-डिब्बा कारखाने' में प्रारम्भ में १९६०-६१ तक प्रति वर्ष ३५० सवारी-डिब्बों के निर्माण का लक्ष्य प्राप्त करने का उद्देश्य रखा गया था। यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। दिसम्बर, १९५८ के अन्त तक ५९७ सवारी-डिब्बों का निर्माण हुआ। बंगलोर-स्थित एक दूसरे सरकारी कारखाने 'हिन्दुस्तान विमान (एयरक्राफ्ट) कारखाने' में दिसम्बर, १९५८ के अन्त तक बड़ी लाइन के इस्पात के १,२८५ उपस्कृत (फर्निश्ड) सवारी-डिब्बे तैयार किए गए।

भारत के माल-डिब्बा उद्योग में, जो पूर्ण रूप से एक निजी उद्यम है, प्रथम योजनाकाल के प्रथम वर्ष में ३,७०७ तथा अन्तिम वर्ष में १५,४४५ माल-डिब्बे तैयार किए गए। १९५७-५८ में इस कारखाने में १७,३०० माल-डिब्बे तैयार हुए।

मरम्मत-कारखाने तथा मशीनें

द्वितीय योजना में ६ नये मरम्मत-कारखाने और मध्यम लाइन के सवारी-डिब्बों के निर्माण का एक नया कारखाना स्थापित करने, 'जोड़हीन सवारी-डिब्बा कारखाने' में एक नया उपस्करण विभाग खोलने तथा 'चित्तरंजन रेल-इंजिन कारखाने' के विस्तार की व्यवस्था की गई है। इसके परिणामस्वरूप रेल-इंजिनों, माल-डिब्बों तथा सवारी-डिब्बों की वार्षिक पुनर्नवन-क्षमता में वृद्धि होने की आशा है।

विद्युतीकरण

भारत में विद्युत्-चालित रेल का चलन सर्वप्रथम १९२५ में आरम्भ हुआ। बिजली से चलने वाली रेल कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास के आस-पास कुछ ही लाइनों पर चलती हैं। पूर्वी रेल की मुख्य हावड़ा-बर्दमान लाइन पर विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो गया तथा इस लाइन पर विद्युत्-चालित रेल का चलन सर्वप्रथम अगस्त १९५८ में आरम्भ हुआ। ३१ मार्च, १९५८ को देश में ३०६.२४ मील लम्बी लाइन पर बिजली से चलने वाली रेलों की व्यवस्था थी। द्वितीय योजनाकाल में १,४४२ मील लम्बी रेल-लाइन पर बिजली से चलने वाली रेलों की व्यवस्था हो जाएगी।

कुछ चुने हुए रेल-मार्गों पर डीजल से चलने वाली रेलों की व्यवस्था की जा चुकी है। १९६०-६१ तक १,२९३ मील लम्बी रेल-लाइन पर डीजल से चलने वाली रेलों की व्यवस्था हो जाएगी।

पुल

मोकामाघाट के निकट गंगा-पुल का कार्य पूरा हो चुका है। द्वितीय योजना में पुलों के लिए निर्धारित किए गए ३३ करोड़ रुपये में से १८ करोड़ रुपये पुनस्संस्थापन पर, ९ करोड़ रुपये गंगा-पुल पर तथा ६ करोड़ रुपये ६ नये पुलों पर व्यय किए जाएंगे।

रेल-यात्रियों को सुविधाएँ

१९५१-५२ से १९५७-५८ तक रेलों के संगठन में जो सुधार किए गए, उनमें से निम्न महत्वपूर्ण सुधार उल्लेखनीय हैं :

(१) सुरक्षापूर्ण तथा सुविधाजनक यात्रा,
(२) लम्बी दूरी के यात्रियों के लिए सवारी-डिब्बों में स्थान सुरक्षित किए जाने की व्यवस्था,
(३) दिसम्बर, १९५८ तक ९०३ नयी रेलगाड़ियों का चालू किया जाना तथा ६३० रेलगाड़ियों का विस्तार,
(४) सोने की व्यवस्था,
(५) सभी जनता गाड़ियों (तृतीय श्रेणी) में वातानुकूलन की व्यवस्था,
(६) भोजन की व्यवस्था में सुधार करना, तथा
(७) पीने के पानी की सुविधाओं और पंखों तथा प्रतीक्षालयों की व्यवस्था में सुधार और नये अथवा उन्नत पुलों तथा प्लेटफार्मों की व्यवस्था।

कर्मचारी कल्याण

प्रथम योजनाकाल में नये मकानों के निर्माण तथा कर्मचारी-कल्याणकार्यों पर प्रति वर्ष औसतन ४ करोड़ रुपये से कुछ अधिक व्यय किए गए। द्वितीय योजनाकाल में प्रति वर्ष औसतन १० करोड़ रुपये व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है।

प्रथम योजनाकाल में कर्मचारियों के लिए ४०,००० क्वार्टर बनवाए गए और द्वितीय योजनाकाल में ६४,५०० क्वार्टर बनवाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। १९५७-५८ में इनमें से २५,००० क्वार्टर बनवा दिए गए।

१९५७-५८ के अन्त में रेल कर्मचारियों के लिए ८३ अस्पताल तथा ४४० दवाखाने थे। द्वितीय योजनाकाल में १३ नये रेल-अस्पताल और ७५ नये दवाखाने खोलने तथा वर्तमान रेल अस्पतालों में १,६०० अतिरिक्त रोगीशय्याओं की व्यवस्था करने का भी विचार किया गया है।

दिसम्बर, १९५७ में १० लाख अथवा उससे अधिक रेल-कर्मचारियों के समक्ष एक निवृत्ति-वेतन (पेंशन) योजना स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का प्रस्ताव रखने का निर्णय किया गया।

रेल-कर्मचारियों की उन सन्तानों के लाभ के लिए, जो अपने माता-पिताओं से दूर रहकर विद्याध्ययन कर रहे हैं, १२ सहायता-प्राप्त छात्रावास स्थापित किए जा रहे

हैं। रेल-कर्मचारियों के लाभ के लिए चलते-फिरते पुस्तकालयों की व्यवस्था की जा रही है । उत्तर-पूर्वी रेल-लाइन पर दिसम्बर, १६५८ में प्रथम चलते-फिरते पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया ।

रेल-यात्रा सम्बन्धी आँकड़े

यात्री-यातायात तथा आय

१६५७-५८में सभी श्रेणियों के कुल १,४३,५६,५०० यात्रियों ने ४३,३३,२८,०२,००० मीलों की यात्रा की । इनसे रेलों को १,२०,०८,४३,००० रुपये की आय हुई । प्रत्येक यात्री से प्रति मील औसतन ५.३२ पाई किराया लिया गया ।

बिना टिकट यात्रा

बिना टिकट यात्रा करने वाले व्यक्तियों को कड़ा दण्ड देने के उद्देश्य से दिसम्बर, १६५८ में 'भारतीय रेल अधिनियम' में संशोधन करने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया गया। बिना टिकट की जाने वाली यात्रा की रोकथाम के लिए ठोस उपाय किए गए । १६५७-५८ में ६२,७६,५०७ व्यक्ति बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े गए जिनसे किराए तथा जुर्माने के रूप में १,४२,६०,५६५ रुपये वसूल किए गए ।

दुर्घटनाएँ

१६५७-५८ में जो रेल दुर्घटनाएँ हुईं, उनके परिणामस्वरूप प्रति १० करोड़ व्यक्तियों के पीछे ५ के हिसाब से ७७ व्यक्ति बुरी तरह घायल हुए तथा प्रति १० करोड़ व्यक्तियों के पीछे ३५ के हिसाब से ५०४ व्यक्तियों की मृत्यु हुई ।

माल-परिवहन तथा आय

१६५७-५८ में रेलों द्वारा १३,३३,६५,००० टन माल एक स्थान से दूसरे स्थान को लाया-ले जाया गया जिनसे रेलों को २,२५,७१,५२,००० रुपये की आय हुई । प्रत्येक टन माल के लिए औसतन ११.४ पाई प्रति मील भाड़ा लिया गया।

१६५७-५८ में २,६५,३७,६०० टन कृषिजन्य पदार्थ; ६,२२,६२,४०० टन खनिज पदार्थ; ४८,६६,२०० टन खनिज तेल; २,५६,७५,५०० टन चीनी, कपास, सीमेण्ट, कागज़, चाय और लोहा तथा इस्पात आदि का सामान; ७.०८ लाख टन पशु, खाल तथा चमड़ा; ५७.८० लाख टन वनजन्य वस्तुएँ; २.६५ करोड़ टन खाद और चारा आदि तथा १२.८६ लाख टन सेना सम्बन्धी सामान एक स्थान से दूसरे स्थान को लाया-ले जाया गया जिनसे रेलों को क्रमशः ४०,०७,७२,३०० रुपये; ४६,६५,६५,१०० रुपये; १३,८४,७३,४०० रुपये; ५५,४५,६५,७०० रुपये; ३ करोड़ रुपये; ७.६० करोड़ रुपये; ५२ करोड़ रुपये तथा ३.१० करोड़ रुपये की आय हुई ।

निर्यात यातायात

निर्यात के लिए रेलों द्वारा बन्दरगाहों तक सामान ले जाए जाने को अधिक प्राथमिकता दी गई। १९५७-५८ के अन्त में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास तथा विशाखापटनम के बन्दरगाहों में निर्यात के लिए (जहाज़ों पर लदाई की प्रतीक्षा में) लोहा तथा मैंगनीज़ क्रमशः ७३,५९९ टन तथा ८९,९०३ टन; ५,००० टन तथा ८३,१४४ टन; १,१७,८७७ टन तथा ५४,५४३ टन और १६,११९ टन तथा २,५३,६७२ टन पड़ा हुआ था।

किराया तथा भाड़ा

१९४८ में रेलों के किरायों तथा भाड़ों की दरों में सुधार किया गया। दिल्ली-हावड़ा, दिल्ली-बम्बई तथा दिल्ली-मद्रास के बीच चलने वाली तृतीय श्रेणी की वातानुकूलित गाड़ियों के लिए ४ पाई प्रति मील अतिरिक्त किराया लिया जाता है।

'रेल-यात्री किराया अधिनियम' १५ सितम्बर, १९५७ को लागू हुआ। १५ मील तक की दूरी का किराया करमुक्त है।

'रेल-भाड़ा जाँच समिति' की सिफारिश पर १ अक्तूबर, १९५८ से संशोधित रेल-भाड़े लागू किए गए जिनके अनुसार भाड़ों से होने वाली आय में प्रति वर्ष ९.६० करोड़ रुपये और पार्सल यातायात से होने वाली आय में २ करोड़ रुपये की वृद्धि होने की आशा है। समिति ने भाड़े से होने वाली आय में औसतन १२.९ प्रतिशत की वृद्धि करने की सिफारिश की है।

प्रशासन

रेलों के नियन्त्रण तथा प्रशासन का उत्तरदायित्व 'रेल मण्डल' पर है जो सर्वप्रथम १९०५ में स्थापित हुआ था। जनता तथा रेल प्रशासन के बीच घनिष्ट सम्बन्ध बनाए रखने के लिए निम्न ३ प्रकार की समितियाँ बनाई गई हैं: (१) 'प्रादेशिक रेल उपभोक्ता सलाहकार समितियाँ', (२) प्रत्येक रेल क्षेत्र के मुख्यालय में 'क्षेत्रीय रेल उपभोक्ता सलाहकार समितियाँ' तथा (३) केन्द्र में 'राष्ट्रीय रेल उपभोक्ता सलाहकार परिषद्'। प्रत्येक रेल-डिवीज़न के लिए १ जनवरी, १९५८ से 'डिवीज़नल सलाहकार समितियाँ' स्थापित की जा चुकी हैं।

सड़क

१९४७ में केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजपथों के निर्माण तथा उनकी देखभाल का दायित्व स्वयं ले लिया। नये संविधान के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजपथ केन्द्र के दायित्व में और राज्यीय राजपथ, जिला तथा गाँवों की सड़कें राज्य सरकारों के दायित्व में आती हैं।

प्रगति

नागपुर योजना (१९४३) में निर्धारित किए गए लक्ष्य की तुलना में हाल के वर्षों में सड़क विकास के सम्बन्ध में हुई प्रगति अगली तालिका सं० ५८ में दिखाई गई है।

तालिका ५८

सड़क विकास

	पक्की सड़कें (मील)	कच्ची सड़कें (मील)
नागपुर योजना में निर्धारित लक्ष्य	१,२३,०००	२,०८,०००
१ अप्रैल, १९५१	९८,०००	१,५१,०००
३१ मार्च, १९५६	१,२२,०००	१,९८,०००
३१ मार्च, १९५७	१,२७,०००	२,०१,०००
३१ मार्च, १९६१	१,४४,०००	२,३५,०००

राष्ट्रीय राजपथ

१ अप्रैल, १९४७ को जिस समय केन्द्र ने राष्ट्रीय राजपथ के निर्माण का दायित्व स्वयं ग्रहण किया, लगभग १,६०० मील लम्बी सड़कें और हज़ारों पुल तथा पुलियाँ टूटी हुई थीं। इसके अतिरिक्त वर्तमान सड़कों में से ९,००० मील लम्बी सड़कें अच्छी नहीं थीं। तब से अब तक हुई प्रगति निम्न तालिका में दिखाई गई है :

तालिका ५९

राष्ट्रीय राजपथों के सम्बन्ध में हुई प्रगति

	टूटी हुई सड़कें फिर बनाई गईं (मील)	बड़े पुल बनाए गए	वर्तमान सड़कों में सुधार किया गया (मील)	सड़कें चौड़ी की गईं (मील)
प्रथम योजनाकाल	७४६	३३	५,०००	४००
१ अप्रैल, १९५६ से ३१ दिसम्बर, १९५८	३८०	२३	२,०००	७००
द्वितीय योजनाकाल (प्रस्तावित)	७००	४०	३,५००	३,०००

राज्यों के पुनस्संगठन के पश्चात् राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों में कुल मिलाकर १४,००० मील लम्बे राष्ट्रीय राजपथ थे।

इस समय १३,९०० मील लम्बे राष्ट्रीय राजपथ हैं जिनके बीच-बीच में निम्न सड़कें आ जाती हैं :

अमृतसर—कलकत्ता; आगरा—बम्बई; बम्बई—बंगलोर—मद्रास; मद्रास—कलकत्ता; कलकत्ता—नागपुर—बम्बई; वाराणसी—नागपुर—हैदराबाद—कुरनूल—

बंगलोर—कन्याकुमारी अन्तरीप; दिल्ली—अहमदाबाद—बम्बई; अहमदाबाद—कण्डला बन्दर (जिसका निर्माण जारी है) तथा अहमदाबाद—पोरबन्दर; अम्बाला—शिमला—तिब्बत की सीमा; दिल्ली—मुरादाबाद—लखनऊ; लखनऊ—मुजफ्फरपुर—बरौनी (एक शाखा नेपाल की सीमा तक); असम एक्सेस सड़क और असम ट्रंक सड़क (एक शाखा मणिपुर होते हुए बर्मा तक)।

राष्ट्रीय राजपथों के सम्बन्ध में जो महत्वपूर्ण कार्य जारी हैं, उनमें से जवाहर (बनिहाल) सुरंग मुख्य है। इस सुरंग का निर्माण जम्मू—श्रीनगर—उरी के राष्ट्रीय राजपथ पर पीर-पंजाल पर्वतमाला के आरपार ७,२५० फुट की ऊँचाई पर हो रहा है। यह सुरंग संसार की सबसे लम्बी सुरंगों में से एक है। इसका निर्माण पूरा होने पर कश्मीर घाटी तथा शेष भारत के बीच एक ऐसे मार्ग की व्यवस्था हो जाएगी जो बारहों महीने चालू रहेगा। सुरंग में दो मार्ग हैं जिनमें से एक यातायात के लिए खोल दिया गया है।

अन्य सड़कें

भारत सरकार राज्यों की कुछ सड़कों के विकास के लिए भी वित्त की व्यवस्था करती है। इन में असम की पासी—बदरपुर सड़क और केरल, बम्बई तथा मैसूर राज्यों की पश्चिमी तट वाली सड़कें आती हैं।

मई, १९५४ में स्वीकृत अन्तर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की कुछ चुनी हुई राज्यीय सड़कों के विकास के विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रथम योजनाकाल में १२५ मील लम्बी नयी सड़कें बनवाई गईं तथा ५०० मील लम्बी वर्तमान सड़कों को सुधारा गया। शेष कार्यक्रम द्वितीय योजना में पूरा किया जाएगा।

राज्यों के दायित्व में आने वाली सड़कें

द्वितीय योजनाकाल के लिए राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रमों के अन्तर्गत २१,००० मील लम्बी पक्की सड़कें तथा ३७,००० मील लम्बी कच्ची सड़कें बनाई जाएंगी।

सड़क-परिवहन

मोटरगाड़ियाँ

३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में भारत में ४,२२,०४१ मोटरगाड़ियाँ थीं। मार्च, १९५६ के अन्त में ४०,४२७ मोटरसाइकिल तथा ऑटोरिक्शा ; १,८८,१६५ प्राइवेट कार तथा जीप ; ६१,०१८ सार्वजनिक बसें ; १,१८,१४४ भारवाहक (ट्रक आदि) और १३,९८७ अन्य मोटरगाड़ियाँ थीं।

३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में ३३,१२,४९,००० रुपये के मूल्य की २५,५४२ मोटरगाड़ियाँ तथा पुर्जों का आयात किया गया।

प्रशासन

कई राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों में सवारी-सड़क परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है। इन परिवहन सेवाओं की व्यवस्था अनुविहित सड़क परिवहन निगम, ज्वाइण्ट स्टाक कम्पनियाँ तथा राज्यीय विभाग करते हैं। माल-परिवहन मुख्यतः निजी संचालकों के हाथ में ही है। तृतीय योजना की समाप्ति से पहले इसका राष्ट्रीयकरण करने का विचार नहीं है।

अन्तर्राज्यीय मार्गों की सड़क-परिवहन सेवाओं के विकास, समन्वय तथा नियमन के लिए एक 'अन्तर्राज्यीय परिवहन आयोग' स्थापित किया जा चुका है।

एक ओर विभिन्न प्रकार की परिवहन सेवाओं तथा दूसरी ओर केन्द्रीय तथा राज्यीय परिवहन-नीतियों के बीच पूर्ण समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 'परिवहन विकास परिषद्', 'सड़क तथा अन्तर्देशीय जल-परिवहन सलाहकार समिति' तथा 'केन्द्रीय परिवहन समन्वय समिति' स्थापित कीं। राज्यों में परिवहन सम्बन्धी प्रशासन के पुनस्संगठन पर परामर्श देने के लिए एक तदर्थ समिति स्थापित की जा चुकी है।

अन्तर्देशीय जलमार्ग

देश के नौगम्य (नेवीगेबल) जलमार्ग ५,००० मील से अधिक लम्बे हैं। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियाँ, गोदावरी तथा कृष्णा, केरल की नहरें, आन्ध्र प्रदेश तथा मद्रास की बकिंघम नहर, पश्चिमी तट की नहरें तथा उड़ीसा की महानदी नहरें उल्लेखनीय हैं।

गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों पर होने वाले जल-परिवहन के विकास में समन्वय स्थापित करने की दृष्टि से केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के पारस्परिक सहयोग से १९५२ में 'गंगा-ब्रह्मपुत्र जल-परिवहन मण्डल' स्थापित किया गया।

इस समय १,५५७ मील की लम्बाई में नदियों में यन्त्रचालित छोटी नौकाएँ तथा ३,५८७ मील लम्बे नदी मार्गों में बड़ी नौकाएँ चल सकती हैं। इस सम्बन्ध में 'गंगा-ब्रह्मपुत्र मण्डल' ने गंगा के ऊपरी भाग में एक परीक्षण-योजनाकार्य आरम्भ कर दिया है। योजना में बकिंघम नहर तथा पश्चिमी तट की नहरों के विकास के लिए भी व्यवस्था की गई है।

'अन्तर्देशीय जल-परिवहन समिति' ने अन्तर्देशीय जलमार्गों तथा बहूद्देश्यीय नदीघाटी योजनाकार्यों के विकास आदि के सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिए हैं।

जहाजरानी

योजनाकाल में प्रगति

१९४७ में 'जहाजरानी नीति समिति' ने अगले ५-७ वर्षों में २० लाख टन जी० आर० टी० के लक्ष्य की सिफारिश की थी। इस सिफारिश को स्वीकार करते हुए सरकार ने यह अनुभव किया कि यह लक्ष्य धीरे-धीरे, खण्डों में ही प्राप्त किया जा सकता है। जहाजरानी कम्पनियों को जहाजी बेड़े का विस्तार करने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से १९५१ में ऋण देने की एक योजना बनाई गई।

प्रथम योजना के अन्त में देश में ६,००,७०७ जी० आर० टी० के जहाज थे और द्वितीय योजना के अन्त में देश में ९,०१,७०७ जी० आर० टी० के जहाजों की व्यवस्था करने का लक्ष्य रखा गया है।

नवम्बर, १९५८ के अन्त में भारत में ६,३९,७०८ जी० आर० टी० के १४१ जहाज थे जिनमें से २,५७,९४५ जी० आर० टी० के ८५ जहाज तटीय व्यापार में तथा ३,७१,७६३ जी० आर० टी० के ५६ जहाज विदेश व्यापार में लगे हुए थे।

१,२८,००० जी० आर० टी० के जहाजों का निर्माण किया जा रहा है जो द्वितीय योजनाकाल के पूर्व ही प्राप्त हो जाएंगे। द्वितीय योजना में प्रस्तावित ३ लाख जी० आर० टी० के जहाजों के निर्माण के लक्ष्य में विदेशी विनिमय की कमी तथा आन्तरिक वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण कटौती कर दी गई।

वाणिज्य जहाज़रानी अधिनियम

१९५८ में लागू किए गए 'वाणिज्य जहाजरानी अधिनियम' में भारत सरकार को परामर्श देने के लिए 'राष्ट्रीय जहाजरानी मण्डल' तथा 'जहाजरानी विकास निधि' की स्थापना के लिए व्यवस्था की गई है।

जहाज़रानी निगम

१९५० में १० करोड़ रुपये की अधिकृत पूँजी से सरकार द्वारा संचालित 'पूर्वी जहाजरानी निगम लिमिटेड' नामक एक जहाजरानी निगम स्थापित किया गया। सरकार ने इस निगम का प्रबन्ध अगस्त, १९५६ में सिन्धिया कम्पनी से अपने अधिकार में ले लिया। इस निगम के पास माल-परिवहन तथा यात्री-परिवहन के लिए इस समय ८ जहाज हैं। भारत-जापान, भारत-आस्ट्रेलिया, भारत-सिंगापुर तथा भारत-पूर्वी अफ्रीका मार्गों पर इस निगम की ओर से माल-परिवहन सेवा तथा यात्री-परिवहन सेवा की नियमित व्यवस्था है।

१० करोड़ रुपये की अधिकृत पूँजी के साथ १९५६ में पंजीकृत 'पश्चिमी जहाजरानी निगम' के जहाज भारत-पोलैण्ड, भारत-फारस की खाड़ी, भारत-लाल सागर तथा भारत-रूस मार्ग पर चलेंगे।

हिन्दुस्तान जहाज़निर्माण-घाट

सरकार ने सिन्धिया कम्पनी से 'विशाखापटनम जहाजनिर्माण-घाट' मार्च, १९५२ में खरीद कर इसकी व्यवस्था का भार 'हिन्दुस्तान जहाजनिर्माण-घाट लिमिटेड' को सौंप दिया। इस कारखाने में बने सर्वप्रथम जहाज का जलावतरण मार्च, १९४८ में हुआ। अब तक २० समुद्री जहाजों तथा ३ छोटे जहाजों का निर्माण किया जा चुका है। १९६०-६१ तक ९ और जहाजों का निर्माण होने की आशा है।

दूसरा जहाज़निर्माण-घाट

ब्रिटेन की सरकार ने कोलम्बो योजना की 'प्राविधिक सहयोग योजना' के अन्तर्गत भारत में दूसरे जहाजनिर्माण-घाट की स्थापना के लिए उपयुक्त सम्भावित स्थानों का सर्वे-

क्षण करने तथा तत्सम्बन्धी आँकड़ों का संग्रह करने के लिए एक प्राविधिक मण्डल भारत भेजा। मण्डल ने अप्रैल, १९५८ में दिए अपने प्रतिवेदन में कोचीन (एरणाकुलम), मझ-गाँव गोदी, कण्डला, ट्राम्बे तथा जिओंखाली को अधिक उपयुक्त स्थान बताते हुए, इन पर विचार करने का सुझाव दिया।

प्रशिक्षण संस्थान

१९५८ में 'टी० एस० डफरिन' में ६१ शिक्षार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया और तत्पश्चात उन्हें विभिन्न जहाज़ों पर नियुक्त कर दिया गया।

३,१०२ शिक्षार्थियों ने मार्च, १९५८ के अन्त तक बम्बई के 'नाविक तथा इंजीनियरिंग कालेज' में उपलब्ध शिक्षण की सुविधाओं का लाभ उठाया। कलकत्ता के 'समुद्री इंजीनियरिंग कालेज' की छठी टुकड़ी के शिक्षार्थियों में से १९५८ में ५० शिक्षार्थी उत्तीर्ण हुए।

तीन नाविक प्रशिक्षण संस्थानों में सितम्बर, १९५८ के अन्त तक २,४८५ शिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया।

बन्दरगाह

बड़े बन्दरगाह

भारत में ६ बड़े बन्दरगाह हैं—कण्डला, कलकत्ता, कोचीन, बम्बई, मद्रास तथा विशाखापटनम। १९५७-५८ में इन बन्दरगाहों पर ३.१० करोड़ टन माल लादा-उतारा गया।

कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास के बन्दरगाहों का प्रशासन अनुविहित बन्दरगाह प्राधिकारियों के अधीन है। इन प्राधिकारियों पर केन्द्रीय सरकार का नियन्त्रण रहता है। कण्डला, कोचीन तथा विशाखापटनम का प्रशासन सीधे केन्द्रीय सरकार के ही अधीन है।

बन्दरगाहों में प्राप्त सुविधाओं का विस्तार करने तथा उनको आधुनिक रूप देने के सम्बन्ध में उपाय किए जा चुके हैं और कई बन्दरगाहों में तत्सम्बन्धी कार्य जारी हैं।

छोटे बन्दरगाह

भारत के समुद्र तट पर अन्य कई छोटे बन्दरगाह भी हैं जहाँ प्रति वर्ष लगभग ५० लाख टन माल लादा-उतारा जाता है। इन बन्दरगाहों के प्रशासन का दायित्व राज्य सरकारों पर है। द्वितीय योजना में छोटे बन्दरगाहों के विभिन्न सुधार-कार्यों के लिए ५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

राष्ट्रीय बन्दरगाह मण्डल

बन्दरगाहों के समन्वित विकास के सम्बन्ध में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को परामर्श देने के लिए १९५० में 'राष्ट्रीय बन्दरगाह मण्डल' स्थापित किया गया।

पर्यटन उद्योग

प्रशासन

१६४६ में परिवहन मन्त्रालय के अधीन एक 'पर्यटन उद्योग विभाग' स्थापित किया गया और तब से कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई तथा मद्रास जैसे प्रसिद्ध नगरों में प्रादेशिक पर्यटन कार्यालय और आगरा, औरंगाबाद, कोचीन, जयपुर, दार्जिलिंग, बंगलोर, भोपाल तथा वाराणसी में पर्यटन सूचना कार्यालय खोले जा चुके हैं। ये कार्यालय राज्य सरकारों के निकट सम्पर्क में रहते हुए कार्य करते हैं। कोलम्बो, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, न्यूयार्क, मेलबोर्न तथा लन्दन में भी भारत सरकार के पर्यटन कार्यालय स्थापित किए जा चुके हैं।

परिवहन तथा संचार-साधन मन्त्रालय में अलग से एक 'पर्यटन विभाग' स्थापित किया जा चुका है। एक 'पर्यटन विकास परिषद्' सरकार को पर्यटन सम्बन्धी समस्याओं पर परामर्श देती है।

पर्यटन उद्योग के विकास को अधिकाधिक प्रोत्साहन देने तथा विदेशी विनिमय के इस स्रोत से पूरा-पूरा लाभ उठाने के उद्देश्य से एक उच्चस्तरीय समिति नियुक्त की जा चुकी है जिसमें तत्सम्बन्धी विभागों के सचिव तथा अध्यक्ष होंगे और जिसकी अध्यक्षता मन्त्रि-मण्डल के सचिव करेंगे।

होटल मानक तथा दर-निर्धारण समिति

भारत के होटलों के वर्गीकरण तथा मानकीकरण के प्रश्न पर सरकार को परामर्श देने के लिए १६५७ में स्थापित 'होटल मानक तथा दर-निर्धारण समिति' की सिफारिशें कार्यान्वित की जा रही हैं।

पर्यटन सम्बन्धी नियमों में छूट

भारत में पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से पुलिस, पंजीयन, मुद्रा, विनिमय नियन्त्रण और चुंगी आदि से सम्बन्धित नियम कुछ शिथिल कर दिए गए हैं। देशाटन को बढ़ावा देने के लिए रेलों द्वारा रियायती दरों पर टिकट जारी करने की व्यवस्था की गई है। विद्यार्थियों, यात्रियों तथा ग्रीष्म ऋतु में पहाड़ी स्थानों को जाने वाले पर्यटकों को विशेष रियायत दी जाती है। इस समय देश में सरकार द्वारा स्वीकृत २६ यात्रा संस्थाएँ, १३ शिकार संस्थाएँ तथा ५ मान्यताप्राप्त पर्यटन अभिकर्ता (एजेण्ट) हैं।

जानकारी

पर्यटन सम्बन्धी साहित्य मार्गदर्शन-पुस्तिकाओं, फोल्डरों, मानचित्रों तथा चित्रमय कार्डों आदि के रूप में प्रकाशित किया जाता है। पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से 'ट्रैवलर इन इण्डिया' शीर्षक एक सचित्र मासिक पत्रिका भी प्रकाशित की जाती है।

भारत के भ्रमण के लिए आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या १६५१ के बाद से अब चार गुने से अधिक हो गई है। १६५८ में ६२,१६३ विदेशी पर्यटक भारत आए।

भारत के रिज़र्व बैंक द्वारा पर्यटन उद्योग से १९५७ में १६ करोड़ रुपये की आय होने का अनुमान लगाया गया है।

पर्यटन उद्योग के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार तथा कुछ राज्य सरकारों ने कई योजनाएँ तैयार की हैं।

असैनिक उड्डयन

१९५८ में भारतीय विमानों ने ८ लाख यात्रियों और लगभग १९.४२ करोड़ पौण्ड माल तथा डाक एक स्थान से दूसरे स्थान को लाने-ले जाने में २.९० करोड़ मील की उड़ान की।

१९४७ से अब तक यात्री-परिवहन में दूने से अधिक की वृद्धि हुई और माल-परिवहन में १७ गुने से अधिक की। डाक पहले से लगभग ९ गुनी अधिक लाई-ले जाई गई तथा विमानों ने पहले की अपेक्षा ढाई गुना अधिक उड़ान की।

विमान निगम

'इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन' के पास १९५८ के अन्त में १० वाइकाउण्ट, ६ स्काई मास्टर, ५ हेरोन तथा ६१ डकोटा विमान थे। इसके विमान देश के मुख्य नगरों के बीच उड़ान करते हैं। १९५७-५८ में इसके विमानों ने ५,९९,५७३ यात्रियों के साथ १,८३,१८,५५२ मील की उड़ान की।

'एयर इण्डिया इण्टरनेशनल कारपोरेशन' के पास १० सुपर कॉन्स्टलेशन तथा डकोटा विमान हैं। इसके विमान १७ देशों की उड़ान पर जाते हैं। १९५७-५८ में इसके विमानों ने ८८,३१२ यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान लाने-ले जाने में ६७,१९,००० मील की उड़ान की।

प्रशिक्षण

असैनिक उड्डयन विभाग के इलाहाबाद-स्थित प्रशिक्षण केन्द्र में विमानचालकों, वैमानिक इंजीनियरों, हवाईअड्डा-अधिकारियों आदि को प्रशिक्षण दिया जाता है। १९५८ में इस केन्द्र में ३१२ शिक्षार्थियों को विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया और नवम्बर के अन्त में १७७ शिक्षार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे।

उड्डयन क्लब

भारत में सहायताप्राप्त १४ उड्डयन क्लब, ३ ग्लाईडिंग केन्द्र तथा १ ग्लाइडिंग क्लब हैं। नवम्बर, १९५८ के अन्त तक इन उड्डयन क्लबों में २०१ विमानचालकों को प्रशिक्षण दिया गया और १ दिसम्बर, १९५८ को इन क्लबों में ५४१ व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे।

हवाईअड्डे

भारत सरकार के असैनिक उड्डयन विभाग के नियन्त्रण तथा संचालन में ८४ हवाई-अड्डे हैं। कलकत्ता (डमडम), दिल्ली (पालम) तथा बम्बई (सान्ता क्रूज़) के हवाईअड्डे, अन्तर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे हैं।

६ नये हवाई अड्डों का निर्माण किया जा रहा है। पर्याप्त धन उपलब्ध होने पर शेष द्वितीय योजनाकाल में ३ नये हवाईअड्डों तथा १ ग्लाइडर-ड्रोम का भी निर्माण किए जाने की आशा है। तीनों अन्तर्राष्ट्रीय हवाईअड्डों की मुख्य हवाईपट्टियों का विस्तार किया जा रहा है।

विमान

१ दिसम्बर, १९५८ को ५२२ विमानों के पास चालू पंजीयन-प्रमाणपत्र तथा २०६ विमानों के पास हवा में उड़ने की योग्यता के चालू प्रमाणपत्र थे।

वायु परिवहन समझौते

१९५८ में भारत सरकार और सोवियत रूस, लेबनॉन गणराज्य तथा इटली गणराज्य की सरकारों के बीच वायु परिवहन समझौते हुए। अफगानिस्तान. अमेरिका, आस्ट्रेलिया, ईराक, जापान, थाइलैण्ड, नीदरलैण्ड, पाकिस्तान, फ्रांस, फिलीपीन, ब्रिटेन, मिस्र, श्रीलंका, स्विट्ज़रलैण्ड तथा स्वीडन के साथ वायु-परिवहन समझौते पहले से ही हुए हुए हैं।

—:०:—

सत्ताइसवाँ अध्याय

संचार-साधन

देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी उद्योग के रूप में रेलों के बाद डाक-तार सेवाओं का ही स्थान है। ३१ मार्च, १९५८ को डाक-तार सेवाओं में ३,१६,६१७ व्यक्ति काम से लगे हुए थे और इस समय तक इन सेवाओं पर १.११ अर्ब रुपये का पूँजीगत व्यय हुआ।

डाक-तार विभाग अपना कार्य १३ क्षेत्रीय एककों द्वारा करता है—१२ डाक तथा तार एकक तथा १ डाक एकक। कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई तथा मद्रास के नगरों के लिए ४ टेलीफोन क्षेत्रों तथा २१ अन्य प्रशासनिक एककों का काम भी जारी है। १ अप्रैल, १९५८ को इस विभाग के पास संगृहीत बचत के रूप में २३.९० करोड़ रुपये थे।

डाक-सेवा

१९५७-५८ में ३,३५,५०,००,००० डाक की वस्तुएँ एक स्थान से दूसरे स्थान को लाई-ले जाई गईं जिनसे डाक-तार विभाग को ३४.८८ करोड़ रुपये की आय हुई।

३१ मार्च, १९५८ को देश के कुल ६१,८८६ डाकघरों में से ५,७८६ स्थायी तथा १,१७८ अस्थायी डाकघर शहरों में और ३६,९५० स्थायी तथा १७,९७२ अस्थायी डाकघर गाँवों में थे। शहरों तथा गाँवों में कुल मिलाकर १,२३,२५४ पत्र-पेटियाँ लगी हुई थीं।

१ अप्रैल, १९५८ तथा ३१ दिसम्बर, १९५८ के बीच १,४९२ नये डाकघर स्थापित किए गए। प्रथम योजनाकाल में १९,७१२ डाकघर स्थापित किए गए तथा द्वितीय योजना-काल में २०,००० डाकघर और स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।

चलते-फिरते शहरी डाकघर

शहरों में चलते-फिरते डाकघरों की योजना कलकत्ता, दिल्ली, नागपुर, बम्बई तथा मद्रास में चालू है। सामान्य डाकघरों के बन्द होने के बाद ये चलते-फिरते डाकघर, निर्धारित समय पर नगर के विभिन्न मुहल्लों में चक्कर लगाते हैं। इन डाकघरों में मनीऑर्डर स्वीकार नहीं किए जाते और न सेविंग्स बैंक का काम होता है।

हवाई डाक

देश में कलकत्ता, दिल्ली, नागपुर, बम्बई तथा मद्रास जैसे मुख्य नगरों के बीच 'अन्तर्देशीय रात्रि हवाई डाक सेवा' का काम चालू है। एक अन्य विशेष योजना के अनुसार

१ अप्रैल, १९५८ तथा ३० दिसम्बर, १९५८ के बीच देश में १६३ नये तारघर खोले गए। इसी अवधि में तार-प्रणाली के सन्देश-वाहक तारों की लम्बाई भी ३,१०,११० मील से बढ़ाकर ३,५८,०१० मील कर दी गई।

बम्बई में स्थापित 'टेप रिले एक्सचेंज' और २३ केन्द्रों के बीच सम्बन्ध स्थापित कर दिया गया है। इस व्यवस्था के अनुसार सन्देश, गन्तव्य केन्द्रों को अपने-आप ही पहुँचा दिए जाते हैं। ये केन्द्र पुश बटन प्रणाली द्वारा एक्सचेंज से सम्बद्ध रहते हैं।

हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में तार

देश में हिन्दी में तार देने की व्यवस्था इस समय लगभग १,४०० तारघरों (५० रेल तार घर सहित) में उपलब्ध है। ११ स्थानों में हिन्दी की मोर्स प्रणाली का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जा चुकी है जिसके परिणामस्वरूप अब तक २,४०० व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं।

तार किसी भी भारतीय भाषा में दिए जा सकते हैं बशर्ते कि ये तार देवनागरी लिपि में लिखे हुए हों। इसके अतिरिक्त हिन्दी में तार देने के सम्बन्ध में निम्न सुविधाओं की भी व्यवस्था है : (१) बधाई सम्बन्धी तार, (२) संकटकालीन तार, (३) स्थानीय तार, (४) जहाँ फोनोग्राम की व्यवस्था हो, वहाँ फोनोग्राम द्वारा हिन्दी में तार, (५) तार द्वारा मनीऑर्डर तथा (६) रियायती दरों पर तार के संक्षिप्त पतों का पंजीयन।

हिन्दी में दिए जाने वाले तारों की संख्या दिन प्रति दिन तेजी से बढ़ती जा रही है। १९५७-५८ में हिन्दी में ८९,२०२ तार दिए गए।

टेलीफोन सेवा

१९५७-५८ में देश में ३,३५,००० टेलीफोन लगे हुए थे। इसके अतिरिक्त देश में ६,४५७ टेलीफोन-एक्सचेंज भी थे। इस वर्ष २.३१ करोड़ ट्रंक-कॉल की गईं तथा टेलीफोन से १८.४० करोड़ रुपये की आय हुई।

१ अप्रैल, १९५८ से ३१ दिसम्बर, १९५८ तक के समय में अधिक दूरी के स्थानों को टेलीफोन करने के लिए १५१ सार्वजनिक टेलीफोनघरों तथा २९,००० अतिरिक्त टेलीफोनों की व्यवस्था की गई। १९५८ के अन्त में टेलीफोन के तारों की लम्बाई २,६१,४०० मील थी।

'टेलीफोन के मालिक बनो' योजना

यह योजना इस समय अहमदाबाद, कलकत्ता (केवल बैरकपुर और श्रीरामपुर एक्सचेंज क्षेत्रों में) नयी दिल्ली, बम्बई ('२४' तथा '२६' एक्सचेंज क्षेत्रों को छोड़कर) तथा मद्रास (किलपौक, माउण्ट रोड तथा मैलापुर एक्सचेंज क्षेत्रों को छोड़कर) में चालू है। इस योजना के अन्तर्गत अब तक ३३,००० से अधिक कनेक्शन दिए जा चुके हैं।

सन्देश दर प्रणाली

इस प्रणाली के अन्तर्गत टेलीफोन रखने वाले व्यक्ति को निर्धारित मासिक शुल्क के अलावा प्रत्येक कॉल के लिए भी शुल्क देना होता है। यह प्रणाली ४० एक्सचेंजों में चालू है।

टेलीफोन उद्योग

१९५७-५८ में बंगलोर के 'भारतीय टेलीफोन उद्योग (प्राइवेट) लिमिटेड' में ६०,२४१ टेलीफोनों ; ४२,३०५ एक्सचेंज लाइनों ; २४६ छोटे एक्सचेंजों (८,००५ लाईन); ३१ एक-तारवाहक प्रणालियों ; ५२ तीन-तारवाहक प्रणालियों तथा २ बारह-तारवाहक प्रणालियों के निर्माण के अतिरिक्त कई छोटे पुर्जों का भी निर्माण हुआ।

समुद्रपार संचार-साधन

१ जनवरी, १९४७ को राष्ट्रीयकृत 'समुद्रपार संचार सेवा' के अन्तर्गत इस समय ५७ प्रत्यक्ष रेडियो सेवाओं का संचालन होता है। इनके द्वारा भारत विदेशों के साथ जुड़ा हुआ है। गत ७ वर्षों में इस सेवा के अन्तर्गत १.६० करोड़ तार विदेशों को भेजे तथा विदेशों से प्राप्त किए गए। असैनिक उड्डयन कम्पनियों को ४ अन्तर्राष्ट्रीय रेडियो-दूर-मुद्रक प्रणालियाँ पट्टे पर दी गईं।

रेडियो-टेलीफोन सेवा

भारत और अदन, आस्ट्रेलिया, इटली, इण्डोनीशिया, इथियोपिया, ईरान, चीन, जर्मनी (संघात्मक गणराज्य), जापान, पूर्व अफ्रीका, पोलैण्ड, फ्रांस, बर्मा, ब्रिटेन, बेहरीन, मलय, मिस्र, वियतनाम (दक्षिण), सऊदी अरब, स्विट्ज़रलैण्ड, सोवियत रूस तथा हांगकांग के बीच प्रत्यक्ष रेडियो-टेलीफोन सेवाओं की व्यवस्था है।

अमेरिका, अर्जेण्टीना, अल्जीरिया, आइसलैण्ड, आयरिश गणराज्य, आस्ट्रिया, इज़राइल, क्यूबा, कनाडा, कोस्टा रिका, ग्वाटेमाला, चेकोस्लोवाकिया, जिब्राल्टर, ट्यूनिशिया, टैंजियर, डेन्मार्क, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका, न्यूफाउण्डलैण्ड, नार्वे, निकारागुआ, नीदरलैण्ड, पनामा, फिनलैण्ड, बरमूडा, बारबडोस, ब्राज़ील, बेल्जियम, मेक्सिको, मोरक्को, यूनान, रोडेशिया, लग्ज़ेमबर्ग, लेबनॉन, वेटिकन नगर, स्पेन, स्यूटा, स्वीडन, सूडान, हंगरी, हवाई तथा होण्डुरास और भारत के बीच लन्दन के द्वारा रेडियो-टेलीफोन सेवाएँ उपलब्ध हैं।

काहिरा के द्वारा सूडान, आस्ट्रेलिया के द्वारा न्यूज़ीलैण्ड, इथियोपिया के द्वारा अस्मारा, बर्न के द्वारा यूगोस्लाविया और बेहरीन के द्वारा कुवैत, दोहा तथा मस्कत और भारत के बीच भी रेडियो टेलीफोन सेवाएँ उपलब्ध हैं। समुद्र में चल रहे ३५ जहाज़ रेडियो-टेलीफोन सुविधाओं का लाभ उठाते हैं।

रेडियो-टेलीग्राफ सेवा

भारत और अफगानिस्तान, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, इटली, इण्डोनीशिया, ईरान, चीन, जर्मनी (संघात्मक गणराज्य), जापान, थाइलैण्ड, पोलैण्ड, फ्रांस, बर्मा, ब्रिटेन, मिस्र, यूगोस्लाविया, वियतनाम (उत्तर), वियतनाम (दक्षिण), स्विट्ज़रलैण्ड तथा सोवियत रूस के बीच रेडियो-टेलीग्राफ सेवाओं की व्यवस्था है।

रेडियो-फोटो सेवा

भारत और अमेरिका, चीन, जर्मनी (संघात्मक गणराज्य), जापान, पोलैण्ड, फ्रांस, ब्रिटेन तथा सोवियत रूस के बीच प्रत्यक्ष रेडियो-फोटो सेवाएँ चालू हैं। भारत से लन्दन के द्वारा आस्ट्रेलिया, इटली, कनाडा, घाना, चेकोस्लोवाकिया, जमैका डेन्मार्क, दक्षिण अफ्रीका, नार्वे, पुर्तगाल, फिनलैण्ड, बेल्जियम, मिस्र, यूगोस्लाविया, यूनान, स्विट्जरलैण्ड तथा स्वीडन को भी फोटो भेजने की सुविधाएँ हैं।

एक अन्य सेवा द्वारा विदेश-स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावासों को उनके लाभ के लिए भारत सरकार की ओर से और भारत के बाहर विभिन्न क्षेत्रों को कुछ समाचारपत्र समितियों की ओर से समाचार भेजे जाते हैं।

—:o:—

अठाइसवाँ अध्याय

श्रम

भारत की अर्थ-व्यवस्था के संगठित क्षेत्र में सबसे अधिक मजदूर कारखानों में काम करते हैं। १९५७ में कारखानों में प्रतिदिन औसतन ३०,८७,८६४ मजदूर काम करते थे। १९५५ के आँकड़ों के अनुसार बाग़ानों में प्रति दिन औस तन १२,१२,६३६ मजदूर काम पर लगे हुए थे। १९५७-५८ में रेलों में प्रति दिन ११,११,०२६ मज़दूर काम करते थे। १९५६ में खानों में प्रति दिन ६,२८,५८७ मज़दूर और कलकत्ता तथा कोचीन को छोड़कर अन्य बड़े बन्दरगाहों में प्रति दिन ३०,६२६ मज़दूर काम पर रहे।

१९५७ में कारखानों में प्रति दिन काम करने वाले मज़दूरों की औसतन संख्या सबसे अधिक बम्बई (९,६५,५५८) तथा पश्चिम बंगाल (६,५४,५३२) में थी।

अगस्त, १९५८ में कोयला खानों में प्रति दिन औसतन ३,५९,९६१ मजदूर तथा नवम्बर, १९५८ में सूती वस्त्र उद्योग में प्रति दिन औसतन ७,६८,५०६ मजदूर काम करते रहे। सूती वस्त्र उद्योग में कुल ८,९०,४४३ मजदूर काम करते रहे।

उत्पादन-क्षमता

मजदूरों की उत्पादन-क्षमता के सम्बन्ध में अध्ययन का कार्य भारत में कुछ समय पूर्व ही आरम्भ हुआ। १९५५ में प्रकाशित तत्सम्बन्धी अध्ययन के परिणाम के फलस्वरूप निम्न बातों का पता चला :

(१) कोयला खनन उद्योग—१९५१-१९५४ तक के वर्षों में खनिकों तथा लदाई करने वालों की उत्पादन-क्षमता में सामान्यतः ०.०७६ प्रतिशत प्रति मास की वृद्धि हुई;

(२) काग़ज़ उद्योग—१९४८-१९५३ में मजदूरों की औसत आय में तो वृद्धि हुई, किन्तु उत्पादन-क्षमता में कोई वृद्धि नहीं हुई;

(३) पटसन वस्त्र उद्योग—१९४८-१९५३ तक के वर्षों में उत्पादन-क्षमता में २.९ प्रतिशत प्रति वर्ष तथा आय में ३. ७ प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि हुई; तथा

(४) सूती वस्त्र उद्योग—१९४८-१९५३ तक के वर्षों में उत्पादन-क्षमता तथा आय में प्रति वर्ष क्रमशः २.२८ प्रतिशत तथा १.१४ प्रतिशत की वृद्धि हुई।

१९५४ में काम करने वाले मज़दूरों की उत्पादन-क्षमता तथा वास्तविक आय के सूचनांक (आधार वर्ष : १९३९=१००) क्रमशः ११३.० तथा १०२.७ थे।

श्रम कार्यालय ने वार्षिक उद्योग गणना के आधार पर चुने हुए निम्न ६ उद्योगों की उत्पादन-क्षमता के सूचनांकों का संग्रह करने का कार्य आरम्भ किया : पटसन वस्त्र, लोहा तथा इस्पात, चीनी, सूती वस्त्र, काँच, सीमेण्ट, कागज, दियासलाई तथा ऊनी वस्त्र ।

राष्ट्रीय नियोजन सेवा

१९४५ में आरम्भ हुई नियोजन सेवा के अन्तर्गत देश भर में नियोजन केन्द्र खुले हुए हैं जिनमें प्रशिक्षित कर्मचारी काम करते हैं । सेवा नियोजन केन्द्र रोजगार चाहने वाले सभी वर्गों के लोगों को काम प्राप्त करने में सहायता देते हैं । ये विस्थापित व्यक्तियों, अवकाशप्राप्त सरकारी कर्मचारियों और अनुसूचित जातियों तथा आदिमजातियों के लोगों को काम दिलाने के लिए भी विशेष रूप से उत्तरदायी हैं ।

नवम्बर, १९५८ के अन्त में देश में २११ सेवा नियोजन केन्द्र थे । नवम्बर, १९५८ तक सेवा नियोजन केन्द्रों द्वारा २१,३५,११३ व्यक्तियों का नाम पंजीकृत किया गया; २,३१,९८५ प्रार्थियों को काम दिलाया गया तथा ३,३४,२९४ रिक्त स्थानों की सूचना प्राप्त की गई । नवम्बर, १९५८ के अन्त में सेवा नियोजन केन्द्रों के पास ११,५६,०३१ प्रार्थियों के प्रार्थनापत्र थे तथा ६४,६८७ रिक्त स्थानों पर नियुक्तियाँ की गईं ।

सेवा नियोजन केन्द्रों के दैनिक प्रशासनिक नियन्त्रण का कार्य १ नवम्बर, १९५६ से राज्य सरकारों को हस्तान्तरित कर दिया गया । केन्द्रीय सरकार नीति तैयार करने, प्रक्रिया तथा मानकों में समन्वय स्थापित करने तथा आवश्यकता पड़ने पर सहायता देने का ही कार्य करती है ।

कई ऐसी योजनाओं पर भी कार्य किया जा रहा है जिनके अनुसार सेवा नियोजन केन्द्र अधिक अच्छी सेवा की व्यवस्था कर सकेंगे तथा उनके कार्यक्षेत्र का विस्तार हो जाएगा ।

कारीगरों को प्रशिक्षण

कारीगरों को प्रशिक्षण देने की योजना के अन्तर्गत देश में १०० से अधिक प्रशिक्षण केन्द्र हैं ।

द्वितीय योजनाकाल में 'राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना' तथा 'औद्योगिक मजदूर प्रशिक्षण योजना' (सन्ध्याकालीन वर्ग)' कार्यान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है ।

व्यावसायिक प्रशिक्षण में समन्वय स्थापित करने, एकसार मानक निर्धारित करने, प्रशिक्षण नीति विषयक प्रश्नों पर भारत सरकार को परामर्श देने तथा कारीगरों को उनकी कार्यकुशलता के सम्बन्ध में राष्ट्रीय प्रमाणपत्र देने के लिए एक 'राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद्' स्थापित की गई है ।

मजदूरी तथा आय

१९५७ के आँकड़ों के अनुसार २०० रुपये प्रति मास से कम मजदूरी पाने वाले मजदूरों की औसत वार्षिक आय सबसे अधिक असम (१,८३३.६० रुपये) तथा दिल्ली में (१,४९३.४० रुपये) थी और सबसे कम उड़ीसा में (९५६.८० रुपये) ।

वास्तविक आय

१९५८ में मजदूरों की वास्तविक आय के सूचनांक (१९४७=१००) इस प्रकार थे : आय का सामान्य सूचनांक १६३, अखिल भारत मजदूर उपभोक्ता मूल्य सूचनांक १२१ तथा वास्तविक आय का सूचनांक १३५।

श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचनांक

१९५७ में कुछ औद्योगिक केन्द्रों के सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचनांक (आधार वर्ष : १९४९=१००) इस प्रकार थे : अहमदाबाद १०४, एरणाकुलम १११, कानपुर ९४, कोलार स्वर्ण खाने १२८, जलगाँव १०५, नागपुर ११२, बंगलोर १२६, बम्बई १२०, मद्रास ११६, मैसूर १२०, शोलापुर ११३, हैदराबाद १२४ तथा त्रिचूर ११२।

श्रम कार्यालय के अनुसार १९५७ में निम्न औद्योगिक केन्द्रों के मजदूरों के सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचनांक (आधार वर्ष : १९४९=१००) थे : अजमेर ९९, अकोला ९६, कटक ११०, खड़गपुर १०९, गोहाटी १०३, जबलपुर १०७, जमशेदपुर ११५, झरिया ९९, तिनसुखिया ११८, दिल्ली ११४, देहरी-ओन-सोन १०८, ब्यावर ९५, बरहामपुर १०८, बाग़ान केन्द्र १०८, भोपाल १०१, मरकारा ११४, मुंगेर ९९, लुधियाना ९६, सतना ९९ तथा सिलचर १०५।

मज़दूरी का नियमन

मजदूरी के नियमन की व्यवस्था १९३६ के 'मजदूरी-भुगतान अधिनियम' तथा १९४८ के 'न्यूनतम मजदूरी अधिनियम' के अनुसार होती है। पहला अधिनियम जम्मू तथा कश्मीर राज्य को छोड़ कर शेष सम्पूर्ण भारत के लिए तथा किसी भी कारखाने में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए लागू होता है।

'न्यूनतम मजदूरी' अधिनियम' में यथोचित सरकार को अनुसूची में वर्णित उद्योगों के कर्मचारियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दर निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है। १९५७ के एक संशोधन के अनुसार सभी प्रकार के मजदूरों को जिनमें कृषि-मजदूर भी सम्मिलित होंगे, १९५९ के अन्त तक इस अधिनियम के अन्तर्गत ले आने का उद्देश्य रखा गया है।

'मजदूरी मण्डल' उचित मजदूरी के आधार पर मजदूरी की दर निर्धारित करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'श्रमजीवी पत्रकार वेतन मण्डल' के निर्णय अवैध ठहराए जाने के कारण, केन्द्रीय सरकार को श्रमजीवी पत्रकारों के लिए वेतन की दरें निर्धारित करने को सक्षम बनाने की सिफारिश करने के लिए 'श्रमजीवी पत्रकार वेतन समिति' स्थापित की गई। सूती वस्त्र, सीमेण्ट तथा चीनी उद्योगों के लिए भी केन्द्रीय मजदूरी मण्डल स्थापित किए जा चुके हैं।

मज़दूरी-गणना योजना

इस योजना का उद्देश्य बड़े कारखानों, खानों तथा बाग़ानों में काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी की दरों तथा उनकी आय के आँकड़ों का संग्रह करना है।

कोयला खान अधिलाभांश (बोनस) योजना

'कोयला खान निर्वाह-निधि तथा अधिलाभांश योजना अधिनियम, १६४८' के अधीन तैयार की गई 'कोयला खान अधिलाभांश योजनाएं' असम, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बम्बई, बिहार, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की कोयला खानों में लागू हैं। इन योजनाओं के अन्तर्गत असम के मजदूरों को छोड़ कर शेष सभी कोयला खान-मजदूरों को अधिलाभांश के रूप में उनकी मूल आय की एक-तिहाई राशि प्राप्त करने का अधिकार है। असम में अधिलाभांश, सप्ताह तथा तिमाही के हिसाब से दिया जाता है।

औद्योगिक सम्बन्ध

औद्योगिक विवाद

सितम्बर, १६५८ तक देश में ६७० औद्योगिक विवाद उठे जिनसे ५.६२ लाख मजदूर सम्बन्धित थे और जिनके कारण ५३.६१ लाख मानव-दिनों की हानि हुई।

औद्योगिक रोज़गार सम्बन्धी स्थायी आदेश

१६४६ के 'औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम' के अनुसार केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने उन औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए कुछ नियम बनाए जिनमें १०० अथवा उनसे अधिक मजदूर काम करते थे। यह अधिनियम पश्चिम बंगाल तथा बम्बई के उन सभी औद्योगिक संस्थानों के लिए लागू कर दिया गया है जिनमें से प्रत्येक में ५० अथवा उससे अधिक मजदूर काम करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह अधिनियम उत्तरी भारत के कारखाना-मालिक संघ, उत्तर प्रदेश तेल मिल-मालिक संघ, बिजली-कम्पनियों तथा सभी काँच उद्योगों के लिए लागू कर दिया है।

त्रिदलीय तन्त्र

केन्द्रीय तन्त्र में मुख्यतः भारतीय श्रम सम्मेलन, स्थायी श्रम समिति, औद्योगिक समितियाँ तथा कुछ अन्य समितियाँ आती हैं। १६५८ में इन संस्थाओं के वार्षिक अधिवेशन में उद्योग सम्बन्धी विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया। इसी वर्ष, खान (कोयला खानों को छोड़कर) तथा पटसन औद्योगिक समितियों की बैठक पहली बार हुई।

समझौता तन्त्र

केन्द्र के क्षेत्र में आने वाली औद्योगिक संस्थाओं में औद्योगिक सम्बन्ध के प्रशासन के कार्य का उत्तरदायित्व मुख्य श्रम आयुक्त पर है। इसकी सहायता के लिए एक संगठन स्थापित किया जा चुका है जिनमें प्रादेशिक श्रम आयुक्त, समझौता अधिकारी तथा श्रम निरीक्षक होते हैं। इसी प्रकार राज्य सरकारों के भी अपने-अपने समझौता तन्त्र हैं जिनके प्रधान अधिकारी 'श्रम आयुक्त' होते हैं।

अधिनिर्णयन (एड्जुडिकेशन) तन्त्र

औद्योगिक विवादों के अधिनिर्णयन के लिए भारत में जो तन्त्र है, उसमें श्रम न्यायालय, न्यायाधिकरण तथा राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आते हैं। इन सबके अपने-अपने अलग-अलग अधिकारक्षेत्र हैं।

उद्योगों के प्रबन्ध में मज़दूरों का योग

भारतीय श्रम सम्मेलन में जुलाई, १९५७ में उस अध्ययन-मण्डल की सिफारिशों पर विचार किया गया जिसने कुछ पश्चिमी देशों में इस योजना को कार्यान्वित करने की व्यवस्थाओं का प्रारम्भिक अध्ययन किया था। जनवरी-फरवरी, १९५८ में आयोजित इसी प्रकार की एक अन्य गोष्ठी में ऐसी परिषदें स्थापित करना स्वीकार किया गया। १९ औद्योगिक संस्थाओं में इस योजना पर काम जारी है, जबकि अन्य २० संस्थाओं ने भी इसे परीक्षण के लिए अपनाना स्वीकार कर लिया है।

मज़दूरों की शिक्षा

केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों, कारखाना-मालिकों के संगठनों तथा शिक्षाशास्त्री संगठनों के प्रतिनिधियों से युक्त 'केन्द्रीय मजदूर शिक्षा मण्डल' एक समिति के रूप में पंजीकृत किया गया। नवम्बर, १९५८ में ४३ अध्यापक-प्रशासकों के प्रशिक्षण का कार्य पूरा किया गया। इसके बाद कार्यकर्ता-अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनके द्वारा मजदूरों को। द्वितीय योजनाकाल के अन्त तक लगभग ४ लाख मजदूरों को प्रशिक्षण दिए जाने की आशा है।

मज़दूर संघ

पंजीकृत मज़दूर संघ तथा उनके सदस्य

१९५६-५७ में १७३ केन्द्रीय मजदूर संघ तथा ८,१८० राज्यीय मजदूर संघ थे जिनमें से सरकार को विवरणपत्र देने वाले मजदूर संघ क्रमशः १०२ तथा ४,३९७ थे। विवरणपत्र देने वाले इन मजदूर संघों की सदस्य-संख्या क्रमशः १,८७,२९५ तथा २१,८९,४६७ थी।

१९५७ में भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस (आई० एन० टी० यू० सी०) तथा हिन्द मजदूर सभा से क्रमशः ६७२ तथा १३८ मजदूर संघ सम्बद्ध थे जिनकी सदस्य-संख्या क्रमशः ९,३४,३८५ तथा २,३३,९९० थी।

सामाजिक सुरक्षा

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

'कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, १९४८', की व्यवस्थाएँ ऐसे सभी कारखानों पर लागू होती हैं जो बारहों महीने चालू रहते हैं, जिनमें बिजली का उपयोग किया जाता है तथा २० अथवा उनसे अधिक मजदूर काम करते हैं। जिन क्षेत्रों में यह योजना लागू की

गई है उन क्षेत्रों के १३,५६,५०० व्यक्ति इस योजना के अन्तर्गत आ जाते हैं। १९५७-५८ के अन्त तक कर्मचारियों के अंशदान के रूप में ३.५२ करोड़ रुपये प्राप्त किए जा चुके थे। असम, पंजाब, बिहार, मैसूर तथा राजस्थान में १९५८ में इस योजना के अधीन बीमा कराने वाले व्यक्तियों के परिवारों के लिए भी चिकित्सा की सुविधाओं की व्यवस्था की गई।

कर्मचारी निर्वाह-निधि

'कर्मचारी निर्वाह निधि अधिनियम, १९५२' उन सभी संस्थाओं पर लागू होता है जिनमें ५० या उनसे अधिक मज़दूर काम करते हैं। उन सभी मज़दूरों को जिनकी आय ५०० रुपये मासिक अथवा उससे कम है, अपनी ६$\frac{1}{4}$ प्रतिशत आय न्यूनतम अंशदान के रूप में देनी होती है। सितम्बर, १९५८ के अन्त में यह योजना ७,१८९ कारखानों में लागू थी जिनमें २९.५० लाख मज़दूर काम करते थे। इन मज़दूरों में से २४.०४ लाख मज़दूरों ने इस निधि में १ अर्ब २१ करोड़ ५० लाख रुपये का योगदान दिया।

कोयला-खान निर्वाह-निधि योजनाएँ

इन योजनाओं के अन्तर्गत मज़दूरों को अपनी कुल आय का ६$\frac{1}{4}$ प्रतिशत भाग निधि में लगाना होता है। अक्तूबर, १९५८ के अन्त में इस निधि की कुल सम्पत्तियाँ (एसेट्ज़) १४ करोड़ रुपये से अधिक की थीं।

मज़दूरों को क्षतिपूर्ति

'मज़दूर क्षतिपूर्ति अधिनियम, १९२३' में काम के समय में लगने वाली चोट, कारखाने में काम करने के कारण उत्पन्न बीमारियों और इस प्रकार लगी चोट तथा बीमारी के फलस्वरूप होने वाली मृत्यु के सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति की अदायगी की व्यवस्था की गई है। इस अधिनियम के अन्तर्गत ४०० रुपये मासिक तक की आय वाले कर्मचारी आते हैं।

मातृत्व लाभ

मातृत्व लाभ की अदायगी के विषय में लगभग सभी राज्यों में कानून लागू हैं। कुछ राज्यीय अधिनियम अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी नियन्त्रित कारखानों पर लागू होते हैं। इस सम्बन्ध में मातृत्व लाभ के भुगतान का नियमन तीन केन्द्रीय अधिनियमों के अनुसार होता है।

श्रम कल्याण

१९४८ के 'कारखाना अधिनियम', १९५२ के 'खान अधिनियम' तथा १९५१ के 'बाग़ान मज़दूर अधिनियम' के अन्तर्गत आने वाले उद्योगों तथा प्रतिष्ठानों के लिए उपाहारगृहों, शिशुपालन गृहों, विश्राम-गृहों, नहाने-धोने की सुविधाओं, चिकित्सा-सहायता तथा कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति के लिए व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त

कल्याण योजनाओं के लिए वित्त की व्यवस्था के सम्बन्ध में कई कानून बनाए और लागू किए जा चुके हैं।

कोयला-खान श्रम-कल्याण निधि

इसके अधीन २ केन्द्रीय अस्पतालों, ६ प्रादेशिक अस्पताल तथा मातृ-शिशु कल्याण केन्द्रों, २ दवाखानों तथा २ क्षय-उपचारालयों की व्यवस्था है। मलेरिया-विरोधी कार्यवाही तथा बी० सी० जी० टीका आन्दोलन भी जारी हैं। इसकी ओर से प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों तथा नारी-कल्याण केन्द्रों की भी व्यवस्था की जाती है।

एक सहायता-ऋण योजना के अधीन १,७५९ मकान बनाए गए तथा ३९४ मकानों का निर्माण हो रहा है। कोयला-खान-मजदूरों को १०,००० मकान दिए गए तथा २,४९४ मकानों का निर्माण आरम्भ किया गया। इस वर्ष इस निधि में, १,६४,९७,३५१ रुपये प्राप्त हुए और इस निधि में से सामान्य कल्याण-कार्यों पर ९०,५६,३५० रुपये तथा आवास पर १,५६,४०,९५० रुपये व्यय होने का अनुमान लगाया गया है।

अभ्रक-खान श्रम-कल्याण निधि

इस निधि द्वारा अभ्रक-खान-मजदूरों के लिए चिकित्सा, शिक्षा तथा मनोरंजन की सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है। करमा (बिहार) में एक अस्पताल खोला जा चुका है और कालिचेडु (आन्ध्र प्रदेश) तथा तीसरी (बिहार) में २ अस्पतालों का निर्माण किया जा रहा है। एक अन्य अस्पताल गंगानगर (राजस्थान) में भी खोला जाएगा। १९५८-५९ में आन्ध्र प्रदेश, बिहार तथा राजस्थान को क्रमशः ३.१२ लाख रुपये, १२.४७ लाख रुपये तथा २.४३ लाख रुपये दिए गए।

बाग़ान-मज़दूर-कल्याण

१९५१ के 'बाग़ान मज़दूर अधिनियम' के अनुसार सभी बाग़ानों के लिए यह आवश्यक कर दिया गया है कि वे अपने निवासी मजदूरों तथा उनके परिवारों के लिए आवास की व्यवस्था करें तथा अस्पताल अथवा दवाखाने खोलें।

केन्द्रीय सरकार की औद्योगिक संस्थाओं की श्रम-कल्याण निधियाँ

मजदूरों के लाभ के कल्याणकारी कार्यों के लिए वित्त की व्यवस्था करने की दृष्टि से १९४६ में श्रम-कल्याण निधियाँ चालू की गईं। औद्योगिक संस्थाओं के लिए 'श्रम कल्याण निधि अधिनियम' लागू होते तक कल्याणकार्य इस योजना के अधीन १९५८-५९ तक किया जाता रहेगा।

श्रम कल्याण केन्द्र

अधिकांश राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की सरकारों की ओर से कई कल्याण केन्द्रों की व्यवस्था है। ये केन्द्र मजदूरों तथा उनके बच्चों की मनोरंजन, शिक्षा तथा व्यवसाय सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की व्यवस्था करते हैं।

औद्योगिक आवास

सितम्बर, १६५२ में आरम्भ हुई 'सहायताप्राप्त औद्योगिक आवास योजना' में 'कारखाना अधिनियम, १६४८' द्वारा शासित औद्योगिक मजदूरों और कोयला तथा अभ्रक खानों के मज़दूरों को छोड़कर 'खान अधिनियम १६५२' के अन्तर्गत आने वाले अन्य खान-मज़दूरों के लिए मकानों के निर्माण की व्यवस्था है। इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को ऋण तथा सहायता देती है।

अक्तूबर, १६५८ के अन्त तक राज्य सरकारों, कारखाना-मालिकों तथा मजदूरों की सहकारी समितियों को ऋण के रूप में १५.६४ करोड़ रुपये तथा सहायता के रूप में १५.१२ करोड़ रुपये दिए गए और १,०३,६६० मकानों के लिए स्वीकृति दी गई। अगस्त १६५८ के अन्त तक लगभग ७७,००० मकान बनवाए जा चुके थे।

बाग़ान-मज़दूर आवास योजना

१६५१ के 'बाग़ान मजदूर अधिनियम' के अनुसार प्रत्येक बाग़ान-मालिक के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वह अपने सभी मजदूरों के लिए आवास की व्यवस्था करे। द्वितीय योजना में ११,००० मकानों के निर्माण के लिए २ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। १६५६-५७ में बाग़ान-मालिकों को देने के लिए केरल सरकार ने १.५० लाख रुपये लिए और इसी कार्य के लिए मद्रास सरकार भी ८३,५०० रुपये ले चुकी है।

—:o:—

उन्तीसवाँ अध्याय

राज्य तथा संघीय क्षेत्र

असम

(उत्तर-पूर्व सीमान्त प्रदेश और नागा पहाड़ियाँ-त्वेनसांग क्षेत्र सहित)

प्रधान भाषाएँ : असमिया तथा बंगला — राजधानी : शिलङ्

राज्यपाल : सैयद फज़्ल अली

मन्त्रिपरिषद्

मन्त्री	*विभाग*
विमल प्रसाद चालिहा	मुख्य मन्त्री, नियुक्तियाँ, राजनीतिक, गृह, सामान्य प्रशासन, सहायता तथा पुनर्वास, परिवहन, अल्पसंख्यक आयोग, समन्वय और कुछ अन्य विभाग
फखरुद्दीन अली अहमद	वित्त, सामुदायिक योजनाकार्य, स्वायत्त शासन और न्यायपालिका तथा विधान
देवेश्वर शर्मा	शिक्षा, सड़क तथा भवन (सार्वजनिक निर्माण-कार्य विभाग के अन्तर्गत) और जेल
रूपनाथ ब्रह्म	चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य, मुद्रण तथा आलेखन सामग्री, पंजीयन और टिकट
कामाख्या प्रसाद त्रिपाठी	योजना तथा विकास, सांख्यिकी, श्रम, नगर तथा देहात आयोजन, उद्योग तथा विद्युत् और व्यापार तथा वाणिज्य
हरेश्वर दास	राजस्व, वन और उत्पाद शुल्क
महेन्द्रनाथ हज़ारिका	ग्राम विकास (पंचायत), कुटीर उद्योग और खादी तथा ग्रामोद्योग मण्डल

मोइनुल हक चौधरी	कृषि, मत्स्य-संवर्धन, पशु-चिकित्सा तथा पशु, उपलब्धि, संसदीय मामले, बाढ़-नियन्त्रण तथा सिंचाई (सा० नि० विभाग के अन्तर्गत) और सहकारिता
विलियमसन ए० संगमा	आदिमजातीय मामले, सूचना तथा प्रचार और परिवहन

उपमन्त्री

विश्व देव शर्मा	सहकारिता और श्रम
गिरीन्द्र नाथ गोगोई	सार्वजनिक निर्माणकार्य और स्वायत्त शासन
लारसिंह खिरीम	कृषि और कुटीर तथा ग्रामोद्योग
राधिका राम दास	शिक्षा

संसदीय सचिव

ए० थंगलुरा	सामुदायिक योजनाकार्य और परिवहन
पू लाल मविया	आदिमजातीय क्षेत्र, मुद्रण तथा आलेखन सामग्री और प्रचार
ललित कुमार दोले	वन, योजना और विकास

असम सरकार का बजट (राजस्वगत)

(लाख रुपयों में)

	संशोधित प्राक्कलन १६५८-५६	बजट प्राक्कलन १६५६-६०
राजस्वगत प्राप्तियाँ		
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	२१८.६३	२१६.१७
निगम कर-भिन्न आय कर	४३४.२०	४१७.८४
सम्पदा शुल्क	४.०६	४.०६
रेल किराया कर	२६.५१	२६.५१
लगान (शुद्ध)	२४५.६६	२६०.६६
राज्यीय उत्पाद शुल्क	१७७.५३	१७७.४६
टिकट	४०.५४	४०.५७
वन	१०८.७४	१२०.१४
पंजीयन	७.५७	७.८८
मोटरगाड़ी कर	५६.१८	६८.६८
विक्रय कर	२११.३१	२२२.३१
अन्य कर तथा शुल्क	२६६.६६	२७०.०१

असम सरकार का बजट (राजस्वगत) (क्रमशः)

	संशोधित प्राक्कलन १६५८-५६	बजट प्राक्कलन १६५६-६०
सिंचाई, नौकानयन, तटबन्ध तथा जलोत्सारण कार्य (शुद्ध)	०.४०	०.४०
ऋण सेवाएँ	१२.२६	१०.०२
असैनिक प्रशासन	११६.७४	१४२.४०
असैनिक कार्य तथा विविध सार्वजनिक सुधार (शुद्ध)	१४७.४४	१०६.४६
विविध (शुद्ध)	१४०.३५	२०१.०३
अंशदान और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन	८६२.६३	६४५.१३
सामुदायिक विकास योजनाकार्य, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकासकार्य	७०.१८	७७.५५
असाधारण	५.००	७६.४१
सर्वयोग—राजस्वगत प्राप्तियाँ	३,१६२.५८	३,३६५.०५
राजस्वगत व्यय		
राजस्व पर प्रत्यक्ष माँग	२६१.०३	२८०.६३
सिंचाई, नौकानयन, तटबन्ध तथा जलोत्सारण कार्य	७३.५६	६०.७४
ऋण सेवाएँ (शुद्ध)	८६.१२	८४.८२
सामान्य प्रशासन	१४५.६१	१५५.७६
न्याय प्रशासन	२३.६४	२४.३०
जेल	२१.४५	२४.००
पुलिस	२६५.५५	२६१.५४
बन्दरगाह आदि	२.००	२.६४
वैज्ञानिक विभाग	०.३५	०.४८
शिक्षा	५०३.०२	५४४.३२
चिकित्सा	१०३.५३	१४६.२५
सार्वजनिक स्वास्थ्य	८८.२५	१२७.४८
कृषि तथा मछलीपालन	१५६.७५	१६०.७०
पशु-चिकित्सा	४१.५५	४६.०८
सहकारिता	५७.४२	७२.६५

असम सरकार का बजट (राजस्वगत) (क्रमशः)

	संशोधित प्राक्कलन १९५८-५९	बजट प्राक्कलन १९५९-६०
उद्योग तथा उपलब्धि	७६.०५	९०.९५
विविध विभाग	६.८५	११.०३
असैनिक कार्य तथा विविध सार्वजनिक सुधार	६२८.८७	५४१.११
विविध	२८६.२५	२४४.१७
असाधारण (सामुदायिक योजनाकार्य, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकासकार्य सहित)	१३३.३२	१४४.०६
सर्वयोग—राजस्वगत व्यय	२,६७०.४७	३,०५४.०१
राजस्वगत बचत (+) घाटा (-)	(+)१६२.११	(+)३४१.०४

आन्ध्र प्रदेश

प्रधान भाषा : तेलुगु — राजधानी : हैदराबाद

राज्यपाल : भीमसेन सच्चर

मन्त्रिपरिषद्

मन्त्री	*विभाग*
एन० संजीव रेड्डी	मुख्य मन्त्री, सामान्य प्रशासन (अखिल भारतीय सेवाएँ सहित), उद्योग तथा वाणिज्य, परिवहन और स्वास्थ्य तथा चिकित्सा
के० वेंकटरंग रेड्डी	राजस्व, पंजीयन और भूमि-सुधार
जे० वी० नरसिंह राव	सिंचाई तथा विद्युत्, सार्वजनिक निर्माणकार्य, राजपथ और सहायता तथा पुनर्वास
डी० संजीवय्य	श्रम, स्थानीय प्रशासन और उत्पाद शुल्क
पी० तिम्म रेड्डी	कृषि, वन और पशुपालन
एस० बी० पी० पट्टाभिरामराव	शिक्षा, समाज-कल्याण और सूचना तथा प्रचार
मेहदी नवाज़ जंग	सहकारिता और आवास
जी० वेंकट रेड्डी नायडू	विधि, अधीनस्थ न्यायालय और जेल
के० ब्रह्मानन्द रेड्डी	वित्त और योजना
एम० नरसिंह राव	गृह

आन्ध्र सरकार का बजट (राजस्वगत)

(लाख रुपयों में)

	संशोधित प्राक्कलन १९५८-५९	बजट प्राक्कलन १९५९-६०
राजस्वगत प्राप्तियाँ		
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	६०२.६६	५९७.१४
निगम कर-भिन्न आय कर	६१७.६३	६४०.२५
सम्पदा शुल्क	१६.१०	१६.१०
रेल किराया कर	६६.४६	६६.४६
लगान (शुद्ध)	८३४.००	६१०.१८
राज्यीय उत्पाद शुल्क	६८४.०५	६७४.७६
टिकट	२७८.६२	२७६.६२
वन	२५०.७७	२५४.३४
पंजीयन	६६.०३	८२.७८
मोटरगाड़ी कर	२७६.०६	२७६.०६
विक्रय कर	८७५.८२	८८३.५३
अन्य कर तथा शुल्क	८५.१२	६६.६२
सिंचाई, नौकानयन, तटबन्ध तथा जलोत्सारण कार्य (शुद्ध)	१२८.३४	१६३.६७
ऋण सेवाएँ	१०४.३३	१०६.५६
असैनिक प्रशासन	५४६.२१	५३४.३८
असैनिक कार्य	८६.८६	८०.०६
विद्युत् योजनाएँ (शुद्ध)	१३१.८६	१३५.०६
विविध (शुद्ध)	५३३.५६	६४१.६७
अंशदान और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन	५३७.४७	५६१.६०
सामुदायिक विकास योजनाकार्य, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकासकार्य	६१.७४	६१.७४
सर्वयोग—राजस्वगत प्राप्तियाँ	६,८२३.१४	७,१२६.२७

आन्ध्र सरकार का बजट (राजस्वगत) (क्रमशः)

	संशोधित प्राक्कलन १९५८-५९	बजट प्राक्कलन १९५९-६०
राजस्वगत व्यय		
राजस्व पर प्रत्यक्ष माँग	४८१.१३	४६७.६०
सिंचाई, नौकानयन, तटबन्ध तथा जलोत्सारण कार्य	४०३.२६	४०९.४६
ऋण सेवाएँ (शुद्ध)	(–) १०.६१	(–) ६७.५१
सामान्य प्रशासन	४९५.६७	५५३.४६
न्याय प्रशासन	१११.२०	१२१.३०
जेल	४७.६३	४१.८०
पुलिस	५१६.९९	५६१.४५
वैज्ञानिक विभाग	३.५३	३.७६
शिक्षा	१,१६९.६५	१,३८०.७६
चिकित्सा	३२३.१९	३५९.५३
सार्वजनिक स्वास्थ्य	१७७.३१	२१९.८०
कृषि	३०८.८९	३३२.११
पशुपालन	१०२.४८	१२१.८७
सहकारिता	१३१.५७	१७५.६२
उद्योग तथा उपलब्धि	१३५.२५	१५३.४१
विविध विभाग	२९७.५५	३७५.८८
असैनिक कार्य तथा विविध सार्वजनिक सुधार	५८१.९८	६३०.५७
विद्युत् योजनाएँ	३१५.५७	३३९.९७
विविध	५५६.५०	६१३.९२
असाधारण (सामुदायिक योजनाकार्य, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकासकार्य सहित)	३३०.८६	३४१.४८
सर्वयोग—राजस्वगत व्यय	६,४७९.६०	७,१६६.३०
राजस्वगत बचत (+) घाटा (–)	(+)३४३.५४	(–) ३७.०३

उड़ीसा

प्रधान भाषा : उड़िया | **राजधानी : भुवनेश्वर**

राज्यपाल : वाई० एन० सुक्थंकर

मन्त्रिपरिषद्

मन्त्री	*विभाग*
हरेकृष्ण मेहताव	**मुख्यमन्त्री, गृह, शिक्षा, सामान्य प्रशासन, राजस्व, उत्पाद शुल्क, भूमि-सुधार और नयी राजधानी-प्रशासन**
राजेन्द्र नारायण सिंह देव	**वित्त, उद्योग तथा खनन, योजना, आदिम-जाति तथा ग्राम कल्याण, स्वास्थ्य, विधि, सामुदायिक विकास, वन, श्रम, नदीघाटी विकास, निगरानी और परदीप बन्दरगाह**
राधानाथ रथ	**निर्माणकार्य, उपलब्धि, परिवहन, कृषि, सहकारिता और वाणिज्य**

उड़ीसा सरकार का बजट (राजस्वगत)

(लाख रुपयों में)

	संशोधित प्राक्कलन १९५८-५९	बजट प्राक्कलन १९५९-६०
राजस्वगत प्राप्तियाँ		
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	२५७.८५	२५४.९५
निगम कर-भिन्न आय कर	२८६.६८	२९७.११
सम्पदा शुल्क	६.८८	६.८८
रेल किराया कर	१९.३८	१९.३८
लगान (शुद्ध)	२३९.७३	३२४.५८
राज्यीय उत्पाद शुल्क	११७.१४	९९.५७
टिकट	५५.२५	५७.०२

उड़ीसा सरकार का बजट (राजस्वगत) (क्रमशः)

	संशोधित प्राक्कलन १६५८-५६	बजट प्राक्कलन १६५६-६०
वन	२५६.१५	२७३.६७
पंजीयन	१५.६०	१६.४०
मोटरगाड़ी कर	७३.६०	७०.८२
विक्रय कर	१६४.४६	२१५.५१
अन्य कर तथा शुल्क	१०.४१	३४.६१
सिंचाई, नौकानयन, तटबन्ध तथा जलोत्सारण कार्य (शुद्ध)	(–) ४.८४	७.२५
ऋण सेवाएँ	४५.०७	४४.८४
असैनिक प्रशासन	४१६.२४	५३६.४२
असैनिक कार्य तथा विविध सार्वजनिक सुधार (शुद्ध)	३१.२६	४३.७१
विद्युत् योजनाएँ	५३.१८	५३.६०
विविध (शुद्ध)	११२.७३	१४१.०४
अंशदान और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन	३६८.४६	३७६.२६
सामुदायिक विकास योजनाकार्य, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकासकार्य	११४.६१	१४१.७४
असाधारण	४४.०१	४६.००
सर्वयोग—राजस्वगत प्राप्तियाँ	२,७१७.८१	३,०६४.६६
राजस्वगत व्यय		
राजस्व पर प्रत्यक्ष माँग	२४६.६६	२५८.५७
सिंचाई, नौकानयन, तटबन्ध तथा जलोत्सारण कार्य	३७.६०	४६.३४
ऋण सेवाएँ (शुद्ध)	१७६.१५	२०८.५२
सामान्य प्रशासन	२७५.२३	२४६.२८
न्याय प्रशासन	२६.७०	३०.७२
जेल	२८.३३	३०.६०

उड़ीसा सरकार का बजट (राजस्वगत) (क्रमशः)

	संशोधित प्राक्कलन १९५८-५९	बजट प्राक्कलन १९५९-६०
पुलिस	१७३.४२	१८०.८०
बन्दरगाह आदि	०.१३	०.१४
वैज्ञानिक विभाग	२९.४०	८६.२९
शिक्षा	३३२.६१	३९८.८६
चिकित्सा	९२.५०	१२०.११
सार्वजनिक स्वास्थ्य	६४.११	८२.८३
कृषि	१०८.५१	१२३.२१
पशुपालन	५७.३८	६२.६०
सहकारिता	४४.७५	५१.८३
उद्योग तथा उपलब्धि	४२.०३	७२.७८
विविध बिभाग	१७२.२१	२२६.८५
असैनिक कार्य तथा विविध सार्वजनिक सुधार	२९२.०५	३०९.१०
विविध	२०७.८७	२१९.०२
असाधारण (सामुदायिक योजनाकार्य, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकासकार्य सहित)	२२३.५८	३०२.६४
सर्वयोग—राजस्वगत व्यय	२,६३७.८५	३,०५८.३९
राजस्वगत बचत (+) घाटा (–)	(+) ७९.९६	(+) ६.३०

उत्तर प्रदेश

प्रधान भाषा : हिन्दी — **राजधानी : लखनऊ**

राज्यपाल : वी० वी० गिरि

मन्त्रिपरिषद्

मन्त्री	*विभाग*
सम्पूर्णानन्द	मुख्यमन्त्री, सामान्य प्रशासन, योजना, उद्योग और श्रम
हुकुमसिंह बिसेन	राजस्व, स्वास्थ्य, सहायता तथा पुनर्वास और न्याय
गिरधारी लाल	सार्वजनिक निर्माणकार्य और सिंचाई तथा विद्युत्

सैयद अली ज़हीर	वित्त और वन
कमलापति त्रिपाठी	गृह, शिक्षा, हरिजन-कल्याण और सूचना
विचित्र नारायण शर्मा	स्वायत्त शासन
मोहनलाल गौतम	सहकारिता और कृषि

राज्य-मन्त्री

सीताराम	उत्पाद शुल्क और परिवहन
जगमोहन सिंह नेगी	खाद्य और असैनिक उपलब्धि
लक्ष्मी रमण आचार्य	समाज-सुरक्षा और समाज-कल्याण

उपमन्त्री

सुलतान आलम खाँ	योजना
बल्देवसिंह आर्य	स्वास्थ्य और सहायता तथा पुनर्वास
राम स्वरूप यादव	स्वायत्त शासन
एच० एन० बहुगुना	श्रम और भारी तथा लघु उद्योग
महाबीर सिंह	सार्वजनिक निर्माणकार्य

संसदीय सचिव

कृपा शंकर	मुख्य मन्त्री से सम्बद्ध
राजबिहारी सिंह	मुख्य मन्त्री से सम्बद्ध
इस्तफा हुसेन	गृह, शिक्षा, हरिजन-कल्याण और सूचना मन्त्री से सम्बद्ध
धर्मसिंह	राजस्व मन्त्री से सम्बद्ध

उत्तर प्रदेश सरकार का बजट (राजस्वगत)

(लाख रुपयों में)

	संशोधित प्राक्कलन १९५८-५९	बजट प्राक्कलन १९५९-६०
राजस्वगत प्राप्तियाँ		
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	१,२२१.६९	१,२१४.०४
निगम कर-भिन्न आय कर	१,३०७.०९	१,३६६.२२
सम्पदा शुल्क	३६.६२	३६.६२
रेल किराया कर	२०४.३०	२०४.३०
लगान (शुद्ध)	१,८५१.४६	२,११७.०३

उत्तर प्रदेश सरकार का बजट (राजस्वगत) (क्रमशः)

	संशोधित प्राक्कलन १९५८-५९	बजट प्राक्कलन १९५९-६०
राज्यीय उत्पाद शुल्क	५३१.२३	५४१.७३
टिकट	३१५.००	३५५.००
वन	५१५.४५	५२१.२१
पंजीयन	७१.०५	६५.३९
मोटरगाड़ी कर	१७०.००	२०६.००
विक्रय कर	—	६६५.००
अन्य कर तथा शुल्क	१,५२६.८५	८०७.५३
सिंचाई, नौकानयन, तटबन्ध तथा जलोत्सारण कार्य (शुद्ध)	२३९.७२	२७४.७३
ऋण सेवाएँ	८५.०२	३३३.८१
असैनिक प्रशासन	१,६६४.८४	१,८९९.४८
असैनिक कार्य तथा विविध सार्वजनिक सुधार (शुद्ध)	१६७.३९	२०३.३२
विद्युत् योजनाएँ	८२.५३	—
विविध शुद्ध	३१७.११	३०१.३५
अंशदान और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन	०.२३	०.२३
सामुदायिक विकास योजनाकार्य, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकासकार्य	३४४.५९	३१८.५६
असाधारण	३७९.३४	५२९.२३
सर्वयोग—राजस्वगत प्राप्तियाँ	११,०३१.५४	११,९६०.७७
राजस्वगत व्यय		
राजस्व पर प्रत्यक्ष माँग	१,०९८.४०	१,२३६.७६
सिंचाई, नौकानयन, तटबन्ध तथा जलोत्सारण कार्य	५११.४६	५४५.१६
ऋण सेवाएँ (शुद्ध)	८२३.३७	१,३२९.९३
सामान्य प्रशासन	६९६.२४	७२७.२६

उत्तर प्रदेश सरकार का बजट (राजस्वगत) (क्रमशः)

	संशोधित प्राक्कलन १९५८-५९	बजट प्राक्कलन १९५९-६०
न्याय प्रशासन	१७५.६७	१८१.५०
जेल	१५१.३३	१४७.४४
पुलिस	९००.६४	९४१.९०
वैज्ञानिक विभाग	६.४३	१३.७८
शिक्षा	१,५७४.८३	१,६२३.८२
चिकित्सा	३८०.०८	४३७.२८
सार्वजनिक स्वास्थ्य	२०८.८६	२३३.३०
कृषि तथा ग्राम विकास	३५४.८४	३५८.६८
पशुपालन	१७४.७०	१८७.३७
सहकारिता	१३२.६९	१५४.३८
उद्योग	५२५.९४	५३६.०१
विविध विभाग	६३२.९४	७०५.०५
असैनिक कार्य तथा विविध सार्वजनिक सुधार	५११.६१	५४०.९७
विद्युत् योजनाएँ	३२०.०९	१०१.७५
विविध	१,००७.८४	१,२६०.१८
असाधारण (सामुदायिक योजनाकार्य, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकासकार्य सहित)	८७७.३७	८८४.८२
सर्वयोग—राजस्वगत व्यय	११,०६८.३३	१२,१४७.३४
राजस्वगत बचत (+) घाटा (–)	(–) ३६.७९	(–) १८६.५७

केरल

प्रधान भाषा : मलयालम	राजधानी : त्रिवेन्द्रम

राज्यपाल : बी० रामकृष्ण राव

मन्त्रिपरिषद्

मन्त्री	*विभाग*
ई० एम० एस० नम्बूदिरीपाद	मुख्य मन्त्री, सामान्य प्रशासन, संगठन, योजना, सामुदायिक विकास और अन्य विभाग
सी० अच्युत मेनन	वित्त, बीमा, वाणिज्यीय कर, कृषि-आय कर, कृषि और पशुपालन
के० सी० जॉर्ज	खाद्य, असैनिक उपलब्धि और वन
के० पी० गोपालन	उद्योग, खनन तथा भूगर्भ, सीमेण्ट, लोहा तथा इस्पात और वाणिज्य
टी० वी० तोमस	परिवहन, श्रम, नगरपालिका, हथकरघा तथा नारियल जटा, औद्योगिक आवास और खेल तथा खेलकूद संस्थाएँ
पी० के० चातन	स्वायत्त शासन, पिछड़ी जाति-विकास, पंचायत तथा जिला मण्डल और पुनर्वास तथा बस्ती
के० आर० गौरी, श्रीमती	राजस्व, लगान, उत्पाद शुल्क तथा मद्यनिषेध, पंजीयन और देवस्थान तथा धर्मार्थ दान
टी० ए० मजीद	सार्वजनिक निर्माणकार्य, भवन, संचार-साधन, बन्दरगाह, रेल, सूचना, प्रचार और पर्यटन
जोसेफ मुण्डसेरी	शिक्षा, सहकारिता, मछलीपालन, आलेखन तथा मुद्रण सामग्री, संग्रहालय तथा चिड़ियाघर और पुरातत्त्व
ए० आर० मेनन	स्वास्थ्य सेवाएँ और आयुर्वेद
वी० आर० कृष्ण अय्यर	विधान, चुनाव, न्याय तथा व्यवस्था, असैनिक तथा दण्ड-न्याय प्रशासन, जेल, सिंचाई और विद्युत्

केरल सरकार का बजट (राजस्वगत)

(लाख रुपयों में)

	संशोधित प्राक्कलन १९५८-५९	बजट प्राक्कलन १९५९-६०
राजस्वगत प्राप्तियाँ		
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	२४४.०८	२४१.४२
निगम कर-भिन्न आय कर	४३०.६१	४४८.८५
सम्पदा शुल्क	८.३८	७.४४
रेल किराया कर	१६.७१	१६.७१
लगान (शुद्ध)	१६३.५७	१६७.४६
राज्यीय उत्पाद शुल्क	२१६.७४	२१६.८७
टिकट	१२१.८५	१२७.८६
वन	३२१.२०	३२३.००
पंजीयन	३३.५७	३३.५७
मोटरगाड़ी कर	१६५.८५	१७४.८८
विक्रय कर	५३५.८०	६००.००
अन्य कर तथा शुल्क	१५.३५	१८.६१
सिंचाई, नौकानयन, तटबन्ध तथा जलोत्सारण कार्य (शुद्ध)	५.५६	६.०४
ऋण सेवाएँ	१३२.३७	१२५.४३
असैनिक प्रशासन	५६०.५६	६६७.३८
असैनिक कार्य तथा विविध सार्वजनिक सुधार (शुद्ध)	१००.४८	१२२.१८
विविध (शुद्ध)	२०५.८२	२२७.७४
अंशदान और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन	१७५.५४	१७५.३५
सामुदायिक विकास योजनाकार्य, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकासकार्य	६१.२०	५६.१८
असाधारण	०.८०	५०.८०
सर्वयोग—राजस्वगत प्राप्तियाँ	३,५५२.३४	३,८४६.७७

केरल सरकार का बजट (राजस्वगत) (क्रमशः)

	संशोधित प्राक्कलन १९५८-५९	बजट प्राक्कलन १९५९-६०
राजस्वगत व्यय		
राजस्व पर प्रत्यक्ष माँग	२७३.५५	२६६.५१
सिंचाई, नौकानयन, तटबन्ध तथा जलोत्सारण कार्य	५८.३३	७५.७२
ऋण सेवाएँ (शुद्ध)	१५३.१६	१५७.६६
सामान्य प्रशासन	१३७.६१	१४८.४०
न्याय प्रशासन	८२.३५	८७.८६
जेल	२७.५७	३१.७७
पुलिस	१९३.५०	२०३.४३
वैज्ञानिक विभाग	४.८२	४.८८
शिक्षा	१,२४७.९५	१,३०१.६६
चिकित्सा	२५६.१९	२६८.६४
सार्वजनिक स्वास्थ्य	११८.४४	१५८.२७
कृषि तथा ग्राम विकास	१५५.७७	१६१.२८
पशुपालन	२०,५६	२६.७५
सहकारिता	१८.१२	२५.३६
उद्योग तथा उपलब्धि	५८.६२	७५.२४
विविध विभाग	१६८.५७	१७०.५९
असैनिक कार्य तथा विविध सार्वजनिक सुधार	२३२.४१	३०३.०३
विविध	२७१.१७	२७५.३५
असाधारण (सामुदायिक योजनाकार्य, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकासकार्य सहित)	१०२.६८	११९.२४
सर्वयोग—राजस्वगत व्यय	३,५८१.३७	३,९२४.५४
राजस्वगत बचत (+) घाटा (–)	(–) २९.०३	(–) ७७.७७

जम्मू तथा कश्मीर

प्रधान भाषाएँ : कश्मीरी, डोगरी, उर्दू **राजधानी : श्रीनगर**

सदर-ए-रियासत : युवराज कर्ण सिंह

मन्त्रिपरिषद्

मन्त्री	*विभाग*
बख्शी गुलाम मुहम्मद	प्रधान मन्त्री, सामान्य प्रशासन, सेवाएँ, मन्त्रि-मण्डल, असैनिक सचिवालय, वित्त, बजट, योजना, सांख्यिकी, लेखा-परीक्षण तथा हिसाब किताब, न्याय तथा व्यवस्था, पुलिस, सैनिक तथा असैनिक सम्पर्क, सूचना, प्रचार और आलेखन तथा मुद्रण सामग्री
शामलाल सराफ	औद्योगिक प्रशासन, उद्योग (कुटीर उद्योग सहित), रेशमकीड़ा-पालन तथा रेशम बुनाई, सरकारी ऊनी मिलें, वाणिज्यालय तथा केन्द्रीय बाज़ार, वन उद्योग (लकड़ी-चिराई मिलें सहित), औषधि निर्माण, बैंकिंग (जम्मू तथा कश्मीर बैंक सहित), श्रम प्रशासन तथा श्रम संगठन, दिल्ली के लिए व्यापार आयुक्त और व्यापारिक संगठन
दीनानाथ महाजन	न्यायपालिका, विधान, लगान तथा भूमि सम्बन्धी लेखे, सहायता, पुनर्वास तथा निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति, जागीर, ऋण-निपटारा मण्डल, दान देने वाली तथा धार्मिक संस्थाएँ और धर्मादा
गुलाम मुहम्मद राजपुरी	स्वास्थ्य, स्वास्थ्यलाभ-गृह, जेल, पर्यटन और सामान्य अभिलेख
चुन्नीलाल कोतवाल	सड़क तथा भवन, सिंचाई, विद्युत्, आवास और जल-उपलब्धि

शमसुद्दीन	कृषि तथा बागवानी, देहात सुधार (सा० यो० तथा रा० वि० से०), पशुपालन, भेड़ तथा पशु नस्ल-सुधार (दुग्धालय सहित), सहकारिता और खेत

राज्य-मन्त्री

हरबंस सिंह आज़ाद	शिक्षा, पुस्तकालय, शोध तथा प्रकाशन और राष्ट्रीय सैन्यशिक्षार्थी दल
गुलाम नबी वानी सोगमी	वन, वन्य-पशु संरक्षण मछलीपालन और स्वागत तथा तवाज़ा
अब्दुल गनी त्राली	खाद्य, उपलब्धि तथा मूल्य नियन्त्रण, केन्द्रीय भण्डार और परिवहन
कुशक बकुला	लद्दाखी मामले
अमरनाथ शर्मा	स्वायत्त शासन
भगत छज्जूराम	समाज-कल्याण

जम्मू तथा कश्मीर सरकार का बजट (राजस्वगत)

(लाख रुपयों में)

	संशोधित प्राक्कलन १६५८-५६	बजट प्राक्कलन १६५६-६०
राजस्वगत प्राप्तियाँ		
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	१०६.५३	१०८.४२
निगम कर-भिन्न आय कर	८५.६५	८८.८४
लगान (शुद्ध)	६१.४०	६६.२४
राज्यीय उत्पाद शुल्क	२६.५०	३०.००
टिकट	१२.००	१२.५०
वन	२२८.२३	३०८.६७
पंजीयन	४.०६	४.१७
मोटरगाड़ी कर	७.६०	७.८०
विक्रय कर	१६.००	१६.५०
अन्य कर तथा शुल्क	५.००	६.५०
सिंचाई, नौकानयन, तटबन्ध तथा जलोत्सारण कार्य (शुद्ध)	२०.२१	१६.५१

जम्मू तथा कश्मीर सरकार का बजट (राजस्वगत) (क्रमशः)

	संशोधित प्राक्कलन १६५८-५६	बजट प्राक्कलन १६५६-६०
ऋण सेवाएँ	११.०५	११.३६
असैनिक प्रशासन	७२.६२	६२.३३
असैनिक कार्य तथा विविध सार्वजनिक सुधार (शुद्ध)	११३.६०	१३३.६८
विविध (शुद्ध)	२६.६१	५४.६८
केन्द्रीय सरकार से सहायता-अनुदान	३००.०२	३००.०५
सामुदायिक विकास योजनाकार्य, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकासकार्य	१७.६०	३१.५४
सर्वयोग—राजस्वगत प्राप्तियाँ	१,११८.२८	१,२६६.३६
राजस्वगत व्यय		
राजस्व पर प्रत्यक्ष माँग	१०२.३४	१२५.६८
सिंचाई, नौकानयन, तटबन्ध तथा जलोत्सारण कार्य	४६.१६	४६.५६
ऋण सेवाएँ (शुद्ध)	१३.६३	८०.००
सामान्य प्रशासन	४६.५०	५६.६५
लेखा-परीक्षण	२.८६	—
न्याय प्रशासन	१०.३७	११.७३
जेल	४.६४	६.५१
पुलिस	७०.६४	७७.१५
वैज्ञानिक विभाग	०.४०	०.६३
शिक्षा	१३६.०१	१७५.०१
चिकित्सा	५४.८६	७२.२८
सार्वजनिक स्वास्थ्य	६.६४	६.६१
कृषि	१६.१५	३३.१८
पशुपालन	१५.६५	२१.७१
पुनर्वास	४.५१	—
सहकारिता	११.२३	१४.६५

जम्मू तथा कश्मीर सरकार का बजट (राजस्वगत) (क्रमशः)

	संशोधित प्राक्कलन १९५८-५९	बजट प्राक्कलन १९५९-६०
उद्योग	७.५६	८.६६
विविध विभाग	३१.५६	२४.७६
असैनिक कार्य तथा विविध सार्वजनिक सुधार	१२६.१६	७३.८८
विविध	१३०.३४	१५१.६३
असाधारण (सामुदायिक योजनाकार्य, राष्ट्रीय विस्तार सेवा और स्थानीय विकासकार्य सहित)	६२.१८	८८.६७
सर्वयोग—राजस्वगत व्यय	६४२.८१	१,०८०.२४
राजस्वगत बचत (+) घाटा (−)	(+) १७५.४७	(+) २१६.१५

पंजाब

प्रधान भाषाएँ : पंजाबी तथा हिन्दी — **राजधानी : चण्डीगढ़**

राज्यपाल : एन० वी० गाडगिल

मन्त्रिपरिषद्

मन्त्री	*विभाग*
प्रतापसिंह कैरों	**मुख्य मन्त्री, सामान्य प्रशासन (प्रचार सहित), न्याय तथा व्यवस्था, भ्रष्टाचार-उन्मूलन, संगठन तथा राजनीतिक पीड़ित, समाज-कल्याण, अनुसूचित जातियाँ और आदिमजातीय क्षेत्र**
गोपीचन्द भार्गव	**वित्त, योजना, और सांख्यिकी**
मोहनलाल	**उद्योग, असैनिक उपलब्धि, स्थानीय निकाय (पंचायतों को छोड़कर), जेल और न्याय तथा वैधानिक विभाग**

करतार सिंह	कृषि, पशुपालन, मछलीपालन, वन और वन्य-पशु संरक्षण
ज्ञानसिंह राड़ेवाला	सिंचाई तथा विद्युत् और सामुदायिक विकास
अमरनाथ विद्यालंकार	श्रम, शिक्षा, मुद्रण तथा आलेखन सामग्री और भाषा
गुरबन्ता सिंह	चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य, पंचायत और सहकारिता
वीरेन्द्र सिंह	राजस्व, सहायता तथा पुनर्वास, परिवहन और खेलकूद
सूरजमल	सार्वजनिक निर्माणकार्य, राजधानी योजना-कार्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग और आवास

उपमन्त्री

यशवन्त राय	राजस्व मन्त्री और कृषि तथा वन मन्त्री से सम्बद्ध : स्थानीय शासन, अनुसूचित जातियाँ तथा पिछड़े वर्ग और हरिजन कल्याण
प्रकाश कौर, श्रीमती	मुख्य मन्त्री से सम्बद्ध : स्वास्थ्य, चिकित्सा और समाज-कल्याण
हरबंस लाल	वित्त, शिक्षा और श्रम मन्त्री से सम्बद्ध : शिक्षा
दलबीर सिंह	मुख्य मन्त्री से सम्बद्ध : सामुदायिक योजना-कार्य और सिंचाई तथा विद्युत्
बनारसी दास	वित्त मन्त्री से सम्बद्ध : जेल, खाद्य और उपलब्धि
प्रतापसिंह	मुख्य मन्त्री से सम्बद्ध : पहाड़ी पिछड़े क्षेत्रों तथा वन-विकास

संसदीय सचिव

हंसराज शर्मा	प्रचार

पंजाब सरकार का बजट (राजस्वगत)

(लाख रुपयों में)

	संशोधित प्राक्कलन १९५८-५९	बजट प्राक्कलन १९५९-६०
राजस्वगत प्राप्तियाँ		
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	३७१.७६	३६९.५२
निगम कर-भिन्न आय कर	३२१.३९	३३३.३५
सम्पदा शुल्क	८.५१	८.५१
रेल किराया कर	८८.३१	८८.३१
लगान (शुद्ध)	३७२.५२	४४८.३६
राज्यीय उत्पाद शुल्क	५९४.४९	५१८.२६
टिकट	१८५.४५	१९७.७५
वन	८६.२१	८१.२६
पंजीयन	४३.३३	४४.६२
मोटरगाड़ी कर	६५.८८	७३.०१
विक्रय कर	—	५४८.४९
अन्य कर तथा शुल्क	८५९.५१	३५९.१०
सिंचाई, नौकानयन, तटबन्ध तथा जलोत्सारण कार्य (शुद्ध)	१४८.०८	१३९.७१
ऋण सेवाएँ	११६.३३	३७५.२३
असैनिक प्रशासन	५९२.९०	७३४.४८
असैनिक कार्य तथा विविध सार्वजनिक सुधार (शुद्ध)	८०.६६	१०१.५३
बहूद्देश्यीय नदी योजनाएँ	४३८.१५	२१६.९९
विद्युत् योजनाएँ	६१.५१	—
विविध (शुद्ध)	२७५.९६	३३६.१९
अंशदान और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन	२३३.७४	२४२.१९
सामुदायिक विकास योजनाकार्य, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकासकार्य	८७.५८	५८.३४
असाधारण	१.४९	६.४७
सर्वयोग—राजस्वगत प्राप्तियाँ	५,०३३.७६	५,२८७.६७

पंजाब सरकार का बजट (राजस्वगत) (क्रमशः)

	संशोधित प्राक्कलन १६५८-५६	बजट प्राक्कलन १६५६-६०
राजस्वगत व्यय		
राजस्व पर प्रत्यक्ष माँग	३६४.६४	४६४.३६
सिंचाई, नौकानयन, तटबन्ध तथा जलोत्सारण कार्य	१३८.०५	१५१.२६
ऋण सेवाएँ (शुद्ध)	७६.१६	४४८.७७
सामान्य प्रशासन	३०३.२६	२६८.२५
न्याय प्रशासन	६६.८२	६७.०२
जेल	५१.३२	६३.२५
पुलिस	४४७.५४	४६३.६६
वैज्ञानिक विभाग	१.६३	४.५५
शिक्षा	१,०१७.५२	१,१०६.६१
चिकित्सा	२०६.७२	२४६.१५
सार्वजनिक स्वास्थ्य	१००.७४	१२६.२५
कृषि	१०३.८६	१५८.६१
पशुपालन	५७.४२	७१.८८
सहकारिता	५६.६३	६३.६५
उद्योग	६१.८०	८५.१४
विविध विभाग	१५.६८	४०.८१
असैनिक कार्य तथा विविध सार्वजनिक सुधार	८४५.११	६८६.३४
विद्युत् योजनाएँ	४१.००	—
विविधि	५१५.६०	५७७.८२
असाधारण (सामुदायिक योजनाकार्य, राष्ट्रीय विस्तार सेवा और स्थानीय विकासकार्य सहित)	१७५.६४	१८६.७५
—राजस्वगत व्यय	४,६५१.३७	५,३२०.४६
राजस्वगत बचत (+) घाटा (−)	(+) ३८२.३६	(−) ३२.७६

पश्चिम बंगाल

प्रधान भाषा : बंगला | राजधानी : कलकत्ता

राज्यपाल : श्रीमती पद्मजा नायडू

मन्त्रिपरिषद्

मन्त्री	*विभाग*
बिधानचन्द्र राय	मुख्यमन्त्री, गृह (पुलिस तथा प्रतिरक्षा को छोड़ कर), वित्त, विकास, कुटीर तथा लघु उद्योग और सहकारिता
पी० सी० सेन	खाद्य, सहायता, उपलब्धि और शरणार्थी सहायता तथा पुनर्वास
ए० के० मुखर्जी	सिंचाई तथा जलमार्ग
के० एन० दास गुप्त	निर्माणकार्य, भवन और आवास
बी० मजूमदार	वाणिज्य तथा उद्योग और आदिमजातीय कल्याण
एच० सी० नस्कर	वन और मछलीपालन
आर० अहमद	कृषि और पशुपालन
के० मुखर्जी	गृह (पुलिस और प्रतिरक्षा)
आई० डी० जालान	स्वायत्त शासन, पंचायत और विधि
एस० पी० बर्मन	उत्पाद शुल्क
अब्दुस्सत्तार	श्रम
एच० एन० चौधरी	शिक्षा
बी० सी० सिन्हा	भूमि तथा लगान

राज्य-मन्त्री

ए० बी० राय	स्वास्थ्य
टी० के० घोष	विकास और शरणार्थी सहायता तथा पुनर्वास
पूरबी मुखर्जी, श्रीमती	शरणार्थी सहायता तथा पुनर्वास और गृह (जेल)

उपमन्त्री

एस० बन्द्योपाध्याय	कृषि, पशुपालन और वन
एस० सी० आर० सिंघा	परिवहन

एस० के० ए० मिर्ज़ा	वाणिज्य तथा उद्योग
एस० एम० मिश्र	शिक्षा और स्वायत्त शासन तथा पंचायत
सी० राय	सहकारिता और कुटीर तथा लघु उद्योग
मु० ज़ियाउल हक	स्वास्थ्य
आर० प्रामाणिक	सहायता और उपलब्धि
एम० बनर्जी, श्रीमती	शरणार्थी सहायता तथा पुनर्वास
सी० सी० महन्ती	खाद्य
जे० कोले	प्रचार तथा सार्वजनिक सम्बन्ध
एन० गुरुंग	श्रम
टी० वांगडी	आदिमजातीय कल्याण
ए० एस० नस्कर	गृह (पुलिस)
ए० घोष	खाद्य सहायता और उपलब्धि

संसदीय सचिव

के० के० हेमब्रम	विकास और श्रम
एस० एन० सिंहदेव	स्वास्थ्य
एन० माझी	वन और मछलीपालन
ए० चौधरी	विकास
एस० मियाँ	सहायता

पश्चिम बंगाल सरकार का बजट (राजस्वगत)

(लाख रुपयों में)

	संशोधित प्राक्कलन १९५८-५९	बजट प्राक्कलन १९५९-६०
राजस्वगत प्राप्तियाँ		
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	५९३.७४	५८९.०८
निगम कर-भिन्न आय कर	८३७.६२	८६१.०५
सम्पदा शुल्क	३३.४१	३३.४१
रेल किराया कर	६८.७२	६८.७२
लगान (शुद्ध)	६७१.११	६६७.०२
राज्यीय उत्पाद शुल्क	५३६.७८	५३६.२५
टिकट	३१०.१८	३१३.६८

पश्चिम बंगाल सरकार का बजट (राजस्वगत) (क्रमशः)

	संशोधित प्राक्कलन १६५८-५६	बजट प्राक्कलन १६५६-६०
वन	१३७.२८	१४०.६१
पंजीयन	५६.५४	५६.५४
मोटरगाड़ी कर	१५८.६३	१६३.६०
विक्रय कर	१,३७०.०२	१,३७०.०२
अन्य कर तथा शुल्क	७७१.७५	७७७.१५
सिंचाई, नौकानयन, तटबन्ध तथा जलोत्सारण कार्य (शुद्ध)	६.२८	३१.४३
ऋण सेवाएँ	७४.००	५६.८१
असैनिक प्रशासन	६४७.०६	१,०१६.६६
असैनिक कार्य तथा विविध सार्वजनिक सुधार (शुद्ध)	१०१.५३	१५१.२८
विविध (शुद्ध)	८३६.१५	४४६.४६
अंशदान और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन	५१६.२३	५२१.७६
सामुदायिक विकास योजनाकार्य, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकासकार्य	११६.२६	८६.१६
असाधारण	५.७४	४.७७
सर्वयोग—राजस्वगत प्राप्तियाँ	८,१५८.००	७,६०४.४६
राजस्वगत व्यय		
राजस्व पर प्रत्यक्ष माँग	६५३.७५	६६६.६०
सिंचाई, नौकानयन, तटबन्ध तथा जलोत्सारण कार्य	१४२.४०	१७४.७५
ऋण सेवाएँ	४४१.५३	५६१.०६
सामान्य प्रशासन	३३७.४५	३३४.६८
न्याय प्रशासन	१२०.७६	१२०.६६
जेल	१०७.७१	१०३.०२
पुलिस	७८७.००	७६३.७२
बन्दरगाह आदि	१३.६८	११.०७

पश्चिम बंगाल सरकार का बजट (राजस्वगत) (क्रमशः)

	संशोधित प्राक्कलन १९५८-५९	बजट प्राक्कलन १९५९-६०
वैज्ञानिक विभाग	०.७४	०.७४
शिक्षा	१,२७४.०१	१,३४७.९५
चिकित्सा	५१४.२२	५८४.५४
सार्वजनिक स्वास्थ्य	२०४.५८	२६७.४६
कृषि तथा मछलीपालन	४७०.७६	५००.७६
पशुपालन	३६.१७	४६.५०
सहकारिता	६५.०५	१३६.२७
उद्योग तथा उपलब्धि	२२५.८४	२५८.८२
विविध विभाग	१८०.७६	१८४.४१
असैनिक कार्य तथा विविध सार्वजनिक सुधार	४६१.०६	५५४.१८
विविध	१,४४८.२६	१,१०६.६४
असाधारण (सामुदायिक योजनाकार्य, राष्ट्रीय विस्तार सेवा और स्थानीय विकासकार्य सहित)	५३१.२४	४७६.६१
सर्वयोग—राजस्वगत व्यय	८,०७७.०६	८,२६७.१०
राजस्वगत बचत (+) घाटा (−)	(+) ८१.००	(−) ३६२.६१

बम्बई

प्रधान भाषाएँ : मराठी तथा गुजराती — राजधानी : बम्बई

राज्यपाल : श्रीप्रकाश

मन्त्रिपरिषद्

मन्त्री	*विभाग*
वाई० बी० चव्हाण	मुख्यमन्त्री, राजनीतिक मामले, सेवाएँ और गृह
जीवराज मेहता	वित्त
आर० यू० पारीख	राजस्व

बम्बई सरकार का बजट (राजस्वगत)

(लाख रुपयों में)

	संशोधित प्राक्कलन १९५८-५९	बजट प्राक्कलन १९५९-६०
राजस्वगत प्राप्तियाँ		
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	१,५०१.३६	१,४९८.२६
निगम कर-भिन्न आय कर	१,२१०.८६	१,२५५.६६
सम्पदा शुल्क	४१.३४	४१.३४
रेल किराया कर	१७७.२९	१७७.२९
लगान (शुद्ध)	१,३३७.८३	१,२८९.८६
राज्यीय उत्पाद शुल्क	११८.००	८६.८०
टिकट	५५२.७४	५६८.४१
वन	५३०.२१	५५७.४५
पंजीयन	६०.०६	५३.४९
मोटरगाड़ी कर	५०५.६८	५८०.२४
विक्रय कर	३,०७३.१४	३,०७८.८९
अन्य कर तथा शुल्क	९९१.७५	१,०१५.६२
सिंचाई नौकानयन, तटबन्ध तथा जलोत्सारण कार्य (शुद्ध)	१०८.२४	१०३.८४
ऋण सेवाएँ	६७८.७१	६४१.४९
असैनिक प्रशासन	१,४३८.२७	१,६२२.३५
असैनिक कार्य तथा विविध सार्वजनिक सुधार (शुद्ध)	९२.७०	३८५.२७
विविध (शुद्ध)	३७७.८६	३७६.०१
अंशदान और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन	१७७.४८	१६५.१९
सामुदायिक विकास योजनाकार्य, राष्ट्रीय विस्तार सेवा यथा स्थानीय विकासकार्य	२२०.३९	१६६.२०
असाधारण	८.०५	३.७८
सर्वयोग—राजस्वगत प्राप्तियाँ	१३,२०१.६६	१३,६७३.७४

बम्बई सरकार का बजट (राजस्वगत) (क्रमशः)

	संशोधित प्राक्कलन १६५८-५६	बजट प्राक्कलन १६५६-६०
राजस्वगत व्यय		
राजस्व पर प्रत्यक्ष माँग	१,५४१.८३	१,५६८.५५
सिंचाई, नौकानयन, तटबन्ध तथा जलोत्सारण कार्य	३४३.५५	३६४.६८
ऋण सेवाएँ (शुद्ध)	१,१०६.६६	१,१३२.६३
सामान्य प्रशासन	८७३.०६	६०३.६३
न्याय प्रशासन	२६१.०३	२७२.६६
जेल	११७.६२	११६.२२
पुलिस	१,३२५.००	१,३२८.५०
बन्दरगाह आदि	८६.०३	७६.८४
डांग जिला	७५.६७	७६.६१
वैज्ञानिक विभाग	१५.१०	२१.३६
शिक्षा	२,४८३.६३	२,५०५.२१
चिकित्सा	७१४.८०	८३६.०६
सार्वजनिक स्वास्थ्य	२६३.४४	३२५.६४
कृषि	४५१.४८	४११.८२
पशुपालन	११७.३२	१५०.१६
सहकारिता	१५६.३७	२२६.४२
उद्योग	२०१.६७	२४२.८७
विविध विभाग	३६६.७७	५६१.३१
असैनिक कार्य तथा विविध सार्वजनिक सुधार	५२६.४५	८६२.१६
विद्युत् योजनाएँ	०.६४	०.७२
विविध	१,५८०.२३	१,४३५.१४
असाधारण (सामुदायिक योजनाकार्य, राष्ट्रीय विस्तार सेवा और स्थानीय विकासकार्य सहित)	५०६.८०	३१३.४३
सर्वयोग—राजस्वगत व्यय	१३,१५८.३८	१३,७७१.६८
राजस्वगत बचत (+) घाटा (−)	(+) ४३.५८	(−) ६८.२४

बिहार

प्रधान भाषा : हिन्दी राजधानी : पटना

राज्यपाल : ज़ाकिर हुसेन

मन्त्रिपरिषद्

मन्त्री	*विभाग*
श्रीकृष्ण सिन्हा	मुख्य मन्त्री, नियुक्तियाँ राजनीतिक, मामले, वित्त और उद्योग (खान तथा खनिज संसाधन सहित)
दीप नारायण सिन्हा	सूचना, सिंचाई और विद्युत्
शाह मुहम्मद ओज़ैर मुनेमी	जेल, सहायता तथा पुनर्वास और परिवहन
भोला पासवान	उत्पाद शुल्क, वन और कल्याण
विनोदानन्द झा	राजस्व (खान तथा खनिज संसाधन को छोड़कर), ग्राम-पंचायत और श्रम
वीरचन्द पटेल	खाद्य, उपलब्धि, स्वास्थ्य और कृषि
गंगानन्द सिंह	शिक्षा
जगतनारायण लाल	सहकारिता, पशु-चिकित्सा, पशुपालन और विधि
मक़बूल अहमद	सार्वजनिक निर्माणकार्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग, आवास और स्वायत्त शासन

उपमन्त्री	
ए० ए० एम० नूर	खाद्य
केदार पाण्डे	सामान्य प्रशासन, राजनीतिक मामले और सिंचाई तथा
ललितेश्वर प्रसाद साही	विद्युत् उद्योग, सामुदायिक योजनाकार्य, खान और सूचना
हृदयनारायण चौधरी	ग्राम-पंचायत, सहकारिता और पशुपालन तथा पशु-चिकित्सा
अम्बिकाशरण सिंह	वित्त
सहदेव महतो	सार्वजनिक निर्माणकार्य और स्वायत्त शासन
राधागोविन्द प्रसाद	राजस्व, वन और धार्मिक न्यास
एस० एम० अक़ील	विधि और श्रम
ज्योतिर्मयी देवी, श्रीमती	कल्याण और स्वास्थ्य
चन्द्रिका राम	कृषि
कृष्णकान्त सिंह	शिक्षा और उत्पाद शुल्क

बिहार सरकार का बजट (राजस्वगत)

(लाख रुपयों में)

	संशोधित प्राक्कलन १९५८-५९	बजट प्राक्कलन १९५९-६०
राजस्वगत प्राप्तियाँ		
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	५५०.६५	५४४.८३
निगम कर-भिन्न आय कर	७६३.५३	७९०.६६
सम्पदा शुल्क	३०.००	३०.००
रेल किराया कर	१०२.२६	१०२.२६
लगान (शुद्ध)	१,१४५.२८	१,१९५.७८
राज्यीय उत्पाद शुल्क	४६७.२८	४८४.४५
टिकट	२२०.९६	२३२.५०
वन	११७.९७	११७.५०
पंजीयन	६६.३६	६६.३६
मोटरगाड़ी कर	७.००	७.००
अन्य कर तथा शुल्क	७०१.९४	८०८.९४
सिंचाई, नौकानयन, तटबन्ध तथा जलोत्सारण कार्य (शुद्ध)	८.१९	२०६.०५
ऋण सेवाएँ	४२.९७	७२.६७
असैनिक प्रशासन	९५२.५२	१,२५७.०७
असैनिक कार्य तथा विविध सार्वजनिक सुधार (शुद्ध)	५८.५३	६३.३०
विविध (शुद्ध)	१५६.०३	३९०.५५
अंशदान और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन	५९०.८६	५९४.६३
सामुदायिक विकास योजनाकार्य, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय बिकासकार्य	२२१.०८	२१७.६९
असाधारण	२.१३	१.४३
सर्वयोग—राजस्वगत प्राप्तियाँ	६,२०५.५४	७,१८६.६७

बिहार सरकार का बजट (राजस्वगत) (क्रमशः)

	संशोधित प्राक्कलन १९५८-५९	बजट प्राक्कलन १९५९-६०
राजस्वगत व्यय		
राजस्व पर प्रत्यक्ष माँग	५४०.५७	६०९.९५
सिंचाई, नौकानयन, तटबन्ध तथा जलोत्सारण कार्य	१८५.८७	१७१.४०
ऋण सेवाएँ (शुद्ध)	६०९.७२	६२२.८०
सामान्य प्रशासन	४३५.९०	४७१.२७
न्याय प्रशासन	१०६.६६	१०७.७७
जेल	१०६.७६	१०४.७७
पुलिस	४८३.८२	४६५.३९
वैज्ञानिक विभाग	१.३८	१.८५
शिक्षा	९४५.३१	१,१५१.१६
चिकित्सा	२३९.९१	२९४.१५
सार्वजनिक स्वास्थ्य	२५७.३०	२९९.०४
कृषि	३११.३५	३४१.८०
पशु-चिकित्सा	८३.६३	११५.७६
सहकारिता	१९२.०५	३२६.१६
उद्योग तथा उपलब्धि	१७३.८४	२०७.७२
विविध विभाग	४२.५८	४६.१५
असैनिक कार्य तथा विविध सार्वजनिक सुधार	२३२.४४	३२४.८३
विद्युत् योजनाएँ	४.६५	५.६८
विविध	८०१.९८	४०२.०२
असाधारण (सामुदायिक योजनाकार्य, राष्ट्रीय विस्तार सेवा और स्थानीय विकासकार्य सहित)	५४०.८४	५६३.८०
सर्वयोग—राजस्वगत व्यय	६,२९६.५६	६,६२३.४७
राजस्वगत बचत (+) घाटा (−)	(−) ९१.०२	(+) ५५३.२०

मद्रास

प्रधान भाषा : तमिल **राजधानी : मद्रास**

राज्यपाल : विष्णुराम मेधी

मन्त्रिपरिषद्

मन्त्री	*विभाग*
के० कामराज नाडर	मुख्य मन्त्री, योजना और सामुदायिक विकास
एम० भक्तवत्सलम्	गृह (न्यायालय तथा जेल सहित), मद्यनिषेध और खाद्य तथा कृषि
सी० सुब्रह्मण्यम्	वित्त, शिक्षा, सूचना और विधि
एम० ए० माणिकवेलु	राजस्व और सार्वजनिक स्वास्थ्य
आर० वेंकटरमण	उद्योग, श्रम, सहकारिता, वाणिज्यीय कर, आवास और राष्ट्रीयकृत परिवहन
पी० कक्कन	सार्वजनिक निर्माणकार्य (विद्युत छोड़ कर) और हरिजन-कल्याण
वी० रामय्य	विद्युत्, परिवहन और पंजीयन
लॉर्डम्मल साइमन, श्रीमती	स्थानीय प्रशासन और मछलीपालन

मद्रास सरकार का बजट (राजस्वगत)

(लाख रुपयों में)

	संशोधित प्राक्कलन १९५८–५९	बजट प्राक्कलन १९५९-६०
राजस्वगत प्राप्तियाँ		
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	५८१.००	५८१.००
निगम कर-भिन्न आय कर	६२५.००	६२५.००
कृषि आय कर	१४७.५०	१४७.००
सम्पदा शुल्क	२८.४१	२८.४१
रेल किराया कर	५५.००	७०.००
लगान (शुद्ध)	४८१.१०	५०३.३८

मद्रास सरकार का बजट (राजस्वगत) (क्रमशः)

	संशोधित प्राक्कलन १९५८-५९	बजट प्राक्कलन १९५९-६०
राज्यीय उत्पाद शुल्क	२६.१९	२५.७०
टिकट	३५९.९५	३६०.४५
वन	१२५.०२	१००.०९
पंजीयन	७६.९५	७६.९५
मोटरगाड़ी कर	४७७.६८	४७८.०२
विक्रय कर	१,५२६.५६	१,५२६.५६
अन्य कर तथा शुल्क	१८६.९०	१८६.९५
सिंचाई, नौकानयन, तटबन्ध तथा जलोत्सारण कार्य (शुद्ध)	११२.४७	१३१.०२
ऋण सेवाएँ	५१८.०५	५६५.०९
असैनिक प्रशासन	१,०३७.१६	१,३३३.३९
असैनिक कार्य तथा विविध सार्वजनिक सुधार (शुद्ध)	७५.७२	९८.८८
विविध (शुद्ध)	२६५.८३	२६५.६०
अंशदान और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन	८.०९	५.३१
असाधारण (सामुदायिक योजनाकार्य, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकासकार्य)	२३४.४०	१९९.५७
सर्वयोग—राजस्वगत प्राप्तियाँ	६,९४८.९८	७,३०८.३७
राजस्वगत व्यय		
राजस्व पर प्रत्यक्ष माँग	५५४.०६	५५१.५४
सिंचाई, नौकानयन, तटबन्ध तथा जलोत्सारण कार्य	२८८.९६	२९६.७१
ऋण सेवाएँ (शुद्ध)	५१९.०७	६३२.९८
सामान्य प्रशासन	५००.४५	५०३.९४
न्याय प्रशासन	१२९.६४	१२८.१८
जेल	९४.००	९५.५०
पुलिस	५२२.३३	५२९.१५

मद्रास सरकार का बजट (राजस्वगत) (क्रमशः)

	संशोधित प्राक्कलन १९५८-५९	बजट प्राक्कलन १९५९-६०
वैज्ञानिक विभाग	३.५८	२.८७
शिक्षा	१,२३२.९४	१,३२८.९५
चिकित्सा	४२३.२३	४४०.६६
सार्वजनिक स्वास्थ्य	९८.९४	१२३.९२
कृषि	२५९.९३	२९२.२५
पशुपालन	८१.०१	९३.७४
सहकारिता	१३३.३४	१८६.४९
उद्योग तथा उपलब्धि	३०९.३४	४१७.२०
विविध विभाग	३२२.५७	३३२.३१
असैनिक कार्य तथा विविध सार्वजनिक सुधार	४९७.४७	५५७.११
विविध	४१४.९६	४०६.४५
असाधारण (सामुदायिक योजनाकार्य, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकासकार्य सहित)	२९८.४१	२४९.१६
सर्वयोग—राजस्वगत व्यय	६,६८४.२३	७,१६६.११
राजस्वगत बचत (+) घाटा (−)	(+) २६४.७५	(+) १३९.२६

मध्य प्रदेश

प्रधान भाषा : हिन्दी **राजधानी : भोपाल**

राज्यपाल : एच० वी० पाटसकर

मन्त्रिपरिषद्

मन्त्री	*विभाग*
के० एन० काटजू	**मुख्य मन्त्री, सामान्य प्रशासन, गृह, प्रचार, शिकायत, योजना तथा विकास, कृषि और समन्वय**

बी० ए० मण्डलोइ	राजस्व, सर्वेक्षण तथा बस्ती, भूमि-लेखे, भूमि-सुधार, स्वायत्त शासन (शहरी) और वाणिज्य तथा उद्योग
शम्भुनाथ शुक्ल	वन और प्राकृतिक संसाधन
एस० डी० शर्मा	शिक्षा, विधि और पर्यटन उद्योग
मिश्रीलाल गंगवाल	वित्त, अन्य राजस्व, अर्थशास्त्र तथा सांख्यिकी और पंजीयन
शंकरलाल तिवारी	सार्वजनिक निर्माणकार्य, सिंचाई (चम्बल योजनाकार्य को छोड़कर) और विद्युत्
वी० वी० द्राविड़	श्रम, पुनर्वास, आवास और चम्बल योजनाकार्य
नरेशचन्द्र सिंह	आदिमजातीय कल्याण
गणेशराम अनन्त	समाज-कल्याण, सहकारिता और स्वायत्त शासन (ग्रामीण)
पद्मावती देवी	सार्वजनिक स्वास्थ्य
ए० क्यू० सिद्दीकी	जेल, खाद्य और असैनिक उपलब्धि

उपमन्त्री

नरसिंहराव दीक्षित	गृह
केशवलाल गुमाश्ता	वाणिज्य तथा उद्योग
जगमोहनदास	राजस्व, सर्वेक्षण तथा बस्ती, भूमि-सुधार, भूमि-लेखे और स्वायत्त शासन
मथुराप्रसाद दुबे	वित्त, अन्य राजस्व, अर्थशास्त्र तथा सांख्यिकी, पंजीयन और सार्वजनिक स्वास्थ्य
शिवभानु सोलंकी	आदिमजातीय कल्याण, श्रम, पुनर्वास और समाज-कल्याण
सज्जन सिंह विश्नार	वन, प्राकृतिक संसाधन, जेल, खाद्य और असैनिक उपलब्धि
दशरथ जैन	सार्वजनिक निर्माणकार्य और विद्युत्
एस० एस० एन० मुशरान	कृषि और सहकारिता

मध्य प्रदेश सरकार का बजट (राजस्वगत)

(लाख रुपयों में)

	संशोधित प्राक्कलन १६५८-५६	बजट प्राक्कलन १६५६-६०
राजस्वगत प्राप्तियाँ		
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	५३६.६६	५३६.१६
निगम कर-भिन्न आय कर	५१२.३८	५३१.६१
सम्पदा शुल्क	१२.७५	१२.७५
रेल किराया कर	६०.५०	६०.५०
लगान (शुद्ध)	८३८.५०	१,०१०.४७
राज्यीय उत्पाद शुल्क	४०६.६०	३८५.६८
टिकट	१३१.७०	१३३.८३
वन	६६३.८३	७४६.६४
पंजीयन	२३.५०	२४.००
मोटरगाड़ी कर	११५.००	११५.००
विक्रय कर	३६८.६०	४६४.६०
अन्य कर तथा शुल्क	८१.०६	८५.१०
सिंचाई, नौकानयन, तटबन्ध तथा जलोत्सारण कार्य (शुद्ध)	६५.००	६५.००
ऋण सेवाएँ	२३४.५४	१४७.८३
असैनिक प्रशासन	४७१.७४	५०१.६२
असैनिक कार्य तथा विविध सार्वजनिक सुधार (शुद्ध)	३४.६७	३४.५५
विविध (शुद्ध)	२४०.२३	१६०.८४
अंशदान और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन	४३६.२०	४२८.६३
सामुदायिक विकास योजनाकार्य, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकासकार्य	१६३.६६	२११.७१
असाधारण	३५०.००	२५०.००
सर्वयोग—राजस्वगत प्राप्तियाँ	५,८७७.०५	५,६३७.१५

मध्य प्रदेश सरकार का बजट (राजस्वगत) (क्रमशः)

	संशोधित प्राक्कलन १९५८-५९	बजट प्राक्कलन १९५९-६०
राजस्वगत व्यय		
राजस्व पर प्रत्यक्ष माँग	५६१.५३	६५३.९८
सिंचाई, नौकानयन, तटबन्ध तथा जलोत्सारण कार्य	७१.६२	७४.९८
ऋण सेवाएँ (शुद्ध)	३२३.७२	३४१.७६
सामान्य प्रशासन	३४७.९९	३५६.८२
न्याय प्रशासन	९२.७१	९२.९५
जेल	३८.५९	४०.१४
पुलिस	५४४.१७	५५३.९१
वैज्ञानिक विभाग	४.८६	६.६४
शिक्षा	१,०६३.१६	१,१६२.६४
चिकित्सा	२३६.७६	२५५.२३
सार्वजनिक स्वास्थ्य	१४६.२८	१८२.५२
कृषि	२२९.०७	२३८.३५
पशुपालन	९६.३७	१०९.४३
सहकारिता	५१.४९	५८.७०
उद्योग तथा उपलब्धि	११९.९७	१३०.०१
विविध विभाग	२२७.२१	२५१.४९
असैनिक कार्य तथा विविध सार्वजनिक सुधार	४३०.८१	४३६.४३
विविध	५६२.६३	४९६.२६
असाधारण (सामुदायिक योजनाकार्य, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकासकार्य सहित)	३७८.३६	४०२.०५
सर्वयोग—राजस्वगत व्यय	५,५२७.३०	५,८४४.२९
राजस्वगत बचत (+) घाटा (−)	(+) ३४९.७५	(+) ९२.८६

मैसूर

प्रधान भाषा : कन्नड़ | राजधानी : बंगलोर

राज्यपाल : जय चामराज वाडियार

मन्त्रिपरिषद्

मन्त्री	*विभाग*
बी० डी० जत्ती	मुख्यमन्त्री, योजना तथा विकास, गृह और वाणिज्य तथा उद्योग (कुटीर तथा ग्राम उद्योगों को छोड़कर)
के० मंजप्प	राजस्व, लगान तथा भूमि-लेखे और टिकट तथा पंजीयन
टी० सुब्रह्मण्य	विधि, श्रम, स्वायत्त शासन (ग्राम-पंचायत सहित) आवास और ग्रामीण जल-व्यवस्था
टी० मरियप्प	वित्त और रेशमकीड़ा-पालन तथा रेशम
एच० एम० चन्नबासप्प	सार्वजनिक निर्माणकार्य और विद्युत्
के० एफ० पाटील	खाद्य, वन,परिवहन और भूगर्भ तथा खान
एम० मरियप्प	सहकारिता, हाट-व्यवस्था, गोदाम और कुटीर तथा ग्रामोद्योग
के० के० हेगडे	चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य
ए० राव गणमुखी	शिक्षा
एन० राचय्य	कृषि, मछलीपालन, पशुपालन, सरकारी उद्यान, समाज-कल्याण, उत्पाद शुल्क तथा मद्य-निषेध और अनुसूचित जाति, अनुसूचित आदिमजाति तथा पिछड़े वर्ग सुधार

उपमन्त्री	
ग्रेस ताकर, श्रीमती	शिक्षा
एच० सी० लिंग रेड्डी	योजना, विकास और रेशमकीड़ा-पालन
एम० एन० नाघनूर	सार्वजनिक निर्माणकार्य और विद्युत्
लीलावती वेंकटेश मागडी, श्रीमती	ग्रामोद्योग
ज० एच० शमसुद्दीन	वित्त
बी० बासवलिंगप्प	गृह

मैसूर सरकार का बजट (राजस्वगत)

(लाख रुपयों में)

	संशोधित प्राक्कलन १९५८-५९	बजट प्राक्कलन १९५९-६०
राजस्वगत प्राप्तियाँ		
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	३५४.७०	३५०.१५
निगम कर-भिन्न आय कर	४६९.३३	५०५.५८
सम्पदा शुल्क	१३.३४	१४.०४
रेल किराया कर	४८.४६	४८.४६
लगान (शुद्ध)	४४०.००	४४५.००
राज्यीय उत्पाद शुल्क	३००.७३	२९२.६७
टिकट	१५७.४४	१६०.३५
वन	४४९.७७	५०४.५०
पंजीयन	२७.१५	२७.५२
मोटरगाड़ी कर	२३०.०५	२३२.४५
विक्रय कर	६६०.५६	६८५.००
अन्य कर तथा शुल्क	१४०.३९	१४४.७७
सिंचाई, नौकानयन, तटबन्ध तथा जलोत्सारण कार्य (शुद्ध)	२८.६२	४०.६३
ऋण सेवाएँ	२७३.१३	२४३.८३
असैनिक प्रशासन	२,०८४.९०	२,४०७.५६
असैनिक कार्य तथा विविध सार्वजनिक सुधार (शुद्ध)	७१.२५	१२७.२५
विविध (शुद्ध)	१९८.०९	२१५.२५
अंशदान और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन	६०१.५९	६१०.४५
सामुदायिक विकास योजनाकार्य, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकासकार्य	१०१.२७	१११.९३
सर्वयोग—राजस्वगत प्राप्तियाँ	६,६२८.७७	७,१६७.३९

मैसूर सरकार का बजट (राजस्वगत) (क्रमशः)

	संशोधित प्राक्कलन १९५८-५९	बजट प्राक्कलन १९५९-६०
राजस्वगत व्यय		
राजस्व पर प्रत्यक्ष माँग	४८२.६५	५३१.१९
सिंचाई, नौकानयन, तटबन्ध तथा जलोत्सारण कार्य	२०९.२५	२००.३३
ऋण सेवाएँ (शुद्ध)	२९१.२७	३७६.३५
सामान्य प्रशासन	२६२.००	२५९.००
न्याय प्रशासन	७१.३३	८७.७८
जेल	३३.७०	३४.८०
पुलिस	३१२.४३	३२४.५६
बन्दरगाह आदि	३.५९	८.००
वैज्ञानिक विभाग	७.३६	७.९८
शिक्षा	१,०३२.१६	१,१३२.४३
चिकित्सा	२५९.०२	२१२.५३
सार्वजनिक स्वास्थ्य	१६३.७८	२१३.८७
कृषि तथा ग्राम विकास	३१३.९७	३६९.४२
पशुपालन	८७.६६	१०३.४०
सहकारिता	६६.०९	७३.५१
उद्योग तथा उपलब्धि	१,६३८.७०	१,७९०.४१
विविध विभाग	४८.६५	६३.२१
असैनिक कार्य तथा विविध सार्वजनिक सुधार	५२२.८६	५७८.५३
विविध	४०७.१२	४७४.६६
असाधारण (सामुदायिक योजनाकार्य, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकासकार्य सहित)	१७४.७०	१९९.०३
सर्वयोग—राजस्वगत व्यय	६,३८८.५९	७,११८.९९
राजस्वगत बचत (+) घाटा (–)	(+) २४०.१८	(+) ४८.४०

राजस्थान

प्रधान भाषाएँ : राजस्थानी तथा हिन्दी | राजधानी : जयपुर

राज्यपाल : गुरमुख निहाल सिंह

मन्त्रिपरिषद्

मन्त्री	*विभाग*
मोहनलाल सुखाडिया	मुख्यमन्त्री, सामान्य प्रशासन, राजनीतिक मामले, नियुक्तियाँ, योजना तथा विकास, समन्वय, शिक्षा (बुनियादी शिक्षा को छोड़कर), उद्योग, (खादी तथा ग्रामोद्योगों को छोड़ कर), खान और सामुदायिक योजनाकार्य
हरिभाऊ उपाध्याय	वित्त, उत्पाद शुल्क, कर, बुनियादी शिक्षा, खादी तथा ग्रामोद्योग और समाज-कल्याण
रामकिशोर व्यास	गृह, विधि, न्यायपालिका, सिंचाई तथा विद्युत् और सार्वजनिक सम्बन्ध
दामोदरलाल व्यास	राजस्व, देवस्थान, सहायता तथा पुनर्वास और अकाल सहायता
बद्रीप्रसाद गुप्त	स्वायत्त शासन, आलेखन सामग्री तथा सरकारी मुद्रणालय, विधान सभा, चुनाव, चिकित्सा, खाद्य, असैनिक उपलब्धि और श्रम
नाथू राम मिर्धा	कृषि, सहकारिता, वन, सार्वजनिक निर्माणकार्य और परिवहन

उपमन्त्री	
सम्पत राम	राजस्व, उत्पाद शुल्क, कर और सामुदायिक योजनाकार्य
भीखा भाई	सिंचाई तथा विद्युत्, चिकित्सा और समाज-कल्याण
पूनम चन्द विश्नोई	शिक्षा, योजना और स्वायत्त शासन
ऋषभचन्द धारीवाल	वित्त, उद्योग तथा खान, असैनिक उपलब्धि और खादी तथा ग्रामोद्योग मण्डल
दौलत राम	कृषि, सहकारिता और पंचायत

राजस्थान सरकार का बजट (राजस्वगत)

(लाख रुपयों में)

	संशोधित प्राक्कलन १९५८-५९	बजट प्राक्कलन १९५९-६०
राजस्वगत प्राप्तियाँ		
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	२८२.५३	२८०.०२
निगम कर-भिन्न आय कर	३२०.००	३३०.००
सम्पदा शुल्क	९.१३	१०.००
रेल किराया कर	७३.७३	७३.७३
लगान (शुद्ध)	६५९.७२	७०५.५०
राज्यीय उत्पाद शुल्क	३५५.००	३३८.००
टिकट	८५.००	८६.६५
बन	७१.०८	७४.५०
पंजीयन	११.००	११.५०
मोटरगाड़ी कर	८०.००	९०.००
विक्रय कर	३१५.००	३२५.००
अन्य कर तथा शुल्क	१८.१७	४८.७०
सिंचाई, नौकानयन, तटबन्ध तथा जलोत्सारण कार्य (शुद्ध)	५१.७१	७०.९८
ऋण सेवाएँ	८९.६२	९०.३३
असैनिक प्रशासन	४६९.४६	६४७.६८
असैनिक कार्य तथा विविध सार्वजनिक सुधार (शुद्ध)	६०.३४	६०.४८
विद्युत् योजनाएँ	३.८२	—
विविध (शुद्ध)	११७.६४	१५९.११
अंशदान और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन	२९१.५५	२७८.१९
सामुदायिक विकास योजनाकार्य, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकासकार्य	९३.६४	१०१.७१
असाधारण	६०.००	१४२.००
सर्वयोग—राजस्वगत प्राप्तियाँ	३,५१८.१४	३,९२७.०८

राजस्थान सरकार का बजट (राजस्वगत) (क्रमशः)

	संशोधित प्राक्कलन १९५८-५९	बजट प्राक्कलन १९५९-६०
राजस्वगत व्यय		
राजस्व पर प्रत्यक्ष माँग	३३६.२६	३३७.८०
सिंचाई, नौकानयन, तटबन्ध तथा जलोत्सारण कार्य	६८.११	७२.०७
ऋण सेवाएँ (शुद्ध)	२७१.८६	३६८.८६
सामान्य प्रशासन	२३८.६६	२२६.३४
न्याय प्रशासन	४६.३४	५१.४५
जेल	३१.१३	३२.६८
पुलिस	४०६,७०	४३०.६८
वैज्ञानिक विभाग	२४.४६	२४.२२
शिक्षा	७००.००	८४५.२७
चिकित्सा	२३०.४०	२६३.१५
सार्वजनिक स्वास्थ्य	१०४.८०	१५४.१८
कृषि तथा ग्राम विकास	९०.९९	११३.२१
पशुपालन	५८.९२	७६.०४
सहकारिता	२८.८७	५६.७३
उद्योग तथा उपलब्धि	५७.६०	६२.१६
विविध विभाग	२३०.६५	१५४.४१
असैनिक कार्य तथा विविध सार्वजनिक सुधार	२१६.२७	२१०.५३
विविध	२९१.६५	३१२.५६
असाधारण (सामुदायिक योजनाकार्य, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकासकार्य सहित)	१३५.४६	११८.८५
सर्वयोग—राजस्वगत व्यय	३,५७५.५२	३,९१४.२२
राजस्वगत बचत (+) घाटा (–)	(–) ५७.३८	(+) १२.८६

अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह

राजधानी :	पोर्ट ब्लेयर

मुख्य आयुक्त : एम० वी० राजवाडे

अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन का बजट (राजस्वगत)

(लाख रुपयों में)

	संशोधित प्राक्कलन १९५८-५९	बजट प्राक्कलन १९५९-६०
राजस्वगत प्राप्तियाँ		
लगान (शुद्ध)	२.७९	२.७८
राज्यीय उत्पाद शुल्क	०.१५	०.०५
टिकट	०.२७	०.२४
वन	१०६.८६	१०९.१४
पंजीयन	०.०१	०.०१
मोटरगाड़ी कर	०.१२	०.१२
अन्य कर तथा शुल्क	०.७०	०.२०
ऋण सेवाएँ	०.०५	०.०६
असैनिक प्रशासन	४२.७५	३३.५८
विविध (शुद्ध)	३.५४	४.४३
सर्वयोग—राजस्वगत प्राप्तियाँ	१५७.२४	१५०.६१
राजस्वगत व्यय		
राजस्व पर प्रत्यक्ष माँग	१३१.५०	१५३.५२
सामान्य प्रशासन	११.०४	११.४४
जेल	०.५१	०.५२
पुलिस	१६.००	१७.११
बन्दरगाह आदि	५८.२८	६२.६५
शिक्षा	७.८६	९.२३

अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन का बजट (राजस्वगत) (क्रमशः)

	संशोधित प्राक्कलन १९५८-५९	बजट प्राक्कलन १९५९-६०
चिकित्सा	७.४६	९.२६
सार्वजनिक स्वास्थ्य	२.६४	२.६७
कृषि	७.२६	८.६१
पशुपालन	२.४३	३.२२
सहकारिता	०.२५	०.७२
उद्योग तथा उपलब्धि	०.४६	२.२५
विविध विभाग	१२.९४	१७.१०
विविध	७.९९	६.३२
असाधारण (सामुदायिक योजनाकार्य, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकासकार्य सहित)	२.०१	३.४७
सर्वयोग—राजस्वगत व्यय	२६८.६३	३११.३६

दिल्ली

प्रधान भाषाएँ : हिन्दी, उर्दू, पंजाबी — **राजधानी : दिल्ली**

मुख्य आयुक्त : ए० डी० पण्डित

दिल्ली प्रशासन का बजट (राजस्वगत)

(लाख रुपयों में)

	संशोधित प्राक्कलन १९५८-५९	बजट प्राक्कलन १९५९-६०
राजस्वगत प्राप्तियाँ		
लगान (शुद्ध)	५.९६	६.२९
राज्यीय उत्पाद शुल्क	१४७.५८	१४३.८८
टिकट	७०.५४	७८.२१
वन	०.०४	०.०४

दिल्ली प्रशासन का बजट (राजस्वगत)

	संशोधित प्राक्कलन १९५८-५९	बजट प्राक्कलन १९५९-६०
पंजीयन	८.७०	८.७०
मोटरगाड़ी कर	३२.९८	३४.९८
विक्रय कर	३१०.००	३२९.३५
अन्य कर तथा शुल्क	१५९.५०	१६५.९८
सिंचाईकार्य (शुद्ध)	०.०२	—
ऋण सेवाएँ	१०७.५७	१०५.०८
असैनिक प्रशासन	४४.६६	४८.४५
विविध (शुद्ध)	२.०३	२.६१
सर्वयोग—राजस्वगत प्राप्तियाँ	८८९.५८	९२३.५३
राजस्वगत व्यय		
राजस्व पर प्रत्यक्ष माँग	२२६.४४	२३५.७७
सिंचाई, नौकानयन, तटबन्ध तथा जलोत्सारण कार्य	४.१५	४.००
सामान्य प्रशासन	३५.८२	३७.६२
न्याय प्रशासन	१६.५६	१५.६७
जेल	७.५४	७.८९
पुलिस	१७८.६८	१८५.६९
शिक्षा	२२७.०२	२४३.२४
चिकित्सा	६०.३०	६५.५८
सार्वजनिक स्वास्थ्य	१७.०४	२२.७८
कृषि	१५.२२	१४.११
पशुपालन	२.८४	३.१५
सहकारिता	४.२९	४.९७
उद्योग तथा उपलब्धि	३.७५	६.३२
विविध विभाग	७.५०	९.९३
विविध	१५५.५७	२२६.५०
असाधारण (सामुदायिक योजनाकार्य, राष्ट्रीय विस्तार सेवा और स्थानीय विकासकार्य सहित)	६.०६	६.९६
सर्वयोग—राजस्वगत व्यय	९६८.७८	१,०९०,१४

मणिपुर

प्रधान भाषा : मणिपुरी | राजधानी : इम्फाल

मुख्य आयुक्त: जे० एम० एन० रैना

मणिपुर प्रशासन का बजट (राजस्वगत)

(लाख रुपयों में)

	संशोधित प्राक्कलन १६५८-५६	बजट प्राक्कलन १६५६-६०
राजस्वगत प्राप्तियाँ		
लगान (शुद्ध)	१४.३५	१४.५०
राज्यीय उत्पाद शुल्क	०.१५	०.१५
टिकट	१.४६	१.५०
वन	३.५०	३.८५
पंजीयन	०.२५	०.२५
मोटरगाड़ी कर	३.६०	३.६०
अन्य कर तथा शुल्क	३.००	३.००
सिंचाई, नौकानयन, तटबन्ध तथा जलोत्सारण कार्य	०.१२	०.१५
असैनिक प्रशासन	२.०६	२.१८
असैनिक कार्य तथा विविध सार्वजनिक सुधार (शुद्ध)	०.८०	०.८०
विद्युत् योजनाएँ	(–) ०.८४	१.११
विविध (शुद्ध)	(–) १.८५	१.५१
सर्वयोग—राजस्वगत प्राप्तियाँ	२६.६६	२६.५८
राजस्वगत व्यय		
राजस्व पर प्रत्यक्ष माँग	१०.५३	११.४७
सिंचाई, नौकानयन, तटबन्ध तथा जलोत्सारण कार्य	३.२५	३.२५

मणिपुर प्रशासन का बजट (राजस्वगत) (क्रमशः)

	संशोधित प्राक्कलन १६५८-५६	बजट प्राक्कलन १६५६-६०
सामान्य प्रशासन	१०.२८	११.४०
न्याय प्रशासन	१.६५	१.६७
जेल	१.१४	१.२३
पुलिस	५३.६६	५४.७४
शिक्षा	१६.५०	३१.३७
चिकित्सा	८.६३	१२.२६
सार्वजनिक स्वास्थ्य	८.१३	१०.६०
कृषि	२.५३	४.१०
पशुपालन	१.५६	१.६१
सहकारिता	१.७६	२.२०
उद्योग तथा उपलब्धि	१.६२	४.१४
विविध विभाग	०.७१	०.८४
असैनिक कार्य तथा विविध सार्वजनिक सुधार	१५.४५	१८.२५
विविध	४८.६६	५३.६७
असाधारण (सामुदायिक योजनाकार्य, राष्ट्रीय विस्तार सेवा और स्थानीय विकासकार्य सहित)	६.१६	१०.१६
सर्वयोग—राजस्वगत व्यय	१६५.६१	२३३.८६

लक्कादीव, मिनिकॉय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह

मुख्यालय :	कोजीकोड

प्रशासक : सी० के० बालकृष्ण नायर

१६५६-६० के बजट प्राक्कलनों के अनुसार राजस्वगत व्यय ७.०४ लाख रुपये का रखा गया है।

हिमाचल प्रदेश

प्रधान भाषाएँ : हिन्दी तथा पहाड़ी — राजधानी : शिमला

उपराज्यपाल : बजरंग बहादुर सिंह

हिमाचल प्रदेश प्रशासन का बजट (राजस्वगत)

(लाख रुपयों में)

	संशोधित प्राक्कलन १६५८-५६	बजट प्राक्कलन १६५६-६०
राजस्वगत प्राप्तियाँ		
लगान (शुद्ध)	२१.४३	१८.६०
राज्यीय उत्पाद शुल्क	१२.८५	१०.५२
टिकट	४.७६	४.८६
वन	१२५.८०	१३६.२६
पंजीयन	०.३१	०.३२
मोटरगाड़ी कर	१.३०	१.८०
विक्रय कर	०.६६	१.४६
अन्य कर तथा शुल्क	५.४२	५.७२
सिंचाई, नौकानयन, तटबन्ध तथा जलोत्सारण कार्य (शुद्ध)	—	—
ऋण सेवाएँ	०.५०	०.४८
असैनिक प्रशासन	३०.४६	३६.५८
असैनिक कार्य तथा विविध सार्वजनिक सुधार (शुद्ध)	२.२६	२.३६
विद्युत योजनाएँ	४.००	४.७५
विविध (शुद्ध)	६३.४२	६१.६२
सामुदायिक विकास योजनाकार्य, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकासकार्य	०.३१	०.३१
सर्वयोग—राजस्वगत प्राप्तियाँ	२७३.८१	२८६.२७

हिमाचल प्रदेश प्रशासन का बजट (राजस्वगत) (क्रमशः)

	संशोधित प्राक्कलन १६५८-५६	बजट प्राक्कलन १६५६-६०
राजस्वगत व्यय		
राजस्व पर प्रत्यक्ष माँग	६६.२५	८५.८६
सिंचाई, नौकानयन, तटबन्ध तथा जलोत्सारण कार्य	६.१५	५.७६
सामान्य प्रशासन	३५.७०	३५.६७
न्याय प्रशासन	५.८५	५.८५
जेल	२.५०	२.५२
पुलिस	३७.७६	३६.७३
वैज्ञानिक विभाग	०.०५	०.०६
शिक्षा	२६.७६	३६.८१
चिकित्सा	७.३८	७.७७
सार्वजनिक स्वास्थ्य	१३.५५	१४.०६
कृषि	२२.१८	४१.५८
पशुपालन	७.२४	८.६३
सहकारिता	८.१६	६.०३
उद्योग तथा उपलब्धि	३२.५७	३६.७३
विविध विभाग	२.६५	४.८७
असैनिक कार्य तथा विविध सार्वजनिक सुधार	६३.५४	६६.६४
विविध	८६.१५	१२६.६६
असाधारण (सामुदायिक योजनाकार्य, राष्ट्रीय विस्तार सेवा और स्थानीय विकासकार्य सहित)	३६.४७	४७.१६
सर्वयोग—राजस्वगत व्यय	४६४.२४	५८५.०८

त्रिपुरा

राजधानी :	अगरताला

मुख्य आयुक्त : एन० एम० पटनायक

त्रिपुरा प्रशासन का बजट (राजस्वगत)

(लाख रुपयों में)

	संशोधित प्राक्कलन १९५८-५९	बजट प्राक्कलन १९५९-६०
राजस्वगत प्राप्तियाँ		
निगम कर-भिन्न आय कर	—	—
लगान (शुद्ध)	१२.००	१२.००
राज्यीय उत्पाद शुल्क	१.५०	१.५०
टिकट	४.००	४.००
वन	८.५०	७.०५
पंजीयन	२.००	२.००
मोटरगाड़ी कर	३.६०	३.६०
अन्य कर तथा शुल्क	१.५०	१.५०
असैनिक प्रशासन	३.७०	२.८६
असैनिक कार्य तथा विविध सार्वजनिक सुधार (शुद्ध)	(–)०.०७	—
विविध (शुद्ध)	१.००	१.००
सर्वयोग—राजस्वगत प्राप्तियाँ	३७.७३	३५.५१
राजस्वगत व्यय		
राजस्व पर प्रत्यक्ष माँग	३०.६३	३८.४३
सिंचाई, नौकानयन, तटबन्ध तथा जलोत्सारण कार्य	२.००	२.००
सामान्य प्रशासन	१५.८८	१६.२८
न्याय प्रशासन	२.६२	२.५७

त्रिपुरा प्रशासन का बजट (राजस्वगत) (क्रमशः)

	संशोधित प्राक्कलन १९५८-५९	बजट प्राक्कलन १९५९-६०
जेल	२.५३	२.७२
पुलिस	५०.०९	५३.६८
शिक्षा	४३.२१	४९.५६
चिकित्सा	६.८२	७.०७
सार्वजनिक स्वास्थ्य	११.४२	११.९५
कृषि	११.५५	१५.६८
पशुपालन	०.५३	२.१३
सहकारिता	०.८८	१.१७
उद्योग तथा उपलब्धि	११.८५	१०.८१
विविध विभाग	५.९१	५.३३
असैनिक कार्य तथा विविध सार्वजनिक सुधार	५.५२	४.६५
विविध	११९.६७	१३८.४८
असाधारण (सामुदायिक योजनाकार्य, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकासकार्य सहित)	८.१२	१०.६१
सर्वयोग—राजस्वगत व्यय	३२९.२३	३७३.१२

उत्तर-पूर्व सीमान्त एजेन्सी

क्षेत्रफल : ३२,९९९ वर्गमील **मुख्यालय : शिलङ्**

इस क्षेत्र के प्रशासन का कार्य राष्ट्रपति के एजण्ट के रूप में असम का राज्यपाल करता है। राज्यपाल की सहायता के लिए शिलङ् में एक परामर्शदाता रहता है। इस क्षेत्र के प्रशासन का उत्तरदायित्व अन्ततोगत्वा भारत सरकार पर ही आता है। इस प्रदेश में निम्न पाँच प्रशासनिक डिवीजन हैं जिनमें से प्रत्येक का प्रधान एक राजनीतिक अधिकारी होता है : कामेंग सीमान्त डिवीजन, सूबानसिरी सीमान्त डिवीजन, सियांग सीमान्त डिवीजन, लोहित सीमान्त डिवीजन तथा तिरप सीमान्त डिवीजन।

नागा पहाड़ियाँ-त्वेनसांग क्षेत्र

क्षेत्रफल : ६,२३६ वर्गमील | मुख्यालय : कोहिमा

दिसम्बर, १९५७ से इस क्षेत्र को परराष्ट्र मन्त्रालय के अधीन केन्द्र द्वारा शासित क्षेत्र बना दिया गया। इस क्षेत्र के नागाओं की जनसंख्या ३,६६,००० है जो ७१८ गाँवों में रहते हैं। इसे तीन जिलों में बाँट दिया गया है जिनके मुख्यालय कोहिमा, त्वेनसांग तथा मोकोकचुंग हैं। इस क्षेत्र के अन्तर्गत असम का नागा पहाड़ियाँ जिला तथा त्वेनसांग सीमान्त डिवीजन आते हैं जो पहले उत्तर-पूर्व सीमान्त प्रदेश के अन्तर्गत थे। इस नये क्षेत्र के प्रशासन का दायित्व असम के राज्यपाल पर है जो राष्ट्रपति के एजेण्ट के रूप में काम करता है। वैसे इस क्षेत्र का प्रशासनिक प्रधान, एक आयुक्त है।

पाण्डिचेरी

क्षेत्रफल : १८६ वर्गमील | जनसंख्या : ३,१७,१६३
प्रधान भाषाएँ : फ्रांसीसी तथा तमिल | राजधानी : पाण्डिचेरी

फ्रांस की सरकार के साथ हुए एक करार के अनुसार १ नवम्बर १९५४ को भारत सरकार ने भारत-स्थित भूतपूर्व फ्रांसीसी बस्तियों का प्रशासन अपने अधिकार में ले लिया। इन बस्तियों में करामण्डल तट पर स्थित कारीकल तथा पाण्डिच्चेरी, आन्ध्र तट पर यनम और केरल तट पर माही आते हैं। इन क्षेत्रों को भारत में मिला दिए जाने के सम्बन्ध में भारत तथा फ्रांस की सरकारों के प्रतिनिधियों ने २८ मई, १९५६ को नयी दिल्ली में एक सन्धि पर हस्ताक्षर किए। फ्रांसीसी संसद् द्वारा इस सन्धि की औपचारिक रूप से पुष्टि अभी की जानी है। इसी बीच इस क्षेत्र के प्रशासन का कार्य भारत सरकार की ओर से एक मुख्य आयुक्त कर रहा है। समान्यतः यहाँ ६ निर्वाचित पार्षदों का एक परामर्शमण्डल होता है। भूतपूर्व परिषद् तथा राज्यीय प्रतिनिधि सभा भंग की जा चुकी हैं और नया निर्वाचन शीघ्र ही होने की आशा है।

पाण्डिचेरी सरकार का बजट (राजस्वगत)

(लाख रुपयों में)

	संशोधित प्राक्कलन १९५८-५९	बजट प्राक्कलन १९५९-६०
राजस्वगत प्राप्तियाँ		
आय कर	७.४५	७.२०
लगान (शुद्ध)	४.६५	४.७०
राज्यीय उत्पाद शुल्क	३३.०६	३३.०२
टिकट	१.२५	१.२५
पंजीयन	५.२०	५.२०
अन्य कर	१५.०८	१२.४३
विविध विभाग	३.००	३.००
चुंगी तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	७१.२९	५९.३८
असैनिक कार्य	२.५०	२.५०
विद्युत्	१८.५०	२१.६०
विविध	८.०२	९.७२
सर्वयोग—राजस्वगत प्राप्तियाँ	१७०.००	१६०.००
राजस्वगत व्यय		
चुंगी तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	३.१५	३.१८
राजस्व विभाग	८.२७	८.३७
ऋण पर ब्याज तथा अन्य देनदारियाँ	०.४०	०.०१
सामान्य प्रशासन	१०.१९	११.०७
भुगतान तथा हिसाब-किताब कार्यालय	२.१७	२.२५
न्याय प्रशासन	४.४१	४.२४
जेल	१.२७	१.२८
पुलिस	१५.६५	१६.७३
बन्दरगाह	०.३६	०.३६
शिक्षा	१९.६६	१९.३०
चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य	३५.९४	४६.९५
कृषि तथा मछलीपालन	१.४६	१.४८

पाण्डिचेरी सरकार का बजट (राजस्वगत) (क्रमशः)

	संशोधित प्राक्कलन १९५८-५९	बजट प्राक्कलन १९५९-६०
सहकारिता	१.६५	१.६७
उद्योग तथा उपलब्धि	१.६८	२.५२
विविध विभाग	२.२७	२.४३
असैनिक कार्य	१९.३०	१८.५०
विद्युत्	३२.६१	३४.५८
वृद्धावस्था भत्ता तथा निवृत्तिवेतन	३०.११	२०.३७
आलेखन सामग्री तथा मुद्रण	१.५४	१.५५
विविध	२.७९	३.०१
सामुदायिक विकास योजनाकार्य तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा	५.१०	८.८१
विकास योजनाएँ	५०.७०	५२.८०
नये जहाजघाट का निर्माण	१३.८७	१३.७३
अतिरिक्त मंहगाई भत्ता के लिए व्यवस्था	—	—
सर्वयोग—राजस्वगत व्यय	२६४.५५	२७५.१९

—:o:—

तीसवाँ अध्याय

भारत तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठन

स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद से अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत सरकार की गतिविधियों का संचालन संविधान के एक निदेशक तत्व में निहित आचरण के आदर्शों के अनुसार होता है। इस तत्व के अनुसार भारत सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा की स्थापना में सक्रिय सहयोग दे, विभिन्न राष्ट्रों के साथ न्यायोचित तथा सम्माननीय सम्बन्ध बनाए रखे, अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों तथा सन्धियों की शर्तों के प्रति आदर की भावना का विकास करे तथा अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों को पंचनिर्णय द्वारा सुलझाने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दे।

संयुक्त राष्ट्र संघ

संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संस्थापक-सदस्य होने के नाते भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणापत्र में निहित सिद्धान्तों का प्रबल समर्थक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ भारत के सम्बन्ध-काल में कई महत्वपूर्ण घटनाएँ घटीं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण घटना १९४८ में इस विश्वव्यापी संगठन द्वारा महात्मा गान्धी के प्रति श्रद्धांजलियाँ अर्पित किए जाने की है। अन्य उल्लेखनीय घटनाओं में १९५० से १९५२ तक भारत के सुरक्षा परिषद् के सदस्य-पद पर बने रहने, कोरिया में विराम-सन्धि तथा युद्ध-बन्दियों की समस्या के हल के लिए भारतीय योजना प्रस्तुत किए जाने, १९५३-५४ में भारत द्वारा कोरिया सम्बन्धी 'तटस्थ राष्ट्र युद्ध-बन्दी वापसी आयोग' का अध्यक्ष-पद सम्हाले जाने, १९५३ में श्रीमती विजयलक्ष्मी पण्डित का संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के आठवें अधिवेशन का अध्यक्ष चुने जाने, १९५५ में भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में जेनेवा में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय (आणविक शक्ति का शान्ति के लिए उपयोग) सम्मेलन की अध्यक्षता किए जाने तथा १९५८ में लेबनॉन में शान्ति तथा व्यवस्था की स्थापना में भारत द्वारा सहयोग दिए जाने की घटनाएँ महत्वपूर्ण हैं।

१९५८ में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के तेरहवें अधिवेशन में भाग लेने के लिए जो भारतीय शिष्टमण्डल न्यूयार्क गया, उसका नेतृत्व श्री वी० के० कृष्ण मेनन ने किया।

राजनीतिक

१९५८ में भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ तथा उसकी विशिष्ट संस्थाओं की कार्यवाहियों में जो भाग लिया, उसका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है।

अल्जीरिया

स्थिति में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ। अल्जीरियाई नेताओं ने काहिरा में एक अस्थायी सरकार स्थापित की है। भारत का अपने निज के अनुभव के आधार पर विचार यह है कि एक बार स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेने के पश्चात् भूतपूर्व शासकों के साथ समानता तथा पारस्परिक आदर भाव के आधार पर सहयोग करना सम्भव हो सकता है। किन्तु, ऐसा सम्भव तभी होगा जब दोनों पक्ष परस्पर सहयोग करने के इच्छुक हों।

साइप्रस

भारतीय प्रतिनिधिमण्डल अपने इसी दृष्टिकोण पर दृढ़ रहा कि साइप्रस का प्रश्न एक औपनिवेशिक प्रश्न है और साइप्रस, साइप्रसवासियों का है। इसने साइप्रस द्वीप के विभाजन के प्रस्ताव का विरोध किया।

लेबनॉन

संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के अनुरोध पर तथा लेबनॉन सरकार की सहमति से भारत ने लेबनॉन के 'संयुक्त राष्ट्र संघीय पर्यवेक्षक दल' की कार्यवाही में भाग लिया। इस उद्देश्य से एक टुकड़ी लेबनॉन भेजी गई। श्री राजेश्वर दयाल को भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। यह दल सौंपा गया कार्य पूरा कर चुका है।

आणविक शक्ति संस्थान

सितम्बर, १९५८ में वियना में हुए एक महासम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधियों ने आणविक शक्ति संस्थान तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के बीच निकटतम सम्बन्ध स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया। एक भारतीय वैज्ञानिक, संस्थान द्वारा रेडियो-सक्रिय आइसोटोपों के सही प्रयोग के सम्बन्ध में एक प्रक्रिया-संहिता तैयार करने के लिए स्थापित एक विशेषज्ञ समिति की कार्यवाही में भी भाग ले रहा है।

न्यासी तथा अस्वायत्तशासी क्षेत्र

भारत, संयुक्त राष्ट्र संघ की 'अस्वायत्तशासी क्षेत्र सूचना समिति' का १९६१ तक के तीन वर्षों के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ है। एक भारतीय प्रतिनिधि, पश्चिमी समोआ जाने वाले शिष्टमण्डल का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ और दूसरा भारतीय प्रतिनिधि, १९५८ में पश्चिम अफ्रीका जाने वाले शिष्टमण्डल का सदस्य नियुक्त किया गया।

'न्यासिता (ट्रस्टीशिप) परिषद्' के ८वें विशेष अधिवेशन में फ्रांसीसी शासन में आने वाले टोगोलैण्ड के भविष्य पर विचार किया गया और भारत तथा अन्य राष्ट्रों द्वारा रखे गए प्रस्ताव स्वीकार किए गए। कुछ अन्य देशों के साथ मिलकर भारत ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव, विशेष निधि, प्राविधिक सहायता मण्डल तथा अन्य विशिष्ट संस्थानों से यह अनुरोध किया गया कि टोगोलैण्ड सरकार द्वारा सहायता के लिए किए जाने वाले किसी भी अनुरोध पर तुरन्त और सहानुभूतिपूर्वक ध्यान दिया जाए।

दक्षिण अफ्रीका में भारतीय उद्भव के व्यक्ति

१९५८ में महासभा ने अपनी विशेष राजनीतिक समिति के एक प्रस्ताव का भारी बहुमत से समर्थन किया। इस प्रस्ताव में दक्षिण अफ्रीका सरकार से यह अनुरोध किया गया कि वह संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणापत्र तथा मानव अधिकार सम्बन्धी सार्वभौमिक घोषणा के सिद्धान्तों तथा उद्देश्य के अनुरूप दक्षिण अफ्रीका संघ में बसे भारतीय तथा पाकिस्तानी उद्भव के व्यक्तियों के सम्बन्ध में भारत तथा पाकिस्तान के साथ समझौता-वार्ता करे। समझौतावार्ताओं की प्रगति के विषय में इन पक्षों को व्यक्तिगत रूप से अथवा संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा को प्रतिवेदन देना है।

कश्मीर

सुरक्षा परिषद् के एक प्रस्ताव के अनुसार डा० फ्रैंक ग्राहम १९५८ के प्रारम्भ में भारत आए। उन्होंने सुरक्षा परिषद् को अपना प्रतिवेदन दे दिया है।

सहअस्तित्व

विशेष राजनीतिक समिति ने अर्जेण्टीना, आयरलैण्ड, आस्ट्रिया, घाना, चेकोस्लोवाकिया, बोलिविया, यूगोस्लाविया तथा श्रीलंका के साथ मिलकर भारत द्वारा रखा गया एक प्रस्ताव भारी बहुमत से स्वीकार किया। इस प्रस्ताव में सभी राष्ट्रों से संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणापत्र के सिद्धान्तों के अनुरूप मिलजुल कर रहने और शान्तिपूर्ण तथा मित्रतापूर्ण सम्बन्ध के सिद्धान्तों को कारगर रूप से कार्यान्वित करने के लिए कहा गया है।

निश्शस्त्रीकरण

महासभा के तेरहवें अधिवेशन में भारत ने (१) जब तक कोई समझौता नहीं हो जाता, तब तक परमाणु शस्त्रों का परीक्षण तुरन्त बन्द करने की माँग करते हुए एक प्रस्ताव तथा (२) आकस्मिक आक्रमणों के निवारण की सम्भावनाओं के विचारार्थ होने वाले सम्मेलन पर हर्ष प्रकट करने का दूसरा प्रस्ताव प्रस्तुत किया। पिछले वर्ष से उत्पन्न गतिरोध समाप्त करने के लिए भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया एक अन्य प्रस्ताव भी भारी बहुमत से स्वीकार कर लिया गया। इस प्रस्ताव में निश्शस्त्रीकरण आयोग के विस्तार का सुझाव दिया गया था जिससे संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य इस आयोग के सदस्य बन सकें।

संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थाओं में निर्वाचन

भारतीय प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र संघीय 'अल्पसंख्यक भेदभाव निवारण तथा संरक्षण' उपआयोग' का सम्वाददाता निर्वाचित किया गया।

सामुद्रिक कानून विषयक संयुक्त राष्ट्र संघीय सम्मेलन

भारत के केन्द्रीय विधि मन्त्री श्री ए० के० सेन के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने १९५८ में जेनेवा में हुए 'संयुक्त राष्ट्र संघीय सामुद्रिक कानून सम्मेलन' में भाग

लिया। सम्मेलन में चार अभिसमय (कन्वेन्शन) और 'अनिवार्य विवाद निपटान' विषयक एक वैकल्पिक हस्ताक्षर-व्यवस्था स्वीकार की गई।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून आयोग

इस आयोग पर अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का विकास करने का दायित्व है। महासभा द्वारा तीन वर्षों के लिए निर्वाचित इसके २१ सदस्य अपनी-अपनी सरकारों के प्रतिनिधियों के रूप में नहीं, बल्कि विशेषज्ञों के रूप में अपनी व्यक्तिगत स्थिति में काम करते हैं। भारत के श्री राधा विनोद पाल अप्रैल, १९५८ में जेनेवा में हुए इस आयोग के दसवें अधिवेशन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए।

'एशियाई-अफ्रीकी कानूनी सलाहकार समिति' के काहिरा में हुए दूसरे अधिवेशन में, इसमें भाग लेने वाले देशों की सरकारों द्वारा सम्मति देने के लिए उपस्थित किए गए कई विषयों पर विचार किया गया। इन विषयों में कूटनीतिक सुविधाएँ, अपराधियों की वापसी के सिद्धान्त आदि जैसे विषय सम्मिलित थे। समिति ने 'अन्तर्राष्ट्रीय कानून आयोग' के ९वें तथा १०वें अधिवेशनों के प्रतिवेदनों पर भी विचार किया।

आर्थिक तथा सामाजिक

१९४८ तथा १९५२ को छोड़कर भारत 'संयुक्त राष्ट्र संघ आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्' का उसके प्रारम्भ से ही सदस्य रहा है। भारत इस परिषद् के कई आयोगों का भी सदस्य बना रहा। १ मई, १९५७ को भारत 'प्राविधिक सहायता समिति' का सदस्य निर्वाचित हुआ। भारत को इस परिषद् के कई आयोगों में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। भारत ने जुलाई, १९५८ में जेनेवा में हुई इस परिषद् की बैठक में एक पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया। इस बैठक में अल्पविकसित देशों के आर्थिक विकास के लिए 'विशेष सं० रा० निधि' की स्थापना के लिए स्वीकृति दी गई।

एशिया तथा सुदूरपूर्व आर्थिक आयोग

'एशिया तथा सुदूरपूर्व आर्थिक आयोग' की 'अन्तर्देशीय परिवहन समिति' ने संयुक्त राष्ट्र संघ को दिए अपने प्रतिवेदन में इस बात की सिफारिश की कि भारत में रेल परिवहन में सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए एक पृथक 'रेल-निरीक्षण संगठन' स्थापित किया जाना चाहिए।

मार्च, १९५८ में कुआलालम्पूर में हुए इस आयोग के १४वें अधिवेशन में भारत, एक प्रारूप समिति का सदस्य निर्वाचित हुआ। यह समिति, जापान द्वारा आयोग के क्षेत्रीय सदस्यों में परस्पर व्यापार-वार्ता चलाने के लिए दिए गए सुझाव की जाँच के लिए नियुक्त की गई थी। भारत के उद्योग विभाग के केन्द्रीय राज्य-मन्त्री ने भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल का नेतृत्व किया।

एशिया तथा सुदूरपूर्व में कृषि मूल्य तथा कृषि आय स्थिर करने की नीति के विचारार्थ 'खाद्य तथा कृषि संगठन' और 'एशिया तथा सुदूरपूर्व आर्थिक आयोग' की मार्च,

१९५८ में नयी दिल्ली में मिलीजुली बैठक हुई। २९ देशों के १०० से अधिक तेल-विशेषज्ञों ने दिसम्बर, १९५८ में नयी दिल्ली में 'एशिया तथा सुदूरपूर्व आर्थिक आयोग' द्वारा संगठित 'एशिया तथा सुदूरपूर्व पेट्रोल-संसाधन विकास' विषयक विचारगोष्ठी में भाग लिया।

खाद्य तथा कृषि संगठन

'खाद्य तथा कृषि संगठन' की एक अध्ययन मण्डली ने मार्च, १९५८ में भारत सरकार को दिए अपने प्रतिवेदन में असम की आभ्यन्तरिक जलमार्ग-प्रणाली के विकास की आवश्यकता पर बल दिया था। 'खाद्य तथा कृषि संगठन' का भारत में लकड़ी-उत्पादन से सम्बन्धित प्रतिवेदन अप्रैल, १९५८ में प्रकाशित हुआ। आन्ध्र प्रदेश तथा मैसूर में 'मछुआ प्रशिक्षण केन्द्र' स्थापित करने के लिए 'खाद्य तथा कृषि संगठन' के मछलीपालन प्रशिक्षण केन्द्र का एक विशेषज्ञ भारत आया। 'अन्तर्राष्ट्रीय सहकार कार्यक्रम' के अधीन 'खाद्य तथा कृषि संगठन' ने भारत में कलकत्ता दुग्ध योजना के लिए प्राविधिक विशेषज्ञों तथा उपकरणों की व्यवस्था करना स्वीकार किया और दो विशेषज्ञों की सेवाएँ उपलब्ध हुई। मद्रास में स्कूल के बालक-बालिकाओं को पोषक-तत्वयुक्त भोजन देने के सर्वेक्षण की एक योजना के लिए 'खाद्य तथा कृषि संगठन' से १४,००० डालर का नकद अनुदान प्राप्त हो चुका है।

भारत ने जून १९५८ में 'खाद्य तथा कृषि संगठन' की 'मरुभूमि टिड्डी नियन्त्रण समिति' के पाँचवें अधिवेशन में भाग लिया। अक्तूबर, १९५८ में टोकियो में हुए 'एशिया तथा सुदूरपूर्व खाद्य तथा कृषि संगठन सम्मेलन' में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व भारत के केन्द्रीय कृषि मन्त्री ने किया।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन

भारत 'अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन' के २५ अभिसमयों की पुष्टि कर चुका है। औपचारिक पुष्टीकरण के अतिरिक्त कई अन्य अभिसमयों की व्यवस्थाओं को व्यवहार में भी लाया जा चुका है।

अप्रैल-जून, १९५८ में जेनेवा में हुए 'अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन' के ४१वें तथा ४२वें अधिवेशनों और प्रबन्ध समिति की बैठकों में भाग लेने के अलावा भारतीय प्रतिनिधियों ने १९५८ में कई 'अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन समितियों' की बैठकों में भी भाग लिया।

'अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन' के विस्तृत 'प्राविधिक सहायता कार्यक्रम' के अधीन १९५८ में भारत को ६ विशेषज्ञों की सेवाएँ उपलब्ध हुईं। मजदूर संगठनों, श्रम प्रशासन, श्रम प्रबन्ध तथा खान-निरीक्षण का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए २२ भारतीय प्रशिक्षार्थी कई अन्य देशों को भेजे गए। इण्डोनीशिया, थाईलैण्ड, पेरू तथा श्रीलंका के चार अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन-शिष्यवृति-प्रापकों को १९५८ में भारत में प्रशिक्षण दिया गया।

संयुक्त राष्ट्र संघीय शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति संगठन

इस संस्था के संस्थापक-सदस्य, भारत में इसके सहयोग से कार्य करने के लिए एक स्थायी राष्ट्रीय आयोग है। यह आयोग विभिन्न विषयों पर विचारगोष्ठियों तथा सम्मेलनों की व्यवस्था करके भारत में इस संगठन के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करता आ रहा है।

अगस्त, १६५८ में नयी दिल्ली में 'दक्षिण तथा दक्षिणपूर्व एशिया में शिक्षा सुधार' विषयक एक क्षेत्रीय विचारगोष्ठी का आयोजन किया गया। भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेता इस विचारगोष्ठी का सभापति निर्वाचित हुआ। १० दक्षिण तथा पूर्व एशियाई देशों के प्रतिनिधियों ने सितम्बर, १६५८ में नयी दिल्ली में हुए 'मूलभूत शिक्षा तथा सामुदायिक विकास में दृश्य सहायता का महत्व' विषयक क्षेत्रीय विचारगोष्ठी में भाग लिया। भारत के उपराष्ट्रपति डा० एस० राधाकृष्णन ने नवम्बर, १६५८ में पेरिस में 'संयुक्त राष्ट्र संघीय शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति संगठन' के नवनिर्मित स्थायी मुख्यालय का उद्घाटन किया। नवम्बर, १६५८ में पेरिस में हुई इस संगठन के प्रशासनिक आयोग की बैठक में छोटे संशोधनों से युक्त पाँच अन्य प्रतिनिधिमण्डलों के साथ मिल कर भारत द्वारा उपस्थित किया गया प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। इस प्रस्ताव में इस संगठन के सचिवालय के पदों के क्षेत्रानुसार विभाजन का सुझाव रखा गया था।

इस संगठन के भारतीय राष्ट्रीय आयोग तथा दिल्ली विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से दिसम्बर, १६५८ में दिल्ली में 'भारतीय जीवन में परम्परागत मूल्य' विषयक विचार-गोष्ठी का आयोजन किया।

विश्व स्वास्थ्य संगठन

भारत, १६४८ में इस संगठन की स्थापना के समय से ही इसका सदस्य रहा है। जून, १६५८ में मिनियापोलिस (अमेरिका) में हुए 'विश्व स्वास्थ्य संगठन' के ११वें अधिवेशन में डा० ए० एल० मुदलियार के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने भाग लिया।

'विश्व स्वास्थ्य संगठन' की 'दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति' का ११वाँ अधिवेशन सितम्बर, १६५८ में नयी दिल्ली में हुआ। इस अवसर पर रोगों के अध्ययन तथा वर्गीकरण के लिए एक दक्षिण-पूर्व एशिया केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। बृहत्तर कलकत्ता के औद्योगिक क्षेत्र में हैजा के उन्मूलन की योजना को सबसे अधिक प्राथमिकता देने का निर्णय किया गया। भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेता इस अधिवेशन का सभापति चुना गया।

अक्तूबर, १६५८ में नयी दिल्ली में हुई स्वास्थ्य-सांख्यिकी विषयक विचारगोष्ठी में ८ देशों के १८ सांख्यिकों ने भाग लिया। इसी मास दिल्ली की मलेरिया संस्था में फाइले-रियासिस अध्ययन मण्डली नियुक्त की गई। नवम्बर, १६५८ में नयी दिल्ली में 'विश्व स्वास्थ्य संगठन' द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में १२ दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के उपचारण-नेताओं ने भाग लिया।

संयुक्त राष्ट्र संघीय अन्तर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष

इस संगठन ने अप्रैल, १९५८ तक बी० सी० जी० के टीका लगाने के लिए १४,३५,००० डालर और अहमदाबाद, आनन्द तथा राजकोट के ३ दुग्ध संयन्त्रों को ७,७८,००० डालर दिए। १९४८ से जुलाई, १९५८ तक इस संगठन के कार्यपालक मण्डल से भारत को लगभग २,१५,००,००० डालर की कुल सहायता प्राप्त हुई। १९५८ में भारत ने इस संगठन को १८ लाख रुपये दिए। भारत में कलकत्ता तथा नयी दिल्ली में इस संगठन के दो क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अफगानिस्तान, भारत तथा श्रीलंका, नयी दिल्ली के कार्यालय के अधीन आते हैं।

तटकर तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार

भारतीय प्रतिनिधि ने मई, १९५८ में जेनेवा में तटकर तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस समिति ने रोम सन्धि की व्यवस्थाओं पर पुनर्विचार किया। इस सन्धि के द्वारा यूरोपीय आर्थिक समाज की स्थापना हुई। भारत के केन्द्रीय वाणिज्य मन्त्री ने अक्तूबर, १९५८ में जेनेवा में इस संगठन द्वारा आयोजित एक बैठक में घोषणा की कि भारत इस करार के अनुसार जापानी निर्यातों के लिए पूरी-पूरी सुविधाएँ देगा। नवम्बर, १९५८ में जेनेवा में हुए इस संगठन के तेरहवें अधिवेशन की अध्यक्षता भारतीय प्रतिनिधिमण्डल के नेता ने की।

संयुक्त राष्ट्र संघीय प्राविधिक सहायता कार्यक्रम

दिसम्बर, १९५८ तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ३५९ विशेषज्ञ भारत आए और ६७९ भारतीय विद्यार्थियों को विदेशों में अध्ययन के लिए शिष्यवृत्तियाँ तथा छात्रवृत्तियाँ दी गईं। भारत ने विशेषज्ञों के जीवनयापन के लिए १०.७० लाख रुपये तथा विशेष कार्य के लिए २५ लाख रुपये दिए। २३ विभिन्न देशों में ८० भारतीय विशेषज्ञ कार्य कर रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ के विस्तृत प्राविधिक सहायता कार्यक्रम के अधीन ३० जून, १९५८ तक भारत को ३३९ विशेषज्ञों की सेवाएँ उपलब्ध कराई गईं और ६८६ भारतीयों को प्रशिक्षण की सुविधाएँ दी गईं। 'संयुक्त राष्ट्र संघीय शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति संगठन' से प्राविधिक सहायता प्राप्त करके २५ जुलाई, १९५८ को बम्बई में 'भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था' का उद्घाटन किया गया।

अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक

३० सितम्बर, १९५८ तक सार्वजनिक क्षेत्र के लिए १ अर्ब ५० करोड़ ३९ लाख रुपये के तथा निजी क्षेत्र के लिए ६१.०८ करोड़ रुपये के ऋणों को स्वीकृति दी गई। प्रथम योजनाकाल में २८.९७ करोड़ रुपये प्राप्त हुए। द्वितीय योजना के लिए रखे गए शेष १ अर्ब २१ करोड़ ४२ लाख रुपये में से ४३.२५ करोड़ रुपये ३० सितम्बर, १९५८ तक प्राप्त किए गए।

बैंक के संचालक मण्डल (बोर्ड आफ गवर्नर्स) की १३वीं वार्षिक बैठक अक्तूबर, १९५८ में नयी दिल्ली में आरम्भ हुई। केन्द्रीय वित्त मन्त्री ने भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व किया।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम

'अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम अधिनियम, १९५८' द्वारा निगम को भारत में कई छूट तथा विशेषाधिकार दिए गए हैं। निगम के संचालक मण्डल की वार्षिक बैठक अक्तूबर, १९५८ में नयी दिल्ली में हुई।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

इस संगठन की तेरहवीं वार्षिक बैठक अक्तूबर, १९५८ में नयी दिल्ली में आरम्भ हुई। भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व भारत के केन्द्रीय वित्त मन्त्री ने किया। इस कोष के एशियाई विभाग के सह-निदेशक (एसिसटेण्ट डायरेक्टर) के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमण्डल भारत की सामान्य आर्थिक स्थिति का पता लगाने के उद्देश्य से दिसम्बर, १९५८ में भारत आया।

इस कोष की स्थापना होने के समय से दिसम्बर, १९५८ तक भारत इस कोष से ३० करोड़ डालर का क्रय कर चुका है जिसमें से ९.९९ करोड़ डालर का फिर से क्रय किया गया। 'अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष' के करार की शर्तों के अनुसार भारत को ४० करोड़ डालर के मूल्य की विदेशी मुद्रा, रुपयों में वापस खरीदने का अधिकार है।

संयुक्त राष्ट्र संघीय विशेष कोष

संयुक्त राष्ट्र संघ में इस कोष के सम्बन्ध में हुई बहस के परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभा ने १५ अक्तूबर, १९५८ को एक प्रस्ताव स्वीकार किया। इस प्रस्ताव के द्वारा १ जनवरी, १९५९ से इस कोष की व्यवस्था की जाने लगी। इस कोष से अल्पविकसित देशों में प्राविधिक, आर्थिक तथा सामाजिक विकास के लिए आवश्यक तथा व्यवस्थित सहायता दी जाएगी। भारत इसकी प्रबन्ध परिषद में निर्वाचित हो चुका है।

संयुक्त राष्ट्र संघ की अन्य विशेष संस्थाएँ

अन्तर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन संगठन, अन्तर्राष्ट्रीय दूर-संचार संघ, विश्व डाक संघ तथा विश्व अन्तरिक्ष विज्ञान संगठन के साथ भी भारत का सक्रिय रूप से सम्बन्ध है।

अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठन

राष्ट्रमण्डल

'राष्ट्रमण्डलीय व्यापार तथा अर्थ सम्मेलन' सितम्बर, १९५८ में माण्ट्रियल (कनाडा) में हुआ। भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व भारत के केन्द्रीय वित्त मन्त्री ने किया। इस सम्मेलन में राष्ट्रमण्डलीय देशों की अर्थव्यवस्था तथा व्यापार विषयक महत्वपूर्ण मामलों पर विचार किया गया।

इकतीसवाँ अध्याय

१९५८ के संसद् के कानून

अधिनियम	प्रस्तुत किए जाने की तिथि	जिस सदन में प्रस्तुत किया गया, उसमें पारित होने की तिथि	दूसरे सदन में पारित होने की तिथि	राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दिए जाने की तिथि	विवरण
१	२	३	४	५	६
१. अचल सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन (संशोधन) अधिनियम, १९५८	१३ दिसम्बर, १९५७ (लोक सभा)	११ फरवरी, १९५८	१८ फरवरी, १९५८	२७ फरवरी, १९५८	
२. दण्ड-विधान कानून (संशोधन) अधिनियम, १९५८	६ दिसम्बर, १९५७ (लोक सभा)	१२ फरवरी, १९५८	१९ फरवरी, १९५८	२७ फरवरी, १९५८	
३. भारतीय सुरक्षित सेना (संशोधन) अधिनियम, १९५८	२५ नवम्बर, १९५७ (राज्य सभा)	५ दिसम्बर, १९५७ २७फरवरी, १९५८†	१८ फरवरी, १९५८	८ मार्च, १९५८	†लोक सभा द्वारा १८, फरवरी, १९५८ को प्रस्तुत किए गए संशोधनों पर राज्य सभा ने २७ फरवरी, १९५८ को विचार किया तथा उन्हें स्वीकार किया।
४. विनियोजन अधिनियम, १९५८	२५ फरवरी, १९५८ (लोक सभा)	२६ फरवरी, १९५८	२७ फरवरी, १९५८	१३ मार्च, १९५८	धन विधेयक
५. केन्द्रीय विक्रय कर (संशोधन) अधिनियम, १९५८	१४ फरवरी, १९५८ (लोक सभा)	२५ फरवरी, १९५८	२७ फरवरी, १९५८	१३ मार्च, १९५८	धन विधेयक

१९५८ के संसद् के कानून (क्रमशः)

१	२	३	४	५	६
६. विनियोजन (रेल) अधिनियम, १९५८	७ मार्च, १९५८ (लोक सभा)	८ मार्च, १९५८	१२ मार्च, १९५८	१८ मार्च, १९५८	धन विधेयक
७. भारतीय डाक-घर (संशोधन) अधिनियम, १९५८	६ दिसम्बर, १९५७ (राज्य सभा)	११ फरवरी, १९५८	१० मार्च, १९५८	१८ मार्च, १९५८	
८. विनियोजन (लेखानुदान) अधिनियम, १९५८	१० मार्च, १९५८ (लोक सभा)	११ मार्च, १९५८	१३ मार्च, १९५८	१९ मार्च, १९५८	धन विधेयक
९. जहाजरानी नियन्त्रण (जारी) अधिनियम, १९५८	२५ फरवरी, १९५८ (लोक सभा)	१० मार्च, १९५८	१३ मार्च, १९५८	१९ मार्च, १९५८	
१०. विनियोजन (रेल) सं २ अधिनियम, १९५८	११ मार्च, १९५८ (लोक सभा)	१२ मार्च, १९५८	१४ मार्च, १९५८	२० मार्च, १९५८	धन विधेयक
११. वित्त अधिनियम, १९५८	२८ फरवरी, १९५८ (लोक सभा)	२३ अप्रैल, १९५८	२८ अप्रैल, १९५८	२८ अप्रैल, १९५८	धन विधेयक
१२. विनियोजन (सं० २) अधिनियम, १९५८	१८ अप्रैल, १९५८ (लोक सभा)	२२ अप्रैल, १९५८	३० अप्रैल, १९५८	३० अप्रैल, १९५८	धन विधेयक
१३. कलकत्ता, बम्बई, मद्रास बन्दर न्यास (संशोधन) अधिनियम, १९५८	२५ अप्रैल, १९५८ (लोक सभा)	२९ अप्रैल, १९५८	५ मई, १९५८	८ मई, १९५८	
१४. विनियोजन (सं० ३) अधिनियम, १९५८	१ मई, १९५८ (लोक सभा)	२ मई, १९५८	६ मई, १९५८	१२ मई, १९५८	धन विधेयक

१	२	३	४	५	६
१५. खान तथा खनिज (नियमन तथा विकास) संशोधन) अधिनियम, १९५८	२८ मार्च, १९५८ (लोक सभा)	३० अप्रैल, १९५८	६ मई, १९५८	१५ मई, १९५८	
१६. भारतीय शपथ (संशोधन) अधिनियम, १९५८	२४ मार्च, १९५८ (लोक सभा)	२६ अप्रैल, १९५८	६ मई, १९५८	१५ मई, १९५८	
१७. हैदराबाद सिक्योरिटी ठेका नियमन [निरसन (रिपील)] अधिनियम, १९५८	२५ अप्रैल, १९५८ (लोक सभा)	२९ अप्रैल, १९५८	६ मई, १९५८	१५ मई, १९५८	
१८. उपहार कर अधिनियम, १९५८	२८ फरवरी, १९५८ (लोक सभा)	६ मई, १९५८	९ मई, १९५८	१५ मई, १९५८	धन विधेयक
१९. भारतीय टिकट (संशोधन) अधिनियम, १९५८	२ मई, १९५८ (लोक सभा)*	७ मई, १९५८	१० मई, १९५८	१५ मई, १९५८	धन विधेयक *२६-४-५८ को प्रस्तुत किया गया मूल विधेयक वापस ले लिया गया तथा पुनः प्रस्तुत किया गया
२०. अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, १९५८	११ नवम्बर, १९५७ (लोक सभा)	२९ अप्रैल, १९५८	५ मई, १९५८	१६ मई, १९५८	
२१. चावल-मिल उद्योग (नियमन) अधिनियम, १९५८	३ मार्च, १९५८ (लोक सभा)	२ मई, १९५८	७ मई, १९५८	१८ मई, १९५८	

१९५८ के संसद् के कानून (क्रमशः)

१	२	३	४	५	६
२२. कर्मचारी निर्वाह निधि (संशोधन) अधिनियम, १९५८	१४ अप्रैल, १९५८ (लोक सभा)	५ मई, १९५८	८ मई, १९५८	१८ मई, १९५८	
२३. विनियोजन (रेल) सं० ३ अधिनियम, १९५८	१४ अगस्त, १९५८ (लोक सभा)	१६ अगस्त, १९५८	२१ अगस्त, १९५८	२८ अगस्त, १९५८	धन विधेयक
२४. प्राचीन स्मारक और पुरातत्व-स्थान तथा अवशेष अधिनियम, १९५८	१६ दिसम्बर, १९५७ (लोक सभा)	१७ फरवरी, १९५८	१२ अगस्त, १९५८	२८ अगस्त, १९५८	
२५. अखिल भारतीय सेवाएँ (संशोधन) अधिनियम, १९५८	९ मई, १९५८ (लोक सभा)	१२ अगस्त, १९५८	२५ अगस्त, १९५८	३ सितम्बर, १९५८	
२६. दण्ड-विधान प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधि-नियम, १९५८	११ अगस्त, १९५८ (लोक सभा)	१८ अगस्त, १९५८	२५ अगस्त, १८५८	३ सितम्बर, १९५८	
२७. खनिज तेल (अतिरिक्त उत्पाद शुल्क तथा चुंगी) अधिनियम, १९५८	११ अगस्त, १९५८ (लोक सभा)	२३ अगस्त, १९५८	२१ अगस्त, १९५८	४ सितम्बर, १९५८	धन विधेयक
२८. सशस्त्र सेनाएँ (असम तथा मणिपुर) विशेषा-धिकार अधिनियम, १९५८	११ अगस्त, १९५८ (लोक सभा)	१८ अगस्त, १९५८	१ सितम्बर, १९५८	१६ सितम्बर, १९५८	

१	२	३	४	५	६
२९. श्रमजीवी पत्रकार (वेतन दर-निर्धारण) अधिनियम, १९५८	११ अगस्त, १९५८ (लोक सभा)	२५ अगस्त १९५८	४ सितम्बर, १९५८	१६ सितम्बर, १९५८	
३०. चीनी निर्यात प्रोत्साहन अधिनियम, १९५८	१३ अगस्त, १९५८ (लोक सभा)	२६ अगस्त, १९५८	८ सितम्बर, १९५८	१६ सितम्बर, १९५८	
३१. केन्द्रीय विक्रय कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, १९५८	२६ अप्रैल, १९५८ (लोक सभा)	२८ अगस्त, १९५८	९ सितम्बर, १९५८	१६ सितम्बर, १९५८	धन विधेयक
३२. सार्वजनिक भवन (अनधिकृत निवासियों का निष्कासन) अधिनियम, १९५८	१० मार्च, १९५८ (लोक सभा)	२१ अगस्त, १९५८	९ सितम्बर, १९५८	१६ सितम्बर, १९५८	
३३. सम्पदा शुल्क (संशोधन) अधिनियम, १९५८	२८ फरवरी, १९५८ (लोक सभा)	१ सितम्बर, १९५८	९ सितम्बर, १९५८	१९ सितम्बर, १९५८	धन विधेयक
३४. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, १९५८	११ अगस्त, १९५८ (लोक सभा)	२ सितम्बर, १९५८	११ सितम्बर, १९५८	२० सितम्बर, १९५८	
३५. मणिपुर तथा त्रिपुरा (कानून-निरसन) अधिनियम, १९५८	२२ अगस्त, १९५८ (लोक सभा)	३ सितम्बर, १९५८	१९ सितम्बर, १९५८	६ अक्तूबर, १९५८	
३६. भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) अधिनियम, १९५८	२५ अगस्त, १९५८ (लोक सभा)	१० सितम्बर, १९५८	१९ सितम्बर, १९५८	६ अक्तूबर, १९५८	

१९५८ के संसद् के कानून (क्रमशः)

१	२	३	४	५	६
३७. राजघाट समाधि (संशोधन) अधिनियम, १९५८	११ अगस्त, १९५८ (लोक सभा)	४ सितम्बर, १९५८	१६ सितम्बर, १९५८	६ अक्तूबर, १९५८	
३८. औद्योगिक विवाद (बैंकिंग कम्पनी) निर्णय संशोधन अधिनियम, १९५८	११ अगस्त, १९५८ (लोक सभा)	२८ अगस्त, १९५८	१८ सितम्बर, १९५८	६ अक्तूबर, १९५८	
३९. समुद्री चुंगी (संशोधन) अधिनियम, १९५८	२५ अगस्त, १९५८ (लोक सभा)	२ सितम्बर, १९५८	१८ सितम्बर, १९५८	६ अक्तूबर, १९५८	
४०. विनियोजन (सं० ४) अधिनियम, १९५८	२५ सितम्बर, १९५८ (लोक सभा)	२५ सितम्बर, १९५८	२७ सितम्बर, १९५८	६ अक्तूबर, १९५८	धन विधेयक
४१. सर्वोच्च न्यायालयिक न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, १९५८	८ सितम्बर, १९५८ (लोक सभा)	२५ सितम्बर, १९५८	२७ सितम्बर, १९५८	१७ अक्तूबर, १९५८	
४२. अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (स्थिति, छूट तथा विशेषाधिकार) अधिनियम १९५८	८ सितम्बर, १९५८ (लोक सभा)	२४ सितम्बर, १९५८	२७ सितम्बर, १९५८	१७ अक्तूबर, १९५८	
४३. व्यापार तथा पण्य-चिन्ह (मर्केण्डाइज़ मार्क्स) अधिनियम, १९५८	२८ मार्च, १९५८ (लोक सभा)	२७ अगस्त, १९५८	१७ सितम्बर, १९५८	१७ अक्तूबर, १९५८	
४४. वाणिज्य जहाज़रानी अधिनियम, १९५८	१४ फरवरी, १९५८ (लोक सभा)	१७ सितम्बर, १९५८	२५ सितम्बर, १९५८	३० अक्तूबर, १९५८	

१	२	३	४	५	६
४५. चाय (उत्पाद शुल्क तथा चुंगी परिवर्तन) अधिनियम, १९५८	२७ सितम्बर, १९५८ (लोक सभा)	१८ नवम्बर, १९५८	२५ नवम्बर, १९५८	२५ नवम्बर, १९५८	धन विधेयक
४६. उच्च न्यायालयिक न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन अधिनियम, १९५८	१२ सितम्बर, १९५८ (लोक सभा)	१७ नवम्बर, १९५८	२ दिसम्बर, १९५८	१७ दिसम्बर, १९५८	
४७. विष तथा विषैली वस्तुएँ (संशोधन) अधिनियम, १९५८	१७ सितम्बर, १९५८ (लोक सभा)	१९ नवम्बर, १९५८	२ दिसम्बर, १९५८	१७ दिसम्बर, १९५८	
४८. असम राइफल्स (संशोधन) अधिनियम. १९५८	१९ नवम्बर, १९५८ (लोक सभा)	५ दिसम्बर, १९५८	१८ दिसम्बर, १९५८	२६ दिसम्बर, १९५८	
४९. विनियोजन (रेल) सं० ४ अधिनियम, १९५८	१५ दिसम्बर, १९५८ (लोक सभा)	१६ दिसम्बर, १९५८	२२ दिसम्बर, १९५८	२६ दिसम्बर, १९५८	धन विधेयक
५०. विनियोजन (रेल) सं० ५ अधिनियम, १९५८	१५ दिसम्बर, १९५८ (लोक सभा)	१६ दिसम्बर, १९५८	२२ दिसम्बर, १९५८	२६ दिसम्बर, १९५८	धन विधेयक
५१. विनियोजन (सं० ५) अधिनियम, १९५८	१६ दिसम्बर, १९५८ (लोक सभा)	१७ दिसम्बर, १९५८	२२ दिसम्बर, १९५८	२६ दिसम्बर, १९५८	धन विधेयक
५२. भारतीय तटकर (संशोधन) अधिनियम, १९५८	८ दिसम्बर, १९५८ (लोक सभा)	१८ दिसम्बर, १९५८	२२ दिसम्बर, १९५८	२६ दिसम्बर, १९५८	धन विधेयक
५३. विदेशी विनिमय नियमन (संशोधन) अधिनियम, १९५८	१२ दिसम्बर, १९५८ (लोक सभा)	२० दिसम्बर, १९५८	२३ दिसम्बर, १९५८	२७ दिसम्बर, १९५८	धन विधेयक

१९५८ के संसद् के कानून (क्रमशः)

१	२	३	४	५	६
५४. अनर्हता निवारण (संशोधन, १९५८	१५ दिसम्बर, १९५८ (लोक सभा)	२० दिसम्बर, १९५८	२४ दिसम्बर, १९५८	२७ दिसम्बर, १९५८	
५५. संसद्-सदस्य वेतन तथा भत्ता (संशोधन) अधिनियम, १९५८	२७ सितम्बर, १९५८ (लोक सभा)	११ दिसम्बर, १९५८	२२ दिसम्बर, १९५८	३० दिसम्बर, १९५८	
५६. हिमाचल प्रदेश विधान सभा (संविधान तथा कार्यवाही) वैधकरण अधिनियम, १९५८	२४ नवम्बर, १९५८ (लोक सभा)	१० दिसम्बर, १९५८	२२ दिसम्बर, १९५८	३० दिसम्बर, १९५८	
५७. उड़ीसा माप-तोल (दिल्ली निरसन) अधिनियम, १९५८	१५ दिसम्बर, १९५८ (लोक सभा)	२० दिसम्बर, १९५८	२३ दिसम्बर, १९५८	३० दिसम्बर, १९५८	
५८. लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, १९५८	२७ नवम्बर, १९५८ (लोक सभा)	२० दिसम्बर, १९५८	२४ दिसम्बर, १९५८	३० दिसम्बर, १९५८	
५९. दिल्ली मकान-किराया नियन्त्रण अधिनियम, १९५८	१ सितम्बर, १९५८ (लोक सभा)	१७ दिसम्बर, १९५८	२३ दिसम्बर, १९५८	३१ दिसम्बर, १९५८	

—:०:—

बत्तीसवाँ अध्याय

१९५८ की महत्वपूर्ण घटनाएँ

जनवरी

१ आन्ध्र प्रदेश, मद्रास तथा मैसूर के मुख्यमन्त्रियों द्वारा भारत की राजभाषा के प्रश्न पर एक सम्मिलित वक्तव्य।

— 'भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस' का नौवाँ वार्षिक अधिवेशन मदुरई में आरम्भ।

— नयी दिल्ली में हुए 'ड्यूरैण्ड कप फुटबाल टूर्नामेण्ट' में हैदराबाद नगर की पुलिस टीम विजयी।

३ चेकोस्लोवाकिया के प्रधानमन्त्री श्री विलियम सिरोकी का नयी दिल्ली में आगमन।

— मद्रास के तिरुनेल्वेलि जिले में मणिमुठर सिंचाई योजनाकार्य का उद्घाटन।

४ लोक सभा के सदस्य श्री आर० एम० हाजरनवीस द्वारा केन्द्रीय सरकार के विधि उपमन्त्री के पद की शपथ-ग्रहण।

— 'मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद्' की ग्वालियर में बैठक।

५ 'भारतीय सड़क कांग्रेस' का २२वाँ अधिवेशन नयी दिल्ली में आरम्भ।

— भारत तथा चेकोस्लोवाकिया के प्रधानमन्त्रियों द्वारा नयी दिल्ली में सम्मिलित वक्तव्य।

— 'केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद्' की बंगलोर में बैठक।

— 'भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान संस्था' के २३वें अधिवेशन का मद्रास में उद्घाटन।

६ 'भारतीय विज्ञान कांग्रेस' के ४५वें अधिवेशन का मद्रास में उद्घाटन।

— नेपाल में ९०० मील लम्बी सड़कों के निर्माण के लिए नेपाल-भारत-अमेरिका करार नयी दिल्ली में सम्पन्न।

— प्रथम 'अखिल भारतीय श्रम सम्मेलन' का लखनऊ में उद्घाटन।

— क्विलोन तथा कोट्टयम को मिलाने वाली नयी रेल लाइन का उद्घाटन।

७ इण्डोनीशिया के राष्ट्रपति सुकर्ण का नयी दिल्ली में आगमन।

— 'जीवन बीमा निगम' द्वारा मूंदड़ा संस्थाओं के क्रय किए गए शेयरों के सम्बन्ध में जाँच-पड़ताल के लिए श्री एम० सी० छागला नियुक्त।

७ अम्बाला के निकट मोहरी रेल स्टेशन पर १ जनवरी को हुई रेल-दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए एक आयोग नियुक्त ।

— भारत के नमक उद्योग के कार्य-संचालन की जाँच के लिए एक समिति नियुक्त ।

८ ब्रिटेन के प्रधानमन्त्री श्री हैरल्ड मैकमिलन का नयी दिल्ली में आगमन ।

— श्री शेख अब्दुल्ला नजरबन्दी से मुक्त ।

९ भारत तथा ब्रिटेन के प्रधानमन्त्री और इण्डोनेशिया के राष्ट्रपति द्वारा नयी दिल्ली में परस्पर विचार-विमर्श ।

— भारत सरकार द्वारा 'अखिल भारतीय प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्' की स्थापना ।

१० ईराकी योजना प्रतिनिधिमण्डल का बम्बई में आगमन ।

— 'एशिया तथा सुदूरपूर्व आर्थिक आयोग' द्वारा आयोजित सस्ती सड़कें तथा भू-स्थायित्व विषयक विचारगोष्ठी का नयी दिल्ली में उद्घाटन ।

१२ भारत तथा पाकिस्तान के लिए नियुक्त संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि डा० फ्रैंक ग्राहम का नयी दिल्ली में आगमन ।

— 'राष्ट्रीय विकास परिषद्' की स्थायी समिति की नयी दिल्ली में बैठक ।

१३ सोवियत रूस से चार व्यक्तियों के एक सांस्कृतिक प्रतिनिधिमण्डल का मद्रास में आगमन ।

— भारत-श्रीलंका व्यापार करार पर नयी दिल्ली में हस्ताक्षर ।

१४ ऊपरी असम में तेल-संसाधनों का पता लगाने तथा उनका उपयोग करने के उद्देश्य से एक 'रुपया कम्पनी' की स्थापना के लिए भारत सरकार, बर्मा ऑयल तथा असम ऑयल कम्पनियों द्वारा एक करार पर हस्ताक्षर ।

१६ भारत को अमेरिकी सरकार द्वारा २२.५० करोड़ डालर का ऋण दिए जाने की घोषणा ।

— अमेरिकी चीफ ऑफ स्टाफ (स्थल-सेना) जनरल मैक्सवेल डी० टेलर का आगरा में आगमन ।

१७ केरल के कटमपल्लि बहूद्देश्यीय योजनाकार्य का उद्घाटन ।

१८ 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस' का ६३वाँ अधिवेशन प्रागज्योतिषपुर में आरम्भ ।

२० 'एशियाई रंगमंच (थिएटर) संस्था' का नयी दिल्ली में उद्घाटन ।

— 'संगीत नाटक अकादेमी' द्वारा १९५७-५८ के पुरस्कारों की घोषणा ।

— पाकिस्तान द्वारा मंगला बाँध बनाए जाने पर सुरक्षा परिषद् में भारत की ओर से विरोध प्रकट ।

२१ 'लघु उद्योग मण्डल' की कलकत्ता में बैठक ।

२२ हड़ताल होने की सम्भावना के कारण कलकत्ता बन्दर में आपतकालीन स्थिति की घोषणा ।

२३ 'पूर्वी क्षेत्रीय परिषद्' की पटना में बैठक ।

२३ भारत तथा फ्रांस सरकार द्वारा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग के लिए नयी दिल्ली में एक करार पर हस्ताक्षर ।

— चीनी सशस्त्र सेना के प्रतिनिधिमण्डल का नयी दिल्ली में आगमन ।

२४ श्री विष्णुराम मेधी द्वारा मद्रास के राज्यपाल के पद की शपथ-ग्रहण ।

— स्विट्जरलैण्ड के डाक, तार तथा प्रसारण मन्त्री श्री जी० लेपोरी का नयी दिल्ली में आगमन ।

२५ आकाशवाणी द्वारा आयोजित तृतीय वार्षिक 'राष्ट्रीय काव्य संगम समारोह' का उद्घाटन ।

२८ भारत सरकार द्वारा देशव्यापी 'मृत्तिका तथा भूमि-उपयोग सर्वेक्षण' के लिए एक सुसंगठित तीन-वर्षीय योजना स्वीकृत ।

२९ 'अखिल भारतीय क्षय कार्यकर्ता सम्मेलन' का १४वाँ अधिवेशन मद्रास में आरम्भ ।

३० 'सोवियत रेडियो विशेषज्ञ प्रतिनिधिमण्डल' का बंगलोर में आगमन ।

३१ 'श्रम प्रबन्ध सहयोग' विषयक विचारगोष्ठी का नयी दिल्ली में उद्घाटन ।

— हैदराबाद उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति श्री श्रीपतराव एम० पालनिटकर का बम्बई में स्वर्गवास ।

फरवरी

१ आन्ध्र प्रदेश विधान सभा की तेलंगाना क्षेत्रीय समिति स्थापित ।

— 'केन्द्रीय शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन परामर्श मण्डल' की नयी दिल्ली में बैठक ।

२ मद्रास विधान सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री बी० साम्बमूर्ति का मद्रास में स्वर्गवास ।

— मैसूर के भूतपूर्व दीवान श्री एम० एन० कृष्णराव का बंगलोर में स्वर्गवास ।

३ 'भारतीय व्यापारी मण्डल' (इण्डियन मर्चण्ट्स चैम्बर) के स्वर्ण जयन्ती समारोह का बम्बई में उद्घाटन ।

४ भारत-जापान व्यापार करार पर टोकियो में हस्ताक्षर ।

५ लोकतन्त्रात्मक वियतनाम गणराज्य के राष्ट्रपति डा० हो ची मिन्ह का नयी दिल्ली में आगमन ।

— मैसूर राज्य में जोग प्रपात के निकट शरावती जलविद्युत् योजनाकार्य का उद्घाटन ।

६ 'केन्द्रीय शिक्षा परामर्श मण्डल' की नयी दिल्ली में बैठक ।

— अठारहवें राष्ट्रीय खेलकूद का कटक में उद्घाटन ।

— इटली के साथ रेडियो-टेलीग्राफ सेवा का उद्घाटन ।

— 'अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष' के प्रबन्ध-निदेशक श्री पर जैकबसन का नयी दिल्ली में आगमन ।

८ 'आयात परामर्श परिषद्' की नयी दिल्ली में बैठक ।

— भारत तथा इण्डोनीशिया के बीच सांस्कृतिक समझौते के सम्बन्ध में पुष्टि-विलेखों का विनिमय ।

८ 'अखिल भारतीय प्राथमिक अध्यापक सम्मेलन' जाधवपुर में आरम्भ ।

६ 'निर्यात परामर्श परिषद्' की नयी दिल्ली में बैठक ।

— पंजाब सरकार द्वारा ८ फरवरी को जालन्धर में हुए उपद्रवों की न्यायिक जाँच प्रारम्भ ।

१० संसद् का बजट अधिवेशन आरम्भ ।

— 'केन्द्रीय उद्योग परामर्श परिषद्' की स्थायी समिति की नयी दिल्ली में बैठक ।

११ अफगानिस्तान के शाह ज़हीर शाह का नयी दिल्ली में आगमन ।

१२ संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डल के नेता श्री हेनरी कैबट लॉज का नयी दिल्ली में आगमन ।

१३ भारत के प्रधानमन्त्री तथा लोकतन्त्रात्मक वियतनाम गणराज्य के राष्ट्रपति द्वारा सम्मिलित वक्तव्य ।

— छागला आयोग का प्रतिवेदन लोक सभा में प्रस्तुत ।

— केन्द्रीय वित्त मन्त्री श्री टी० टी० कृष्णमाचारी का त्यागपत्र स्वीकृत ।

१४ प्रधानमन्त्री द्वारा वित्त विभाग का कार्यभार-ग्रहण ।

— भारत के प्रधानमन्त्री तथा अफगानिस्तान के शाह ज़हीर शाह द्वारा सम्मिलित वक्तव्य ।

— 'भारतीय सांस्कृतिक सम्पर्क परिषद्' की बृहद् सभा का नयी दिल्ली में अधिवेशन ।

— यूनान के साथ एक व्यापार करार पर नयी दिल्ली में हस्ताक्षर ।

१५ 'अखिल भारतीय उर्दू सम्मेलन' का नयी दिल्ली में उद्घाटन ।

— राज्यों के अनुसूचित जाति तथा आदिमजाति-कल्याण मन्त्रियों का सम्मेलन नयी दिल्ली में आरम्भ ।

— सोवियत संसदीय प्रतिनिधिमण्डल का नयी दिल्ली में आगमन ।

— 'अखिल भारतीय पोषण सम्मेलन' अम्बाला में आरम्भ ।

१६ योजना आयोग के कोलम्बो योजना सम्बन्धी परामर्शदाता श्री माल्कम डार्लिंग द्वारा भारत में सहकारी आन्दोलन के कुछ पहलुओं पर प्रतिवेदन समर्पित ।

— ब्रिटेन की सुदूरपूर्व स्थल-सेना के प्रधान सेनाध्यक्ष जनरल सर फ्रांसिस फेस्टिंग का नयी दिल्ली में आगमन ।

१७ १६५८-५६ का रेल बजट संसद् में प्रस्तुत ।

— उत्तर प्रदेश विधानमण्डल में १६५८-५६ का राज्यीय बजट प्रस्तुत ।

१८ वित्त मन्त्री के पद से दिए त्यागपत्र का स्पष्टीकरण करते हुए श्री टी० टी० कृष्णमाचारी द्वारा लोक सभा में वक्तव्य ।

— पश्चिम बंगाल विधानमण्डल में १६५८-५६ का राज्यीय बजट प्रस्तुत ।

— हैदराबाद को सन्तोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबाल प्रतिस्पर्धा में चैम्पियनशिप पुनः प्राप्त ।

१६ सरकार द्वारा 'छागला आयोग प्रतिवेदन' की स्वीकृति की घोषणा ।

— आसनसोल के निकट चिनाकुरी कोयला खान में विस्फोट ।

२० संस्कृत आयोग का प्रतिवेदन राज्य सभा में प्रस्तुत ।
— भारत तथा पश्चिम जर्मनी के बीच रेडियो-टेलीफोन सेवा का नयी दिल्ली में उद्घाटन ।
— कनाडा द्वारा भारत को २.५० करोड़ डालर का ऋण दिए जाने के एक करार पर ओटावा में हस्ताक्षर ।
२१ भारत सरकार द्वारा दो अलग-अलग अखिल भारतीय सेवाएँ—'अर्थशास्त्री सेवा' तथा 'सांख्यिक सेवा' स्थापित करने के निर्णय की घोषणा ।
— 'भारतीय केन्द्रीय कपास समिति' की बम्बई में बैठक ।
— राज्य सभा के सदस्य श्री वी० एम० ओबेदुल्ला का वेल्लोर में स्वर्गवास ।
२२ केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री मौलाना अबुलकलाम आज़ाद का नयी दिल्ली में स्वर्गवास ।
— राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अरब गणराज्य के राष्ट्रपति को नये राज्य को भारत द्वारा मान्यता प्रदान किए जाने की सूचना ।
२३ झरिया के निकट भागा में 'भारतीय खान मजदूर संघ' का वार्षिक सम्मेलन आरम्भ ।
— राज्य सभा के सदस्य श्री भुवानन्द दास का नयी दिल्ली में स्वर्गवास ।
— लोक सभा के सदस्य श्री एस० के० बनर्जी का कलकत्ता में स्वर्गवास ।
२५ पठानकोट के निकट हुए विस्फोट की जाँच के लिए आदेश ।
— बम्बई विधानमण्डल में १६५८-५६ का राज्यीय बजट प्रस्तुत ।
२६ आन्ध्र प्रदेश विधानमण्डल में १६५८-५६ का राज्यीय बजट प्रस्तुत ।
— रूरकेला इस्पात संयन्त्र के लिए आस्थगित भुगतान के आधार पर भारत तथा पश्चिम जर्मनी द्वारा बॉन में एक करार पर हस्ताक्षर ।
— जम्मू तथा कश्मीर विधानमण्डल में १६५८-५६ का राज्यीय बजट प्रस्तुत ।
२७ पंजाब विधानमण्डल में १६५८-५६ का राज्यीय बजट प्रस्तुत ।
२८ लोक सभा में भारत सरकार का १६५८-५६ का बजट प्रस्तुत ।

मार्च

१ भारत के इस्पात उद्योग की ५०वीं जयन्ती जमशेदपुर में सम्पन्न ।
— मद्रास विधानमण्डल में १६५८-५६ का राज्यीय बजट प्रस्तुत ।
२ मंगोलियाई सांस्कृतिक प्रतिनिधिमण्डल का नयी दिल्ली में आगमन ।
— 'उत्तरी क्षेत्रीय परिषद्' की चण्डीगढ़ में बैठक ।
— बेल्जियम के एक व्यापारिक तथा औद्योगिक प्रतिनिधिमण्डल का नयी दिल्ली में आगमन ।
३ 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' का प्रथम प्रतिवेदन लोक सभा में प्रस्तुत ।
— मध्य प्रदेश विधानमण्डल में १६५८-५६ का राज्यीय बजट प्रस्तुत ।
४ आस्ट्रिया के विदेश मन्त्री डा० लियोपोल्ड फिग्ल का नयी दिल्ली में आगमन ।

४ केन्द्रीय भौवड़ा कोयला खान की जाँच आरम्भ ।
५ सऊदी अरब के एक व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डल का नयी दिल्ली में आगमन ।
— 'अखिल भारतीय शिया सम्मेलन' हैदराबाद में आरम्भ ।
६ २० करोड़ रुपये के भारत-बर्मा ऋण करार के पुष्टीकरण-विलेख का रंगून में दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों के बीच आदान-प्रदान ।
७ रूमानिया के प्रधानमन्त्री श्री शिवु स्तोइका का नयी दिल्ली में आगमन ।
— भारत सरकार द्वारा 'पर्यटन विकास परिषद्' स्थापित करने का निर्णय ।
— केरल विधानमण्डल में १९५८-५९ का राज्यीय बजट प्रस्तुत ।
८ 'अमेरिकी निर्यात-आयात बैंक' के एक शिष्टमण्डल का नयी दिल्ली में आगमन ।
— 'अन्तर्राज्यीय परिवहन आयोग' स्थापित ।
— पूर्व पाकिस्तान तथा पश्चिम बंगाल की सरकार भारत-पाकिस्तान सीमा पर बहने वाली नदियों के ऋतु-अनुसार बँटवारे की एक सम्मिलित योजना पर सहमत ।
९ 'भारतीय दलित जाति संघ' का ग्वालियर में वार्षिक अधिवेशन आरम्भ ।
१० 'वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ' के वार्षिक अधिवेशन का नयी दिल्ली में उद्घाटन ।
— भारत तथा रूमानिया के प्रधानमन्त्रियों द्वारा सम्मिलित वक्तव्य ।
— राजस्थान विधानमण्डल में १९५८-५९ का राज्यीय बजट प्रस्तुत ।
११ श्री सिद्धार्थ शंकर रे द्वारा पश्चिम बंगाल मन्त्रिमण्डल से त्यागपत्र ।
१२ मैसूर विधानमण्डल में १९५८-५९ का राज्यीय बजट प्रस्तुत ।
१३ 'जीवन बीमा निगम' के कुछ विनियोगों के सम्बन्ध में अधिकारियों के आचरण की जाँच-पड़ताल के लिए जाँच मण्डल की स्थापना की घोषणा ।
— विज्ञान तथा वैज्ञानिकों के सम्बन्ध में सरकार की नीति स्पष्ट करते हुए लोक सभा में एक प्रस्ताव प्रस्तुत ।
— केरल के विख्यात कवि श्री वल्लतोल नारायण मेनन का एरणाकुलम में स्वर्गवास ।
१४ उपराष्ट्रपति का चार सप्ताह की अमेरिका यात्रा के लिए नयी दिल्ली से प्रस्थान ।
— द्वितीय वित्त आयोग की सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार के निष्कर्ष संसद् में प्रस्तुत ।
— नये 'आणविक शक्ति आयोग' की स्थापना की घोषणा ।
— असम विधानमण्डल में १९५८-५९ का राज्यीय बजट प्रस्तुत ।
१५ 'भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ' का छठा अधिवेशन जयपुर में आरम्भ ।
१६ अन्तिम मैच में सैनिक टीम को हराकर बड़ौदा ने रंजी ट्रॉफी जीती ।
— 'अखिल भारतीय शिया सम्मेलन' नयी दिल्ली में आरम्भ ।
१८ न्यूजीलैण्ड के प्रधानमन्त्री श्री वाल्टर नैश का नयी दिल्ली में आगमन ।
१९ 'श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम' के खण्ड पाँच को छोड़कर शेष अधिनियम की वैधता सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्य ।
— भारत के सर्वदलीय मुस्लिम विधायकों का सम्मेलन लखनऊ में आरम्भ ।
२० उड़ीसा विधानमण्डल में १९५८-५९ का राज्यीय बजट प्रस्तुत ।

.२१ बिहार विधानमण्डल में १९५८-५९ का राज्यीय बजट प्रस्तुत ।

— 'संयुक्त राष्ट्र संघीय खाद्य तथा कृषि संगठन' की एशिया तथा सुदूरपूर्व में कृषि मूल्य तथा आय स्थिर करने की नीति विषयक विचारगोष्ठी का नयी दिल्ली में उद्घाटन ।

— असम में कछार की सूरमा घाटी सीमा पर युद्ध-विराम के लिए भारत तथा पाकिस्तान में समझौता ।

२२ श्री मोरारजी देसाई द्वारा केन्द्रीय वित्त मन्त्री का पद-ग्रहण ।

२३ 'भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग' की भुवनेश्वर में बैठक ।

— 'केन्द्रीय पुरातत्व परामर्श मण्डल' की कलकत्ता में बैठक ।

— 'परिवार नियोजन मण्डल' की बम्बई में बैठक ।

२४ 'अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद्' की नयी दिल्ली में बैठक ।

— राज्य सभा के रिक्त स्थानों के लिए हुए निर्वाचनों के परिणामों की घोषणा ।

२५ श्री मोरारजी देसाई योजना आयोग के सदस्य नियुक्त ।

— 'भारतीय विमान सेवा निगम' (इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन) तथा इसके कर्मचारियों के बीच उठे विवाद पर राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के पंचाट की घोषणा ।

२६ 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' द्वारा अंग्रेजी की अध्यापन सम्बन्धी समस्याओं के विचारार्थ नयी दिल्ली में सम्मेलन आरम्भ ।

— बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री एस० आर० तेन्दुलकर का बम्बई में स्वर्गवास ।

२७ 'कहवा तथा रबड़ बाग़ान जाँच आयोग' की सिफारिशों पर सरकार के निर्णयों की घोषणा ।

२८ जम्मू तथा कश्मीर राज्य को भारत के लेखा-नियन्त्रक तथा महालेखा-परीक्षक के न्यायाधिकारक्षेत्र में लाया गया ।

— श्री लालबहादुर शास्त्री द्वारा केन्द्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री का पद-ग्रहण ।

२९ श्री एस० के० पाटील द्वारा केन्द्रीय परिवहन तथा संचार-साधन मन्त्री का पद-ग्रहण ।

३० राजस्थान नहर के खुदाई-कार्य का उद्घाटन ।

३१ जापान सरकार द्वारा भारत को रूरकेला क्षेत्र में स्थित लोहा भण्डार के विकास में सहायता पहुँचाने के लिए ८० लाख अमेरिकी डालर के मूल्य का येन ऋण देने का निर्णय ।

अप्रैल

१ भारतीय वायु सेना की २५वीं जयन्ती सम्पन्न ।

— केरल विधान सभा द्वारा स्वीकृत एक प्रस्ताव में भारत के राष्ट्रपति से यह निवेदन किया गया कि केरल उच्च न्यायालय की एक स्थायी शाखा त्रिवेन्द्रम में भी स्थापित की जाए ।

२ सर्वश्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम तथा बी० गोपाल रेड्डी द्वारा क्रमशः मन्त्रि-मण्डलीय मन्त्री तथा राज्य-मन्त्री के रूप में और सर्वश्री एस० वी० रामस्वामी, अहमद मुहिउद्दीन, पी० एस० नस्कर तथा श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा द्वारा उपमन्त्रियों के रूप में शपथ-ग्रहण ।

— श्रीलंका-स्थित भारतीयों के भविष्य के विषय में नीति के स्पष्टीकरण का अनुरोध करते हुए श्रीलंका सरकार को भारत सरकार द्वारा एक स्मरणपत्र प्रेषित ।

३ तृतीय 'प्रतिरक्षा विज्ञान सम्मेलन' दिल्ली में आरम्भ ।

— डा० फ्रैंक ग्राहम द्वारा सुरक्षा परिषद् को दिया गया प्रतिवेदन प्रकाशित ।

— श्री एस० एस० मिराजकर बम्बई के महापौर निर्वाचित ।

४ सर्वश्री बी० एस० मूर्ति, आनन्द चन्द्र जोशी तथा गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा संसदीय सचिव नियुक्त ।

— अखिल भारतीय जन संघ का वार्षिक सम्मेलन अम्बाला में आरम्भ ।

६ 'यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस' का पंच-दिवसीय तृतीय अखिल भारतीय सम्मेलन विवलोन में समाप्त ।

— भारत के साम्यवादी दल का असाधारण अधिवेशन अमृतसर में आरम्भ ।

७ 'राज्यीय कल्याण मण्डलों' के अध्यक्षों का चतुर्थ वार्षिक सम्मेलन नयी दिल्ली में आरम्भ ।

— भारत तथा सऊदी अरब द्वारा व्यापारिक तथा आर्थिक सम्बन्ध विषयक सम्मिलित वक्तव्य पर नयी दिल्ली में हस्ताक्षर ।

८ विभिन्न उद्योगों में उपलब्ध प्राविधिक उत्पादन-क्षमता कर्मचारियों के व्यापक सर्वेक्षण के लिए 'राष्ट्रीय उत्पादन-क्षमता परिषद्' द्वारा 'उत्पादन-क्षमता कर्मचारी सर्वेक्षण समिति' नियुक्त ।

— चलचित्रों के लिए राजकीय पुरस्कारों की घोषणा ।

— भारत के साम्यवादी दल द्वारा दल का नया संविधान अमृतसर में स्वीकृत ।

१० 'सार्वजनिक सेवा में भर्ती के लिए अर्हता' विषयक समिति की सिफारिशें प्रकाशित ।

१२ 'अखिल भारतीय सरकारी संस्था कांग्रेस' का तृतीय अधिवेशन नयी दिल्ली में आरम्भ ।

— विक्रय के लिए हस्तशिल्प-वस्तुओं के उत्पादन की व्यवस्था करने के निमित्त एक निगम स्थापित ।

— 'अखिल भारतीय पंचायत सम्मेलन' जसडीह (बिहार) में आरम्भ ।

१४ श्रीमती अरुणा आसफ अली दिल्ली नगर-निगम की सर्वप्रथम महापौर निर्वाचित ।

१५ कनाडा के 'राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कालेज' के एक दल का नयी दिल्ली में आगमन ।

१६ कलकत्ता तथा मद्रास बन्दरगाहों के विकास के लिए विश्व बैंक द्वारा ४.३० करोड़ डालर के दो ऋण स्वीकार करने की घोषणा ।

— 'विश्वविद्यालयिक शिक्षा में एकरूपता' विषयक राष्ट्रीय विचारगोष्ठी नयी दिल्ली में आरम्भ ।

१६ प्राक्कलन समितियों के अध्यक्षों का सम्मेलन नयी दिल्ली में आरम्भ।
१७ 'हिन्दुस्तान नमक कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड' स्थापित।
— बम्बई विधान सभा में मराठवाडा क्षेत्र के लिए एक अलग विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित।
— लोक सभा के सदस्य श्री अवधेश कुमार सिंह का पटना में स्वर्गवास।
१८ विख्यात समाज-सुधारक तथा शिक्षाशास्त्री डा० डी० के० कर्वे अपनी १०१वीं वर्ष-गाँठ के अवसर पर बम्बई में सन्मानित।
— उड़ीसा सरकार द्वारा नियुक्त 'भूमि-सुधार समिति' का प्रतिवेदन प्रकाशित।
— डा० त्रिगुण सेन कलकत्ता नगर-निगम के महापौर निर्वाचित।
— भारत तथा इथियोपिया द्वारा एक व्यापार करार पर हस्ताक्षर।
२० उड़ीसा के जोडा नामक स्थान में लौह-मैंगनीज़ संयन्त्र का उद्घाटन।
— तृतीय 'आकाशवाणी साहित्य समारोह' का नयी दिल्ली में उद्घाटन।
२२ वाइस एडमिरल कटारी सर्वप्रथम भारतीय चीफ ऑफ नेवल स्टाफ नियुक्त।
२३ असम में एक तेल-शोधक कारखाना स्थापित करने में रूमानिया सरकार का सहायता देने का प्रस्ताव भारत सरकार को मान्य।
२६ उड़ीसा मन्त्रिमण्डल के उपमन्त्री श्री अनूपसिंह देव द्वारा त्यागपत्र।
— 'अखिल भारतीय समाजवादी दल' की शेरघाटी (गया) में बैठक।
— केरल सरकार द्वारा नियुक्त 'वेतन पुनर्विचार समिति' द्वारा प्रतिवेदन समर्पित।
— मैसूर सरकार द्वारा डा० ए० लक्ष्मणस्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में एक 'विश्व-विद्यालय शिक्षा एकीकरण समिति' नियुक्त।
२७ अंग्रेज़ी के अध्यापन की समस्याओं के विचारार्थ हुए सम्मेलन का प्रतिवेदन 'विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग' द्वारा स्वीकृत।
२८ केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत का दूसरा जहाज़निर्माण-घाट पश्चिमी तट पर स्थापित करने की घोषणा।
— श्री राधा विनोद पाल जेनेवा में होने वाले 'अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग' के दसवें अधिवेशन के सभापति निर्वाचित।
२९ श्री शेख अब्दुल्ला पुनः हिरासत में।
३० पन्द्रह विख्यात भारतीय वैज्ञानिकों के एक दल का नयी दिल्ली से मास्को के लिए प्रस्थान।
— २९ अप्रैल को षण्टमकोट्ट (क्विलोन) में लोक सहायक सेना शिविर में विषाक्त खाद्य पदार्थों के कारण हुई दुर्घटना की जाँच आरम्भ।

मई

१ तुर्की के प्रधानमन्त्री श्री अदनान मेण्डेरस का नयी दिल्ली में आगमन।
— सरकार का वैज्ञानिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव लोक सभा में प्रस्तुत।

१	श्री गोविन्द बल्लभ पन्त कांग्रेस संसदीय दल के उपनेता निर्वाचित ।

२	कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा की गई भारत-विरोधी कार्यवाही के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की ओर से विरोध प्रकट ।

—	आन्ध्र प्रदेश तथा मद्रास के मन्त्रियों द्वारा मद्रास में हुई उनकी एक बैठक के अवसर पर दोनों राज्यों की सीमा सम्बन्धी पाटसकर पंचाट को उसमें कोई संशोधन किए बिना कार्यान्वित करने का निर्णय ।

३	'राष्ट्रीय विकास परिषद्' की नयी दिल्ली में बैठक ।

४	बम्बई में नीरा बाँध का शिलान्यास ।

—	'भारतीय विदेश व्यापार परिषद्' की नयी दिल्ली में बैठक ।

५	परिवहन प्रशासन-व्यवस्था की सविस्तर जाँच के लिए एक समिति नियुक्त ।

६	'अखिल भारतीय उद्योगपति संगठन' की नयी दिल्ली में बैठक ।

७	आचार्य कृपालानी लोक सभा में नये विरोधी दल के नेता निर्वाचित ।

८	मैसूर के मुख्यमन्त्री श्री एस० निजलिंगप्प तथा उनके मन्त्रिमण्डल द्वारा त्यागपत्र ।

—	नयी दिल्ली के सफदरजंग हवाईअड्डे पर भारतीय वायु-सेना का एक वैम्पायर लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त ।

—	केरल में विषाक्त खाद्य पदार्थ वाले मामलों की जाँच के लिए एक आयोग नियुक्त ।

—	कलकत्ता में हुए 'बाइटन कप हॉकी टूर्नामेण्ट' में मोहन बगान विजयी ।

९	भारत तथा बर्मा के प्रतिनिधियों में दोनों देशों के बीच व्यापार को प्रोत्साहन देने के उपायों पर अस्थायी समझौता ।

—	उड़ीसा के मुख्यमन्त्री श्री हरेकृष्ण मेहताब द्वारा उड़ीसा के राज्यपाल को उड़ीसा मन्त्रिमण्डल का त्यागपत्र समर्पित ।

१०	कण्डला बन्दर और पंजाब तथा राजस्थान के बीच नयी रेल-लाइन का उद्घाटन ।

—	'अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी' की नयी दिल्ली में बैठक ।

१२	'केन्द्रीय बाढ़-नियन्त्रण मण्डल' की नयी दिल्ली में बैठक ।

—	विधि विभाग के राज्य-मन्त्री श्री ए० के० सेन केन्द्रीय सरकार में मन्त्रिमण्डलीय मन्त्री नियुक्त ।

—	भारत तथा अफगानिस्तान द्वारा परिवर्द्धित रेडियो-दूरसंचार करार पर हस्ताक्षर ।

१३	नेपाली सैनिक प्रतिनिधिमण्डल का नयी दिल्ली में आगमन ।

—	ज्वालामुखी में प्राकृतिक गैस प्राप्त होने की घोषणा ।

१५	श्रम मन्त्री सम्मेलन का १५वाँ अधिवेशन नैनीताल में आरम्भ ।

—	नयी दिल्ली के पालम हवाईअड्डे के निकट एक पाकिस्तानी असैनिक विमान दुर्घटनाग्रस्त ।

१७	'निर्यात हानि-भय बीमा निगम' की केन्द्रीय परामर्श परिषद् की बम्बई में बैठक ।

१८	भारतीय पर्वतारोहण दल के सदस्य चो ओयू शिखर पर पहुँचे ।

—	रासायनिक और तत्सम्बन्धी पदार्थों के लिए 'निर्यात प्रोत्साहन परिषद्' स्थापित ।

१९ इन्दौर, उज्जैन तथा देवास के बीच एक बड़ी रेल लाइन का उद्घाटन ।
— प्रसिद्ध इतिहासकार सर जदुनाथ सरकार का कलकत्ता में स्वर्गवास ।
२० 'राष्ट्रीय सामुदायिक विकास सम्मेलन' माउण्ट आबू में आरम्भ ।
२१ मैसूर में श्री बी० डी० जत्ती के मुख्यमन्त्रित्व में नये मन्त्रिमण्डल द्वारा शपथ-ग्रहण ।
— ब्रिटिश जहाजनिर्माण-घाट मण्डल द्वारा दूसरे जहाजनिर्माण-घाट के लिए एरणाकुलम के निकट का स्थान सर्वोत्तम होने का सुझाव ।
२२ 'केरल राज्य शिक्षा विधेयक' की कुछ व्यवस्थाओं की सांवैधानिक वैधता पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सम्मति प्रकट ।
— 'केन्द्रीय मछलीपालन मण्डल' स्थापित ।
२३ उंगमा में नागा सम्मेलन सम्पन्न ।
२४ श्री हरेकृष्ण मेहताब द्वारा उड़ीसा मन्त्रिमण्डल का त्यागपत्र वापस ।
२५ कटक में २० किलोवाट का नया सम्प्रेषण यन्त्र प्रस्थापित ।
२७ बिहार विधान सभा द्वारा राज्य के मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव अस्वीकृत ।
— आठ भारत-अमेरिकी प्राविधिक कार्यक्रम करारों पर नयी दिल्ली में हस्ताक्षर ।
२८ 'होटल मानक तथा दर-निर्धारण समिति' द्वारा केन्द्रीय सरकार को प्रतिवेदन समर्पित ।
२९ जेनेवा में होने वाले 'अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन' के ४२वें अधिवेशन के लिए भारतीय प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों के नामों की घोषणा ।
३० 'अखिल भारतीय सर्वोदय सम्मेलन' पण्ढरपुर में आरम्भ ।
— 'राष्ट्रीय नारी शिक्षा समिति' की नयी दिल्ली में बैठक ।
— केन्द्रीय सिंचाई तथा विद्युत् मन्त्रालय द्वारा नियुक्त 'उच्चस्तरीय बाढ़ समिति' द्वारा अन्तरिम प्रतिवेदन समर्पित ।
३१ उत्तर-पूर्वी रेल लाइन पर दूलहापुर स्टेशन के निकट इलाहाबाद एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त ।

जून

१ 'दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद्' की उदकमण्डलम में बैठक ।
२ नेपाल नरेश तथा महारानी का सोवियत रूस जाते हुए नयी दिल्ली में आगमन ।
— नयी दिल्ली तथा मास्को के बीच साप्ताहिक विमान सेवा के लिए भारत-रूसी करार पर हस्ताक्षर ।
३ फाज़िल्का के निकट पाकिस्तानी पुलिस द्वारा अकारण ही गोली चलाए जाने के फलस्वरूप सात भारतीय सिपाहियों (पुलिस) की मृत्यु ।
— राज्य सभा की सदस्या श्रीमती सिद्दीका किदवई का लखनऊ में स्वर्गवास ।
४ तीन व्यक्तियों की एक भारतीय पर्वतारोहण मण्डली, गढ़वाल पर्वतमाला के २३,००० फुट ऊँचे त्रिशूल शिखर पर पहुँची ।
५ निजी क्षेत्र के मध्यम पैमाने के उद्योगों की सहायता के लिए 'पुनर्वित्त निगम' स्थापित ।

५　आय कर विभाग के प्रशासन तथा कार्य-संचालन की जाँच-पड़ताल के लिए भारत सरकार द्वारा एक समिति नियुक्त।

७　'केन्द्रीय जीवविज्ञान परामर्श मण्डल' स्थापित करने के निर्णय की घोषणा।

८　भारत द्वारा विश्व बैंक को अपने इस निर्णय की पुनः सूचना कि उसकी राजस्थान तथा ऊपरी सरहिन्द नहर प्रणालियाँ १९६२ तक बनकर तैयार हो जाएंगी और तब तक पाकिस्तान को भी अपनी व्यवस्था कर लेनी चाहिए।

—　'अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन' हैदराबाद में सम्पन्न।

९　पश्चिम जर्मनी के कारखानों तथा 'हिन्दुस्तान मशीनी औजार कारखाना' के बीच हुए प्राविधिक सहयोग करार पर बंगलोर में हस्ताक्षर।

१०　नार्वे की संसद् द्वारा केरल मछली-उद्योग योजनाकार्य के लिए १९५८-५९ में ५० लाख क्रोनर (२.५० लाख पौण्ड) का अनुदान देना स्वीकृत।

—　'बाल चलचित्र समिति' की कार्यकारिणी परिषद् फिर से संगठित।

११　पटसन उद्योग की समस्याओं को हल करने के लिए कलकत्ता में एक नया संगठन स्थापित।

१३　भारत सरकार तथा पाकिस्तान सरकार क्रमशः लाहौर तथा बम्बई में अपने-अपने उपदूतावास बन्द करने के लिए सहमत।

१४　आय पर दोहरा कर न लगने देने के लिए भारत तथा पश्चिम जर्मनी एक अभिसमय (कन्वेन्शन) के प्रारूप पर सहमत।

—　'बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, १९५८' लागू।

—　'श्रमजीवी पत्रकार (वेतन-दर निर्धारण) अध्यादेश, १९५८' लागू।

—　प्रसिद्ध मजदूर नेता श्री वी० सी० चेट्टियार का मद्रास में स्वर्गवास।

१५　बन्दर तथा गोदी कर्मचारियों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल आरम्भ।

१६　बम्बई बन्दर क्षेत्र में संकटकालीन स्थिति की घोषणा।

१८　कोचीन में गोदी कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त।

—　पंचाटों, करारों तथा समझौतों को कार्यान्वित करने के कार्य का मूल्यांकन करने के लिए केन्द्र में एक त्रिदलीय समिति नियुक्त।

१९　भारत तथा अमेरिका द्वारा १० योजनाकार्य-करारों पर हस्ताक्षर जिनके अन्तर्गत भारत के विकासकार्य के लिए प्राविधिक सहायता प्राप्त होगी।

—　लेबनॉन में 'संयुक्त राष्ट्र संघीय पर्यवेक्षक दल' में सम्मिलित होने के लिए भारतीय सैनिक पर्यवेक्षकों का नयी दिल्ली से बेरुत को प्रस्थान।

—　'भारतीय विमान सेवा निगम' 'अन्तर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संस्था' का सदस्य नियुक्त।

२०　भारत तथा पाकिस्तान के प्रतिनिधियों द्वारा जिन्होंने फाजिल्का के गोलीकाण्ड की संयुक्त रूप से जाँच-पड़ताल की, अपनी-अपनी सरकारों को प्रतिवेदन समर्पित।

२१ असम में एक तेल-शोधक कारखाना (सार्वजनिक क्षेत्र में सर्वप्रथम) स्थापित करने के सम्बन्ध में समझौतावार्ता चलाने के लिए भारत के सरकारी प्रतिनिधिमण्डल का नयी दिल्ली से रूमानिया को प्रस्थान।

— पश्चिम जर्मनी से सात व्यक्तियों के एक समाचारपत्र-प्रकाशक प्रतिनिधिमण्डल का कलकत्ता में आगमन।

२२ 'मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद्' की नैनीताल में बैठक।

२३ अमेरिका द्वारा भारत को ७.५० करोड़ डालर का ऋण दिए जाने से सम्बन्धित दो करारों पर हस्ताक्षर।

— एक देश के वैमानिक संगठनों द्वारा दूसरे देश में कार्य-संचालन के सम्बन्ध में दोहरा कर न लगने देने के लिए भारत तथा स्विट्ज़रलैण्ड द्वारा एक करार पर हस्ताक्षर।

— केरल सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के परिवर्द्धित वेतन-स्तरों की घोषणा।

२४ पश्चिम बंगाल के शिविरों में रहने वाले विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए चार राज्यों में ग्यारह 'भूमि सर्वेक्षण मण्डलियाँ' नियुक्त।

— आन्ध्र प्रदेश विधान परिषद् के लिए हुए निर्वाचनों के परिणामों की घोषणा।

२५ अखिल भारतीय बन्दर तथा गोदी-कर्मचारी हड़ताल समाप्त।

— भारत तथा अमेरिका द्वारा एक करार पर हस्ताक्षर जिसके अनुसार भारत को उड़ीसा की लोहा खानों के विकास के लिए अमेरिका से २ करोड़ डालर का ऋण मिलेगा।

— भारत-पाकिस्तान सीमा पर सिलहट के निकट हुए उपद्रवों पर विचार-विमर्श के लिए असम तथा पूर्व पाकिस्तान के मुख्य सचिवों की ढाका में बैठक।

— भाखड़ा बाँध के प्रथम चरण का कार्य पूर्ण।

२६ पटसन उद्योग के लिए १ जुलाई से तोल की मीट्रिक प्रणाली लागू करने की घोषणा।

२७ कर्मचारी निर्वाह-निधि योजना, सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी संस्थाओं के अधीनस्थ प्रतिष्ठानों के लिए भी लागू।

— 'उड़ीसा ग्राम पंचायत जाँच समिति' द्वारा प्रतिवेदन प्रकाशित।

२८ बंगलोर औद्योगिक क्षेत्र का शिलान्यास।

३० पाकिस्तान को नहरी पानी की उपलब्धि सम्बन्धी व्यवस्था की जाँच-पड़ताल के लिए तीन सदस्यों वाली 'विश्व बैंक मण्डली' का नयी दिल्ली में आगमन।

— बंगलोर-स्थित 'हिन्दुस्तान मशीनी औज़ार कारखाना' की संयुक्त प्रबन्ध परिषद् का उद्घाटन।

जुलाई

१ सरहिन्द सहायक नहर का उद्घाटन।

४ 'दक्षिणी क्षेत्रीय छोटे सिंचाईकार्य सम्मेलन' हैदराबाद में आरम्भ।

४ जम्मू तथा कश्मीर नेशनल कान्फ्रेंस की श्रीनगर में बैठक ।

५ राजस्थान सरकार द्वारा 'राजस्थान राजधानी जाँच समिति' की सिफारिशें स्वीकृत ।

७ आन्ध्र प्रदेश विधान परिषद् का हैदराबाद में उद्घाटन ।

— दोहरा कर न लगने देने के लिए भारत तथा स्वीडन के बीच एक समझौता ।

८ बम्बई तथा मैसूर के मुख्यमन्त्री दोनों राज्यों के सीमा सम्बन्धी प्रश्न को निपटारे के लिए 'पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद्' के सुपुर्द करने पर सहमत ।

— 'दो आँखें बारह हाथ' शीर्षक भारतीय चलचित्र 'अन्तर्राष्ट्रीय कैथोलिक चलचित्र संगठन' द्वारा पुरस्कृत ।

९ केरल में विषाक्त खाद्य पदार्थों वाले मामलों की जाँच के लिए नियुक्त आयोग का प्रतिवेदन प्रकाशित ।

१० लाहौर-स्थित भारतीय उप-उच्चायुक्त का कार्यालय औपचारिक रूप से बन्द ।

— 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' द्वारा आयोजित परीक्षा विषयक विचारगोष्ठी का हैदराबाद में उद्घाटन ।

११ 'हिन्दी शिक्षा समिति' की नयी दिल्ली में बैठक ।

१२ 'गान्धी स्मारक निधि' द्वारा गान्धीवादी विचारधारा तथा आदर्शों के सम्बन्ध में शोधकार्य तथा अध्ययन को प्रोत्साहन देने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना का निर्णय ।

१३ समस्तीपुर के निकट अवध-तिरहुत डाकगाड़ी दुर्घटना में तीन व्यक्तियों की मृत्यु ।

— श्री श्रीमन्नारायण, योजना आयोग के सदस्य नियुक्त ।

१४ भारत सरकार की उर्दू सम्बन्धी नीति के स्पष्टीकरण के लिए एक वक्तव्य प्रकाशित ।

१५ राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच की व्यवस्था समाप्त ।

— 'खाद्य संरक्षण उद्योग विकास परिषद्' का नयी दिल्ली में उद्घाटन ।

१८ भारत सरकार के वैज्ञानिक नीति विषयक प्रस्ताव पर विचार करने के लिए वैज्ञानिकों, उपकुलपतियों तथा शिक्षाशास्त्रियों का सम्मेलन नयी दिल्ली में आरम्भ ।

२० चौधरी रिपोर्ट (प्रतिवेदन) में बन्दर तथा गोदी-कर्मचारियों के लिए सुझाए गए वेतन-स्तर सरकार द्वारा स्वीकृत ।

— श्री आर० वी० धुलेकर उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सभापति निर्वाचित ।

२२ बम्बई की 'आरे दुग्ध बस्ती' में भारत के सर्वप्रथम दुग्ध-निष्कीटण संयन्त्र का उद्घाटन ।

२३ भारत द्वारा ईराक के नये शासन को मान्यता ।

२४ भारत सरकार द्वारा 'दण्डकारण्य विकास प्राधिकारी संस्था' स्थापित करने का निर्णय ।

२५ 'भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था' का बम्बई में उद्घाटन ।

२६ 'सूती वस्त्र जाँच समिति' का प्रतिवेदन प्रकाशित ।

२६ उड़ीसा उच्च न्यायालय के सर्वप्रथम मुख्य न्यायाधीश श्री बी० के० रे का कटक में स्वर्गवास ।
२८ 'केरल प्रशासन सुधार समिति' द्वारा प्रतिवेदन समर्पित ।
२९ भारत में मध्यम पैमाने के उद्योगों के विस्तार के लिए नयी दिल्ली में भारत तथा अमेरिका द्वारा एक करार पर हस्ताक्षर ।
३० 'अखिल भारतीय समाचारपत्र-प्रकाशक सम्मेलन' नयी दिल्ली में आरम्भ ।

अगस्त

१ 'राष्ट्रीय नारी शिक्षा समिति' की मद्रास में बैठक ।
२ भारत-पाकिस्तान सीमा पर हुए हुसेनीवाला-काण्ड के सम्बन्ध में भारत द्वारा पाकिस्तान से विरोध प्रकट ।
— 'पूर्वी क्षेत्रीय परिषद्' की शिलङ् में बैठक ।
— भारत तथा इटली द्वारा एक असैनिक वायु-परिवहन करार पर नयी दिल्ली में हस्ताक्षर ।
३ 'विश्व युवक संगठन' के तृतीय महासम्मेलन का नयी दिल्ली में उद्घाटन ।
४ चतुर्थ 'अन्तर्राष्ट्रीय पत्र-मैत्री सम्मेलन" का नयी दिल्ली में उद्घाटन ।
६ सुप्रसिद्ध वीणावादक और मद्रास-स्थित कलाक्षेत्र के प्रधानाध्यापक तथा संगीत कला-निधि श्री साम्बशिव अय्यर का स्वर्गवास ।
७ 'केन्द्रीय उद्योग परामर्श परिषद्' की नयी दिल्ली में बैठक ।
— जापान तथा भारत द्वारा लोहा सम्बन्धी एक करार पर टोकियो में हस्ताक्षर ।
— आचार्य विनोबा भावे सामुदायिक नेतृत्व के लिए 'रेमन मैगसेसे' पुरस्कार से पुरस्कृत ।
८ 'पूर्वी क्षेत्रीय छोटे सिंचाईकार्य सम्मेलन' का कलकत्ता में उद्घाटन ।
९ भारतीय पब्लिक स्कूलों में बुनियादी शिक्षा लागू करने के प्रश्न की जाँच-पड़ताल के लिए एक समिति नियुक्त ।
१० 'दक्षिणी क्षत्रीय कृषि-शोध स्नातकोत्तर संस्था' काकोयमुत्तूर में उद्घाटन ।
११ कम्बोडिया के प्रधानमन्त्री राजकुमार नरोत्तम सिहनूक का नयी दिल्ली में आगमन ।
— आयुर्वेद चिकित्सा-प्रणाली के क्षेत्र में किए गए कार्य का मूल्यांकन करने के लिए एक समिति नियुक्त ।
१२ लोक सभा की सदस्या श्रीमती अनुसुयाबाई काले का बंगलोर में स्वर्गवास ।
— 'भारतीय प्रशासनिक सेवा' तथा 'भारतीय पुलिस सेवा' जम्मू तथा कश्मीर के राज्य के लिए भी लागू किए जाने के सम्बन्ध में लोक सभा में एक विधेयक पारित ।
— अहमदाबाद में शहीद स्मारकों के हटाए जाने के प्रश्न पर उपद्रव ।
— 'केन्द्रीय हरिजन तथा आदिमजातीय कल्याण परामर्श मण्डल' पुनस्संगठित ।

१४ दिल्ली तथा मास्को के बीच सीधी विमान सेवा का उद्घाटन ।

१५ संस्कृत के चार सुप्रसिद्ध विद्वान तथा अरबी के एक सुप्रसिद्ध विद्वान प्रमाणपत्रों से सम्मानित ।

— प्रोफेसर सत्येन्द्रनाथ बोस तथा डा० के० एस० कृष्णन राष्ट्रीय प्राध्यापक नियुक्त ।

— भारतीय राष्ट्रीय सन्दर्भग्रन्थ-सूची का प्रथम खण्ड प्रकाशित ।

१६ केरल राजभाषा समिति द्वारा १९६५ से सभी प्रशासनिक कार्यों के लिए राजभाषा के रूप में मलयालम का उपयोग करने की सिफारिश ।

१८ 'रेल-भाड़ा निर्धारण जाँच समिति' की सिफारिशों पर भारत सरकार के निर्णयों की घोषणा।

— दामोदर घाटी निगम के माइथन जलविद्युत् केन्द्र का उद्घाटन ।

१९ 'भारतविद्या समिति' की सर्वप्रथम बैठक का नयी दिल्ली में उद्घाटन ।

२० लोक सभा में भारत सरकार की खाद्य नीति पर प्रकाश ।

— अग्रणी मजदूर नेता श्री बी० पी० वाडिया का बंगलोर में स्वर्गवास ।

२१ पूर्व जर्मनी की एक फर्म के सहयोग से भारत में चलचित्र-दर्शित्रों (सिनेमेटोग्राफ) तथा एक्सरे-फिल्मों के निर्माण के लिए एक कारखाने की स्थापना के लिए स्वीकृति प्राप्त ।

२२ 'भारतीय शोध कारखाना (प्राइवेट) लिमिटेड' नयी दिल्ली में पंजीकृत ।

२३ औरंगाबाद में मराठवाडा विश्वविद्यालय स्थापित ।

२४ 'अन्तर्राष्ट्रीय कृषि-अर्थशास्त्री सम्मेलन' के दसवें अधिवेशन का मैसूर में उद्घाटन ।

२५ 'जीवन बीमा निगम' की नयी विनियोग नीति की लोक सभा में घोषणा ।

— 'संयुक्त राष्ट्र संघीय शिक्षा, समाज तथा संस्कृति संगठन' की दो सप्ताह चलने वाली 'दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व एशिया शिक्षा-सुधार विचारगोष्ठी' का कार्य नयी दिल्ली में आरम्भ।

२६ भारत के केन्द्रीय वित्त मन्त्री का ब्रिटेन, अमेरिका तथा कनाडा की यात्रा पर विमान द्वारा नयी दिल्ली से प्रस्थान ।

२७ उत्तर प्रदेश के राजस्व उपमन्त्री श्री परमात्मानन्द सिंह का लखनऊ में स्वर्गवास ।

२८ लोक सभा के सदस्य श्री त्रिभुवन नारायण सिंह, योजना आयोग के सदस्य नियुक्त ।

— दोहरा कर न लगने देने के लिए भारत-स्विस करार पर नयी दिल्ली में हस्ताक्षर ।

— अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, पश्चिम जर्मनी, जापान तथा विश्व बैंक द्वारा भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने के लिए भारत की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कमी की पूर्ति करने का वाशिंगटन में सम्मिलित रूप से निर्णय ।

३० भारत-पाकिस्तान सीमा सम्बन्धी विवादों के निपटारे के लिए कराची में 'भारत-पाकिस्तान सम्मेलन' आरम्भ ।

— 'आयात परामर्श परिषद्' की नयी दिल्ली में बैठक ।

३१ 'निर्यात प्रोत्साहन परिषद्' की नयी दिल्ली में बैठक ।

सितम्बर

१ आन्ध्र प्रदेश के आदिलाबाद जिले में कद्दम योजनाकार्य-क्षेत्र में बना बाँध कद्दम नदी में असाधारण बाढ़ आने के कारण टूटा।

— लोक सभा में भारत-पाकिस्तान नहरी पानी विवाद सम्बन्धी वक्तव्य।

४ उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा उ०प्र० मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध रखा गया अविश्वास का प्रस्ताव अस्वीकृत।

— ब्रिटेन की सरकार द्वारा भारत को ४ करोड़ पौण्ड का ऋण देने की घोषणा।

५ अमेरिकी स्थल-सेना मन्त्री श्री विल्बर एम० ब्रूकर का नयी दिल्ली में आगमन।

६ प्रतिरक्षा-उत्पादन प्रदर्शनी का नयी दिल्ली में उद्घाटन।

७ 'भारतीय रेल कोयला-उपभोग विशेषज्ञ समिति' का प्रतिवेदन प्रकाशित।

८ 'आधारभूत शिक्षा और सामुदायिक विकास में दृश्य सहायता का महत्व' सम्बन्धी 'संयुक्त राष्ट्र संघीय शिक्षा, समाज तथा संस्कृति संगठन' की क्षेत्रीय गोष्ठी का नयी दिल्ली में उद्घाटन।

६ पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री श्री फिरोज़ खाँ नून का नयी दिल्ली में आगमन।

११ भारत तथा पाकिस्तान के प्रधानमन्त्रियों का सम्मिलित वक्तव्य नयी दिल्ली में प्रकाशित।

— खाद्य स्थिति के विचारार्थ संसद् के दोनों सदनों के सभी दलों के सदस्यों का नयी दिल्ली में सम्मेलन।

— संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभा के तेरहवें अधिवेशन के लिए श्री वी० के० कृष्ण मेनन के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नयी दिल्ली से प्रस्थान।

— डा० पी० वी० चेरियन, मद्रास विधान परिषद् के सभापति पुनः निर्वाचित।

१२ खम्भात क्षेत्र में तेल मिलने की घोषणा।

— लोकसभा के सदस्य श्री एन०जी० रंगा 'सार्वजनिक लेखा समिति' के अध्यक्ष नियुक्त।

१३ 'प्रतिलिप्यधिकार (कापीराइट) अधिनियम, १६५७' के अन्तर्गत प्रतिलिप्यधिकार मण्डल स्थापित किए जाने की घोषणा।

१५ श्री एन० वी० गाडगिल द्वारा पंजाब के राज्यपाल-पद की शपथ-ग्रहण।

— भारत के केन्द्रीय वित्त मन्त्री का माण्ट्रियल में 'राष्ट्रमण्डलीय अर्थ तथा व्यापार सम्मेलन' में भाषण।

१६ प्रधानमन्त्री का भूटान के लिए प्रस्थान।

— एक-से कार्य के लिए पुरुषों तथा महिलाओं (मजदूरों) को समान मजदूरी दिए जाने से सम्बन्धित 'अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन' के अभिसमय (कन्वेन्शन) की भारत सरकार द्वारा पुष्टि।

१७ भारतीय रेलों के विकास के लिए भारत तथा विश्व बैंक द्वारा ८.५० करोड़ डालर के ऋण सम्बन्धी करार पर हस्ताक्षर।

१८ सुप्रसिद्ध दार्शनिक तथा विद्वान् डा० भगवान दास का वाराणसी में स्वर्गवास ।

१९ 'राष्ट्रीय रेल-यात्री परामर्श परिषद्' की नयी दिल्ली में बैठक ।

— 'राष्ट्रीय उत्पादन-क्षमता परिषद्' द्वारा नियुक्त एक मण्डली का उत्पादन-क्षमता विषयक विधियों तथा प्रक्रिया के अध्ययनार्थ छः सप्ताह की अध्ययन-यात्रा पर अमेरिका, पश्चिम जर्मनी तथा ब्रिटेन के लिए नयी दिल्ली से प्रस्थान ।

२० अन्तर्राष्ट्रीय छात्रावास का दिल्ली में उद्घाटन ।

२२ रुपये में भुगतान के आधार पर सोवियत रूस से इस्पात के आयात के लिए हुए एक ठेके पर हस्ताक्षर किए जाने की घोषणा ।

२३ राष्ट्रपति का जापान की राजकीय यात्रा पर नयी दिल्ली से प्रस्थान।

२४ 'दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्रीय विश्व स्वास्थ्य संगठन समिति' के ग्यारहवें अधिवेशन का नयी दिल्ली में उद्घाटन ।

२५ भारत द्वारा संयुक्त अरब गणराज्य के साथ एक सांस्कृतिक समझौते पर काहिरा में हस्ताक्षर ।

२६ विश्व बैंक के अध्यक्ष श्री ई० ब्लैक का नयी दिल्ली में आगमन ।

— भारत द्वारा 'अन्तर्राष्ट्रीय साहित्यिक तथा कलात्मक कृति-संरक्षण संघ' के बर्न अभिसमय पर स्वीकृति ।

२८ 'केन्द्रीय हरिजन-कल्याण तथा आदिमजातीय कल्याण मण्डलों' की नयी दिल्ली में बैठक ।

३० 'अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष' के प्रबन्ध-निदेशक श्री पर जैकबसन का नयी दिल्ली में आगमन ।

अक्तूबर

१ 'तिब्बतविद्या संस्था' का गंगटोक में उद्घाटन ।

— राज्यों के आवास मन्त्रियों का दार्जिलिंग में वार्षिक सम्मेलन ।

— तोल की मीट्रिक प्रणाली लागू ।

२ ब्रिटेन के फर्स्ट लार्ड ऑफ द एडमिरलटी—अर्ल ऑफ सेलकिर्क—का नयी दिल्ली में आगमन ।

— एक 'सूतीवस्त्र परामर्श मण्डल' स्थापित ।

३ शिमला में हुई 'पंजाब विभाजन परिषद्' की बैठक में अखण्ड पंजाब की सम्पत्तियों के बँटवारे पर सहमति ।

— सड़क परिवहन तथा अन्तर्देशीय जल परिवहन में अधिक से अधिक समन्वय स्थापित करने की दृष्टि से एक समिति नियुक्त ।

५ मध्य प्रान्त तथा बरार के भूतपूर्व कार्यवाहक गवर्नर श्री श्रीपाद बलवन्त ताम्बे (१९२९) का नागपुर में स्वर्गवास ।

६ अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम के तेरहवें मिलेजुले वार्षिक अधिवेशन का नयी दिल्ली में उद्घाटन।

८ 'भारत १९५८ प्रदर्शनी' का नयी दिल्ली में उद्घाटन।

— भारत के विधायी निकायों (विधान सभा तथा विधान परिषद्) के अध्यक्षों का दार्जिलिंग में वार्षिक सम्मेलन।

९ गेहूँ के क्रय के लिए कनाडा सरकार द्वारा ८८ लाख डालर का ऋण देने की घोषणा।

— 'केन्द्रीय पुरातत्व परामर्श मण्डल' की हैदराबाद में बैठक।

१२ पेरियर जलविद्युत् योजनाकार्य का उद्घाटन।

१३ पश्चिम जर्मनी की सरकार द्वारा भारत को ६ करोड़ डालर का ऋण देने की घोषणा।

१४ भारत तथा पश्चिम जर्मनी के बीच सीधी रेडियो-टेलीग्राफ तथा रेडियो फोटो सेवाएँ स्थापित।

१७ पश्चिम बंगाल में विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए 'पुनर्वास उद्योग निगम' स्थापित करने की घोषणा।

— संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि श्री आर्थर लाल न्यूज़ीलैण्ड द्वारा प्रशासित पश्चिमी समोआ को भेजी जाने वाली संयुक्त राष्ट्र संघीय मण्डली के नेता नियुक्त।

२० असम में एक तेल-शोध कारखाना स्थापित करने के लिए भारत तथा रूमानिया द्वारा बुखारेस्ट में एक करार पर हस्ताक्षर।

२१ हिमाचल प्रदेश विधान सभा के संविधान तथा उसकी कार्यवाही को वैध ठहराने के लिए एक अध्यादेश लागू।

— अखिल भारतीय महिला हॉकी चैम्पियनशिप में बम्बई विजयी।

२२ दक्षिणी क्षेत्र में रहने वाले भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के विभिन्न उपायों को कार्यरूप देने के लिए एक मन्त्रिमण्डलीय समिति स्थापित किए जाने की घोषणा।

— श्री आर० वेंकटरमण 'संयुक्त राष्ट्र संघीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण' में अपने पद पर पुनः निर्वाचित।

२३ सोवियत रूस की सरकार के प्रतिनिधियों के साथ व्यापार सम्बन्धी वार्ता के लिए एक सरकारी व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डल का नयी दिल्ली से मास्को को प्रस्थान।

— अर्ल हेयरवुड का सपत्नीक नयी दिल्ली में आगमन।

२४ 'अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी' की हैदराबाद में बैठक।

२५ मद्रास उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश श्री वी० रमेशम का मद्रास में स्वर्गवास।

— मन्नार में पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने की घटना की जाँच के लिए केरल सरकार द्वारा एक आयोग नियुक्त।

२६ एक अमेरिकी व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डल का भारत में आगमन ।
२७ 'अन्तर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ' की नयी दिल्ली में चौदहवीं वार्षिक बैठक ।
— 'दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद्' की त्रिवेन्द्रम में बैठक ।
— 'केन्द्रीय स्वायत्त शासन परिषद्' की नयी दिल्ली में बैठक ।
— पाँचवाँ 'अन्तर्विश्वविद्यालय युवक समारोह' नयी दिल्ली में आरम्भ ।
२९ युगाण्डा से पाँच सदस्यों के एक सद्भावना मण्डल का बम्बई में आगमन ।
३० राज्यों के राज्यपालों का नयी दिल्ली में वार्षिक सम्मेलन ।
— भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक की यह सिफारिश सिद्धान्ततः स्वीकृत किए जाने की घोषणा कि दूसरा बड़ा बन्दरगाह कलकत्ता क्षेत्र में ही स्थापित किया जाए ।

नवम्बर

१ पाँचवें 'रेडियो संगीत सम्मेलन' का नयी दिल्ली में उद्घाटन ।
— केन्द्रीय सरकार द्वारा 'वस्त्र जाँच समिति' की सिफारिशों पर अपने निर्णयों की घोषणा ।
२ 'कृषि प्रशासन समिति' का प्रतिवेदन प्रकाशित ।
३ 'विश्व स्वास्थ्य संगठन' का क्षेत्रीय सहायक उपचारण सेवा सम्मेलन दिल्ली में आरम्भ ।
— माही नदी के दाएँ किनारे की नहर का बम्बई में उद्घाटन।
४ उत्तर प्रदेश के श्रम मन्त्री आचार्य जुगल किशोर का त्यागपत्र स्वीकृत ।
— भारतीय हस्तशिल्प-वस्तुओं के आयात की सम्भावनाओं के अध्ययनार्थ 'अमेरिकी व्यापार विकास मण्डल' का मद्रास में आगमन ।
— 'अखिल भारतीय लघु उद्योग मण्डल' की शिलङ् में बैठक ।
५ भारत में विस्फोटक पदार्थ बनाने के कारखाने का गोमिया (बिहार) में उद्घाटन ।
— उत्तर प्रदेश मन्त्रिमण्डल के ३ राज्य-मन्त्रियों तथा ४ उपमन्त्रियों द्वारा मुख्यमन्त्री को संयुक्त रूप से त्यागपत्र समर्पित ।
— भारत के वकीलों के एक प्रतिनिधिमण्डल का मास्को के लिए प्रस्थान ।
— योजना आयोग की पुनर्गठित 'राष्ट्रीय जन सहयोग परामर्श समिति' की नयी दिल्ली में बैठक ।
— पूर्व जर्मनी के साथ हुए एक व्यापारिक करार पर नयी दिल्ली में हस्ताक्षर ।
— श्री वी० वेंकटप्प, मैसूर विधान परिषद् के सभापति निर्वाचित ।
— 'गोहाटी औद्योगिक क्षेत्र' का उद्घाटन ।
६ प्रथम 'अखिल भारतीय होटल मालिक सम्मेलन' नयी दिल्ली में आरम्भ ।
— तेरहवें 'अखिल भारतीय पशु-चिकित्सा सम्मेलन' का बंगलोर में उद्घाटन ।
८ 'राष्ट्रीय विकास परिषद्' की नयी दिल्ली में बैठक ।

८ भारत सरकार द्वारा 'होटल मानक तथा दर निर्धारण समिति' की मुख्य सिफारिशें स्वीकृत।
१० बड़ौदा के निकट वाडसर में परीक्षाणात्मक खुदाई वाले स्थान में तेल प्राप्त।
— अफगानिस्तान के व्यापार तथा वाणिज्य मन्त्री का नयी दिल्ली में आगमन।
— चलकुडि नदीक्षेत्र के पानी के विभाजन के सम्बन्ध में केरल तथा मद्रास सरकार के बीच समझौता।
११ 'अखिल भारतीय ईसाई सम्मेलन' बम्बई में आरम्भ।
१२ सानफ्रांसिस्को में हुए अन्तर्राष्ट्रीय चलचित्र समारोह में 'अपराजिता' के निर्देशन के लिए श्री सत्यजीत राय पुरस्कृत।
१३ मैसूर राज्य के कोलार क्षेत्र में अतिरिक्त स्वर्ण भण्डार पाए जाने की घोषणा।
१४ भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित कृत्रिम रबड़ संयन्त्र बरेली में स्थापित करने का निर्णय।
१५ 'राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (प्राइवेट) लिमिटेड' की स्थापना।
— पोलैण्ड के साथ हुई एक व्यापार सन्धि पर वारसा में हस्ताक्षर।
— भारत सरकार द्वारा सोवियत रूस के सहयोग से दक्षिण में एक थर्मल लिग्नाइट योजनाकार्य का काम आरम्भ करने के अपने निर्णय की घोषणा।
१६ सोवियत रूस तथा भारत में एक नया पंचवर्षीय व्यापार समझौता।
— 'केन्द्रीय मजदूर शिक्षा मण्डल' स्थापित।
१७ 'केन्द्रीय सिंचाई तथा विद्युत् मण्डल' की नयी दिल्ली में बैठक।
१८ कनाडा के प्रधानमन्त्री श्री जॉन. जी. डीफेनबेकर का नयी दिल्ली में आगमन।
— बम्बई में हुए' रोवर्स फुटबाल कप टूर्नामेण्ट' में बम्बई का कालटेक्स स्पोर्ट्स क्लब विजयी।
२० त्रिशूली बाज़ार के निकट एक जलविद्युत् योजनाकार्य को कार्यान्वित करने के लिए नेपाल तथा भारत द्वारा एक करार पर हस्ताक्षर।
२१ 'एशियाई क्षेत्रीय रोटरी इण्टरनेशनल सम्मेलन' का नयी दिल्ली में उद्घाटन।
२२ 'सूतीवस्त्र परामर्श मण्डल' की बम्बई में बैठक।
२५ भारत अन्तरिक्ष में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के अध्ययनार्थ स्थापित संयुक्त राष्ट्र संघ के १८ सदस्यों वाले दल का सदस्य निर्वाचित।
२७ नार्वे के प्रधानमन्त्री श्री ई० गर्हार्डसन का नयी दिल्ली में आगमन।
२८ जनरल दि गाल के व्यक्तिगत दूत तथा फ्रांस के निर्विभाग मन्त्री श्री एन्द्रे माल्त्रो का नयी दिल्ली में आगमन।
२९ श्री लंका के वाणिज्य तथा व्यापार मन्त्री श्री० आर० जी० सेनानायक का नयी दिल्ली में आगमन।
— नयी दिल्ली में खेले गए 'ड्यूरेण्ड फुटबाल ट्रॉफी टूर्नामेण्ट' में मद्रास रेजीमेण्टल सेण्टर विजयी।

दिसम्बर

१ श्री सी० वी० नरसिंहन संयुक्त राष्ट्र संघ में विशेष राजनीतिक मामलों के अवर सचिव नियुक्त ।

२ असम के प्रसिद्ध चिकित्सक तथा सामाजिक कार्यकर्ता श्री हरेकृष्ण दास का गोहाटी में स्वर्गवास ।

३ 'संयुक्त राष्ट्र संघीय शिक्षा, समाज तथा संस्कृति संगठन मरु प्रदेश पारिस्थिकी (एकोलौजी) विचार-गोष्ठी' का जयपुर में उद्घाटन ।

— मलय तथा इण्डोनीशिया की दो सप्ताह की यात्रा पर राष्ट्रपति का नयी दिल्ली से प्रस्थान ।

— एशिया तथा सुदूरपूर्व के पेट्रोलियम-संसाधनों के विकास के सम्बन्ध में नयी दिल्ली में एक विचारगोष्ठी का उद्घाटन ।

४ चतुर्थ 'भारतीय उड्डयन क्लब सम्मेलन' का नयी दिल्ली में उद्घाटन ।

५ सिलहट की सीमा पर भारत तथा पाकिस्तान में युद्ध-विराम समझौता ।

१० भारत 'संयुक्त राष्ट्र संघीय न्यासिता परिषद्' की 'स्वायत्तशासी क्षेत्र समिति' का सदस्य पुनः निर्वाचित ।

११ श्री विलसन जोन्स कलकत्ता में भारत की ओर से संसार का सर्वश्रेष्ठ शौकिया बिलियर्ड्स खिलाड़ी घोषित ।

१४ 'अखिल भारतीय किसान सम्मेलन' नयी दिल्ली में आरम्भ ।

१७ अहमदाबाद के निकट गांगड में प्रधानमन्त्री की आचार्य विनोबा भावे से भेंट तथा भूमि-समस्या पर परस्पर विचार-विमर्श ।

— मद्रास विधान परिषद् के विरोधी दल के सदस्य तथा भूतपूर्व उपनेता श्री वी० के० जॉन का मद्रास में स्वर्गवास ।

१९ इलाहाबाद विश्वविद्यालय का ७०वाँ जयन्ती-समारोह सम्पन्न ।

२० 'अखिल भारतीय आयोजन विचारगोष्ठी' की नयी दिल्ली में बैठक ।

— बंगलोर में सेण्ट्रल कालेज का शताब्दी समारोह ।

— द्वितीय देशव्यापी निर्वाचनों के सम्बन्ध में मुख्य निर्वाचन आयुक्त का प्रतिवेदन प्रकाशित ।

२२ घाना के प्रधानमन्त्री श्री क्वामे एंक्रूमा का बम्बई में आगमन ।

— न्यूयार्क के 'राष्ट्रीय चलचित्र समीक्षा मण्डल' द्वारा 'पथेर पांचाली' शीर्षक भारतीय चलचित्र १९५८ का सर्वोत्तम विदेशी चलचित्र घोषित ।

२४ भारत को १० करोड़ डालर का ऋण देने के लिए वाशिंगटन में एक करार पर हस्ताक्षर ।

२५ 'भारतीय इतिहास कांग्रेस' का २१वाँ अधिवेशन त्रिवेन्द्रम में आरम्भ ।

२६ 'दूर-संचार इंजीनियर संस्था' का नयी दिल्ली में वार्षिक सम्मेलन ।

— कटक में ३५वाँ 'अखिल भारतीय चिकित्सा सम्मेलन' आरम्भ ।

२६ 'भारतीय जन संघ' का वार्षिक अधिवेशन बंगलोर में आरम्भ।
२७ 'भारतीय दर्शन (फिलासफिकल) कांग्रेस' के ३९वें अधिवेशन का अहमदाबाद में उद्घाटन।
— 'भारतीय विज्ञान अकादेमी' की बड़ौदा में बैठक।
— 'अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन' का ३३वाँ अधिवेशन चण्डीगढ़ में आरम्भ।
— 'भारतीय अर्थ सम्मेलन' का ४१वाँ अधिवेशन लखनऊ में आरम्भ।
— 'भारतीय शल्य-चिकित्सक संघ' का २०वाँ वार्षिक सम्मेलन तथा 'भारतीय निश्चेतक संस्था' का १०वाँ वार्षिक सम्मेलन विशाखापटनम में आरम्भ।
२८ 'पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद्' की बम्बई में बैठक।
— 'अखिल भारतीय महिला सम्मेलन' कानपुर में आरम्भ।
— 'कलकत्ता गणितविद्या संस्था' का स्वर्ण जयन्ती समारोह आरम्भ।
२९ भारत तथा ईराक द्वारा एक व्यापार करार पर बगदाद में हस्ताक्षर।
— 'श्रमजीवी पत्रकार वेतन समिति' के सुझाव प्रकाशित।
— २० मील लम्बी रोहतक-गोहाना रेल लाइन का उद्घाटन।
— 'राष्ट्रीय युवक छात्रावास सम्मेलन' जयपुर में आरम्भ।
३० 'गान्धी शान्ति प्रतिष्ठान' स्थापित किए जाने की घोषणा।
— १२वाँ 'अखिल भारतीय वाणिज्य सम्मेलन' हुबली में आरम्भ।
३१ २१वाँ 'भारतीय राजनीति विज्ञान सम्मेलन' उज्जैन में आरम्भ।
— दूसरा 'अखिल भारतीय श्रम-अर्थ सम्मेलन' आगरा में आरम्भ।
— 'भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग' की त्रिवेन्द्रम में बैठक।
— 'भारतीय गणितविद्या सम्मेलन' का स्वर्ण जयन्ती अधिवेशन पूना में आरम्भ।
— भारत सरकार द्वारा 'भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड' की स्थापना।

—:o:—

तैंतीसवाँ अध्याय

सामान्य जानकारी

पूर्वता-अधिपत्र (वारण्ट ऑफ प्रिसीडेंस)

(१५ फरवरी, १९५८)*

१ राष्ट्रपति

२ उपराष्ट्रपति

३ प्रधानमन्त्री

४ राज्यपाल और जम्मू तथा कश्मीर का सदर-ए-रियासत (अपने-अपने क्षेत्रों में)

५ भूतपूर्व राष्ट्रपति तथा भूतपूर्व गवर्नर-जनरल

६ उपराज्यपाल (अपने-अपने क्षेत्रों में)

७ भारत का मुख्य न्यायाधिपति
लोक सभा का अध्यक्ष

८ केन्द्रीय सरकार के मन्त्रिमण्डलीय मन्त्री

९ 'भारत रत्न' सम्मान-प्रापक

१० भारत-स्थित विदेशी असामान्य तथा पूर्णाधिकारी राजदूत
भारत-स्थित राष्ट्रमण्डलीय देशों के उच्चायुक्त

११ भारतीय रजवाड़ों के राजे-महाराजे (१७ तथा उससे अधिक तोपों की सलामी वाले)
(अपने-अपने रजवाड़ों में)

१२ राज्यपाल और जम्मू तथा कश्मीर का सदर-ए-रियासत (अपने-अपने क्षेत्रों के बाहर)

१३ उपराज्यपाल (अपने-अपने क्षेत्रों के बाहर)

१४ भारतीय रजवाड़ों के राजे-महाराजे (१७ तथा उससे अधिक तोपों की सलामी वाले)
(अपने-अपने रजवाड़ों के बाहर)

१५ राज्यों के मुख्यमन्त्री

१६ केन्द्रीय राज्य-मन्त्री
योजना आयोग के सदस्य

---

* २० अगस्त, १९५८ तथा २ दिसम्बर, १९५८ को किए गए संशोधनों के अनुसार

१७ भारतीय रजवाड़ों के राजे-महाराजे (१५ अथवा १३ तोपों की सलामी वाले)

१८ भारत-स्थित विदेशी असामान्य दूत तथा पूर्णाधिकारी अमात्य

१६ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश

२० भारत के प्रथम श्रेणी के राजदूत (छुट्टी पर भारत आए हुए)
विदेशी राजदूत (भारत-यात्रा पर आए हुए)
भारत के उच्चायुक्त (छुट्टी पर भारत आए हुए) तथा अन्य राष्ट्रमण्डलीय देशों के उच्चायुक्त (भारत-यात्रा पर आए हुए)

२१ निःसृष्टार्थ तथा कार्यकारी उच्चायुक्त

२२ चीफ ऑफ स्टाफ (जनरल अथवा उसके समान पद वाले)

२३ उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश
राज्यों की विधान परिषदों के सभापति
राज्यों की विधान सभाओं के अध्यक्ष

२४ राज्यों के मन्त्रिमण्डलीय मन्त्री
केन्द्रीय उपमन्त्री
महान्यायवादी (एटर्नी-जनरल)
लेखा-नियन्त्रक तथा महा-लेखा-परीक्षक (कम्पट्रोलर एण्ड ऑडिटर-जनरल)
राज्य सभा के उपसभापति
लोक सभा के उपाध्यक्ष

२५ चीफ ऑफ स्टाफ (ले० जनरल अथवा उसके समान पद वाले)

२६ भारतीय रजवाड़ों के राजे-महाराज (११ अथवा ६ तोपों की सलामी वाले)

२७ केन्द्रीय लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष
मुख्य निर्वाचन आयुक्त
राज्यों के राज्य-मन्त्री

२८ उच्च न्यायालयों के अवर-न्यायाधीश

२६ राज्यों के उपमन्त्री
राज्यीय विधानमण्डलों के उपसभापति तथा उपाध्यक्ष
संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्त (अपने-अपने क्षेत्रों में)

३० संसद् के सदस्य

३१ जनरल अथवा उसके समान पद के पदाधिकारी
राष्ट्रपति का सचिव
भारत सरकार के सचिव तथा प्रधानमन्त्री का प्रधान निजी सचिव
भारत के द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के राजदूत (छुट्टी पर भारत आए हुए)
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिमजाति-आयुक्त
स्थानापन्न चीफ ऑफ स्टाफ (मेजर जनरल अथवा उसके समान पद वाले)

भारत के पूर्णाधिकारी अमात्य (छुट्टी पर भारत आए हुए) तथा विदेशी पूर्णाधिकारी अमात्य (भारत-यात्रा पर आए हुए)
रेल मण्डल का अध्यक्ष
रेल वित्त आयुक्त
महावादेक्षक (सॉलिसिटर-जनरल)
सिक्किम-स्थित राजनीतिक अधिकारी
रेल मण्डल के सदस्य

३२ पूर्णाधिकारी अमात्यों से भिन्न अन्य विदेशी तथा राष्ट्रमण्डलीय देशों के अमात्य
लें० जनरल अथवा उसके समान पद के सरकारी कर्मचारी

३३ भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव
तटकर आयोग का अध्यक्ष
केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग का अध्यक्ष
भारतीय कृषि शोध परिषद् का उपाध्यक्ष
वित्त मन्त्रालय (प्रतिरक्षा) का वित्तीय सलाहकार
केन्द्रीय राजस्व मण्डल का अध्यक्ष
सशस्त्र सेनाओं के पी० एस० ओ० (मेजर जनरल अथवा उसके समान पद वाले)

३४ राज्यीय लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष
राज्यीय सरकारों के मुख्य सचिव
वित्त आयुक्त
केन्द्रीय लोक सेवा आयोग के सदस्य
भारतीय जल-सेना टुकड़ी के फ्लैग आफिसर कमाण्डिंग
राजस्व मण्डल के सदस्य

३५ स्वास्थ्य सेवाओं का महा-निदेशक
डाक-तार विभाग का महा-निदेशक
गुप्तचर विभाग का निदेशक
रेलों के जनरल मैनेजर
भारत सरकार के प्रशासन अधिकारी
भारत सरकार के संयुक्त सचिव (मन्त्रिमण्डल का संयुक्त सचिव सहित)
भारत के चतुर्थ श्रेणी के राजदूत (छुट्टी पर भारत आए हुए)
मेजर जनरल अथवा उसके समान पद के सरकारी कर्मचारी
महा सर्वेक्षण- अधिकारी (सर्वेयर-जनरल)
तटकर आयोग के सदस्य
राज्यों के इन्स्पेक्टर-जनरल पुलिस
डिवीजनों के कमिश्नर

असैनिक उड्डयन विभाग का महा-निदेशक

उपलब्धि तथा निवर्तन (डिस्पोज़ल्स) विभाग का महा-निदेशक

शस्त्र निर्माणशालाओं (ऑर्डनेंस कारखानों) का महा-निदेशक

भारतीय जल-सेना के कमोडोर-इन-चार्ज

एयर-कमोडोर के पद के भारतीय वायु-सेना के सेनानायक

जल-सेना तथा वायु-सेना के मुख्यालयों के पी० एस० ओ० (कमोडोर तथा एयर कमोडोर)

संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्त (अपने-अपने क्षेत्रों के बाहर)

आकाशवाणी का महा-निदेशक

राष्ट्रपति का सैनिक सचिव

भारत-स्थित विदेशी तथा राष्ट्रमण्डलीय देशों के वाणिज्य दूत

उप-लेखा-परीक्षक तथा महा-लेखा-परीक्षक (डिप्टी कम्पट्रोलर तथा ऑडिटर जनरल)

गणराज्य दिवस पर सन्मान

भारत रत्न

यह सन्मान कला, साहित्य और विज्ञान की उन्नति के लिए किए गए असाधारण कार्य और सर्वोत्कृष्ट देश सेवा के लिए प्रदान किया जाता है।

इस सन्मान का सूचक पदक, पीपल के पत्तों के आकार का एक पदक होता है। जो २ ५/१६ इंच लम्बा, १ ७/८ इंच चौड़ा और १/८ इंच मोटा होता है। यह ठोस काँसे का बना होता है। इसके उपरले भाग में सूर्य की उभरी हुई आकृति (५/८ इंच के व्यास की) होती है जिसके नीचे उभरे हुए हिन्दी अक्षरों में 'भारत रत्न' लिखा होता हैं। इसके पिछले भाग पर राज-चिन्ह और हिन्दी में उद्देश्य-वाक्य होते हैं। सूर्य की आकृति, राज-चिन्ह और चारों ओर का किनारा प्लैटिनम का होता है और 'भारत रत्न' के अक्षर चमकीले काँसे के होते हैं।

१९५९ में यह सम्मान किसी को प्राप्त नहीं हुआ।

पद्म विभूषण

यह सन्मान असामान्य और विशिष्ट सेवा के लिए जिसमें सरकारी कर्मचारियों की सेवा भी सम्मिलित है, दिया जाता है।

इस सन्मान का सूचक पदक गोल आकार का होता है जिस पर एक ज्यामितिक आकार उभरा हुआ होता है। इसके गोलाकार भाग का व्यास १ ३/४ इंच होता है और मोटाई १/८ इंच। ऊपर के भाग के गोल हिस्से में कमल का पुष्प उभरा हुआ होता है। पुष्प के ऊपर 'पद्म' और नीचे 'विभूषण' शब्द हिन्दी में उभरे हुए होते हैं। पिछली ओर राज-

चिन्ह और हिन्दी में उद्देश्य-वाक्य होता है । ये भी ठोस काँसे के होते हैं । इसका घेरा, दोनों ओर के ज्यामितिक आकार और 'पद्म विभूषण' के अक्षर चमकीले काँसे के होते हैं । दोनों ओर के उभरे हुए भाग 'श्वेत स्वर्ण' के होते हैं ।

१९५९ के इस सम्मान के प्रापक :

१ जॉन मथाई
२ राधा विनोद पाल
३ गगनविहारी लल्लूभाई मेहता

पद्म भूषण

यह सम्मान किसी भी क्षेत्र में की गई विशिष्ट सेवा के लिए, जिसमें सरकारी कर्मचारियों की सेवा भी सम्मिलित है, दिया जाता है ।

इसकी बनावट भी 'पद्म विभूषण' के पदक जैसी ही है । उपरले भाग में 'पद्म' शब्द कमल के पुष्प के ऊपर और 'भूषण' शब्द पुष्प के नीचे उभरे होते हैं । इसका घेरा, 'पद्म-भूषण' के अक्षर और दोनों ओर के ज्यामितिक आकार चमकीले काँसे के होते हैं । दोनों ओर का उभरा हुआ भाग 'स्टैण्डर्ड सोने' का होता है ।

१९५९ के इस सम्मान के प्रापक :

१ अली यावर जंग—भारत के राजदूत, बेलग्रेड
२ भार्गवराम विट्ठल वरेरकर—मराठी लेखक तथा नाटककार, बम्बई
३ भाऊराव पायगौण्डा पाटील—शिक्षा-शास्त्री तथा सामाजिक कार्यकर्ता, बम्बई
४ श्रीमती धन्वन्ती राम राउ—सामाजिक कार्यकर्त्री, बम्बई
५ गुलाम याज़दानी—पुरातत्ववेत्ता, हैदराबाद
६ श्रीमती हंसा मनुभाई मेहता—सामाजिक कार्यकर्त्री तथा भूतपूर्व उपकुलपति, बड़ौदा विश्वविद्यालय
७ जाल कावस पेमास्टर—मुख्य शल्यचिकित्सक तथा अधीक्षक, टाटा कैंसर संस्था, बम्बई
८ कंकणहल्ली वासुदेवाचार्य—संगीतज्ञ तथा कर्नाटक संगीत के रचयिता, मद्रास
९ निर्मल कुमार सिद्धान्त—उपकुलपति, कलकत्ता विश्वविद्यालय
१० पम्मल साम्बन्द मुदलियार—तमिल नाटककार, मद्रास
११ रामधारी सिंह 'दिनकर'—हिन्दी कवि तथा लेखक, मुंगेर, बिहार
१२ शिशिर कुमार भादुरी—रंगमंच निर्देशक तथा अभिनेता, कलकत्ता
१३ तेनज़िंग नोरके—हिमालय पर्वतारोहण संस्था, दार्जिलिंग
१४ तिरुपत्तुर रामशेषय्यर वेंकटचल मूर्ति—प्राध्यापक (भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति), बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय

१९ शिवाजी राव पटवर्धन—कुष्ठ कार्यकर्ता, बम्बई
२० सुरेन्द्रनाथ कार—भूतपूर्व प्रधानाध्यापक, कला भवन, शान्तिनिकेतन

वीरता के लिए पुरस्कार

परम वीर चक्र

वीरता के लिए सर्वोच्च सम्मान का सूचक 'परम वीर चक्र' पदक है जो स्थल, जल अथवा आकाश में शत्रु के सम्मुख असीम शौर्य, अदम्य साहस अथवा आत्म-बलिदान के लिए भेंट किया जाता है।

यह कांस्य पदक गोलाकार होता है। इसके प्रमुख भाग के मध्य में राजचिन्ह के चारों ओर इन्द्र के वज्र की उभरी हुई ४ आकृतियाँ रहती हैं। दूसरी ओर मध्य में दो कमल पुष्प और हिन्दी तथा अंग्रेज़ी में 'परम वीर चक्र' शब्द अंकित रहते हैं।

यह पदक सवा इंच चौड़ी गुलाबी पट्टी के साथ वाम वक्ष पर लगाया जाता है।

१९५९ में यह पदक किसी को प्राप्त नहीं हुआ।

महा वीर चक्र

'महा वीर चक्र' का स्थान सम्मान की दृष्टि से दूसरा है और यह स्थल, जल अथवा आकाश में शत्रु के सम्मुख असीम शौर्य के लिए भेंट किया जाता है।

यह रजत पदक गोलाकार होता है। इसके प्रमुख भाग में एक पँचकोना नक्षत्र होता है जिसके गुम्बदाकार मध्य भाग में स्वर्णमण्डित राजचिन्ह की उभरी हुई आकृति रहती है। पदक के दूसरी ओर मध्य में दो कमल पुष्प और हिन्दी तथा अंग्रेज़ी में 'महा वीर चक्र' शब्द अंकित रहते हैं।

यह पदक सवा इंच चौड़ी सफेद और नारंगी रंग की मिलीजुली पट्टी के साथ वाम वक्ष पर इस प्रकार लगाया जाता है कि नारंगी रंग की पट्टी बाँएँ कन्धे की ओर रहे।

१९५९ में यह पदक किसी को प्राप्त नहीं हुआ।

वीर चक्र

'वीर चक्र' का स्थान स्थल, जल अथवा आकाश में शत्रु के सम्मुख शौर्य के लिए दिए जाने वाले पदकों में तीसरा है।

यह पदक भी चांदी का और गोलाकार होता है। इसके प्रमुख भाग में एक पँचकोना नक्षत्र होता है जिसके मध्य में अशोक चक्र अंकित रहता है। अशोक चक्र के गुम्बदाकार मध्य भाग में स्वर्णमण्डित राजचिन्ह होता है। पदक के दूसरी ओर मध्य में दो कमल पुष्प और हिन्दी तथा अंग्रेज़ी में 'वीर चक्र' शब्द अंकित रहते हैं।

यह पदक सवा इंच चौड़ी नीली और नारंगी रंग की मिलीजुली पट्टी के साथ वाम वक्ष पर इस प्रकार लगाया जाता है कि नारंगी रंग की पट्टी बाँएँ कन्धे की ओर रहे।

१९५९ में यह पदक किसी को प्राप्त नहीं हुआ।

अशोक चक्र—श्रेणी १

यह पदक स्थल, जल अथवा आकाश में असीम शौर्य, अदम्य साहस अथवा आत्म-बलिदान के लिए भेंट किया जाता है।

यह पदक सोने से मढ़ा हुआ गोलाकार होता है और इसके प्रमुख भाग में कमल-माल से घिरा हुआ अशोक चक्र उभरा रहता है। किनारे-किनारे कमल की पंखड़ियों, पुष्पों और कलियों की आकृतियाँ बनी रहती हैं। दूसरी ओर हिन्दी तथा अंग्रेजी में 'अशोक चक्र' शब्द उभरे रहते हैं जिनके मध्य का स्थान कमल पुष्पों से सुशोभित रहता है।

यह पदक सवा इंच चौड़ी हरे रंग की रेशमी पट्टी के साथ, जिसके मध्य में उसको दो समान भागों में विभक्त करने वाली एक खड़ी नारंगी रेखा होती है, वाम वक्ष पर लगाया जाता है।

१९५९ में यह पदक किसी को प्राप्त नहीं हुआ।

अशोक चक्र—श्रेणी २

यह गोलाकार रजत पदक असीम शौर्य के लिए भेंट किया जाता है। इसके दोनों ओर ठीक उसी प्रकार की आकृतियाँ होती हैं जैसी 'अशोक चक्र—श्रेणी १' की।

यह पदक सवा इंच चौड़ी हरे रंग की रेशमी पट्टी के साथ, जिस पर तीन बराबर भागों में विभक्त करने वाली दो खड़ी नारंगी रेखाएँ होती हैं, वाम वक्ष पर लगाया जाता है।

१९५९ में यह पदक निम्न व्यक्तियों को प्राप्त हुआ :

मेजर डालचन्द सिंह प्रताप
राइफलमैन जामन सिंह गुसाईं
राइफलमैन भीमबहादुर खत्री
क्राफ्टसमैन जयकरण
कप्तान हरबंस सिंह
जमादार इन्द्रबहादुर गुरंग

अशोक चक्र—श्रेणी ३

यह पदक वीरतापूर्ण कार्यों के लिए भेंट किया जाता है। काँसे के बने होने के अतिरिक्त यह पदक 'अशोक चक्र—श्रेणी १ तथा २' जैसा ही होता है।

यह पदक सवा इंच चौड़ी हरे रंग की रेशमी पट्टी के साथ, जिस पर चार बराबर भागों में विभक्त करने वाली तीन खड़ी नारंगी रेखाएँ होती हैं, वाम वक्ष पर लगाया जाता है।

१९५९ में यह पदक निम्न व्यक्तियों को प्राप्त हुआ :

मेजर नन्द लाल जामवाल
ले० प्रेम नारायण कक्कड़

हवलदार त्रिलोक सिंह
नायक गुलाबसिंह नेगी
नायक प्रेमसिंह नेगी
राइफलमैन रुद्रबहादुर थापा
जमादार बलबीर सिंह
हवलदार दीवान सिंह
नायक पूरन चन्द
सिपाही बेग राज
सूबेदार दाम्बर बहादुर राणा
जमादार मान बहादुर
नायक बिलबहादुर थापा
लैंस नायक नरबहादुर छेत्री
राइफलमैन लोक बहादुर तमांग
राइफलमैन सालिग राम राणा

विद्वानों को पुरस्कार

संस्कृत, फारसी तथा अरबी के प्रसिद्ध विद्वानों को १६५८ से प्रति वर्ष सम्मान-प्रमाण-पत्र तथा १,५०० रुपये के वित्तीय अनुदान दिए जाते हैं। १६५८ में ये प्रमाणपत्र तथा अनुदान निम्न विद्वानों को दिए गए :

संस्कृत :

विधुशेखर भट्टाचार्य
गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी
पाण्डुरंग वामन काणे
श्रीपाद कृष्णमूर्ति शास्त्री

अरबी :

मुहम्मद जुबैर सिद्दीकी

—:o:—

परिशिष्ट

: १ :

राजभाषा आयोग की सिफारिशें

संविधान के अनुच्छेद ३४४ की व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति ने जून, १९५५ में स्वर्गीय श्री बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में २१ व्यक्तियों का एक 'राजभाषा आयोग' नियुक्त किया। आयोग ने ६ अगस्त, १९५६ को राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन दे दिया। यह प्रतिवेदन बाद में १२ अगस्त, १९५७ को संसद् के दोनों सदनों में रखा गया। संसद् के दोनों सदनों की एक संसदीय समिति ने इस पर विचार किया। इस समिति का प्रतिवेदन २२ अप्रैल, १९५९ को संसद् में उपस्थित कर दिया गया।

आयोग की मुख्य सम्मतियाँ और सिफारिशें संक्षेप में इस प्रकार हैं : (१) भारतीय शासनपद्धति पूर्णतः लोकतन्त्र पर आधारित होने के कारण यह सम्भव नहीं है कि अंग्रेज़ी भाषा को भारत की जनता के विचारों के आदान-प्रदान का माध्यम बनाया जाए। समूचे भारत के लिए माध्यम के रूप में स्पष्टतः हिन्दी भाषा को ही अपनाना होगा। (२) इस समय यह निर्णय देना न तो आवश्यक है और न सम्भव कि १९६५ तक अंग्रेज़ी के स्थान पर हिन्दी का प्रयोग किया जाना व्यवहार्य है या नहीं। यह उस समय तक किए जाने वाले प्रयासों पर निर्भर होगा। (३) संविधान की नम्य व्यवस्थाओं को देखते हुए संविधान में संशोधन किए बिना ही अंग्रेज़ी का प्रयोग १५ वर्ष की अवधि के बाद भी जारी रखना सम्भव होगा। (४) अंग्रेज़ी के स्थान पर हिन्दी का प्रयोग कुछ सीमित ही रहेगा। हिन्दी अंग्रेज़ी का स्थान पूरी तरह ग्रहण नहीं कर सकेगी क्योंकि प्रादेशिक भाषाओं को भी उनका उचित स्थान देने की व्यवस्था रखी गई है। (५) इस समय केन्द्र के किसी भी कार्य के लिए अंग्रेज़ी के प्रयोग पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाना चाहिए। वैकल्पिक माध्यम के रूप में अंग्रेज़ी का प्रयोग किया जाना उस समय तक जारी रहने देना चाहिए जब तक ऐसा आवश्यक समझा जाए और काफी समय की पूर्व-सूचना दिए जाने के बाद ही इसका प्रयोग बन्द किया जाए। (६) संघ की भाषा के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं के लेखन के लिए देवनागरी लिपि के प्रयोग का विकल्प रखा जाना चाहिए। (७) केन्द्रीय सरकार को सेवाओं में भर्ती किए जाने वाले नये व्यक्तियों की एक योग्यता के रूप में हिन्दी के ज्ञान का उचित मानदण्ड निर्धारित करने का अधिकार होगा, बशर्ते कि उन व्यक्तियों को पर्याप्त पूर्व-सूचना

दे दी जाए और भाषा सम्बन्धी योग्यता का मानदण्ड कठोर न हो। (८) संघ की राजभाषा हिन्दी हो जाने के पश्चात् सर्वोच्च न्यायालय की सारी कार्यवाही हिन्दी भाषा में ही होगी। छोटे न्यायालयों की कार्यवाही प्रादेशिक भाषाओं में होगी। उच्च न्यायालयों में केवल एक ही भाषा का प्रयोग होगा। (९) अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों में माध्यमिक स्तर की शिक्षा में हिन्दी का अध्यापन अनिवार्य होना चाहिए। इसके बाद माध्यमिक स्कूलों में अंग्रेजी के अध्यापन की व्यवस्था मुख्यतः एक 'साहित्यिक भाषा' के रूप में रखी जाए बशर्ते कि किसी ने इसे स्वेच्छा से एक विषय के रूप में ही न अपनाया हो। (१०) आयोग इस सुझाव से सहमत नहीं है कि इसके बदले में हिन्दी-भाषी विद्यार्थियों के लिए हिन्दी-भिन्न कोई प्रादेशिक भाषा सीखना अनिवार्य रखा जाए। (११) आयोग चाहता है कि संघीय तथा प्रादेशिक भाषाओं के विकास के लिए एक 'राष्ट्रीय भाषा अकादेमी' स्थापित की जाए।

—:o:—

: २ :

५,०००-५,००० रुपये के नकद पुरस्कारों के लिए चुनी गई पुस्तकें
१९५८

भाषा	पुस्तक	लेखक
उड़िया	का (उपन्यास)	कान्हुचरण महन्ती
उर्दू	आतिशे गुल (कविताएँ)	जिगर मुरादाबादी
कन्नड़	अरलु-मरलु (कविताएँ)	दत्तात्रेय रामचन्द्र बेन्द्रे
कश्मीरी	सत सांगर (लघु कथाएँ)	अख्तर मुहिउद्दीन
गुजराती	दर्शन अने चिन्तन (दार्शनिक निबन्ध)	पं० सुखलाल जी
तमिल	चक्रवर्ती तिरुमगन (गद्य रामायण)	चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य
बंगला	आन्नदी बाई इत्यादि गल्प (लघु कथाएँ)	राज शेखर बोस
मराठी	बहुरूपी (आत्मकथा)	चिन्तामनराव कोल्हटकर
मलयालम	कॉलिज कालम (आत्मकथा)	के० पी० केशव मेनन
हिन्दी	मध्य एशिया का इतिहास	राहुल सांकृत्यायन

—:o:—

संगीत, नृत्य तथा नाटक के लिए पुरस्कार
१९५८-५९

हिन्दुस्तानी संगीत

गायन	...	कृष्णराव शंकर पण्डित
वादन	...	उस्ताद जहाँगीर खाँ

कर्नाटक संगीत

गायन	...	जी० एन० बालसुब्रह्मण्यम
वादन	...	राजमाणिकम पिल्ले

नृत्य

भरतनाट्यम	...	गौरी अम्मा
कत्थक	...	सुन्दर प्रसाद

नाटक

अभिनय	...	पी० साम्बन्द मुदलियार
निर्देशन	...	शम्भु मित्र

चलचित्र

अभिनय	...	अशोक कुमार
निर्देशन	...	सत्यजित राय

—:o:—

ललित कला अकादेमी के पुरस्कार
१९५९

आधुनिक कला

राघव आर० कानेरिया
ए० एस० जगन्नाथन
मुहम्मद यासीन

यथार्थवादी कला

रतन वाडके
सुनील कुमार दास
दीपक प्रसाद बनर्जी

पौर्वात्य कला

पी० खेमराज
भगवान कपूर
बिहारी बरभय्या

वर्ष का सर्वोत्तम चित्र

मुहम्मद यासीन

—:०:—

: ३ :

चलचित्र पुरस्कार

(१९५८ में निर्मित चलचित्रों के लिए)

पुरस्कार	चलचित्र	भाषा	निर्माता
सर्वोत्तम रूपक चलचित्र के लिए राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक तथा २५,००० रुपये का नकद पुरस्कार	'सागर संगमे'	बंगला	
द्वितीय सर्वोत्तम रूपक चलचित्र के लिए योग्यता का प्रमाणपत्र तथा १२,५०० रुपये का नकद पुरस्कार	'जलसा घर'	बंगला	अरोड़ा फिल्म कार्पोरेशन, कलकत्ता
तृतीय सर्वोत्तम रूपक चलचित्र के लिए योग्यता का प्रमाणपत्र	'स्कूल मास्टर'	कन्नड़	पद्मिनी पिक्चर्स, मद्रास
हिन्दी के सर्वोत्तम रूपक चलचित्र के लिए राष्ट्रपति का रजत पदक	'मधुमती'	हिन्दी	विमल राय, बम्बई
हिन्दी के द्वितीय सर्वोत्तम रूपक चलचित्र के लिए योग्यता का प्रमाणपत्र	'लाजवन्ती'	हिन्दी	डी-लक्स फिल्म्स, बम्बई

पुरस्कार	चलचित्र	भाषा	निर्माता
हिन्दी के तृतीय सर्वोत्तम रूपक चलचित्र के लिए योग्यता का प्रमाणपत्र	'कारीगर'	हिन्दी	वसन्त जोगलेकर, बम्बई
मराठी के सर्वोत्तम रूपक चलचित्र के लिए योग्यता का प्रमाणपत्र	'धाकटी जाऊ'	मराठी	वामनराव कुलकर्णी तथा विष्णुपन्त चव्हाण, पूना
बंगला के सर्वोत्तम रूपक चलचित्र के लिए राष्ट्रपति का रजत पदक	'सागर संगमे'	बंगला	
बंगला के द्वितीय सर्वोत्तम रूपक चलचित्र के लिए योग्यता का प्रमाणपत्र	'जलसा घर'	बंगला	अरोड़ा फिल्म कार्पोरेशन, कलकत्ता
बंगला के तृतीय सर्वोत्तम रूपक चलचित्र के लिए योग्यता का प्रमाणपत्र	'डाक हरकारा'	बंगला	अग्रगामी प्रोडक्शन्स, कलकत्ता
असमिया के सर्वोत्तम रूपक चलचित्र के लिए राष्ट्रपति का रजत पदक	'रोंगा पुलिस'	असमिया	मिलिशिया शिल्पी सिने प्रोडक्शन, जोरहाट
तमिल के सर्वोत्तम रूपक चलचित्र के लिए योग्यता का प्रमाणपत्र	'तंग्पफद्रुमइ'	तमिल	जुपीटर पिक्चर्स, मद्रास
तमिल के द्वितीय सर्वोत्तम रूपक चलचित्र के लिए योग्यता का प्रमाणपत्र	'अन्नइयिन आणइ'	तमिल	पैरागॉन पिक्चर्स, मद्रास
तेलुगु के सर्वोत्तम रूपक चलचित्र के लिए राष्ट्रपति का रजत पदक	'पेल्लिनाटि प्रमाणालु'	तेलुगु	जयन्ति पिक्चर्स, मद्रास
तेलुगु के द्वितीय सर्वोत्तम रूपक चलचित्र के लिए योग्यता का प्रमाणपत्र	'मांगल्य बलम'	तेलुगु	अन्नपूर्णा पिक्चर्स, मद्रास

पुरस्कार	चलचित्र	भाषा	निर्माता
कन्नड़ के सर्वोत्तम रूपक चलचित्र के लिए राष्ट्रपति का रजत पदक	'स्कूल मास्टर'	कन्नड़	पद्मिनी पिक्चर्स, मद्रास
मलयालम के सर्वोत्तम रूपक चलचित्र के लिए योग्यता का प्रमाणपत्र	'नायर पीडिचा पुलिवाल'	मलयालम	एसोशिएटेड प्रोड्यूसर्स, मद्रास
मलयालम के द्वितीय सर्वोत्तम रूपक चलचित्र के लिए योग्यता का प्रमाणपत्र	'रण्डिडंगलि'	मलयालम	नील प्रोक्डशान्स, त्रिवेन्द्रम
सर्वोत्तम वृत्त चलचित्र के लिए राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक तथा ५,००० रुपये का नकद पुरस्कार	'राधा कृष्ण'	अंग्रेज़ी	चलचित्र विभाग, बम्बई
द्वितीय सर्वोत्तम वृत्त चलचित्र के लिए योग्यता का प्रमाणपत्र तथा २,५०० रुपये का नकद पुरस्कार	'द स्टोरी ऑफ डा० कर्वे'	अंग्रेज़ी	चलचित्र विभाग, बम्बई
तृतीय सर्वोत्तम वृत्त चलचित्र के लिए योग्यता का प्रमाणपत्र	'काल ऑफ द माउण्टेन्स'	अंग्रेज़ी	चलचित्र विभाग, बम्बई
सर्वोत्तम बाल चलचित्र के लिए योग्यता का प्रमाणपत्र	'विरसा एण्ड द मैजिक डॉल'	अंग्रेज़ी	लिटिल सिनेमा, कलकत्ता

—:o:—

: ४ :

देय आय कर

(१९५८-५९ की दरों से कुल आय पर कर)

(रुपये)

आय	विवाहित व्यक्ति		एक सन्तान वाले विवाहित व्यक्ति		एक से अधिक सन्तान वाले विवाहित व्यक्ति		अविवाहित व्यक्ति	
	अर्जित	अनर्जित	अर्जित	अनर्जित	अर्जित	अनर्जित	अर्जित	अनर्जित
१	२	३	४	५	६	७	८	९
३,०००	...	...	...	...	...	...	...	...
३,२००	६	६	...	...	...	...	६६	६६
३,६००	१८	१८	९	९	...	...	७८	७८
४,२००	३६	३६	२७	२७	१८	१८	९६	९६
४,८००	५४	५४	४५	४५	३६	३६	११४	११४
५,०००	६०	६०	५१	५१	४२	४२	१२०	१२०
६,०००	१२०	१२०	१११	१११	१०२	१०२	१८०	१८०
७,२००	१९२	१९२	१८३	१८३	१७४	१७४	२५२	२५२
८,४००	३०५	३४९	२९६	३३८	२८७	३२८	३६९	४२१
९,६००	४१९	४७९	४०९	४६८	४००	४५७	४८२	५५१
१०,०००	४५७	५२२	४४७	५१०	४३८	५००	५२०	५९४
१२,०००	६८८	७८६	६७८	७७५	६६९	७६४	७५१	८५८
१३,२००	८४८	९७०	८३९	९५९	८२९	९४८	९११	१,०४२
१४,४००	१,०२५	१,१७१	१,०१५	१,१६०	१,००६	१,१५०	१,०८८	१,२४३
१५,०००	१,११३	१,२७२	१,१०३	१,२६१	१,०९४	१,२५०	१,१७६	१,३४४
१६,८००	१,४५३	१,६६१	१,४४४	१,६५०	१,४३४	१,६३९	१,५१६	१,७३३
१८,०००	१,६८०	१,९२०	१,६७०	१,९०९	१,६६१	१,८९८	१,७४३	१,९९२
२०,०००	२,०५८	२,३५२	२,०४८	२,३४१	२,०३९	२,३३०	२,१२१	२,४२४
२४,०००	३,३८१	३,८६४	३,३८१	३,८६४	३,३८१	३,८६४	३,३८१	३,८६४

१	२	३	४	५	६	७	८	९
२५,०००	३,६९६	४,२२४	३,६९६	४,२२४	३,६९६	४,२२४	३,६९६	४,२२४
३०,०००	५,७९६	६,६२४	५,७९६	६,६२४	५,७९६	६,६२४	५,७९६	६,६२४
३६,०००	८,६३१	९,८६४	८,६३१	९,८६४	८,६३१	९,८६४	८,६३१	९,८६४
४०,०००	१०,५२१	१२,०२४	१०,५२१	१२,०२४	१०,५२१	१२,०२४	१०,५२९	१२,०२४
४२,०००	११,६७६	१३,३४४	११,६७६	१३,३४४	११,६७६	१३,३४४	११,६७६	१३,३४४
४५,०००	१३,४०८	१५.३२४	१३,४०८	१५,३२४	१३,४०८	१५,३२४	१३,४०८	१५,३२४
४८,०००	१५,१४१	१७,३०४	१५,१४१	१७,३०४	१५,१४१	१७,३०४	१५,१४१	१७,३०४
५५,०००	१९,४४६	२२,२२४	१९,४४६	२२,२२४	१९,४४६	२२,२२४	१९,४४६	२२,२२४
६०,०००	२२,५९६	२५,८२४	२२,५९६	२५,८२४	२२,५९६	२५,८२४	२२,५९६	२५,८२४
६६,०००	२६,६९१	३०,५०४	२६,६९१	३०,५०४	२६,६९१	३०,५०४	२६,६९१	३०,५०४
७०,०००	२९,४२१	३३,६२४	२९,४२१	३३,६२४	२९,४२१	३३,६२४	२९,४२१	३३,६२४
७२,०००	३०,८९१	३५,३०४	३०,८९१	३५,३०४	३०,८९१	३५,३०४	३०,८९१	३५,३०४
८४,०००	३९,७११	४५,३८४	३९,७११	४५,३८४	३९,७११	४५,३८४	३९,७११	४५,३८४
८५,०००	४०,४४६	४६,२२४	४०,४४६	४६,२२४	४०,४४६	४६,२२४	४०,४४६	४६,२२४
९०,०००	४४,१२१	५०,४२४	४४,१२१	५०,४२४	४४,१२१	५०,४२४	४४,१२१	५०,४२४
९६,०००	४८,५३१	५५,४६४	४८,५३१	५५,४६४	४८,५३१	५५,४६४	४८,५३१	५५,४६४
१,००,०००	५१ ४७१	५८,८२४	५१,४७१	५८,८२४	५१,४७१	५८,८२४	५१,४७१	५८,८२४
१,५०,०००	८९,९७१	१,००,८२४	८९,९७१	१,००,८२४	८९,९७१	१,००,८२४	८९,९७१	१,००,८२४
२,००,०००	१,२८,४७१	१,४२,८२४	१,२८,४७१	१,४२,८२४	१,२८,४७१	१,४२,८२४	१,२८,४७१	१,४२,८२४
२,५०,०००	१,६६,९७१	१,८४,८२४	१,६६,९७१	१,८४,८२४	१,६६,९७१	१,८४,८२४	१,६६,९७१	१,८४,८२४
३,००,०००	२,०५,४७१	२,२६,८२४	२,०५,४७१	२,२६,८२४	२,०५,४७१	२,२६,८२४	२,०५,४७१	२,२६,८२४
३,५०,०००	२,४३,९७१	२,६८,८२४	२,४३,९७१	२,६८,८२४	२,४३,९७१	२,६८,८२४	२,४३,९७१	२,६८,८२४
४,००,०००	२,८२,४७१	३,१०,८२४	२,८२,४७१	३,१०,८२४	२,८२,४७१	३,१०,८२४	२,८२,४७१	३,१०,८२४
५,००,०००	३,५९,४७१	३,९४,८२४	३,५९,४७१	३,९४,८२४	३,५९,४७१	३,९४,८२४	३,५९,४७१	३,९४,८२४
१०,००,०००	७,४४,४७१	८,१४,८२४	७,४४,४७१	८,१४,८२४	७,४४,४७१	८,१४,८२४	७,४४,४७१	८,१४,८२४
२०,००,०००	१५,१४,४७१	१६,५४,८२४	१५,१४,४७१	१६,५४,८२४	१५,१४,४७१	१६,५४,८२४	१५,१४,४७१	१६,५४,८२४
३०,००,०००	२२,८४,४७१	२४,९४,८२४	२२,८४,४७१	२४,९४,८२४	२२,८४,४७१	२४,९४,८२४	२२,८४,४७१	२४,९४,८२४

सम्पदा शुल्क की दरें

भाग १

उस प्रत्येक सम्पत्ति के सम्बन्ध में जो किसी व्यक्ति की मृत्यु पर दूसरे व्यक्ति को मिलती अथवा मिली समझी जाती है :

	शुल्क दर
(१) सम्पदा के मुख्य मूल्य के प्रथम ५०,००० रुपये पर	कुछ नहीं
(२) सम्पदा के मुख्य मूल्य के अगले ५०,००० रुपये पर	६ प्रतिशत
(३) सम्पदा के मुख्य मूल्य के अगले ५०,००० रुपये पर	८ प्रतिशत
(४) सम्पदा के मुख्य मूल्य के अगले ५०,००० रुपये पर	१० प्रतिशत
(५) सम्पदा के मुल्य मूल्य के अगले १,००,००० रुपये पर	१२ प्रतिशत
(६) सम्पदा के मुख्य मूल्य के अगले २,००,००० रुपये पर	१५ प्रतिशत
(७) सम्पदा के मुख्य मूल्य के अगले ५,००,००० रुपये पर	२० प्रतिशत
(८) सम्पदा के मुख्य मूल्य के अगले १०,००,००० रुपये पर	२५ प्रतिशत
(९) सम्पदा के मुख्य मूल्य के अगले १०,००,००० रुपये पर	३० प्रतिशत
(१०) सम्पदा के मुख्य मूल्य के अगले २०,००,००० रुपये पर	३५ प्रतिशत
(११) शेष सम्पदा पर	४० प्रतिशत

भाग २

खण्ड २०क में उल्लिखित कम्पनी के मृतक व्यक्ति के हिस्सों अथवा ऋणपत्रों के सम्बन्ध में :

	शुल्क दर
(१) यदि हिस्सों अथवा ऋणपत्रों का मुख्य मूल्य ५,००० से अधिक न हो	कुछ नहीं
(२) यदि हिस्सों अथवा ऋणपत्रों का मुख्य मूल्य ५,००० रुपये से अधिक हो	७½ प्रतिशत

—:०:—

धन कर की दरें

भाग १

क. प्रत्येक व्यक्ति के सम्बन्ध में :

	कर की दर
(१) शुद्ध धन के प्रथम २ लाख रुपयों पर	कुछ नहीं
(२) शुद्ध धन के अगले १० लाख रुपयों पर	½ प्रतिशत
(३) शुद्ध धन के अगले १० लाख रुपयों पर	१ प्रतिशत
(४) शेष शुद्ध धन पर	१½ प्रतिशत

ख. प्रत्येक हिन्दू संयुक्त परिवार के सम्बन्ध में :

(१) शुद्ध धन के प्रथम ४ लाख रुपयों पर	कुछ नहीं
(२) शुद्ध धन के अगले ६ लाख रुपयों पर	½ प्रतिशत
(३) शुद्ध धन के अगले १० लाख रुपयों पर	१ प्रतिशत
(४) शेष शुद्ध धन पर	१½ प्रतिशत

भाग २

प्रत्येक कम्पनी के सम्बन्ध में :

(१) शुद्ध धन के प्रथम ५ लाख रुपयों पर	कुछ नहीं
(२) शेष शुद्ध धन पर	½ प्रतिशत

—:०:—

व्यय कर की दरें

प्रत्येक व्यक्ति तथा हिन्दू संयुक्त परिवार के सम्बन्ध में कराधान-योग्य व्यय के उस भाग पर जो :

(१) १०,००० रुपये से अधिक न हो	१० प्रतिशत
(२) १०,००० रुपये से अधिक हो किन्तु २०,००० रुपये से अधिक न हो	२० प्रतिशत
(३) २०,००० रुपये से अधिक हो किन्तु ३०,००० रुपये से अधिक न हो	४० प्रतिशत
(४) ३०,००० रुपये से अधिक हो किन्तु ४०,००० रुपये से अधिक न हो	६० प्रतिशत
(५) ४०,००० रुपये से अधिक हो किन्तु ५०,००० रुपये से अधिक न हो	८० प्रतिशत
(६) ५०,००० रुपये से अधिक हो	१०० प्रतिशत

—:०:—

: ५ :

राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट

१२-वर्षीय सर्टिफिकेट

मूल मूल्य : ५;१०;५०;१००;५००;१,००० तथा ५,००० रुपये

परिपाक मूल्य : ७.५०;१५;७५;१५०;७५०;१,५०० तथा ७,५०० रुपये

७-वर्षीय सर्टिफिकेट

मूल मूल्य : ५;१०;५०;१००;१,००० तथा ५,००० रुपये

परिपाक मूल्य : ६.२५;१२.५०;६२.५०;१२५;१,२५० तथा ६,२५० रुपये

५-वर्षीय सर्टिफिकेट

मूल मूल्य :　　५; १०; ५०; १००; १,००० तथा ५,००० रुपये

परिपाक मूल्य :　　५.७५; ११.५०; ५७.५०; ११५; १,१५० तथा ५,७५० रुपये

एक व्यक्ति अकेले २५,००० रुपये तक के सर्टिफिकेट खरीद सकता है, किन्तु दो व्यक्ति मिलकर ५०,००० रुपये तक के सर्टिफिकेट खरीद सकते हैं। ५-वर्षीय तथा ७-वर्षीय सर्टिफिकेट किसी भी समय भुनाए जा सकते हैं किन्तु १२-वर्षीय सर्टिफिकेट निर्धारित अवधि की समाप्ति पर ही भुनाए जा सकते हैं।

—:o:—

चालू डाक दर

अंतर्देशीय पत्र

डेढ़ तोले तक	१५ नये पैसे
प्रत्येक अतिरिक्त डेढ़ तोले अथवा उसके भाग के लिए	१० नये पैसे

पोस्टकार्ड

१. स्थानीय	(क) अकेला	३ नये पैसे
	(ख) जवाबी	६ नये पैसे
२. सामान्य	(क) अकेला	५ नये पैसे
	(ख) जवाबी	१० नये पैसे
३. लेटर कार्ड		१० नये पैसे

बुक पैकेट (छपी हुई पुस्तक नहीं), पैटर्न तथा सैम्पल पैकेट

५ तोले तक	८ नये पैसे
प्रत्येक अतिरिक्त ढाई तोले अथवा उसके भाग के लिए	३ नये पैसे

छपी हुई पुस्तकों वाले बुक पैकेट

५ तोले तक	५ नये पैसे
प्रत्येक अतिरिक्त ढाई तोले अथवा उसके भाग के लिए	३ नये पैसे

पंजीकृत समाचारपत्र

१० तोले तक	२ नये पैसे
१० तोले से २० तोले तक	३ नये पैसे
प्रत्येक अतिरिक्त २० तोले अथवा उसके भाग के लिए	३ नये पैसे

पार्सल

४० तोले तक	५० नये पैसे
प्रत्येक अतिरिक्त ४० तोले अथवा उसके भाग के लिए	५० नये पैसे
अधिकतम भार	१,००० तोले अथवा १२½ सेर

४० तोले से अधिक के पार्सल पंजीकृत कराए जाने चाहिएँ

पंजीयन

पंजीयन शुल्क	५० नये पैसे प्रत्येक वस्तु

बीमा

उन वस्तुओं के लिए जिनका १०० रुपये तक का बीमा कराया गया हो	३७ नये पैसे
१०० रुपये तक के प्रत्येक अतिरिक्त बीमे के लिए	२० नये पैसे

अधिक से अधिक ५,००० रुपये का बीमा कराया जा सकता है

हवाई डाक

पत्रों, पोस्टकार्डों तथा लेटर कार्डों के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं

पैकेटों के लिए सामान्य डाक-व्यय के अलावा प्रत्येक तोले पर ४ नये पैसे का अधिभार

अन्तर्देशीय हवाई पार्सलों के लिए प्रत्येक २० तोले अथवा उसके भाग के लिए ६३ नये पैसे के अधिभार सहित

—:०:—

विदेशी डाक

पत्र

१ औंस तक	३३ नये पैसे
प्रत्येक अतिरिक्त १ औंस अथवा उसके भाग के लिए	२० नये पैसे

पोस्टकार्ड

अकेला	२० नये पैसे
जवाबी	४० नये पैसे

मुद्रित सामग्री	
प्रथम २ औंस के लिए	८ नये पैसे
प्रत्येक अतिरिक्त २ औंस अथवा उसके भाग के लिए	७ नये पैसे
पंजीकृत समाचारपत्र	
प्रत्येक २ औंस अथवा उसके भाग के लिए	४ नये पैसे
कारोबारी पत्र	
प्रथम २ औंस के लिए	८ नये पैसे
प्रत्येक अतिरिक्त २ औंस अथवा उसके भाग के लिए	७ नये पैसे
न्यूनतम शुल्क	३३ नये पैसे
सैम्पल पैकेट	
प्रथम २ औंस के लिए	८ नये पैसे
प्रत्येक अतिरिक्त २ औंस अथवा उसके भाग के लिए	७ नये पैसे
न्यूनतम शुल्क	१६ नये पैसे

—:o:—

विविध

मनीआर्डर	
प्रत्येक १० रुपये अथवा उसके भाग के लिए	१५ नये पैसे

तार द्वारा मनीआर्डर

तार द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक मनीआर्डर के शुल्क में जितने रुपये भेजने हों उतने के लिए सामान्य मनीआर्डर शुल्क के अलावा तार का शुल्क तथा १५ नये पैसे का अधिभार

पोस्टल आर्डर	
५ रुपये तक के प्रत्येक पोस्टल आर्डर के लिए	५ नये पैसे
५ रुपये से १० रुपये तक के प्रत्येक पोस्टल आर्डर के लिए	१० नये पैसे
एक्सप्रेस डिलीवरी	१३ नये पैसे
कारोबारी जवाबी पोस्टकार्ड तथा लिफाफे (वार्षिक)	१० रुपये
पोस्ट बॉक्स तथा बैग्स	
वार्षिक	१५ रुपये
तिमाही	५ रुपये

पोस्ट बॉक्स तथा बैग्स (वार्षिक)	२० रुपये
पोस्ट बॉक्स तथा बैग्स (तिमाही)	६ रुपये

अन्तर्देशीय तार

भारत, पाकिस्तान, बर्मा अथवा श्रीलंका के स्थानों को भेजे जाने वाले तथा वहाँ से प्राप्त किए जाने वाले तार अन्तर्देशीय तार माने जाते हैं। इनके शुल्क निम्न प्रकार हैं :

	एक्सप्रेस (रु०)	*आर्डिनरी* (रु०)
भारत में		
न्यूनतम शुल्क (८ शब्द)	१.६०	०.८०
प्रत्येक अतिरिक्त शब्द के लिए	०.१६	०.०८
पाकिस्तान तथा बर्मा में		
न्यूनतम शुल्क (८ शब्द)	२.७५	१.३७
प्रत्येक अतिरिक्त शब्द के लिए	०.२५	०.१३
समाचारपत्र तार : भारत में		
न्यूनतम शुल्क (५० शब्द)	१.५०	०.७५
प्रत्येक अतिरिक्त ५ शब्दों के लिए	१.१३	०.०७

बधाई के तार

बधाई के तार भारत में किन्हीं दो तारघरों के बीच उत्सवों के अवसरों पर विशेष रूप से कम दरों पर भेजे जा सकते हैं :

क. प्रेषिती का नाम तथा पता (४ शब्द)

ख. संख्या में अंकित बधाई (१ शब्द)

ग. प्रेषक का नाम (१ शब्द)

	एक्सप्रेस (रु०)	*आर्डिनरी* (रु०)
इन ६ शब्दों के लिए	१.००	०.५०
प्रत्येक अतिरिक्त शब्द के लिए	०.१४	०.०७

—:o:—

A GLORIOUS ERA

एक गौरवशाली युग

नये बम्बई राज्य की द्वितीय पंचवर्षीय योजना ३ अर्ब ५० करोड़ २८ लाख रुपये की है। इसमें भूतपूर्व बम्बई राज्य (उन अंशों को छोड़कर जो अब अन्य राज्यों में मिला दिए गए हैं), विदर्भ, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र और कच्छ की पंचवर्षीय योजनाओं की योजनाएं और व्यवस्थाएं सम्मिलित हैं। व्यय को विकास की विभिन्न मदों में इस प्रकार बांटा गया है:—

कृषि और सामुदायिक विकास

जिसमें पशुपालन, दुग्धशाला उद्योग और दुग्ध-उपलब्धि योजनाएं, जंगल, मछली उद्योग, सहकारिता और सामुदायिक विकास योजनाएं, सम्मिलित हैं ८६,७५,२२,००० रुपये

सिंचाई और बिजली

जिसमे बहुद्देश्यीय योजनाएं, बड़ी और मंझली सिंचाई योजनाएं और बिजली योजनाएं, सम्मिलित हैं ...१,३६,५९,१७,००० रुपये

उद्योग और खानें

जिसमें खानों का विकास कार्य, बड़े और मंझले उद्योग और ग्राम तथा लघु उद्योग सम्मिलित हैं ...१३,१८,९७,००० रुपये

संचार और परिवहन

जिसमें सड़क विकास, सड़क परिवहन और बन्दरगाह सम्मिलित हैं ...२९,२४,४१,००० रुपये

समाज सेवाएं

जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पिछड़े वर्गों का कल्याण और श्रम तथा समाज कल्याण सम्मिलित हैं ...७६,१०,९६,००० रुपये

विविध

राष्ट्रीय और प्रादेशिक भाषाओं का विकास, कला और संस्कृति आदि को प्रोत्साहन ..८,८१,२०,००० रुपये

समाजवादी व्यवस्था के लिए प्रयत्नशील बम्बई

बम्बई सरकार के प्रचार निदेशालय द्वारा प्रचारित

हस्तशिल्प वस्तुओं के बारे में

भारत के गौरव चिन्ह—भारतीय हस्तशिल्प की वस्तुएं

शताब्दियों पूर्व फौलाद-ए-हिन्द या भारतीय इस्पात दुर्जेय शक्ति का प्रतीक माना जाता था।

पर यही नहीं भारत में धातु का उपयोग, शस्त्र निर्माण के अतिरिक्त अन्य विविध रूपों में भी अनोखे ढंग से होता रहा है।

धातुओं पर आधारित कुछ मुख्य हस्तशिल्प ये हैं :- तांबे, पीतल और चांदी की प्लेटें और कटोरे, बिदरी के फूलदान, प्लेटें और एशट्रे, जिन में काली जमीन पर चांदी का सुन्दर काम उनकी विशिष्टता होती है, मुरादाबाद के पीतल के कटोरे, फूलदान और सजावटी वस्तुएं, जयपुर के एनेमल या सादी पीतल की बनी पशुओं की आकृतियां और मीनाकारी की सुन्दर वस्तुएं, पश्चिम बंगाल की कांस्य की दस्तकारियां, उड़ीसा और कश्मीर का चांदी के तारों का काम, बम्बई की आक्सिडाइज तांबे की वस्तुएं और सौराष्ट्र से धातु के खिलौने।

धातु की हस्तशिल्प वस्तुओं में सामान्य उपयोगी पात्र जो कई आकार और रूपों में मिल सकते हैं, से ले कर बारीक खुदाई के काम और जड़ाऊ या एनेमल वाले आभूषण व गहने मिल सकते हैं। चाहे बनाने का ढंग या प्रयुक्त धातु कैसी ही हो, भारतीय हस्तशिल्प की प्रत्येक वस्तु में उत्कृष्ट कलात्मकता का समावेश होता है।

अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड,
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,
भारत सरकार

डी.ए.-९९/२

प्राचीन परम्परा व्यावहारिक आधार
अजंता और एलोरा, खुजराहो और भुवनेश्वर गौरवपूर्ण अतीत तथा प्राचीन भारतीय कला एवं शिल्प की उन्नतम अभिवृद्धि के जीवित प्रतीक हैं।
जे० के० प्रतिष्ठान अपनी बहुमुखी सेवाओं और उत्पादन द्वारा नये सृजन एवं समुचित संचालन में उसी प्राचीन परम्परा को निभा रहा है।
सेवायें
सूती कपड़ा, पटसन एवं ऊन उद्योग, चीनी, होजरी, स्पात, एलूमूनियम, प्लास्टिक, तैल, साबुन, स्ट्रा बोर्ड, केमिकल्स, पेन्ट, खनिज, बीमा, बैंकिंग, व्यवसाय, निर्यात, आयात।
परम्परा के प्रतीक
JK
जे० के० प्रतिष्ठान
कानपुर-बम्बई-कलकत्ता

सुखी जीवन के लिए कॉयर
बेआवाज, लचीला,
नमी प्रतिरोधक,
सफाई में आसान और
टिकाऊ. फिर भी
इतना सस्ता
अपने घर के फरश को रंग-बिरंगे कॉयर (नारियल जटा)
के कालीनों से सजाइये । हर कमरा अपने ढंग में
परम्परागत सौंदर्य से आकर्षक बनेगा । कॉयर
की किफायत से आपको आश्चर्य होगा । फरश के
किसी भी दूसरे कालीन की तुलना में यह आधी से
भी कम कीमत पर सादे घर को भी निराली
शोभा देता है ।
रंग-बिरंगे और ढंग-ढंग के
कॉयर मेट, मेटिंग्ज और कालीन देखिये
कॉयर बोर्ड
शो रू म ए ण्ड से ल्स डी पो

रेलगाड़ियों से सब तरह का माल ढोया जाता है - चाहे वह कोयले जैसा सस्ता माल हो और चाहे बहुमूल्य वस्तुएं। चूँकि रेलगाड़ियाँ ऐसा माल भी ढोती हैं जिनकी ढोआई की दर ऊंची होती है, इसीलिए उनके लिए यह सम्भव है कि वे कोयला, आदि, सस्ते दर पर ढो सकें। हमारे देश के व्यापक हित में यह आवश्यक है कि रेलगाड़ियों में माल ढोने की जितनी भी क्षमता है उसका पूरा-पूरा उपयोग किया जाए।

हम हर सम्भव तरीके से यह प्रयत्न करेंगे कि आप रेलगाड़ियों की माल ढोने की क्षमता का पूरा उपयोगकर सकें। यदि आप को अपने माल की ढोआई के मामले में कोई विशेष कठिनाई नज़र आए तो आप रेलवे के चीफ़ कमर्शियलसुपरिन्टे-न्डेण्ट या अपने डिवीज़न के रेलवे अधिकारियों से मिलें। वे आपकी कठिनाई को दूर करने के लिए सदा प्रस्तुत रहेंगे।

ISSUED BY

SOUTHERN RAILWAY

सांस्कृतिक सम्पर्क

उत्तरी रेलवे

स्थायी महत्व की पुस्तकें

	मूल्य रु० नये पैसे	डाक खर्च रु० नये पैसे
रूसी-हिन्दी शब्दकोश (संकलनकर्ता—वीर राजेन्द्र ऋषि)	३५.००	—
भारत के पक्षी (लेखक—राजेश्वरप्रसाद नारायण सिंह)	१२.५०	—
सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय (खण्ड १)—१८८४–१८९६		
कपड़े की जिल्द	५.५०	०.८५
कागज़ की जिल्द	३.००	०.५०
(खण्ड २)—१८९६–१८९७		
कपड़े की जिल्द	५.५०	०.८५
कागज़ की जिल्द	३.००	०.५०
राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद के भाषण (१९५२–१९५६)	३.५०	०.८५
स्वाधीनता और उसके बाद (जवाहरलाल नेहरू के भाषण) (१९४९–५३)	५.००	१.३५
भारत की एकता का निर्माण (सरदार वल्लभभाई पटेल के भाषण)	५.००	१.३०
भारतीय कविता १९५३	५.००	१.७५
बौद्ध धर्म के २५०० वर्ष	३.००	०.४५
भारत के बौद्ध तीर्थ	२.००	०.३०
भारतीय वास्तुकला के ५००० वर्ष	२.००	०.२५
ग्यारहवाँ वर्ष	१.५०	०.४५
अशोक के धर्मलेख	१.००	०.२५

(रजिस्ट्रेशन व्यय अलग)

२५ रुपये या इससे अधिक की पुस्तकें मंगाने पर डाक खर्च नहीं लिया जाता है।

सभी प्रमुख पुस्तक-विक्रेताओं या निम्न पते से प्राप्य :

प्रकाशन विभाग

पोस्ट बॉक्स नं० २०११, पुराना सचिवालय

दिल्ली - ८